

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

के

वाणिज्य एवं व्यवसायिक प्रशासन विभाग में

डी० फिल० उपाधि हेतु

शोध प्रबन्ध

उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन की स्थिति
और सम्भावनाएँ


शोधकर्ता

राकेश कुमार

निर्देशक

डॉ० हरेन्द्र कुमार सिंह

वाणिज्य एवं व्यवसायिक प्रशासन विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद



इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

2002

प्रमाण-पत्र

मुझे यह प्रमाणित करते हुए असाधारण हर्ष का अनुभव हो रहा है कि श्री राकेश कुमार ने मेरे निर्देशन में "उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन की स्थिति और सम्भावनाएँ" विषय में डी०फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध लिपिवद्ध किया है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के नियमानुसार निर्धारित समय से अधिक दिन तक मेरे सानिध्य में उपस्थित रहे हैं।

इनका यह शोध प्रबन्ध एक मौलिक प्रयास है। मैं इनके कार्य से अत्यधिक सन्तुष्ट हूँ। मैं इन्हें इस शोध प्रबन्ध को विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करता हूँ।

निर्देशक

डॉ० हरेन्द्र कुमार सिंह
वाणिज्य एवं व्यवसायिक प्रशासन विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक

प्राक्पक्ष

भारत वर्ष में कृषि मात्र जीविकोपार्जन का साधन न हो करके अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड भी है। राष्ट्र का व्यापार, विदेशी मुद्रा अर्जन, रोजगार स्तर, राष्ट्रीय आय और राजनैतिक स्थायित्व कृषि पर ही निर्भर है आज मानव की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के साथ ही साथ कृषक को भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ ऐसी फसलों की खेती करना आवश्यक हो गया है जिसकी बिक्री करके वह कुछ नकदी प्राप्त कर सके। इस प्रकार आज के युग में जबकि स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था का लोप हो चुका है और उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय भागों को दृष्टिकोण में रखकर किया जाने लगा है तब कृषि विपणन का अर्थव्यवस्था में विशेष स्थान हो गया है। आज की आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन यदि एक पहलू है तो विपणन दूसरा पहलू और व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में तो मुख्य उद्देश्य बाजार ही होता है।

भारत वर्ष में कृषि विपणन से आशय केवल कृषि पदार्थों के क्रय एवं विक्रय से नहीं है बल्कि कृषि विपणन से आशय उन समस्त क्रियाओं से होता है जिनका सम्बन्ध कृषि उत्पादन को किसान के यहाँ में अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचाना है। इन क्रियाओं में सम्मिलित है शारीरिक क्रियाएँ, मानसिक क्रियाएँ एवं मेषा सम्बन्धी क्रियाएँ। इस तरह की अनेक क्रियाएँ कृषि पदार्थों के उत्पादन एवं विक्रय के बीच सम्पन्न होती हैं।

उत्पादक की सफलता केवल उत्पादन पर ही अवलम्बित नहीं है, क्योंकि यदि उत्पादक की गाढ़ी मेहनत से तैयार किए गए माल को उचित ढंग से न बेचा गया तो हो सकता है कि एक उत्पादक को अपने माल के बदले में उचित कीमत न मिल सके और उसका लाभ कुछ ऐसी दूसरी जेबों में चला जाय जो किसान को विपणन कमजोरियों का लाभ उठाने से न चूके। उपज की उचित कीमत उपभोक्ता द्वारा दी जाने पर भी उसका एक बड़ा भाग मध्यस्थों द्वारा हड़प लिया जाता है। जिससे उत्पादक को प्राप्त कीमत और उपभोक्ता द्वारा दी गयी कीमत में पर्याप्त अन्तर आ जाता है। अतएव आधुनिक युग में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के

हित के लिए यह आवश्यक हो गया है कि देश भर में कृषि विपणन के कार्यों को समुचित रूप से व्यवस्थित किया जाय।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में “उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन की स्थिति और सम्भावनाएँ” का एक व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसमें कृषि विपणन की आवधारणा एवं प्रबन्धकीय पहलुओं एवं उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक की भूमिका का परीक्षण किया गया है। जिनके द्वारा विपणन संदेश जन-साधारण तक पहुँचाए जाते हैं उन्हें विपणन प्रक्रिया कहते हैं। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में कृषि विपणन के विभिन्न माध्यमों का व्यवस्थित विश्लेषण किया गया है तथा व्यावसायिक विपणन को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा जो आचार संहिता बनायी गयी है एवं इसके आर्थिक सामाजिक, नैतिक एवं व्यावहारिक पहलुओं पर भी आलोचनात्मक प्रकाश डाला गया है।

समस्त विपणन क्रियाओं का केन्द्र बिन्दु वस्तु होती है एवं बिना वस्तु के कोई विपणन क्रिया नहीं हो सकती है। उत्पादन, उत्पाद, उपभोक्ता आदि सभी वस्तुओं पर ही निर्भर है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में कृषि उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुँचाने के सभी खर्चों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। कृषि विपणन पर जो व्यय किया गया इसका प्रभाव किसान पर पड़ा कि नहीं और पड़ा तो कितना इस तथ्य का विश्लेषण करने एवं मूल्यांकन की विभिन्न विधियों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यावहारिक पक्ष पर भी प्रकाश डाला गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को अधिक महत्वपूर्ण तथा विश्वसनीय बनाने के दृष्टिकोण से प्राथमिक आँकड़ों का एकत्रीकरण एवं सांख्यिकीय विश्लेषण तालिका के द्वारा, प्रतिशत विधि, दण्ड चित्रों आदि के द्वारा किया गया है। जिनसे कि यह स्पष्ट हो सके कि इन सभी प्रक्रियाओं से प्रभावित होकर उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने हेतु प्रेरित होता है। इसी समस्या को ध्यान में रखकर प्रस्तुत शोध प्रबन्ध “उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन की स्थिति और सम्भावनाएँ” आप के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की पूर्णता हेतु मैं अपने शोध निर्देशक डॉ० हरेन्द्र कुमार सिंह के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने विभिन्न स्तरों पर शोध प्रबन्ध की मौलिकता एवं गुणवत्ता बनाने हेतु आवश्यक मार्ग दर्शन किया। वास्तव में मैं उनके ही प्रोत्साहन एवं दिशा निर्देश के कारण इस शोध प्रबन्ध

को पूरा करने में सफल हुआ हूँ। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसायिक प्रशासन विभाग के अध्यक्ष प्रो० के० एम० शर्मा के प्रति भी हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे शोध प्रबन्ध के पूरे होने और समय के अन्दर प्रस्तुत करने में विशेष सहयोग प्रदान किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसायिक प्रशासन विभाग के अधिष्ठाता प्रो० पी० एन० मेहरोत्रा मेरे शोध कार्य के दौरान सदैव प्रेरणास्रोत रहे हैं जिनके प्रति आभार ज्ञापन हेतु मेरे पास शब्दाभाव है।

मैं अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परमश्रद्धेय गुरुजनो विशेषतया प्रो० राजशेखर, प्रो० रमेन्दु राय, प्रो० एस० ए० अंसारी, आदि के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सदैव उत्साहित किया। मैं डॉ० दिनेश कुमार रीडर वाणिज्य संकाय इलाहाबाद डिग्री कालेज इलाहाबाद के प्रति भी हृदय से आभारी हूँ, जिनके मूल्यवान सुझाव से मैं लाभान्वित हुआ। मैं डॉ० मीरा सिंह प्रवक्ता वाणिज्य संकाय, चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कालेज इलाहाबाद के प्रति भी आभारी हूँ जिन्होंने शोध प्रबन्ध हेतु समय-समय पर आवश्यक सुझाव दिया।


मैं अपने परिजनो विशेष रूप से अपने पूज्य पिता जी श्री परमानन्द सिंह एवं पूज्यनीया माता जी श्रीमती पार्वती सिंह का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया है और जिनके आशीर्वाद से यह कार्य पूरा हुआ। मैं अपने अग्रज श्री राजेश कुमार सिंह एवं अनुज श्री ब्रजेश कुमार सिंह एवं श्री रवि कुमार सिंह को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सदैव इस कार्य हेतु प्रोत्साहित किया है तथा समय-समय पर महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है।

इस शोध प्रबन्ध को पूरा करने में निदेशक गन्ना मंत्रालय लखनऊ के प्रति भी मैं आभारी हूँ जहाँ से शोध विषय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण साहित्य एवं आँकड़ों को एकत्रित करने में सहायता मिली। मैं निदेशक तिलहन मंत्रालय लखनऊ का भी आभारी हूँ जिनका निरंतर सहयोग मिलता रहा। इनके अतिरिक्त मुझे जिन सहयोगियों एवं मित्रों से सहायता प्राप्त हुई है। उनमें श्री जटाशकर तिवारी, श्री विजय तीर्थ सिंह, श्री मोहन सिंह, कु० अनुय्या सुरेश, श्री मुश्ताक अहमद (समाज कल्याण अधिकारी, गाजीपुर), श्री राजकुमार सिंह

(उपनिरीक्षक पुलिस, गोरखपुर), श्री थॉमस एस० ई०, श्री जीतेन्द्र सिंह, श्री राम कृष्ण सिंह, श्री विवेक कुमार, श्री प्रभुनाथ प्रसाद को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे समय-समय पर पूर्ण सहयोग प्रदान किया है।

अन्त में मैं अपने गुरु भाई डॉ० रामकरन वाणिज्य प्रवक्ता, मदनमोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कालाकाकर (प्रतापगढ़) का धन्यवाद ज्ञापन जरूर करना चाहूँगा जो प्रतिपल मुझे अभिप्रेरित करते रहे। इसके अतिरिक्त मैं अपने शोध ग्रन्थ के मुद्रण हेतु कम्प्यूटर आपरेटर श्री देवेन्द्र त्रिपाठी को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिनकी तत्परता तथा अदम्य उत्साह के अभाव में शोध ग्रन्थ समय से मुद्रित नहीं हो पाता।

शोधकर्ता



(राकेश कुमार)

(एम०काम०, डी०ए०सी०)

वाणिज्य एवं व्यवसायिक प्रशासन विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

दिनांक - २४ जुलाई, गुरु पूर्णिमा, २००२
इलाहाबाद।

विषय-सूची

अध्याय		पृष्ठ संख्या
प्रथम	प्रस्तावना एव अवधारणात्मक समीक्षा	01 – 78
द्वितीय	भारत में कृषि विपणन की व्यवस्था एव समस्याएँ	79 – 148
तृतीय	भारत में फसलोत्पादन एव उत्तर प्रदेश में विनियमित बाजार	149 – 206
चतुर्थ	उत्तर प्रदेश में तिलहन का विपणन	207 – 230
पंचम	उत्तर प्रदेश में सरसों एव सरसों तेल का विपणन	231 – 266
षष्ठम	उत्तर प्रदेश में गन्ना एव गन्ना उत्पादों का विपणन	267 – 318
सप्तम	शोध निष्कर्ष एव सुझाव	319 – 346
	<i>Selected Bibliography</i>	347 – 353

प्रथम अध्याय

प्रस्तावना एवं अवधारणात्मक समीक्षा

भारत वर्ष में कृषि मात्र जीविकोपार्जन का साधन न हो करके अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड भी है। राष्ट्र का व्यापार, विदेशी मुद्रा अर्जन, रोजगार स्तर, राष्ट्रीय आय और राजनैतिक स्थायित्व कृषि पर ही निर्भर है। जनसंख्या का दो तिहाई भाग प्रत्यक्ष जीविकोपार्जन हेतु कृषि पर आधारित है, और राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग ३०-२५ प्रतिशत है।¹ राष्ट्र के निर्यात में कृषि का योगदान २५ प्रतिशत है, फिर भी कृषि के क्षेत्र में अभी और उन्नयन की सम्भावना है। कृषि क्षेत्र के दो अपरिहार्य अंग हैं, उत्पादन और विपणन। भारत वर्ष में हरित क्रांति के बाद उत्पादन क्षेत्र में तो बेहतरी आई है किन्तु विपणन क्षेत्र में सुधार की अपार सम्भावनाएँ हैं। उत्पादक की सफलता केवल उत्पादन पर ही लम्बित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्पादक के द्वारा की गई गाढी मेहनत से तैयार किए गए माल को उचित ढंग से न बेचा गया, तो हो सकता है कि एक उत्पादक को अपने माल के बदले में उचित कीमत न मिल सके और उसका लाभ कुछ ऐसे व्यक्तियों के जेबों में चला जाय जो किसान की विपणन कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं। कृषि उपज की उचित कीमत उपभोक्ता द्वारा की जाने के बाद भी उसका एक बड़ा भाग मध्यस्थों के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है, जिससे उत्पादक को प्राप्त कीमत और उपभोक्ता द्वारा दी गयी कीमत में काफी अधिक अंतर आ जाता है। अतः आधुनिक युग में उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों के फायदे के लिए यह आवश्यक है कि देशभर में कृषि विपणन के कार्यों को उचित रूप से व्यवस्थित किया जाये।

कृषि विपणन :- भारत वर्ष में विपणन से आशय केवल कृषि पदार्थों के क्रय विक्रय से नहीं है बल्कि कृषि विपणन से आशय उन समस्त क्रियाओं से होता है जिनका सम्बन्ध कृषि उत्पादन को किसान के यहाँ से

¹ जैन आर० सी० भारत में सहकारी विपणन की सम्भावनाएँ, प्रतियोगिता दर्पण, आगरा, मई १९९९ ।

अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाना है। इन क्रियाओं में सम्मिलित हैं शारीरिक क्रियाएँ, मानसिक क्रियाएँ एवं सेवा सम्बन्धी क्रियाएँ। इस तरह के अनेक क्रियाएँ कृषि पदार्थों के उत्पादन एवं विक्रय के बीच सम्पन्न होती हैं।

१ जनवरी १९४८ से ही विश्व व्यापार पर से सीमा शुल्क कम करने तथा विदेशी व्यापार प्रोत्साहन हेतु दुनिया के देशों से अच्छा सम्बन्ध पालन कराने की दिशा में सामान्य समझौता किया जा रहा है। सस्थापक सदस्य के रूप में भारत भी इस सस्था में शामिल है। उरुग्वे दौर गैट समझौता के अंतर्गत खास तौर पर चर्चित रहा है। इस दौर में कृषि एवं सेवा क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया है। जिसका आगे चलकर विकसित व कुछ अर्द्ध विकसित देशों ने विरोध किया। इसलिए उसके दौर को आसानी से अंतिम रूप दिया जाना संभव नहीं हो पाया था। उस समय गैट के महाविदेशक आर्थर डंकल थे। इनको कुछ परिवर्तन एवं संशोधन करके ऐसा प्रस्ताव लाने को कहा गया जो सबको मंजूर हो। आर्थर डंकल ने 20 दिसम्बर 1991 को लगभग पाँच सौ पृष्ठों का एक प्रस्ताव रखा जिसे डंकल प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। डंकल प्रस्ताव पर १९९३ में जेनेवा में गैट के सभी सदस्य राष्ट्रों ने अपनी सहमति प्रदान कर दी और 1994 में मोस्को के मरकेश नगर में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर दिए²

कृषि विपणन की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं जो उसकी विपणन सम्बन्धी क्रियाएँ को प्रभावित करती हैं। कृषि विपणन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कृषि उपजों को विपणन केन्द्रों पर एकत्रित करने से है, क्योंकि एक ओर तो कृषि उपज निम्न स्तर पर होती है और सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में फैली रहती है तथा दूसरी ओर अंतिम उपभोक्ताओं की अधिकांश संख्या कृषि क्षेत्रों से दूर नगरों में स्थित हैं। भारत में कृषि उपजों की मौसमी प्रकृति होती है तथा इनके आकार एवं गुणों में विभिन्नता पाई जाती है। हमारे देश के कृषक विपणन पद्धतियों तथा बाजार की दशाओं से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होते हैं। इतना ही नहीं यहाँ तक कि उपभोक्ताओं को किस किस की कृषि पदार्थों की आवश्यकता है इसकी भी जानकारी का अभाव किसानों में पाया जाता है। जोतो का आकार छोटा एवं बिखरे होने के कारण विपणन क्रिया में काफी परेशानी होती है। इसलिए हमारे देश के किसान विपणन के प्रति तटस्थ रहता है।

² सिंह गजेन्द्र पाल, भारतीय कृषि एवं गैट समझौता, पृष्ठ सं० ६०९ प्रतियोगिता दर्पण, आगरा, नवम्बर १९९४।

भारतीय किसान को सबसे पहला ज्ञान उत्पादन के आवश्यक तत्वों के बारे में जानकारी एवं प्रयोग करने की विधि एवं उसके लाभों के बारे में देना आवश्यक है। कृषि विपणन का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है इसीलिए हम विपणन को कृषि अर्थव्यवस्था की नींव कहते हैं। प्रभावशाली विपणन कृषि उत्पादों का उचित मूल्य निर्धारित कराकर किसानों को और अधिक उत्पादन करने के लिए उत्साहित करता है।

अध्ययनार्थ चुनी गयी फसलें :- अध्ययनार्थ उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसलों में गन्ना, तिलहन का चुनाव किया गया है। इन फसलों को पैदा करके किसान इनका पूर्णरूप से उपयोग नहीं कर पाता है बल्कि इनको बेचकर अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन कमाता है। अधिकतर भारतीय किसान अत्यंत दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं, अतः किसान को अपनी आर्थिक दशा को सुधारने हेतु नकदी रूपों की आवश्यकता है। इसलिए वाणिज्यिक फसलों की आवश्यकता आज काफी बढ़ गयी है और इस प्रकार की फसलों की खेती आज के किसान के लिए अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य हो गयी है।

अध्ययन हेतु चुनी गयी फसलों का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इन फसलों की स्थिति एवं महत्व की विवेचना हम क्रमशः निम्न में प्रस्तुत कर रहे हैं -

1. **गन्ना :-** गन्ना उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नकदी व औद्योगिक फसल है। उत्तर प्रदेश में उत्पादन की दृष्टि से गन्ना का प्रथम स्थान है। भारत में गन्ना का क्षेत्रफल विश्व के गन्ना क्षेत्रफल का २४ प्रतिशत है। भारतवर्ष के कुल गन्ना क्षेत्रफल का ५२ प्रतिशत भाग और कुल गन्ना उत्पादन का ४२ प्रतिशत भाग अकेले उत्तरप्रदेश में होता है³ देश की कुल ३६० चीनी मिलों में से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ९९ चीनी मिलें स्थित हैं। उत्तर प्रदेश की औसत गन्ना उपज ४२० कुन्तल प्रति हेक्टेयर है। देश के कुल चीनी उत्पादन का २५ प्रतिशत भाग अकेले उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है⁴

अतः पूरे भारत में गन्ना एवं चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों का स्थान है। यही नहीं गुड़ और खाण्डमारी के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का देश के कुल उत्पादन में प्रथम स्थान है। देश के कुल गुड़ और खाण्डमारी

³ सिंह अशोक कुमार, भारत में कृषि विपणन, पृष्ठ संख्या २।

⁴ "गन्ना" मासिक जुलाई १९८२, पृष्ठ संख्या ३।

का लगभग ५० प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के ३० लाख से भी अधिक गन्ना किसान और चीनी मिलों एवं खाण्डसारी उद्योग में लगे हुए लाखों मजदूरों के परिवारों का भरण पोषण भी गन्ने की खेती पर निर्भर करता है⁵ इस प्रकार स्पष्ट है कि गन्ना प्रदेश की एक प्रमुख वाणिज्यिक/औद्योगिक फसल है।

हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन वृद्धि के अपेक्षा चीनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि न होने के कारण इस प्रदेश में गुड़ तथा खाण्डसारी उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है, जिसका प्रभाव यह हुआ है कि इन उद्योगों से प्रतियोगिता बढ़ने के कारण चीनी मिलों के उत्पादन में उतार-चढ़ाव के क्रम में वृद्धि हुई है।

उत्तर प्रदेश में गन्ने का प्रयोग मुख्य रूप से चीनी, खाण्डसारी और गुड़ के निर्माण में होता है। अतः इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उपयोग गुड़ के उत्पादन में हो रहा है। इसके बाद क्रमशः चीनी एवं खाण्डसारी के उत्पादन में होता है। अतः गन्ने के उपर्युक्त उत्पादों में से अध्ययन के लिए गुड़ और चीनी का चुनाव किया गया।

2. तिलहन :- गन्ने के भाँति तिलहन भी हमारे भारत देश की एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है। भारत में अनेक प्रकार के तिलहन पैदा किए जाते हैं जिनमें मुख्य रूप से मूँगफली, तोरी या सरसो, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी, अलसी, अरण्डी अण्डी, एवं बिनौला आते हैं। इनका प्रयोग केवल तेल उत्पादन में ही नहीं बल्कि अनेक औद्योगिक वस्तुओं को बनाने में भी किया जाता है जैसे कि औषधियों, साबुन, वार्निश, चिकनाई, वनस्पति, घी, इत्र आदि। वर्तमान समय में लगभग दो करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल में तिलहन की खेती की जाती है⁶

भारत में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी तिलहन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तिलहन उत्तर प्रदेश की एक मुख्य नकदी/औद्योगिक फसल है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल तिलहन

उत्पादन का २० प्रतिशत भाग उत्पादित किया जाता है⁷ राई सरसो के उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश का पूरे भारत देश में प्रथम स्थान है, लेकिन यह बड़ी निराशाजनक बात है कि तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल के अंतर्गत हमारे प्रदेश में कोई खास गिरावट तो नहीं आयी है लेकिन औसत उत्पादन एवं कुल उत्पादन घटा है। तिलहनी फसलों एवं खाद्य तेलों के मूल्य में निरन्तर वृद्धि होना जारी है। जिससे सामान्य आदमी को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

हमारे जीवन में खाद्य पदार्थों के रूप में चीनी, गुड़, सरसो तेल आदि का महत्व इतना आवश्यक हो गया है कि इनका अभाव पूरे जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर देता है। इन फसलों के महत्व को देखते हुए हमें मात्र इनके उत्पादन पर ही नहीं बल्कि विपणन व्यवस्था पर भी विशेष-रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर एक अच्छी विपणन प्रणाली नहीं रहेगी तो अच्छे उत्पादन की भी संभावना नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक फसलों के बढ़ते हुए महत्व के कारण इनके उत्पादन में निरन्तर वृद्धि की संभावना बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में इनके बाजार में विस्तार हुआ है। अतः इनकी विपणन की अच्छी प्रणाली को बढ़ाने पर अधिक से अधिक बल दिया जाना आवश्यक हो गया है।

विपणन व्यय के अध्ययन की आवश्यकता :- कृषि विपणन लागत का अध्ययन किसान एवं उपभोक्ता दोनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ एक ओर कृषि उपजों की उत्पादक को प्राप्त होने वाली कीमत किसान की भविष्य में कृषि निवेश की क्षमता को प्रभावित करती है वहीं दूसरी ओर विपणन लागत की अधिकता या न्यूनता उपभोक्ता की क्रय शक्ति को प्रभावित करती है। विपणन व्यय के अन्तर्गत उन सभी व्ययों को सम्मिलित किया जाता है जो उत्पादकों या निर्माताओं के पास से वस्तु को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के समय तक विभिन्न मध्यस्थों द्वारा किये जाते हैं। इन व्ययों में एकत्रीकरण, थोक वितरण और फुटकर वितरण के स्तरों पर किये जाने वाले ढुलाई और यातायात व्यय, सग्रहण की लागत, माल की पैकिंग आदि अन्य ऐसे तमाम व्यय सम्मिलित होते हैं। विपणन लागत में मध्यस्थों द्वारा अपनी सेवाओं हेतु लिए जाने वाला लाभ भी जोड़ा जाता है। यह आवश्यक भी है क्योंकि इसी लोभ से मध्यस्थ व्यापार कार्य में

⁷ तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, वर्ष १९८१-८२ कृषि निदेशालय उ०प्र० (कपास एवं तिलहन अनुभाग) लखनऊ, पृष्ठ

लगे रहते हैं। इस प्रकार एक वस्तु विशेष हेतु किसी उपभोक्ता/प्रयोगकर्ता द्वारा दिए हुए मूल्य तथा उसी वस्तु के लिए उत्पादक/निर्माता द्वारा प्राप्त किए गए मूल्य में अन्तर को ही विपणन लागत कहते हैं।⁸

हमारे भारतीय किसानों में विपणन सम्बन्धी जानकारी का अभाव पाया जाता है। इसके अलावा हमारे देश में छोटे किसानों का अधिक होने एवं इनके विक्रय योग्य को कम होने से इनमें संगठन क्षमता का अभाव पाया जाता है। जिससे अधिकतर छोटे किसान बड़े पैमाने पर होने वाले बिक्री के लाभों से वंचित रह जाते हैं। साथ ही साथ किसानों में व्यापारियों से मोलभाव करने की क्षमता का अभाव रहता है। दूसरी तरफ बाजार में कार्य करने वाले व्यापारियों के कई संगठन होते हैं जिनके सहारे वे लोग किसानों का शोषण करते हैं। विपणन लागत की अध्ययन से कर की दरों के विपणन पर प्रभाव और भार को जाना जा सकता है।

आज के युग में कृषि में वैज्ञानिक एवं प्राविधिक विकास के बावजूद कृषि उपजों का आकार बेहद जटिल होता जा रहा है, जिससे कृषि विपणन में मध्यस्थों की संख्या बढ़ी है एवं कृषि विपणन की समस्याएँ अधिक कठिन हो गई हैं। अतः अब कृषि-विपणन एक अलग विषय के रूप में न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि सरकार की आर्थिक नीतियों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखने लगा है। कृषि विपणन पर कई सरकारी और गैरसरकारी अध्ययन हुए हैं। सरकारी अध्ययन मुख्य रूप से भारत सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा किए गए हैं। इसी निदेशालय द्वारा त्रैमासिक जर्नल "एग्रीकल्चरल मार्केटिंग" का भी नियमित प्रकाशन होता है। गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा भी कृषि विपणन पर कई अध्ययन किए गए हैं, इसमें विश्वविद्यालयों में किए गए अनुसंधान प्रमुख हैं। उदाहरण के लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन उत्तर प्रदेश (गुप्ता अबिका प्रसाद १९६०), मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन वैस्टर्न यू० पी० विट् स्पेशल रेफरेन्स टू गुड एण्ड खाण्डसारी (बशल, भारत भूषण, १९६४), मार्केटिंग ऑफ ब्रैको इन गुण्टूर डिस्ट्रिक्ट पूरा (राव, टी० पी० सुब्बा, १९६६), मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन मध्य प्रदेश (राव, मधुकर गोविन्द, १९५३-६१), दि प्राब्लम्स ऑफ मार्केटिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इण्डिया

⁸ गुप्ता ए०पी०, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इण्डिया, वीरा एण्ड क०, पब्लिशर्स प्रा० लि० ३ राउण्ड बिल्डिंग, बाम्बे-४०० ००२ वर्ष १९७५, पृष्ठ संख्या १८८

विद् पार्टिकुलर रेफरेन्स टू उत्तर प्रदेश (निगम, माधुरी, १९६४), भारत मे कृषि विपणन (सिंह आशोक कुमार, १९९६)⁹

इस प्रकार सरकारी एव गैर सरकारी सस्थाओ द्वारा कृषि उत्पादो के विपणन सम्बन्धी कई अध्ययन हुए हैं, किन्तु ये अध्ययन प्राय सामान्य कृषि पदार्थो अथवा किसी एक उत्पाद विशेष पर ही किए गए हैं। जबकि हाल के वर्षो मे कृषि विपणन की दशा मे तीव्र गति से परिवर्तन हुए हैं। इसलिए कृषि उत्पादो की विपणन गतिविधियो मे होने वाले परिवर्तनो का अध्ययन आवश्यक हो गया है। चूँकि “ उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक फसलों एवं उत्पादों का विपणन ” विषय पर अध्ययन का अभाव रहा है अत इसकी अध्ययन की आवश्यकता महसूस की गयी है।

गैट समझौता :- भारत वर्ष के अन्तर्गत गैट समझौता कृषि विपणन को तीन प्रकार से प्रभावित करेगा -

- ❖ कृषि मे उपभोग की जाने वाली वस्तुओ जैसे बीज उर्वरक, कीटनाशक दवाओ, यत्रो, विद्युत व सिचाई सुविधाओ मे सब्सिडी को कम करना।
- ❖ घरेलू आवश्यकताओ के न होते हुए भी अन्य देशो से खाद्यान्नो का विवशतापूर्ण आयात।
- ❖ बौद्धिक सम्पदा अधिकार की सुरक्षा¹⁰

1.- **किसानों की सहायता (सब्सिडी) को कम करना :-** किसानो की बीजो, उर्वरको, कीटनाशक दवाओ, यत्रो, विद्युत व सिचाई साधनो उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता (सब्सिडी) कम करना चाहिए। इस सम्बन्ध मे अन्य दूसरे देशो मे कृषि उपज बढाने के लिए कृषि से सम्बन्धित सभी वस्तुओ पर सब्सिडी काफी अधिक मात्रा मे उपलब्ध कराते हैं। जिसके कारण दूसरे देशो मे खाद्यान्नो की उत्पाद काफी अधिक मात्रा मे होती है। वहाँ इतनी अधिक खाद्यान्नो की पैदावार की जाती है कि उसकी खपत के लिए बाजार ढूँढना पडता है। इसीलिए कृषि को भी गैट समझौते के अन्तर्गत सम्मिलित करके विकसित देशो की तरह अधिक खाद्यान्न पैदा की जाए ताकि विकसित देशो के सामने भविष्य मे खाद्यान्नो की निर्यात की समस्या

⁹ सिंह अशोक कुमार, भारत मे कृषि विपणन, १९९६, पृष्ठ सख्या ०९ ।

¹⁰ सिंह गजेन्द्र पाल, भारतीय कृषि एवं गैट समझौता, पृष्ठ सख्या ६०९, प्रतियोगिता दर्पण आगरा, नवम्बर १९९४

फसल के लिए बीज के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। वहीं सूई जेनेरिस के अन्तर्गत किसान बीजों का केवल व्यापारिक लेन देन नहीं कर सकते। इसके अन्तर्गत उपज के एक भाग को बीज के रूप में प्रयोग करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। भारत ने सूई जेनेरिस को ही विकल्प के रूप में चुना है। तथा किसान अपनी फसल के बीज रख सकते हैं। एव इच्छानुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। तब ही देश में उत्पन्न किए जा रहे अच्छे किस्म के बीज पूर्व की भाँति हमेशा उपलब्ध रहेंगे।

इस प्रकार बौद्धिक सम्पदा अधिकार को हमारे कृषि वैज्ञानिकों व सरकार ने अगर चुनौती के रूप में स्वीकार किया तो भविष्य में हमारा राष्ट्र भी इतना आविष्कार कर लेगा कि विकसित राष्ट्रों की भाँति अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने में समर्थ हो सकते हैं। सूई जेनेरिस के अन्तर्गत व्यवस्थाएँ थोड़ी अधिक कठोर होंगी तथा बीजों के उपयोग के मामले में किसानों की स्वतन्त्रता का हनन होगा। अतः आवश्यकता इस बात की है कि समय रहते इसमें ऐसे परिवर्तन संशोधन का प्रस्ताव किया जाए जिससे भारतीय कृषि के दीर्घकालिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

कृषि निर्यात के बढ़ते चरण :- भारत में कृषि से सम्बन्धित वस्तुओं के राष्ट्रीय स्तर पर लेन-देन का इतिहास बहुत पुराना है। जैसे सूत, कपास, चाय, शक्कर, जूट, मसाले इत्यादि अनेक वस्तुएँ मुगल काल एव ब्रिटिश काल में भी दूसरे देशों को भेजी जाती थी। लेकिन उस समय कृषि से सम्बन्धित लेने-देने की संरचना भिन्न थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेज शासक कृषि से सम्बन्धित उत्पादों के विदेशी व्यापार को अपने कब्जे में कर रखे थे तब भारतीय किसानों को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता था। आजादी प्राप्ति के बाद शुरू में तो कमोबेश यही स्थिति बनी रही और निर्यात से कहीं अधिक आयात होता रहा। हमारे देश के कुल निर्यात में कृषि वस्तुओं का बड़ा हिस्सा रहता है। दुनिया भर में आज शायद ही कोई ऐसा देश हो जो आयात अथवा निर्यात न करता हो। सभी को अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार में भागीदारी करनी पड़ती है। उत्पादक व्यापारी तथा उपभोक्ताओं को क्रमशः बाजार लाभ और उपलब्धता सुनिश्चित कराने में विश्व व्यापार का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहता है। चूँकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान है और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हमारा देश भरण पोषण की स्थिति से ऊपर उठकर कृषि उत्पादों

का दूसरे देश में निर्यात करने की स्थिति में आ गया है। खेती को और अधिक लाभपूर्ण बनाने के विभिन्न उपायों में कृषि उत्पादों का अधिक से अधिक निर्यात करना एक महत्वपूर्ण कदम हो गया है। भारतीय कृषि क्षेत्र में व्यापार आम समझौते से पौधों की किस्मों के संरक्षण हेतु प्रस्तावित नया कानून लागू होने पर कृषि तथा कृषकों की हितों की सुरक्षा और भी बेहतर तरीके से हो सकेगी। साथ ही साथ बीजों को संग्रह करने तथा उनके विनिमय अधिकार पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारत को कृषि उत्पादों का निर्यातक बनाने का मुख्य श्रेय कृषि अनुसंधान और उत्पादन में वृद्धि का है। पहले हमें खाद्यान्न आयात करना पड़ता था, लेकिन अब भारत खाद्यान्न उत्पादन के रिकार्ड उत्पादन से इस वर्ष न केवल लक्ष्यों को पार कर गया है, बल्कि उसके पास ३ करोड़ ५० लाख टन से अधिक का सुरक्षित भण्डार भी है। १९९५-९६ में भारत ने लगभग ५५ लाख टन गेहूँ और चावल का निर्यात करने का सफलतापूर्वक लक्ष्य लिया था। जिसमें गेहूँ का निर्यात वर्ष १९९५-९६ में ९०० मिलियन रूपए तक पहुँच चुका था।¹³ देश उदारीकरण प्रक्रिया से ही कृषि के क्षेत्र में उत्पादन और निर्यात के मामले में अद्वितीय वृद्धि कर पाया है। किन्तु अभी और अधिक कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने के लिए आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाना होगा ताकि निर्यात से होने वाली आय बढ़े। भारतीय कृषि उत्पादों के लिए विश्व व्यापार के बदले परिवेश में व्यापक सम्भावनाएँ बढ़ी हैं। विश्व व्यापार में कृषि क्षेत्र के शामिल होने का भरपूर लाभ उठाना है तो विविध उपयोग के लिए कृषि उत्पादन के नीति को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए इस क्षेत्र में विदेशी निवेश में प्रोत्साहन दिए जाने के स्पष्ट संकेत मिलने लगे हैं। कुछ वर्ष पहले खाद्य तेलों की कमी हुई थी। और इनका आयात काफी बढ़ गया था लेकिन आज स्थिति यह है कि खाद्य तेलों का आयात घटकर ३०० करोड़ रु० प्रतिवर्ष हो गया है। वहीं हमारी तिलहनी फसलों और उनसे बनने वाली उत्पादों का निर्यात आठ गुना बढ़कर २५०० करोड़ रु० से भी ऊपर हो गया है।¹⁴ विश्व व्यापार में भारतीय कृषि उत्पादों का हिस्सा अभी तक कुल मिलाकर १ प्रतिशत से भी कम है क्योंकि स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पश्चात् चार दशकों तक कृषि उत्पादन

¹³ बिश्नोई हरि, कृषि निर्यात के बढ़ते चरण, पृष्ठ संख्या ११९२, प्रतियोगिता दर्पण आगरा, फरवरी १९९७।

¹⁴ बिश्नोई हरि, कृषि निर्यात के बढ़ते चरण, पृष्ठ संख्या ११९२, प्रतियोगिता दर्पण आगरा, फरवरी १९९७।

से घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती रही। अतः अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा में उतरने के अत्यधिक अवसर प्राप्त नहीं हुए और इसी कारण असन्तुलन की स्थिति चलती रही।

प्रोत्साहन :- जब नई आर्थिक नीति वर्ष १९९१-९२ से लागू हुई तब से कृषि निर्यात के क्षेत्र में लाभकारी सम्भावनाओं के नए द्वार खुले। आज हमारा देश बड़ी मात्रा में चावल निर्यात करने की स्थिति में समर्थ हुआ है। इसके लिए बहुत से नीतिगत परिवर्तन किए गए ताकि कृषि निर्यात को बढ़ावा मिले। कृषि निर्यात हेतु पर्याप्त वित्त की उपलब्धता को सुगम बनाया गया। अनेक कृषि उत्पादों पर से निर्यात प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया गया। चावल के बाद अब गेहूँ प्रमुखता के साथ निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण फसल के रूप में सामने है। न्यूनतम निर्यात मूल्य से सम्बन्धित नियमों को चावलों पर से समाप्त कर दिया गया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा ३० लाख टन फाइन तथा सुपर फाइन किस्म के चावलों तथा ३० लाख टन गेहूँ वर्ष १९९६ में निर्यात की अनुमति प्रदान की गई थी। इसी प्रकार कॉफी के बड़े उत्पादकों के लिए ७० प्रतिशत तथा लघु उत्पादकों के लिए १०० प्रतिशत तक फ्री सेल कोटे की सीमा को बढ़ा दिया गया है।¹⁵ विनासशील वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हवाई भाड़े में नियमानुसार छूट और अनुदान की नई व्यवस्था लागू की गई है। कृषि निर्यात के विकास के लिए जो मुख्य निर्णय सरकार द्वारा पिछले दिनों लिए गए उसके प्रमुख बात यह रही कि आठवीं योजना के दौरान कृषि कार्यक्रमों को योजना व्यय का तीन गुना बढ़ाकर १० हजार करोड़ रूपए कर दिया गया।¹⁶

बाधाएँ :- हमारे देश को माल निर्यात करने में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो निम्न हैं -

1. **भारतीय बंदरगाहों में बढ़ती भीड़ :-** भारत का समुद्री तट और बंदरगाह बड़ा होने के बावजूद हिन्द महासागर में इनकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इसलिए विश्व के अन्य देशों के समुद्री माल वाहक जहाज भारतीय बंदरगाहों पर शरण लेते रहते हैं। भारतीय समान की आवागमन की वजह से उतनी भीड़

¹⁵ बिश्नोई हरि, कृषि निर्यात के बढ़ते चरण, पृष्ठ संख्या ११९३, प्रतियोगिता दर्पण आगरा, फरवरी १९९७।

¹⁶ बिश्नोई हरि, कृषि निर्यात के बढ़ते चरण, पृष्ठ संख्या ११९३, प्रतियोगिता दर्पण आगरा, फरवरी १९९७।

नहीं है बल्कि पूर्वी सागर में सुविधाजनक स्थिति होने के बाद विदेशी माल की आवाजाही से बंदरगाहों पर भीड़ बहुत बढ़ गई है।

2. **ढाँचागत सुविधाओं का अभाव :-** कृषि निर्यात के लिए देश में मूलभूत ढाँचागत सुविधा या संरचना सम्बन्धी सुविधाओं की कमी होने के कारण कृषि के निर्यात में अड़चन आती है। यद्यपि हाल के वर्षों में कृषि निर्यात के क्षेत्र में सरकार ने ढाँचागत संरचनात्मक, सुविधाओं को प्रदान करने की उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण योजनाएँ शुरू कीं।

3. **छोटे बन्दरगाहों से निर्यात न होना :-** हमारे देश में निर्यात का कार्य कुछ चुने हुए बड़े बन्दरगाहों से ही होता है क्योंकि वहाँ पर विदेशी जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध रहती है जो कि छोटे बन्दरगाहों पर नहीं है ऐसे निर्यातकों को मजबूरन बड़े बन्दरगाहों की तरफ भागना पड़ता है।

4. **हवाई अड्डों पर फल एवं सब्जियों के लिए अनुकूल स्थिति का अभाव :-** हमारे देश में विशेष रूप से फल और सब्जियों का निर्यात अभी भी हवाई जहाज के मार्गों से नहीं होता है। इसका मुख्य कारण भारतीय हवाई अड्डों पर इन वस्तुओं को रखने के लिए आवश्यक सुविधा एवं तापमान की व्यवस्था नहीं की गई है।

5. **निर्यात की दृष्टि से प्रमुख नगरों की प्रतिकूल स्थिति :-** यदि निर्यात की दृष्टिकोण से देखें तो भारत के जो प्रमुख नगर हैं वे सब कृषि निर्यात के लिए अनुकूल स्थिति में नहीं हैं। ऐसे क्षेत्र जो कृषि निर्यात के लिए कुछ दृष्टिकोण से अनुकूल स्थिति में हैं लेकिन वहाँ पर ढाँचागत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

6. **विपणन व्यवस्था में पिछड़ापन :-** हमारे देश में आज भी कृषि विपणन बहुत ही पिछड़ी हुई स्थिति में है। कृषि उत्पादकों को अच्छा मूल्य और प्रोत्साहन तभी मिलता है जब विपणन की व्यवस्था सभी जगह समान रूप से विकसित हो। इस क्षेत्र में सरकार ने कई सुधारात्मक किये हैं जिसका प्रभाव कृषि विपणन में धीरे-धीरे दिखाई पड़ने लगा है।

सुझाव :- आज आवश्यकता इस बात की है कि कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए नए बाजारों की तलाश की जाए तथा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली अल्पकालीन रणनीति में भी कृषि

उत्पादों को भी सम्मिलित किया जाए। कृषि निर्यात के लिए स्पष्ट नीति का निर्धारण किया जाए। काडला बन्दरगाह की सभी चोटियों को सामान्य निर्यातको हेतु खोला जाए। विश्व बाजार में स्वास्थ्य सुरक्षा और गुणवत्ता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अतः ऐसे सभी सम्भव प्रयास करने होंगे, जिससे कि हमारे उत्पाद विदेशी मानकों पर खरे उतरे। इस सदी के अन्त तक कृषि निर्यात बढ़कर ९६ अरब डालर होने की आशा है। फिलहाल यह अभी ३१.४ अरब डालर के आस-पास चल रहा है¹⁷

नवीं योजना हेतु चार सुझाव हैं :-

- ❖ भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाई जाए।
- ❖ कृषक एवं उद्यमी अपनी भूमिका को विस्तृत करें।
- ❖ देश के ९० करोड़ के अलावा विश्व के ५५० करोड़ लोगों तक अपने उत्पाद पहुँचाने की योजना बनाए।
- ❖ कृषि उत्पादों से विश्व स्तर पर साख बनाने हेतु प्रयास किए जाए।

इसके अतिरिक्त उक्त श्रेणीकरण, पैकिंग, भण्डारण, परिसंस्करण, परिवहन तथा विपणन की बेहतर व्यवस्था, शोध एवं विकास की निरंतरता, कृषकों को निर्यात-मुखी चेतना जगाने, लागत में कमी से स्पर्धा में टिकने तथा निर्यात संवर्धन के लिए राष्ट्रव्यापी वातावरण बनाने की आवश्यकता है, ताकि कृषि निर्यात से अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके और करोड़ों कृषकों को उसका सीधा लाभ मिले और उनका जीवन स्तर उपर उठ सके।

भारतीय कृषि की कम उपज : कारण और उपाय

भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहाँ की कृषि अत्यंत पिछड़ी हुई है। भारत में पिछड़ी हुई जातियों तो हैं ही पिछड़े हुए व्यवसाय भी हैं, और दुर्भाग्यवश कृषि उनमें से एक है। यह स्थिति आज भी सत्य जान पड़ती है। भारतीय कृषि की प्रति एकड़ उपज विश्व की सभी धनी देशों की तुलना में कम है। भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूँ की औसत उपज मिश्र से एक तिहाई भाग तथा इंग्लैण्ड एवं डेनमार्क से एक चौथाई भाग,

¹⁷ बिश्नोई हरि, कृषि निर्यात के बढ़ते चरण, पृष्ठ संख्या ११९२, प्रतियोगिता दर्पण आगरा, फरवरी १९९७।

मकई की औसत उपज स्विट्जरलैण्ड और न्यूजीलैण्ड का एक तिहाई भाग, ईख की औसत उपज जावा की एक तिहाई भाग से भी कम है, तथा कपास की औसत उपज मिश्र के छोटे भाग से भी कम है¹⁸ यही कारण है कि कुल उपज यहाँ आवश्यकता से बहुत कम होती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष हमें अरबों रूपए के अन्न, कपास, जूट, आदि का विदेशों से आयात करना पड़ता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए अत्यंत ही दुख का विषय है।

भारतीय कृषि की कम उपज या पिछड़े होने के कारण

भारतीय कृषि के सामने आज भी बहुत सी समस्याएँ हैं। इन समस्याओं का कृषि तथा किसानों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। भारतीय कृषि की कम उपज या पिछड़े होने के बहुत से कारण हैं, इन कारणों को दो भागों में बाँटा गया है -

(क) तकनीकी कारण

(ख) सस्थागत कारण

(क) तकनीकी कारण निम्न हैं:-

- ❖ कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ
- ❖ वर्षा की अनिश्चितता
- ❖ कृषि का प्राचीन तथा अवैज्ञानिक प्रणाली का अनुकरण
- ❖ पुराने तरीके से कृषि औजारों का प्रयोग
- ❖ उत्तम बीज का अभाव
- ❖ उपजाऊ मिट्टी का अभाव
- ❖ जानवरों, कीड़ों मकोड़ों एवं पौधों के रोगों से फसलों की बर्बादी
- ❖ उत्तम खाद्य का अभाव

¹⁸ वर्मा कुमार अजीत, भारतीय कृषि की कम उपज, कारण और उपाय, पृष्ठ संख्या ३६७, प्रतियोगिता दर्पण, आगरा अक्टूबर १९९३ ।

(ख) संस्थागत कारण निम्न है :-

- जोतो का अत्यधिक उपविभाजन एव अपखण्डन
- किसानों की ऋण ग्रस्तता
- आवश्यक पूँजी का अभाव
- सहायक उद्योग धन्धों का अभाव
- दोषपूर्ण कृषि विपणन प्रणाली
- दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था
- किसानों का अशिक्षित एव रूढ़ीवादी होना
- कमजोर पशुधन तथा
- किसानों का बुरा स्वास्थ्य

भारतीय कृषि के पिछड़े होने के सारे कारणों के विस्तृत विवरण

(क) तकनीकी कारण :

1. कृषि पर जनसंख्या का अधिक प्रभाव :- भारत की कुल जनसंख्या का अधिकांश भाग प्रायः 70 से 75 प्रतिशत कृषि पर ही निर्भर है साथ ही साथ मुख्य रूप से अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से ही जुड़ी है। जबकि विश्व में किसी भी राष्ट्र में जनसंख्या का इतना बोझ कृषि पर नहीं है। इतना ही नहीं हमारे यहाँ कृषि पर जनसंख्या का बोझ निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। जिससे उपज बहुत कम होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दोष भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है।
2. वर्षा की अनिश्चितता :- भारतीय कृषि अधिकांश मॉनसून पर ही निर्भर करती है और मॉनसून की प्रकृति बहुत ही अनिश्चित है। किसी वर्ष बहुत अधिक वर्षा होने के कारण खेत में फसल डूब जाती है और फसलों को अत्यधिक क्षति होती है तो किसी वर्ष अत्यधिक सूखा पड़ जाता है जिससे कृषि का कार्य ही अत्यधिक सा दीखने लगता है। वर्षा की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है लेकिन भारत में सिंचाई के

साधनो का भी अत्याधिक अभाव है। कुल कृषि की १९ प्रतिशत भाग में ही सिंचाई की सुविधा प्राप्त है, शेष लगभग ८१ प्रतिशत भूमि पर कृषि के लिए मॉनसून पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यही कारण है कि भारतीय कृषि के साथ मॉनसून को जुआ कहा जाता है। इसलिए हमारे देश में भी प्रति एकड़ उपज भी बहुत कम होती है।

3. कृषि में प्राचीन तथा अवैज्ञानिक प्रणाली का अनुकरण :- भारतीय किसान आज भी प्राचीन तथा अवैज्ञानिक प्रणाली का अनुकरण करते हैं। कृषि के नए-नए वैज्ञानिक तरीकों से वे अभी परिचित नहीं हैं। हमारे देश में आज भी प्राचीन तथा अनुपयुक्त कृषि औजारों को ही कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इनके खेतों की उचित ढंग से जुताई और बुआई नहीं हो पाती है तथा समय भी अधिक लगता है। कुछ वर्ष पहले राज्य सरकार द्वारा कुछ उतम प्रकार के हल तैयार किए गए थे, जिनमें उत्तर प्रदेश का गुरजर मेस्टन हल, पंजाब का राजा हल आदि उल्लेखनीय हैं, परन्तु हमारे देश में इनका बहुत कम प्रचार है। यहाँ बीज तथा खाद्य के नए-नए तरीकों का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए भारतीय कृषि की प्रति एकड़ उपज बहुत ही कम होती है।

4. पुराने ढंग के कृषि औजारों का प्रयोग :- हमारे देश में अधिकांश पुराने ढंग के कृषि औजारों का ही प्रयोग किया जाता है। जबकि भूमि की पैदावार इसके उपयोग में आने वाली औजारों पर ही निर्भर करती है। आज भी भारत के गाँवों में प्राचीन एवं सादे हलो एवं औजारों का प्रयोग बहुत ही कम होता है। अमरीका तथा अन्य पश्चिमी देशों में नए-नए औजारों द्वारा कृषि कला में क्रांति सी आ गई है, किन्तु हमारे भारत देश में इन साधनों का बहुत अभाव है।

5. उत्तम बीजों का अभाव :- एक कहावत है कि 'अच्छा बोओगे तो अच्छा काटोगे' यानी अच्छी फसल का होना अच्छी बीजों पर निर्भर करता है, लेकिन आज भी भारतीय किसान कृषि में खराब बीजों का ही प्रयोग करते हैं, जिससे उपज बहुत ही कम होती है। भारतीय किसान बहुधा फसल होने के समय बाजार से सस्ते बीज खरीद लाते हैं अथवा अपने ही पुराने बीज को इस्तेमाल करते हैं। ये बीज बहुत ही माधारण प्रकार के होते हैं। अच्छी उपज के लिए यह जरूरी है कि प्रमाणित बीज ही प्रयोग करें।

6. **मिट्टी का कटाव :-** अधिक वर्षा एव अधिक बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष बहुत सी उपजाऊ मिट्टी कटकर नदियों में बह जाती है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति इसकी उपरी सतह बह जाती है। जिससे वह भूमि कृषि के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त हो जाती है अतः मिट्टी के कटाव से भी भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, तथा उपज कम होने लगती है।

7. **जानवरों तथा कीड़े-मकौड़े एवं पौधों के रोगों से फसलों की बर्बादी :-** भारत में खेतों की घेराबन्दी के अभाव में चूहे, जंगली जानवरों, नील गाय, पहाड़ी जानवरों आदि फसलों को बर्बाद कर देते हैं। इनसे फसलों की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। फलस्वरूप उपज का एक बड़ा भाग इसी तरह से नष्ट हो जाता है। इसके अलावा कीड़े-मकौड़े से फसलों से रक्षा द्वारा अनाज के उत्पादन में पाच प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार जानवरों तथा कीड़े मकौड़े एव पौधों के रोगों द्वारा भी बहुत सी फसल बर्बाद हो जाती है जिससे उपज कम होती है।

8. **उत्तम खाद्य का अभाव :-** खाद्य तथा खेतों की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने वाली वस्तुओं का प्रयोग भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाने का बहुत बड़ा उपाय है। लेकिन भारतीय किसान खेतों की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने वाले खाद्यों का प्रयोग कम मात्रा में करते हैं। खाद्य की अच्छी किस्मों तथा उनके प्रयोग से ये लोग हमेशा अनभिज्ञ रहते हैं। गोबर की खाद्य सबसे अच्छा होता है लेकिन किसान गोबर का प्रयोग जलाने व खाना पकाने में ही करते हैं। इस प्रकार अच्छी खाद्य के अभाव में उपज भी बहुत कम होती है। हरी खाद्य का प्रयोग भी बहुत कम करते हैं। उर्वरक, डी० ए० पी०, सुपर पोटाश इतने महंगे हैं कि किसान अपनी फसलों में उचित मात्रा में खाद्य प्रयोग नहीं कर पाते हैं।

(ख) संस्थागत कारण :

1. **जोतों का अत्यधिक उपविभाजन एवं अपखण्डन :-** भारतीय कृषि की अवनति का एक प्रमुख कारण जोतों का पीढ़ी दर पीढ़ी एव परिवार से परिवार अतिशय उप-विभाजन एव अपखण्डन है। किसानों की जोतें छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित रहती हैं। जो एक स्थान पर न होकर गाँव के भिन्न-भिन्न भागों में बिखरी रहती हैं। ऐसी स्थिति में कृषि का कार्य खर्चीला एव कठिन हो जाता है। अनुमान लगाया जाता है कि

हमारे देश में ७० प्रतिशत से अधिक किसानों की जोते ३ एकड़ अथवा इससे भी कम की हैं इन छोटे-छोटे जोतों में बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक ढंग से कृषि करना संभव नहीं है, जिससे इनकी उपज कम होती है।

2. किसानों की ऋण ग्रस्तता :- भारतीय किसानों की गरीबी बहुत विश्वविख्यात है। ये कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। देश महाजनो के चंगुल में है ऋण के बन्धन ही कृषि को जकड़े हुए है। इस गरीबी के कारण ही भारतीय किसान उत्तम बीज खाद्य तथा नए-नए औजारों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे कृषि में सुधार लाना असंभव हो जाता है इसी कारण किसी ने सच ही कहा है कि “भारतीय किसान ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में ही पलता है, और ऋण में ही मर जाता है” इसी प्रकार किसानों की ऋण ग्रस्तता भारतीय कृषि के पिछड़े होने का एक प्रमुख कारण है।

3. सहायक उद्योग धंधों का अभाव :- भारतीय किसानों को कृषि के अतिरिक्त अन्य सहायक उद्योग धंधों का भी अभाव है। कृषि में किसानों को साधारण रूप से वर्ष में चार-पाच माह तक ही कार्य करने का मौका मिलता है। वर्ष के बाकी समय में उन्हें अवकाश ही रहता है। इस अवकाश के समय में इनके पास कोई सहायक उद्योग धन्धा रहता है तो इनका समय बेकार नहीं जाता है और साथ ही साथ इनकी आय में वृद्धि होती रहती है इसलिए अवकाश के समुचित उपयोग तथा आय में वृद्धि के लिए सहायक उद्योग धन्धों का होना अनिवार्य है।

4. कृषि विपणन की दोषपूर्ण प्रणाली :- भारतीय किसानों की उपजों के क्रय-विक्रय की उचित व्यवस्था का भी अभाव पाया है। कृषि बाजार इनके लिए अपूर्ण बाजार है जिससे उपज की बिक्री से इन्हें पूरा पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। यातायात तथा सवाद वाहनों का अभाव, माप तौल की विविधता, अत्यधिक बिचौलियों का होना इत्यादि इनके मार्ग में बाधक सिद्ध होते हैं, अतः कृषि में स्थाई सुधार लाने के लिए कृषि बाजार की समुचित व्यवस्था अति आवश्यक है।

5. दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था :- हमारे वर्तमान भूमि व्यवस्था भी काफी हद तक कृषि के पिछड़े होने का एक प्रमुख कारण है। किसानों को अधिक लगान देना पड़ता है, साथ ही किसी वर्ष यदि प्राकृतिक प्रकोप से फसल नष्ट हो जाती है तो भी इन्हें लगान में छूट नहीं मिल पाती। इस दोषपूर्ण कृषि व्यवस्था के कारण

किसानों को बहुत अधिक नुकसान उठानी पडती है। तथा कृषि की उपज पर भी इसका बुरा प्रभाव पडता है, अतः कृषि विकास के लिए भूमि व्यवस्था में सुधार लाना भी नितांत अनिवार्य है।

6. किसानों को अशिक्षित तथा रूढ़िवादी होना :- भारतीय किसानों में अशिक्षा की मात्रा बहुत अधिक है। इसके बावजूद वे भाग्यवादी तथा प्राचीन परम्पराओं में विश्वास अधिक करते हैं। अपने समय शक्ति तथा धन का उपयोग अपनी कुशलता की वृद्धि में नहीं करके व्यर्थ की मुकदमें बाजी में लगाते हैं। अच्छी शिक्षा से ही उन्नत कृषि की आशाएँ की जा सकती हैं। रूढ़िवादिता को त्यागना होगा।

7. कमजोर पशुधन :- भारतीय कृषि का एक प्रमुख अंग यहाँ का पशुधन है। हमारे भारत में कृषि कार्य में पशुओं से बहुत अधिक सहायता मिलती है। साथ ही भारत जैसे शाकाहारी देश में दूध-घी, मक्खन आदि के लिए भी इनका विशेष महत्व है, लेकिन भारत के अधिकांश पशु अस्वस्थ तथा कमजोर होते हैं इसी कारण इनकी दूध क्षमता में भी कमी होती है। यद्यपि देश में पशुओं की संख्या आवश्यकता से बहुत अधिक है फिर भी वे इतने निर्बल होते हैं कि देश में पशुशक्ति की बहुत बड़ी कमी आ गई है। इनकी नस्ल भी अच्छी नहीं होती अतः इनसे कृषि कार्य में यथोचित सहायता नहीं मिलती जिससे उपज का कम होना अत्यन्त स्वाभाविक होता है। क्योंकि कृषि का पशुधन से सीधा सम्बन्ध होता है।

8. किसानों का बुरा स्वास्थ्य :- उपर्युक्त सारे दोषों के साथ-साथ भारतीय कृषि की कम उपज का एक प्रमुख कारण किसानों का बुरा स्वास्थ्य भी है जिसके कारण वे कृषि कार्य में पूरा सहयोग नहीं कर पाते। गाँवों में सफाई एवं चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं, हवादारों गृहों एवं पीने योग्य स्वच्छ जल आदि के अभाव में किसानों का स्वास्थ्य निरन्तर खराब होता जाता है जिससे वे अपनी कार्य करने की शक्ति खो देते हैं। इससे उपज भी कम होती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय कृषि की कम उपज अथवा पिछड़े होने के उपर्युक्त सभी कारण सम्मिलित हैं।

भारतीय कृषि की उपज में वृद्धि के उपाय

भारतीय कृषि की उपज में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उपायों को ध्यान में रखना होगा।

1. जनसंख्या के अनावश्यक बोझ को कम करना :- भारत में अधिकांश व्यक्तियों की रोजी रोटी का प्रधान साधन कृषि ही है। अतः इसके विकास के लिए सर्वप्रथम भूमि पर से जनसंख्या के अनावश्यक बोझ को कम करना होगा। इसके लिए नए-नए उद्योग धंधों का विकास अति आवश्यक है। जिससे लोगों को रोजी रोटी का एक और साधन प्राप्त हो सके। भारत सरकार द्वारा इस दिशा में आजकल बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं किन्तु अभी सफलता की मात्रा बहुत कम रही है।

2. देश में सिंचाई की समुचित व्यवस्था :- भारतीय कृषि की उपज में वृद्धि के दूसरा उपाय है देश में सिंचाई की समुचित व्यवस्था इसके द्वारा कृषि की अनिश्चितता से मुक्त करना आवश्यक है। सिंचाई के साधनों के विस्तार के लिए नहर, कुएँ तथा तालाब खुदवाने की अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं जिनके पूर्ण होने पर सिंचाई पर्याप्त क्षेत्र में वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। बड़ी-बड़ी योजनाओं के अतिरिक्त सिंचाई की लघु योजनाओं पर भी सरकार बहुत जोर दे रही है। सिंचाई के विस्तार के द्वारा कृषि की उपज में ५० से १०० प्रतिशत तक ही वृद्धि की जा सकती है।

3. उत्तम बीज एवं खाद्य का महत्व :- कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए उत्तम बीज का बड़ा ही महत्व है। उत्तम बीज की व्यवस्था के लिए सरकार के कृषि विभाग द्वारा निरन्तर अनुसंधान तथा अन्वेषण की आवश्यकता है। देश में आजकल बीज बॉटने वाली बहुत सी फर्म हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम मात्रा में है। बीज के साथ-साथ उत्तम खाद्य का प्रयोग भी खेतों के उपज बढ़ाने का बहुत बड़ा उपाय है। भारतीय किसान गोबर को जलावन के रूप में प्रयोग करते हैं इसे रोकना आवश्यक है। भारतीय किसानों को चीन तथा जापान की तरह कम्पोस्ट खाद्य बनाने के तरीके से भी अवगत करना अति आवश्यक है। साथ ही साथ गाँवों में पंचायत एवं सहकारी समितियों द्वारा कम मूल्य पर रासायनिक खादों की वितरण की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा सभी रासायनिक खादों पर छूट दी जानी चाहिए ताकि सस्ते होने पर अधिकांश किसान अधिक मात्रा में प्रयोग कर सकें। इससे खेतों की उपज में बहुत अधिक वृद्धि होगी¹⁹

¹⁹ वर्मा कुमार अजीत, भारतीय कृषि की कम उपज, कारण और उपाय, पृष्ठ संख्या ३६८, प्रतियोगिता दर्पण, आगरा अक्टूबर १९९३ ।

4. पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान :- भारतीय कृषि व्यवस्था में पशुधन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इनसे खेती, यातायात, तथा वाणिज्य व्यापार में सहायता मिलने के अतिरिक्त दूध, घी, गोबर आदि भी प्राप्त होते हैं। इसलिए भारत में पशुधन का विकास अति आवश्यक है। इसके लिए पर्याप्त चारा, उचित चिकित्सा, नस्ल सुधार की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार द्वारा किए गए अभी तक सारे प्रयास असतोषजनक ही हैं।

5. भूमि की उचित व्यवस्था :- भारतीय कृषि में सुधार के लिए भूमि की उचित व्यवस्था भी अनिवार्य है। किसानों को अपनी भूमि के प्रति स्थाई हक होनी चाहिए तथा लगान की दर से उपज के अनुसार परिवर्तन लाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में हमारी नीति “ भूमि का स्वामित्व उसके जोतने वालों का हो ” होनी चाहिए²⁰ सतोष का विषय है कि वर्षों से खास तौर से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं इनमें जमींदारी उन्मूलन तथा जोतो के स्वामित्व की सीमा का निर्धारण विशेष रूप से प्रचलित है, किन्तु इसके साथ-साथ कृषि में लगे मजदूरों की स्थिति में भी अमूल परिवर्तन लाना होगा तथा उनकी न्यूनतम मजदूरी की दर निर्धारित करनी होगी और समय-समय पर मंहगाई के अनुसार बढ़ाई जाए।

6. गाँवों में छोटी-छोटी उद्योग धन्धों की व्यवस्था :- भारतीय किसानों के लिए गाँवों में छोटी-छोटी उद्योग धन्धों की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वे अपने अवकाश के समय में कुछ आयोपार्जन कर अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बना सकें, इसके लिए गाँवों में गृह उद्योग धन्धों के विकास का पूरा-पूरा प्रयत्न करना चाहिए।

7. कृषि मध्यस्थों द्वारा शोषण :- कृषि बाजार की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत किसान अपनी उपज की बिक्री से पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं। इनके लाभ का अधिकांश भाग बिचौलियों के हाथ चला जाता है। इस दिशा में किए गए सरकारी प्रयत्नों में अभी बहुत कम सफलता मिल पाई है। अतः इसमें सुधार की अति आवश्यकता है। १९५९ ई० में सरकार के खाद्यान्नों के राजकीय व्यापार की नीति अपनाई, जिसके अनुसार

²⁰ वर्मा कुमार अजीत, भारतीय कृषि की कम उपज, कारण और उपाय, पृष्ठ संख्या ३६९, प्रतियोगिता दर्पण, आगरा अक्टूबर १९९३ ।

सभी प्रमुख कृषि पदार्थों का थोक मूल्य निश्चित किया जा रहा है²¹ जिस पर रजिस्टर्ड व्यापारी इन वस्तुओं का क्रय करते हैं।

8. कृषि प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का अभाव :- कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की व्यवस्था के अतर्गत वैज्ञानिक शिक्षा तथा अनुसंधान की सर्वथा अभाव है। किसान अशिक्षित हैं तथा कृषि कला से पूर्णतया अनभिज्ञ हैं। ऐसी स्थिति में उनसे कृषि में विकास की कोई भी आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है, अतः कृषि विकास के लिए किसानों को शिक्षित बनाना अनिवार्य है।

9. कृषि योग्य भूमि में उत्तरोत्तर ह्रास :- अच्छी भूमि जो शहरीकरण में विलय होती जा रही है। उदाहरण के लिए प्रमुख शहर दिल्ली, आगरा, कानपुर आदि इतने बढ़ गए हैं कि कृषि योग्य भूमि पर अब बहुत आवासीय मकान दिखाई देते हैं, इस पर सरकार का नियंत्रण हो, अथवा बेकार भूमि पर उद्योग धन्धों को विकसित किया जाए। जैसे - धौलपुर के पास चम्बल के खादर में हजारों एकड़ भूमि सुधारी जा सकती है जिसे कृषि योग्य या उसे उद्योग धन्धों के कार्य लायक बनाया जाए।

इन सभी उपायों के द्वारा खेती की उपज में वृद्धि तथा कृषि का विकास किया जा सकता है, लेकिन इन सारे उपायों को सफलता पूर्वक कार्यान्वित करने के लिए एक विस्तृत कृषि योजना की आवश्यकता होगी। इन योजनाओं के द्वारा कृषि विकास के लिए सरकार तथा किसान दोनों को हमेशा प्रयत्नशील रहना होगा।

भारतीय कृषि निम्न उत्पादकता का पर्याय :- भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है क्योंकि देश की कुल श्रमशक्ति का लगभग २/३ भाग अभी भी अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। भारतीय कृषि से न केवल खाद्यान्नों की घरेलू माँग (सन् २००० तक २३.५, २४० करोड़ टन वार्षिक) एवं अन्य कृषि सामानों की घरेलू माँग को पुरा करने की उमीद की जाती है, बल्कि निर्यात

²¹ वर्मा कुमार अजीत, भारतीय कृषि की कम उपज, कारण और उपाय, पृष्ठ संख्या ३६९, प्रतियोगिता दर्पण, आगरा अक्टूबर १९९३।

सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व भी कृषि पर है²² छठे दशक के मध्य में देश में अभूतपूर्व खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाने पर उसका मुकाबला करने के लिए कृषि विकास की जो नवीन तकनीक हरित क्रान्ति अपनाई गई उससे कृषि के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर प्रगति हुई है और खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आज हमारा भारत देश आत्म निर्भर हो गया है। सिंचित क्षेत्र के विस्तार उर्वरकों, अधिक उपज देने वाले बीजों, कीटनाशकों आदि के बढ़ते प्रयोग, आधारभूत सुविधाओं, कृषि निवेशों के वितरण का विस्तृत ढाँचा, भंडारण, अभिसंस्करण, परिवहन एवं विपणन आदि का विकास निर्माण इत्यादि के कारण ही कृषि विकास में तेजी हुई है तथा खाद्यान्न उत्पादन की संवृद्धि दर २५ प्रतिशत वार्षिक के आस-पास रही है जो जनसंख्या की वार्षिक घातांक वृद्धि दर २१.४ प्रतिशत से अधिक है। पाँचवें दशक में ५० प्रतिशत रहने के बाद छठे तथा सातवें दशक में ४४ प्रतिशत के लगभग रहा है²³ इसका अर्थ यह नहीं है कि योजना काल में भारतीय कृषि ने प्रगति नहीं की है। प्रगति तो हुई ही है लेकिन वह द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की तुलना में कम हुई है। खेती के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र लाने और कम लागत की सिंचाई के लिए सरल एवं सस्ता विकल्प लगभग समाप्त हो चुका है। सरकार अनुसंधान एवं विकास एजेंसियों एवं स्वयं किसानों के तमाम प्रयासों के बावजूद भारतीय कृषि की उत्पादकता अन्य क्षेत्रों एवं अन्य देशों की तुलना में काफी कम है।

कृषि उत्पादकता की स्थिति :- भारत में विभिन्न फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज की तुलना विदेशों की फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज की तुलना से बहुत ही कम है। यह निम्नलिखित तथ्यों से प्रमाणित हो जाता है।

- ❖ भारत में कुछ प्रमुख फसलों धान, गेहूँ, कपास एवं मूँगफली आदि की प्रति हेक्टेयर उपज विश्व की सर्वोत्तम स्तर की लगभग १/६ से १/३ तक है।


²² चौहान सिंह श्याम सुन्दर, नीची उत्पादकता का पर्याय भारतीय कृषि, पृष्ठ संख्या १७२४, प्रतियोगिता दर्पण आगरा, जून १९९५ ।

²³ वही पृष्ठ संख्या १७२६, प्रतियोगिता दर्पण आगरा, जून १९९५ ।

तालिका-1-1

चुने हुए कृषि उत्पादों की उपज एवं उत्पादकता


देश	विश्व के कुल उत्पादन में उत्पादन भाग चावल	उत्पादकता *
जापान	2.50	63.30
चीन	36.30	57.30
इंडोनेशिया	8.60	43.30
वियतनाम	3.50	31.20
वर्मा	2.70	29.10
फिलीपीन्स	3.70	28.10
भारत	21.60	26.90
बांग्लादेश	5.40	26.90
थाइलैण्ड	3.70	19.60
ब्राजील	1.40	18.80



स्रोत प्रतियोगिता दर्पण जून १९९५ आगरा


तालिका-1-2

देश	विश्व के कुल उत्पादन में उत्पादन भाग	उत्पादकता
	कपास	
आस्ट्रेलिया	1 70	13 30
टर्की	3 30	9.10
भू०पू० सोवियत संघ	14 20	8.30
चीन	24 20	8 00
मिस्र	1 80	7 70
सं०रा० अमरीका	18 40	7 20
पाकिस्तान	8 00	5 50
अर्जेन्टाइना	1 40	4 60
ब्राजील	3 60	3 50
भारत	9.80	2 30



तालिका- 1.-3


देश	विश्व के कुल उत्पादन में उत्पादन भाग शेकें	उत्पादकता
यू०के०	2 30	69 10
फ्रांस	5 60	64 90
चीन	16 10	31 80
स०रा० अमरीका	12 40	26 60
कनाडा	5 30	22 30
भूतपूर्व सोवियत संघ	18 10	22.40
भारत	8 30	21.20
टर्की	3 40	21.20
पाकिस्तान	2 40	18 30
आस्ट्रेलिया	2 60	16.00



स्रोत प्रतियोगिता दर्पण

तालिका-1-4

देश	विश्व के कुल उत्पादन में उत्पादन भाग मूँफली	उत्पादकता
संरा० अमरीका	7 10	22 40
चीन	28 40	21 30
अर्जेन्टाइना	1 60	20 60
इडोनेशिया	4 00	14 60
नाईजीरिया	5 00	11 70
वियतनाम	0 90	9 60
भारत	31 20	9 00
वर्मा	2 00	8 80
सेनेगल	3 00	7 90
जामर	1 90	7 50



स्रोत प्रतियोगिता दर्पण


उत्पादकता 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर

- ❖ देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग ६६ प्रतिशत भाग खेती में लगा हुआ है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उसका योगदान केवल ३२ प्रतिशत है। इसका प्रमुख कारण कृषि श्रमिकों की आवश्यकता का अन्य श्रमिकों की तुलना में काफी कम होना है।

तालिका-1-5

भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रम उत्पादकता

क्षेत्र	श्रम	उत्पादकता
कृषि वानिकी और मत्स्यपालन	2305	3157
खनन एवं उत्खनन	5214	13417
विनिर्माण	3671	11099
विद्युत गैस एवं जलपूर्ति	अनु	14608
निर्माण	9182	16110
व्यापार एवं वाणिज्य	4942	13136
संचार	3695	8761
अन्य सेवाएँ	4418	14625
भारतीय अर्थव्यवस्था	2898	6169



- ❖ देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में भिन्नाताएँ हैं। उदाहरण के लिए प्रति हेक्टेयर शुद्ध आय उतरी क्षेत्र में ९५ रू, मध्य क्षेत्र में ७६ रू, तथा दक्षिणी क्षेत्र में ११० रू है। लागत से प्रति हेक्टेयर सकल आगम का अनुपात उतरी क्षेत्र में ७८.५ प्रतिशत, मध्यक्षेत्र में ८२.५ तथा दक्षिणी क्षेत्र में ७५.५ प्रतिशत है²⁴
- ❖ भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि उत्पादकता में भारी असमानताएँ विद्यमान हैं।


तालिका-1-6

खाद्यान्न की राज्यवार उत्पादकता (किलोग्राम प्रति हेक्टेयर)

राज्य	खाद्यान्न	उत्पादकता
आंध्र प्रदेश	778	1618
उड़ीसा	779	982
उत्तर प्रदेश	871	1733
कर्नाटक	646	918
केरल	1346	1875
तमिलनाडु	1136	1925
गुजरात	657	1048
पंजाब	1511	3390
पश्चिम बंगाल	1021	1728
बिहार	877	1298
मध्यप्रदेश	635	1005
महाराष्ट्र	518	846
राजस्थान	532	866
अखिल भारतीय	783	1382

स्रोत प्रतियोगिता दर्पण जून

²⁴ चौहान सिंह श्याम सुन्दर, नीची उत्पादकता का पर्याय भारतीय कृषि, पृष्ठ संख्या १७२७, प्रतियोगिता दर्पण आगरा, जून १९९५



उत्पादन की अस्थिरता और वृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्व

भारत में कृषि उत्पादन की अस्थिरता और वृद्धि को अनेक कारक प्रभावित करते हैं,

इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है -

1. **जनांकिकीय कारक :-** विगत वर्षों में भारत की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। सन् १९५१ में भारत की जनसंख्या ३६ ११ करोड़ तथा वार्षिक चक्रवृद्धि दर १ २५ प्रतिशत थी। सन् १९८१ में देश की जनसंख्या बढ़कर ६८ ३३ करोड़ तथा जनसंख्या की वार्षिक सवृद्धि दर २ २२ प्रतिशत हो गई। अगले दशक १९९१ में वार्षिक सवृद्धि दर घटकर २ १४ प्रतिशत रह जाने के बावजूद भी देश की जनसंख्या ८४ ६३ करोड़ हो गयी। जनसंख्या में होने वाले वृद्धि के अनुरूप कृषि से सम्बन्धित क्षेत्र में रोजगार के नवीन अवसर सृजित न होने के कारण अधिक संख्या अतिरिक्त श्रमिक कृषि क्षेत्र में ही रोजगार पाने को विवश हुई है। इससे कृषि जोतों का उप-विभाजन एवं अपखंडन बढ़ा है। कृषि की उन्नत प्राविधियों एवं सेवाओं की आपूर्ति हमेशा

ही आवश्यकता से कम रही है। इससे कृषि क्षेत्र में काफी बेरोजगारी बढ़ी है तथा इन सबके फलस्वरूप अतन्त भूमि उत्पादकता तथा कृषि श्रम उत्पादकता दोनों में ही अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है।

2. प्रौद्योगिक क्कारक :- भारतीय किसान के लिए कृषि जीवन यापन का एक अभिन्न अंग है। अधिकांश किसानों ने कृषि को एक व्यवसाय के रूप में तो कभी अपनाया है और न ही अपना रहा है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। नतीजे के तौर पर वे आज भी खेती की परम्परागत प्रौद्योगिकी को प्रयोग में ला रहे हैं। साठ के दशक में प्रारम्भ की गई हरित-क्रांति ने देश में कृषि की नवीन तकनीक के प्रसार में भारी योगदान दिया है लेकिन इसकी उपलब्धियाँ कुछ गिने चुने राज्यों तक ही सीमित रह गई हैं।

गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले राज्यों में कुल फसल क्षेत्र से कुल सिंचाई क्षेत्र का अनुपात २५ प्रतिशत से भी कम है। जिससे उर्वरक उपयोग और अधिक उपज देने वाले प्रजातियों के अतर्गत क्षेत्रफल के विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ६ पूर्वी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजना विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम से सम्बन्धित मूल्यांकन रिपोर्ट से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि सिंचाई अधिक उपज देने वाले प्रजातियों के बीजों तथा उर्वरकों के प्रयोग से चावल उत्पादन में प्रभावशाली ढग से वृद्धि की जा सकती है।

अनेक अध्ययनों से यह प्रमाणित हो चुका है कि बहुत बड़ी सीमा तक वर्षा की मात्रा तथा उसका वितरण कम वर्षा वाले अथवा कम सिंचाई सुविधाओं वाले अन्य राज्यों में विगत वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में उतार-चढ़ाव को प्रभावित करते रहे हैं। राजस्थान में वर्षा भी कम होती है तथा सिंचाई के आधुनिक साधन भी विकसित नहीं हो पाए हैं, परिणामस्वरूप वहाँ कृषि उत्पादकता अभी भी बहुत नीची है, तथा उत्पादन में उतार-चढ़ाव भी आता रहा है। इसके विपरीत पंजाब जैसे राज्यों में कम वर्षा होने के बावजूद भी उत्पादकता ऊँची है तथा उत्पादन में भारी उतार-चढ़ाव भी नहीं आया है, क्योंकि यहाँ सिंचाई सुविधाएँ बहुत अधिक मात्रा तक करा ली गई हैं।

कीटों और बीमारियों से फसलों की सुरक्षा, कृषि यंत्रीकरण, भूमि विकास, आधारभूत सुविधाओं का विकास आदि दूसरे दर्जे के निवेश हैं जो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। भारत के कुछ

विकसित राज्यों को छोड़ दे तो शेष भाग में इनकी पहुँच और उपलब्धता सीमित है जिसके कारण कृषि उत्पादकता नीची है।

3. निवेश सम्बन्धी कारक :- भारतीय कृषि की नीची उत्पादकता बने रहने का एक प्रमुख कारण कृषि में समुचित निवेश न हो पाना भी है। अस्सी के दशक में कृषि निवेश में वास्तविक रूप से कमी आई है सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कृषि में सरकारी निवेश में अपेक्षाकृत अधिक कमी आई है। निवेश में कमी हो जाने के कारण कृषि विकास के लिए आधारभूत ससाधन जुटाना संभव नहीं हो पा रहा है। भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपने स्तर पर निवेश सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। उसका परिणाम कुल मिलाकर यह हो रहा है कि किसान धिसे-पिटे उपलब्ध ससाधनों को ही प्रयुक्त करके उत्पादन कर रहे हैं। भले ही उसकी उत्पादकता कितनी ही नीची क्यों न हो।

4. संस्थागत कारक :- भारतीय कृषि की नीची उत्पादन के लिए दोषी अन्य कारकों में वे संस्थागत व्यवस्थाएँ हैं जो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में काफी लम्बे समय से विराजमान हैं। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश में अनेक प्रकार के भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए गए हैं। तथापि अभी भी कुल खेती योग्य भूमि के एक बड़े भाग पर ऐसे बड़े कृषकों का कब्जा है जो स्वयं खेती नहीं करते हैं। राज्यों में चकबन्दी कार्यक्रम के बावजूद भी खेतों का आकार छोटा है तथा अपखण्डन एवं उपविभाजन की सतत् प्रक्रिया के तहत दिनो-दिन और भी छोटा होता जा रहा है। कृषि का सरचनात्मक ढाँचा तो कमजोर है ही इसे अन्य विपणन वित्त एवं साख आदि से सहायता भी नहीं मिल पा रही है। उदाहरण के लिए गेहूँ एवं चावल की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद किए जाने के बावजूद भी देश के कुल उत्पादन का बहुत बड़ा भाग बिचौलियों के माध्यम से ही बेचा जाता है जो कृषकों को हर प्रकार से शोषण करते हैं। कृषि साख व्यवस्था के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक तथा सहकारी समितियाँ, कृषकों को अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन सुविधाएँ उपलब्ध तो करा रही हैं लेकिन वह कमजोर आर्थिक स्थिति वाले करोड़ों किसानों विशेष रूप से छोटे एवं सीमान्त किसानों की कुल साख आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। परिणामस्वरूप आज भी बड़ी मात्रा में निजी साहूकारों से ऊँची ब्याज दर पर ऋण लेते हैं। देश के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खड़ी फसल को गिरवी

रखकर उपभोग प्रयोजनो हेतु उधार लेना एक आम परम्परा है। जब ऐसा उधार-उत्सव मनाने अथवा परिवार के सदस्य की मृत्यु होने के पश्चात् धार्मिक कर्मकाण्डो को पूरा करने के लिए लिया जाता है तब विशेष रूप से इसकी राशि अधिक होती है तथा ब्याज की दर कभी-कभी १०० प्रतिशत से भी ऊपर हो जाती है।

भारतीय कृषि की सस्थागत कमजोरियो मे एक प्रमुख कमजोरी कृषि सहायता कार्यक्रमो की अपर्याप्तता है। अधिकाश कृषि उत्पाद शीघ्र नाशवान है तथा किसानो के पास इनके लम्बे समय तक जब तक की उनकी समुचित कीमत न मिलने लगे। भण्डारण की आधुनिक सविधाएँ भी विद्यमान नहीं है। दूसरी बात यह है कि किसानो की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है इसलिए उन्हे विवश होकर उत्पाद फसल कटने के तुरन्त बाद ही कम मूल्य पर बेचनी पडती है। जिस किसी वर्ष फसल अच्छी होती है उस वर्ष कीमत मे होने वाली गिरावट से किसानो के हितो की रक्षा करने के लिए भी भारत मे कोई सस्थागत उपाय नहीं किया गया है।

विकसित देशों की तुलना मे यदि भारत मे कृषि उत्पादकता नीची है तो इसके पिछे मात्र एक कारण है वो है कृषि को एक लाभ प्रदान करने वाले उद्यम के रूप मे न अपनाया जाना है। इससे कृषि क्षेत्र मे प्रतिस्पर्धात्मकता उत्पन्न नहीं हो पायी है तथा दक्षता का स्तर भी नीचा है।

5. नीतिगत कमजोरियाँ :- भारतीय कृषि की नीची उत्पादकता के लिए नीतिगत अवधारणाएँ भी जिम्मेदार है। साठ सत्तर एव अस्सी के दशक मे कृषि नीतियो का एक मात्र आधार देश को खाद्यान्न उत्पादन मे आत्मनिर्भर बनाना रहा है। हरित क्रांति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी यही था। उदाहरण के लिए देश मे खाद्य तेलो की आपूर्ति कम हो जाने पर खाद्य तेलो की कीमते आसमान छूने लगी तो सरकार ने तिहलन उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिए। आज चीनी की कमी हो गई है तो गन्ना उत्पादन बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। अब तक की कृषि नीतियो का गहन विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इन नीतियो मे समग्र रूप से कृषि उत्पादकता मे वृद्धि करने का लक्ष्य नहीं रहा है। यही कारण है कि उत्पादकता वृद्धि के मामले मे कुछ गिनी-चुनी फसले तथा कुछ विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र ही आगे रहे हैं।

कृषि उत्पादकता के उपाय :- अब जबकि भारत ने खाद्यान्न उत्पादन मे आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है तथा देश के पास पर्याप्त मात्रा मे खाद्यान्नो का सुरक्षित भण्डार भी है। वर्तमान समय मे देश के लिए

ऐसी कृषि नीति एव ग्रामीण साख नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता है जो कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान करके कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायक हो, साथ ही उनसे ग्रामीण क्षेत्र में विकराल रूप धारण कर चुकी बेरोजगारी तथा निर्धनता को दूर करने में निर्णायक भूमिका निभाए।

वर्तमान समय में देश में खेती योग्य-भूमि में विस्तार करके कृषि उत्पादन में वृद्धि कर पाना सम्भव नहीं है क्योंकि कृषि उत्पादकता नीची है इसलिए आने वाली दिनों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न, खाद तेल, चीनी, चाय, काफी, रबर, फल एव सब्जियाँ सूत एव जूट आदि की आवश्यकताओं को पूरा करना है तो उत्पादन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना होगा और यह कार्य केवल उत्पादकता भूमि एव कृषि श्रम उत्पादकता में सकारात्मक वृद्धि करके ही किया जा सकता है।

इसके लिए सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर सम्पूर्ण कृषि व्यवस्था का पुनर्संगठन किया जाना चाहिए। कृषि के परम्परागत स्वरूप के आधार पर इसे शुद्ध व्यावसायिक स्वरूप प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। यह कार्य कृषि प्रणाली में प्रौद्योगिकी क्रांति लाए बिना नहीं हो सकता है सस्थागत उपायों में (1) भूमि सुधारों में तेजी लाकर अच्छे कृषि सम्बन्धों की स्थापना (2) खेतों की उप-विभाजन एव अपखण्डन को रोकना (3) पर्याप्त कृषि साख हेतु समुचित व्यवस्था (4) कृषि उत्पादों के वितरण का विनियमन आदि अधिक कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इस दिशा में यद्यपि सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है, तथापि इसमें और अधिक तेजी लाए जाने की आवश्यकता है।

कृषि उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए प्रौद्योगिकीय सुधारों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। ये सुधार दो प्रकार के हो सकते हैं। (1) यांत्रिक एवं जैविक यन्त्रिकरण अपनाया जाना निहित है। लेकिन इसके लिए खेतों का आकार बड़ा होना चाहिए चूँकि भारत में ऐसा नहीं है इसलिए यहाँ पर कृषि यन्त्रीकरण के लिए ऐसी नीति अपनायी जानी चाहिए जो छोटे-छोटे खेतों तथा कमजोर आर्थिक स्थिति वाले किसानों के लिए उपयुक्त हो, साथ ही उससे बेरोजगारी का भी अदेशा न हो। जैविक उपायों के रूप में अधिक उपज देने वाली तथा रोग प्रतिरोधी प्रजातियों, कम लागत वाले जैविक उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खोज सम्मिलित है। इससे निश्चित तौर पर भूमि उत्पादकता में वृद्धि होगी। भारत सरकार द्वारा गैट-९४ के डकल

प्रस्तावों के स्वीकार कर लिए जाने के बाद इस प्रकार के प्रयासों में अधिक तेजी लाए जाने की आवश्यकता है। यदि हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं को घरेलू स्तर पर ऐसी प्रजातियाँ विकसित करने में असफल रहे जो अधिक उपज देने के साथ-साथ रोग न लगने वाले हों तो अन्ततः भारतीय कृषकों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विकसित बीजों को ही क्रय करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और इसके लिए वे पेटेंट अधिकारों के तहत अधिक मूल्य देगे।

प्रौद्योगिकीय सुधारों के द्वारा फसल प्रतिरूपण, बहुफसली प्रणाली, एक ही वर्ष में एक से अधिक फसल लेने की व्यवस्था नई तकनीक के आगते, समुन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई आदि के समिश्रण आदि को अपनाना सुगम हो जाएगा, और इससे कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। कृषि को एक उद्योग के रूप में स्थापित किए बिना कृषि उत्पादकता के उन स्तरों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है जो विकसित देशों को प्राप्त है। कृषि में निवेश बढ़ाए जाने की तीव्र आवश्यकता है। सरकारी निवेश के द्वारा कृषि के लिए आवश्यक सुविधाएँ सिंचाई, ग्रामीण, परिवहन, बैकिंग, फसल बीमा, विपणन एवं अनुसंधान और विकास, विकसित की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ सस्थागत कृषि, साख सुविधा का विस्तार इस सीमा तक किया जाना अधिक श्रेयस्कर होगा कि वह किसानों को कृषि एवं गैर कृषि दोनों ही प्रकार की साख आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो।

किसानों को उनके उत्पाद की उँची कीमत प्राप्त हो जाना उनके पैदावार को बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। किसानों को कृषि सामानों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव की पूरी-पूरी जानकारी प्रदान करना। उन्हें कृषि जिनसे के व्यापार में लगे बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कराया जाना, जब तक उन्हें उनकी उपज की पूरी-पूरी कीमत न मिल रही हो उस समय तक उनके उत्पाद के भण्डारण की वैज्ञानिक व्यवस्था करना तथा उसकी जमानत पर उन्हें अल्पकालीन ऋण मुहैया कराना आदि कुछ अन्य ऐसे उपाय हैं जिनको अपनाने से परोक्ष रूप से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।

नई चुनौतियाँ और नई कृषि नीति

भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय द्वारा स्वतन्त्र भारत की पहली कृषि नीति १९९४ का प्रारूप प्रस्ताव ससद के विचारार्थ लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। इस सौदे में भोजनाकाल में कृषि उपलब्धियों का जिक्र करते हुए यह स्वीकार किया गया है कि यदि कृषि विकास की दर पहले की भाँति २.५ प्रतिशत वार्षिक के आस-पास रही तो भविष्य में देश के समक्ष खाद्यान्न सकट पुनः उत्पन्न हो सकता है इस दर से वर्तमान शताब्दी के अंत तक एक अरब के स्तर पहुँच चुकी जनसंख्या में उदरपूर्ति में भारतीय कृषि लगभग असफल रहेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान निर्धारित अभी हाल ही में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, व्यापार का वैश्वीकरण, ग्रामीण रोजगार, आय में निर्यात बढ़ाने के लिए अपनाई गई रणनीति आदि के सन्दर्भ में यह आवश्यक हो गया है कि कृषि के सर्वांगीण एवं सतुलित विकास हेतु एक स्पष्ट नीति निर्धारित की जाए।

नई कृषि नीति के प्रारूप में कहा गया है कि 'विगत चार दशकों में कृषि उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें विभिन्न क्षेत्रों तथा फसलों के मामले में अनुसंधान एवं विकास की प्रक्रिया भी असमान रही है, इसलिए नई नीति का उद्देश्य बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं रेशम कीट पालन सहित सम्पूर्ण कृषि की आर्थिक सक्षमता एवं चहुँमुखी विकास को तेज करना होगा। यह नीति विकास में निजी निवेश को अधिक महत्व प्रदान करते हुए खेती को आवश्यक सहायता प्रदान किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इस सम्मानजनक व्यवसाय को अपना जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए प्रयुक्त करें।

नई कृषि नीति में निम्नलिखित चुनौतियाँ दर्शायी गई हैं।

- ❖ तेजी से बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- ❖ अब तक अदोहित सम्भाव्य क्षेत्रों का विकास करना, इसके लिए पूर्वी पर्वतीय, वर्षाहीन एवं सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों में उभरे असन्तुलित विकास को ठीक करना।

- ❖ भूमि पर बढ़ते जैविक दबाव के कारण पैदा हो रहे परस्थितिकीय असन्तुलन, भूमि एवं जल सशाधनों के क्षरण की चुनौतियों का सामना करना।
- ❖ भूमि के अविभाजन एवं अपखण्डन को रोकना।
- ❖ कृषि के विविधीकरण एवं बागवानी, मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन, कुककुट पालन, मधुमक्खी पालन एवं रेशम कीट पालन को प्रोन्नती करके ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण और अर्द्ध-रोजगार, अल्प रोजगार की समस्याओं के निराकरण पर ध्यान देना।
- ❖ प्रसस्करण, विपणन एवं भण्डारण सुविधाओं में सुधार लाकर कृषि में मूल्य जोड़ की प्रक्रिया को तेज करना। इसके लिए कृषि प्रसस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना।
- ❖ कृषि साख आगतों की आपूर्ति, भण्डारण विपणन एवं प्रसस्करण की सुविधाओं का प्रसार करने के लिए सहकारिताओं को पुनर्जीवित करना तथा उनमें लोकतान्त्रिक पद्धति लागू करना,
- ❖ वर्षाहीन, सूखे की सम्भावना वाले तथा सिंचित क्षेत्रों में स्थान विशिष्ट एवं आर्थिक रूप से सफल प्रौद्योगिकियों का विकास करने के लिए कृषि अनुसंधान प्रणाली पर ध्यान केन्द्रित करना तथा कृषकों की समुन्नत खेती तकनीकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु सस्थागत ढाँचा मजबूत करना।
- ❖ समस्त कृषि समुदाय के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- ❖ खेतिहर महिलाओं, आदिवासी क्षेत्रों में रह रहे किसानों एवं ग्रामीण समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों की आय में सकारात्मक वृद्धि करने तथा उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की दृष्टि से उनकी आगत आवश्यकताओं एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना।
- ❖ घरेलू बाजारों एवं निर्यातों दोनों के लिए प्रसस्करण एवं विपणन की सहायक सुविधाओं सहित वर्षाहीन एवं सिंचित बागवानी पुष्प, सुगन्धित औषधीय-पौधों और बागवानी फसलों के विकास में तेजी लाना।
- ❖ सीमान्त भूमि के दक्ष उपयोग को बढ़ावा देना तथा फार्म वानिकी को प्रोत्साहित करना।
- ❖ सिंचाई सम्भाव्यता के उपयोग को बढ़ाना तथा जल संरक्षण एवं इसके प्रभावी प्रबन्धन को प्रोन्नत करना।

- ❖ किसानों को कृषि आगतो-समुन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक कीटनाशक एवं कृषि यन्त्र को उनके गाँव में अथवा उसके निकट ही उपलब्ध करना।

प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन

आजादी के बाद के दौर में कृषि उत्पादन में करीब चार गुने से ज्यादा की शानदार बढ़ोत्तरी हुई और अनाज की पैदावार, जो १९५० के दशक के प्रारंभ में ५ करोड़ टन थी। २५ प्रतिशत वार्षिक की चक्रवृद्धि दर से बढ़कर इस वक्त २० करोड़ टन के स्तर पर पहुँच चुकी है²⁵ कहीं एक वक्त हमें अनाज के लिए दुनिया के और देशों का मोहताज रहना पड़ता था और कहीं आज हम खाद्यान्न उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं हैं बल्कि अनाज निर्यात करने वाले देशों में हमारी गिनती होती है। देश को इस स्थिति तक पहुँचाने में हरित क्रान्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मगर आज हमें सदाबहार हरित क्रान्ति की आवश्यकता है। इसी सन्दर्भ में कृषि के क्षेत्र में स्थायित्व लाने का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण हो गया है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ आबादी बेतहाशा बढ़ रही है और जल व भूमि संसाधन सीमित हैं। आगामी वर्षों में कृषि उत्पादकता लगातार बढ़ाना बेहद जरूरी है। इस स्थिति में टिकाऊ खेती के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन बड़ा अच्छा तरीका हो सकता है। अनाज की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए कृषि सम्बन्धी गतिविधियों में बढ़ोत्तरी के लिए बड़ी कठिन स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रबंधन न होने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए खेती में काम आने वाले रसायनों का अधाधुध उपयोग करने से कृषि का टिकाऊपन-यानी उत्पादन में बढ़ोत्तरी का सिलसिला लगातार जारी रखना आसान काम नहीं है।

आखिर कृषि के क्षेत्र में स्थायित्व या टिकाऊपन का क्या अर्थ है? स्थायी प्रणाली का अर्थ ऐसी प्रणाली से है जिसमें उत्पादन में लगातार वृद्धि हो। अतः कहा जा सकता है कि निवेश में बढ़ोत्तरी न होने पर भी अगर लम्बे समय तक उत्पादन में वृद्धि का सिलसिला जारी रहता है तो उस कृषि प्रणाली को स्थायी या टिकाऊ कहा जा सकता है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए सीजी आई ए आर द्वारा १९८८

²⁵ कुमारी प्रियका, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, रोजगार समाचार, खण्ड २४, अंक ४६, पृष्ठ ३२, नई दिल्ली १२-१८ फरवरी २०००

मे दी गई परिभाषा अधिक प्रासंगिक होगी। इसमें कहा गया है कि स्थायी कृषि मनुष्य की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ससाधनों की खेती में सफलता पूर्वक उपयोग को कहा जा सकता है बशर्ते पर्यावरण की गुणवत्ता बनी रहे या इसमें वृद्धि हो और प्राकृतिक ससाधनों का भी संरक्षण होता रहे²⁶

इस परिभाषा के चार मुख्य भाग हैं ।

- समय के साथ-साथ मनुष्य की बदलती आवश्यकताएँ
- प्राकृतिक ससाधनों का समुचित प्रबंधन
- पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखना या इसमें सुधार, और
- प्राकृतिक ससाधनों का संरक्षण

इनके आलावा स्थायी कृषि के अन्तर्गत आर्थिक उपयुक्तता भी शामिल है। डोनाल्ड एंड डोनाल्ड (ख़ाद्य तथा कृषि संगठन, 1995) के अनुसार खेती की किस्म से आमदनी में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ती हुई माँग को आर्थिक पर्यावरण सबधी तथा सामाजिक दृष्टि से लाभप्रद लागत पर अनिश्चित काल तक पूरा किया जा सकता है। स्थायी प्रणाली के तहत ससाधनों का इस्तेमाल इतनी कुशलता और दूरदर्शिता से किया जाता है कि उत्पादकता तथा लाभप्रदता अधिकतम रहे। सही अर्थों में उत्पादक कृषि के अन्तर्गत दीर्घकालीन स्थायित्व जरूरी है और इसके लिए आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त प्राकृतिक ससाधन, सामाजिक स्वीकार्य उत्पादन प्रणाली तथा पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है²⁷

उपलब्धियाँ और भविष्य की चुनौतियाँ :- अनाज का उत्पादन सन् १९५०-५१ में ५०८ करोड़ से बढ़कर आज १९२४ करोड़ हो चुका है। जिससे हरित क्रांति की सफलता का पता चलता है। इसी अवधि में उत्पादकता भी बढ़ी है और ६४४ क्वि ग्रा प्रति हेक्टेयर (१९४९-५०) से १५५१ क्वि ग्रा प्रति हेक्टेयर के वर्तमान स्तर तक पहुँच गई है²⁸ टेक्नोलॉजी के विकास के समन्वित प्रयासों से कृषि से सम्बन्धित

²⁶ कुमारी प्रियका, प्राकृतिक ससाधनों का प्रबंधन, रोजगार समाचार, खण्ड २४, अंक ४६, पृष्ठ ३२, नई दिल्ली १२-१८ फरवरी २००० ।

²⁷ वही पृष्ठ ३२, नई दिल्ली १२-१८ फरवरी २००० ।

²⁸ वही पृष्ठ ३२, नई दिल्ली १२-१८ फरवरी २००० ।

अन्य क्षेत्रों में भी शानदार सफलताएँ प्राप्त की गई हैं। दूध के उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति, तिलहनो के उत्पादन में पीली क्रांति, कदवाली फसलो के क्षेत्र में गोल क्रांति और मछली उत्पादन के क्षेत्र में नील क्रांति हुई है। प्रति व्यक्ति भोजन और कैलोरी की उपलब्धता से भी बढोत्तरी का साफ पता चलता है।

कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के प्रयासों की दृष्टि से आज भारत अनाज उत्पादन में दुनिया का अग्रणी देश बन गया है। आज जब खाद्यान्न उत्पादन बढकर १९२ करोड़ टन के स्तर पर पहुँच गया है, हम सिर्फ आत्म निर्भर ही नहीं हुए हैं, बल्कि देश में ३५ करोड़ टन अनाज का सुरक्षित भंडार भी बना लिया गया है। गेहूँ और चावल जैसी दो प्रमुख फसलो का उत्पादन क्रमशः ८२ करोड़ टन और ६६५ करोड़ टन तक जा पहुँचा है²⁹ इस तरह भारत इनके उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। इन दो फसलो की पैदावार में तेजी से बढोत्तरी होने से देश में खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। बाजार में पर्याप्त अनाज बिक्री के लिए उपलब्ध होने से इनकी कीमते कम हुई हैं और आम आदमी को आसानी से सुलभ होने लगा है। भारत फलो, दलहनो, चाय, पटसन और दूध के सबसे बडे उत्पादक के रूप में उभरकर सामने आया है। १९९७-९८ में ५ करोड़ टन फलो का उत्पादन कर भारत ने ब्राजील को पछाड दिया है और ७२ करोड़ टन सब्जियों पैदा कर उसने चीन के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है³⁰ भारत सिर्फ मात्रा की दृष्टि से ही आगे नहीं बढा है बल्कि विविधता की दृष्टि से भी अग्रणी है। यहाँ करीब ५० अलग-अलग किस्म की सब्जियाँ उगायी जाती हैं। आलू और कपास उत्पादन में भी हम दुनिया में आगे हैं। हमारे कुल कृषि उत्पादन में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन का योगदान करीब ३० प्रतिशत के बराबर है। भारत में दुधारू पशुओं की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है और १९९७-९८ में ७४ करोड़ टन दूध के उत्पादन का रिकार्ड कायम कर हमने अमरीका को पीछे कर दिया है और पहले स्थान पर आ गए हैं। इसी तरह १९९७-९८ में ५२ लाख टन मछली उत्पादन करके दुनिया में सातवाँ स्थान प्राप्त कर लिया है³¹

²⁹ कुमारी प्रियका, प्राकृतिक ससाधनो का प्रबधन, रोजगार समाचार, खण्ड २४, अंक ४६, पृष्ठ ३२, नई दिल्ली १२-१८ फरवरी २००० ।

³⁰ वही पृष्ठ ३२, नई दिल्ली १२-१८ फरवरी २००० ।

³¹ वही पृष्ठ ३२, नई दिल्ली १२-१८ फरवरी २००० ।

विगत कुछ वर्षों में भारत ताजा तथा प्रसस्कृत खाद्य पदार्थों के प्रमुख निर्यातक के रूप में भी उभरकर सामने आया है। बेहतरीन किस्म का बासमती चावल, मसाले, काजू, मॉस और मॉस उत्पाद और कट फ्लावर (फूल उत्पादन) के क्षेत्र में भी हमने अंतराष्ट्रीय बाजार में अच्छी सफलता प्राप्त की है। तमाम आकर्षक उपलब्धियों के बावजूद तेजी से बढ़ती हुई माँग को पूरा करने में हमें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पिछले ५ सालों से हमारा खाद्यान्न उत्पादन १९ करोड़ तक के स्तर पर अटका हुआ है³² इसमें वृद्धि की दर बड़ी धीमी है। गेहूँ और चावल जैसी प्रमुख फसलों की पैदावार तो पिछले दशक में क्रमशः १ प्रतिशत और ०.१ प्रतिशत की दर से बढ़ी है। निवेशों की इस्तेमाल की कार्यकुशलता लगातार घट रही है जिससे निवेश और उत्पादन का अनुपात लगातार कम हो रहा है। उत्पादकता के विश्व औसत की तुलना में हमारी उत्पादकता बहुत कम है। जहाँ तक ससाधनों का सवाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के पास सिर्फ २ प्रतिशत जमीन ०.५ प्रतिशत वन क्षेत्र और ०.५ प्रतिशत चारागाह है तथा यहाँ दुनिया में कुल वर्षा जल का सिर्फ १ प्रतिशत बारिश के रूप में प्राप्त होता है। मगर इतने सीमित ससाधनों से उसे दुनिया के १४ प्रतिशत मनुष्यों और १५ प्रतिशत पालतू पशुओं का निर्वाह करना होता है³³

अनुमान है कि सन् २०२० तक भारत की जनसंख्या में १३ करोड़ की बढ़ोत्तरी हो जाएगी और देश को हर साल ३२.५ करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ने लगेगी। इसे पूरा करने के लिए हमें अनाज के उत्पादन में हर साल ५६ लाख टन अतिरिक्त उत्पादन करना होगा। जबकि पिछले ४० वर्षों में हम ३१ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का ही उत्पादन करते आए हैं। यह काम आसान नहीं है। उपभोग के वर्तमान रुझान को देखते हुए हमें सन् २००१-२ तक २२ करोड़ टन और २००६-७ तक २४.३२ करोड़ टन अनाज की जरूरत पड़ेगी। इन दो वर्षों में चावल की अनुमानित जरूरत ९.४ करोड़ टन और १०.३५ करोड़ टन तथा गेहूँ की माँग ७.५७ करोड़ टन और ८.४३ करोड़ टन और २००६-७ में २१.५ करोड़ टन पहुँच

³² कुमारी प्रियका, प्राकृतिक ससाधनों का प्रबंधन, रोजगार समाचार, खण्ड २४, अंक ४६, पृष्ठ ३२, नई दिल्ली १२-१८ फरवरी २०००।

³³ वही पृष्ठ ३२, नई दिल्ली १२-१८ फरवरी २०००।

जाने का अनुमान है। खाद्य तेलो और फल-सब्जियों की माँग क्रमशः ७९ लाख टन और ९५ लाख टन, ९३ करोड़ टन और ७०५ करोड़ टन रहेगी। इसे पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगा³⁴

कृषि की वर्तमान प्रणाली यानी हरित क्रांति के बाद की प्रणाली आर्थिक विकास की ऐसी नीति पर आधारित है जिसमें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उच्च उत्पादकता पर जोर दिया जाता रहा है। इसके अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि पर सघन खेती करने, एक ही फसल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के विस्तार और कीटनाशकों, उर्वरकों तथा कृत्रिम पोषक तत्वों जैसे कृषि रसायनों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। उत्पादन बढ़ाने की इस तरह की एक तरफा विधियों से कई खराबियाँ पैदा हुई हैं। जल और भूमि ससाधनों में गिरावट आई है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है और जलवायु में बदलाव के लक्षण नजर आने लगे हैं। कृषि की स्थायी प्रणाली विकसित करने के लिए ये बड़ी चुनौतियाँ हैं।

प्राकृतिक स्रोतों की क्षमता का ध्यान रखे बिना उनके अधाधुध इस्तेमाल तथा बिना पूरी जानकारी हासिल किए कृषि रसायनों के गलत उपयोग से यह स्थिति उत्पन्न हुई है।

वर्तमान कृषि प्रणाली में बदलाव :- आज जब अधिक उत्पादन देने वाली लाभप्रद और अधिक टिकाऊ कृषि प्रणाली की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो खेती के उन्नत तौर तरीकों के बारे में कई अवधारणाएँ सामने आ रही हैं, इन सबके पीछे बुनियादी धारणा उत्पादन में बढ़ोत्तरी बनाए रखना है।

समन्वित सघन कृषि प्रणाली :- इस प्रणाली के अन्तर्गत कृषि ससाधनों का उपयोग इस तरह किया जाता है कि यह पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो। इस तरह का सघन उपयोग जानकारी की अधिकता पर आधारित तकनीकों पर आधारित होना चाहिए न कि पूँजी अधिकता पर। इसके अन्तर्गत बाजार से खरीदे गए रसायनों के स्थान पर खेतों में उगाये गए जैव ससाधनों को अपनाया जाता है। इससे पोषक तत्वों के बार-बार इस्तेमाल की संभावना बढ़ जाती है।

³⁴ कुमारी प्रियका, प्राकृतिक ससाधनों का प्रबंधन, रोजगार समाचार, खण्ड २४, अंक ४६, पृष्ठ ३२, नई दिल्ली १२-१८ फरवरी २००० ।

इसी सन्दर्भ में एक अन्य शब्द “सुनिश्चित खेती” भी प्रचलन में आया है। इसके अन्तर्गत प्रायोगिक डिजाइन और कृषि वैज्ञानिक तकनीको के बारे में एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसमें बहुआयामी नीति के साथ-साथ भूमि व जल ससाधनों के वैज्ञानिक तरीके से उपयोग की आवश्यकता पड़ती है। सुनिश्चित कृषि के माध्यम से हम ससाधनों तथा उत्पादन तकनीको का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित कर सकते हैं। इस अवधारणा के अनुसार मिट्टी के परीक्षण के आधार पर उर्वरको का इस्तेमाल किया जाता है। इससे जहाँ उर्वरको का कम से कम उपयोग होता है वही रसायनों से जमीन को होने वाला नुकसान भी न्यूनतम हो जाता है और फसलों पर रसायनों का जहरीला असर कम हो जाता है। इसी तरह जमीन और सिचाई के साधनों की कमी की समस्या को दूर करने के लिए जमीन के सर्वेक्षण, उसे समतल बनाने तथा सूक्ष्म सिचाई प्रणाली के विकास का सहारा लिया जाता है। जमीन में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए फसलों की बुवाई अदला बदली करके की जाती है और बारी-बारी से अनाज और दलहनी फसले बोई जाती है।

एक अन्य शब्द “कार्बनिक खेती का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। इसका अर्थ है कृत्रिम रूप से बनाए गए उर्वरको, कीटनाशको और अन्य रसायनों का उपयोग किए बिना खेती का तरीका। इस तरह हम कह सकते हैं कि भविष्य में जो हरित क्रांति होगी उसके लिए हमें खेती को दूरदर्शितापूर्ण उपयुक्त तथा पारम्परिक तौर तरीको का इस्तेमाल करना होगा।

मृदा प्रबंध :- बजर जमीन को उपजाऊ बनाने जैसे जमीन के समुचित उपयोग के तरीको से कृषि योग्य क्षेत्र में बढ़ोतरी की जा सकेगी। इससे उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। खेती के विभिन्न तौर तरीको के अन्तर्गत जमीन को उर्वराशक्ति पर असर डालने वाली भौतिक बाधाओं का पता लगाया जाना चाहिए। और विभिन्न विधियों से उनको दूर किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अधिक रिसाव वाली जमीन को सुधारा जाना चाहिए। सख्त मिट्टी को गहरी जुताई से नरम बनाया जाना चाहिए तथा अम्लीय और क्षारीय भूमि की समस्या को दूर किया जाना चाहिए। जैव तकनीको से मिट्टी के कटाव को रोकने के साथ-साथ मरूस्थलीकरण और जमीन के बीहड़ में बदलने को भी कुछ हद तक रोका जा सकता है। इसी तरह कृषि प्रबंधन के समुचित तरीको से पानी के भराव वाले इलाकों को खेती के योग्य बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष :-

योजना काल में भारतीय कृषि की उपलब्धियाँ इस दृष्टि से तो ठीक कही जा सकती हैं कि आज भारत खाद्यान्न उत्पादन के मामले में तो आत्मनिर्भर है तथा देश के कुल राष्ट्रीय आय में भी कृषि का योगदान एक-तिहाई के लगभग है और भारतीय कृषि ६० करोड़ से अधिक जनसंख्या के जीवन यापन का एक अंग भी है लेकिन जब भारतीय कृषि की उत्पादकता की तुलना विकसित देशों से की जाती है तो वह अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में प्रतीत होती है। भारतीय कृषि की नीची उत्पादकता के लिए सस्थागत प्रौद्योगिकीय एवं नीतिगत कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। पिछले वर्षों में कृषि विकास के लिए जो भी नीतियाँ अपनाई गई हैं वे मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। तथा सम्पूर्ण कृषि व्यवस्था के एक क्षेत्र तक ही सीमित रही हैं। कभी खाद्यान्न उत्पादन में आत्म निर्भरता पर जोर दिया गया है तो कभी तिलहन उत्पादन को बढ़ाने की बात कही गई है। अबतक की नीतियों का सबसे बड़ा दोष यह रहा है कि इसमें समुचित रूप से कहीं भी कृषि उत्पादकता बढ़ाने की बात पर जोर नहीं दिया गया है। यदि आने वाली दिनों में १०० करोड़ से अधिक होने वाली विशाल जनसंख्या की उदरपूर्ति के साथ उसके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर विश्व के विकसित देशों के स्तर पर लाना होगा।

भारत में कृषि क्षेत्र उपेक्षा के बावजूद सम्भावनापूर्ण है

निःसंदेह भारतीय कृषि विकास की दर पिछले कुछ वर्षों से प्रतिकूल रही है, जबकि इस अवधि में देश में मानसून की स्थिति अनुकूल ही रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के प्रारंभिक काल में कृषि विकास की दर ३.४ प्रतिशत थी जो कि वर्ष १९९५-९६ तक घट कर ०.९ प्रतिशत ही रह गई है।³⁵

भारतीय कृषि नीति निर्धारक के लिए यह गिरावट चिंताजनक बात है। दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करके नई विश्व व्यापार व्यवस्था में अपने आपको स्थापित करना है। जबकि भारत के कृषि अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि इस गिरावट का प्रमुख कारण यह है कि गत कुछ वर्षों से कृषि क्षेत्र में

³⁵ बनर्जी शुभकर, भारत में कृषि क्षेत्र उपेक्षा के बावजूद सम्भावनापूर्ण है। पृष्ठ संख्या १५९९, प्रतियोगिता दर्पण आगरा अप्रैल १९९८।

निवेश करने से लोग कतराते हैं। हालांकि सकल घरेलू मुद्रा निर्माण में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में भी कमी आई है, लेकिन सकल मुद्रा निर्माण में कृषि क्षेत्र की कम हिस्सेदारी का मुख्य कारण यह था कि कृषि ने दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा निवेशको को कम आकृष्ट किया। इसके निम्नलिखित दो प्रमुख कारण थे।

(१) योजनागत खर्च में कृषि की भागीदारी में कमी होती गई।

(२) दूसरे क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र में निवेश से लाभ अपेक्षाकृत कम होता है।

उपर्युक्त कारणों के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा कृषि क्षेत्र में किया जा रहा व्यय मुख्य तौर से उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाने, सिंचाई रसायनों, कृषि उपकरणों, बिजली में रियायत तथा ऋण प्रदान करने में किया जा रहा है। दूसरी ओर अपेक्षाकृत कम लाभ होने की वजह से ही निजी निवेशक कृषि के प्रति रूचि नहीं लेते हैं।

भारत में वर्ष १९९१ के बाद कृषि व्यापार की परिस्थिति में काफी सुधार हुआ, कृषि लागत तथा कीमत आयोग द्वारा हाल में एक सर्वेक्षण किया गया। इसकी रिपोर्ट के अनुसार कृषि व्यापार सूचकांक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष १९९०-९१ की अवधि में यह ८९.९ था जबकि १९९४-९५ की अवधि में ९८.७ तक बढ़ गया परन्तु इस सराहनीय वृद्धि के बावजूद अब भी लाभ की दृष्टि से यह क्षेत्र दूसरे उद्योग से काफी पीछे चल रहा है³⁶

कृषि व्यापार में वर्ष १९९१ से ही उल्लेखनीय वृद्धि शुरू हुई जिसका मुख्य कारण यह रहा कि सरकार द्वारा अनाजों की खरीद मूल्यों में काफी वृद्धि की गई। वित्तीय वर्ष १९९३ तथा १९९४ में गेहूँ की न्यूनतम खरीद मूल्य ३३० रु० से बढ़ाकर ३८० रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया जो वर्ष १९९६-९७ में ४१५ रु० + ६० रु० बोनस (कुल ४७५ रु०) किया गया है, इसी अवधि में चावल के भी खरीद मूल्य बढ़ाकर ३१० रु० से ३६० रु० तथा १९९६-९७ में बढ़ाकर ३८० रु० कर दिया गया³⁷

³⁶ बनर्जी शुभकर, भारत में कृषि क्षेत्र उपेक्षा के बावजूद सम्भावनापूर्ण हैं। पृष्ठ संख्या १५९९, प्रतियोगिता दर्पण आगरा अप्रैल १९९८।


³⁷ वही, पृष्ठ संख्या १५९९, प्रतियोगिता दर्पण आगरा अप्रैल १९९८

खरीफ फसलो के समर्थन मूल्य फसल वर्ष १९९५-९६ की तुलना में फसल वर्ष १९९६-९७ हेतु मूल्यो में निम्न वृद्धि की गई है।

तालिका-1-7

खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य

फसल	फसल वर्ष 1995-96	फसल वर्ष 1996-97	वृद्धि ₹०/ कु०
धान (साधारण)	३६०	३८०	२०
ज्वार/बाजरा	३००	३१०	१०
दाले	८००	८४०	४०
मूंगफली	९००	९२०	२०
सूरजमुखी	९५०	९६०	१०
तिल	८५०	८७०	२०



स्रोत्र - प्रतियोगिता दर्पण आगरा अप्रैल १९९८


रवि फसलो के लिए विपणन वर्ष १९९६-९७ (फसल वर्ष १९९५-९६) की तुलना में विपणन वर्ष १९९७-९८ (फसल वर्ष १९९६-९७) हेतु भारत सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा

१९ अक्टूबर १९९६ को न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि निम्नलिखित तालिको में दर्शाई गई है³⁸

तालिका-1-8

रबि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि

फसल	विपणन वर्ष 1996-97	विपणन वर्ष 1997-98	वृद्धि ₹०/कु०
गेहूँ	380	415*	35*
जौ	294	305	10
चना	700	740	40
रैपसीड और सरसो	860	890	30
सूरजमुखी	800	830	30



स्रोत्र - प्रतियोगिता दर्पण आगरा अप्रैल १९९८

* बाद में ३५ ₹० के स्थान पर ६० ₹०/कु० कर दी गई अतः लेवी मूल्य कुल ४७५ ₹०/कु० हो गया।³⁹

³⁸ बनर्जी शुभकर, भारत में कृषि क्षेत्र उपेक्षा के बावजूद सम्भावनापूर्ण है। पृष्ठ संख्या १५९९, प्रतियोगिता दर्पण आगरा अप्रैल १९९८।

³⁹ वही, पृष्ठ संख्या १५९९, प्रतियोगिता दर्पण आगरा अप्रैल १९९८।

स्पष्ट है कि विश्व व्यापार का परिदृश्य बदलता जा रहा है अतः इस दृष्टिकोण से कृषि विकास की नई योजना तैयार करके निजी क्षेत्र को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। इसके अलावा विश्व व्यापार सगठन को स्थापना के बाद से कृषि उत्पाद के बाजार में भी परिवर्तन की संभावना बन गई है। इस बात से भी इकार नहीं किया जा सकता है कि इस क्षेत्र पर भी विकसित राष्ट्रों का वर्चस्व स्थापित हो चुका है। जैसे विकासशील देशों को भी समान अवसर देने के लिए तथा साथ ही कृषि उत्पाद के निर्यात में वृद्धि लाने के लिए विश्व व्यापार, सगठन ने भी कई प्रकार के नए कदम उठाने की पहल की है।


उल्लेखनीय है कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भारत की क्षमता श्रम शक्ति तथा शोध नेटवर्क भी काफी अच्छी स्थिति में है। देश में वर्तमान में **I.C.A.R. (Indian Council of Agricultural Research)** के अन्तर्गत (1) अनुसंधान एवं विकास हेतु ४० केन्द्रीय सस्थान, ४ राष्ट्रीय ब्यूरो, ३० राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, १० परियोजना निदेशालय, ८० भारतीय समन्वित परियोजनाएँ, २६ अन्य योजनाएँ, (2) कृषि शिक्षा हेतु २८ राज्य कृषि विश्व विद्यालय, १ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ४ डीम्ड विश्वविद्यालय⁴⁰ (3) कृषि प्रसार हेतु २६१ कृषि विज्ञान केन्द्र, ८ प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र तथा राष्ट्रीय महिला शिक्षा अनुसंधान केन्द्र है जिसमें ३०००० से अधिक कर्मचारी (६२०० कृषि अनुसंधान वैज्ञानिक भी सम्मिलित) कार्यरत है।⁴¹ इस प्रकार यह कृषि का बहुत बड़ा शोध नेटवर्क है। जिसका कृषि उत्पादन बढ़ाने में काफी योगदान रहा है, और आगे भी रहने की सम्भावना है। यदि भारत की कृषि नीति में सकारात्मक परिवर्तन की पहल की जाए तो स्थिति और भी आकर्षक तथा लाभप्रद बन सकती है। फलस्वरूप विश्व व्यापार सगठन के द्वारा की गई घोषणाओं तथा प्रयासों का लाभ भारत को मिल सकता है। निम्नलिखित तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्व के कुल खाद्यान्न उत्पादन में भारत की भागीदारी उल्लेखनीय रही है।

⁴⁰ बनर्जी शुभकर, भारत में कृषि क्षेत्र उपेक्षा के बावजूद सम्भावनापूर्ण हैं। पृष्ठ संख्या १६००, प्रतियोगिता दर्पण आगरा अप्रैल १९९८।

⁴¹ वही, पृष्ठ संख्या १६००, प्रतियोगिता दर्पण आगरा अप्रैल १९९८।

विश्व के कुल उत्पादन में भारत की भागीदारी

प्रमुख खाद्यान्न	विश्व उत्पादन	भारतीय उत्पादन	भागीदारी (प्रतिशत)
धान	524425	110149	21
गेहूँ	524425	55862	10
मक्का	495496	9277	1.9
गन्ना	1078734	241958	22.4



स्रोत प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल १९९८ आगरा

भारत में भूमि का विकास तथा अन्य संसाधनों के विकास पर वास्तविक पहल ६० के दशक से शुरू हुई। प्रारम्भिक स्तर पर मुख्य उद्देश्य केवल खाद्यान्न में अधिक से अधिक वृद्धि करना था। भारत ने अपने इस उद्देश्य को पूरा करने में काफी हद तक सफलता भी प्राप्त कर ली है परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जरूरत इस बात की है कि उन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए जहाँ कृषि क्षेत्र में आशा के अनुरूप

विकास संभव नहीं हो पाया है। उदाहरण के तौर पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूँ की औसत उपज ४५,३६ एव ३२ टन/हेक्टेयर क्रमशः है जबकि उत्तर प्रदेश का सम्पूर्ण औसत मात्र २६ टन/हेक्टेयर है⁴² इसी प्रकार बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश का बिलासपुर क्षेत्र जो बिहार से जुड़ा है वहाँ पर १५ टन/हेक्टेयर गेहूँ की औसत उपज है अतः इन क्षेत्रों में गेहूँ की प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने की काफी सम्भावना है⁴³ उदाहरण स्वरूप ऐसी जमीनों में फल-फूल आदि की खेती करनी चाहिए जिसमें ऐसी ही फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। साथ ही साथ फसल उत्पादन के साथ अब मुर्गी पालन/डेयरी/बतख पालन/सुअर पालन/मशरूम खेती/रेशम उत्पादन/ऐग्रो फोरेस्ट्री आदि का फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए, मुनाफा लागत को बढ़ाया जा सकेगा।

वर्ष १९९०-९१ से वर्ष १९९५-९६ की अवधि में भारत ने खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में काफी उन्नति की है परन्तु विकास दर में काफी विभिन्नताएँ भी थीं जो कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है⁴⁴

तालिका-1-10

भारत में खाद्यान्न उत्पादन विकास का प्रतिशत


वर्ष	कुल खाद्यान्न उत्पादन (मिलियन टन)	उत्पादन वृद्धि * (प्रतिशत में)
1990-91	176.39	3.13
1991-92	168.37	4.15
1992-93	179.48	6.49
1993-94	184.25	2.66
1994-95	191.10	3.71
1995-96	185.00	3.19

* पिछले वर्ष की तुलना में/फर्टीलाइजर स्टैटिस्टिक्स १९९५-९६ एफ०ए० आई० नई दिल्ली।

⁴² बनर्जी शुभकर, भारत में कृषि क्षेत्र उपेक्षा के बावजूद सम्भावनापूर्ण हैं। पृष्ठ संख्या १६०१, प्रतियोगिता दर्पण आगरा अप्रैल १९९८।

⁴³ वही, पृष्ठ संख्या १६०२, प्रतियोगिता दर्पण आगरा अप्रैल १९९८।

⁴⁴ वही, पृष्ठ संख्या १६०३, प्रतियोगिता दर्पण आगरा अप्रैल १९९८।



बागवानी के लिए बिहार का कृषि वातावरण काफी उपर्युक्त है इसलिए बिहार में ऐसी ही कृषि व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरी ओर पंजाब तथा हरियाणा में अधिशेष अनाज उत्पादन पर बल देना निरर्थक है क्योंकि इन राज्यों की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ से देश के दूसरे भागों में अनाजों की दुलाई मँहगी तथा कठिन होगी इसलिए इन क्षेत्रों में ऐसी फसल की खेती की जानी चाहिए जो व्यावसायिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण हो तथा उसकी परिवहन व्यवस्था सस्ती तथा सरल हो।

वर्ष १९९०-९१ से १९९५-९६ तक भारत ने फल तथा सब्जी उत्पादन के निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति की है। जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है⁴⁵

तालिका-1-1.1

वर्ष	फल एवं सब्जी उत्पाद का निर्यात (करोड़ ₹0 में)
1990-91	122.50
1991-92	193.90
1992-93	253.00
1993-94	338.20

⁴⁵ बनर्जी शुभकर, भारत में कृषि क्षेत्र उपेक्षा के बावजूद सम्भावनापूर्ण हैं। पृष्ठ संख्या १६०४, प्रतियोगिता दर्पण आगरा अप्रैल १९९८।

स्रोत्र - प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल १९९८ आगरा

वैसे यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि भारत को कृषि उत्पाद के घरेलू एव विदेशी व्यापार नियंत्रण में थोड़ी और छूट देनी चाहिए ताकि उन क्षेत्र में वर्तमान उपलब्ध अवसरों में और भी बढ़ोत्तरी की जा सके। फिलहाल कृषि निर्यात एव आयात दोनों पर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष नियंत्रण अब भी बना हुआ है इसी नियंत्रण के अन्तर्गत आयात निर्यात के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत पड़ती है। हालांकि १९९१ से ही आर्थिक उदारीकरण की नीति प्रारम्भ की गई, परन्तु फिर भी कृषि तथा कृषि उत्पादन पर किसी न किसी प्रकार से नियंत्रण बना हुआ है।

निःसंदेह भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार की नीति की वजह से व्यापक परिवर्तन हुए, परन्तु इस दृष्टिकोण से कृषि क्षेत्र का विकास अपेक्षाकृत कम ही रहा। इसी बीच में वर्ष १९९३ में कृषि उत्पादन के क्षेत्रीय आवागमन पर से प्रतिबन्ध उठा लिया गया। परन्तु अप्रत्यक्ष नियंत्रण अभी भी बना हुआ है। हालांकि कृषि क्षेत्र की नीतियों में भी काफी परिवर्तन किए गए, परन्तु फिर भी अनेक वस्तुओं पर मूल्य निर्धारण में विद्यमान भिन्नता के बावजूद समर्पित मूल्य नीति अब भी लागू है, वैसे इस परिवर्तित नीति की वजह से खाद्यान्नों (जैसे- गेहूँ, चावल तथा नकदी फसल आदि) में विशेष लाभ प्राप्त हुआ है।

इस समय महत्वपूर्ण पेटेंट बिल भी पारित किया जाता है, ताकि विस्तृत कृषि शोध नेटवर्क को यथा योग्य लाभ प्राप्त हो तथा कृषि शोधों की कीमत भी मिल सके। यह विषय भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में किए जा रहे खर्चों में कटौती की जा रही है, परन्तु सर्वाधिक जरूरी बात तो यह है कि कृषि में सम्बन्धित तकनीकी सुधारों के लाभों को प्रयोगशाला से निकालकर किसानों तक पहुँचाए जाने के लिए यथार्थ रूप से कार्य किए जाएं हालांकि कृषि क्षेत्र में और भी तकनीकी सुधार की आवश्यकता है परन्तु इस समय विद्यमान कृषि तकनीकी सुधार भी विश्व स्तर से किसी भी तरह से कम नहीं है, बस जरूरत इस बात की है कि उन्हें आम किसानों तक सुलभ करवाया जाए।

भारत में कृषि क्षेत्र में हुए व्यापक विकास के बावजूद इनका लाभ सभी क्षेत्रों के लोगों को समान रूप से उपलब्ध नहीं हो पाया है। अभी भी देश के कई पिछड़े राज्यों के किसान कृषि कार्य से पर्याप्त आय प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सफल हो रहे हैं। जिसका मुख्य कारण कृषि क्षेत्र के तकनीकी सुधारों की जानकारियों का लाभ देश के हर किसान को उपलब्ध नहीं हो पाया है। दूसरी ओर कृषि में हो रही अपर्याप्त आय की ही वजह से अब भी रोजगार के लिए लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। यह एक त्रासदीपूर्ण परिस्थिति है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में विकास तथा उससे प्राप्त आय की सम्भावनाएँ उज्ज्वल होते हुए भी कृषि क्षेत्र की अवहेलना जारी है, फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में निवेश को यथायोग्य प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है, अर्थात् सम्भावनापूर्ण परिस्थिति के बावजूद विकास सतोषप्रद नहीं है, जिसे अनुकूल बनाना कोई कठिन कार्य भी नहीं है।

राष्ट्रीय कृषि नीति :-

हमारे राष्ट्र में कृषि ऐसी जीवन पद्धति और परंपरा है जिसने भारत के लोगों के विचार दृष्टिकोण, संस्कृति और आर्थिक जीवन को सदियों से सुन्दर बनाया है। अतः कृषि देश के नियोजित सामाजिक आर्थिक विकास की सभी कार्यनीतियों का मूल है तथा इसका केन्द्र बनी रहेगी। न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि घरेलू खाद्य सुरक्षा के लिए भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा निर्धनता स्तर में तेजी से कमी करने के लिए, आय एवं धन सम्पदा के वितरण में सामंजस्य लाने के लिए कृषि का तेजी से विकास आवश्यक है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे कृषि में आशातीत प्रगति हुई है। वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन के पिछले ५० वर्षों के ५ करोड़ १० लाख टन से शताब्दी के मोड़ पर २० करोड़ ६ लाख मिलियन टन तक हो जाने का अनुमान है। इस प्रकार कृषि ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा हमारे देश में खाद्यान्न की कमी से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कृषि की वृद्धि के ढंग से अलग-अलग क्षेत्रों, फसलों और कृषक समुदाय के विभिन्न वर्गों का असमान विकास हुआ है तथा कुछ क्षेत्रों में उत्पादकता स्तर नीचे गिरा है तथा प्राकृतिक ससाधनों का ह्रास हुआ है पूँजी की अपर्याप्तता, अवसरचलात्मक सहायता का अभाव तथा

संचालन पर नियंत्रण, भंडारण और कृषि क्षेत्र की आर्थिक व्यवहारता को प्रभावित करती रही है। परिणामतः नब्बे के दशक में कृषि वृद्धि में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई।

लगातार प्रतिकूल मूल्य व्यवस्था तथा निम्न मूल्य सवर्धन के कारण कृषि एक अलाभप्रद व्यवसाय हो गया है जिसके कारण बहुत लोग कृषि कार्य छोड़ रहे हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन बढ़ रहा है। भूमंडलीय प्रणाली में कृषि व्यापार को जोड़ने की स्थिति में यह हालात और उग्र हो जाएगी। अतः तत्काल उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है।

आज लगभग २० करोड़ भारतीय कृषक और कृषि मजदूर भारतीय कृषि की रीढ़ हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के बावजूद कृषक समुदाय के कल्याण की बात देश के नियोजकों और नीति निर्माताओं की चिंता का विषय रही है। कृषि क्षेत्र में सुधारों का मुख्य आधार कृषि अर्थव्यवस्था की स्थापना है क्योंकि यह भारत के करोड़ों लोगों के लिए खाद्य और पोषक तत्व, बढ़ते औद्योगिक आधार के लिए कच्चा माल एवं निर्यात अधिशेष तथा कृषि समुदायों द्वारा समाज को दी गई सेवाओं के लिए उचित और न्यायसंगत लाभ की प्रणाली सुनिश्चित करता है। यह कृषि क्षेत्र में सुधार का मुख्य केन्द्र बिन्दु होगा।

राष्ट्रीय कृषि नीति में भारतीय कृषि की विशाल अदोहित क्षमता को वास्तविक रूप देने, तीव्रतर कृषि विकास को समर्थन देने के लिए ग्रामीण अवसरचना को सुदृढ़ करने, मूल्य प्रवर्धन को बढ़ावा देने, कृषि व्यवसाय की वृद्धि को तीव्रता प्रदान करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने, किसानों, कृषि मजदूरों और उनके परिवारों का जीवन-स्तर सुधारने, शहरी क्षेत्रों में प्रवास हतोत्साहित करने तथा आर्थिक उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने की परिकल्पना है। अगले दो दशकों में इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं -

- ❖ कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष ४ प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करना।
- ❖ वृद्धि, जो ससाधनों के कुशल उपयोग पर आधारित है तथा अपनी मृदा, जल और जैव विविधता का संरक्षण करना।
- ❖ साम्य वृद्धि, अर्थात् वृद्धि जो क्षेत्र दर क्षेत्र तथा किसान दर किसान व्याप्त है।

- ❖ ऐसी वृद्धि जो माँग के अनुसार हो और स्वदेशी बाजारों की माँग को पूरा करे तथा आर्थिक उदारीकरण और विश्वव्यापी-करण से उत्पन्न चुनौतियों की स्थिति में कृषि उत्पादों की निर्यात से अधिकतम लाभ मिल सके।
- ❖ वृद्धि जो प्रौद्योगिकीय, पर्यावरणीय तथा वित्तीय रूप से दीर्घकालीन हो।

दीर्घकालीन कृषि :-

राष्ट्रीय कृषि नीति में दीर्घकालीन विकास को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी रूप से ठोस, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, पर्यावरण की दृष्टि से अपक्षयी तथा देश के प्राकृतिक ससाधन भूमि, जल और आनुवांशिक सम्पदा को बढ़ावा देने की परिकल्पना है। भूमि पर जैविक दबाव को सीमित करने तथा कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनों में अधाधुध परिवर्तन पर नियंत्रण पाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकार देश की भूमि और मृदा ससाधनों की गुणवत्ता के सुधार को स्थायी रूप से महत्व दे रही है। अपरदित एवं परती भूमि के सुधार को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उनके उत्पादक उपयोग को इष्टतम बनाया जा सके। देश के प्रचुर जल ससाधनों के तर्कसंगत उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। सतही जल और भू-जल के संयुक्त उपयोग को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। जल के अधिक कुशल उपयोग और उत्पादकता में सुधार के लिए स्वस्थाने नमी प्रबंध तकनीक जैसे मल्टिप्लिंग के उपयोग और टपका व छिडकाव तथा पादप घर प्रौद्योगिकी जैसी प्लास्टिक और माइक्रो ओवर हैंड प्रेसर्ड सिचाई प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए पहाड़ी और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल कृषि संरचना और उपर्युक्त जल संचार प्रणालियों के प्रबंध पर जोर दिया जाएगा।

पिछले कुछ दशकों में भारत के पादप एवं पशु आनुवांशिक ससाधन अवक्रमण और सकीर्ण आधार देश की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। आनुवांशिक ससाधनों के सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन और फसलों, पशुओं तथा उनकी जंगली प्रजातियों में लागू की गई स्वदेशी तथा बहिजातीय आनुवांशिक परिवर्तनशीलता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। ऐसे पादप जो जल की खपत कम करते हों, सूखे के प्रति सहनशील हों, क्रीम प्रतिरोधी हों जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो, अधिक उपज देते हों तथा

पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित हो, के विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। देश की विशाल जैव विविधता की सूची बनाने तथा उसे वर्गीकृत करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाएगा।

कृषक समुदायो को पर्यावरणीय चिंताओं के प्रति सवेदनशील बनाने का उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। समेकित पोषक तत्वों तथा कृषि प्रबंध के जारिए बायोमास, कार्बनिक और अकार्बनिक उर्वरकों के सतुलित उपयोग तथा कृषि रसायनों के नियंत्रित उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि कृषि उत्पादन में स्थायी वृद्धि की जा सके।

कृषि प्रणालियों में परिस्थितिकी सतुलन बनाए रखने तथा बायोमास उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी मुख्य अपेक्षाएँ हैं। पोषक तत्वों के प्रभावी चक्रण, नाइट्रोजन के निर्धारण, कार्बनिक पदार्थों के वर्धन तथा सरणि में सुधार के लिए कृषि वानिकी पर मुख्य रूप से जोर दिया जाएगा। किसानों को फार्म प्रौद्योगिकी विस्तार और ऋण सहायता पैकेज विकसित करके अधिक आय सृजन और सीमांत भूमियों के कुशल उपयोग तथा कृषि और फार्म वानिकी के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए फार्म कृषि वानिकी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

जैव कृषि व पोषाहारीय एवं औषधीय प्रयोजनों के लिए परम्परागत पद्धतियों, ज्ञान तथा बुद्धि को समेकित करने व मूल्यांकन करने और स्थायी कृषि वृद्धि के लिए उनका उपयोग करने का सतत प्रयास किया जाएगा।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा :-

निरन्तर जनसंख्या वृद्धि के दबाव के कारण बढ़ती खाद्य माँग तथा कृषि उद्योगों के विस्तार के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए फसल उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के विशेष प्रयास किए जाएँगे। इसके लिए क्षेत्र विशिष्ट रणनीति पर अमल किया जाएगा। उच्च पोषण वाली नई फसल किस्मों के विकास, विशेषकर खाद्य फसलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं खाद्य आपूर्ति, निर्यात में वृद्धि के लिए वर्षा सिंचित एवं सिंचित बागवानी, पुष्पकृषि, कद-मूल फसलो, बागवानी फसलो, सुगन्धित एवं चिकित्सीय फसलो, मधुमक्खी पालन एवं रेशम कृषि विकास पर मुख्य जोर दिया जाएगा।

पशु पालन एवं मात्स्यिकी भी कृषि क्षेत्र में पूँजी तथा रोजगार का सृजन करते हैं। कृषि विविधिकरण, भोजन में जन्तु प्रोटीन की उपलब्धता बढ़ाने तथा निर्यात हेतु अधिशेष के सृजन के प्रयासों में पशुपालन, कुक्कुट पालन, दुग्ध उद्योग एवं जल कृषि के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। दूध, मांस अंडा एवं पशु उत्पादों की आवश्यकता पूरी करने तथा कृषि कार्यों तथा परिवहन हेतु गैर पारम्परिक उर्जा स्रोतों के रूप में भारवाही पशुओं की भूमिका बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन नीति बनाई जाएगी।

उत्पादन एवं उत्पादकता - स्तर बढ़ाने के लिए पशु उत्पादन के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में उपर्युक्त प्रौद्योगिकियों के सृजन एवं विस्तार पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। खाद्य एवं चारा आवश्यकताओं को पूरा करने तथा पशु पोषण एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए चारा फसलो एवं चारा वृक्षों की खेती में वृद्धि की जाएगी। बूचडखानों के आधुनिकीकरण ठठरी के उपयोग और उनके मूल्यवर्धन पर जोर के साथ-साथ प्रसस्करण विपणन और परिवहन सुविधाओं को उन्नत करने पर प्राथमिक रूप से ध्यान दिया जाएगा।

समुद्री एवं अतर्देशीय मात्स्यिकी के लिए समेकित दृष्टिकोण जिसका उद्देश्य दीर्घकालीन जल कृषि को प्रोत्साहन देना है, अपनाया जाएगा। फिन एवं शेल मत्स्य कृषि के साथ-साथ पर्ल कल्चर, उनकी उत्पादकता को आदर्श स्तर तक लाने, उनके कटाई एवं कटाई उपरांत प्रचलनों, मत्स्य नावों के यंत्रीकरण, मत्स्य बीजों के उत्पादन के लिए अवसरचना सुदृढ़ करने, मत्स्य नावों के ठहराने एवं उतारने की सुविधाओं के निर्माण तथा विपणन अवसरचना के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रौद्योगिकी सृजन एवं हस्तांतरण :-

कृषि एवं बागवानी फसलो, पशु प्रजातियों एवं जल-कृषि की स्थान विशिष्ट एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य उन्नत किस्मों के विकास के साथ-साथ अन्य जैव विविधता संसाधनों के संरक्षण एवं उचित उपयोग को भी प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रीय अनुसंधान प्रणाली के साथ-साथ मालिकाना अनुसंधान के माध्यम से भी

जैव- प्रौद्योगिकी, दूर सवेदन प्रौद्योगिकी, कटाई पूर्व एव कटाई उपरात प्रौद्योगिकी उर्जा संरक्षण प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण प्रौद्योगिकी जैसी उन्नत विधाओं के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। हमारा प्रयास भारतीय कृषि में प्रौद्योगिकी परिवर्तन के लिए एक सुसंगठित, कुशल एव परिणामोन्मुखी कृषि अनुसंधान एव शिक्षा प्रणाली के निर्माण का होगा।

अनुसंधान और विस्तार प्रणाली की गुणवत्ता और कुशलता में सुधार के लिए अनुसंधान और विस्तार संपर्क मजबूत बनाया जाएगा। मॉडल चालित उत्पादन प्रणाली के आयोजन के लिए कृषि विस्तार में कृषि विज्ञान केन्द्रों, गैर-सरकारी संगठनों, कृषक संगठनों/सहकारिताओं, निगम क्षेत्र एव पैरा टैक्नीशियनों की भूमिका को प्रोत्साहन दिया जाएगा। क्षमता निर्माण के माध्यम से मानव संसाधन विकास एव लोक विस्तार कर्मियों तथा अन्य कर्मियों की कार्यकाल में सुधार को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

कृषि में लिंग सम्बन्धी असंतुलन दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं को शक्तिसम्पन्न बनाने एव उनकी आदानों प्रौद्योगिकी एव अन्य कृषि संसाधनों तक पहुँच में सुधार तथा उनमें क्षमता निर्माण के लिए उपर्युक्त सरचनात्मक, कार्यात्मक एव सस्थागत उपाय किए जाएँगे।

आदान प्रबंध :-

सरकार का प्रयास उच्च गुणवत्ता वाले आदानों, यानी बीज, उर्वरकों, पौध-संरक्षण रसायन, जैव-कृमिनाशी, कृषि मशीनरी एव ऋण को उचित दरों पर तथा समय से एव पर्याप्त मात्रा में किसानों तक पहुँचाना होगा। मृदा परीक्षण एव उर्वरकों तथा बीजों का गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा तथा मिलावटी आदानों की आपूर्ति पर रोक लगाई जाएगी।

उन्नत किस्म के बीजों एव रोपण सामग्री के उत्पादन एव वितरण तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से बीज प्रमाणन प्रणाली के सुदृढीकरण को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। निवेश और जनशक्ति के कुशल उपयोग के लिए राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम का पुनर्गठन किया जाएगा। किसानों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए संरक्षित किस्मों के ब्राण्डयुक्त बीजों को छोड़कर अपनी कृषि में बचाए हुए बीजों

की बचत, उपयोग विनिमय, लेन-देन एवं बिक्री के अपने पारंपरिक अधिकार अनुमन्य होंगे। नई किस्मों के विकास के लिए मालिकाना किस्मों पर अनुसंधान करने सम्बन्धी शोधार्थियों के हितों की सुरक्षा की जाएगी।

प्रोत्साहन :-

सरकार घरेलू कर-सरचना को उपर्युक्त बनाने के माध्यम से निर्माण क्षेत्र के साथ व्यापार शर्तों में सुधार तथा बाध्य एवं आंतरिक मंडी सुधार, कृषि के लिए प्रोत्साहन व्यवस्था में विसंगतियों को दूर करके किसानों के अपने निवेश के निर्माण तथा पूँजी निर्माण में वृद्धि हेतु अनुकूल आर्थिक वातावरण के सृजन का प्रयास करेगी।

कृषि पर विश्व व्यापार सगठन समझौते के अनुसार आत्मोपर पर परिमाणात्मक प्रतिबन्धों को हटाए जाने के बाद निर्यात बढ़ाने के लिए विश्व बाजार में होने वाली मूल्य अस्थिरता के प्रतिकूल प्रभाव से उत्पादकों को सुरक्षित करने के लिए सामग्रीवार रणनीतियों एवं व्यवस्थाओं का प्रतिपादन किया जाएगा। बागवानी उत्पादों और समुद्री उत्पादों के निर्यात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। निर्यात उपार्जन से किसानों को सर्वाधिक आय मुहैया कराने की दृष्टि से कृषि उत्पाद विविधता तथा मूल्य संयोजन की दोहरी दीर्घकालिक नीति बनाई जाएगी। निर्यात व आयात दोनों के सगरोध पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा ताकि भारतीय कृषि को जहरीले कीटों तथा रोगों के प्रभाव से बचाया जा सके।

घरेलू कृषि सगरोधात्मक प्रतिबन्धों को हटाने के संदर्भ में किसानों के हितों की रक्षा के लिए अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों की लगातार मानिटारिंग की जाएगी तथा उचित टैरिफ सुरक्षण दिया जाएगा। कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली निर्मित वस्तुओं पर आयात शुल्क तर्क सगत बनाया जाएगा। मंडी क्षेत्र को उदार बनाया जाएगा और कृषि आय वृद्धि में व्यवधान डालने वाले सभी नियंत्रणों और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें समाप्त किया जाएगा।

खाद्यान्नो तथा अन्य वाणिज्यिक फसलों पर कर ढाँचे की समीक्षा की जाएगी तथा इसे युक्तिसंगत बनाया जाएगा। इस तरह से कार्य मशीनरी तथा उपकरणों, उर्वकों आदि जैसी सामग्री, जिन्हे कृषि

उत्पादन, फसल कटाई उपरांत भंडारण और प्रसंस्करण में प्रयोग किया जाता है, पर उत्पाद कर की समीक्षा की जाएगी।

कृषि निवेश :-

कृषि क्षेत्र में निवेश के सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र की हासमान प्रवृत्ति रही है क्षेत्रीय असतुलनों को कम करने हेतु कृषि एवं ग्रामीण विकास की सहायक अवसरचना के त्वरित विकास के लिए विशेष रूप से गाँवों के सबंध में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। आदानों के उचित तथा पारदर्शी मूल्यनिर्धारण द्वारा नीतियों को युक्ति सगत बनाने के लिए एक नियत तालिका नीति प्रतिपादित की जाएगी ताकि कृषि एवं आदानों के प्रयोग में दक्षता संवर्धन हेतु संसाधनों का सृजन किया जा सके।

ग्रामीण विकास के लिए प्रथम प्रयास के रूप में गाँवों में विद्युतीकरण को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार किया जाएगा तथा उर्जा के नए पुनरूज्जीवन योग्य संसाधनों के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

सिंचाई क्षमता के सृजन तथा उपयोग के बीच की खाई को पाटते हुए सभी चालू परियोजनाओं को पूरा करने, सिंचाई अवसरचना के पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय जल संसाधनों के संवर्धन एवं प्रबंधन की समेकित योजना के विकास एवं कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

फसलोपरांत हानियों को कम करने तथा किसानों हेतु बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से विपणन अवसरचना, परिक्षण, भंडारण और परिवहन तकनीकों के विकास पर जोर दिया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के सीधे नियंत्रणाधीन साप्ताहिक मंडियों (हाटों) को उन्नत और सुदृढ़ बनाया जाएगा। बाजार दक्षता के उन्नयन और प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विशेष रूप से बागवानी उत्पाद के अवशिष्टों को कम करने तथा मूल्य संवर्धन में वृद्धि के लिए उत्पादन क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आफ फार्म रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कृषि प्रसंस्करण उद्योग के संवर्धन के लिए उत्पादक सहकारी समितियों तथा समष्टि क्षेत्र के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

संस्थागत संरचना :-

छोटे व सीमांत किसानों को प्रमुखता देना भारतीय कृषि की विशेषता है। संस्थागत सुधार इस प्रकार किए जाएंगे जिससे इनकी उर्जा का प्रचलन बेहतर उत्पादकता और उत्पादन प्राप्ति के लिए किया जा सके। ग्रामीण विकास तथा भूमि सुधार हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

- उत्तर-पश्चिमी राज्यों के प्रतिमान पर पूरे देश में जोतो का समकेन,
- निर्धारित सीमा से अधिक और परती भूमि का भूमिहीन किसानों, बेरोजगार युवकों में प्रारंभिक पूँजी के साथ पुनर्वितरण,
- पट्टेदारों तथा फसल हिस्सेदारों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए पट्टेदारी सुधार,
- खेती व कृषि व्यापार हेतु निजी भूमि पट्टे पर देने के वास्ते वैधानिक प्रावधान करके जोतो के आकार में वृद्धि करने की दृष्टि से पट्टा बाजारों का विकास,
- भूमि अभिलेखों का अद्यतन सुधार, कंप्यूटरीकरण तथा किसानों को भूमि पास-बुक जारी करना,
- भूमि में महिला अधिकारों को मान्यता देना।

पंचायती राज संस्थाओं, स्वैच्छिक समूहों, सामाजिक गतिविधियों तथा सामुदायिक प्रणेतियों की मदद से भूमि-सुधारों के कार्यान्वयन में ग्रामीण गरीबों को अधिक शामिल किया जाएगा।

फसल, विशेष रूप से तिलहन, कपास तथा बागवानी फसलों के उत्पादन के लिए त्वरित प्रौद्योगिकी अंतरण, पूँजी अतर्वाह तथा बीमाकृत बाजारों की अनुमति के वास्ते सविदा खेती तथा पट्टेदारी व्यवस्था के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

ग्रामीण तथा कृषि ऋण का प्रणाली सांस्थानीकरण जारी रहेगा जिससे किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण मुहैया कराया जा सके। बचतों निवेशों तथा जोखिम प्रबंधन के संवर्धन के लिए ग्रामीण ऋण संस्थाओं के कार्यों को और तेज किया जाएगा। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण प्राथमिकता क्षेत्र में विकारों को समाप्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऋण वितरण में साम्यता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे।

गत वर्षों में कर्मठता से सृजित सहकारी क्षेत्र द्वारा कृषि को मूल सहायता दी गई है। उद्यम के सहकारी रूप को बढ़ावा देने के लिए सरकार सक्रिय सहायता देगी तथा यह भी सुनिश्चित करेगी कि उन्हें और अधिक स्वायत्तता एवं प्रचलनात्मक स्वतंत्रता मिले ताकि वे अपने कार्यकलापों में सुधार कर सकें।

जोखिम प्रबंधन :-

तकनीकी एवं आर्थिक विकास के बावजूद प्राकृतिक आपदाओं एवं मूल्य अस्थिरता के कारण किसानों की स्थिति असंतोषजनक बनी हुई है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जिसमें देश के सभी किसानों एवं फसलों को शामिल किया जाता है एवं जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले वित्तीय सकट से किसानों को बचाने एवं कृषि को आर्थिक रूप से व्यावहार्य बनाने का प्रावधान है, को अधिक किसानों में मुखी एवं प्रभावी बनाया जाएगा। कृषि में जोखिम कम करने, सूखा और बाढ़ का सामना करने में भारतीय कृषि को समर्थ बनाने के लिए बाढ़ प्रवण खेती को बाढ़ से बचाने और वर्षा सिंचित कृषि को सूखे से बचाने के प्रयास किए जाएंगे। केन्द्र सरकार मुख्य कृषि जिनसे हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति के माध्यम से कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी निभाना जारी रखेगी। विभिन्न जिनसे के समर्थन मूल्य का निर्धारण करते समय खाद्य, पोषण एवं देश की अन्य घरेलू निर्यात आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए अनुकूल आर्थिक वातावरण तैयार करने और ग्रामीण एवं शहरी आय के बीच सतुलन बनाए रखने हेतु मूल्य संरचना और व्यापार प्रणाली की निरंतर समीक्षा की जाएगी। किसानों द्वारा मजबूरन बिक्री रोकने के लिए घरेलू बाजार मूल्यों की कड़ी निगरानी की जाएगी। विपणन कार्यों में लगे मार्बजनिक एवं सहकारी अभिकरणों को सुदृढ़ किया जाएगा।

प्रबंधन सुधार :-

नीतिगत प्रयासों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कृषि प्रबंधन में व्यापक सुधार करना होगा। केन्द्र सरकार की भूमिका क्षेत्र विशिष्ट कार्य-योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को पूर्ण करने में सहायता करने की होगी। केन्द्र सरकार योजना केन्द्रित दृष्टिकोण छोड़कर वृहद् प्रबंध दृष्टिकोण अपनाएगी। सरकार बुआई से प्राथमिक प्रसंस्करण तक फार्म प्रचालन के सभी चरणों के गुणवत्ता

पक्ष पर ध्यान देगी। किसानों एवं कृषि प्रसस्करणों के बीच गुणवत्ता के बारे में जागृति लाई जाएगी। निर्यात संवर्धन के लिए कृषि उत्पादों के श्रेणीकरण एवं मानकीकरण को प्रोत्साहन न दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं उपयोगकर्ताओं/संभावित उपयोगकर्ताओं के बीच विचार-विमर्श की नियमित प्रणाली के माध्यम से कृषि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

अनुमान एवं भविष्यवाणी को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में संबंधित आँकड़ों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। जिससे नियोजन एवं नीति निर्माण प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। जोखिम प्रबंधन एवं विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए आँकड़ों के संग्रहण, मिलान, मूल्य संयोजन एवं समुचित स्थानों पर इसके वितरण हेतु दूरसूचक एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं इनमें सुधार के प्रयास किए जाएंगे। भारत सरकार का विश्वास है कि राष्ट्रीय कृषि नीति जनता के सभी वर्गों का समर्थन हासिल-करेगी तथा इससे कृषि का दीर्घकालीन विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वावलंबन आधार पर रोजगार सृजन, कृषक समुदाय के जीवन स्तर में सुधार एवं पर्यावरण संरक्षण होगा तथा यह एक उदीयमान राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के निर्माण की वाहक होगी।

राष्ट्रीय कृषि नीति और विश्व व्यापार संगठन

विषय की दृष्टि से १९८६ से १९९४ तक के उरुग्वे दौर के समझौते को तीन शीर्षकों में बाँटा जा सकता है। पहला, बाजार तक पहुँच के समझौते, दूसरा, बहुपक्षीय नियमों, तीसरा, नए क्षेत्रों से जुड़े समझौते। उरुग्वे दौर के बाद के मुद्दे जैसे श्रम और पर्यावरण मानक, स्पर्धा नीति और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य नवीनतम मामले हैं। उरुग्वे दौर के समझौते १ जनवरी १९९५ को लागू हुए। पाँच वर्ष के बाद यह पूछना पड़ेगा कि भारत को कृषि उदारीकरण से क्या लाभ हुआ है। अगर नहीं लाभ हुआ है तो भारत को क्या मिला और दिक्कतें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है।

लेकिन इससे पहले विश्व व्यापार संगठन के उन चार समझौतों पर हम ध्यान देंगे जो कृषि पर असर डालते हैं। पहला, कृषि का मूल पाठ, दूसरा सफाई और वनस्पति सफाई पर समझौता, तीसरा बौद्धिक संपदा अधिकारों, विशेष रूप से सूक्ष्म जीवों और पौधों तथा बीजों की किस्मों के बारे में समझौते, जो

कृषि के लिए महत्व रखते हैं, चौथा, उर्वरको और उर्वरक नीति को प्रभावित करने वाले औद्योगिक शुल्क समझौते, विशेष रूप से मात्रा अकुशो की क्रमिक समाप्ति के बाद के समझौते। हालांकि आखिरी दो समझौते निश्चित रूप से सबद्ध हैं तो भी उनसे बिल्कुल अलग तरह के मुद्दे जुड़े हैं इसलिए हम अपने विचार पहले दो समझौते तक सीमित रखेंगे।

कृषि के मूल पाठ की रूप रेखा काफी हद तक ज्ञात है। मोटे तौर पर इसमें सीमा सबंधी उपाय और आंतरिक नीति नियम शामिल हैं। सीमा उपायो में मात्रात्मक अकुशो को शुल्को में बदलना होगा और ये शुल्क विकसित देशों को अगले छह वर्षों में ३६ प्रतिशत तक नीचे लाने होंगे तथा विकासशील देशों को अगले १० वर्षों में २४ प्रतिशत तक कम करने होंगे। निर्यात सब्सिडियाँ परिमाण और बजटीय अवधि दोनों क्षेत्रों में कम करनी होंगी। परिमाण की दृष्टि से विकसित देशों को २१ प्रतिशत और विकासशील देशों को १६ प्रतिशत सब्सिडियाँ कम करनी होंगी। उधर बजटीय दृष्टि से विकसित देशों को ३६ प्रतिशत और विकासशील देशों को २४ प्रतिशत सब्सिडियाँ कम करनी होंगी। जहाँ तक आंतरिक उपायो का सबंध है, कुल समर्थन आकलन की एक प्रणाली है जिसमें विकासशील देशों के लिए कुल दहलीज समर्थन स्तर १० प्रतिशत है और विकसित देशों के लिए ५ प्रतिशत। अधिक सहायता राशि पर विकसित देशों को आधार स्तर पर कुल समर्थन २० प्रतिशत और विकासशील देशों को १३-१/३ प्रतिशत घटाना होगा।⁴⁶

क्रियान्वयन समस्याएँ :- एक जनवरी १९९५ को उरूग्वे दौर के समझौते के लागू होने के पाँच या अधिक वर्ष बाद आज कृषि क्षेत्र के उदारीकरण उपायो के प्रति असंतोष होना स्वाभाविक है। अवधारणा के स्तर पर तीन प्रकार की समस्याएँ हैं। पहली समझौते लागू नहीं किए गए हैं बल्कि उनका उल्लंघन हुआ है। दूसरी, समझौते की अवहेलना की गई है, अर्थात् कुछ कामों से समझौते की भावना का उल्लंघन हुआ है, न कि कानून का। तीसरा, कुछ मुद्दे वर्तमान समझौते से हटकर भी हैं। अधिकतर समस्याओं का सबंध अंतिम टो वर्ग के समझौते से है। अगर दो तथ्यों का ध्यान रखा जाए तो इस तरह की क्रियान्वयन समस्याएँ अप्रत्याशित नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि उरूग्वे दौर कृषि क्षेत्र में बहुपक्षीय नियम लागू करने का पहला प्रयास था।

⁴⁶ देवराय विवेक, राष्ट्रीय कृषि नीति और विश्व व्यापार सगठन, योजना जनवरी २००१, पृष्ठ संख्या १०।

दूसरी बात यह है कि दिसंबर १९९३ के पैकेज में प्रस्तावित उदारीकरण डकल प्रारूप के विपरीत हैं⁴⁷ और अपूर्ण है। डकल प्रारूप व कृषि को उमिद से कही अधिक उदारीकृत कर देता। इसका कुछ प्रमुख समस्याएँ इस प्रकार है -

- ✓ हरे बक्से और नीले बक्से से जुडी कुछ नीतियाँ ए० एम० एस० से मुक्त है। हरे बक्से या नीले बक्से सब्सिडियो के कृत्रिम हस्तांतरण में विकृतियाँ है।
- ✓ १९८६ से १९८८ तक की आधार समयावधि में (एग्रीगेट मैजरमेंट आफ सपोर्ट) ए० एम० एस० स्तर ऊँचा था। नतीजतन कटौती उच्च ए० एम० एस० पर की गई है और निर्धारित कटौतियों के बाद भी कुछ देशों में कुल ए० एम० एस० का स्तर ऊँचा बना रहेगा। यह इस दलील से सम्बद्ध मुद्दा है कि समग्र समर्थन की कोई सीमा तय नहीं की गई है।
- ✓ निर्यात सब्सिडी प्रति-बद्धताएँ अक्सर समग्र रूप में व्यक्त की जाती हैं। इससे सब्सिडियाँ कायम रखने और बढ़ाने में लचीलापन बना रहता है।
- ✓ शुल्क दरों के कोटों का आबटन अक्सर मनमाना होता है और इसमें पारदर्शिता नहीं बरती जाती। जब तक शुल्क दर कोटे बने रहेंगे, व्यवहार रूप में मात्रात्मक अकुश लागू रहेंगे।
- ✓ मात्रात्मक अकुशों का स्थान शुल्क दरों के ले लेने पर वास्तविक शुल्क मात्रा अकुशों के समकक्ष समझे जाने वाले शुल्कों से अधिक बैठेगी।
- ✓ एस० पी० एस० समझौते के अन्तर्गत संरक्षण की बात उठती है क्योंकि समझौते में ऐसे मानकों को मजबूरी दी गई है जो अन्तराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानदंडों से ऊँचे होते हैं, बशर्ते कि इनका पर्याप्त वैज्ञानिक आधार हो, कभी-कभी डंपिंग विरोधी और सब्सिडी विरोधी जॉच-पडताल के माध्यम से भी संरक्षण का प्रश्न उठाया जाता है।
- ✓ राज्य व्यापार सरकारी खरीद और सरकारी एकाधिकार को पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं किया जाता। विश्व बाजारों में व्याप्त कमियों के कारण स्पर्धा नीति भी एक मुद्दा बन गई है।

भारतीय वार्ताएँ :- भारत की बातचीत की दो दृष्टिकोणों से देखा जाना चाहिए। एक तो यह कि भारत को क्या करना है और दूसरा यह कि अन्य देशों को क्या करना है।

भारत पर लागू नियमों से जुड़े मुद्दे काफी आसान हैं। सीमा उपायों की समस्याएँ बहुत अधिक नहीं हैं क्योंकि अधिकतर कृषि वस्तुओं की बंधी दरें १०० और १५० प्रतिशत के बीच रहती हैं। कुछ वस्तुओं की दरें ३०० प्रतिशत तक चली जाती हैं। यह माना जा सकता है कि अशोक गुलाटी और अनिल शर्मा जैसे कृषि अर्थशास्त्रियों का अनुभवपरक कार्य काफी सतुलित है। उससे प्रमाणित होता है कि कुछ वस्तुओं को छोड़ भारत के कृषि उत्पाद मूल्य की दृष्टि से स्पर्धात्मक है।

अपूर्णता के बावजूद भी चूँकि उदारीकरण से विश्व मूल्यों में वृद्धि होती है, भारत में कृषि उत्पाद मूल्य की दृष्टि से अधिकाधिक स्पर्धात्मक होते जाएँगे, ऐसी सभावना है। नतीजतन आयात शुल्क शून्य करने के बावजूद भारत में कृषि उत्पादों के आयात की बाढ़ आ जाने की आशकाएँ वास्तविकता से परे हैं। आयात शुल्क शत-प्रतिशत होने पर तो इस तर्क को और बल मिलेगा। यह मुद्दा कुछ अधिक महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि भारत की निषिद्ध तथा प्रतिबंधित वस्तुओं की एक छोटी सूची को छोड़ प्रत्येक वस्तु एक अप्रैल, २००१ से खुले आम लाइसेंस के दायरे में आ जाएगी। बहुत-सी वस्तुएँ जिन पर काफी असें से मात्रात्मक प्रतिबंध लगे हैं, कृषि उत्पाद हैं जिन्हें उपभोक्ता वस्तुओं की श्रेणी में रख दिया गया है। इस समय भारत पर उपभोक्ता वस्तुओं पर बंधे शुल्क की प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं। औद्योगिक उत्पादों पर बंधी दरें या तो २५ प्रतिशत हैं या ४० प्रतिशत। सहस्रावदी के अंत तक बंधी दर प्रतिबद्धताओं के दायरे में वे उत्पाद भी आ जाएँगे जो इस समय उसके बाहर हैं, इनमें उपभोक्ता वस्तुएँ भी शामिल हैं। ऐसे समय जब औद्योगिक उत्पादों पर अधिकतम आयात शुल्क ४० प्रतिशत है, कृषि उत्पादों पर ४० प्रतिशत से अधिक आयात शुल्क लगाकर विकृतियाँ पैदा करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए कृषि उत्पादों पर ४० प्रतिशत का अधिकतम शुल्क लगाना तर्कसंगत है। उत्पादों पर यह मानकर कोई शुल्क नहीं लगाया गया कि इन पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगे होंगे। यह स्थिति उरुग्वे दौर से ही नहीं उससे कई वर्ष पहले से चली आ रही है। स्वाभाविक है इस स्थिति पर सीमा शुल्क और व्यापार के आम समझौते के अन्तर्गत फिर से विचार करना होगा। अब शुल्क दर कोटे की

ढग की प्रणाली थोप दी गई है। अन्य देशो मे इस प्रणाली की चुनौती देना और भारत मे उन्हे बनाए रखना तार्किक दृष्टि से ठीक नहीं है। जो हो, इस समय शुल्क दर कोटा लागू है। इस प्रक्रिया मे व्यापारिक साझेदारो को मुआवजा देना होगा। कुछ मुआवजा दिया भी गया होगा लेकिन इसकी जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। एक ऐसी ही समस्या पाँच प्रतिशत बधे शुल्क वाले डी ए पी उर्वरक के सबध मे मौजूद है लेकिन अभी इस पर बातचीत शुरू नहीं हुई है।

जहाँ तक आतरिक नियमो का सबध है, कुल समर्थन की राशि साल-दर-साल बदलती रहती है, लेकिन इस बात से इकार नहीं किया जा सकता है कि यह राशि दस प्रतिशत से कम रहती है। परिणाम स्वरूप आतरिक कृषि सुधार विश्व व्यापार सगठन के कारण नहीं होते। कुल समान का हिसाब-किताब लगाने मे कुछ कार्य-विधि मामलो को बाद की बात-चीत मे स्पष्ट करना जरूरी है। एग्रिगेट मैजस्ट्रेंट ऑफ सपोर्ट (एओ एमओ एसओ) का प्रणाली विज्ञान बाहरी सदर्थ मूल्य और आतरिक प्रशासनिक मूल्य के बीच के अतर पर आधारित होता है। साथ ही यह उस उत्पादन मात्रा के गुण पर आधारित होगा जो समर्थन की पात्र हो, आतरिक मुद्रा स्फीतियो मुद्रा के मूल्य हास को साफ शब्दों मे स्वीकारा नहीं गया है। उत्पाद आधारित सब्सिडियो की कुल राशि भी स्पष्ट नहीं है।

कृषि वार्ता के प्रति भारतीय दृष्टिकोण मे ज्यादातर खडित मानसिकता का पुट रहा है। उदारीकरण से भारत को कोई लाभ होगा या पी एल ४८० का हैआ। अब भी सताता रहेगा। अगर यह स्वीकार कर लिया जाए कि भारत को सार्वभौम कृषि उदारीकरण से लाभ होगा, जैसा कि अध्ययनो ने प्रमाणित किया है, भारत केयरस समूह के साथ मिलकर बातचीत मे अधिक आक्रामक रूख अपना सकता है। तब भारत दलील दे सकता है कि कुल समर्थन से मुक्त नीले और हरे बक्से की नीतियो को अनुशासित किया जाए। कुल समर्थन की सीमा भी निश्चित की जाए और न्यूनतम बाजार प्रवेश प्रतिबद्धता को कुल समर्थन के वास्तविक स्तर से जोडा जाए। यह दलील दी जा सकती है कि निर्यात सब्सिडी नियम अति सूक्ष्म स्तर जैसे आठ अक पर लागू किए जाने चाहिए और शुल्क दर कोटे निसिद्ध किए जाने चाहिए कृषि समझौते मे एक विशेष सरक्षण धारा है जिसका अभी भारत उपयोग नहीं कर रहा है क्योकि विशेष संरक्षण धारा का उपयोग शुल्कीकरण प्रक्रिया से जुडा है। शायद सफलता की बहुत आशा के बिना यह दलील दी जा सकती है कि विशेष सरक्षण धारा रद्द

कर दी जानी चाहिए। इस धारा में कहा गया है कि अतिरिक्त सरक्षणों के लिए लगाया गया शुल्क उस समय लागू वास्तविक आयात शुल्क के एक तिहाई से अधिक नहीं होना चाहिए।

आंतरिक सुधार और कृषि नीति :-

वर्ष १९९१ के बाद से जो कुछ हुआ है उसके बावजूद विदेशी उदारीकरण के प्रति हमारी खंडित मन स्थिति का एक कारण कृषि में आंतरिक सुधारों का अभाव रहा है। कृषि विकास और गरीबी खासकर ग्रामीण गरीबों के बीच संबंध काफी स्पष्ट है। कृषि उत्पादकता का कम स्तर और हरित क्रांति की भौगोलिक और अन्य सीमाएँ भी काफी स्पष्ट हैं। विदेशी उदारीकरण हद से हद एक आवश्यक शर्त हो सकता है, जो अपने में पर्याप्त नहीं है। भारत की आंतरिक कृषि को सुधारने के लिए जिस बात की आवश्यकता है, उसकी जानकारी तो कुछ समय से प्राप्त है। समस्या यह है कि बहुत ही कम सुधारों को वास्तव में लागू किया जा रहा है। प्राथमिकता क्रम में न होते हुए भी एजेडा में निम्न विषय शामिल हैं⁴⁸

- कृषि उत्पादों की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगे अकुश हटा लिया जाए। इनमें से कई का प्रादुर्भाव आवश्यक सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत जारी आदेशों से हुआ है। मूल्यवर्धित कर की ओर बढ़ाया जाए क्योंकि स्थानीय कर भी अन्तर्राज्यीय आवाजाही में रूकावट डालते हैं।
- ग्रामीण ऋण व्यवस्था, ग्रामीण बीमा और विस्तार सेवाओं में नीजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति दी जाए। इससे एक वास्तविक फसल बीमा पद्धति शुरू होगी, न कि वर्तमान कथित फसल बीमा। इससे फलों और सब्जियों की बरबादी कम होगी और बिचौलिया खत्म होंगे जिससे वितरण की वर्तमान बेतहाशी लबी श्रृंखलाएँ कम हो जाएगी। बिचौलियों के न रहने से किसान को बेहतर मूल्य मिलेगा और उधर उपभोक्ता को भी ऊँचे दाम नहीं देने पड़ेंगे।
- बायदा व्यापार शुरू किया जाए।
- भूमि अधिकतम सीमा कानून से सशोधन किया जाए और ठेके पर खेतों की सुविधा हो।

⁴⁸ देबराय विवेक, राष्ट्रीय कृषि नीति और विश्व व्यापार सगठन, योजना जनवरी २००१, पृष्ठ संख्या १३ ।

- कृषि में सरकारी व्यय के कुशल प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। इसका मतलब है बीजों उर्वरकों, बिजली, पानी या ऋण पर निविष्ट सब्सिडियाँ खत्म कर दी जाएँ। प्रयोक्ताओं से समुचित शुल्कों की वसूली विकेंद्रीकरण और स्थानीय प्रयोक्ता सस्थाओं से सुनिश्चित कराई जा सकती है। अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन कर दिया जाए और उसके स्थान पर खाद्य स्टाम्प पद्धति लागू कर दी जाए या अगर सरकारी खरीद निजी क्षेत्र के लिए खोल दी जाए तो भारतीय खाद्य निगम के अकुशलता के कारण होने वाले खर्च में बचत हो सकती है। सब्सिडियाँ समुचित लक्ष्यों के लिए निर्धारित कर उत्पादों के मूल्य भी बढ़ाए जा सकते हैं। कोई वजह नहीं कि लाड़ले शहरी-माध्यम वर्ग को सब्सिडी युक्त वस्तुएँ दी जाए। इससे उपलब्ध ससाधन ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अक्सर यह निजी क्षेत्र के व्यय में वृद्धि का आवश्यक उत्प्रेरक बन जाता है।

विकेंद्रीकरण ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को बनाए रखने में भी सहायक होता है। कभी-कभी ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को बनाए रखना बुनियादी ढाँचे को बनाने से अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है लेकिन अक्सर इस तथ्य को अनदेखी कर दी जाती है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि रूढ़ीवाद और आलस्य में डूबी कृषि तथा गतिशील उद्योग के बीच का परंपरागत विभाजन जरूरी नहीं है सही हो। यह विभाजन विकृत नीतियों का परिणाम है जनसंख्या के दो तिहाई हिस्से के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पर लगे होने के कारण कृषि सुधारों का होना आवश्यक है। तभी सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर बढ़ेगी, गरीबी कम होगी और रोजगार के नए अवसर जुटाए जा सकेंगे। इसके लिए मानसिकता को बदलना होगा। जरूरी नहीं कि हम उतना ही करें जितना विश्व व्यापार संगठन हम से करवाना चाहता है, वह तो न्यूनतम प्रतिबद्धता है। विश्व व्यापार संगठन हमसे जितना चाहता है, हमें उससे कहीं अधिक कर दिखाना है।

कृषि और ग्रामीण विकास :-

हमारा मानना है कि गरीबी दूर करने, आमदनी और रोजगार के अवसर बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा और उद्योग तथा सेवाओं के लिए घरेलू बाजार को बनाए रखने के लिए कृषि पर ध्यान देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की विकास की रफ्तार तेज करने के लिए पिछले कुछ बजटों में कई प्रयास किए गए हैं।

2000-01 बजट कृषि के लिए ऋण सुविधा में बढ़ोत्तरी

ऐसा अनुमान है कि वाणिज्यिक बैंको, सहकारी बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको जैसे सस्थागत माध्यमों से कृषि के लिए ऋण सुविधा इस वर्ष के ४१,८०० करोड़ रुपये से बढ़कर २०००-०१ में ५१,५०० करोड़ रुपये हो जाएगी।

ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि आर० आई० डी० एफ० VI में बढ़ोत्तरी

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा संचालित ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि गाँवों में बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए एक लोकप्रिय और कारगर योजना के रूप में उभर कर सामने आयी है। १९९०-२००० में आर० आई० डी० एफ - V के लिए ३५०० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और ऋण की अदायगी की मियाद बढ़ाकर सात साल कर दी गई। इस साल आर० आई० डी० एफ० VI की निधि बढ़ाकर ४५०० करोड़ कर दी जाएगी और ऋण राशि पर वसूल किए जाने वाले ब्याज की दर आधा प्रतिशत कम कर दी जाएगी।⁴⁹

गरीबी कम करने के लिए छोटे-छोटे ऋणों पर जोर

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/लघु उद्योग विकास बैंक २०००-०१ में एक लाख स्व-सहायता समूहों की सहायता करेंगे। ये समूह इस साल नाबार्ड से सहायता प्राप्त करने वाले ५० हजार स्व-सहायता समूहों के अलावा होंगे।

⁴⁹ सिन्हा यशवन्त (भारत सरकार वित्त मंत्री) कृषि और ग्रामीण विकास, रोजगार समाचार खण्ड २५, अंक ४३, पृष्ठ ३२ नई दिल्ली, २०-२६ जनवरी २००१ ।

कृषि के विकास में समन्वय और विकेन्द्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास

योजना आयोग और कृषि मंत्रालय ने कृषि के विकास केन्द्र द्वारा प्रायोजित २८ चालू कार्यक्रमों को एक विस्तृत समन्वित कार्यक्रम का रूप देने के तौर-तरीके तय कर लिए हैं। इससे दोहरावट कम होगी, सहायक कार्यक्रमों की उत्पादकता बढ़ेगी और राज्य सरकारों को क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर गतिविधियों की रूप रेखा तैयार करने तथा उनके कार्यन्वयन में और अधिक आसानी होगी।

भूमि उपयोग की नीति के बारे में राष्ट्रीय आयोग का गठन

जमीन के इस्तेमाल के विभिन्न पहलुओं, जैसे वन संपदा के संरक्षण और विकास, बजर भूमि के अधिकतम उपयोग, वाटरशेड के विकास और जैव-विविधता की संरक्षण के लिए भूमि उपयोग की नीति के बारे में राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। आयोग सरकार को अपनी सिफारिशें देगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष योजना

पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि और बागवानी के विकास की क्षमता का उपयोग करने के लिए छोटी-छोटी सिंचाई ८ परियोजनाओं और बागवानी के विकास की योजनाओं का बढ़ावा दिया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के विकास के लिए एक टेक्नोलॉजी मिशन भी शुरू किया जाएगा।

संवेदनशील कृषि उत्पादों का शुल्क समायोजन

गेहूँ, चावल, चीनी और खाद्य तेलों जैसे महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के मामले में आपूर्ति प्रबंधन के हमारे अनुभव ने समय-समय पर शुल्क समायोजन की आवश्यकता रेखांकित कर दी है। सरकार ने उच्च स्तर पर वैधानिक शुल्क दरें तय करने के लिए आवश्यक प्रावधान किए हैं। इसमें दरें तय करने में लचीलापन आ जाता है।

1998-99 बजट⁵⁰

कृषि उत्पादकता को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए बारानी खेती वाले इलाकों के वाटरशेड आधार पर विकास को प्राथमिकता विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से चलाए जा रहे वाटरशेड विकास कार्यक्रमों का समन्वय करना। इस मद के लिए योजना खर्च बढ़ाकर ६७७ करोड़⁵¹ रूपये किया गया। सबधित सिंचाई कार्यक्रम के खर्च में ५८ प्रतिशत की बढ़ोतरी, ग्रामीण आधारयुक्त सरचना निधि आर० आई० डी० एफ० IV के लिए ३००० करोड़ रूपए का आवंटन, नाबार्ड की शेयर पूँजी में ५०० करोड़ की बढ़ोतरी, इसमें से १०० करोड़ रूपये सरकार बजट में से देगी और बाकी राशि भारतीय रिजर्व बैंक उपलब्ध कराएगा। नाबार्ड स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने की योजना का दायरा बढ़ाएगा। माइक्रो क्रेडिट यानी बहुत छोटे उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने की योजना के तहत अगले पाँच वर्षों में २ लाख स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ४० लाख परिवारों को इसके दायरे में लाकर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस वर्ष १० हजार स्व-सहायता समूहों के माध्यम से २ लाख परिवारों को सहायता देने का प्रस्ताव है। ग्रामीण बैंकों के पुनर्वितीयकरण और पुनर्वास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए २६५ करोड़ रूपये की व्यवस्था, किसानों को उनकी जमीन के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की आदर्श योजना तैयार करने के लिए नाबार्ड से कहा गया ताकि किसान ऋण लेकर बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसी खेती में काम आनेवाली चीजें आसानी से खरीद सकें। सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय कृषि नीति के बारे में एक दस्तावेज जारी किया है जिसमें कृषि उत्पादों के उत्पादन, वितरण और लाने ले जाने सबधी नियमों और कानूनों से उत्पन्न किसानों की समस्याओं का समाधान सुझाया गया है। सहकारी क्षेत्र में नयी जान फूँकने के लिए सरकार शीघ्र ही एक आदर्श सहकारिता कानून बनाएगी जो १९८४ के अलग-अलग राज्यों के सहकारी समिति अधिनियमों का स्थान लेगा। सरकार खाद्य तेलों और खाली कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव को कम करने तथा अच्छा व्यापारिक माहौल बनाने के लिए इन वस्तुओं का वायदा कारोबार शुरू करेगी। सबधित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए आवंटन १३०२ करोड़ रूपये से बढ़ाकर १६२७ करोड़ रूपये किया गया। वाटरशेड विकास कार्यक्रमों पर विशेष जोर

⁵⁰ १९९८-९९ बजट ।

⁵¹ १९९८-९९ बजट ।


और समुदाय आधारित जल आपूर्ति कार्यक्रमों को सस्थागत रूप देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन। इन कार्यक्रमों में लाभार्थियों को ग्रामोण जल आपूर्ति परियोजनाओं के स्वामित्व, संचालन और रखरखाव के काम में सक्रिय रूप से भागीदार बनाने की व्यवस्था है। स्व-रोजगार कार्यक्रमों और दिहाड़ी वाली रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले तमाम कार्यक्रमों की समेकित करने का प्रस्ताव है⁵²

कृषि और संबंधित गतिविधियों में केन्द्र सरकार का खर्च

तालिका-1-12

(योजना और गैर-योजना खर्च)

अवधि	वर्ष	योजना	गैर-योजना	कुल	प्रतिशत
1	1992-93	1897	442	2339	13.3
	1993-94	2005	527	2532	8.3
	1994-95	2552	504	3056	20.7
	1995-96	2374	529	2904	5
2	1996-97	2352	477	2829	2.6
	1997-98	2262	539	2801	1
3	1998-99	2620	627	3247	15.9
	1999-2000	2931	1260	4191	29.1 (सशोधित अनुमान)
	2000-2001	3512	1169	4681	11.7 (बजट अनुमान)



⁵² १९९८-९९ बजट ।

विकास की रणनीति :-

वित्त मंत्री की रणनीति कृषि एवं खाद्यान्न अर्थव्यवस्था में सुधार लाना और बुनियादी ढाँचे में सार्वजनिक एवं निजी निवेश बढ़ाकर विकास दर में वृद्धि लाना है इसी के साथ वे वित्तीय क्षेत्र और स्टॉक मार्केट को सुदृढ़ बनाना और कमजोर वर्गों को सुरक्षा कवच प्रदान करना भी आवश्यक समझते हैं।

पिछले वर्ष की भाँति इस वर्ष भी वित्त मंत्री के बजट का केन्द्र बिन्दु कृषि और ग्रामीण विकास है। वे कृषि उपज में विविधता लाकर और कृषि उत्पादों को शीत भंडारों में सुरक्षित रखने की व्यवस्था करके या उनका ससाधन करके इस क्षेत्र में तीसरी क्रांति लाना चाहते हैं। कृषि क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएँ हैं। देश की ७० प्रतिशत जनता अभी भी कृषि से जुड़ी है।⁵³ कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाकर परम्परागत गेहूँ और चावल के स्थान पर तिलहन, दालों, फलों, फूलों और सब्जियों आदि का उत्पादन शुरू करके उनकी भंडारण और रक्षण की समुचित व्यवस्था करके कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का रूपान्तरण किया जा सकता है। इससे एक ओर मॉंग और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और दूसरी ओर विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के हजारों अवसर बढ़ेंगे और गाँवों से लोगों का शहरों की ओर पलायन रुकेगा।⁵⁴

पिछले वर्ष वित्त मंत्री ने शीत भंडारों के निर्माण के लिए ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत २१ लाख टन क्षमता के शीत भंडारों के निर्माण की मजूरी दी जा चुकी है। जबकि लक्ष्य मात्र १२ लाख शीत भंडार बनाने का था।⁵⁵ पिछले वर्ष गाँवों में गोदाम बनाने की एक योजना भी शुरू की गई थी। सरकार को आशा है कि कृषि जिनसों की आवाजाही पर और अन्य नियंत्रण के समाप्त होने से इस क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने इस वर्ष भी सब्सिडी से जुड़ी इस योजना के लिए ७० करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।⁵⁶

⁵³ भारत में आर्थिक सर्वेक्षण २००१-२००२ ।

⁵⁴ भारत में आर्थिक सर्वेक्षण २००१-२००२ ।

⁵⁵ भारत में आर्थिक सर्वेक्षण २००१-२००२ ।

⁵⁶ भारत में आर्थिक सर्वेक्षण २००१-२००२ ।

ग्रामीण क्षेत्रों की उत्पादक गतिविधियों के लिए पिछले वर्ष वित्त मंत्री ने ६४,००० करोड़ ₹ के सस्थागत ऋण की व्यवस्था की थी। इस वर्ष उन्होंने इस राशि को बढ़ाकर ७५,००० करोड़ ₹ कर दिया है।⁵⁷ सरकार ने कृषि अनुसंधान की राशि में ९१ करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में कृषि निर्यात क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक १५ ऐसे क्षेत्रों की स्थापना को मजूरी दी जा चुकी है।⁵⁸

वर्ष २००१-२००२ में ५.४ प्रतिशत की जो कुल वृद्धि दर प्राप्त हुई है उसमें कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में हुई ५.७ प्रतिशत की वृद्धि दर, उद्योगों में ३.३ प्रतिशत की वृद्धि दर तथा सेवा क्षेत्र में ६.५ प्रतिशत की वृद्धि दर का योगदान है।⁵⁹ सामान्य मानसून और उचित समय पर लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा के परिणामस्वरूप वर्ष २००१-०२ में कृषि उत्पादन की संभावनाएँ उज्ज्वल मानी गईं। वर्ष २००१-०२ में कृषि पैदावार लगभग ७ प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। अनाज का उत्पादन बढ़कर २० करोड़ ९० लाख टन होने की संभावना है जबकि वर्ष २०००-०१ में यह १९ करोड़ ६० लाख टन था।⁶⁰ तिलहन उत्पादन में गिरावट भी रूक जाने की संभावना है।

२००२-०३ के बजट में कृषि अनुसंधान के लिए आवंटित धनराशि को ६८४ करोड़ ₹ से बढ़ाकर ७७५ करोड़ ₹ कर दिया गया है।⁶¹ अनुसंधान तथा प्रसार के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा जिससे कि गुणवत्ता तथा प्रभावोत्पादकता में सुधार हो। “कृषि विज्ञान केन्द्रों” के माध्यम से प्रसार तंत्र को और अधिक विस्तृत या पुनर्जीवित किया जायेगा। इसमें गैर - सरकारी सगठनों, किसान सगठनों को आपरेटिव, तथा किसान सगठनों को भी मदद की जाएगी।

कृषि उत्पादों के लिए समुचित कीमत मिले इसके लिए आवश्यक है कि इनका अधिक से अधिक निर्यात हो जिसके लिए माहौल पैदा करना होगा। इस कार्य के लिए विभिन्न राज्यों में १५ कृषि निर्यात

⁵⁷ बजट २००१-२००२ ।

⁵⁸ बजट २००१-२००२ ।

⁵⁹ बजट २००१-२००२ ।

⁶⁰ बजट २००१-२००२ ।

⁶¹ बजट २००१-२००२ ।

जोनो की स्थापना की गयी है।⁶² कृषि निर्यात जोन आधारभूत ढाँचे के विकास को प्रोत्साहित करेंगे तथा इसके अलावा इन जोनो मे स्थापित इकाईयो को साख भी उपलब्ध करायेगे।


नौवी पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के अनुसार इस अवधि मे श्रम शक्ति मे वृद्धि सबसे अधिक रहने की सभावना है। सन् २००७ तक पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करना कोई युक्ति सगत कार्य नहीं है, बशर्ते वृद्धि दर मे तेजी लाने के लिए अनुकूल हालात पैदा किए जाते रहे और विभिन्न क्षेत्रो की श्रमिको को खजाने की क्षमता मे कमी न आए। अनुमान है कि सन् २००७ तक पूर्ण रोजगार इस बात पर निर्भर है कि नौवी योजना के बाद की अवधि मे रोजगार मे बढ़ोत्तरी २.८ प्रतिशत की दर रहे जबकि १९७८-९४ मे २ ३७ प्रतिशत की सर्वोच्च वृद्धि दर हासिल की गई थी और नौवी योजना मे २ ४४ प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। इसके लिए नौवी योजना के बाद के वर्षो मे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ७ ७ प्रतिशत वार्षिक रखनी होगी। नौवी योजना मे श्रम शक्ति और रोजगार के अवसर सबधी अनुमानो से इस योजना-अवधि के दौरान आठवीं योजना के मुकाबले बेराजगार की औसत दर मे गिरावट आएगी।

तालिका-1-13

आठवीं और नौवी योजना अवधि में श्रम शक्ति और रोजगार

	आठवी योजना (1992-97)	नौवी योजना (1997-2002)
श्रम शक्ति	3742	4234
रोजगार	3672	4164
बेरोजगारी	70	70
बेराजगारी (प्रतिशत)	(1.87)	(1.66)

स्रोत योजना आयोग ।



नोट :-

- श्रम शक्ति और रोजगार सबधी अनुमान सामान्य स्थिति सबधी अवधारणा पर आधारित है और १५ वर्ष इससे ऊपर के लिए है।
- श्रम-शक्ति, रोजगार, बेरोजगारी योजनावधि के दौरान वार्षिक औसत पर आधारित है।
- कोष्ठक मे दिए गए आँकडे ठीक पहले की अवधि मे चक्रवृद्धि विकास दरे है।
- देश के करोडो श्रमिको के सरक्षण के लिए सरकार के दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग गठित करने का फैसला किया है।

द्वितीय अध्याय

भारत में कृषि विपणन की व्यवस्था एवं समस्याएँ

प्राचीन काल से ही भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। मसाले, जड़ी-बूटियों तथा कपास और इसके रेशे से बने सूती वस्त्रों के अतिरिक्त गन्ने से बनी सफेद शक्कर के निर्यात का सिलसिला बहुत पुराना है। भरण-पोषण हेतु उपयोग के बाद बचे कृषि उत्पादों का व्यापार प्राचीन भारत में भी किया जाता था। पतजलि के महाभाष्य तथा जातक के अतिरिक्त अनेक प्राचीन ग्रन्थों में कृषि वाणिज्य का उल्लेख मिलता है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि में उत्पादन बढ़ने तथा अब कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन के कारण भारतीय कृषि में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के जो नए स्रोत सामने आए हैं उसमें कृषि विपणन तथा मंडी नियमन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।¹

विपणन आर्थिक गतिविधियों का मूल आधार है। वस्तुओं का उत्पादन चाहे जितना कर लिया जाए, किन्तु जब तक उनके विपणन की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तब तक आर्थिक विकास की सम्भावनाएँ अत्यन्त धीमी होंगी। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के अनेक कारण रहे हैं परन्तु यह भी सत्य है कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण पर्याप्त कृषि विपणन के सुविधाओं का अभाव रहा है। किसानों की आर्थिक दशा में तब तक सुधार संभव नहीं है जब तक की उन्हें उनकी उपज का सही मूल्य नहीं प्राप्त हो जाता है। कृषि उपजों के विपणन में एकत्रीकरण, यातायात, संग्रहण, श्रेणीकरण, प्रमाणीकरण, वित्त व्यवस्था, जोखिम व बिक्री आदि विभिन्न क्रियाएँ समाविष्ट हैं।

¹ विश्वनोई हरि 'भारत में कृषि विपणन व्यवस्था एवं सुझाव, पृष्ठ संख्या ८८५, प्रतियोगिता दर्पण आगरा, नवम्बर १९६७।

कृषि एक लघु पैमाने का व्यवसाय है अतः इसका उत्पादन पुरे देश में यत्र-तत्र बिखरा हुआ होता है। अतः देश भर में बिखरे हुए कृषि पदार्थों का एकत्रीकरण अत्यन्त जटिल क्रिया होती है। कृषि उपजों की मौसमी प्रकृति उनके विपणन की कठिनाईयों में वृद्धि कर देती है। अधिकांश कृषि फसले वर्ष में थोड़े समयों में पक जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप उनकी बिक्री, संग्रहण, यातायात तथा वित्तीय कार्यों के लिए शीर्ष भार वहन करना पड़ता है, क्योंकि जो अधिक बिकाऊ कृषि पदार्थ हैं उन्हें महीनों सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है, जिनका वर्ष भर उपयोग किया जाता है। कच्चे मालों के रूप में प्रयुक्त होने वाले कृषि पदार्थों के विषय में यह बात पूर्णतया सत्य है क्योंकि निर्माणकर्ता कुछ प्रमाणित पदार्थों की ही मांग करते हैं।

कृषि उपजों के विपणन में एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या यह होती है कि ये अधिक जगह घेरने वाली होती हैं अर्थात् मूल्य की तुलना में इनकी भार व मात्रा विशाल होती है अर्थात् मूल्य की तुलना में इनकी भार व मात्रा विशाल होती है और उनमें से अधिकांश विनष्ट होने वाली होती है, जिससे परिवहन और संग्रहण की लागत बढ़ जाती है, इसके अतिरिक्त अभी हमारे देश में अधिकांश किसान अशिक्षित एवं गँवार हैं जो विपणन पद्धतियों एवं बाजार की दशाओं से पूर्णतया अनभिज्ञ हैं तथा उन्हें विभिन्न मण्डियों के प्रचलित मूल्यों की जानकारी नहीं रहती है। उपभोक्ताओं को किस किस प्रकार के कृषि पदार्थों की आवश्यकता है इसकी भी जानकारी किसानों को नहीं रहती है। वित्तीय संकट के कारण किसान उत्पादन होते ही कृषि उपज गाँव के व्यापारी, साहूकार, महाजन आदि के हाथों बेच देते हैं, जहाँ उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। इस प्रकार हमारे देश में किसानों को अपनी उपज की उचित समय उचित स्थान और उचित मूल्य पर बिक्री करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।² इसके अतिरिक्त अब कृषि का व्यापारीकरण हो रहा है, जिससे कृषि पदार्थ अधिक मात्रा में देश-विदेश के कोन-कोने में पहुँचने लगे हैं, जिसके परिणाम-स्वरूप कृषि विपणन में मध्यस्थों की संख्या बढ़ी है, जिससे कृषि विपणन की समस्याएँ और अधिक जटिल हो गई हैं। व्यापारी वर्ग से तथा मध्यस्थों से किसानों एवं उपभोक्ताओं का शोषण बढ़ने लगा है। अतएव उत्पादक

² सिंह कुमार अशोक, भारत में कृषि विपणन पृष्ठ संख्या १२, विजय प्रकाशन मन्दिर सुडिया वाराणसी।

³ वही पृष्ठ संख्या - १३।

एव उपभोक्ताओं दोनों के हित के लिए कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार किया जाना आवश्यक हो गया है। चूंकि हमारे देश में उत्पादन का ढाँचा, संगठन प्रणाली, वितरण पद्धति, वित्तीय साधन, विनिमय तथा विपणन प्रक्रियाएँ पूर्णतया अविकसित एवं अवैज्ञानिक हैं।

अतः कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन में प्रगति के लक्ष्यों को पूरा करना जितना आवश्यक है उसमें कहीं अधिक विपणन प्रक्रिया को समुन्त करने पर बल देना आवश्यक है।

प्राचीन भारत में विपणन व्यवस्था :-

भारतीय कृषि में विपणन व्यवस्था का विकास वस्तु विनिमय प्रथा के बाद मुद्रा का प्रादुर्भाव हो जाने पर तेजी के साथ हुआ और बाजार बड़े। **कौटिल्य के अर्थशास्त्र** और चरक संहिता से लेकर वर्तमान के शोध ग्रन्थों तक में ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि सदियों पूर्व भी हमारे देश में विभिन्न कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए मंडी, हाट-बाजार, माप तौल के लिए बाट और नापने के लिए पात्र निश्चित थे।⁴ प्रमुख कृषि उत्पादों का मूल्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होता था। कृषि उत्पादों के व्यापार पर कर लगाया जाता था तथा खाद्य वस्तुओं के कम तौलने या चोर बाजारी करने वालों के लिए दण्ड दिया जाता था। भारत के गर्म मसाले, चन्दन, घी, मलमल और मिश्री जैसी चीजें विश्वविख्यात थीं, दूर-दूर तक निर्यात की जाती थीं।

देश के अधिकांश भागों में कच्ची सड़कों के होते हुए खेतों से कृषि उत्पादों को बाजारों तक ले जाने के लिए परिवहन का माध्यम हमारे देश में मात्र एक बैलगाड़ी थी, और अनाज को भण्डार करने के लिए कोठी, कुठले और कोठारों का उपयोग होता था, जिसे मिट्टी से बनाया जाता था। फिर भी व्यापारियों की साठ गाठ, ठगी और लूट-पाट तथा असंगठित एवं अनियमित मंडियों में कृषि उत्पादों की बिक्री करने में बहुत जोखिम बना रहता था, इसलिए घाटा होने की सम्भावना अधिक रहती थी। कौटिल्य ने तो कर चोरी को नियंत्रित करने के लिए ऐसा विधान बनाया था कि खेत बाग और उत्पादन के स्थान पर कृषि उपज को बेचना प्रतिबन्धित था। अतः विवश होकर उत्पादकों को अपनी उपज बेचने के लिए मण्डी तक आना ही पड़ता था।

⁴ विश्वनोई हरि भारत में कृषि विपणन व्यवस्था एवं सुझाव, पृष्ठ संख्या ८८५, प्रतियोगिता दर्पण आगरा, नवम्बर १९६७।

कम कृषि उत्पादन, कम जनसंख्या और उसकी सीमित आवश्यकताओं के कारण उस समय कृषि विपणन से सम्बन्धित समस्याएँ कम थीं और वर्तमान समस्याएँ से अलग थीं। सीमित क्रय क्षमता थी और परिवहन तथा भण्डारण के अभाव में उत्पाद वस्तुएँ जल्दी खराब हो जाती थीं। विधिवत श्रेणीकरण का हमेशा अभाव था। कानून तो थे लेकिन फिर भी स्थिति काफी खराब थी।

स्वतंत्रता-पूर्व कृषि विपणन सुधारार्थ प्रयास ⁵

सन् १९२८	शाही कृषि आयोग की स्थापना
सन् १९३०	हैदराबाद एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक्ट पारित
सन् १९३५	सेन्ट्रल प्राविन्स काटन मार्केटिंग एक्ट पारित
सन् १९३७	कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हाकन अधिनियम पारित
सन् १९३८	इंडियन सेन्ट्रल कॉटन कमेटी गठित।
सन् १९३९	पंजाब राज्य कृषि एक्ट पारित।

आजादी प्राप्त होने के बाद से नव-जागरण काल शुरू हुआ और स्थिति में धिरे-धिरे सुधार हुआ क्योंकि स्वदेशी सरकार को अपने देशवासी किसानों के प्रति सच्ची सहानुभूति थी। अंग्रेजों ने आजादी से पहले किसानों और कारीगरों को शोषण किया था, इसलिए कृषि विपणन को भी उन्होंने अपने हितों का पोषक बनाया, अतः स्वतंत्रता प्राप्त होने से पूर्व एक समय वह भी था जब भारतीय कृषक अपना खून पसीना बहाकर फसल उगाते थे और जब बेचने के लिए उसे लेकर पहुँचते थे तो वहाँ दलालों और कच्चे तथा पक्के आढतियों के चंगुल में फँसकर अपने सारे अनाजों को सस्ते दाम में बेचकर घर पहुँचते थे। किसानों को उनके परिश्रम का उचित मेहनताना नहीं मिलता था, क्योंकि आढतिए, करदा, धर्मादा, गौशाला, प्याऊ आदि के नाम पर बेवजह काफी पैसा कटौती के नाम पर खुद हड़प जाते थे। इसी कारण काफी दिनों तक भारतीय किसान कर्ज गरीबी और महाजनो के चंगुल में फँसे रहे। पुरानी मंडियों में व्यापारी सौँठ-गाँठ करके नीलामी करते थे और मनमाने दामों पर कृषि उपज को खरीद लेते थे। उनी चालबाजी अनपढ़ किसानों की समझ में नहीं आती थी,

⁵ विश्वनोई हरि भारत में कृषि विपणन व्यवस्था एवं सुझाव, पृष्ठ संख्या ८८६, प्रतियोगिता दर्पण आगरा, नवम्बर १९६७।

लेकिन आजादी मिलने के बाद देश में जब नियोजन काल प्रारम्भ हुआ तो सरकार का ध्यान इस ओर गया और कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार का नया दौर प्रारम्भ हुआ और किसानों को राहत मिली ।

क्रमिक विकास:-

कृषि विपणन के अन्तर्गत सभी वस्तु विनिमय तथा क्रय-विक्रय की क्रियाएँ शामिल होती हैं। हमारे कृषि प्रधान देश की तरक्की एवं खुशहाली के लिए कृषि विपणन व्यवस्था का बेहतर होना अति आवश्यक है। अतः सर्वप्रथम आजादी से पहले सन् १९३५ में कृषि विपणन सलाहकार का कार्यालय खोला गया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति होने के बाद से इस संगठन का विस्तार और तेजी के साथ हुआ तथा बाद में उसका नाम बदलकर विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कर दिया गया जो अब कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत काम कर रहा है। इसका मुख्यालय फरीदाबाद (हरियाणा) में तथा प्रधान शाखा कार्यालय नागपुर में है। यह निदेशालय कृषि बागवानी, पशुधन, डेयरी तथा वनोत्पादों के लिए उपयुक्त गुणवत्ता परिभाषाओं एवं श्रेणी के आधार १५१ कृषि वस्तुओं पर मानकों का निर्धारण करता है जिसे एग्रीकल्चरल मार्किंग “कृषि चिन्ह” अर्थात् “एगमार्क” कहा जाता है।

विपणन निदेशालय की प्रमुख गतिविधियाँ निम्नवत् हैं।

- ❖ श्रेणीकरण एवं कोटि नियंत्रण।
- ❖ मण्डियों का विनियमन, विकास अनुसंधान, सर्वेक्षण और आयोजना।
- ❖ शीतागार तथा मासोत्पाद आदेश लागू करना।
- ❖ कार्मिक प्रशिक्षण तथा विपणन विस्तार एवं प्रचार प्रकाशन।
- ❖ राज्यों हेतु मंडी नियमन में मार्गदर्शन एवं परामर्श।
- ❖ मण्डी विकास हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता।
- ❖ व्यापारियों का एकधिकार तथा बिचौलियों की भूमिका समाप्त करना।

⁶ विश्नोई हरि भारत में कृषि विपणन व्यवस्था एवं सुझाव, पृष्ठ संख्या ८८६, प्रतियोगिता दर्पण आगरा, नवम्बर १९६७।

- ❖ एगमार्क प्रयोगशालाओं का संचालन।
- ❖ निर्यात कोटि नियंत्रण।
- ❖ मण्डियों का नियोजन एवं डिजाइन।

मण्डियों में कृषि उत्पादों के क्रय विक्रय से सम्बन्धित समुची कार्य प्रणाली को अब नियमबद्ध किया गया है। उसी को मण्डी विनियमन कहते हैं। इसके अन्तर्गत कृषि उपज को छानने, साफ करने एवं उसका वर्गीकरण (ग्रेडिंग) करने के बाद विक्रेता की पूर्ण सहमति से नीलामी क्रिया द्वारा सौदा तय कराया जाता है। कृषि उपज की सही-सही माप-तौल मीट्रिक प्रणाली से होती है तथा कुल मूल्य का नकद भुगतान कृषकों को तुरन्त कराया जाता है। अब सभी परंपरागत कटौतियों के अवैधानिक घोषित किया जा चुका है यह व्यवस्था उन सभी मंडी क्षेत्र में है जहाँ स्थानीय रूप से मंडी समितियों का गठन किया गया है। इस समितियों की गठन का उद्देश्य निम्नानुसार है।

- किसान एवं व्यापारियों में न्यायपूर्ण व्यवहार हो।
- नीलामी द्वारा कृषि उपज की बिक्री।
- सही माप तौल और तुरन्त पुरा भुगतान।
- बाजार भावों एवं अन्य जरूरी सूचनाओं का सग्रह तथा प्रचार।
- मण्डियों में आवश्यक सुविधाएँ।
- विवादास्पद मामलों में मध्यस्थता।

मण्डी समितियों को चलाने, नियंत्रण तथा मार्गदर्शन के लिए १९७२-७३ से राज्यों में मण्डी परिषदों को गठन किया गया⁷ इन परिषदों ने कृषकों के हित में खलिहान, दुर्घटना बीमा योजना समूह, जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, भण्डारण पात्रों पर अनुदान, ग्रामीण गोदाम निर्माण, सड़क और पुलिया निर्माण, ग्राम विकास योजना, पेय जल हेतु हैण्ड पम्प लगाने तथा खाण्डसारी इकाइयों हेतु एक मुश्त योजना आदि की शुरूआत की वर्तमान कृषि विपणन व्यवस्था का उद्देश्य है। कृषकों को शोषण से बचाना

⁷ विश्वनोई हरि भारत में कृषि विपणन व्यवस्था एवं सुझाव, पृष्ठ संख्या ८८६, प्रतियोगिता दर्पण आगरा, नवम्बर १९६७।

क्रेता-विक्रेता का मध्य सहयोग एव समन्वय का वातावरण बनाना तथा उपभोक्ता के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तथा श्रेणीकरण आदि को सुनिश्चित करना। यद्यपि मण्डियों का राज्य सरकारों का विषय है, लेकिन निरीक्षण एव विपणन निदेशालय इसमें मार्गदर्शन एव सलाह देने का काम करता है। वर्तमान समय में मण्डी विकास की दिशा में जो भी स्थल, निर्माण आदि के कार्य हुए हैं उनमें तेजी लाने का कार्य मुख्य रूप से इसी निदेशालय द्वारा किया गया है। इससे कृषकों को विपणन कार्य में काफी सहायता मिली है।

अब आमतौर पर रहमों पर किसानों के माल की बिक्री का समय बीत चुका है। फलस्वरूप अब किसानों को अच्छे दाम मिलने लगे हैं। समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद से तो और भी ज्यादा सहारा मिलता है। वर्ष १९९७-९८ की खरीफ की फसलों के लिए कृषि की विभिन्न फसलों की खरीफ एव रबी के समर्थन मूल्य (रु० प्रति कु०) भारत सरकार के कृषि लागत एव मूल्य आयोग निर्धारित कर दिए हैं।


सारणी 2-1.

कृषि की विभिन्न फसलों के लिए घोषित समर्थन मूल्य


फसल/वर्ष	१९९३-९४ (रु० प्रति कु०)	१९९४-९५ (रु० प्रति कु०)	१९९५-९६ (रु० प्रति कु०)	१९९६-९७ (रु० प्रति कु०)	१९९७-९८ (रु० प्रति कु०)
1. खरीफ फसलें					
सधारण धान	310	340	360	380	415
फाइन् धान	----	360	375	395	435
सुपर फाइन् धान	----	380	395	415	455
ज्वार/बाजरा/रागी	260	280	300	310	360
मक्का	265	290	310	320	----
अरहर/मूंग/उरद (अच्छी क्वालिटी)	700	760	800	840	900
मूंगफली (छिल्के वाली औसत दर्जे की)	800	860	900	920	980
सोयाबीन (पीले)	586	656	680	700	750
सोयाबीन (काले)	525	570	600	620	670
सूरजमुखी	850	900	930	960	----
तिल	----	----	850	870	----
राम तिल	----	----	700	720	----
कपास एफ - 414 } एफ - 777 }	900	1000	1070	1100	1330

उप - 4	900	1050	1270	1380	1530
2. रबी फसलें					
गेहू (औसत दर्जे का)	350	360	380	415	अभी घोषित नहीं
चना (औसत किस्म)	640	670	700	740	
जी	275	285	295	305	
रैपसीड व सरसों	810	830	860	890	
सूरजमुखी	760	780	800	830	
नारियल (अच्छे गुणवाले)	----	----	2725	----	
नारियल (औसत)	----	----	2500	----	

1. खरीफ फसलें



2. सबी फसलें



स्त्रोत :- प्रतियोगिता दर्पण दिसम्बर 1997.

इसके अतिरिक्त देश भर में अब तो प्रायः हर नगर में ऐसे नवीन मंडी स्थलों का निर्माण हो चुका है जहाँ किसानों की सुविधा के लिए डाकघर, बैंक पुलिस चौकी, शीतल छाया, भोजन, पीने का पानी, ठहरने की जगह, सुलभ परिवहन सुविधा और माल के सुरक्षित भण्डार के लिए आवश्यक गोदाम तथा टीन शेड आदि की व्यवस्था उपलब्ध रहती है। कृषि उत्पादन मण्डी समिति के कर्मचारी इस पूरी व्यवस्था का संचालन सुनिश्चित करते हैं इस प्रकार माल की खरीद एवं बेच में शोषण की प्रायः नग्न हो गई है।

भारत में कृषि उत्पादों का विपणन माँग एवं पूर्ति द्वारा प्रभावित रहता है। इस बाजार तंत्र का केन्द्र बिन्दु वास्तव में निजी क्षेत्र का खुला व्यापार है। सरकार का इसमें इतना ही योगदान रहता है कि वह उत्पादक एवं उपभोक्ता इन दोनों के हितों का संरक्षण करे और इसीलिए कृषि विपणन संगठित स्वरूप को प्रोत्साहित किया जाता है विभिन्न राज्य सरकारों ने इसके लिए अधिनियम और नियम बना रखे हैं ताकि कृषि मंडियों विनियमित किया जा सके। केन्द्र सरकार ग्रामीण गोदाम, मंडी विकास का बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। कृषि उत्पादों के मूल्य बिक्री और बाजार से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं को हल करने में कृषि मूल्य आयोग, भारतीय खाद्य निगम, रूई निगम, कपास निगम का योगदान महत्वपूर्ण रहता

है। इसके अतिरिक्त रबर, कॉफी, गर्म मसाले, नारियल, तिलहल तथा सब्जियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग बोर्ड के भी कार्य कर रहे हैं जो इसके उत्पादन के विपणन में मदद करते हैं तथा विक्रय विकास की योजनाएँ चलाते हैं। गन्ना, जूट, तम्बाकू, कपास, आदि के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत पृथक-पृथक निदेशालय हमारे देश में कार्यरत हैं।

मंडी अथवा बाजार मुख्य रूप से कृषि विपणन का आधार होता है। क्योंकि वहाँ पर किसान अपनी उपज को व्यापारी अथवा उपभोक्ताओं को बेचकर मूल्य का भुगतान करते हैं। इस लेन-देन में किसान अधिकतम मूल्य प्राप्त करना चाहता है। विपणन के लिए निर्धारित स्थान का भी अपना अलग महत्व होता है। सभी किसान एक जगह एकत्र होकर जब अपनी उपज को बेचते हैं तो उनके ठगे जाने अथवा उनके शोषण की सम्भावना बहुत कम हो जाती है। उन्हें पता रहता है कि अन्य किसान अपनी उपज को किस भाव में बेच रहे हैं और यही सजगता कृषि विपणन में कृषकों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करती है।

कृषि बाजारों का वर्गीकरण :-

भारत में कृषि बाजारों का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है।

1. प्राथमिक बाजार :- यह बाजार प्रायः नियत कालिक होता है और स्थानीय भाषा में इन्हे उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में हाट और पैठ, पश्चिमी बंगाल में हाट तथा दक्षिणी भारत में शौंडी कहते हैं। ये बाजार सप्ताह में एक या दो बार लगते हैं। इनमें कार्य दोपहर के बाद २ बजे से ५ बजे तक होता है⁸ इनमें अधिकतर उत्पादक स्वयं अपना माल लाकर उपभोक्ताओं को, आढतियों को या थोक व्यापारियों को बेचते हैं। ग्रामीण व्यापारी तथा फेरीवाले व्यापारी इन बाजारों में उत्पादकों से माल खरीदकर थोक व्यापारियों के पास पहुँचाते हैं। इन बाजारों को लगाने के लिए मुख्य भवन नहीं होता है, ये प्रायः खुले स्थानों में, पेड़ों के नीचे अथवा सड़क किनारे लगाये जाते हैं। कभी-कभी मिट्टी के चबूतरे बना लिये जाते हैं जिससे विक्रेताओं को धूल से बचाव हो सके। डॉ. तवाला कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में प्राथमिक बाजारों की संख्या २५००० बतायी गयी है। ऑल इंडिया क्रेडिट सर्वे कमेटी का यह मत है कि हमारे देश में किसान अपने विक्रय योग्य

⁸ गुप्ता ए० पी० मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इण्डिया, पृष्ठ संख्या १३ ।

⁹ भालेराव, एम०एम०, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी (१९७७) पृष्ठ संख्या ३९४ ।

अतिरिक्त का ७५ प्रतिशत भाग गाँव में ही इन प्राथमिक बाजारों में बेच देता है। इन बाजारों में थोक एवं फुटकर दोनों प्रकार की बिक्री होती है।¹⁰

2. थोक बाजार अथवा मण्डी :- प्राथमिक बाजारों के विपरीत ये बाजार दैनिक होते हैं और व्यावसायिक सौदों हेतु स्थायी स्थान प्रदान करते हैं। इन्हें मंडी या गज भी कहते हैं। इनमें कार्य प्रातः काल में प्रारम्भ होते हैं और देर रात तक चलता रहता है। कुछ बाजारों जैसे मथुरा, हाथरस, आदि में सौदों का निपटारा एवं भुगतान आधी रात के बाद तक भी चलता रहता है।¹¹ ये बाजार मुख्यतः जिला, शहरों, अन्य नगरों व महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्रों व रेलवे स्टेशनों के समीप होते हैं ताकि दूर-दूर से आसानी से माल आ सके और विभिन्न उपभोक्ताओं केन्द्रों पर माल भेजा जा सके। इन्हें द्वितीयक बाजार भी कहते हैं। इनमें अधिकांशतः कृषि पदार्थों की थोक बिक्री ही होती है तथा बड़े-बड़े थोक व्यापारी, आढ़तिया, दलाल आदि काम में लगे रहते हैं। प्राथमिक बाजारों, हाटों में किसान अपने कृषि पदार्थों की बिक्री तो करते ही हैं साथ ही साथ कुछ किसान अपने कृषि पदार्थों को इन मण्डियों में स्वयं ले जा कर बेचते हैं। दौतवाला कमेटी के अनुसार भारत में इस प्रकार की ३५०० थोक मण्डियाँ हैं।¹²

थोक मण्डियों को दो भागों में विभाजित किया गया है -

(१) अनियन्त्रित मण्डियाँ

(२) नियन्त्रित मण्डियाँ

1. अनियन्त्रित मण्डियाँ :- अनियन्त्रित मण्डियाँ किसी निश्चित नियम द्वारा संचालित नहीं होती हैं। इसमें बिक्री दलाल के माध्यम से होती है। सर्वप्रथम किसान अपनी उत्पादन मण्डी में ले जाकर आढ़तियों के यहाँ उतार देता है मण्डी के दलाल, आढ़तिया व खरीददार के बीच सौदा तय करते हैं। इन मण्डियों में किसानों से भाव के बारे में कोई स्वीकृति आदि नहीं ली जाती है। सौदा दलाल तथा थोक व्यापारियों के बीच

¹⁰ इण्डियन फूड एग्रीकल्चरल मीनी-दौतवाला रिपोर्ट ऑफ दि कमेटी ऑन कोऑपरेटिव मार्केटिंग १९६६, पृष्ठ संख्या ६७ ।

¹¹ गुप्ता ए०पी० मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इण्डिया, १९७५ पृष्ठ संख्या १७ ।

¹² इण्डियन फूड एग्रीकल्चरल मीनी दौतवाला रिपोर्ट ऑफ दि कमेटी आन कोऑपरेटिव मार्केटिंग, १९६६, पृष्ठ ६७।

होता है। दलाल आपसी लाभ को ध्यान में रखते हुए एक मूल्य निश्चित कर देता है। जिसे किसान लेने के लिए बाध्य होता है, यही नहीं मण्डी में कई प्रकार की धोखेबाजी की कार्यवाही की जाती है और विभिन्न प्रकार के खर्चे किसान से वसूल किये जाते हैं। इस प्रकार से इन मण्डियों में किसान का शोषण अनेक प्रकार से किया जाता है।

2. नियन्त्रित मण्डियाँ :- नियन्त्रित मण्डियाँ एक विशेष प्रकार की मण्डियाँ होती हैं। जो विशेष राजकीय अधिनियम द्वारा म्यूनिसिपल या डिस्ट्रीक्ट बोर्ड द्वारा विशेष नियमों पर नियन्त्रित होती हैं। इनमें सौदा करने, माल के उतारने, तौलने, संग्रह करने व कीमत को अदा करने के विशेष नियम होते हैं। विपणन के विभिन्न खर्चे पहले से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। इन विशेष विधानों द्वारा स्थापित मण्डियों का एक ही आशय है कि मण्डियों की कुरीतियों को दूर करके विपणन का एक स्वस्थ वातावरण उपस्थित किया जाए जिसमें किसी का शोषण न हो सके। देश में कई राज्यों ने इस प्रकार के विशेष अधिनियम पास किए हैं।

3. फुटकर मण्डी :- जहाँ क्रेताओं एवं विक्रेताओं द्वारा कृषि पदार्थों की फुटकर खरीद-बिक्री होती है उसे फुटकर मण्डी कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि फुटकर मण्डी वे मण्डियाँ होती हैं जो वास्तविक उपभोक्ता को उसकी आवश्यकता के अनुसार खरीदने का अवसर देती हैं यह मण्डियाँ पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर फैली हुई हैं। जैसे शहरों एवं कस्बों के बाजारों में स्थान-स्थान पर फुटकर दुकानदार पाये जाते हैं, जो कृषि वस्तुओं का विक्रय करते हैं। यही दुकानदार फुटकर मण्डी के अन्तर्गत आते हैं।

4. सीमान्त मण्डी :- इस प्रकार के बाजारों में एक देश या प्रदेश की कृषि वस्तुएँ एकत्रित करके दूसरे देश या प्रदेश में भेजी जाती हैं। ऐसे बाजार बड़े-बड़े शहरों या बन्दरगाहों में पाए जाते हैं जहाँ यातायात की विशेष सुविधा रहती है।¹³ उदाहरण स्वरूप कोलकाता की चाय तथा पटसन का सीमान्त बाजार कहते हैं। इन मण्डियों में स्थानीय थोक बाजारों से कृषि पदार्थों की, खरीद की जाती है। मण्डी में एकत्रित कृषि पदार्थों को या तो विदेश में निर्यात किया जाता है या तो उसे अपने देश के अन्दर ही वितरित किया जाता है, स्थानीय थोक बाजारों की भाँति सीमान्त बाजार भी विपणन सम्बन्धी कार्य करते हैं। परन्तु सीमान्त मण्डियों में बड़े पैमाने पर

¹³ इण्डियन फूड एग्रीकल्चरल मीनी डॉटवाला रिपोर्ट ऑफ दी कमेटी आन कोआपरेटिव मार्केटिंग, १९६६, पृष्ठ ९।

विपणन का कार्य होता है, तथा स्थानीय थोक बाजारों की अपेक्षा इसमें अधिक सुविधाएँ दी जाती हैं। वित्त का भी ये समुचित प्रबन्ध करती हैं। इन मण्डियों में संग्रह का भी अच्छा प्रबन्ध रहता है तथा इसमें स्थानीय थोक बाजारों से खरीदे गये कृषि उपजों का पुनर्वर्गीकरण किया जाता है। यहाँ विशेष तौर पर दो प्रकार के मध्यस्थों का अधिक महत्व होता है, जो थोक व्यापारी या थोक एजेंट कहे जाते हैं। इन मध्यस्थों के अतिरिक्त सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा अन्तर्राष्ट्रीय दलाल भी महत्वपूर्ण व्यापारी होते हैं। भारत में ऐसी मण्डियाँ बहुत कम हैं।

सहकारिता क्षेत्र :- सहकारिता के आधार पर कृषि विपणन का मुख्य उद्देश्य किसानों के शोषण को रोकना था। सहकारी विपणन ढाँचे के न होने से किसानों को अपनी उपजों की बिक्री कम मूल्यों पर करनी पड़ती थी। सहकारी आंदोलनों के विकास और व्यवस्थित सहकारी ढाँचे ने बिचौलियों और अन्य व्यक्तियों के द्वारा किसानों के शोषण को काफी सीमा तक रोक दिया है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने कृषि के सहकारी विपणन ढाँचे में सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए उत्सुक हैं¹⁴

सहकारी क्षेत्र में नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन महामंडल द्वारा समर्थन मूल्य पर चयनित कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री एवं आयात निर्यात से सम्बन्धित प्रमुख गतिविधियों का संचालन किया जाता है। भारतीय किसानों को सरकारी खरीद का लाभ देने में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका अग्रणी रहती है। गुजरात में अमूल डेयरी के विपणन संघ की उपलब्धियों देश भर में अग्रणी स्थान रखती हैं। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कृषि उत्पादन विपणन प्रक्रिया तथा भण्डारण से सम्बन्धित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से आर्थिक एवं तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन देता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ तथा अनुसूचित सहकारी विपणन महासंघ भी विशेष रूप से सम्बन्धित क्षेत्रों में कृषि विपणन की समस्याओं का समाधान करते हैं¹⁵

सहकारिता के आधार पर गुजरात में अमूल डेयरी की सफल विपणन व्यवस्था की भाँति मध्य प्रदेश में सोयाबीन और महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल बहुत बड़े पैमाने पर होती है। तीनों राज्यों

¹⁴ विश्वनोई हरि, भारत में कृषि विपणन व्यवस्था एवं सुझाव पृष्ठ संख्या ८८७, आगरा, नवम्बर १९९७ ।

¹⁵ विश्वनोई हरि, भारत में कृषि विपणन व्यवस्था एवं सुझाव पृष्ठ संख्या ८८८, आगरा, नवम्बर १९९७ ।

मे ही विपणन की व्यवस्था सहकारी क्षेत्र मे है, अर्थात् किसानो की अपनी व्यवस्था है जिसे उन्होने खुद मिल-जुलकर सहकारिता के आधार पर चला रखा है। मध्य प्रदेश मे राज्य तिलहन सहकारी सघ मर्यादित, महाराष्ट्र मे सहकारी चीनी मिले (समितियाँ) तथा उत्तर प्रदेश मे सहकारी गन्ना विकास समितियाँ क्रमश सोयाबीन और गन्ने का विपणन तथा मूल्य भुगतान की प्रक्रिया को पुरा करती है। यद्यपि गेहूँ की सर्वाधिक खरीद मे पजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश का स्थान देश भर मे अग्रणी रहता है। लेकिन कृषि विपणन जागृति मे गुजरात के कृषक सबसे आगे है। गुजरात के किसान राज्य के हर जिले मे अनाज मडियो के भाव पता करके अपनी फसल बेचते हैं, यह सुविधा उन्हे योजना आयोग के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। गुजरात के कृषक जागरूक हैं अतः लाभ उठाते हैं।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की शाखा प्रतिदिन हर जिले मे स्थित अपने सूचना केन्द्रो से जानकारी लेकर अनाज मडियो मे चल रहे भाव का परिपत्र जारी करती है। इससे किसानो को अपने जिले की मडी मे बैठे-बैठे यह जानकारी मिल जाती है कि किस जिले मे किस अनाज का क्या भण्डार है और उसके क्या भाव है। इस जानकारी के आधार पर कृषक अपनी फसल कब कहीं और किस भाव पर बेचे इसका फैसला करते हैं। सूचना हेतु कम्प्यूटरो के हर जिले मे फैले जाल से उपलब्ध इस सूचना तत्र का यह प्रत्यक्ष लाभ तो होता ही है कि किसान को अपनी फसल का सही दाम मिल जाता है। इसका एक लाभ यह भी देखा गया है कि कमी वाले क्षेत्रो मे अनाज व अन्य कृषि उत्पाद अब आसानी से पहुँच जाते हैं, यह संचार क्रान्ति का परिणाम है।

भारत में कृषि सहकारी विपणन व्यवस्था :- भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। देश की ७० प्रतिशत से भी अधिक जनसख्या कृषि एव सहायक उद्योग धन्धो पर आश्रित है अर्थात् देश की अधिकाश जनसख्या कृषि पर ही निर्भर है¹⁶ कृषि के विकास द्वारा ही देश की इस विशाल जनसख्या की समृद्धि सम्भव है। इन व्यक्तियो की आर्थिक समृद्धि कृषि उत्पाद एव उत्पादकता में वृद्धि उत्पन्न करने के प्रयासों तक ही सीमित नही है। अपितु सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो कृषक समुदाय को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्रदान करना

¹⁶ बड़थवाल वल्लभ विजय, भारत मे कृषि सहकारी विपणन व्यवस्था, समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ सख्या ९४५, प्रतियोगिता दर्पण फरवरी १९९९ ।

हैं। अर्थात् कृषि सामानों के विपणन की समुचित व्यवस्था के द्वारा ही कृषकों के जीवन यापन में सुधार लाया जा सकता है, तथा उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि करके उनके जीवन स्तर को अधिक उन्नत किया जा सकता है। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नियोजन काल में ही किसानों को उनकी उपज की उचित कीमतें दिलाने हेतु सहकारी विपणन व्यवस्था को सर्वोपरि स्थान दिया गया है ताकि उन्हें मध्यस्थों के शोषण से बचाया जा सके। कृषि जिनसे सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से बिक्री करके किसानों की उपज का उचित मूल्य उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। इस सन्दर्भ में शाही कृषि आयोग का यह कथन शत-प्रतिशत सही प्रतीत होता है कि “ हमारा आदर्श सहकारी विक्रय समितियाँ होनी चाहिए जो कि कृषक का उपज पैदा करने व उसे तैयार करने में शिक्षित करें तथा बाजार के लिए भी उपज की पर्याप्त मात्रा एकत्रित करें।”¹⁷

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कृषि उपजों के विपणन हेतु नियमित बाजारों एवं सहकारी विपणन समितियों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक दोष उनमें आज भी व्याप्त हैं। इनमें से कुछ प्रमुख दोष निम्न हैं -

- ❖ एक माधारण कृषक को अपनी उपज का विक्रय करने के लिए अनेक प्रकार के व्ययों का भार सहना पड़ता है, जो कि उनके शुद्ध प्रतिफल को और भी कम कर देता है।
- ❖ सामान्य कृषक अपनी उपज का भली प्रकार से श्रेणीकरण भी नहीं कर पाता है। फलतः श्रेष्ठ किस्म व निम्न किस्म का उत्पादन समान मूल्य पर ही बेच देना पड़ता है।
- ❖ कृषकों को उसकी उपज के मूल्य का तुरन्त भुगतान नहीं किया जाता है, बल्कि काफी विलम्ब से किया जाता है। अन्तिम भुगतान में लम्बा समय लगने के कारण वह पूँजी का तात्कालिक लाभ नहीं उठा पाता है तथा समय पर भुगतान किए जाने पर उसे व्यापारी वर्ग द्वारा उपज का उचित मूल्य नहीं दिया जाता है।

¹⁷ बड़थवाल वल्लभ विजय, भारत में कृषि सहकारी विपणन व्यवस्था, समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ संख्या ९४६, प्रतियोगिता दर्पण फरवरी १९९९ ।

- ❖ देश के कृषको के पास आज भी अपने उपज के लम्बे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उचित भाण्डारण सुविधा का अभाव है फलत मौसम के बाद जब उनकी उपज के मूल्यों में वृद्धि होती है तो वे बड़ी हुए कीमतों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। साथ ही कृषि उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में सदेशवाहन के साधनों की समुचित व्यवस्था न होने के कारण भी कृषक समाज विपणन समाचारों से अवगत नहीं हो पाता परिणामत वे तात्कालिक व्यावसायिक अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों के निकट, नियमित बाजार पर्याप्त संख्या में नहीं हैं फलत ग्रामीण अपनी कृषि उपजों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते।
- ❖ भारतीय किमान पूर्णरूप से मॉनसून पर निर्भर है, जो कि अनिश्चित है। किसान को निरन्तर प्राकृतिक आपदाओं से जुझना पड़ता है। इनसे उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा उनकी ऋणग्रस्तता में निरन्तर वृद्धि होती जाती है। यही कारण है कि फसल तैयार होने के तुरन्त बाद ही वह उसे बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। उपज के मूल्य में वृद्धि होने का वह इन्तजार नहीं कर सकता।

उपर्युक्त के अतिरिक्त यातायात के साधनों की व्यवस्था न हो पाना मध्यस्थों के रूप में व्यापारिक वर्ग का वर्चस्व तथा बिक्री योग्य अतिरिक्त का अल्प होना भी कृषि विपणन की कुछ प्रमुख समस्याएँ हैं। इन समस्याओं के निराकरण से ही कृषको को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाया जा सकता है। कृषि उपजों के श्रेष्ठ विपणन से ही देश के ग्रामीण निर्धन कृषक समुदाय के जीवन स्तर में वृद्धि उत्पन्न की जा सकती है। इस दिशा में सहकारी विपणन व्यवस्था अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम में देश को लघु एवं सीमांत कृषक अपने उत्पादन के बिक्री के लिए स्वेच्छा से संगठित होकर अपने सामूहिक हितों को संरक्षित करते हैं।

सहकारी बिक्री के द्वारा कृषको की अनेक कठिनाइयाँ आसानी से दूर की जा सकती हैं। अलग-अलग कार्य करने की स्थिति में छोटे किसानों को माल लाने ले जाने में, उसके श्रेणीकरण और संग्रहण में, ठहरकर बिक्री करने में, मण्डी के व्यापारियों एवं दलालों का सामना करने एवं बाजार सम्बन्धी आवश्यक

सूचनाएँ समय पर प्राप्त करने आदि के सिलसिले में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों के फलस्वरूप किसानों को प्रति इकाई खर्च अधिक करना पड़ता है; जिससे लागत बढ़ जाती है और प्राप्ति कम होती है। सहकारी विपणन से इन समस्त कठिनाइयों को काफी सीमा तक दूर किया जा सकता है। सहकारी बिक्री के अन्तर्गत सदस्य किसानों को छोटी-छोटी उपजों को इकट्ठा करके संयुक्त रूप से बिक्री का प्रबन्ध किया जाता है। इसके फलस्वरूप एक ओर तो उपज के भण्डारण एवं परिवहन में बचत होगी तथा दूसरी ओर उपज को सीधे थोक व्यापारियों एवं खरीददारों के हाथ बेचने से बाजार के अनेक मध्यस्थों को हटाना सम्भव बन जाएगा। इस प्रकार उपज की कीमत का एक बड़ा भाग, जो पहले बीच के लोगों को चला जाता था, वह अब किसानों को मिलने लगेगा।

भारत में सहकारी कृषि विपणन के उद्देश्य¹⁸

भारत में सहकारी कृषि विपणन समितियाँ निम्नलिखित मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य कर रही हैं -

- ❖ कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना।
- ❖ कृषकों की सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करना, जिससे कि उन्हें उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।
- ❖ समिति के सदस्यों को उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना।
- ❖ किसानों के उत्पादन का श्रेणीकरण करना, जिससे कि उत्पादन की किस्म में सुधार हो सके और उनके प्रतिफल में भी वृद्धि हो सके।
- ❖ कृषकों के खेतों के निकट ही भण्डारण की सुविधा का विकास करना।
- ❖ कृषि जिनसों के मूल्यों में स्थयित्व लाना।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का विस्तार करना जिससे कि उपज को विक्रय केन्द्रों एवं उपभोक्ताओं तक सुगमता पूर्वक पहुँचाया जा सके।

¹⁸ बडध्वाल वल्लभ विजय, भारत में कृषि सहकारी विपणन व्यवस्था, समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ संख्या ९४७, प्रतियोगिता दर्पण फरवरी १९९९।

- ❖ किसानों के आर्थिक हितों को सुरक्षित करना तथा उन्हें बिचौलियों के शोषण से मुक्त करना।
- ❖ किसानों एवं उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थों को समाप्त करना।
- ❖ समस्त सहकारी विपणन व्यवस्था को सहकारिता के आदर्श पर स्थापित करना।
- ❖ उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर श्रेष्ठ उत्पादन उपलब्ध कराना।

भारत में सहकारी कृषि विपणन का संगठनात्मक ढाँचा¹⁹

भारत में सहकारी कृषि विपणन ढाँचा विभिन्न अंगों का योग है इसे निम्नलिखित चार स्तरों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है।

- राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ
- राज्य स्तर पर राज्य सहकारी विपणन संघ
- जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी विपणन समितियाँ
- मण्डी या बाजार स्तर पर प्रथमिक सहकारी विपणन समितियाँ।

इनकी संक्षिप्त व्याख्या निम्न है -

राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ :- राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित संघीय संस्था है, जिसका प्रमुख कार्य राज्य समितियों का मार्गदर्शन एवं परामर्श देना तथा निर्यात व्यापार में हिस्सा लेना है। देश के सभी राज्यों की शीर्ष विपणन समितियाँ इसकी सदस्य हैं।

राज्य सहकारी विपणन समितियाँ :- यह द्वितीय स्तर की समितियाँ हैं, जो कि भारत के सभी राज्यों में स्थापित की गई हैं। तथा इन्हें शीर्ष विपणन संघ भी कहते हैं, इनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं -

- ✓ सदस्य क्रय-विक्रय समितियों को कृषि उपज का विक्रय करना।
- ✓ कृषि में प्रयुक्त मूलभूत आगतों को किसानों को सरलता एवं उचित कीमतों पर उपलब्ध कराना।
- ✓ अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं निर्यात व्यापार में सहयोग देना।

¹⁹ बड्धवाल वल्लभ विजय, भारत में कृषि सहकारी विपणन व्यवस्था, समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ संख्या १५०, प्रतियोगिता दर्पण फरवरी १९९९ ।

- ✓ कृषि उपज को प्रोसेसिंग करना।
- ✓ बाजार की वास्तविक प्रवृत्तियों को ग्रामीण किसानों तक पहुँचाना।
- ✓ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज को सुरक्षित रखने के लिए गोदामों की स्थापना करना।

कैन्द्रीय सहकारी कृषि विपणन समितियाँ :- यह समितियाँ तृतीय स्तर की हैं। इनको निम्न कार्य सम्पादित करने होते हैं -

- कृषि उपज का विधायन करना।
- आवश्यकतानुसार अर्न्तजिला व्यापार करना।
- कृषि उपज के विक्रय तथा कृषि में प्रयुक्त अन्य आगतों को कृषकों के लिए उपलब्ध कराना।
- किसानों को उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति करना।

प्रथमिक सहकारी विपणन समितियाँ :- यह सबसे निचले स्तर पर अर्थात् ग्राम, मण्डी, तहसील या बाजार स्तर पर गठित की गई हैं। इनके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:-

- समितियों के सदस्यों की कृषि पैदावार को उचित कीमतों पर बेचना।
- कृषिगत आगतों (उर्वरक, खाद्य, बीज व कृषि उपकरण) को उपलब्ध कराना।
- कृषि साख की पूर्ति व कृषि विपणन में सामंजस्य स्थापित करना।
- कृषि उपज का श्रेणीयन व वर्गीकरण कर बेचना।
- सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराना तथा आवश्यकतानुसार उनकी उपज की जमानत पर ऋण उपलब्ध कराना।
- कृषि उत्पादन को बाजार तक पहुँचाने के लिए यातायात के साधनों की व्यवस्था करना।
- कृषि उपज की सरकारी खरीद के कार्य में सरकारी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना।

भारत में सहकारी कृषि विपणन की प्रगति

भारत में सहकारी आन्दोलन का विकास प्रमुखतः सहकारी साख समितियों की स्थापना के साथ हुआ फलतः अन्य क्षेत्रों में सहकारी समितियों के गठन का कार्य काफी विलम्ब से प्रारम्भ हो सका। यही

वजह है कि हमारे देश में सहकारी कृषि विपणन समितियों का विकास काफी देरी से एव धीमी गति से प्रारम्भ हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्ष में सहकारी विपणन समितियों के द्वारा मात्र ४७ करोड़ रु० मूल्य की कृषि वस्तुओं का विपणन किया गया²⁰ इस योजना अवधि में ही सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि विपणन व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से दौतवाला समिति का गठन किया गया। समिति ने खेद व्यक्त किया कि सम्पूर्ण प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में सहकारी कृषि विपणन क्षेत्र उपेक्षित ही बना रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ के साथ ही देश में सहकारी कृषि विपणन के विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार हुआ। इस योजना अवधि में ही अन्तर्राज्यीय व्यापार वृद्धि व राज्यों की शीर्ष विपणन समितियों के कार्यों को समन्वित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन सघ स्थापित किया गया इस योजना के अंतिम वर्ष में २४ शीर्ष समितियाँ, १७१ केन्द्रीय समितियाँ तथा ३१०८ प्राथमिक विपणन समितियाँ स्थापित की जा चुकी थी। अनुमानत १७९ करोड़ रु० मूल्य की कृषि उपजों का विपणन किया गया²¹ तृतीय, चौथी, और पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी साख के विस्तार, कृषि उपज में वृद्धि करने के उद्देश्य से सहकारी विपणन के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्तरीय सहकारी विपणन व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने, राष्ट्रीय व राज्य सघों को सुदृढ़ करने, विपणन समितियों में कृषि उपजों के वर्गीकरण श्रेणीकरण व संग्रहण कार्यों का श्री गणेश भी इन योजना अवधियों में ही किया गया। षष्ठम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रभावी कदम उठाये गए हैं।

- ❖ प्राथमिक समितियों को अत्याधिक मजबूत आधार प्रदान करना जिससे वे बहुउद्देशीय इकाइयों के रूप में अपनी सार्थक भूमिका निभा सकें तथा अपने सदस्यों की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।
- ❖ सहकारी कृषि विपणन का विकास देश में व्याप्त गरीबी उन्मूलन हेतु हो फलत विद्यमान सहकारी विपणन समितियों की भूमिका का परीक्षण इस सदर्भ में किया जा सके।

²⁰ बडश्वाल वल्लभ विजय, भारत में कृषि सहकारी विपणन व्यवस्था, समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ संख्या ९५२, प्रतियोगिता दर्पण फरवरी १९९९ ।

²¹ वही पृष्ठ संख्या - ९५३, प्रतियोगिता दर्पण फरवरी १९९९

- ❖ कर्मचारी सवर्ग के विकास पर और अधिक जोर देना जिससे कि उनमें अधिकतम प्रबन्धकीय योग्यता का विकास हो सके।
- ❖ सहकारी विपणन के क्षेत्र में कार्यरत शीर्ष सस्थाओं की पुनर्स्थापना व सगठन पर जोर दिया जाना चाहिए। जिससे कि वे अपनी अधिनस्थ सस्थाओं का कुशलतम तरीके से मार्गदर्शन कर सकें²²

भारत में सहकारी कृषि विपणन समितियों के धीमे विकास के कारण²³

भारत में सहकारी कृषि विपणन समितियों के धीमे विकास के लिए निम्नलिखित कारण बताए जा सकते हैं -

- इन समितियों के पास पर्याप्त मात्रा में पूँजीगत साधन न होने की वजह से इनका व्यवसाय सीमित है।
- सहकारी कृषि विपणन समितियाँ सरकार द्वारा नियंत्रित हैं। व्यापारिक वर्ग के इसमें सम्मिलित हो जाने से कृषकों के हित सुरक्षित नहीं रह पाए।
- इनके कर्मचारी सवर्ग में भी प्रबन्धकीय कार्य कुशलता का अभाव है।
- विपणन समितियों के पास कार्यशील पूँजी की अपर्याप्तता रहती है। फलतः वे अपने ग्राहकों को साख की सुविधा भी प्रदान नहीं कर पाती।
- सहकारी कृषि विपणन समितियों के पास कृषि उपजों के संग्रहण के लिए भंडारण की भी समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- इन विपणन समितियों द्वारा सामान्यतः वितरण कार्यों का ही सम्पादन किया जाता है तथा विपणन कार्यों की ओर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता।
- इनके द्वारा कृषि उपज के विधायन का कार्य सम्पन्न नहीं किया जाता, फलतः उनके विक्रयमें कठिनाइयाँ आती हैं तथा उपज का उचित मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पाता।

²² नडथवाल वल्लभ विजय, भारत में कृषि सहकारी विपणन व्यवस्था, समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ संख्या ९५४, प्रतियोगिता दर्पण फरवरी १९९९।

²³ वही पृष्ठ संख्या — ९५५, प्रतियोगिता दर्पण फरवरी १९९९।

- इनकी ऋण व्यवस्था भी दोषपूर्ण है, अधिकांशतः ऋण गैर जमानती होते हैं, फलतः ऋण वसूली में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- अपनी शीर्ष विपणन समितियों द्वारा नीचे स्तर पर कार्यरत समितियों को उचित मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है और न ही दोनों में किसी प्रकार का समन्वय किया जाता है। परिणामतः प्राथमिक व केन्द्रीय सहकारी विपणन समितियाँ दक्षता पूर्वक अपना कार्य सम्पादित नहीं कर पाती।
- इन समितियों द्वारा अपने सदस्यों को यथोचित विपणन सेवाएँ उपलब्ध नहीं कराई जाती। फलतः किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और वे इनके माध्यम से अपनी उपज के विक्रय में रूचि नहीं लेते।
- आज भी अनेक व्यापारिक मंडियों से बाहर हैं और ऐसे में सहकारी कृषि विपणन समितियाँ कार्य नहीं कर पाती हैं।

भारतीय सहकारी कृषि विपणन व्यवस्था के द्रुत विकास व प्रगति हेतु सुझाव²⁴

भारतीय सहकारी कृषि विपणन व्यवस्था में व्याप्त दोषों के उन्मूलनार्थ निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं।

- ✓ कृषि उपज की खरीद के लिए विपणन समितियों को पर्याप्त मात्रा में पूंजीगत सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए।
- ✓ कृषि उपज के संग्रहण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों की भी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इन गोदामों के निर्माण हेतु राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इन विपणन समितियों को वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- ✓ सहकारी विपणन समितियों को पर्याप्त सरकारी सुरक्षण भी प्रदान करना चाहिए ताकि प्रत्येक सहकारी समिति कृषि उपज की खरीद के अतिरिक्त अन्य उपभोक्ता वस्तुएँ एवं महत्वपूर्ण कृषि इन पुट किसानों को उचित मूल्य पर प्रदान कर सके।

²⁴ ब्रडथवाल वल्लभ विजय, भारत में कृषि सहकारी विपणन व्यवस्था, समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ संख्या ९५५, प्रतियोगिता दर्पण फरवरी १९९९ ।

- ✓ कृषि उपज की श्रेणीकरण की ओर भी इन समितियों द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए। कृषि पैदावार के विद्यमान से ही उचित मूल्य प्राप्त किया जा सकता है।
- ✓ सहकारी कृषि विपणन व्यवस्था को सहकारी कृषि साख से सम्बद्ध करना चाहिए तभी इनका व्यवसाय सफल हो सकता है।
- ✓ विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के कार्यों में तालमेल बैठाया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ उपभोक्ता तथा उत्पादक सहकारी समितियों एवं विपणन समितियों के कार्यों में पर्याप्त समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
- ✓ सहकारी विपणन समितियों के कर्मचारी सर्गर्ग में विपणन प्रबन्ध में शिक्षित प्रबन्धक को ही नियुक्त किया जाना चाहिए।
- ✓ कृषि विपणन समितियों के कार्यक्षेत्र का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर किया जाना चाहिए न कि प्रशासनिक खड के आधार पर इससे अधिकतम ग्रामीण क्षेत्र एवं जनसख्या कृषि विपणन समितियों की परिधि में लाई जा सके।
- ✓ इन विपणन समितियों की अपनी अशपूजी में वृद्धि तथा ऋण पूजी पर निर्भरता कम करनी चाहिए।

उपर्युक्त सुझावों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक, नाबार्ड एस० बी० आई० एवं अन्य राष्ट्रीयकृत बैंको को इन समितियों की वित्तीय कठिनाइयों के निवारण के लिए विशेष पहल करनी चाहिए। इनके द्रुत विकास के लिए इन्हे पर्याप्त सरकारी सरक्षण मिलने के साथ-साथ सहकारी विभाग का समुचित सहयोग मिलना भी एक अनिवार्य शर्त है।

कृषि विपणन अनुसंधान²⁵

कृषि विपणन के बहुआयामी विकास के लिए भली-भाँति तैयार किए गए अनुसंधान कार्यक्रम की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य विपणन प्रक्रिया और वास्तविक बाजार दोनों में सुधार होना चाहिए। पिछले पॉच दशकों से हमारे देश में अनुसंधान विपणन और निरीक्षण निदेशालय पर अधिक निर्भर रहा है।

²⁵ सिंह एल०पी०, कृषि विपणन का महत्व, रोजगार समाचार पृष्ठ सख्या १, नई दिल्ली, २८-१ जनवरी, १९९९ ।

विदेशालय का अधिकतर समय सरकारी निति निर्देशो और कानूनो के बारे मे किए गए सर्वेक्षणो मे व्यतीत होता रहा है। अत खाद्य और कृषि विपणन अनुसंधान मे राष्ट्रीय तथा विदेशी सहायता वाली परियोजनाओ, विश्वविद्यालय कार्यक्रमो और व्यक्तिगत प्रयासो का योगदान रहा है जो टूकडो-टूकडो मे सामने आया है। इसलिए अनुसंधान पे निरन्तरता और सगति का अभाव रहा है। नेफेड, एन० सी० डी० सी०, वस्तु विपणन बोर्डो और विश्वविद्यालयो द्वारा कृषि विपणन सबधो बुनियादी जानकारी पर अनुसंधान किए गए है। सेवाओ और सहायता कार्यक्रमो की शुरुआत और उन्हे मजबूती प्रदान करने पर पर्याप्त मार्वजनिक/निजी किया गया है। इसके अतर्गत बडी सख्या मे बाजारो, ग्रामीण और सम्पर्क सड़को का निर्माण, अतिरिक्त भाण्डारण क्षमता का विकास, प्रोसेसिंग सुविधाओ को आधुनिक बनाना, बाजार सम्बन्धी समाचार और सूचना प्रणालियो के कार्यक्रम, उत्पादक स्तर पर ग्रडिंग सेन्ट्रो की स्थापना आदि कार्य किए गए है, किन्तु आर्थिक एव तकनीकी व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन और इन निवेशो के सदर्थ मे लागत-लाभ विश्लेषण, जेसे महत्वपूर्ण मुद्दो पर किसी भी स्तर पर ध्यान नहीं दिया गया है। नई विपणन सुविधाओ जैसे बाजारो भडारो, यातायात सुविधाओ, नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत और नई प्रबध प्रक्रियाओ के लिए निवेश के क्षेत्र सुझाने की दिशा मे अनुसंधान प्रयासो का अभाव रहा है।

कृषि और सबद्ध विषयो के बारे मे मूलभूत अनुसंधान और विशुद्ध सैद्धान्तिक अनुसंधान क्रमश भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और विश्वविद्यालयो द्वारा किया जा रहा है। अत अन्य विपणन विभागो, बोर्डो, सस्थाओ को चाहिए कि वे कृषि उद्यमो और किसानो की आवश्यकताओ के अनुरूप प्रयोग उन्मुखी लेकिन धारणात्मक दृष्टि से मजबूत अनुसंधान गतिविधियो चलाए, इस तरह के कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादन क्षेत्रो और वितरण केन्द्रो मे थोक खरीद को ध्यान मे रखकर विपणन सुविधाओ को योजना तैयार करने, उत्पादो को इधर-उधर ले जाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका निर्धारित करने उपकरणो और यातायात भडारण पैकेजिंग आदि विभिन्न अवस्थाओ में विपणन की स्थानीय स्थितियो के तहत उनके इस्तेमाल, सचालन लागत और नुकसान तथा क्षति मे कमी लाने के उपायो और थोक तथा खुदरा व्यापार के परिष्कृत तरीको के विकास के उपायो को परिष्कृत किया जाना चाहिए। इस तरह के समस्या आधारित अध्ययन के लिए विपणन अनुसंधान कर्मिको को आधुनिक प्रबन्ध की धारणाओ और प्रवृत्तियो को व्यापक रूप मे समझना होगा।

विपणन और निरीक्षण निदेशालय को चाहिए कि वह अपने को अनुकूलन प्रायोगिक अनुसंधान आवश्यकताओं के प्रति फिर से उन्मुख करे और अपनी अनुसंधान ऊर्जा को उत्पादन आयोजना का मार्ग-दर्शन करने और खास वस्तुओं की बिक्री उपभोग को प्रोत्साहित करने पर केन्द्रित करे। निदेशालय को विपणन अनुसंधान कार्यक्रमों के अभिन्न अंग के रूप में उपयोग प्राथमिकता सर्वेक्षणों में लगना चाहिए ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को शेष दुनिया के साथ जोड़ा जा सके। भविष्य में अनुसंधान कार्यक्रमों की कृषि उत्पादन प्रणाली का स्थायित्व सुनिश्चित करना होगा और आन्तरिक तथा बाहरी स्थितियों, खासकर अत्यन्त विविध जैव-भौतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अनुकूल परिष्कृत विपणन प्रौद्योगिक विकसित करनी होगी। कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए गैर परम्परागत विपणन अवसरों के विकल्प तलाश करना और विपणन समस्याओं के लिए सुसंबद्ध, तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य, सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से सकारण परिस्थितियों के अनुकूल और पर्यावरण प्रणालियों के प्रति उतरदायी समाधान करना भी भावी अनुसंधान का लक्ष्य है। भावी अनुसंधान कार्यक्रम में यह ध्यान भी रखना होगा कि ग्रामीण निर्धनों और भूमिहीनों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो तथा कृषि श्रमिकों के कौशल और उत्पादकता में सुधार हो। अनुसंधान कार्यक्रमों का प्रौद्योगिकी का यथार्थ मूल्यांकन करना होगा और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के जरीए कृषि विकास के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना होगा और साथ ही अनाज तथा खराब होने वाले अन्य उत्पादों के भण्डारण, आवागमन की दिग्घाति की उपर्युक्त पद्धतियाँ विकसित करनी होंगी।

कृषि विपणन के अन्तर्गत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हिस्सा लेते हैं और उत्पादक से उपभोक्ता तक उपज के वितरण की प्रक्रिया में दोहरे कार्य होते हैं। अतः अनुकूल अनुसंधान की आवश्यकता है ताकि विपणन कार्यों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक एकीकरण हो सके। इससे विपणन लागत में कमी आएगी और उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के लिए उपज का उचित मूल्य निर्धारित हो सकेगा।

कृषि आधारित उद्योगों में संस्थागत वित्त की भूमिका

भारत में कृषि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण अंग है। देश की लगभग ७० प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या इसमें लगी हुई है। देश की लगभग ७० प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या इसमें

लगी हुई है और एक तिहाई राष्ट्रीय आय इस क्षेत्र से प्राप्त होती है²⁶ विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी हमारी खेती का स्थान महत्वपूर्ण है। चाय, तम्बाकू, तिहलन आदि अनेक कृषि पदार्थों के निर्यात से देश को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। साथ ही साथ अनेक छोटे बड़े उद्योग अपने कच्चे माल के लिए देश की खेती पर निर्भर है। कृषि जन्म पदार्थों के सम्बन्ध में किया गया व्यापार कुल आन्तरिक व्यापार का बहुत बड़ा भाग उहरता है और रेल, ट्रक आदि परिवहन सेवाओं की आय का एक महत्वपूर्ण भाग कृषि पदार्थों को ढोने से प्राप्त होता है।

अपने इस महत्व के बावजूद खेती बहुत ही पिछड़ी हुई दशा में है। उत्पादन और उत्पादक के निम्न स्तर से इसका स्पष्ट बोध होता है। कृषि की प्रति एकड़ उपज कम होने के कारण यह आवश्यक है कि कृषि से ग्रामीण जनसंख्या की निर्भरता को कम किया जाए और कच्चेमाल पर आधारित विकेन्द्रीत औद्योगिक विकास पर अधिक बल दिया जाए। कृषि आधारित उद्योग ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन उद्योगों से जहाँ एक ओर रोजगार तथा आय में वृद्धि होती है। वहीं दूसरी ओर कृषि यंत्रों, उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं के जरिए उत्पादन में भी वृद्धि होती है।

कृषि उद्योग की आवधारणा कृषि एवं उद्योग के मध्य अन्तर्निर्भरता को दर्शाती है। कृषि उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के आगत-निर्गत से जुड़े हुए होते हैं। ये उद्योग अधिकतर कृषि उपज पर निर्भर रहते हैं या कृषि से प्राप्त कच्चे माल की प्रक्रिया से उपयोग सामग्री का उत्पादन करते हैं। इस परिभाषा से कृषि उद्योग की निम्नांकित विशेषताएँ परिलक्षित होती हैं:-

- ✓ कृषि उद्योग, कृषि और उद्योग के बीच परस्पर निर्माता की गति में तेजी लाता है।
- ✓ यह कृषि द्वारा उपलब्ध होने वाले कच्चेमाल का समुचित उपयोग करता है तथा ग्रामीण जनता के बीच इसके द्वारा तैयार मालों का क्रय-विक्रय होता है।
- ✓ यह नवीनतम कृषि यंत्रों, तकनीकों एवं रासायनिक दवाओं द्वारा कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि करता है।
- ✓ यह यथा सभव स्वदेशी तकनीकी का प्रयोग करता है।

²⁶ नेमा एम०एल०, कृषि आधारित उद्योगों में वित्त की भूमिका, योजना, दिसम्बर १९९९, पृष्ठ संख्या १२।

कृषि उद्योग में मुख्यतः चीनी मिल, गुड, खाडसारी, उद्योग, धान, दाल, एव तेल मिल, कपास और जूट बुनाई तथा कताई उद्योग, बिस्कुट एव पेय उद्योग, फल और सब्जी प्रसाधन उद्योग, अनाज तथा दाल उद्योग, पशुपालन एव दुग्ध व्यवसाय आदि ऐसे उद्योग हैं। जो कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं, कृषि यंत्र और औजार निर्माण करने वाले उद्योग, उर्वरक कीटनाशक निर्माण उद्योग कृषि उद्योगों की श्रेणी में आते हैं।

कृषि आधारित उद्योग के समन्वित विकास से देश में खुशहाली लायी जा सकती है क्योंकि ऐसा करने से सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता मिलती है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार होने के कारण ही औद्योगिक इकाइयों, औद्योगिक रोजगार तथा कुल उत्पादन मूल्यों में कृषि उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है जबकि इन उद्योगों में बहुत कम पूँजी विनियोग की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उद्योग मुख्यतः श्रम प्रधान होते हैं।

हरित क्रान्ति के बाद भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण हुआ जिससे बड़ी मात्रा में बाजार योग्य कृषि अधिव्य सृजित हुआ जो अतन्त कृषि उद्योगों की स्थापना में सहायक होता है। वर्तमान में कृषि आधे से अधिक उद्योग धन्धों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। भारतीय व्यापार और उद्योग सभ के एक अध्ययन के अनुसार यदि उत्पादन में १० प्रतिशत की वृद्धि होती है तो औद्योगिक उत्पादन में २५ प्रतिशत की प्रत्यक्ष तथा ४५ प्रतिशत की अप्रत्यक्ष वृद्धि होगी, अर्थात् कुल मिलाकर ७० प्रतिशत की वृद्धि होगी²⁷ कृषि उद्योग अग्रगामी तथा उत्तरगामी प्रभावों द्वारा कृषि उत्पादकता और खाद्य तथा अखाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करता है। उदाहरण के तौर पर किसी पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना के साथ ही गन्ना उत्पादकों द्वारा उर्वरक एव कीटनाशक दवाओं के प्रयोग में वृद्धि हो जाती है। इसका सीधा प्रभाव कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथा उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति के रूप में देखा जा सकता है। इसकी अन्तिम परिणति जीवन निर्वहन कृषि को वाणिज्यिक कृषि में बदलकर ग्रामीण विकास की गति तेज करने में होती है।

यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कायापलट के लिए अनेक उपाय किए गए थे पर जनसंख्या में भारी वृद्धि तथा अन्य व्यवसायों में उस गति से विकास न होने के कारण विगत वर्षों में भूमि पर जनसंख्या का भार निरन्तर बढ़ता गया। जिससे अप्रत्यक्ष बेरोजगारी तथा अर्द्ध बेरोजगारी की समस्या

²⁷ नेमा एम०एल०, कृषि आधारित उद्योगों में वित्त की भूमिका, योजना, दिसम्बर १९९९, पृष्ठ संख्या १३ ।

उत्पन्न हो गयी। आज कृषि क्षेत्र में काम करने वाला प्रत्येक पाँचवा व्यक्ति प्रच्छन्न बेरोजगारी की चपेट में है। स्वभावतः यह बेरोजगारी प्रति व्यक्ति आय को कम करके गरीबी को बढ़ावा देती है। ठीक इसी परिप्रेक्ष्य में इस अतिरिक्त श्रम शक्ति के बोझ को कम करके और उसे गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करके कृषि उद्योग बेरोजगारी उन्मूलन और राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

डा० राधा कमल मुकर्जी के अनुसार भारत के किसान के पास वर्ष में केवल १४६ कार्य दिवस उपलब्ध होते हैं²⁸ यह सच है कि बेकारी की इस समस्या का निदान न केवल कठिन अपितु दुरूह है। लेकिन विकेन्द्रीत औद्योगिक विकास से इसे कम आवश्यक किया जा सकता है। फिर भी कृषि आधारित उद्योग स्थानीय ससाधनों पर आधारित होने के साथ-साथ श्रम प्रधान होते हैं और इसके लिए बहुत कम पूँजी विनियोग की आवश्यकता होती है। तकनीकी रूप से इन उद्योगों के कम विकसित होने के कारण ही यहाँ उन लोगों को भी रोजगार मिल जाता है जो अन्य उद्योगों के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते तथा शिक्षा प्राप्त करके भी बेरोजगार ही रहते हैं।

कृषि उद्योग देश कि सतुलित आर्थिक विकास में भी मदद करते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते शक्ति प्रवाह को रोक कर दोनों क्षेत्रों के सतुलित विकास में मदद करते हैं। इस अर्थ में इन उद्योगों में विकेन्द्रीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है और आय बढ़ती है तथा सम्पत्ति के समान वितरण को प्रोत्साहित करके समाज में बढ़ती आय विषमता की प्रवृत्ति पर भी प्रतिबन्ध लगता है।

ग्रामीण विकास में कृषि साख का दायरा बहुत ही विस्तृत है। इसके अन्तर्गत प्रायः कृषि साख को ही ग्रामीण साख की पर्यायवाची मान लिया गया है और ग्रामीण क्षेत्र के लगभग दो तिहाई लोग आज भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर हैं। ग्रामीण क्षेत्र में विविध आर्थिक क्रियाएँ जैसे - कृषि, दस्तकारी, शिल्पकारी, प्रसस्करण, पशुपालन, मुर्गीपालन, मछलीपालन, आदि होती हैं जिनमें सभी के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है किन्तु कृषि के लिए सबसे अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। कृषक की बचत इतनी नहीं होती कि वह कृषि के लिए आवश्यक बीज की व्यवस्था अपने साधनों से कर सके। अतः बाध्य होकर उसे

²⁸ नेमा एम०एल०, कृषि आधारित उद्योगों में वित्त की भूमिका, योजना, दिसम्बर १९९९, पृष्ठ संख्या १३।

विभिन्न वित की व्यवस्था करनी पडती है। भारतीय कृषि के पिछडने के लिए वित की कमी एक प्रमुख घटक है। जैसे-जैसे व्यावसायिक खेती की ओर रूझान बढेगा वैसे-वैसे कृषि साख की मात्रा मे तेजी से वृद्धि हो पाएगी। उससे कृषि सरचना मे परिवर्तन होगा। तब ज्यादा बडे निवेशो वाली आधुनिक कृषि के लिए धन की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकेगी। वैसे तो किसान की वित सबधी आवश्यकताओ का वर्गीकरण कई दृष्टिकोणो से किया जाता है जैसे अवधि के अनुसार, ऋणदाता के अनुसार, और जमानत के अनुसार। भारतीय किसान जिन स्रोतो से साख प्राप्त करता है उन्हे मोटे तौर पर निम्नलिखित दो वर्गों-निजी तथा सस्थागत स्रोत मे विभक्त किया गया है।

निजी स्रोत :- निजी स्रोत के अन्तर्गत गाँव का महाजन या साहूकार, भू-स्वामी, कृषक के सगे-सबधी, मित्र-व्यापारी, के कमीशन एजेन्ट आदि आते है। इनमे महाजन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके अनुसार वही गाँव बसने योग्य है जहाँ पर आवश्यकता पडने पर कर्ज देने के लिए महाजन हो, दवा-दारु के लिए वैद्य हो, पूजा-पाठ के लिए पडित हो तथा एक ऐसा जल साधन हो जो कभी सुखता न हो । महाजन की ग्रामीण साख मे इतनी अहम् भूमिका होती है कि उसे देशी बैंक की सज्ञा दी जाती है ।

संस्थागत स्रोत :- सस्थागत स्रोत मे ऐसी राशियो शामिल की जाती है जो सरकार समितियो, व्यापारिक बैंको तथा क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जाती है राज्य सरकारे राज्यो के सहकारी बैंको और भूमि विकास बैंको द्वारा वित्तीय सहायता दिलाने के अतिरिक्त सबसिडी उपलब्ध कराती है। सहकारी क्षेत्र मे प्राथमिक कृषि साख समितियो अल्पकालीन एव मध्यम-कालीन ऋण उपलब्ध कराती है और भूमि विकास बैंक कृषि के लिए दीर्घकालीन ऋणो का प्रबध करते हैं। व्यापारिक बैंक एव क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अल्पकालीन और सावधि ऋणो की व्यवस्था करते हैं। राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक राष्ट्रीय स्तर पर कृषि वित के लिए शिखर सस्थान है जो उपर वर्णित सभी वित्तीय सस्थाओ के लिए पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराता है।

विश्व बैंककताजा रिपोर्ट के अनुसार विगत दो दशको मे ग्रामीण क्षेत्रो मे सस्थागत बैंकिंग ढाँचे को अधिक सुदृढता और विस्तार प्राप्त हुआ है। इसी कारण सस्थागत स्रोतो से ग्रामीण वित की अधिक से अधिक आपूर्ति की जा रही है। सहकारी समितियो, सरकार व वाणिज्यिक बैंको द्वारा अधिकाधिक मात्रा मे

ग्रामीण ऋण उपलब्ध कराया जाने लगा है। सरकार प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से किसानों की सहायता करती है। प्रत्यक्ष रूप से सब्सिडी देती है और अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक साख समितियों के शेयर खरीदती है तथा कमजोर समितियों को आर्थिक सहायता देते हुए कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करती है। देश में कृषि साख के सस्थागत श्रोतों की भूमिका निम्नांकित है -

(क) सहकारी साख समितियाँ :- देश में सपालित विभिन्न आर्थिक और औद्योगिक नीतियों में सहकारिता को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। इसी के परिणाम-स्वरूप आज सहकारी सस्थाओं का विस्तार गाँवों तक हो सका है।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :- ग्रामीण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक खुशहाली के बगैर समूचे सामाजिक परिवेश की खुशहाली की तस्वीर अधूरी ही है। पहले ग्रामीण ऋण से संबंधित सभी कार्य सहकारी बैंकों द्वारा किये जाते थे। इन बैंकों की कार्य प्रणाली के सदर्थ में गाडगिल सहकारी ऋण जाँच समिति १९४५, भारतीय ग्रामीण बैंकिंग जाच समिति १९५०, भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति १९६९ आदि²⁹ समितियों ने अपनी-अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सहकारी एव सहयोगी बैंक ग्रामीण साख की समस्या के समाधान में विफल रहे हैं। इसके मद्देनजर ग्रामीण ऋण संबंधी माँग की पूर्ति के लिए अलग से मस्थान स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई। बैंकिंग आयोग १९७२ ने ग्रामीण अचलो में कृषि और ग्रामीण लघु कुटीर उद्योगों की सहायता के लिए ग्रामीण बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें सहकारी और व्यावसायिक बैंक के कार्यों का अशत समावेश किया गया। इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने 26 सितम्बर 1975³⁰ एक अध्यादेश जारी कर देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की संकृति दी³⁰ पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक २ अक्टूबर १९७५ को प्रथम बैंक के नाम से उत्तर प्रदेश में खोला गया। ३१ मार्च १९९४ तक ग्रामीण बैंकों का विस्तार सीमित ही रहा और कुल १९६ शाखाएँ खुल सकी। इस समय इन बैंकों की देश के ४०५ जिलों में १४,५४७ शाखाएँ खुल चुकी है। जिनमें

²⁹ नेमा एम०एल०, कृषि आधारित उद्योगों में वित्त की भूमिका, योजना, दिसम्बर १९९९, पृष्ठ संख्या १४।

³⁰ नेमा एम०एल०, कृषि आधारित उद्योगों में वित्त की भूमिका, योजना, दिसम्बर १९९९, पृष्ठ संख्या १५।

कुल जमा राशि ४६,२५७२ लाख रूपये है। इनके द्वारा ५,२५,३०० के आग्रिम दिए गए। इस तरह अग्रिम व जमा का अनुपात ५९ प्रतिशत रहा है^{३१}

यद्यपि इन बैंको का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीणों को महाजनो एव साहूकारो के चंगुल से मुक्त कराना ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा अन्य उत्पादक गति विधियों के लिए लघु एव सीमांत कृषक, खेतिहर मजदूर, दस्तकार, लघु व्यवसायी तथा इनसे संबंधित अन्य व्यवसायों की साख एव अन्य सुविधाएँ प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना है। इस लक्ष्य को लेकर बैंको ने ऐसे दुरस्थ ग्रामीण अंचलो में प्रवेश किया जहाँ सस्थागत वित्त की कोई ऐजेन्सी नहीं पहुँच सकी थी। वहाँ ये बैंक गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले के उत्थान के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

(७) राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक :- राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इन बैंको की अधिकांश शाखाएँ ग्रामीण क्षेत्रों या अर्द्धशहरी क्षेत्रों में खुली हैं। व्यापारिक बैंको को अपने अग्रिम का ४० प्रतिशत प्रथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को देना था। सन् १९९१ तक इन बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र को दिए अग्रिम में लगभग २० गुना की वृद्धि हुई है। सन् १९६९ से व्यापारिक बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में ऋण देना प्रारंभ कर दिया था किन्तु इन्हे अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा था, सबसे प्रमुख समस्या अतिदेयता की है^{३२} अतिदेयता के अतिरिक्त प्रथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के ऋणों पर भारी मात्रा में अधिदान (सब्सिडी) के कारण बैंको का लाभ घट रहा है। सामाजिक न्याय के नाम पर लगाये गये "ऋण मेले" बैंकिंग के मूल सिद्धान्तों को ही नष्ट कर रहे हैं। इसलिए नरसिम्हन कमेटी ने साफ शब्दों में लिखा है कि वितरणात्मक न्याय को प्राप्त करने के लिए प्रणाली का नहीं बल्कि राजकोषीय यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। सन् १९६९ में वाणिज्य बैंको का राष्ट्रीयकरण के पहले चरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ सस्थागत आधार बनाने के लिए ग्रामीण साखा विस्तार कार्यक्रम चलाया गया। इस समय वाणिज्यिक बैंको के कार्यालय की संख्या मात्र ८१८७ तथा ग्रामीण कार्यालयों की संख्या १४४३ (१७.६३ प्रतिशत) थी^{३३} आज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंक

^{३१} नेमा एम०एल० कृषि आधारित उद्योगों में वित्त की भूमिका, योजना, दिसम्बर १९९९, पृष्ठ संख्या १५।

^{३२} नेमा एम०एल०, कृषि आधारित उद्योगों में वित्त की भूमिका, योजना, दिसम्बर १९९९, पृष्ठ संख्या १५।

^{३३} नेमा एम०एल०, कृषि आधारित उद्योगों में वित्त की भूमिका, योजना, दिसम्बर १९९९, पृष्ठ संख्या १५।

शाखाओं की संख्या ६२,००० से अधिक है जिनमें ३५,००० (५६ प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत बैंक है। भौगोलिक दृष्टि से लगभग सभी विकास खण्ड मुख्यालयों में बैंकों की शाखाएँ हैं। बैंकों की संयुक्त पहुँच का औसत मोटे तौर पर प्रत्येक ४३ गाँव पर एक तथा लगभग ५००० की ग्रामीण आबादी पर एक शाखा है³⁴

(घ) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक :- देश में कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि और कमजोर वर्गों की सहायता के लिए कई योजनाएँ तैयार की गईं। इस श्रृंखला में १२ जुलाई १९८२ को एक अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई³⁵ यह बैंक कृषि के उन्नयन, लघु उद्योगों, ग्रहों एवं प्रामोद्योग, दस्तकारी, शिल्पकारी, एवं दूसरी ग्रामीण कलाओं तथा गाँव में चलने वाली अन्य सम्बन्ध आर्थिक क्रियाओं के लिए ऋण सुलभ कराने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में सर्वोच्च संगठन है। यह बैंक कृषि एवं आर्थिक विकास से संबंधित कार्यों के लिए ऋण सुलभ कराने की समन्वित एजेंसी है।

इस बैंक की स्थापना के पश्चात् कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम के समस्त कार्य और रिजर्व बैंक के कृषि शाखा के मुख्य कार्य इस बैंक के अधिन हो गये। सहकारी समितियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सहायता अब रिजर्व बैंक की जगह राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से मिलती है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का रिजर्व बैंक से सीधा सम्बन्ध है और इसके लिए रिजर्व बैंक में इसकी हिस्सा पूंजी के आधे के बराबर योगदान भी है। शेष आधा भाग भारत सरकार के द्वारा जुटाया गया है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजी १९९५-९६ में ५०० करोड़ रुपये और १९९६-९७ में १००० करोड़ रुपये कर दी गई। अगले पांच वर्षों के दौरान इसे बढ़ाकर २००० करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है³⁶ सन् १९९५-९६ के बजट के अनुसार नाबार्ड में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए एक निधि स्थापित की गई। इस निधि से राज्य सरकारों और उनके स्वामित्व

³⁴ नेमा एम०एल०, कृषि आधारित उद्योगों में वित्त की भूमिका, योजना, दिसम्बर १९९९, पृष्ठ संख्या १५।

³⁵ नेमा एम०एल०, कृषि आधारित उद्योगों में वित्त की भूमिका, योजना, दिसम्बर १९९९, पृष्ठ संख्या १५।

³⁶ नेमा एम०एल०, कृषि आधारित उद्योगों में वित्त की भूमिका, योजना, दिसम्बर १९९९, पृष्ठ संख्या १६।

वाले निगमों को ग्रामीण आधारित संरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए ऋण दिया जाता है। इस निधि से १९९६-९७ में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को लगभग २००० करोड़ ₹ दिए गए हैं।³⁷

व्यावसायिक या उच्च टेक्नॉलाजी वाली कृषि और संबद्ध गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों में (कृषि विकास वित्तीय संस्थाएँ) स्थापित करने का प्रस्ताव है। ये संस्थाएँ कृषि में अधुनिकतम टेक्नॉलाजी के प्रवेश के लिए वित्तीय सहायता देने के साथ-साथ उच्च किस्म के टेक्नॉलाजी भी उपलब्ध कराएंगी।

वित्तमंत्री ने १९९६-९७ के बजट में नये निजी स्थानीय बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। इन बैंकों का अधिकार क्षेत्र दो या तीन जिला होगा। ये बैंक ग्रामीण बचत जुटाने के साथ अपने क्षेत्र में उसका विनियोजन भी करेंगे। रिजर्व बैंक के सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी है कि वे विशेष कृषि ऋण योजनाएँ तैयार करें। सन् १९९५-९६ में इस योजना के अन्तर्गत १०१२१ करोड़ रूपए वितरित किए गए जबकि लक्ष्य १२११२१ करोड़ रूपये का था।³⁸ कृषि वित्त एवं ग्राम विकास की दिशा में सार्थक कार्य इस बैंक द्वारा किए गए हैं व भविष्य में भी यह बैंक देश की प्रगति में अपना अनवरत योगदान दे सकेगा।

भारी परिदृश्य एवं चुनौतियाँ :- अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घ कालीन कृषि साख के संस्थागत स्रोतों की माँग का अनुमान १९९९-२००० के लिए लगाया गया है। इसके अन्तर्गत कृषि साख की आवश्यकता का अनुमान लगाते समय बकाया ऋण व अग्रिम का निर्धारण प्रत्येक वर्ष के अन्त में किए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसी मान्यता के आधार पर संस्थागत स्रोतों से वर्ष १९९४-९५ में १५७३३ करोड़ रूपये और १९९९-२००० में २३८८८ करोड़ रूपये कृषि साख की माँग होगी। इसके अतिरिक्त आगत वितरण के लिए कुल अल्पकालीन साख का दो प्रतिशत अनुमानित है। इसी प्रकार सावधि साख का वर्ष १९९४-९५ एवं १९९९-२००० के लिए क्रमशः ४९०३ करोड़ रूपये ७५९५ करोड़ रूपये का

³⁷ नेमा एम०एल०, कृषि आधारित उद्योगों में वित्त की भूमिका, योजना, दिसम्बर १९९९, पृष्ठ संख्या १६।

³⁸ नेमा एम०एल०, कृषि आधारित उद्योगों में वित्त की भूमिका, योजना, दिसम्बर १९९९, पृष्ठ संख्या १६।

अनुमान लगाया गया है³⁹

भारत में विगत चार दशकों में कृषि साख की पूर्ति में व्यापक परिवर्तन आए हैं। जहाँ एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग से सस्थागत ढाँचे का भौगोलिक दृष्टि से विस्तार हुआ है वहीं दूसरी ओर ऋण प्रवाह की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

फिर भी इन सस्थाओं को अपने वित्तीय ससाधनों को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि लघु एवं सीमान्त कृषकों की कृषि साख की माँग को पूरा किया जाए। कृषि साख सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ, क्षेत्रीय विषमता, बेकारी और निम्न उत्पादकता आदि के कारण ये लोग कृषि वित्त सम्बन्धी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं जबकि अधिकांश बड़े किसान तथा राजनैतिक प्रमुख रखने वाले किसानों ने ही सस्थागत वित्त का अधिकतम लाभ उठाया है। ऋणों के भुगतान की समस्याओं ने जहाँ एक ओर गभीर सकट पैदा किया है वहीं बढ़ते हुए भ्रष्टाचार ने भी कृषि साख के उत्पादक उपयोग में विकट बाधा खड़ी की है। अतः कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में जो वृद्धि परिलक्षित होनी चाहिए थी वह केवल सरकार की ऋण नीति की नियमावली में ही फँसकर रह गई है। उक्त समस्याओं का स्थायी समाधान ढूँढा जाना चाहिए ताकि ग्रामीण बेरोजगार युवा कृषि आधारित उद्योगों को अपनी इच्छानुसार अपनाकर रोजगार प्राप्त कर सकें। यह तभी संभव है जब सरकार समाज सेवा संगठन एवं संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली उक्त सस्थाएँ ऋण की सरल प्रक्रिया द्वारा कृषि साख (वित्त) सुलभ कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ, जिससे आगामी वर्षों में देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आर्थिक सामाजिक नैतिक विकास के साथ-साथ व्यक्तिगत विकास भी सुनिश्चित हो सके।

भारतीय कृषि का वर्तमान परिदृश्य एवं उर्वरक उपयोग :- वैसे तो विश्व का कुल

भौगोलिक क्षेत्रफल १३३९ करोड़ हेक्टेयर है किन्तु इसमें से मात्र १३७ करोड़ हेक्टेयर (लगभग ९१%)

कृषि के अन्तर्गत है⁴⁰ जब हम भारत के सम्बन्ध में बात करते हैं तो ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ कुल

भौगोलिक क्षेत्रफल ३२९ मिलियन (३२९ करोड़) हेक्टेयर है जो कि विश्व के क्षेत्रफल का मात्र २४ प्रतिशत

³⁹ नेमा एम०एल०, कृषि आधारित उद्योगों में वित्त की भूमिका, योजना, दिसम्बर १९९९, पृष्ठ संख्या १६।

⁴⁰ डा० मणि दिनेश, भारतीय कृषि का वर्तमान परिदृश्य एवं उर्वरक उपयोग, प्रतियोगिता दर्पण, पृष्ठ ७८, अगस्त १९९७।

है जो विश्व की १५ प्रतिशत मानव जनसंख्या को भोजन प्रदान करता है⁴¹ इस प्रकार हमारी भूमि में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए काफी क्षमता तथा गुंजाइश है जो हरित क्रान्ति अवधि (१९६८-८८) तक में २३ प्रतिशत वार्षिक खाद्यान्न वृद्धि दर रही थी, लेकिन आवश्यक है कि क्षमता का कुशल एवं भरपूर उपयोग कैसे किया जाए ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या जो आज एक अरब को पार कर चुकी है, कि खाद्यान्न पूर्ति बिना कृषि क्षेत्रफल बढ़ाए की जा सके, इसलिए किसानों को बेहतर जल, उर्वरक, मृदा प्रबंध, एवं उन्नत तकनीकी अपनाना जरूरी हो गया है। अतः इस सदी के अन्त तक अनुमानतः २२.५ से २४.५ करोड़ टन खाद्यान्न वृद्धि के लिए तीन उपाय हैं⁴²

- ❖ खेती योग्य भूमि पर नई तकनीक द्वारा सघन, खेती करना जिसमें उर्वरकों का उपयोग मुख्य है। इस प्रकार सन् २००० ई० तक लगभग २ करोड़ टन उर्वरक का उपयोग करना पड़ेगा जबकि इस समय उर्वरकों की वार्षिक खपत मात्र ०.९ करोड़ टन के लगभग है⁴³

सन् 2000 ई० के लिए महत्वपूर्ण अनुमान

मद	अनुमान
जनसंख्या (करोड़ में)	1000
पशुधन (करोड़ में)	700
खाद्यान्न की आवश्यकता (करोड़ टन)	240
ईंधन की आवश्यकता (करोड़ टन)	240
पशुचारा की आवश्यकता (करोड़ टन)	700
उर्वरक की आवश्यकता (करोड़ टन)	20

स्रोत :- स्वाभिनयन एम० एस्०, एग््रीकल्चर फॉर 21 सेन्चुरी किसान वर्ल्ड जनवरी

11-02-1995

⁴¹ डा० मणि दिनेश, भारतीय कृषि का वर्तमान परिदृश्य एवं उर्वरक उपयोग, प्रतियोगिता दर्पण, पृष्ठ ७८, अगस्त १९९७।

⁴² वही पृष्ठ सं० ७८, प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त १९९७।

⁴³ वही पृष्ठ सं० ७८, प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त १९९७।

यद्यपि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक देश है। फिर भी हमारे देश में उर्वरक खपत बहुत ही कम है जो लगभग ६८ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कृषि भूमि एव ७३ किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एग्रेविल भूमि है यह दूसरे देशों की तुलना में काफी कम है⁴⁴ हमें यह भी मालूम है कि ५० प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोत्तरी मात्र उर्वरक उपयोग से ही होती है इसलिए किसानों को उर्वरक उपयोग के सही तरीके बताना ही एक सही कदम होगा। उर्वरक के साथ-साथ गोबर की खाद्य या अन्य जैविक खाद्य का भी इस्तेमाल करना आवश्यक है।

- ❖ दियारा और कछारी भूमि में उन्नत तरीकों से खेती करना और ऊसर बजर व रेतीली मृदाओं को सुधारकर खेती करना खाद्यान्न वृद्धि में अन्य आवश्यक सुझाव है। भारत में लगभग ०.७ करोड़ हेक्टेयर भूमि लवणीय व क्षारीय है⁴⁵ ऐसी भूमि को खेती के योग्य बनाया जा सकता है। क्षारीय भूमि में जिप्सम, पाइराइट जैसे मृदा सुधारकों की आवश्यकता पड़ती है।
- ❖ अम्लीय भूमि का सुधार करके एव उसे कृषि योग्य बनाकर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। अम्लीय भूमि को चूने के प्रयोग से कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ऐसी भूमि में फास्फोरस के उपयोग का काफी महत्व है क्योंकि अम्लीय मृदा में फास्फोरस का स्थिरीकरण हो जाता है।
- ❖ शुष्क क्षेत्रों में अनवर्ती फसलों की पद्धतियों को सुधारा जाए।

भारतीय मृदा में औसत रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश की कमी है। सल्फर और जिंक की भी कमी काफी मात्रा में पायी जाती है। कहीं-कहीं लोहा तौबा की भी कमी प्रकाश में आयी है। अनुसंधान से यह भी पता चलता है कि धान-गेहूँ पद्धति में १० मिट्टीक टन फसलों की उपज के लिए लगभग ७०० किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस एव पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है⁴⁶ इसी प्रकार गेहूँ आधारित अन्य फसल पद्धतियों में ५००-७०० किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ग्रहण किए जाते हैं। जो जाने वाले उर्वरक तत्वों से कहीं अधिक है। जिसे केवल मृदा से पूर्ति कराना असम्भव है। यह कहना ठीक ही होगा कि

⁴⁴ डा० मणि दिनेश, भारतीय कृषि का वर्तमान परिदृश्य एवं उर्वरक उपयोग, प्रतियोगिता दर्पण, पृष्ठ ७८, अगस्त १९९७।

⁴⁵ वही पृष्ठ सं० ७८, प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त १९९७।

⁴⁶ वही पृष्ठ सं० ७८, प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त १९९७।

पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसा मृदा हो जिसमें पर्याप्त मात्रा में उर्वरक डाले बिना बहुत समय तक अधिक उपज ली जा सके। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि अधिक उपज लेने के लिए मृदा में सतुलित मात्रा में पोषक तत्व डाले जाएँ ऐसा न करने से मृदा तत्वहीन हो जाएगी और अपेक्षानुसार पैदावार नहीं मिल पाएगी।

उल्लेखनीय है कि सन् १९८१-९१ के मध्य जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर २.१३ प्रतिशत रही जो भविष्य में सन् २०००-०५ एव २०१० ई० तक १.०२३, १.१३७, एव १.२६३ मिलियन होने का अनुमान है। अतः सन् २००० तक देश की १.०२३ मिलियन जनसंख्या का भरण पोषण हेतु २४ करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन करना होगा, जबकि इसके विपरीत उर्वरकों द्वारा २०६ लाख टन की पूर्ति सम्भावित है⁴⁷ इस प्रकार स्पष्ट है कि उर्वरक उपयोग में वृद्धि के बावजूद फसल द्वारा लगभग ९५ लाख टन पोषक तत्वों का प्रतिवर्ष भूमि से दोहन होगा जिसका मिट्टी की प्राकृतिक अवश्याम्भावी है अर्थात् भूमि का खजाना समाप्त होकर नगी रह जाएगी। एक अनुमान के अनुसार भारत में ४६ प्रतिशत भूमि में जिक की कमी, ५ प्रतिशत मैंगनीज की कमी तथा ११ प्रतिशत लोहे की कमी है⁴⁸ इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की उन क्षेत्रों में अधिक कमी है, जहाँ सघन खेती की जाती है। यह अनुभव किया जा रहा है कि अधिक उपज के लिए अधिकांश क्षेत्रों में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटैशियम का उपयोग आवश्यक है। यही नहीं इन प्रमुख पोषक तत्वों के साथ ही बहुफसली खेती वाले क्षेत्रों में जिक व गंधक जैसे सूक्ष्म व गौण तत्वों की कमी हो गई है। अब यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि खाद्यान्न उत्पादन के बढ़ते लक्ष्य की पूर्ति हेतु भविष्य में कृषि उत्पादकता में काफी वृद्धि करनी होगी। अतः भूमि में जिन तत्वों की कमी है उनकी पूर्ति के लिए इन सभी तत्वों का सतुलित मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए। ताकि भूमि की प्राकृतिक उर्वरता में कमी न हो और भूमि की उत्पादकता स्थायी रहे। इसके लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश उर्वरकों के साथ-साथ जैविक खाद्य कम्पोस्ट, गोबर की खाद, हरी खाद एव जैव उर्वरकों के उपयोग के साथ-साथ सूक्ष्म व गौण तत्वों का इस्तेमाल किया जाए सामान्यतः

⁴⁷ डा० मणि दिनेश, भारतीय कृषि का वर्तमान परिदृश्य एव उर्वरक उपयोग, प्रतियोगिता दर्पण, पृष्ठ ७९, अगस्त १९९७।

⁴⁸ वही पृष्ठ सं० ७९, प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त १९९७।

२५ किलोग्राम जिक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की सस्तुति की गई है। ताकि जिक एव गंधक तत्वों की पूर्ति की जा सके।

आज जब हम अधिक उपज देने वाली प्रजातियों से धान और गेहू की अधिकाधिक उपज ले रहे हैं और जनसंख्या वृद्धि रूक नहीं पाई है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए भोजन जुटाना हमारे लिए वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक अनुमान के अनुसार चावल के उत्पादन की सन् २००० तक ७२ ६ मिलियन टन २००५ तक १०८ ८ मिलियन टन तथा २०१० ई० तक १२६ ५ मिलियन टन बढ़ाना होगा^{४९} ठीक इसी प्रकार इन वर्षों में गेहूँ के उत्पादन को क्रमश ७०, ८१ ३, ९४ ५ मिलियन टन तक बढ़ाने की जरूरत होगी^{५०} हम उर्वरकों के उपयोग की अचानक बिल्कुल कम तो नहीं कर सकते किन्तु कृषि अवशेषों, हरी खादों तथा जैविक खादों के साथ-साथ पूरक रूप में उर्वरकों का प्रयोग करना होगा। जिसके लिए पोषक तत्व प्रबन्ध सम्बन्धी निम्नलिखित तत्वों को भी ध्यान में रखना होगा।

- जहाँ पर एन० पी० के० तत्वों का असंतुलित मात्रा में उपयोग दूर किया जाए तथा साथ ही गन्धक एव जिक की कमी वाले क्षेत्रों का भी पता लगाया जाए।
- असिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों का उपयोग बढ़ाना होगा।
- अम्लीय मिट्टियों से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए ३ से ४ कुतल प्रति हेक्टेयर की दर से चुने का प्रयोग करके एन० पी० के० की उपयोग क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए।
- तत्वों के निक्षालन एव गैसीय हानि को रोक कर उर्वरक उपयोग क्षमता बढ़ाना होगा।
- जहाँ पर सिंचाई की उत्तर व्यवस्था हो वहाँ पर हरी खाद एव कृषि अवशेषों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए।
- अनुसंधान उपज एव किसानों के खेत की उपज में व्याप्त अन्तर को समाप्त करना होगा।
- अनुसंधान उपज एव किसानों के खेत की उपज में व्याप्त अन्तर को समाप्त करना होगा।

^{४९} डॉ० मणि दिनेश, भारतीय कृषि का वर्तमान परिदृश्य एव उर्वरक उपयोग, प्रतियोगिता दर्पण, पृष्ठ ७९, अगस्त १९९७।

^{५०} वही पृष्ठ सं० ७९, प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त १९९७।

कृषि उत्पादन के लाभों का समुचित उपयोग :-

भारत ने पिछले ५० वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन में बहुत प्रगति की है। १९५०-५१ में खाद्यान्न उत्पादन ५०८ करोड़ टन था जो १९९६-९७ में बढ़कर १९१० करोड़ टन तक पहुँच गया। इस तरह देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्म निर्भर हो गया है। १९५१-६१ के दौरान भारत की जनसंख्या ४३९२ करोड़ थी जो १९९१ में बढ़कर ८४६३ करोड़ तक पहुँच गई। अनुमान लगाया गया है कि १९९६-२००१ और २००१-२००६ में जनसंख्या क्रमशः १००६२ करोड़ तथा १०८५९८ करोड़ तथा २००६-२०११ में ११६४२५ करोड़ तक हो जाएगी। १९४१ से ५१ के दशक में आबादी की स्वाभाविक वृद्धि दर मात्र १.२५ प्रतिशत वार्षिक थी लेकिन तत्पश्चात् इसमें पर्याप्त वृद्धि हुई और १९७१-८१ से ८१ के दशक में यह वृद्धि सर्वाधिक यानी २.२२ प्रतिशत रही। १९९१ की जनगणना के अनुसार १९८० के समूचे दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर २.१० प्रतिशत रही। भारत की जनगणना के संदर्भ तिथि १ मार्च २००१ को ०००० बजे के अनुसार भारत के महारजिस्ट्रार एव जनगणना आयुक्त ने देश की अन्तिम जनसंख्या १,०२,७०,१५,२४७ व्यक्ति घोषित की। पिछले दस वर्षों में भारत की जनसंख्या ८४ करोड़ ६३ लाख से बढ़कर अब १ अरब २ करोड़ ७० लाख हो गई है। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर २.१४ से घटकर १.९३ प्रतिशत हो गई है। पिछले दशक में (१९९१-२००१) में जनसंख्या में २१.३४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस दशक में जितनी जनसंख्या बढ़ी वह दुनिया के पाँचवें सबसे बड़े देश ब्राजील की कुल जनसंख्या से अधिक है^१

भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। इस समय फसल बुआई का वास्तविक क्षेत्र लगभग १४ करोड़ हेक्टेयर है और सकल बुआई क्षेत्र १७.८० करोड़ हेक्टेयर से १८.१० करोड़ हेक्टेयर तक है। करीब २.४० करोड़ हेक्टेयर भूमि बंजर या परती रहती है। लगभग ५० प्रतिशत भूमि क्षेत्र में किसी न किसी वजह से उत्पादन की दृष्टि से इस्तेमाल सीमित हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा (१९९३-९४ में) ३०.३ प्रतिशत था और जनसंख्या का ६० प्रतिशत भाग इस पर निर्भर था। देश के निर्यात का लगभग १९ प्रतिशत भाग इससे प्राप्त हुआ। भारत में जोत का औसत आकार केवल १.६९

^१ डॉ० पाटिल जयत, कृषि उत्पादन के लाभों का समुचित उपयोग, योजना, अगस्त १९९८, पृष्ठ संख्या ५७।

हेक्टेयर हैं। ७६ प्रतिशत से अधिक लोगो के पास २ हेक्टेयर से भी कम जोत (जमीन) है। दस हेक्टेयर से अधिक जोत भूमि केवल २ प्रतिशत है। ७६ प्रतिशत जोत वाले लोग केवल २९ प्रतिशत क्षेत्र में कृषि करते हैं।⁵²

भारत में कृषि अब भी मानसून की दशा पर निर्भर करती है। उसकी मात्रा और स्थानिक वितरण के सबंध में निकट भविष्य में भी यही स्थिति जारी रहेगी। कृषि योग्य क्षेत्र का लगभग ६८ प्रतिशत वर्षा सिंचित क्षेत्र है। भारत में लगभग ४० करोड़ हेक्टेयर मीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसके अलावा उसे हिमालय में जल सभरण क्षेत्रों में स्थित देशों से लगभग दो करोड़ हेक्टेयर मीटर जल प्राप्त होता है। भारत में वार्षिक वर्षा लगभग ८८ सेमी होती है जो विश्व में सबसे अधिक है लेकिन इसके आकार की तुलना में वर्षा का वितरण असमान है और वर्ष के ३ से ४ महीने के अंदर ही प्रायः यह वर्षा हो जाती है। कुल वर्षा का लगभग ७३.७ प्रतिशत जून से सितम्बर के बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। अक्टूबर से फरवरी के दौरान करीब १६ प्रतिशत वर्षा होती है। वर्षा की स्थिति और विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत पडने वाले इलाकों को ध्यान में रखते हुए मोटे तौर पर उसे निम्नलिखित समूहों में रखा जा सकता है।

७५० मिमी से कम वर्षा क्षेत्र	-	कम वर्षा वाला प्रदेश ३३ प्रतिशत
७५० मिमी से ११२५ मिमी तक	-	मध्यम वर्षा वाला प्रदेश ३५ प्रतिशत
११२५ मिमी से २००० मिमी तक	-	अधिक वर्षा वाला प्रदेश २४ प्रतिशत
२००० मिमी से अधिक	-	अत्यधिक वर्षा वाला प्रदेश ८ प्रतिशत ⁵³

इस प्रकार ६८ प्रतिशत इलाका कम से लेकर मध्यम वर्षा वाले प्रदेशों में पड़ता है।⁵⁴ इसके अलावा वर्षा में भिन्नता, शीतोष्ण, उष्ण, अर्ध-उष्ण और आर्द्र आदि जलवायु वीय दशाओं और उर्वरा की व्यापक भिन्न-भिन्न दशाओं के अंतर्गत कई तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये सारी बातें चावल, तिल,

⁵² डॉ० पाटिल जयत, कृषि उत्पादन के लाभों का समूचित उपयोग, योजना, अगस्त १९९८, पृष्ठ संख्या ५७।

⁵³ डॉ० पाटिल जयत, कृषि उत्पादन के लाभों का समूचित उपयोग, योजना, अगस्त १९९८, पृष्ठ संख्या ५७।

⁵⁴ डॉ० पाटिल जयत, कृषि उत्पादन के लाभों का समूचित उपयोग, योजना, अगस्त १९९८, पृष्ठ संख्या ५७।

मक्का, बाजरा, ज्वार दाल, तिलहन, कपास जैसी वर्षा सिंचित फसलों की उत्पादकता के निम्न स्तर के लिए काफी जैसी बागवानी फसलो और अनेक मसालो के संबध में भी लागू होती हैं।

तेजी से बढ़ती आबादी एव उधेंगो और शहरीकरण आदि के लिए ईंधन रेशो और खद्य पदार्थों की तेजी से बढ़ती माँगो के कारण हमारे देश की जमीन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा खनन पानी का जमाव, लवणता, झूम खेती और भूमि का कटाव आदि कारणो से भी भूमि के ससाधनो का ह्रास होता जा रहा है। कृषि के लिए अभी तक जिस भूमि का इस्तेमाल नहीं किया जा सका उसके दोहन का सीमित गुजाइश को देखते हुए मृदा और भूमि ससाधनो के सरक्षण की बहुत आवश्यकता है ताकि भावी पीढियों उपयुक्त वातावरण मे रह सके।

अनेक प्राकृतिक दबावो और सभार सत्र की समस्याओ के बावजूद योजनाबद्ध कृषि के विकास स्वतत्र भारत की उपलब्धियो के इतिहास मे एक गौरवपूर्ण अध्याय हैं। ये उपलब्धियाँ हमारे किसानो, उत्पादको, मछुआरो की कठोर मेहनत तथा अनुसधान, प्रसार और निवेश एव सेवा एजेसियो के आवश्यक सहयोग के साथ-साथ योजना और उत्पादन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का परिणाम हैं।

यह बहुत सतोष की बात है कि १९५०-५१ के मात्र ५ ०८ करोड टन खाद्यान्न के मुकाबले १९९४-९५ मे १९ ११ करोड़ टन का रिकार्ड उत्पादन किया गया। इसी प्रकार गन्ना , तिलहन, कपास, दूध, अडा, चाय, रबर और मछली आदि का भी रिकार्ड उत्पादन किया गया⁵⁵

आठवीं पंचवर्षीय योजना मे कृषि विकास के लिए जो नीति निर्धारित की गई थी उसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन के मामले में न केवल आत्म निर्भरता हासिल करना था बल्कि निर्यात के लिए खास कृषि जिन्सो का अतिरिक्त उत्पादन भी करना था। हाल के वर्षों मे कृषि की प्रगति हालाकि बहुत सतोषजनक ही है लेकिन विभिन्न फसलो के उत्पादन एव उत्पादकता मे व्यापक क्षेत्रीय भिन्नताएँ भी रही हैं। पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रो पर जहाँ कृषि और विशेषकर बागवानी विकास के लिए अभी अत्यधिक अप्रयुक्त सभावनाएँ विद्यमान हैं खास तौर पर ध्यान देना होगा। चूंकि दो तिहाई अपेक्षाकृत अधिक सतुलित और टिकाऊ विकास के लिए

⁵⁵ डॉ० पाटिल जयत, कृषि उत्पादन के लाभों का समूचित उपयोग, योजना, अगस्त १९९८, पृष्ठ संख्या ५८ ।

वर्षा सिंचित कृषि और जल-सभरण विकास पर अधिक ध्यान देना होगा। आठवीं योजना के दौरान कृषि तथा अन्य सम्बद्ध गतिविधियों के अतर्गत मुख्य जोर निम्नलिखित कार्यों पर देना होगा।

जल सभरण अवधारणा पर बारानी भूमि/वर्षा सिंचित क्षेत्रों का विकास पूर्वी, क्षेत्र में त्वरित विकास मूल्य और रोजगार सृजन के लिए कृषि की विविधता बागवानी विकास तथा फूलों की खेती जिसमें मसाले और औषधि उपयोगी पौधे शामिल हैं समन्वित मत्स्यिकी विकास फसलों की कटाई के बाद बुनियादी ढाँचा तथा पिछली और अग्रिम स्थिति को ध्यान में रखकर टेक्नोलाजी का स्तर उन्नत करना, किसानों को समय पर पर्याप्त ऋण और कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, पशुपालन और डेरी विकास; विविधता और निर्यात के लिए कृषि उत्पादों की समर्थक प्रणाली का विकास; तिलहन और दलहन का उत्पाद बढ़ाना। कृषि क्षेत्र में कुछ चुनौतियों को बहुत अधिक महसूस किया जाता है वे इस प्रकार हैं -

खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में देश की सक्षमता किसानों की आय में वृद्धि से उनकी माँगों को पूरा करने की क्षमता, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की समस्या और कृषि में पूँजी निर्माण और निवेश की धीमी रफ्तार हमारे कृषक समुदाय के सामने पूर्ण और मौसमी बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार अन्य चुनौतियाँ हैं जिनके लिए खेतों के भीतर तथा बाहर से सहयोग की आवश्यकता है। कृषि विकास और टिकाऊपन के मसले इस बात से अत्यंत गहराई से जुड़े हैं कि हम अपने प्राकृतिक ससाधनों का इस्तेमाल कितनी क्षमतापूर्वक करते हैं। संसाधनों की बर्बादी से न केवल वर्तमान पीढ़ी को हानि होती है बल्कि आगामी पीढ़ी को भी नुकसान पहुँचता है। क्षमता में सुधार से न केवल समाज के लिए अपेक्षाकृत अधिक धन अथवा दूसरे शब्दों में निवेश पर अधिक लाभ प्राप्त होता है बल्कि हम दुर्लभ प्राकृतिक ससाधनों का इस्तेमाल भी समझदारी से करते हैं। पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन की दृष्टि से ये सब बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। यह बात न केवल अर्थव्यवस्था पर बल्कि समूचे कृषि क्षेत्र पर समान रूप से लागू होती है।

योजना का तात्पर्य है आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए दुर्लभ ससाधनों का अधिकतम उपयोग। योजना लोकतांत्रिक और विकेन्द्रित होनी चाहिए। विकेन्द्रीकृत योजना की प्रक्रिया में शामिल हैं: समस्या की पहचान मूल्यांकन विकल्प या मेनू उपलब्ध कराना, प्राथमिकता निर्धारण, डिजाइन का चयन तथा योजना नीतियों का स्वरूप तैयार करना, योजनाएँ बनाना तथा उन पर कार्यान्वयन। सातवीं पंचवर्षीय योजना के

मध्यावधि मूल्यांकन ने प्राथमिक क्षेत्र के लिए सशोधित 'मैक्रो' और 'माइक्रो' स्तर की प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया है। विशेषकर जल के कुशल उपयोग के अनुमान, योजना तथा प्रबंधन, संसाधन आवश्यकता और वथार्थपरक आकलन परियोजना तैयार करने में जिला-स्तर पर अपेक्षाकृत अधिक तालमेल, वैकल्पिक कृषि प्रणाली के लिए ऋण प्रावधान की बेहतर नीतियाँ तथा वैकल्पिक सुपुर्दगी प्रणाली को अल्पकालिक आवश्यकताओं के रूप में रेखांकित किया गया है। बाद में प्रत्येक कृषि जलवायु क्षेत्र को टिकाऊ आधार पर कृषि उत्पादन में अधिकतम वृद्धि के लिए योजना तैयार करनी होगी। इस समस्या के समाधान के लिए १९८८ में कृषि योजना के प्रति एक नया दृष्टिकोण कृषि जलवायु क्षेत्रीय योजना के जरिए अपनाया गया। मृदा वर्षा और सिंचित जैसे अन्य कई कृषि जलवायु कारकों के आधार पर देश को मोटे तौर पर १५ कृषि जलवायुवीय मण्डलों में विभाजित किया गया। यह विभाजन राष्ट्रीय कृषि आयोग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् समेत देश के कई अन्य क्षेत्रीयकरण के पूर्व प्रयासों की जाँच के बाद किया गया। यह दृष्टिकोण अब तक देश में प्रचलित कृषि योजना के क्षेत्रीय दृष्टिकोण से हटकर है और अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है। विस्तृत संचालनात्मक योजना के लिए और समान क्षेत्रीय आधार पर अधिक एक जैसे सामान्य गुणों को ध्यान में रखते हुए १५ मंडलों को ७३ उप-मण्डलों में विभाजित किया गया।

देश के प्रमुख कृषि-जलवायु मंडलों/क्षेत्रों तथा बाद में उप-मंडलों/क्षेत्रों के रूप में एक जैसी सामान्य बातों को ध्यान में रखते हुए विभक्त करके परियोजना शुरू की गई। इस उपक्षेत्रीकरण के लिए जो सिद्धान्त अपनाए गए, वे मूलभूत कृषि अर्थव्यवस्था के स्वरूप से सम्बद्ध हैं जैसे मृदा की किस्म, जलवायु, तापमान और इसकी भिन्नताएँ, वर्षा तथा अन्य कृषि-मौसम संबंधी विशेषताएँ, जल की माँग तथा विमोचन दशाएँ आदि। प्रत्येक व्यापक क्षेत्र के लिए उस इलाके के राज्य कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कुलपति की अध्यक्षता में एक मंडलीय योजना दल का गठन किया गया। इसका कार्य मंडलीय योजना दलों की अधिकतम विकास नीति को आधार मानकर प्रत्येक क्षेत्र के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करना उसके लिए सुझाव देना तथा कार्यान्वयन के लिए कार्यबिंदुओं को तय करना था। इस क्रम में क्षेत्रीय संसाधनों, दवाओं, आवश्यकताओं, प्राथमिकता क्षेत्रों आदि की जानकारी और रूप रेखा तैयार करना जिससे योजनावधि तथा संभावित काल दोनों ही समय कृषि के विकास के लिए स्थान की विशिष्टता योग्य नीतियों और कार्यक्रमों को चलाया जा सके। इन

नीतियों तथा कार्यक्रमों को बाद में कृषि-जलवायु क्षेत्रों द्वारा राज्य योजनाओं में शामिल किया गया। किसी क्षेत्र विशेष में ससाधनों की उपलब्धता की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए स्थापित आर्थिक संकेतकों पर मूल सूचना, भूमि तथा जल ससाधन, फसलें तथा फसल प्रणालियाँ, कृषि सहयोग प्रणालियाँ तथा बागवानी, मत्स्यकी और कृषि प्रसस्करण जैसे सहयोगी क्षेत्रों से प्रायः बुनियादी सूचना का सकलन तथा विश्लेषण किया गया। विश्लेषणात्मक चरण से किसी क्षेत्र के विकासात्मक मुद्दे निकलते हैं जिनसे उपयुक्त क्षेत्रीय विकास नीतियाँ तैयार की जाती हैं।

विगत दो दशकों के दौरान उल्लेखनीय विकास देखा गया है। अतरिक्ष अनुसंधान द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जा रहा है।

- ✓ जल सभरण की पहचान और प्राथमिकीकरण
- ✓ जल ससाधनों का दोहन
- ✓ क्षेत्र का अनुमान तथा पहचान की गई कुछ फसलों का उत्पादन तथा
- ✓ समस्याग्रस्त मिट्टियों का सीमा-निर्धारण आदि।

विभिन्न कृषि-जलवायु दशाओं आदि के लिए उपयुक्त पादप सामग्री के विकास में जैव प्रौद्योगिकी और जैव अभियांत्रिकी के उपयोग के भविष्य में प्रमुख भूमिका होगी। बागवानी-फलों, सब्जियों और फूलों की खेती के उभरते परिदृश्य से हमारे यहाँ के आम लोगों के पोषाहार में सुधार आएगा तथा हमारे कृषि-निर्यात को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेगा। इसी तरह टिकाऊ और बढ़िया उत्पादन के लिए मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बेहतर बनाने के वास्ते जैव तथा फर्टिलाइजरो का इस्तेमाल और कीटाणुओं तथा रोगों को नष्ट करने के लिए जैव-नियंत्रण के उपायों का इस्तेमाल बढ़ाने से कृषि में हमारा भरोसा और बढ़ेगा। पशुपालन के क्षेत्र में भी (श्रुण-हस्तांतरण टेक्नोलॉजी) (एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी) से दूध, माँस और ऊन के उत्पादन में सुधार की पर्याप्त आशा मिल रही है। इस समय इस प्रौद्योगिकी में कुछ दबाव तथा सीमाएँ हैं लेकिन त्वरित अनुसंधानों प्रयासों से इन पर काबू पा लिया जाएगा। “हरित क्रांति” और “श्वेत क्रांति” के बाद समुद्री तथा खारे पानी सहित अतर्देशीय जल में नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से मछलियों का उत्पादन बढ़ाकर ‘नील

क्रांति' लाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि तथा अन्य सम्बद्ध कार्यकलापो मे अनुसंधान के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो कृषक समुदाय की आय बढ़ाने तथा उत्पादन मे सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकीयो की विविधता तथा उच्च स्तर बढ़ाने मे बहुत मदद कर सकते हैं। वर्तमान अनुसंधान टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के प्रति हमारा भरोसा भविष्य के कृषि विकास के लिए आधार है जो मुक्त अर्थव्यवस्था और भूमंडलीकरण की किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकता है।

किसानो वैज्ञानिको तथा प्रसार कार्यकर्ताओ की कठोर मेहनत के खाद्यान्न सुरक्षा की लक्ष्य को हासिल करने मे हमारी मदद की है और 'पोषाहार सुरक्षा' की ओर ध्यान देने के लिए अब उपर्युक्त समय आ पहुँचा है। बागवानी की फसले खास तौर पर फल और सब्जियाँ न केवल खनिजो और विटामिनो के समृद्ध भंडार है बल्कि अत्यधिक पौष्टिक है और इनमे रोजगार उपलब्ध कराने की अत्यधिक संभावनाएँ हैं, इनसे और अधिक आमदनी तथा और अधिक खाद उपलब्ध हो सकती है। फलो-सब्जियो, मसालों, काजू तथा फूलो सहित इन सभी फसलो के निर्यात की अत्याधिक संभावनाएँ हैं जिससे देश के लिए बहुत जरूरी दुर्लभ विदेशी मुद्रा प्राप्त होती रहेगी।

'हरित क्रांति' और 'श्वेत क्रांति' के बाद समुद्री तथा खारे पानी सहित अतर्देशीय जाल मे नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से मछलियों का उत्पादन बढ़ाकर 'नील क्रांति' लाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि तथा अन्य सम्बद्ध कार्यकलापो मे अनुसंधान के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जो कृषक समुदाय की आय बढ़ाने तथा उत्पादन मे सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकीयो की विविधता तथा उच्च-स्तर बढ़ाने मे बहुत मदद कर सकते हैं।

बागवानी, फसलो, विशेषकर फलो-सब्जियो तथा फूलों की एक सबसे प्रमुख समस्या यह होती है कि देश के अधिकांश भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु होने तथा नमी की मात्रा ज्यादा होने के कारण उनके खराब या नष्ट होने की आशंका ज्यादा रहती है इससे फसल तैयार होने के बाद की स्थिति के लिए बुनियादी ढाँचे का विकास करने की अनिवार्यता और बढ़ जाती है। फलों और सब्जियो को जीवित प्राणियो की तरह हवादार जगह की आवश्यकता होती है। खेतो मे गर्मी कम करने और शीत भंडारो की पर्याप्त व्यवस्था करने

फल उत्पादन क्षेत्रों में पूर्व प्रशीतन और शीत भंडारण सुविधाओं आदि के माध्यम से फसल तैयार होने के बाद की भारी क्षति से बचा जा सकता है तथा उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है। तथा सही समय पर उसे बगीचों तथा खेतों से बाहर से जाकर टर्मिनल मंडियों पहुँचाया जा सकता है। प्रशीतित परिवहन व्यवस्था विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। उत्पाद शीघ्रता से और कुशलता से परिवहन के जरिए भेजना जरूरी होता है इसके लिए सड़क और रेल की प्रणालियों में सुधार तथा सड़कों की हालत में पर्याप्त सुधार आवश्यक होता है।

बागवानी फसलों के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। विश्व में ब्राजील और चीन को छोड़कर हमारा देश फलों और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारे देश में आम और केले का सबसे अधिक उत्पादन होता है और प्याज, टमाटर तथा आलू आदि के उत्पादन में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है। भारत मसालों और काजू का परंपरागत निर्यातक देश रहा है। हमारे यहाँ से फूलों की सम्पदा विशेषकर उष्ण कटिबंधीय आर्किड और 'कट फ्लॉवर' के निर्यात की भारी संभावनाएँ हैं। इसके अलावा मशरूम, बटन, मर्सेला (गुच्छी), साइस्टर आदि के निर्यात की पर्याप्त गुंजाइश है।

भारतीय फलों विशेषकर लीची, सपोटा और अनार जैसे स्वादिष्ट फलों के निर्यात को प्राथमिकता देकर भारतीय बागवानी समुदाय निर्यात की संभावनाओं का भली-भाँति उपयोग कर सकता है। कुछ इलाकों में ऐसी पट्टियाँ हैं जहाँ उत्कृष्ट किस्म के फलों का उत्पादन पहले ही किया जा रहा है और कटाई बाद की व्यवस्था तथा बिक्री के ढाँचे का विकास करके निर्यात में भारी सफलता हासिल की जा सकती है। महाराष्ट्र का 'महाग्रेप' इसका शानदार उदाहरण है।

बागवानी उत्पादों का निर्यात कम मात्रा में किया जाता है लेकिन इससे कृषि क्षेत्र को अधिक आमदनी और रोजगार उपलब्ध करने में मदद मिलती है। हमारे यहाँ कृषि-जलवायु में बड़ी विविधता है। जिसके फलस्वरूप हम निर्यात के लिए साल भर फलों-फूलों और सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं।

विकसित देशों में फल-सब्जी का प्रसस्करण उद्योग फसलों की कटाई के समय मूल्यों को स्थिर रखने तथा अतिरिक्त उत्पाद के उपयोग के मामले में उत्प्रेरक का कार्य करता है। लेकिन हमारे देश में

यह उद्योग कई रूकावटों के कारण अभी ज्यादा विकसित नहीं हो पाया है और बाधाओं को दूर करके इसका सुव्यवस्थित विकास किया जाना बहुत आवश्यक है।

कृषि पदार्थों की विक्रय पद्धतियाँ :-

भारत में कृषि वस्तुओं का विपणन मुख्यतः निम्नलिखित पद्धतियों के द्वारा किया जाता है -

1. हत्था एवं गुप्त पद्धति :- इस पद्धति में क्रेता अथवा उसका दलाल और कच्चा आढतिया एक वस्त्र के नीचे हाथ मिलाते हैं। यह वस्त्र प्रायः तौलिया अथवा धोती का भाग अथवा कुर्ता अथवा कमीज का अग्रभाग हो सकता है। मूल्य ऊँगलियों को दबाकर तय किये जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि क्रेता वस्तु का भाव १६ रू० आठ आने मन लगाता है तो वस्त्र में हाथ डालता है और आढतिये की ४ ऊँगलियों को चार बार दबाकर जोर से कहता है "रूपडु"। अब वह ४ ऊँगलियों को दो बार दबाकर कहता है "आने"। इस प्रकार मोल भाव गुप्त रूप से तब तक चलता रहता है जब तक की मूल्य तय नहीं हो जाते अथवा आपस में कोई मूल्य तय न होने से दोनों पक्ष पृथक हो जाते हैं। आढतिया विक्रेता को केवल अधिकतम प्रस्तावित भाव ही बताता है अर्थात् अन्य क्रेताओं द्वारा प्रस्तावित भावों के बारे में नहीं बताता। यदि इस अधिकतम प्रस्तावित भाव पर विक्रेता अपनी उपज बेचने की स्वीकृति देता है तो आढतिया वस्तुएँ बेच देता है अन्यथा अधिक ऊँचे मूल्यों की प्रतिक्षा की जाती है। किन्तु वास्तविक व्यवहार में आढतिया जो अधिकतम मूल्य बताता है, उसी पर विक्रेता को अपनी उपज बेचनी होती है अन्यथा आढतिया उसके साथ सहयोग नहीं करता है⁵⁶

2. नीलामी द्वारा :- इन तरीके के बिक्री में आढतिया या दलाल बोली बोलने वाले को बुलाते हैं तथा जो सबसे अधिक बोली बोलता है उसे माल बेचते हैं। इस तरीके से बिक्री करने में विक्रेता किसान को भी उपज के मूल्य के बारे में पूरा ज्ञान होता है तथा उसके ठगने की सभावना कम होती है। नियंत्रित बाजारों में अधिकतर इस तरीके से बिक्री होती है। बिक्री का यह तरीका साधारणतया चावल के लिए आंध्र, मद्रास, मैसूर व महाराष्ट्र के

⁵⁶ डॉ० सिंह कुमार अशोक, भारत में कृषि विपणन विजय प्रकाशन मन्दिर, सुडिया वाराणसी, पृष्ठ संख्या १६ ।

कुछ भागों में तथा गेहूँ के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा पूर्व व मध्य पंजाब के भागों में अपनाया जाता है⁵⁷

3. आपसी समझौते द्वारा :- इस तरीके के बिक्री में क्रेता स्वयं क्रेता के पास जाकर अपना तय किया हुआ भाव बता देता है। अगर विक्रेता को यह भाव मान्य हो तो वह अपनी स्वीकृति शाम को सूचित कर देता है। इस प्रकार क्रेता और विक्रेता आपसी समझौते द्वारा यह मूल्य निर्धारित करके कृषि पदार्थों की बिक्री करते हैं। बिक्री का यह तरीका मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तरी पंजाब, देहली तथा उत्तर प्रदेश के आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर आदि मंडियों में अधिकतर प्रचलित है। इसके अतिरिक्त भारत में कहीं-कहीं पर चिट निविदा पद्धति तथा कहीं-कहीं पर फसल तैयार न होने से पहले ही करने की पद्धतियाँ प्रचलित हैं⁵⁸

मध्यस्थों के अनुसार गुप्त पद्धति द्वारा विक्रय लाभप्रद है क्योंकि पक्के आढ़तिये (क्रेता) बाहर के मध्यस्थों के लिए कृषि वस्तुएँ क्रय करते हैं। बाहर की फर्म इन आढ़तियों को एक निश्चित दर पर क्रय का आदेश देती है। चूँकि एक पक्के आढ़तिये को यह ज्ञात नहीं होता कि दूसरे पक्के आढ़तिये ने क्या भाव लगाए हैं, अतः वह वही मूल्य लगा सकता है जो उसे बाहर के मध्यस्थ ने बताया है। इस प्रकार गुप्त पद्धति में विक्रेता को उच्चतम मूल्य प्राप्त हो सकते हैं। यदि इस तर्क को सही मान लिया जाए तो भी इस पद्धति में विक्रेताओं के हितों के प्रति कुव्यवहार की यथेष्ट गुँजाइस होती है। क्योंकि ये गुप्त मोल भाव विक्रेता के एजेंट द्वारा किये जाते हैं। ऐसा भी सम्भव होता है कि वह विक्रेता को सही भाव न बताए और उस व्यक्ति को भाव अधिकतम बता दे जिसने कम भाव लगाया हो। वैसे अब इस पद्धति द्वारा विक्रय करना लगभग समाप्त हो गया है।

नीलामी द्वारा विक्रय पद्धति निश्चय ही गुप्त पद्धति से उत्तम है क्योंकि इससे क्रेताओं के मध्य प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा मिलता है। किन्तु इसमें समय अधिक लग जाता है क्योंकि यदि विक्रेता अधिकतम बोली पर अपनी उपज नहीं बेचता तो बार-बार उसके लिए बोली लगाने की आवश्यकता होती है। 'निजी

⁵⁷ भालेराव एम०एम०, भारतीय कृषि अर्थशास्त्र, पृष्ठ संख्या ३९९ ।

⁵⁸ भालेराव एम०एम०, भारतीय कृषि अर्थशास्त्र, पृष्ठ संख्या ३९९ ।

मोल भाव पद्धति' एव धीमी पद्धति है और इसमें अधिक समय लग जाता है। इस पद्धति का अनुसरण करना उस समय कठिन होता है जब या तो बड़ी मात्रा में उपज को बेचना होता है अथवा विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। इस पद्धति का लाभ यह है कि एक क्रेता के भाव दूसरे को ज्ञात नहीं होते।

कार्यवाहक मध्यस्थ :-

एक कृषि बाजार में मुख्यतः निम्नलिखित कार्यकर्ता होते हैं।

1. अढ़तिया :- अढ़तिया का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कारोबार के सामान्य क्रम में कृषि पदार्थों के स्वामी अथवा विक्रेता और क्रेता की ओर से आढ़त या कमीशन पर, कृषि पदार्थों का विक्रय या क्रय करता है। ये अढ़तिये दो प्रकार के होते हैं -

(क) कच्चा अढ़तिया :- इसका प्रमुख कार्य क्रेता (पक्के अढ़तिये) और विक्रेता (किसान, गाँव के बनिये महाजन आदि) के मध्य सम्बन्ध स्थापित करना होता है। कृषि उपज के बाद विक्रेता अपनी उपज को कच्चे अढ़तिये की दुकान पर लाते हैं और इसके माध्यम से उपज बेचते हैं। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि बाजार में उपज कच्चे अढ़तिये के माध्यम से ही बेची जाये किन्तु किसानों द्वारा इन बाजारों में सीधी बिक्री शायद ही कभी होती हो। कच्चे अढ़तिया इस कार्य हेतु पारिश्रमिक लेते हैं जिसे 'आढ़त' या 'कमीशन' कहते हैं। ये कभी-कभी अपने लेखे में भी कृषि उपज क्रय कर लेते हैं। कच्चे अढ़तियों की वित्तीय स्थिति खराब रहती है इसलिए वे पक्के अढ़तियों से ऋण सम्बन्धी सुविधाएँ अपनी साख पर अपने परिचित किसानों एवं स्थानीय व्यापारियों को प्रदान करवाते रहते हैं। कच्चे अढ़तिए अधिकतर किसानों एवं स्थानीय व्यापारियों के पक्ष में कार्य करते हैं।

(ख) पक्का अढ़तिया :- पक्के अढ़तियों की वित्तीय स्थिति प्रायः सुदृढ़ रहते हैं तथा उसकी निजी गोदाम में भी रहती है। पक्के अढ़तिये बिक्री हेतु प्रस्तुत किये गये कृषि पदार्थों की थोक व्यापारियों को बिकवा देते हैं तथा आढ़त प्राप्त कर लेते हैं। यदि बाजार में कीमत उचित नहीं है तो विक्रेता पक्के अढ़तियों के यहाँ अपने कृषि पदार्थ को रख देता है तथा उचित कीमत आने पर बेचने का प्रस्ताव रखता है। पक्का अढ़तिया उस कृषि पदार्थ को उचित कीमत पर बेचकर अपनी आढ़त ले लेता है। यदि बाजार में कीमत उचित नहीं है तथा

विक्रेता को तुरन्त पैसे की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में पक्का अढ़तिया विक्रेता के कृषि पदार्थ की वर्तमान कीमत दर से ७५ प्रतिशत कीमत, १५ प्रतिशत मासिक ब्याज की दर पर ऋण के रूप में दे देता है⁵⁹ जब विक्रेता का माल बिक जाता है तब अपनी अढ़त देय धन का ब्याज काट कर शेष पैसे का भुगतान कर देता है।

भिन्न भिन्न मण्डियों में कीमते भिन्न भिन्न होती हैं। इस विभिन्नता से लाभ उठाने के उद्देश्य से थोक व्यापारी अपने कृषि पदार्थ दूसरी मण्डी के पक्के अढ़तिये के द्वारा बिकवाने का भी प्रयास करते हैं। पक्का अढ़तिया उस कृषि पदार्थ को अपने गोदाम में रख लेता है तथा उचित समय पर बिक्री कर देता है। बिक्री के फलस्वरूप प्राप्त कीमत में से आढ़त या विपणन खर्च काट कर शेष पैसे को कृषि पदार्थ के मालिक के पास देता है। बहुत से अढ़तिये थोक व्यापारी का भी कार्य करते हैं⁶⁰

2. दलाल :- यह कार्यकर्ता सभी बजारों में कार्य करता है और क्रेता तथा विक्रेता को साथ-साथ मिलाने का कार्य करता है। प्रायः ये क्रेता की ओर से कार्य करते हैं और इनका अपना कोई व्यवसाय नहीं होता है। दलाल बाजार की सभी दूकानों पर जाते हैं, बोरो या ढेर में से नमूना लेते हैं, इसे संभावित क्रेताओं को दिखाते हैं, और जो सौदे इनके माध्यम से होते हैं उनका विवरण लिखते हैं। अपने कार्य हेतु इन्हें जो पाश्चिमिक मिलता है उसे दलाली कहते हैं। दलाली की दर विभिन्न मण्डियों में अलग-अलग पायी जाती है। जैसे उ० प्र० कृषि उत्पादन मण्डी नियम १९६४ के अनुसार ०.५० प्रतिशत दलाली निर्धारित की गयी है⁶¹ अधिनियम में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि यह परिव्यय क्रेता द्वारा देय होगा। प्रतिबन्ध यह है कि निलाम के पूर्व तौलाई या मापने अथवा सँभालने के परिव्यय यदि कोई हो जो मण्डी समिति द्वारा अपनी उप-बंधियों में निर्दिष्ट किये जाये, विक्रेता द्वारा देय होंगे। किन्तु चुनी गई मण्डियों के सर्वेक्षण में ऐसा पाया गया कि विक्रेता (कृषक) को भी दलाली देनी पड़ती है।

⁵⁹ मण्डियों में किए गए स्वतः सर्वेक्षण पर।

⁶⁰ मण्डियों में किए गए स्वतः सर्वेक्षण पर।

⁶¹ उ० प्र० में कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम १९६४ के अधीन बनायी गयी नियमावली, निदेशक कृषि विभाग, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा प्रकाशित पृष्ठ संख्या ३३।

3. **तौला :-** ये उपज को तौलने का कार्य करते हैं। कहीं-कहीं इन्हे एक निश्चित वेतन पर आढ़तियों द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रायः सहकारी विपणन समिति पर तौले उसके कर्मचारी होते हैं। कहीं-कहीं कच्चे आढ़तिये भी तौला का कार्य करते हैं। इनकी सेवा हेतु प्राप्त धनराशि को तुलाई कहते हैं। तौलाई की दर भिन्न-भिन्न मण्डियों में अलग-अलग पायी जाती है जैसे उ० प्र० कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम १९६४ के अनुसार तौलाई १० रु० प्रति क्विंटल निर्धारित की गई। किन्तु उ० प्र० कृषि उत्पादन मण्डी (अमेन्डमेन्ट) रूल्स १९६८ के अनुसार यह दर १५ रु० प्रति क्विंटल निर्धारित कर दी गयी⁶²

4. **पल्लेद्वार :-** ये लोग वस्तु की दुलाई का कार्य करते हैं, जैसे उपज को बैलगाड़ियों, ट्रको अथवा बैगनो पर से उतारना और लादना, उपज को साफ करना, बोरो में भरना और बोरो को सिलना आदि। ये या तो स्वतन्त्र मजदूर होते हैं अथवा कच्चे आढ़तियों के कर्मचारी होते हैं अथवा ठेकेदारों के साथ-साथ कार्य करते हैं। इन्हे अपने कार्य हेतु जो पाश्चिमिक मिलता है, उसे 'पल्लेद्वारी' कहते हैं। पल्लेद्वारी की दर विभिन्न मण्डियों में अलग-अलग होती है। किन्तु उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम १९६४ के अनुसार पल्लेद्वारी की दर १५० रु० प्रति कुतल है। किन्तु मण्डी अधिनियम में १९६८ में सशोधन करके यह दर २ रु० प्रति क्विंटल निर्धारित कर दी गयी है⁶³

5. **फूटकर व्यापारी :-** फूटकर व्यापारी का कार्य प्रायः पक्के अढतियों या थोक व्यापारियों से कृषि पदार्थों की खरीद करना तथा उन्हें अंतिम उपभोक्ताओं को भेजना है। ऐसे व्यापारी शहर, बड़े कस्बो या ग्रामीण बस्तियों में उपभोक्ताओं के समीप अपनी दुकाने रखते हैं। इस व्यवस्था को "फूटकर मण्डी" कहा जाता है। "फूटकर मण्डी से अभिप्राय ऐसी मण्डी से है जो अंतिम उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकतानुसार खरीदने का अवसर देती है। कृषि पदार्थों की फूटकर मण्डियों सारे देश में विभिन्न स्थानों पर फैली हुई है।

थोक मण्डी के अन्तर्गत भी फूटकर मण्डी पायी जाती है क्योंकि बहुत से फूटकर व्यापारी थोक मण्डी की सीमा के अन्तर्गत ही व्यापार करते हैं। मण्डी से दूर की फूटकर दूकानों की अपेक्षा थोक मण्डी

⁶² उ० प्र० में कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम १९६४ के अधीन बनायी गयी नियमावली, निदेशक कृषि विभाग, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा प्रकाशित पृष्ठ संख्या ३३ ।

⁶³ उ० प्र० कृषि उत्पादन मण्डी अमेन्डमेन्ट रूल्स १९६८ निदेशक, कृषि विभाग, उ० प्र० लखनऊ द्वारा प्रकाशित ।

दूकानो की वस्तुएँ भी कुछ सस्ती प्राप्त होती है, क्योंकि मण्डी के फूटकर विक्रेताओ की चूँगी, परिवहन तथा कुछ अन्य मण्डी मे होने वाले खर्चों को अधिक नहीं करना पड़ता है।

फूटकर व्यापारी प्राय कच्चे अढ़तियो अथवा थोक व्यापारियो से माल की खरीद करते है। किसी फूटकर व्यापारी को अगर उधार माल लेना पड़ता है तो वह पक्के अढ़तिया का सहारा लेता है। ऐसी खरीद पर अढ़तियो अपनी आढ़त के अलावा एक खरीद के कार्य मे दलालो का भी सहारा लेते हैं। ऐसा प्राय तब होता है जबकि किसी फूटकर व्यापारी को मण्डी में कृषि पदार्थ विशेष की उपलब्धि के बारे मे अनभिग्यता रहती है। फूटकर व्यापारी क्रय किये गए कृषि पदार्थों का प्रायः अपनी दुकान मे ही सग्रहण करता है तथा उपभोक्ताओ को ऐसी कीमत पर बेचने का प्रयास करता है जिससे स्वयं के द्वारा लगाई गई विघनन सम्बन्धी लागतो के अलावा उसे पर्याप्त लाभ की भी प्राप्ति हो।

कृषि विपणन व्यवस्था का मूल्यांकन :- हमारे देश मे कृषि विपणन व्यवस्था अभी पिछड़ी हुई अवस्था मे है। कृषि पदार्थों मे विपणन प्रक्रिया खेत से ही प्रारभ हो जाती है। इस प्रकार कृषि उपजो के विपणन मे मुख्य बात उत्पादन और बिक्री के बीच के श्रृखला से सम्बन्धित रहती है और इस श्रृखला की कई कडियोँ होती है। अतएव कृषक को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने व्यवस्था, हेतु आवश्यक होती है। जैसे एकत्रीकरण एवं वितरण व्यवस्था, विपणन का समय, विपणन का स्थान, उपज की कीमत, परिवहन व्यवस्था, सग्रह व्यवस्था, प्रमापीकरण व श्रेणीकरण विपणन वित्त, ससार सुविधा आदि, एक अच्छे कृषि विपणन व्यवस्था हेतु समस्त आवश्यक शर्तो के आधार पर विपणन प्रक्रिया का मूल्यांकन नीचे प्रस्तुत किया गया है।

कृषि पदार्थों का एकत्रीकरण एवं वितरण :- “एकत्रीकरण वह क्रिया है, जिसमे वस्तुएँ बहुत से उत्पादको से एक केन्द्रीय बिन्दु या बाजार की ओर बहती है”⁶⁴ और जब केन्द्रीय बिन्दु या बाजार से पदार्थों का वितरण उपभोक्ता या औद्योगिक उपभोक्ता की ओर होता है तो इस क्रिया को वितरण कहते है। कृषि पदार्थों मे एकत्रीकरण की विधि वस्तु के खेत के छोड़ते ही प्रारम्भ हो जाती है। किसान अपने वर्ष भर के खाने

⁶⁴ पाइल जे० एफ०, मार्केटिंग प्रिन्सिपुल १९५६ पृष्ठ संख्या ८९ ।

के लिए उपज को रोककर शेष भाग को प्राथमिक बाजारो मे बेच देते है। प्राथमिक बाजारो मे हाट, गाँव का बनिया, घुमता फिरता व्यापारी आदि आते हैं। ये व्यापारी अपना माल पास के थोक बाजार मे ले जाते हैं जहाँ इसको कच्चे अढतियो को बेच देते हैं। कच्चा अढतिया इसको पक्के अढतियो को बेचता है जो अन्य मध्यस्थो के माध्यम से उस माल को उपभोक्ता या निर्यातकर्ता तक पहुँचा देता है, इस प्रकार इन सभी के द्वारा एकत्रीकरण क्रिया की जाती है एकत्रीकरण उन पदार्थो मे विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो प्राकृतिक रूप व अवस्था मे बेचे जाते है। इनमे कृषि पदार्थ, ऊन, रूई, अनाज, मछली उत्पादन, खनिज आते हैं। इन सभी की उत्पादन विभिन्न स्थानो पर होता है और उचित वितरण के लिए आवश्यक है कि उनका एकत्रीकरण किया जाए⁶⁵

कृषि पदार्थो के संदर्भ मे एकत्रीकरण क्रिया जटिल है, क्योंकि कृषि एक लघु पैमाने का व्यापार है और इसके उत्पादक बिखरे हुए होते है। एकत्रीकरण तथा वितरण की प्रक्रिया हर स्थिति मे एक सी नहीं पायी जाती है। कुछ किसान कृषि पदार्थो को सीधे थोक मण्डियो मे बिक्री कर देते हैं, फिर वहाँ से अंतिम उपभोक्ताओं की उनका वितरण होता है। कृषि पदार्थो का प्रायः छोटी-छोटी मण्डियो मे एकत्रीकरण होता है जहाँ से उन्हे बड़ी मण्डियो मे भेजा जाता है इन बड़ी मण्डियो को हम एकत्रीकरण का अन्तिम बिन्दू कह सकते है। कभी-कभी किसान कृषि पदार्थो को सीधे अंतिम उपभोक्ताओ के हाथ बेच देते हैं और इस प्रकार उत्पादनकर्ता के स्तर से ही थोड़ा बहुत वितरण प्रारम्भ हो जाता है। कृषि पदार्थो का अधिकांशतया वितरण केन्द्रीय बाजारो के थोक विक्रेता, फुटकर व्यापारियो मे करते है, ताकि फुटकर व्यापारी उनका वितरण करके अंतिम उपभोक्ताओ तक भेज सके। खाद्यान्नो के राजकीय व्यापार के अतर्गत भी कृषि पदार्थो के एकत्रीकरण और वितरण की प्रक्रियाएँ अपनायी जाती है। समुचित वितरण के उद्देश्य से सरकारी खरीद के द्वारा कृषि पदार्थो के भण्डार बनाए जाते हैं और निर्धारित दुकानो के माध्यम से निर्धारित कीमत पर सरकार इन्हे वितरित करती है। इस एकत्रीकरण एवं वितरण के दो तरफा बहाव के मध्य एक तीसरी प्रक्रिया भी होती है जिसे समाजीकरण की क्रिया कहते है। समाजीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तु की पूर्ति एव उसकी माँग के बीच सामजस्य स्थापित किया जाता है जिस स्थान पर जब जितनी मात्रा मे और जिस किस्म

⁶⁵ गुप्ता ए०पी० मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इण्डिया १९७५ पृष्ठ संख्या ३ ।

की वस्तु की माँग होती है उसके अनुरूप बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तुओं को वितरित करके माँग और पूर्ति में समानीकरण किया जाता है। समानीकरण का कार्य मुख्य रूप से थोक मण्डियों में होता है। इन मण्डियों में विभिन्न प्रकार के कृषि पदार्थ एकत्रित होते रहते हैं। कृषि पदार्थों को थोक विक्रेता तब तक रोके रहते हैं जब तक कि उपभोक्ता केन्द्रों में उनकी माँग अथवा वितरण की आवश्यकता नहीं होती है। माँग के अनुरूप वितरण करना ही समानीकरण है जो एकत्रीकरण तथा वितरण की प्रक्रियाओं के मध्य एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है।

इस प्रकार कृषि विपणन में एकत्रीकरण एवं वितरण एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है कृषि पदार्थों के एकत्रीकरण की क्रिया विभिन्न सस्थाओं द्वारा की जाती है।

अतः इससे स्पष्ट है कि किसानों द्वारा विभिन्न सस्थाओं को की गयी बिक्री का औसत इस प्रकार है। सीधे मण्डी को २९.११ प्रतिशत, गाँव के बाजार के व्यापारी को ३३.१४ प्रतिशत, थोक व्यापारी को १७.३१ प्रतिशत, घूमता-फिरता व्यापारी को १६.४५ प्रतिशत, गाँव की धानी की ५.४७ प्रतिशत मिल के प्रतिनिधि को ९.५३ प्रतिशत, सहकारी समिति को ०.९४ प्रतिशत⁶⁶ इस प्रकार किसान अपने विक्रय योग्य अधिक्य का सबसे अधिक भाग गाँव के व्यापारी को करते हैं। ऐसा प्रायः इसलिए होता है कि हमारे देश में छोटे किसानों का बाहुल्य है तथा उनमें संगठन के अभाव से किसान अपनी प्रत्येक छोटी सी विपणन योग्य बचत बाजार में ले जाने में असमर्थ रहते हैं तथा विपणन साख व सग्रह की सुविधा के अभाव से गाँव में फसल काटने के तुरन्त पश्चात् ग्रामीण व्यापारी को बेंच देते हैं। कई किसान तो महाजन व्यापारियों के ऋण बन्धन में रहते हैं उन्हें तो अनिवार्यतः अपनी उपज इन महाजन व्यापारियों को ही गाँव में बेचनी पड़ती है। कुल बिक्री में सहकारी समिति को की गयी बिक्री का प्रतिशत अति न्यून है। एकत्रीकरण एवं वितरण की प्रक्रिया को उन्नत बनाने हेतु विनियमित मण्डियों की स्थापना की गई है। प्रत्येक गाँव को सड़क द्वारा मंडी स्थलों से जोड़ा जा रहा है, ताकि किसान अपनी उपज मण्डी में लाकर बेचे जिसमें उन्हें मण्डी विनियमन के लाभ मिल सके। विनियमित मण्डियों ने उत्पादक विक्रेताओं को मण्डियों में शोषण से बचाकर न्यायोचित व्यवहार दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है अपितु इसके कार्यों से भारी मात्रा में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के उत्पादक

⁶⁶ सौजन्य से राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ०प्र० १६ ए०पी० सेन रोड, लखनऊ।

विक्रेताओं ने विनियमित मण्डियों में अपनी उपज को लाकर बेचना आरम्भ कर दिया है मण्डियों की आवक में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

आशा है कि भविष्य में भी वृद्धि की यह दर जारी रहेगी। इस प्रकार मण्डियों के विनियमन एवं मण्डी स्थलों के निर्माण से कृषि पदार्थों के एकत्रीकरण एवं वितरण की प्रक्रिया में पर्याप्त सुधार हुए हैं।

विपणन का समय :- औद्योगिक वस्तुओं की विपणन व्यवस्था एवं कृषि पदार्थों की विपणन व्यवस्था में अन्तर है। चूँकि औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन एवं उनका उपयोग पूरे वर्ष भर होता है। जबकि कृषि पदार्थों का एक निश्चित समयावधि में उत्पादन होता है किन्तु उपयोग पूरे वर्ष भर होता रहता है। अतएव कृषि पदार्थों को इस प्रकार पर्याप्त मात्रा में संग्रहित कर लेना आवश्यक हो जाता है, ताकि उनकी पूर्ति माँग के अनुरूप उचित ढंग से होती रहे। उदाहरण- स्वरूप भारत में तिलहन, गेहूँ का उत्पादन अप्रैल-मई में होता है किन्तु उनकी माँग पूरे वर्ष बनी रहती है। इसीलिए उचित समय पर इसे पर्याप्त मात्रा में संग्रहित कर लिया जाता है। संग्रहण क्रिया, विपणन का वह पक्ष है जो समयानुसार वस्तुओं का स्थानान्तरण एवं वितरण कर उसमें समय उपयोगिता की वृद्धि करती है।⁶⁷ इस प्रकार एक व्यवस्थित कृषि विपणन व्यवस्था में पदार्थों का प्रवाह अनवरत् बिना किसी बिलम्ब अथवा बाधा के होना आवश्यक है ताकि अन्तिम उपभोक्ताओं के पास उत्पादकों का माल पहुँचता रहे।

भारतीय कृषक प्रायः अनपढ़ एवं गँवार होते हैं एवं इनमें संगठन क्षमता का अभाव व विपणन सम्बन्धी मनोवृत्ति की कमी पायी जाती है। जिससे इनके समक्ष अनेक विपणन सम्बन्धी विकट समस्याएँ तो रहती ही हैं साथ ही साथ फसल तैयार होते ही सरकारी ऋण की वसूली, लगान की वसूली तथा व्यापारियों महाजनों, साहूकारों, आदि के ऋणों की वसूली, सम्बन्धी समस्याओं से घिरे हुए किसानों में स्वभावतः माल रोकने की क्षमता कम होती है। अतएव अधिकांश छोटे किसानों को अनिवार्य रूप से कम मूल्य पर कृषि उपज गाँव में ही बेच देनी पड़ती है। यह प्रथा प्रायः पूरे देश में लाचार बिक्री के रूप में पायी जाती है। मण्डियों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न व्यावसायिक फसलों की कुल उपज में से गाँवों में बेची गई मात्रा का विवरण इस प्रकार है। गुड़ ३३ ३९ प्रतिशत, सरसो ४४ ६४ प्रतिशत, अलसी ३९ ७१ प्रतिशत, मूँगफली १४ ८३

⁶⁷ गुप्ता ए०पी० मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इण्डिया १९७५ पृष्ठ संख्या ३ ।

प्रतिशत। ग्रामीण व्यापारी छोटे किसानों से प्राप्त कृषि उपज को एकत्रित करते हैं तथा अढ़तियों द्वारा स्वयं पास के बड़े बाजारों में थोक व्यापारियों को बेच देते हैं। कभी-कभी फेरी वाले जिन्हे घूमता फिरता व्यापारी भी कहते हैं गाँव में ही किसानों से माल खरीदते हैं व उसे एकत्रित करके बाजारों में थोक व्यापारियों को बेचते हैं। मण्डियों में किये गए सर्वेक्षण के अनुसार किसान अपनी कुल उपज का ९५३ प्रतिशत गुड़, ८०१ प्रतिशत सरसो, ३८९ प्रतिशत अलसी एवं ११४८ प्रतिशत मूँगफली घूमते-फिरते व्यापारियों के हाथों बिक्री किये हैं। इस प्रकार कृषक तो तुरन्त फसल तैयार होने के बाद बिक्री कर देता है⁶⁸ जिससे कृषि पदार्थों की पूर्ति माँग की अपेक्षा अधिक बढ़ जाती है और किमतों में भारी गिरावट आ जाती है। परिणामस्वरूप कृषकों को अपनी उपज का कम ही मूल्य प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारे देश में किसान विपणन की दौड़ में पीछे रह जाता है और वह समय उपयोगिता से लाभान्वित नहीं हो पाता है। इन कठिनाइयों को सुलझाने हेतु सरकार संग्रह व्यवस्था गाँवों को मुख्य मण्डी स्थल से सड़कों द्वारा जोड़ने की व्यवस्था, कृषकों को वित्तीय सहायता आदि विपणन सम्बन्धी आवश्यक सुविधाओं के विकास हेतु प्रयासरत है।

विपणन का स्थान :- एक स्थान से दूसरे स्थानों पर कृषि पदार्थों के स्थानान्तरण से मानवीय आवश्यकताओं के आधार पर विक्रय एवं वितरण सम्भव होता है। स्थान परिवर्तन के परिणामस्वरूप वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। स्थान उपयोगिता से तात्पर्य उपयोगिता के निर्माण के उस पहलू से है जो किसी वस्तु में केवल स्थान परिवर्तन से विकसित होता है। यह उपयोगिता बढ़े हुए मूल्यों में सहज ही परिलक्षित होती है। विपणन संस्थाओं द्वारा वस्तुओं को अधिक्य के स्थान से न्यूनता के स्थान पर लाकर उनकी उपयोगिता को बढ़ा दिया जाता है⁶⁹

यह निर्विवाद के रूप में सत्य है कि विनियमित मण्डियों में अन्य विक्रय स्थलों की तुलना में अच्छी कीमतें प्राप्त होती हैं परन्तु अधिकांश भारतीय कृषक प्रायः इन मण्डियों तक नहीं पहुँच पाते हैं। अतः ये किसान कीमत सम्बन्धी जानकारी प्रायः बनियों, साहूकारों, महाजनों, एवं अन्य व्यक्तियों से बातचीत के द्वारा ही प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए इन्हे गलत सूचना मिलना स्वाभाविक होता है। इस कीमत सम्बन्धी गलत सूचना

⁶⁸ स्वतः सर्वेक्षण पर आधारित ।

⁶⁹ भालेराव एम०एम०, भारतीय कृषि अर्थशास्त्र, ०९ पृष्ठ संख्या ४६६ ।

के कारण वे यह नहीं समझ पाते हैं कि किस स्थान पर बिक्री करने से उन्हें उचित कीमत प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त विक्रय योग्य अतिरिक्त की कमी एवं विपणन सम्बन्धी अनेक कठिनाईयों के कारण भी वे उचित स्थान पर बिक्री हेतु पहुँच पाने में असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में अधिकांश कृषकों को अपनी उपज का बहुत बड़ा भाग गाँव में ही बनियों, घूमते-फिरते व्यापारियों, महाजनो एवं साहूकारों के हाथों बिक्री कर देना पड़ता है।

उपर्युक्त समस्याओं के ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा यातायात साधनों, सग्रहण व्यवस्था एवं कीमत सम्बन्धी सूचनाओं के प्रसारण हेतु अनेक प्रयास जारी हैं। इसके अतिरिक्त सहकारी विपणन समितियाँ ग्रामीण अंचलों में अपने सदस्यों के कृषि पदार्थों को एक बड़ी मात्रा में खरीद कर स्थान उपयोगिता के लाभ दिलाने का कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त क्रय विक्रय को विनियमित करने हेतु विभिन्न राज्यों में मण्डियों का विनियमन किया गया है। नवनिर्मित मण्डी स्थल तथा उपमण्डी स्थल हेतु मण्डी समिति के प्रस्ताव के आधार पर जिन निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के थोक व्यापार के लिए निर्माण कराया जा रहा है उनके लिए राज्य सरकार के द्वारा धारा ७ (२) ख के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की जाती है। इस अधिसूचना व अन्य स्थानीय परिस्थितियों के अन्तर्गत जिला प्रशासन के द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित निर्दिष्ट कृषि उत्पादों का थोक व्यापार नवीन मण्डी स्थल उपमण्डी स्थल में स्थानान्तरित कराया जाता है⁷⁰

उपज की कीमत :- हमारे देश में कृषक को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता है। प्रायः कृषि उपजों की कीमत का निर्धारण मध्यस्थों एवं अढ़तियों एवं साहूकारों द्वारा मनमाने तौर पर तैयार किया जाता है। जिसमें किसानों का शोषण निहित रहता है। अतः किसान को उचित कीमत दिलाने के लिए उन्नत कृषि विपणन की पर्याप्त दशाओं का विकास होना आवश्यक है, साथ ही साथ किसानों को शिक्षित एवं विपणन कला में दक्ष होना आवश्यक होता है। हमारे देश में किसानों के पास विक्रय योग्य अतिरिक्त का अभाव रहता है। जिसके कारण वे अपनी उपज को मण्डी स्थल तक नहीं ले जाना चाहते हैं। क्योंकि यह महँगा पड़ता है, उसे गाँव में ही बेच देना आसान समझते हैं। जिससे उन्हें उचित कीमत नहीं मिल पाती है। इसके अतिरिक्त भारतीय किसान अनेक अन्य समस्याओं से भी ग्रसित हैं जैसे, यातायात की असुविधा, सग्रहण व प्रक्रिया की

⁷⁰ सौजन्य से राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ०प्र०, १६ ए०पी० सेन रोड, लखनऊ ।

सुविधाओं का अभाव, श्रेणीकरण व प्रमापीकरण आदि की असुविधा, वित्तीय संकट आदि। इसके अतिरिक्त जब किसान अपनी उपज को विनियमित मण्डी के बजाए अन्य स्थानों पर बेचता है तो अनेक अवैध कटौतियों उसकी उपज से होती हैं जिसके कारण उन्हें अपनी उपज का कम ही मूल्य प्राप्त हो पाता है। सर्वेक्षण के अनुसार सन् १९५९-६० में चावल के सन्दर्भ में उपभोक्ता के रूप में उत्पादक का हिस्सा पंजाब, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, आन्ध्रप्रदेश, मद्रास, मैसूर, बिहार तथा आसाम में क्रमशः ७०.९ प्रतिशत, ६९.२० प्रतिशत, ७८.०० प्रतिशत, ७२.०० प्रतिशत, ८५.५० प्रतिशत, ७८.७० प्रतिशत, ८३.३० प्रतिशत, ७४.७० प्रतिशत तथा ७३.४० प्रतिशत था। पूरे भारत का औसत ७६.०० प्रतिशत था।⁷¹ एक दूसरे सर्वेक्षण के अनुसार गेहूँ तथा चावल के सन्दर्भ में उपभोक्ता मूल्य में किसान का हिस्सा ६८.५० प्रतिशत तथा ६६.८० प्रतिशत था। चुनी गयी मण्डियों में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर विभिन्न फसलों में उपभोक्ता मूल्य उत्पादक का हिस्सा गुड में ८५.९६ प्रतिशत एवं सरसो में ६४.६३ प्रतिशत है।⁷² इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय कृषक को अपनी उपज की कम ही कीमत प्राप्त हो पाती है।

किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त हो सके इस सन्दर्भ में सन् १९३० के आर्थिक मंदी काल से ही मूल्य नीति तथा कृषि मूल्य स्थिरीकरण की दिशा में प्रयास जारी है। सन् १९३४ के बाद जूट, कपास, गन्ना, खाद्यान्न आदि के मूल्य स्थिरीकरण के कुछ प्रयत्न किये गये हैं। सन् १९३५ में गन्ना कानून पास किया गया जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को किसानों द्वारा चीनी मिलों को बेचकर गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। उत्तर प्रदेश गन्ना कानून सन् १९६३ में पास किया गया जिसके अनुसार सहकारी समितियों द्वारा चीनी कारखानों को बेचा जाता है। मध्यस्थों द्वारा गन्ना बेचने पर प्रतिबंध लगाये गये हैं। सन् १९६५ में भारत सरकार ने प्रो० दाँतवाला की अध्यक्षता में एक कृषि मूल्य आयोग नियुक्ति किया। जिसके निम्नांकित मुख्य कार्य रखे गये थे।⁷³

⁷¹ प्राइम स्प्रेड ऑफ राइस-स्टडीज़ इन कास्ट्स एण्ड मार्जिन्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर, डाइरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एण्ड इन्सपेक्शन, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, पृष्ठ संख्या १७ ।

⁷² कुलकर्णी के० आर०, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इण्डिया, वा-१ दि कोआपरेटिव बुक डिपाट, बेक हाउस लेल, फोर्ट बम्बई। १९५९ पृष्ठ संख्या ४२६ ।

⁷³ भालेराव एम०एम०, भारतीय कृषि अर्थशास्त्र, १९७७, पृष्ठ संख्या ४६६ ।

- ❖ गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, गन्ना, तिलहनकपास, जूट तथा अन्य दाले आदि कृषि वस्तुओं के मूल्य नीति के बारे में सरकार को सलाह देना ताकि एक सतुलित व एकीकृत मूल्य के ढाँचे का अर्थव्यवस्था के आवश्यकतानुसार निर्माण हो सके। जिससे उत्पादक व उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा हो सके।
- ❖ एक निर्धारित मूल्य नीति के अतर्गत समय-समय पर मूल्य परिवर्तनों की समीक्षा करना तथा आवश्यकतानुसार सुझाव देना।
- ❖ कृषि मूल्य नीति को प्रभावशाली करने के लिए समय-समय पर सुझाव देना।
- ❖ कृषि मूल्यों से सम्बन्धित आँकड़े तथा अन्य जानकारी इकट्ठा करने का जो प्रबन्ध किया गया है। उसकी तथा कृषि मूल्य सबधी किए जाने वाले अध्ययनों की समय-समय पर समीक्षा करना तथा उनमें आवश्यकतानुसार सुधार के लिए सुझाव देना।
- ❖ देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुओं के विपणन की पद्धतियाँ तथा विपणन लागत की जाँच करना तथा विपणन लागत कम करने के लिए उपाय बताना व विपणन के विभिन्न अवस्थाओं में विपणन कार्यकर्ताओं के उचित हिस्से को निर्धारित करना।
- ❖ कृषि मूल्य व कृषि उत्पादन से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के बारे में सरकार को आवश्यकतानुसार समय-समय पर सलाह देना।

इसके अतिरिक्त मार्च सन् १९६६ में भारत सरकार ने श्री० बी० वैकटैया की अध्यक्षता में खाद्यान्न नीति समिति नियुक्त की जिसके मुख्य उद्देश्य प्रचलित खाद्य क्षेत्र की व्यवस्था व खाद्यान्न वसूली व वितरण व्यवस्था की जांच करना तथा देश के विभिन्न राज्यों व वर्गों के बीच उचित मूल्यों पर खाद्यान्न वितरण के उचित प्रबंध के लिए आवश्यक सुझाव देना था⁷⁴ इसके अतिरिक्त बफर स्टॉक बनाने एवं राशनिंग व्यवस्था को चालू रखने के लिए सरकार द्वारा उन राज्यों में जहाँ उत्पादन अधिक होता है खाद्यान्नो की खरीद की जाती है। इस खरीददरी को सरकारी खरीद कहते हैं। यह सरकारी खरीद १९७० में

⁷⁴ भालेराव एम०एम०, भारतीय कृषि अर्थशास्त्र, १९७७, पृष्ठ संख्या ४६६ ।

६७ लाख टन, १९८० में ११२ लाख टन व १९८३ में १५७ लाख टन में रही⁷⁵ इसके अतिरिक्त उपभोक्ता को उचित मूल्य पर खाद्यान्नों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने, खाद्यान्नों के वितरण की व्यवस्था कर रही है। इसको राशनिंग कहते हैं। इस समय पूरे देश में तीन लाख सरकार द्वारा उचित मूल्य की निर्धारित दुकानें हैं जो खाद्यान्नों का विक्रय करती हैं व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पूरे देश में १९७० में ८८ लाख टन, १९८० में १०० लाख टन तथा १९८२ में १६२ लाख टन खाद्यान्नों का वितरण किया गया था⁷⁶ इन दुकानों को उचित मूल्य की दुकानें कहते हैं। इन दुकानों से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता को उचित मूल्य पर खाद्यान्न मिलते रहते हैं। इससे मूल्यों में स्थायित्व बना रहता है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में प्रतिवर्ष कृषि मूल्य आयोग द्वारा समर्थन कीमतें घोषित की जाती हैं जिसका अर्थ है कि सरकार इन कीमतों से कम कीमतें यदि बाजार में प्रचलित हों तो स्वयं क्रय करेगी। इससे कृषकों को एक न्यूनतम कीमत उपलब्ध हो जाती है, परन्तु दुर्भाग्य से ये समर्थन कीमतें, बाजार कीमतों पर तय नहीं होती हैं, जबकि बाजार भाव समर्थन कीमतों पर तय होते रहते हैं⁷⁷ इस प्रकार भारत सरकार द्वारा कृषकों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलवाने एवं उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तु उपलब्ध कराने हेतु अनेक प्रयास किये गए हैं।

परिवहन व्यवस्था :- परिवहन एक अर्थिक क्रिया है क्योंकि इससे स्थान-उपयोगिता का सृजन होता है। प्रो० टाउसले, क्लार्क एवं क्लार्क के अनुसार, “भौतिक पूर्ति सबंधी कार्यों में स्थान उपयोगिता का सृजन परिवहन के माध्यम से और समय उपयोगिता का सृजन सग्रह या भण्डार के माध्यम से किया जाता है⁷⁸ आधुनिक विपणन में यह दोनों कार्य पूरक हैं। एक विपणन प्रबंधक को इन दोनों कार्यों का अध्ययन करना पड़ता है। चूंकि प्रत्येक उत्पादन उपभोग के लिए किया जाता है। अतः वस्तुओं के उत्पादन के स्थान से उपभोग के स्थान तक ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। इससे वस्तुओं को ले जाने में समय की बचत होती है।

⁷⁵ इकोनोमिक सर्वे १९८३-८४, पृष्ठ संख्या २४ ।

⁷⁶ इकोनोमिक सर्वे १९८३-८४, पृष्ठ संख्या २४ ।

⁷⁷ टाउसले क्लार्क एण्ड क्लार्क, प्रिन्सिपल ऑफ मार्केटिंग पृष्ठ संख्या ४०७

⁷⁸ करतार सिंह गिल, मोड्स, कास्टस एण्ड प्राब्लम्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फार्म प्रोड्यूस इन पंजाब, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग १९९९ पृष्ठ संख्या ०९ ।

हमारे देश में गाँव से मण्डी तक कृषि पदार्थों को ले जाने में प्रायः बैल गाड़ियों, ट्रैक्टरों, जानवरों एवं ट्रकों की सहायता ली जाती है। फिरोजपुर (पंजाब) के बारह मण्डियों के एक सर्वेक्षण में गाँव से प्राथमिक बाजार में विक्रय हेतु लाये गए कृषि पदार्थों में विभिन्न साधनों का प्रतिशत भाग इस प्रकार है -

✓ बैलगाड़ी	७० प्रतिशत
✓ ट्रैक्टर	१८ २ प्रतिशत
✓ लददू गदहे	५ १ प्रतिशत
✓ ट्रक	३ ७ प्रतिशत
✓ ऊँट-गाड़ी	२ ५ प्रतिशत
✓ घोडा-गाड़ी	० ५ प्रतिशत ⁷⁹

एक अनुमान के अनुसार भारत में बैलगाड़ियों की संख्या १२ मिलियन है जिससे ७० से ८० मिलियन जानवर लगे हुए हैं। बैलगाड़ी की क्षमता को देखने से ज्ञात होता है कि पश्चिम बंगाल में ० ४ टन तथा पंजाब ० ९ टन कृषि पदार्थ प्रति बैलगाड़ी रखा जाता है। इन गाड़ियों की गति उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में क्रमशः २ से २ ५ तथा ५ से ६ किलोमीटर प्रति घण्टा है⁸⁰ ऐसी स्थिति में समय का अपव्यय स्वाभाविक ही है। अब हमारे देश में परिवहन के रूप में ट्रैक्टर ट्रालियों का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। भारत सरकार के एक अनुमान के अनुसार सन् १९७० तक हमारे देश में ९० हजार ट्रैक्टर, ट्रालियाँ थीं⁸¹

सड़क परिवहन, सड़क एवं संचार सुविधाओं की उपलब्धता से देश एवं प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि का बोध होता है। सड़कों के माध्यम से ही विज्ञान, तकनीकी की नवीनतम उपलब्धियाँ सुदूर अचलो में प्रवेश पाती हैं तथा कम खर्च एवं समय में विभिन्न जिनोपयोगी वस्तुएँ, कृषि जन्य उपज, कच्ची एवं उद्योग जनित तैयार सामग्री सुगमतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तथा बाजारों में पहुँचती हैं और

⁷⁹ मूरे जान आर० सरदार एस० जोल एण्ड अली एम० खुसरो - इण्डियन, फूडप्रेशन मार्केटिंग न्यू डेल्ली १९७३ पृष्ठ संख्या १०८

⁸⁰ मूरे जान आर० सरदार एस० जोल एण्ड अली एम० खुसरो - इण्डियन, फूडप्रेशन मार्केटिंग न्यू डेल्ली १९७३ पृष्ठ संख्या ११० ।

⁸¹ सौजन्य से सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ (मुख्यालय) ।

आम जनता को दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुएँ आसानी से सुलभ हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार के उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराने में भी सड़को की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण अंचलों में निवास करती है, इसलिए प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु ग्रामीण मार्गों का विस्तार किया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गों के निर्माण कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जा रही है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से हो जाएगी कि प्रदेश में छठी योजना काल के लिए मार्ग एवं सेतु कार्य हेतु निर्धारित ४१५ करोड़ रुपये की योजना परिव्यय में ३१५ करोड़ रुपये (७५%) प्रतिशत की धनराशि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हेतु आवंटित की गयी है⁸²

इस प्रकार हमारे देश एवं प्रदेश में यातायात के साधनों के विस्तार हेतु सरकार सतत प्रयास कर रही है एवं इसमें सरकार को पर्याप्त सहायता भी मिली है।

संग्रह व्यवस्था :- संग्रहण की आवश्यकता कृषि वस्तुओं के लिए अधिक होती है क्योंकि जिस समय उनकी उत्पादन होता है, उस समय उनकी माँग कम होती है। दूसरी ओर किसान को धन की तीव्र आवश्यकता होती है क्योंकि उत्पादन की आशा में वह अपने तथा अपने परिवार की अनेकों आवश्यकताएँ स्थगित कर देते हैं। फलस्वरूप जैसे ही कृषि वस्तुएँ तैयार होती हैं, उन्हें विक्रय हेतु सभी किसान बाजार में लाते हैं। चूँकि क्रेताओं की माँग कम होती है, अतः उनके भाव गिर जाते हैं। यही नहीं कभी-कभी तो कृषकों को लागत से कम मूल्य पर भी अपने उत्पादन को बेचना पड़ता है। यही कारण है कि सरकार समय-समय पर महत्वपूर्ण कृषि वस्तुओं के स्वयं मूल्य निर्धारित और घोषित करती रहती है।

अच्छे कृषि विपणन के लिए अच्छी संग्रह व्यवस्था का होना आवश्यक "संग्रह की आवश्यकता मौलिक रूप से माल के उत्पादन समयों पर है। उपभोग समयों में अन्तर को ठीक बिठाने के कारण होती है"। संग्रह समय उपयोगिता प्रदान करता है तथा वस्तुओं के एक समय या ऋतु में उत्पन्न होने और दूसरे समय में

⁸² क्लार्क एण्ड क्लार्क : प्रिन्सिपल ऑफ मार्केटिंग (१९४७) पृष्ठ संख्या ४३२-३३ ।

उपयोग किये जाने के मध्य में जो समय का असन्तुलन उत्पन्न होता है उसको ठीक करता है⁸³

दुर्भाग्यवश भारत जैसे कृषि प्रधान देश के मण्डियो एव गॉवों में उपज को सुरक्षित रखने के लिए उचित ढंग के गोदामों की कमी है। भारतीय गॉवों में उपज प्रायः मिट्टी के बने बर्तन, कोठिला, कोठो, बखारो या खत्रियों में रखी जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से यह सग्रह व्यवस्था अत्यन्त गलत होती है। इसमें अनाजों की भारी क्षति होती है। **गोविल के मतानुसार**, २० लाख टन अनाज इन त्रुटिपूर्ण भण्डारों के कारण नष्ट हो जाता है⁸⁴

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हमारे गॉवों में सग्रह व्यवस्था अत्यन्त पिछड़ी अवस्था में है जिससे अनाजों में भारी क्षति होती है। इसे रोकने हेतु अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के सुझावों पर सरकार ने एक अगस्त 1956 से कृषि उपज (विकास व गोदाम) निगम अधिनियम पास किया। इसके अन्तर्गत ही दिसम्बर 1956 में राष्ट्रीय सहकारी विकास व गोदाम परिषद् की स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहित करना व गोदामों का निर्माण व प्रबन्ध करना है। इस प्रकार सन् १९५७ में केन्द्रीय गोदाम निगम की स्थापना हुई। वर्ष १९७५ में बिहार राज्य गोदाम निगम स्थापित किया गया। १९६० ई. तक इस प्रकार के गोदाम निगम सभी प्रान्तों में स्थापित किये गये। तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष तक केन्द्रीय गोदाम निगम के अन्तर्गत सौ गोदाम बन चुके थे जिसकी क्षमता लगभग ५९ लाख टन की थी तथा १४ राज्य गोदाम निगमों के अन्तर्गत ४४४ गोदाम व ९३ उप गोदाम बन चुके थे जिसकी क्षमता ५६ लाख टन थी। इसके अतिरिक्त सन् १९६७ तक ग्रामीण समितियों ने लगभग १४८०० ग्रामीण गोदाम बनाये थे तथा सहकारी विपणन समितियों ने ३५०० मण्डी गोदाम बनाए थे। चौथी योजना के अन्त तक ५० लाख टन क्षमता का लक्ष्य था जिसके लिए २० हजार अतिरिक्त ग्रामीण गोदाम तथा तीन हजार मण्डी गोदाम बनवाने का लक्ष्य था⁸⁵ राष्ट्रीय सहकारी विकास व गोदाम परिषद् ने दो कोष स्थापित किए। पहला राष्ट्रीय सहकारी विकास कोष दूसरा राष्ट्रीय गोदाम विकास कोष। पहले कोष से राज्य सरकारों को ऋण

⁸³ गोविल के० एल०, मार्केटिंग इन इण्डिया, रिवाइज्ड बाई ओम प्रकाश गौतम ब्रदर्स एण्ड कम्पनी लि०, कानपुर ।

⁸⁴ इण्डियन कोऑपरेटिव रिव्यू, जुलाई १९६८, पृष्ठ संख्या ४८८ ।

⁸⁵ २४ वीं वार्षिक रिपोर्ट एव लेखा विवरण, उ० प्र० राज्य भण्डारागार निगम १९८१-८२ ।

तथा वित्तीय सहायता देने का प्रबन्ध किया गया था ताकि राज्य सरकार सहकारी समितियों के हिस्से-पूँजी में अंशदान दे सके। दूसरे कोष का उपयोग निम्न प्रकार से करने का प्रबन्ध था।

- ❖ केन्द्रीय गोदाम निगम के हिस्सा पूँजी में अंशदान।
- ❖ राज्य सरकारों को ऋण प्रदत्त करना ताकि वे राज्य गोदाम निगमों के हिस्सा पूँजी में अंशदान करें।
- ❖ गोदाम निगम या राज्य सरकारों को कृषि उपज के संग्रह सुविधा व गोदाम निर्माण के कार्य के विकास के लिए ऋण व वित्तीय सहायता।

सन् १९६३ में इस परिषद् के स्थान पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना हुई तथा राष्ट्रीय गोदाम विकास कोष, केन्द्रीय गोदाम निगम के प्रबन्ध में हस्तान्तरित किया गया⁸⁶ मुख्य तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सहकारी उत्पादन, प्रक्रिया, विपणन, संग्रह आदि के विकास के लिए स्थापित किया गया। केन्द्रीय गोदाम निगम की प्रदत्त पूँजी लगभग १० करोड़ रुपये की थी तथा इसका मुख्य कार्य बन्दरगाह रेलवे केन्द्रों तथा अन्य बड़े बाजारों में गोदामों का निर्माण व प्रबन्ध करना था⁸⁷ निगम का सदैव यह प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता का निर्माण करके कृषि उपज एवं अन्य जिनसों की भण्डारण से होने वाली क्षति को कम किया जा सके। इस कार्य हेतु निगम ने अपने स्वयं के गोदामों गतिशील ढंग से बनाकर देश एवं प्रदेशों को वैज्ञानिक भण्डारण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु सक्रिय योगदान दे रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम की स्थापना २० मार्च १९५८ को हुई थी। वर्ष १९८१-८२ में इस निगम के भण्डार गृहों की संख्या १४४ थी। उस समय निगम की कुल भण्डारण क्षमता १२ ७१ लाख मीटरी टन थी। इसी वर्ष के अंत तक निगम की निर्मित क्षमता ८ ३९ लाख मीटरी टन से बढ़कर ६ ०३ लाख मीटरी टन हो गयी थी जो देश में कार्यरत अन्य राज्य भण्डारागार निगमों द्वारा निर्मित की गयी कुल क्षमता १/३ था।⁸⁸ इस निगम द्वारा जिन्सवार संग्रहित माल का विवरण एवं विभिन्न वर्ग के

⁸⁶ २४ वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, उ०प्र० राज्य भण्डारागार निगम १९८१-८२ ।

⁸⁷ २४ वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, उ०प्र० राज्य भण्डारागार निगम १९८१-८२ ।

⁸⁸ उत्तर प्रदेश में सहकारिता १९८४ पृष्ठ संख्या ७२ ।

जमाकर्ताओं द्वारा सग्रहित माल के विवरण इसमें किया गया है।

भण्डार गृहों के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने तथा उन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निगम के ५ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। यह निगम लाभकारिता में ही नहीं बल्कि स्वनिर्मित ⁸⁹, वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता के सृजन में भी देश के समस्त राज्य भण्डारागार निगमों में अग्रणी है। इस निगम ने प्रदेश में वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता की आवश्यकता को देखते हुए शासन के निर्देशों के अतर्गत बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक भण्डार गृहों का निर्माण कराया है⁹⁰

प्रमापीकरण तथा श्रेणीकरण :- कृषि उपज की किस्म का उसकी कीमत पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। उपज की किस्म जितनी ही अधिक अच्छी होती है, उतनी ही ऊँची कीमत किसान को प्राप्त होती है। कृषि पदार्थों की किस्मों की विविधता विपणन की एक जटिल समस्या है। अच्छे किस्म के कृषि पदार्थ जहाँ कृषकों को आय प्रदान कराने की दृष्टि से उचित कीमत प्राप्त कराने में सहायक होते हैं, वहीं पर उन वस्तुओं की माँग को स्थायित्व प्रदान कर भावी माँग को निश्चितता प्रदान करता है। विशेष रूप से कृषिगत कच्चे माल के सम्बन्ध में तो यह बात अत्यधिक ध्यान देने योग्य है। एक बात ध्यान देने की है कि कृषि और खनिज पदार्थों में प्रमाप निर्धारित नहीं किये जाते हैं, बल्कि उत्पत्ति का श्रेणीकरण किया जाता है। इसका कारण यह है कि माल बनाते समय मानवीय इच्छा सर्वोपरि होती है। अर्थात् उत्पादन को इच्छा के अनुसार समायोजित किया जा सकता है, लेकिन कृषि व खनिज पदार्थों की उत्पत्ति में प्रकृति की व्यवस्था सर्वोपरि है। अर्थात् इनमें उत्पादन प्रमापों के अनुसार नहीं किया जा सकता है। अतः इन परिस्थितियों में श्रेणीकरण के अनुसार ही उत्पत्ति को छाँटा जाता है।

भारत में कृषि उपज (श्रेणीकरण व चिन्हीकरण) कानून सन् १९३५ में पास किया गया। इस अधिनियम के बन जाने के कारण सरकार को प्रमाप व वर्ग स्थापित करने का अधिकार मिल गया⁹⁰ इस अधिनियम के अतर्गत भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार को नियमानुसार विभिन्न व्यक्तियों को अधिकार प्रमाण पत्र निर्गमित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। मार्च १९८४ तक पूरे देश में विनियमित बाजारों,

⁸⁹ भालेराव एम०एम०, भारतीय कृषि अर्थशास्त्र १९७७, पृष्ठ संख्या ४०० ।

⁹⁰ गुप्ता, ए० पी० · मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इण्डियन १९७५, पृष्ठ संख्या ९६ ।

सहकारी समितियों एवं भण्डारागार निगमों में कुल ८०८ वर्गीकरण इकाइयों कार्यरत थी। कृषक स्तर पर वर्ष १९८३-८४ से पूरे देश में ५६२ ६६ करोड़ मूल्य के कृषि पदार्थों को वर्गीकृत किया था^१ भारत सरकार के कृषि उत्पादन (वर्गीकरण एवं चिह्नकन) अधिनियम १९३७ के प्राविधानों के अधिन एवं पशुजन्य उत्पादों का विश्लेषण, वर्गीकरण, पैकिंग एवं चिह्नकन का कार्य उत्तर प्रदेश में कार्यरत ५ एगमार्क के वर्गीकरण प्रयोगशालाओं के द्वारा मुख्य रूप से किया जा रहा है। यह प्रयोगशालाएँ लखनऊ, हल्द्वानी (नैनीताल), मेरठ, आगरा एवं वाराणसी में स्थित हैं। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से खाद्य तेलों, मसालों, घी, मक्खन, शहद आदि का वर्गीकरण किया जाता है^२

इसके अतिरिक्त कृषि उपज के वर्गीकरण का लाभ उत्तर प्रदेश के उत्पादकों को पहुंचाने की दृष्टि से प्रदेश के नवनिर्मित मण्डी स्थलों में कृषि विपणन विभाग द्वारा स्थापित ५० प्राथमिक वर्गीकरण इकाइयों कार्यरत हैं। इनके द्वारा उत्पादक स्तर पर १९ कृषि उत्पादों के वाणिज्यात्मक वर्गीकरण का कार्य भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप गुण निर्दिष्टियों के आधार पर दृष्टि परीक्षण से किया जाता है। कृषि वर्ष १९८३-८४ में ८ ४४ लाख मेट्रिक टन उत्पादों का वर्गीकरण किया गया है^३

सरकार द्वारा किये गये उपर्युक्त प्रयत्नों से कृषि उपजों के वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण से पर्याप्त सुधार हुए हैं। परन्तु अभी यह प्रगति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि यह सुविधा अभी सीमित क्षेत्रों तक ही उपलब्ध है। बहुत अधिक किसान आज भी वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण की सुविधा के अभाव में ककड़, धूल, कटे, सड़े एवं अन्य बेकार अनाजों के मिश्रण से युक्त अनाजों को बिना श्रेणीकरण व प्रमापीकरण कराये ही बिक्री कर देते हैं जिससे उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है।

विपणन वित्त :- वैसे तो समस्त व्यावसायिक कार्यों में वित्त प्रबन्धन एक सामान्य कार्य है किन्तु विपणन में इसका विशेष महत्व होता है। इसके अभाव में विपणन क्रियाओं को सूचारू रूप से नहीं सम्पन्न किया जा

^१ " प्रगति के बारह वर्ष " १९८४ राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ० प्र०, लखनऊ, पृष्ठ संख्या १४ ।

^२ " प्रगति के बारह वर्ष " १९८४ राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ० प्र०, लखनऊ, पृष्ठ संख्या १४ ।

^३ सी० वी० मामोरिया एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ इण्डिया, १९६६ पृष्ठ संख्या ६७२ ।

सकता है। विपणन वित्त से अर्थ उन साधनों से होता है। जिनके माध्यम से उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को वित्तीय सुविधाएँ मिलती हैं ताकि उत्पादक अपना उत्पादन कार्य सुविधापूर्वक चलाता रहे तथा उपभोक्ता भी उन वस्तुओं के उपभोग से वित्त के अभाव में वंचित न रहे और उसको भी वित्तीय सुविधाएँ प्राप्त होती रहे। इस प्रकार विपणन वित्त के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं।

- ❖ व्यापार का अर्थ प्रबंधन
- ❖ उपभोक्ताओं का अर्थ प्रबंधन

कृषि उपजों को उत्पादन के बाद उपभोक्ता तक पहुँचाने में अनेक विपणन कार्य सम्पन्न होते हैं, जिसके लिए साख की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में किसानों के पास विक्रय योग्य अतिरिक्त की कमी है एवं उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में किसानों को ऋण का सहारा लेना पड़ता है। ये किसान प्रायः अपने गाँव के बड़े किसानों, साहूकारों से ऋण लेते हैं। ये ऋणदाता इस ऋण पर २५ से ५० प्रतिशत तक ब्याज लेते हैं⁹⁴ किन्हीं-किन्हीं स्थानों पर साहूकार ब्याज के बदले किसान की फसल का एक हिस्सा मँगवा लेते हैं।

भारतीय कृषि के साख स्रोतों को मोटे तौर पर दो कोटियों में विभाजित किया गया है:-

- सस्थागत स्रोत
- निजी स्रोत

सस्थागत स्रोत में सरकार, बैंक तथा सहकारी समितियाँ सम्मिलित होती हैं। और स्रोतों में महाजन, व्यापारी, दलाल, रिश्तेदार, भू-स्वामी आदि सम्मिलित होते हैं।

भारतीय कृषि साख की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 26 दिसम्बर 1975 को एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसके अंतर्गत ५० क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जानी थी, जिसके अनुसार 2 अक्टूबर 1975 को उत्तरप्रदेश में २, राजस्थान में १, हरियाणा में १, पश्चिम बंगाल में १, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जा चुकी है। जिनकी ६४१६ शाखाएँ २४७ जिलों में कार्यरत हैं। 19 जुलाई

⁹⁴ रिपोर्ट आन दि ट्रेण्ड एण्ड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इण्डिया, १९८२-८३, पृष्ठ संख्या ६४।

1996 को १४ व्यापारिक बैंको का एव 5 अप्रैल 1980 को ६ व्यापारिक बैंको का राष्ट्रीकरण हो जाने के पश्चात् व्यावहारिक बैंको द्वारा कृषि वित्त में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाने लगा है⁹⁵ इसके अतिरिक्त अन्य व्यापारिक बैंको भी इस सदर्भ में नरम नीति का अनुसरण कर कृषि वित्त सुलभ करा रही है। यह बैंको अल्पकालीन व मध्यकालीन, दोनो प्रकार के ऋण प्रदान करती है। इन बैंको ने १९६७-६८ में कृषि क्षेत्र में केवल ६७ करोड रूपये के ऋण प्रदान किये थे, जबकि १९८२-८३ के अंत में इन बैंको का कृषि के क्षेत्र में ५२६९ करोड रूपया बकाया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि के क्षेत्र में इन बैंको का योगदान पर्याप्त बढ़ा है⁹⁶

इसके अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र में भी कृषि साख उपलब्ध कराने की दिशा में उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। सहकारी ऋण एव अधिकोषण योजना के अंतर्गत प्रदेश के कृषक परिवारों को सहकारिता की परिधि में लाना है। तथा कृषि कार्यों की पूर्ति हेतु अल्पकालीन मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की यथा समय उचित ब्याज दरों पर आपूर्ति कर उनकी समाजार्थिक समृद्धि सुनिश्चित करते हुए देश के कृषि उत्पादन एव समग्र विकास में वृद्धि करना है।

प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों को अल्प एव मध्यकालीन ऋण के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थापित है। इन ५५ बैंको की १०९० शाखाएँ प्रदेश के विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत हैं। दीर्घकालीन ऋण व्यवस्था प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी भूमि विकास बैंक द्वारा की जाती है। जिसकी २५० शाखाएँ प्रदेश की तहसील स्तर पर कार्यरत हैं⁹⁷

उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी भूमि विकास बैंक अपनी २५० शाखाओं के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण सिंचाई, कूप, बोरिंग, रहट, विद्युत, डीजल नलकूप, पम्पसेट, नलकूप बोरिंग, आर्टीजन बोरिंग तथा पक्की नालियाँ, बन्धों के निर्माण, पावर टिलर, ट्रैक्टर तथा भूमि संरक्षण योजनाओं हेतु वितरित करता है। “ वित्तीय वर्ष 1983-84 ” में ७० करोड़ रूपये के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक १-४-८३ से

⁹⁵ इकोनोमिक सर्वे १९८३-८४ पृष्ठ संख्या १२८ ।

⁹⁶ उ० प्र० में सहकारिता १९८४, पृष्ठ संख्या १ ।

⁹⁷ उ० प्र० में सहकारिता १९८४, पृष्ठ संख्या ६ ।

दिनांक ३१-१२-८३ तक अनुमानतया ३५ से ४२ करोड़ रूपया दीर्घकालीन ऋण को वितरित किया गया। जबकि १९८२-८३ में अनुमानतया ३२-६५ करोड़ वितरित किया गया था। वर्ष १९८४-८५ में अस्थायी रूप से कम से कम ७५ करोड़ रूपया दीर्घकालीन ऋण वितरित करना प्रस्तावित है⁹⁸ इस प्रकार कृषि सम्बन्धी सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा अनेको प्रयास जारी है।

संचार सुविधा :- भारतीय किसान प्राय अशिक्षित तथा विपणन कला से अनभिज्ञ होता है इसलिए संचार सम्बन्धी जो भी सुविधाएँ उपलब्ध रहती हैं, उनका समुचित उपयोग नहीं कर पाता है। इन किसानों को कृषि पदार्थ के विपणन में विपणन सम्बन्धी सूचनाएँ प्राय निम्न माध्यमों से प्राप्त होती हैं।

- ✓ अन्य किसान जो शहर आते हैं;
- ✓ घुमते फिरते व्यापारी या उसके प्रतिनिधि;
- ✓ गाँव के महाजन व साहूकार,
- ✓ रेडियों-देहाती प्रोग्राम,
- ✓ सरकारी दफ्तर-क्षेत्रीय विकास अधिकारी,
- ✓ ग्राम सेवक,
- ✓ गाँव के पुस्तकालय व अखबार;
- ✓ मण्डी समिति व आढ़तियों के पत्र व्यवहार;
- ✓ मण्डी में व्यक्तिगत साक्षात्कार

प्रथम तीन साधनों से प्राप्त सूचनाएँ सही नहीं होती हैं क्योंकि सही सूचना देने से सूचना देने वालों को हानि होती है। चौथा साधन रेडियों का है। दिल्ली तथा अन्य प्रदेशों की राजधानियों से प्रादेशिक भाषाओं में रेडियो से देहाती कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ सूचनाएँ प्रसारित की जाती हैं। जिन गाँवों में सरकारी दफ्तर होते हैं, वहाँ उन दफ्तरों के नोटिस बोर्डों पर पास के बाजार के भाव लिख दिये जाते हैं। गाँवों में पुस्तकालय तो होते ही नहीं हैं। लेकिन जो पुस्तकालय सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत खोले गये हैं

⁹⁸ प्रगति के बारह वर्ष १९८५, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ संख्या १३।

वहाँ समाचार पत्र व पत्रिकाएँ रखी रहती है और किसान स्वयं जाकर पढ़ सकता है या किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकता है।

“उत्तर प्रदेश कृषि विपणन विभाग द्वारा प्रदेश की २५३ मुख्य मण्डियों व उसकी सहायक मण्डियों से दैनिक आधार पर कृषि पदार्थों की प्राथमिक तथा द्वितीयक आवक, औसत थोक भाव, आयात निर्यात, मण्डी परिव्यय, खाद्यान्नों का मंडी में स्टॉक, विपणन प्रजातियों, फसलों की दशा, भविष्य की सम्भावनाओं आदि की कृषि पदार्थों से सम्बन्धित सूचनाओं एवं आकड़ों को एकत्रित एवं सकलित कर विभिन्न सगठनों तथा राज्य व भारत सरकार के विभिन्न विभागों के उपयोग हेतु डाक-तार, दूरभाष से आवश्यकता के अनुसार प्रेषित किया जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मण्डियों के मुख्य कृषि उत्पादकों के थोक भाव एवं आमद की सूचना को प्रतिदिन आकाशवाणी के लखनऊ, रामपुर तथा वाराणसी केन्द्रों द्वारा देहाती रेडियो-गोष्ठी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित किया जाता है।”

विनियमित बाजार :- बाजारों एवं मण्डियों में प्रचलित कुप्रथाओं एवं भारतीय किसान की अशिक्षा और उसके भोलेपन को देखते हुए अच्छे कृषि विपणन के लिए विनियमित बाजारों का होना आवश्यक है। विनियमित बाजारों के अभाव में किसानों की रक्षा करना अत्यन्त कठिन है। भारत में सन् १९३८ में केन्द्रीय कृषि विपणन विभाग (अब विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय) ने आदर्श विधेयक कृषि बाजारों को विनियमित करने हेतु तैयार किया, जिससे विभिन्न प्रांतीय सरकारों को इस संबंध में सही दिशा प्राप्त हो सके। किन्तु दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्भ हो जाने के कारण बाजार विनियमन की क्रियाओं में बाधा पड़ गयी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ही बाजार विनियमन की सही प्रगति हुई है। कृषि वस्तुओं के विनियमन कार्यक्रम की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में स्थान दिया गया¹⁰⁰

⁹⁹ गुप्ता ए०पी०० मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इण्डिया ” १९७५ पृष्ठ संख्या २२६-२७ ।

¹⁰⁰ “ फिफ्टी इयर्स ऑफ सर्विस टू दि नेशन ” १९३५-९५ डाइरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एण्ड इन्सपेक्शन, गवर्नमेंट आफ इण्डिया फरीदाबाद वर्ष १९९५ पृष्ठ संख्या १३ ।

तृतीय अध्याय

भारत में फसलोत्पादन एवं उत्तर प्रदेश में विनियमित बाजार

विगत चार दशक के बाद (वर्ष १९५०-५१ की तुलना में) खाद्यान्न उत्पादन में चार गुणा वृद्धि हुई है और इस क्षेत्र में अभी भी अपार सभावनायें हैं। अभी हाल ही में सम्पन्न भारत कृषि अनुसंधान परिषद् और मैक्सिको स्थित सिमिट नामक संस्था की सम्मिलित गोष्ठी में यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभरा कि भारतीय वैज्ञानिकों में गेहूँ की ऐसी किस्में विकसित करने की क्षमता है जिससे गेहूँ का कुल उत्पादन कई गुना बढ़ाया जा सकता है¹ यह स्थिति अन्य फसलों के लिए भी संभव है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में पशुओं के मल-मूत्र से प्राप्त जैविक खाद्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरी तरफ प्रायः सभी प्रकार के पशुओं को अपने भरण-पोषण के लिए कृषि उत्पादों पर निर्भर करना पड़ता है। चाहे वह हरा चारा हो, सूखा चारा हो या खली दाना, चूनी आदि हो। स्पष्टतः कृषि और पशुपालन का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दुधारू जानवरों विशेषकर गाय और भैंस से प्राप्त होने वाले दूध की मात्रा एवं गुणवत्ता उत्तम प्रकार के चारे पर निर्भर करती है। भारत में ऑपरेशन फ्लड के तहत जो श्वेत क्रांति आई है उसमें अन्य बातों के साथ-साथ कृषि उत्पादों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

आज मानवीय जीवन का हर पहलू व्यावसायिक सोच से प्रेरित होता जा रहा है। किसी भी तरह के कार्य को करने से पूर्व उसमें से होने वाले लाभ का मूल्यांकन पहले किया जाता है। कृषि कार्य से जुड़े किसान इस बात की शिकायत बहुत करते हैं कि उन्हें इतनी आमदनी नहीं मिलती कि वे अपने जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार कर सकें। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किसान कृषि के साथ पशुपालन का सामंजस्य स्थापित

¹ प्रसाद कुमार ललन, भारत में फसलोत्पादन, प्रतियोगिता किरण दिसम्बर १९९६, पेज न० २५ ।

कर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि विकसित देशो मे होता है। लेकिन इस प्रकार का लाभ उठाने के लिए पशुओ से प्राप्त होने वाले दूध के अलावा अन्य प्रकार के पदार्थों का भी लाभ लेना चाहिए। मसलन मछली पालन से मछली, मुर्गीपालन से अण्डे और मॉस, भेड और बकरी पालन से दूध, मॉस और ऊन, सुअर पालन से मॉस आदि का लाभ उठाना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि परिस्थिति के अनुसार जो भी पशु उपयुक्त हो उसके ही रख-रखाव के व्यवस्था कर लाभ उठाया जाना चाहिए।

वर्तमान स्थिति मे ऐसा नहीं है कि किसान जानवर नहीं रखते हैं। आज भी उनके पास जानवर तो हैं लेकिन दुधारू किस्म के आभाव के कारण उतनी ही मेहनत और चारा के खर्च के बावजूद पर्याप्त दूध प्राप्त करने मे असफल रहते हैं। फलतः होने वाले आर्थिक लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसके होने वाले आर्थिक लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसके लिए जरूरी है फसल और पशुपालन को व्यावसायिक रूप देने की। यदि किसान मिश्रित खेती व्यवसाय के रूप मे अपना ले तो फसलो की उपज अपने आप बढ़ेगी और जानवरो के उत्पादन मे भी गुणात्मक सुधार होगा। दुनिया मे दुग्ध उत्पादन मे पहले स्थान पर होने के बावजूद विकसित देशो की तुलना में देश मे प्रति व्यक्ति दुग्ध की खपत मात्र ३७ किलो ग्राम प्रतिवर्ष है। यदि दुग्ध उत्पादन मे लगातार वृद्धि होती गई तो वह दिन दूर नहीं जब भारत वर्ष में भी प्रति व्यक्ति दूध की खपत १५०-२०० किलोग्राम प्रति वर्ष होगी² जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव लोगो के स्वास्थ्य पर अवश्य पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कृषि मे चारा उत्पादन पर विशेष ध्यान देना। साथ ही दूध देने वाले जानवरो के नस्ल सुधार पर और उनके स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना।

पशुपालन मे चारे की भूमिका महत्वपूर्ण है। सामान्यतः किसान कृषि फसलो से प्राप्त होने वाले भूँसे को ही चारे के रूप मे प्रयोग करते हैं जिससे पेट तो भरा जा सकता है लेकिन दुग्ध उत्पादन को लगातार स्तरीय नहीं रखा जा सकता। हरे चारे का योगदान दुग्ध बढ़ाने की दिशा मे बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए किसानो को हरे चारे की ऐसी फसल चक्र अपनानी होगी ताकि पशुओ को वर्ष पर्यन्त पर्याप्त हरा चारा मिलता रहे। इस क्रम मे उत्तर भारत मे बरसीम की खेती प्रचलित हुई है लेकिन इसे सालो भर प्राप्त नहीं किया जा

² प्रसाद कुमार ललन, भारत मे फसलोत्पादन, प्रतियोगिता किरण दिसम्बर १९९६, पेज न० २५ ।

सकता। गर्मी के मौसम में बरसीम से हरा चारा मिलना बंद हो जाता है। इसके लिए अप्रैल - मई के महीने में मक्का के साथ लोबिया और जुलाई में चरी की खेती और उसके बाद बरसीम की खेती की जा सकती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि हरे चारे के लिए उत्तम बीज का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार के बीज के लिए शासकीय अधिकारियों से सहयोग लेने का प्रयास करना चाहिए या फिर कृषि कॉलेजों से सम्पर्क किया जा सकता है। हरे चारे के उत्पादन को व्यावसायिक रूप भी दिया जा सकता है इससे दोहरे लाभ लिये जा सकते हैं। एक तो अच्छी आमदनी मिलेगी और दूसरे उन किसानों को जो समय से हरा चारा आवश्यक मात्रा में नहीं लगा सके उन्हें इसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

इसी से जुड़ा दूसरा पक्ष अच्छी नस्ल के जानवरों को पालना है। ऑपरेशन फ्लड की सफलता के बाद लगभग सभी विकास खण्डों में कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था उपलब्ध है जहाँ से दूसरे नस्ल के पशुओं से कृत्रिम गर्भाधान कराया जा सकता है। अच्छी नस्ल की गाय या भैंस को खरीदना अब किसानों के लिए महंगा हो गया है ऐसे में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से धीरे-धीरे किसान अपनी पशुओं के नस्ल को सुधार सकते हैं।

भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। गाँवों में आज भी कृषि मुख्य कार्य है। अगर हमें गाँवों को समृद्ध बनाना है तो इसके लिए कृषि पशुपालन चक्र को प्रोत्साहित करना होगा। यहाँ शासन का दायित्व काफी बढ़ जाता है। शासकीय सेवक ग्रामीणों को कृषि पशुपालन चक्र के लाभ को बताने के साथ-साथ उन्नत बीज और अच्छे नस्ल की पशुओं को उपलब्ध करवाने में सहायक हो सकते हैं। इस कदम की सफलता गाँवों में लाभकारी सभावनाओं का द्वार खोल सकती है।

कृषि की एक लाभकारी पद्धति : कृषि वानिकी ³

तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, तेज औद्योगिकीकरण, विकसित होने की ललक तथा घटती कृषि योग्य भूमि के कारण आज मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षों (वन) का विनाश करता जा रहा है। परिणामस्वरूप वृक्षों के लगातार कटने से देश की सामाजिक, भौगोलिक एवं

³ श्रीवास्तव अजय, कृषि एक लाभकारी पद्धति, प्रतियोगिता दर्पण जून १९९४, पृष्ठ संख्या १४८७ ।

आर्थिक स्थिति ही नहीं चरमराई बल्कि वायुमण्डलीय प्रदूषण भी बढ़ता गया। स्वार्थपूर्ति के लिए वृक्षों के निरन्तर कटाव ने जहाँ एक तरफ पर्यावरण को खतरा उत्पन्न किया तथा प्रदूषण चरम सीमा तक जा पहुँचा वहीं दूसरी तरफ ईंधन तथा अन्य ससाधनों की समस्या को भी जन्म दिया। अपने देश में कृषि के अन्तर्गत लगभग १४३ लाख हेक्टेयर तथा वानिकी के अन्तर्गत लगभग ७५ लाख हेक्टेयर भूमि है। इतने कम क्षेत्रफल पर वृक्षारोपण होने तथा इनके भी लगातार कटाव से जो वातावरणीय असन्तुलन तथा समस्या उत्पन्न हुई उससे कृषि वैज्ञानिक चिन्तित हुए तथा समस्या के समाधान के लिए प्रयास करके कृषि के साथ-साथ फसलों को भी उगाने का एक नवीन क्षेत्र विकसित किया और उसे कृषि वानिकी नाम दिया। कृषि वानिकी के अन्तर्गत एक ही भूमि पर वृक्षों के साथ-साथ फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। इन फसलों में कोई भी फसल (जैसे-खाद्यान्न, तिलहन, दलहन एवं चारे की) हो सकती है।

कृषि वानिकीकरण पद्धति शुष्क भूमि कृषकों के लिए एक लाभकारी पद्धति हो सकती है, क्योंकि इस भूमि पर फसल का उत्पादन पूर्णतः प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करता है। यह पद्धति सूखे के कारण फसल को पूरी तरह नष्ट होने से बचाने के लिए संसाधनहीन शुष्क भूमि कृषकों की सहायता करती है। भूमि तथा जल के अपक्षय को कम करती अथवा रोकती है। यह बिना मौसम के (असमय) हुए वर्षा के पानी का उपयोग करने, ईंधन, लकड़ी, फल, चारा, खाद्य पदार्थ, उत्पादन आदि की आवश्यकता को पूरा करती है। इस पद्धति द्वारा पेड़ों से पूरी फसल प्रणाली के सूक्ष्म वातावरण में सुधार होता है और कृषकों की आय में बढ़ोत्तरी होती है।

कृषि वानिकी के उद्देश्यों, सिद्धांतों तथा आवश्यकताओं के आधार पर इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है - “ भूमि की उपयोग प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के लिए एक नाम जिसमें बहुवर्षीय वृक्ष (फल, वृक्ष, वन, झाड़ियाँ आदि) उसी भूमि प्रबन्ध इकाई पर शाक्य फसलों और/या पशुओं के साथ उसी प्राकृतिक अवस्था में जानबूझकर जोड़ दिए जाते हैं।”

उद्देश्य :- कृषि वानिकी पद्धति अपनाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं -

❖ अनुपयोगी भूमि का समुचित उपयोग करना।

- ❖ सीमित भूमि का अधिकतम उपयोग करके कृषि उपज बढ़ाना।
- ❖ भूमि कटाव को रोकना तथा नमी का संरक्षण करना।
- ❖ वायुमण्डलीय पर्यावरण को स्वच्छ एवं सतुलित रखना।
- ❖ कृषको की अतिरिक्त आय में वृद्धि करना।
- ❖ भूमि की उत्पादकता शक्ति को बढ़ाना।
- ❖ विभिन्न अन्न फसलों के साथ ही अनेक वन उत्पाद भी प्राप्त करना।
- ❖ ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना।

कृषि वानिकी प्रणाली के दो सम्बन्धित लक्ष्य हैं।

- प्रणाली द्वारा स्थल का संरक्षण एवं सुधार करना और
- फल तथा कृषि फसलों सहित वृक्ष फसलों के सम्मिलित उत्पादन को अधिक से अधिक सीमा तक बढ़ाना।

प्रकार:- कृषि वानिकी पद्धति के अन्तर्गत इसके विभिन्न स्वरूप निम्नलिखित प्रकार हैं।

1. **कृषि वन वर्धन - (फसल + वन वृक्ष) :-** यह पद्धति पेड़ उगाने और खाद्य फसलों की खेती तथा पेड़ों के बीच उपलब्ध स्थान पर चारा फसल उगाने से सम्बन्धित है। इस प्रकार ऐसी प्रणाली अपनाने से किसान अपनी सीमित भूमि से लकड़ी, भोजन, चारा आदि प्राप्त कर लेता है।
2. **उद्यान कृषि प्रणाली - (फसल + फल वृक्ष) :-** कृषि वानिकी के इस स्वरूप में केवल फल वृक्ष ही लगाए जाते हैं, अतः इस पद्धति से, प्रतिक्षेत्र इकाई से अधिक आय (लाभ) प्राप्त होता है।
3. **वन उद्यान कृषि प्रणाली - (फसल + फल वृक्ष + बहुउद्देशीय वृक्ष) :-** यह प्रणाली अनोखी तथा स्थानपरक होती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के वन वृक्ष मुख्य रूप से भूमि पर उगाए जाते हैं तथा उनके बीच उपलब्ध भूमि पर फल वृक्ष लगाए जाते हैं, इसमें फल उत्पादकों को पैकिंग के लिए कच्चा माल भी मिल जाता है जो इससे अतिरिक्त लाभ के रूप में प्राप्त होता है।

4. वन चारागाही प्रणाली - (वन वृक्ष + चारागाह + पशु) :- इस प्रणाली के अन्तर्गत लकड़ी के उत्पादन के लिए सीमित भूमि पर वृक्ष उगाए जाते हैं तथा पशुओं को पालने के लिए पेड़ों के बीच में उपलब्ध स्थान पर घास उगाई जाती है।

5. कृषि वन चारागाही प्रणाली - (फल वृक्ष + चारागाह + पशु) :- यह प्रणाली कृषि वन वर्धन तथा कृषि वन चारागाही प्रणालियों का मिश्रण होता है। इस पद्धति के अन्तर्गत शुष्क भूमि के किसान फसल तथा पेड़ एक विशेष स्थिति तक एक साथ उगाते हैं, परन्तु बाद में वन वृक्षों के बीच की भूमि पर फसल के स्थान पर घास उगाते हैं, जिसका चारागाही के रूप में प्रयोग होता है। इस प्रकार किसान एक साथ तीन प्रकार का उत्पादन, लकड़ी, कृषि उत्पाद तथा घास प्राप्त करता है।

6. बहुउद्देशीय वन वृक्ष उत्पादन प्रणाली :- इस पद्धति में खेत में खाद्य फसले या चारा फसले या चारा फसले नहीं उगाई जाती, बल्कि इसमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं जो लकड़ी, पत्तियाँ, फल, चारा तथा अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ये अत्यधिक मूल्यवान उत्पाद प्रदान करते हैं जिससे किसानों को अधिक लाभ होता है और यह लाभ अन्न या चारे की फसल से कहीं अधिक होता है।

कृषि, वानिकीकरण हेतु उपर्युक्त वृक्षों एवं फसलों का चुनाव :- इन प्रणाली के अन्तर्गत ऐसे पौधों का चुनाव होना चाहिए, जो अग्रलिखित गुण धारण करते हो -

- ❖ शीघ्र बढ़ने वाली जातियों का चयन किया जाना चाहिए और पौधे सीधे ऊपर की ओर वृद्धि करते हो तथा उनका फैलाव कम से कम हो।
- ❖ कम से कम शाखाएँ निकले अर्थात् जमीन पर से ही अधिक घनी न हो जाए।
- ❖ साथ में लगी अन्य फसलों से प्रतिस्पर्धा न करे।
- ❖ कम से कम पोषक तत्व, सिंचाई व देखभाल की आवश्यकता पड़े।
- ❖ प्रतिकूल दशाओं में भी सफलतापूर्वक वृद्धि कर सके।
- ❖ रोगों के प्रति रोगरोधी हो, छाया से सहनशील होना चाहिए।
- ❖ कम से कम काट - छाँट की आवश्यकता हो तथा काट - छाँट सहने की अत्यधिक क्षमता हो।

- ❖ पौधे उत्तम जाति के तथा अच्छे गुणो वाले हो।
- ❖ कृषको के लिए उसकी पत्तियाँ, लकड़ियाँ आदि लाभकारी हो।
- ❖ पौधो के प्रत्येक भाग कृषको के लिए उपयोगी हो।
- ❖ पोषक तत्वो की पर्याप्त मात्रा प्रदान कर सके।
- ❖ चिड़ियो एव कीटो के लिए हानिकारक हो, लेकिन फसल के लिए लाभप्रद हो।
- ❖ वृक्ष मे पत्तियो एव तनो का व्यवस्थापन ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रकाश सीधे भूमि पर पड़े, पत्तियो एव तनो का फैलाव कम से कम हो।
- ❖ जड़े एव उसके वृद्धि की विशेषता ऐसी होनी चाहिए जिससे भूमि के विभिन्न सतहो पर कृषि फसल प्रभावित न हो।

हमारे देश मे लगभग १५००० विभिन्न जातियों के पौधे हैं। लेकिन वानिकीकरण पद्धति मे अमरूद, शरीफा, बर, फालसा, जामुन, बेल, कैथ, आम, पपीता, लोबिया (चारे के लिए), सरसो, सूरजमुखी, पोपलर, ज्वार, धान, जौ, अरहर, मूँग, चना, काजू, सिरस, केसिया, अनार, नीबू, प्रजाति, कचनार, यूकेलिप्टस, इमली, अर्जून, पलाश, इत्यादि लगाए जाते हैं।

वृक्ष कहाँ - कहाँ लगें :- इस पद्धति में वृक्ष सड़क के दोनो किनारों पर नहरों की पटरियो पर, रेलवे लाइन के किनारे, बेकार अनुपयोगी भूमि पर, ग्राम समाज के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि पर तथा अन्य कृषि योग्य भूमियो पर वृक्षा-रोपण किया जा सकता है। ऐसी भूमियों मे जहाँ कंकड़ की तह लगभग १ मीटर नीचे होती है वहाँ ट्रैक्टर चालित औजार से उस कंकड़ परत को तोड़कर फिर वृक्ष लगाए जाएँ ताकि वृक्ष की जडो का विकास समुचित हो सके।

लाभ :- कृषि वानिकीकरण पद्धति के लाभ को देखते हुए इस प्रणाली को काफी महत्व दिया जा रहा है। विशेषकर शुष्क भूमि वाले किसानो के लिए यह काफी फायदेमन्द सिद्ध हो रही है। इस पद्धति के निम्नलिखित लाभ हैं -

1. रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होना :- ऐसी पद्धति प्रयोग करने पर कृषको को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जा सकते हैं और आय बढ़ाने के साथ-साथ स्थिरता भी प्रदान की जा सकती है। इस पद्धति में किसानों को दो प्रकार का रोजगार प्राप्त होता है एक तो वृक्ष के उत्पादन एवं देख-भाल में तथा दूसरा खाद्यान्न फसलों के उत्पादन एवं उसके देखभाल में। इसमें पूरे वर्ष खेत में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है जिससे किसानों को वर्ष भर कार्य मिलता रहता है।

2. अतिरिक्त आय में वृद्धि :- इस पद्धति में वृक्ष के साथ ही अन्न फसलों का भी उत्पादन साथ-साथ होता है जिससे उसी भूमि से कुल उपज दोहरा प्राप्त होता है जिससे अतिरिक्त उपज बढ़ती है। इसकी बिक्री से कृषको को अतिरिक्त आय मिल जाती है।

3. भूमि सुधार :- इस प्रकार की पद्धति अपनाकर बंजर ऊसर एवं कृषि की दृष्टि से बेकार भूमि को उर्वर बनाया जा सकता है। ऐसी भूमियों में लगातार कृषि क्रियाएँ होते रहने से वायुमण्डलीय नत्रजन का स्थरीकरण तथा पर्याप्त वायु संचार होता रहता है।

4. पर्यावरण की प्रदूषण से रक्षा :- अधिकाधिक वृक्षों के रोपण से वातावरण में आक्सीजन की मात्रा में वृद्धि तथा कार्बन डाईआक्साइड की सान्द्रता कम होती है और अवशिष्ट पदार्थों का समुचित उपयोग होता है, जो पर्यावरण प्रदूषण की सुरक्षा करने में सहायता करती है।

5. मृदा एवं नमी का संरक्षण :- कृषि वानिकी पद्धति में समय-समय पर विभिन्न कृषि क्रियाएँ होते रहने से मृदा की नमी बनी रहती है तथा मृदा कटाव भी नहीं होता है। अतः मृदा एवं नमी का संरक्षण होता है तथा बाढ़ एवं सूखे का प्रकोप भी कम होता है।

- ❖ यह मिट्टी के ताप को बढ़ने से रोकती है विशेषकर गर्मी में,
- ❖ लगे हुए वृक्ष मृदा की निचली सतह से पोषक तत्व पुनर्निश्चित करते हैं।
- ❖ यह मिट्टी की सूक्ष्म जैविकता की रक्षा करती है।
- ❖ बिना मौसम के वर्षा होने पर उस पानी का सदुपयोग हो जाता है। लगे हुए वृक्ष इस पानी का सुचारू रूप से उपयोग कर लेते हैं।

- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में जलाने के लिए ईंधन लकड़ी तथा किसानों को इमारती लकड़ी मिल जाती है। पशुओं को चारा प्राप्त होता है, खाद्य पदार्थ फल - फूल एवं सब्जी आदि की उपज बढ़ जाती है।
- ❖ लघु एवं कुटीर उद्योग धंधे विकसित किए जा सकते हैं। इसके अन्तर्गत वन वृक्ष लगाने से अनेक वन उत्पाद जैसे ईंधन, प्लाई, चारकोल, गोद, पेपर, रेआन आदि का उत्पादन करके लघु उद्योग धंधे विकसित किए जा सकते हैं।

अनुसंधान अनुभव :- कृषि वानिकी के महत्व एवं गुणों को देखते हुए अपने देश में अनेक अनुसंधान

कार्य हुए और अभी भी चल रहे हैं, उनके फलस्वरूप कुछ अनुभव प्राप्त हुए हैं जो निम्नवत् हैं:-

- यूकेलिप्टस के साथ लोबिया चारे के लिए बोने से लगभग १५० क्विंटल प्रति हेक्टेयर लोबिया का चारा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यूकेलिप्टस की लकड़ी से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है⁴
- सरसो भी यूकेलिप्टस के बीज बोने पर अतिरिक्त लाभ दे देती है।
- पोपलर के साथ सूरजमुखी लगभग १८ क्विंटल/हेक्टेयर अथवा ज्वार चारे के लिए लगभग १२५ क्विंटल/हेक्टेयर भी प्राप्त हो जाती है।
- सुबबूल के साथ धान, जौ, अरहर, मूँग एवं चना सफलता पूर्वक लिए जा सकते हैं। यद्यपि सुबबूल की दूसरे वर्ष उपज में २० प्रतिशत की घटोत्तरी देखी गई है, जबकि प्रथम वर्ष में नहीं परन्तु क्षतिपूर्ति साथ में ली गई फसल के साथ-साथ सुबबूल से प्राप्त चारे और ईंधन के लिए लकड़ी की प्राप्ति से हो जाती है।
- शहर के गंदे पानी का उपयोग कृषि वानिकी में बहुत लाभदायक है। गंदे पानी से जहाँ पौधों की तीव्र वृद्धि होती है वहीं फसल उत्पादन भी बढ़ता है।
- प्रारम्भिक अवस्था में सुबबूल की पत्तियाँ खाने में स्वादिष्ट होती हैं। अतः उन्हें खरगोश से बचाना चाहिए।

⁴ श्रीवास्तव अजय, कृषि एक लाभकारी पद्धति, प्रतियोगिता दर्पण जून १९९४, पृष्ठ संख्या १४८८ ।

- गदे पानी का उपयोग कृषि वानिकी में होने से आसपास का पर्यावरण (वातावरण) प्रदूषण से मुक्त हो जाता है एव बेकार पडी भूमि में पौधे लगाने से गर्मी में 'लू' प्रकोप से काफी राहत मिलती है और सूक्ष्म जलवायु का अनुभव होता है।
- सुबबूल को वर्षों में कभी भी लगाया जा सकता है और नर्सरी में इसके पौधे तैयार करने में कोई परेशानी नहीं होती है।
- यूकेलिप्टस के साथ बोई गई फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जबकि सुबबूल के साथ ऐसा नहीं है। इसी कारण अब यूकेलिप्टस के पौधों की तरफ रुझान कम हुआ है।

भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास कम उत्पादन और कृषि की लागत में लगातार वृद्धि होने से फसल उत्पादन अब लाभकारी होने के बजाय हानिकारक होता जा रहा है इसलिए कृषि की पुरानी पद्धतियों को छोड़कर हमें नई शस्य पद्धतियों को अपनाना होगा जिससे कृषि एक लाभकारी क्षेत्र बन सके, इसके लिए लगातार प्रयासों के द्वारा विकसित कृषि पद्धति (कृषि वानिकी) एक महत्वपूर्ण शस्य पद्धति सिद्ध हो सकती है।

विनियमित बाजार का अर्थ :- जब कोई राज्य सरकार अथवा स्थानीय सरकार किसी अधिनियम के अन्तर्गत बाजार को स्थापित करती है तथा ऐसे बाजारों में व्यवसाय के संचालन हेतु नियमों तथा विनियमों का निर्माण करती है, तो उसे विनियमित बाजार कहते हैं। विनियमित बाजारों में सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक होता है। इन बाजारों को कृषि विपणन सम्बन्धी, विशेषतः एकीकरण के स्तर पर, अनेक समस्याओं को हल करने के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ कृषि बाजारों को अधिक सुव्यवस्थित और कुशल बनाना होता है। इनका मुख्य उद्देश्य कृषि उपज के क्रय-विक्रय को विनियमित करना, शुद्ध प्रतिस्पर्धा की दशाएँ उत्पन्न करना और इस प्रकार उत्पादक विक्रेताओं के लिए सही व्यवहार सुनिश्चित करना होता है⁵ एक नियमित बाजार वह है जिसकी कार्यवाही और व्यवहार रीति किसी उपयुक्त विधान से नियमित होती है⁶ नियंत्रित बाजार की सीमा मुख्यतया किसी भी नगर या गाँव के नगरपालिका की सीमाओं से मिली रहती है। बाजार के स्थान का तात्पर्य नियंत्रित बाजार के उस स्थान से है जिसे चारों ओर से दीवार या तार से घेर दिया

⁵ गुप्ता ए०पी० मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इण्डिया, १९७५, पृष्ठ संख्या २२६ ।

⁶ मामेरिया एण्ड जोशी प्रिन्सिपल्स एण्ड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग इन इण्डिया, १९६३, पृष्ठ संख्या १३ ।

जाता है तथा जहाँ कृषि उपज एकत्रित करके बेची जाती है। नियंत्रित बाजार में जो कृषि नियंत्रित करनी होती है, उसका नाम घोषित किया जाता है⁷ नियंत्रित बाजार का प्रबन्ध “ कृषि उपज बाजार समिति ” की देखभाल में होता है जिसमें उत्पादक, व्यापारी, स्थानीय सस्था, सरकार व सहकारी समितियों के प्रतिनिधि होते हैं। इस समिति के १२ से १६ सदस्य होते हैं, जिनमें आधे से अधिक उत्पादक होते हैं। यह समिति नियंत्रित बाजार में काम करने वाले अढ़तिया, दलाल, तौला, पल्लेदार आदि विपणन कार्यकर्ताओं को अनुज्ञा पत्र प्रदान करती है तथा विभिन्न कार्यकर्ताओं के दर व अन्य बाजार खर्चों के दर का निर्धारण करती है। यह समिति स्थानीय विपणन पद्धतियों के अनुसार नियंत्रित बाजार के लिए आवश्यक नियम भी बनाती है⁸

सांक्षिप्त इतिहास :-⁹ भारत में विनियमित बाजारों की स्थापना उस समय आरम्भ हुई जब ब्रिटिश सरकार ने मैनचेस्टर की सूती वस्त्र मिलों को उचित मूल्य पर शुद्ध कपास के सभरण की आवश्यकता अनुभव की। १९८६ में हैदराबाद रेजीडेसी के आदेश के अतर्गत करंजा कपास बाजार को विनियमित किया गया। इस सम्बन्ध में प्रथम अधिनियम १९९७ का बरार कपास और गल्ला बाजार अधिनियम है। १९२७ में उस समय की बम्बई प्रान्त की सरकार ने बम्बई कपास मंडी अधिनियम पारित किया। १९२८ में कृषि पर शाही आयोग ने तथा १९९३ में केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति ने भी ऐसी बाजारों की स्थापना की सिफारिश की। फलस्वरूप केन्द्रीय प्रांतों और मद्रास में भी इस प्रकार के अधिनियम पारित किये गये।

१९३८ में केन्द्रीय कृषि विपणन विभाग (अब विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय) ने एक आदर्श विधेयक कृषि बाजारों को विनियमित करने हेतु तैयार किया जिससे विभिन्न प्रान्तीय सरकारों को इस सम्बन्ध में सही दिशा प्राप्त हो सके किन्तु दुर्भाग्यवश इसके शीघ्र बाद ही द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हो गया और बाजार विनियमन - क्रियाओं की प्रगति में बाधा पड़ गई¹⁰ वास्तव में स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त ही बाजार

⁷ भालेराव, एम० एम० भारतीय कृषि अर्थशास्त्र १९७७, पृष्ठ संख्या ४१४ ।

⁸ भालेराव, एम० एम० भारतीय कृषि अर्थशास्त्र १९७७, पृष्ठ संख्या ४१४ ।

⁹ गुप्ता ए०पी०. पूर्वोदित पृष्ठ संख्या २२६-२७ ।

¹⁰ इण्डिया १९८३, पृष्ठ संख्या २७५ ।

विनियमन की सही प्रगति हुई जब योजना आयोग ने इस पहलू पर जोर दिया और कृषि वस्तुओं के विनियमन कार्यक्रम को अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में स्थान दिया।

उत्तर प्रदेश में कृषि विनियमित बाजार :- कृषि विपणन व्यवस्था में व्याप्त दोषों एवं कुरीतियों को दूर करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम प्रयास सन् १९३८ में किया गया था, किन्तु १९३९ में युद्ध सम्बन्धी मसले पर कांग्रेस मंत्रिमण्डल द्वारा त्याग पत्र दे देने के कारण इस विधेयक पर विचार नहीं हो सका। पुनः सन् १९४६ - ४७ में इस सम्बन्ध में प्रयास हुए किन्तु कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् योजना आयोग ने कृषि मण्डियों के विनियमन पर जोर दिया। सितम्बर १९५३ में राज्य कृषि मंत्रियों के अधिवेशन ने भी इस सम्बन्ध में भी सन्तुष्टि की। इन सबके परिणाम स्वरूप १९६० में इस विषय पर एक विधेयक बनाने का प्रयास प्रारम्भ किया गया और दिसम्बर १९६३ में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधेयक विधान सभा के सम्मुख पेश किया गया। अन्ततः १९६४ में इस विधेयक को विधान सभा व विधान परिषद द्वारा पारित कर दिया गया। १० नवम्बर, १९६४ से राज्य में कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम लागू हुआ। वर्ष १९६४ में नियमावली बनी ताकि उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य, व्यापारियों को अपने परिश्रम का उचित प्रतिफल तथा उपभोक्ता की इच्छित वस्तु प्राप्त हो। इस अधिनियम के अन्तर्गत अब तक प्रदेश की २५३ मण्डियों का विनियमन किया गया है जिसके साथ ३७५ उपमण्डी स्थल भी हैं।¹¹ उ०प्र० कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम १९८४ की मुख्य बातें ये रही हैं।¹²

1. मण्डी क्षेत्र तथा मण्डी स्थल (बाड़ा) :- यदि राज्य सरकार किसी क्षेत्र में किसी कृषि उत्पादन के क्रय-विक्रय का विनियमन लोकहित में आवश्यक समझती है तो वह गजट में विज्ञापित द्वारा अपने इस अधिनियम की घोषणा कर सकती है इस सम्बन्ध में जनता के लिए एक निश्चित अवधि के अन्दर प्रस्तावित घोषणा के विरुद्ध आपत्तियाँ आमंत्रित कर सकती हैं। इस निश्चित अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त राज्य सरकार मण्डी क्षेत्र के किसी ऐसे निर्दिष्ट भाग को जहाँ किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन का विक्रय, क्रय या संग्रह

¹¹ सौजन्य से राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उ०प्र० १६ ए० पी० सेन रोड, लखनऊ।

¹² उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम १९६४ के अधीन बनायी गयी नियमावली, निदेशक कृषि विभाग, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ सं० ३२।

या उस पर प्रक्रिया करने का कार्य होता है, प्रधान मण्डी के रूप में और उपर्युक्त ऐसे अन्य भागों को, जो आवश्यक समझे जाएँ, उपमण्डी स्थलों के रूप में घोषित कर सकती है। किसी क्षेत्र का मण्डी क्षेत्र घोषित किये जाने के दिनांक से कोई स्थानीय निकाय या अन्य व्यक्ति सम्बद्ध समिति द्वारा दिये गए अनुज्ञापन के बिना मण्डी क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट कृषि उपज के विक्रय, क्रय या संग्रह करने या लौटने या उस पर प्रक्रिया करने का कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे मण्डी क्षेत्र में बिना अनुज्ञापन के व्यापारी, दलाल, आढतिया, भण्डारागार, परिचालक, तौलक पल्लेदार आदि कारोबार नहीं कर सकते हैं।

2. मण्डी खर्च :- ऐसे मण्डी क्षेत्रों में जहाँ पर सामान्यतः इस प्रकार के सौदे किये जाते हैं, निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के विक्रय या क्रय के किसी सौदे के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या उपनियमों द्वारा नियत खर्चों से भिन्न व्यय नहीं लिये जा सकते हैं।

मण्डी समिति अपनी उपविधियों में वह व्यापारिक परिव्यय निर्दिष्ट करेगी जो इन नियमों के अधीन लाइसेंस रखने वाले किसी व्यापारी या अढतिया या दलाल अथवा किसी तौलक या मापक अथवा पल्लेदार द्वारा लिये या वसूल किये जा सकते हैं किन्तु नीचे निर्धारित सीमा से अधिक न होंगे¹³

- ✓ कमीशन - १ ५० प्रतिशत
- ✓ दलाली - १ ०० प्रतिशत
- ✓ तौलाई - ५० पैसा प्रति क्विंटल¹⁴
- ✓ पल्लेदारी - ७५ पैसा प्रति क्विंटल¹⁵

सभी परिव्यय क्रेता द्वारा होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि नीलाम के पूर्व तौलाई या मापने अथवा सभालने के परिव्यय यदि कोई हों जो मण्डी समिति द्वारा अपनी उपविधियों में निर्दिष्ट किये जाये, विक्रेता

¹³ उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम १९६४ के अधीन बनायी गयी नियमावली, निदेशक कृषि विभाग, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ संख्या ३३ ।

¹⁴ उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (अमेन्डमेन्ट) रूल्स १९६८ के अनुसार अब तौलाई ५० पैसे प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है ।

¹⁵ उपर्युक्त अमेन्डमेन्ट रूल्स १९६८ के अनुसार ही पल्लेदारी ७५ पैसा प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है ।

द्वारा देय होंगे।¹⁶ प्रदेश की मण्डी समितियों के द्वारा ११४ निर्दिष्ट कृषि उत्पादों की बिक्री पर एक प्रतिशत की दर से मण्डी शुल्क क्रेताओं पर लगाया एवं वसूल किया जाएगा। उपभोक्ताओं को दी जाने वाली फुटकर बिक्री मण्डी शुल्क की देयता से मुक्त होगी।¹⁷

3. मण्डी समिति :- प्रत्येक मण्डी क्षेत्र के लिए एक मण्डी समिति होती है। इस समिति का गठन इस प्रकार हो सकता है।¹⁸

- ❖ प्रत्येक स्थानीय निकायों का एक-एक प्रतिनिधि।
- ❖ मण्डी क्षेत्र में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्राप्त सहकारी क्रय विक्रय समितियों का एक प्रतिनिधि।
- ❖ केन्द्रीय गोदाम निगम व राज्य गोदाम निगम का एक-एक प्रतिनिधि यदि मण्डी क्षेत्र में उनका गोदाम हो तो।
- ❖ लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों, दलालों और आढ़तियों के तीन प्रतिनिधि।
- ❖ मण्डी क्षेत्र के गाँव सभाओं के प्रधानों द्वारा निर्वाचित मण्डी क्षेत्र के १० उत्पादक।
- ❖ राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सरकारी अधिकारी।

समिति का कार्य मण्डी क्षेत्र में इस अधिनियम तथा इस अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों तथा उपनियमों के अनुसार विपणन कार्यों का विनियम करना होता है तथा उन सभी कार्यों को करना होता है जो इसके दक्ष कार्य संचालन के लिए आवश्यक हों।

4. मण्डी समिति निधि और उसका उपयोग :- प्रत्येक समिति के लिए एक कोष स्थापित किया जाता है जिसमें समिति द्वारा प्राप्त सभी धनराशियों, ऋण, अग्रिम तथा अनुदान जमा किये जाते हैं तथा समिति के परिचालन, अनुरक्षण तथा प्रबन्ध सम्बन्धी व्यय किये जाते हैं।

¹⁶ मण्डी अधिनियम १९६४, पृष्ठ संख्या १३ ।

¹⁷ राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त ।

¹⁸ राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त धारा १३ ।

कोई भी व्यय जिसके लिए बजट में व्यवस्था न हो तब तक न किया जाय जब तक कि वह अन्य शीर्षको के अन्तर्गत बचतो से पुर्नविनियोग द्वारा अथवा उपलब्ध अपरक्षित निधि से ऐसे अनुपूरक अनुदान द्वारा न किया जा सकता हो जो समिति द्वारा यथाविधि स्वीकृत किया गया हो, और जिसके लिए निदेशक का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो। समिति द्वारा अनुमोदित बजट प्रत्येक वर्ष ३० अप्रैल के पूर्व अनुमोदन के लिए निदेशक को प्रस्तुत किया जायेगा। पूर्व आगामी कृषि वर्ष की प्राप्तियाँ तथा व्यय के लेखों का एक सारपत्र, प्रत्येक वर्ष ३० सितम्बर के पूर्व निदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा।¹⁹

5. समिति के अधिकारी तथा कर्मचारी :- समिति का एक सभापति तथा एक उप सभापति होता है तथा दैनिक कार्य संचालन हेतु एक मण्डी सचिव भी होता है। सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त समिति में विभिन्न कार्यों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है।

सचिव, मंडी समिति का मुख्य कार्याधिकारी होगा और मंडी समिति के संकल्पों को कार्यान्वित करेगा। सचिव प्रत्येक वर्ष ३० अप्रैल तक सभापति को, समिति द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के कार्य तथा योग्यता के संबंध में अपना वार्षिक गोपनीय मन्तव्य प्रस्तुत करेगा।²⁰

6. शुल्क लगाना तथा उन्हें वसूल करना :- मंडी समिति को मंडी स्थलों में लाये गए और बेचे गए निर्दिष्ट कृषि उत्पादन पर, ऐसी दरों पर जो उपविधियों में निर्दिष्ट किये जाय, शुल्क लगाने उन्हें वसूल करने का अधिकार होगा, किन्तु वह दर निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक न होगी। प्रतिबन्ध यह है कि मंडी शुल्क विक्रेता द्वारा देय होगा।

लाइसेन्स शुल्क :-

अधिनियम के अधीन लाइसेन्स जारी तथा नवीनीकृत करने के लिए शुल्क वही होगा। प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक ऐसे लाइसेन्स शुल्कों के प्रयोजनार्थ प्रत्येक मंडी स्थल का वर्ग अवधारित करेगा।²¹

¹⁹ उ०प्र० कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम १९६४ के अधीन बनायी गयी नियमावली से, अध्याय ८ पृ०स० ३६-३७ ।

²⁰ वही, निदेशक कृषि विभाग, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्रकाशित अध्याय ५ पृ०स० २४-२५ ।

²¹ मण्डी अधिनियम १९६४ पृ० स० २४ धारा १७ (३) अध्याय ६ ।

केन्द्रीय मंडी परामर्श समिति :-²²

राज्य के मुख्यालय में एक शीर्ष परामर्श निकाय होगा, जो केन्द्रीय मंडी परामर्श समिति कहलाएगी। केन्द्रीय मंडी परामर्श समिति में निम्न होंगे -

- ❖ कृषि मंत्री, जो पदेन सभापति भी होगा।
- ❖ कृषि उपमंत्री, जो पदेन उपसभापति भी होगा।
- ❖ सदस्य समितियों में से पाँच उत्पादक।
- ❖ सदस्य समितियों में से पाँच व्यापारी।
- ❖ राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले निम्नलिखित दो व्यक्ति
 - एक अर्थशास्त्री
 - एक उद्योगपति
- ❖ सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, जो कृषि का प्रभारी हों
- ❖ पशुपालन निदेशक
- ❖ निबन्धक सहकारी समिति
- ❖ कृषि निदेशक, जो केन्द्रीय मंडी परामर्श समिति का पदेन सचिव भी होगा और
- ❖ राज्य कृषि विपणन अधिकारी निदेशक, जो केन्द्रीय मंडी परामर्श समिति का पदेन संयुक्त सचिव भी होगा।

7. विविध :-²³

मंडी समिति का सचिव या समिति द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी कर्तव्यों के पालन में सभी उचित समय पर किसी भी स्थान, भू-गृहादि या वाहन (वेहिकल) में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है। (धारा ३०)

²² मण्डी अधिनियम १९६४, अध्याय - ९ पृष्ठ - ४१, धारा ४० ।

²³ उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम १९६४ के अधीन बनायी गयी नियमावली से ।

यदि कोई व्यक्ति धारा ९ एव १० की किन्ही भी उपधाराओ या उनके अधीन बनाये गए नियमो या उपविधियो का उल्लघन करता है तो उसे ९० दिन का साधारण कारावास या ५०० रूपये तक का अर्थ दंड या दोनो दिए जा सकते हैं। (धारा ३७)

मंडी समिति अपनी उपविधियाँ (बाइ-लाज), अपने कार्य का विनियमन करने उपसमितियों की नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य और कार्यों को करने, व्यापारियो, आढतियो, दलालो, तोलको, और पल्लेदारो के कर्तव्यो को निश्चित करने के लिए बना सकती है।

राज्य मुख्यालय पर कृषि मन्त्री के सभापतित्व में एक “ **केंद्रीय मंडी सलाहकार समिति**” होगी जो राज्य की विभिन्न मंडी समितियों की उन्नति पर सलाह दिया करेगी।

उत्तर प्रदेश मे कृषि उत्पादन के क्रय-विक्रय को विनियमित करने तथा मंडियो की स्थापना के उद्देश्य से वर्ष १९६९ में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम पारित किया गया तथा वर्ष १९६४ में नियमावली बनी, यह नियमावली उत्तर प्रदेश मे कृषि उत्पादन मंडी नियमावली १९६५ कही जाती है²⁴ इस अधिनियम के अन्तर्गत अब तक प्रदेश की २५३ मंडियो का विनियमन किया गया है, जिनके साथ ३७५ उपमंडी स्थान है²⁵

आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी न होने के कारण अभी तक ५ पहाड़ी जनपदों यथा चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, टेहरी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा के क्षेत्रो को मण्डी विनियमन की परिधि में नहीं लिया जा सका है तथा विनियमन के लाभो को इन क्षेत्रों के उत्पादकों-विक्रेताओं तक पहुँचाने के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है। ऐसी आशा है कि शीघ्र ही इन क्षेत्रो मे भी मंडी समितियाँ स्थापित हो जाएगी²⁶

प्रदेश को विभिन्न मंडी क्षेत्रों में विभजित करके मंडी अधिनियम के अन्तर्गत सतत् अनुक्रम वाली निर्गमित निकाय के रूप मे प्रत्येक मंडी क्षेत्र के लिए एक मंडी क्षेत्र की स्थापना की गई है। “ **उ०प्र० कृषि उत्पादन मंडी समिति अधिनियम 1972**” के द्वारा प्रथम मंडी समितियों के सदस्यो एव

²⁴ उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम १९६४ के अधीन बनायी गयी नियमावली अध्याय १ पृ०स० १

²⁵ सौजन्य से मुख्यालय, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

²⁶ राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् उ०प्र० लखनऊ ।

पदाधिकारियों के कार्य काल को समाप्त करके मंडी समिति तथा इसके सभापति एवं उपसभापतियों के समस्त अधिकार, कृत्य एवं कर्तव्य जिलाधिकारियों में निहित कर दिये गए थे। तत्पश्चात् “ उ०प्र० कृषि उत्पादन अधिनियम 1978 ” के द्वारा शासन ने मंडी समिति तथा उनके सभापति एवं उप-सभापति के समस्त अधिकार, कृत्य एवं कर्तव्यों के प्रयोग एवं निर्वहन हेतु मंडी समिति के लिए शासन द्वारा नामांकित सात सदस्यीय तदर्थ समिति के गठन की व्यवस्था की। तत्पश्चात् पुन ६ मार्च, १९८० से अल्पकालिक व्यवस्था अधिनियम में संशोधन करके मंडी समिति का कार्य पूर्ववत् जिलाधिकारियों को सौंप दिया गया जो ५ जून १९८३ तक की अवधि के लिए वैध रहा²⁷

वर्तमान समय में राज्य सरकार के द्वारा उ०प्र० कृषि उत्पादन मंडी समिति अधिनियम १९८४ पारित किया गया है। जिसके अन्तर्गत मंडी समिति के समस्त अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का संपादन और कर्तव्यों का पालन राज्य सरकारों के द्वारा नामित की जाने वाली ग्यारह सदस्यीय तदर्थ समिति के द्वारा किए जाने की व्यवस्था है। जिसमें एक सदस्य को सभापति पदाधिकार दिया जाएगा। सदस्यों में से एक-एक सदस्य मंडी क्षेत्र में कार्यरत आढ़तियों और व्यापारियों में से होंगे और पाँच सदस्य मंडी क्षेत्र के उत्पादक सदस्यों में से होंगे। यह भी प्रावधान है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा तदर्थ समिति नामित नहीं की जाती है, मंडी समिति से सम्बन्धित शक्तियों जिलाधिकारियों में पूर्ववत् बनी रहेंगी। अभी तक शासन के द्वारा किसी मंडी समिति की नामांकित समिति गठित नहीं की गयी है²⁸

प्रदेश की मंडी समितियों का मुख्य दायित्व निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करना है²⁹

- ❖ निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के उत्पादकों और उसके क्रय-विक्रय में लगे हुए व्यक्तियों के बीच न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करना।
- ❖ प्रधान मंडी स्थल तथा उपमंडी स्थलों में विक्रेताओं द्वारा किए गए निर्दिष्ट कृषि उत्पादों का तत्काल भुगतान किया जाना सुनिश्चित करना।

²⁷ राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् उ०प्र० लखनऊ ।

²⁸ राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् उ०प्र० लखनऊ ।

²⁹ “प्रगति के बारह वर्ष” १९८५ राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् उ०प्र० द्वारा प्रकाशित पृष्ठ संख्या २ ।

- ❖ निर्दिष्ट कृषि उत्पादन का वर्गीकरण तथा मान स्थापन करना।
- ❖ मंडी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले बाटो मापो और तौलने तथा मापने के यंत्रों की जांच और सत्यापन करना तथा बाट व माप अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों को देना।
- ❖ ऐसी समस्त सूचना का संग्रह एवं प्रचार करना जो निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के उत्पादकों और उसके क्रय-विक्रय में लगे हुए व्यक्तियों के लिए लाभप्रद हो।
- ❖ व्यापारिक परिव्ययों, मंडी परिपाटियों और निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय-विक्रय की प्रथाओं तथा रूढ़ियों को स्थिर तथा विनियमित करना।
- ❖ प्रधान मंडी स्थल और उपमंडी स्थलों में उत्पादकों और वहाँ पर क्रय-विक्रय में लगे हुए व्यक्तियों के लिए उचित सुख-सुविधा की व्यवस्था करना।
- ❖ प्रधान मंडी स्थल या उपमंडी स्थलों में लाइसेंस धारकों में आपस में अथवा लाइसेंस धारकों एवं उन व्यक्तियों के बीच जो क्रय-विक्रय के सौदे करे, मतभेदों या विवादों के सभी मामलों में मध्यस्थ या विचारक के रूप में कार्य करना।

प्रदेश की मंडी समितियों के द्वारा ११४ निर्दिष्ट कृषि-उत्पादों की बिक्री पर एक प्रतिशत की दर से मंडी शुल्क क्रेताओं पर लगाया एवं वसूल किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को की जाने वाली फुटकर बिक्री मंडी शुल्क की देयता से मुक्त है³⁰

(क) - कृषि :-

1. अन्न :-

- | | | | | |
|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| १. गेहूँ, | २. जौ, | ३. धान, | ४. चावल, | ५. ज्वार, |
| ६. बाजरा, | ७. मक्का, | ८. बेझर, | ९. जई । | |

2. द्विद्वितीय उत्पादन :-

- | | | | | |
|---------|---------|----------|---------|----------|
| १. चना, | २. मटर, | ३. अरहर, | ४. उरद, | ५. मूँग, |
|---------|---------|----------|---------|----------|

³⁰ राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् उ०प्र० लखनऊ से प्राप्त ।

६ मसूर, ७ लोबिया, ८ सोयाबीन, ९ सनई (बीज),

१० ढेचा (बीज), ११ ग्वार

3. तिलहन :-

१ सभी प्रकार के सरसो तथा लाही (जिसमे राई, दुबा, तारामीरा और तोरिया भी सम्मिलित

हैं), २ सेहुवा (बीज), ३ अलसी, ४ अन्डी, ५ मूँगफली,

६ तिल, ७ महुवा की गुठली, ८. खुल्लू, ९ बिनैला,

१० बरें अथवा कुसुम (बीज)।

4. रेशे :-

१ जूट, २. सनई का रेशा, ३ रूई (ओट और बिना औटी हुई),

४ पटसन, ५ ढेचा, ६ रामबांस, ७. मेसुट ।

5. स्वापक :-

१ तम्बाकू

6. मसाले :-

१. धनिया, २ पकी मिर्च, ३ मेथी (बीज), ४ सोंठ,

५ सौंफ, ६ हल्दी, ७. खटाई अमचूर, ८ जीरा ।

7. घास तथा चारा :-

१ भूसा

8. विविध :-

१ पोस्ता २ रामदाना, ३ बान, ४ निमकौनी,

५ महुआ का फूल (सूखा), ६ गुड़, ७. राब, ८. शक्कर,

९. खांडसारी, १० जगरी, ११. अखरोट, १२. चिरौजी, १३. मखाना।

(ख) - उद्यानकर्म :-

1. शाक :-

- १ आलू, २ प्याज, ३ लहसुन, ४ अरबी, ५ अदरख-टहरी,
६ मिर्च, ७ टमाटर, ८. बन्द गोभी, ९ टिण्डा, १० लौकी,
११ हरी मटर, १२ परवल, १३. कटहल (कच्चा), १४ ककड़ी - खीरा,
१५ पेठा, १६ भिण्डी, १७ कद्दू ।

2. फल :-

- १ नींबू, २ नारंगी, ३ मुसम्मी, ४ माल्टा, ५ ग्रेफ फ्रूट,
६ केला, ७ अनार, ८ स्ट्राबेरी, ९ खरबूजा, १० तरबूज,
११. पपीता, १२. सेब, १३. अमरूद, १४ बेर, १५ आँवला,
१६ लीची, १७. चीकू, १८ आडू लोकाटा १९ आम,
२० कटहल (पक्का), २१. खुबानी, २२ नाशपाती बनास, २३ चकोतरा ।

(ग) - द्राक्षा कृषि :-

- १ अगूर

(घ) - पशुपालन उत्पाद :-

- १ घी, २. खोवा, ३. चमड़ा और खाल, ४ ऊन

(ङ) - वन उत्पाद :-

- १ गोंद, २ लकड़ी, ३. तेंदू की पत्ती, ४ कत्था, ५ लाख

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उत्तर प्रदेश :-

उत्तर प्रदेश में कृषि मण्डियों के विनियमन एवं मंडी विकास के कार्यों में तीव्रता एवं कुशलता लाने तथा प्रदेश की मण्डी समितियों के कार्यों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं मार्गदर्शन करने हेतु प्रदेश स्तर पर राज्य सरकार द्वारा २७ जून १९७३ से राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद की स्थापना की गई है।

मण्डी परिषद् मे राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति अध्यक्ष के अतिरिक्त निम्नलिखित शासकीय सदस्यों का प्राविधान है।³¹

- ✓ कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन यदि वह अध्यक्ष न हो।
- ✓ वित्त सचिव उ०प्र० शासन।
- ✓ खाद्य तथा रसद सचिव, उ०प्र० शासन।
- ✓ कृषि सचिव, उ०प्र० शासन।

मण्डी परिषद् की शक्तियाँ एवं कृत्य :-³²

मण्डी अधिनियम के प्राविधानों के अधीन रहते हुए मंडी परिषद् के निम्न कृत्य हैं और इसे ऐसे कार्य करने की शक्ति है जो इन कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा इष्ट कर है।

- ❖ मण्डी समितियों के कार्य संचालन तथा उनके अन्य कार्य कलापों जिनके अन्तर्गत ऐसी समितियों द्वारा नये मण्डी स्थलों के निर्माण, वर्तमान मण्डियों तथा मण्डी क्षेत्रों के विकास के लिए व्यवसायी कार्यक्रम भी है, का पर्यवेक्षण और नियंत्रण
- ❖ समितियों को सामान्य रूप से अथवा किसी समिति को विशेषतः उसकी दक्षता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देश देना।
- ❖ कोई अन्य कृत्य जो उसे अधिनियम द्वारा सौंपे जाये।
- ❖ ऐसे अन्य कृत्य जो राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा परिषद् को सौंपा जाय।

मण्डी परिषद् की प्रगति :-

मण्डी परिषद् के कुशल अधीक्षण एवं नियंत्रण में प्रदेश की मण्डी समितियों ने न केवल अधिनियम के प्राविधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने, प्रधान मण्डी स्थल एवं उपमण्डी स्थलों में आवश्यक सुख- सुविधा दिलाने तथा उत्पादक विक्रेताओं को मण्डियों में शोषण से बचाकर न्यायोचित व्यवहार दिलाने की

³¹ "प्रगति के बारह वर्ष" १९८५ राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् उ०प्र० द्वारा प्रकाशित पृष्ठ संख्या ३ ।

³² "प्रगति के बारह वर्ष" १९८५ राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् उ०प्र० द्वारा प्रकाशित पृष्ठ संख्या ३ ।

दिशा मे महत्वपूर्ण कार्य किया है अपितु इसके कार्यों मे भरी मात्रा मे निर्दिष्ट कृषि उत्पादो के उत्पादक विक्रेताओ मे विनियमित मण्डियो में अपनी उपज को लाकर बेचना आरम्भ कर दिया है जिससे प्रदेश की विनियमित मण्डियो को आवक मे उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

कृषि उत्पादों का वर्गीकरण :-

कृषि उपज के वर्गीकरण का लाभ प्रदेश के उत्पादको को पहुँचाने की दृष्टि से प्रदेश के नवनिर्मित मण्डी स्थलो मे कृषि विपणन विभाग द्वारा स्थापित ५० प्राथमिक वर्गीकरण इकाइयाँ कार्यरत हैं। प्रत्येक वर्गीकरण इकाई मे वर्गीकरण निरीक्षक व एक कामदार का प्राविधान है तथा प्रत्येक इकाई के पास एक सुसज्जित वर्गीकरण प्रयोगशाला है। वर्गीकरण इकाई के कर्मचारियों के द्वारा मण्डी मे आने वाले उत्पादक विक्रेताओं को वर्गीकरण योजना की जानकारी दी जाती है ताकि इनमें वर्गीकरण के प्रति जागृति पैदा हो साथ ही साथ उनके द्वारा लायी गई कृषि उपज का दृष्टि परीक्षण कर उस पर वर्गीकरण तख्त्रियाँ लगाने का कार्य भी किया जाता है ताकि उनकी नीलामी के द्वारा बिक्री हो जाए और उत्पादक को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

उपर्युक्त वाणिज्यात्मक वर्गीकरण भारत सरकार के विपणन एव निरीक्षण निदेशालय के द्वारा निर्धारित गुण निर्दिष्टियों के अनुसार किया जाता है तथा वर्गीकरण निरीक्षको को भारत सरकार के निदेशालय द्वारा निर्धारित ग्रेडर कोर्स का प्रशिक्षण भी दिलाया जाता है।

मण्डियों में खर्च :- (अध्ययनार्थ चुनी गई मण्डियों के संदर्भ में)

मण्डी के अन्तर्गत विक्रेता अथवा क्रेता द्वारा क्रय - विक्रय की प्रक्रिया मे किये जाने वाले खर्च को मण्डी खर्च कहते हैं। मण्डी खर्च के अन्तर्गत अढतिया की आढत, दलाल की दलाली, तौलने के लिए तौलाई, पल्लेदार की पल्लेदारी, मण्डी शुल्क, बाजार शुल्क आदि के अतिरिक्त किसान को मिलावट के लिए गर्दा, उपज सूखने से उसका वजन घट जाता है इसलिए दलाल, मेहतर, पानीवाला आदि के लिए दाना तथा अस्पताल, गोशाला, मंदिर आदि के लिए धर्मादा आदि देने पड़ते हैं। इन विभिन्न कटौतियों के कारण उपभोक्ता के रूपये में किसान का हिस्सा बहुत ही कम हो जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत मे

उपभोक्ता के रूप में किसान का हिस्सा चीनी में ६५ १७ प्रतिशत, अलसी में ७९ ३५ प्रतिशत, आलू में ५६ ३० प्रतिशत, गेहूँ में ६८ ०० प्रतिशत पाया गया है³³ कुल विपणन व्यय में मध्यस्थों का प्रतिशत हिस्सा सबसे अधिक महाराष्ट्र में व सबसे कम आंध्र प्रदेश में पाया गया है³⁴ अध्ययनार्थ चुनी गई मण्डियों में उपभोक्ता मूल्य में उत्पादक का हिस्सा गुड़ में ८५ ९६ प्रतिशत, सरसों में ६४ ७३ प्रतिशत, कच्ची हुक्का तम्बाकू ३३ ३ प्रतिशत रहा है।

मण्डियों के विनियमन के पश्चात् विनियमित बाजारों में मण्डी समिति द्वारा विभिन्न कार्यकर्ताओं के लिए मण्डी खर्चों का निर्धारण किया गया है तथा अनाधिकृत खर्चों और कटौतियों की वसूली पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार औसत रूप से प्रचलित मूल्यों के आधार पर एक किसान को विनियमित बाजार में १०० रु० मूल्य की उपज बेचने पर २.५० रु० मण्डी खर्च देने पड़ते हैं इसके विपरीत, पूर्व विनियमन काल में उसे ३ ९९ रु० देने पड़ते थे। इस प्रकार उत्पादक विक्रेता द्वारा दिये जाने वाले कुल मण्डी खर्चों में लगभग ५० प्रतिशत की शुद्ध बचत हुई है। इसके अतिरिक्त जब उत्पादक खुली नीलामी द्वारा अपनी वस्तुओं को बेचता है तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि उसे १०० रु० मूल्य की वस्तु बेचने पर ३ से ५ रु० के उच्च भाव प्राप्त हो जाते हैं।

अतः अलग-अलग मण्डियों में किए जाने वाले खर्चों में कुछ विभिन्नता है। मण्डी विनियमन के उपरान्त सारे परिव्यय क्रेता को देने की बात कही गई। किन्तु इसमें प्रतिबन्ध यह रहा कि नीलाम के पूर्व तौलाई या मापने अथवा सम्भालने के परिव्यय यदि कोई हो, जो मण्डी समिति द्वारा अपनी उपबंधियों में निर्दिष्ट किये जाये, विक्रेता को देय होंगे। इस प्रकार मण्डी में किसान से किसी भी प्रकार की कटौती को अवैध बताया गया। लेकिन विनियमित मण्डियों का प्रभाव मण्डी बाड़ा (बाउन्डरी) के अन्तर्गत ही रहता है, इसलिए अभी भी कुछ कटौतियों मण्डियों में किसानों द्वारा चोरी-छिपे पायी जाती हैं। चुनी गई मण्डियों में सर्वेक्षण के

³³ कुलकर्णी के० आर० एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया वाल्यूम १ दि कोआपरेटर्स बुक डिपाट, बाम्बे वर्ष १९६४, पृष्ठ संख्या ४३१-४३२ ।

³⁴ भालेराव एम० एम० . भारतीय कृषि अर्थशास्त्र १९७९, पृष्ठ संख्या ४०९ ।

द्वारा तो अधिकांश मण्डी कार्यकर्ता एव व्यापारी यही बताते पाए गए कि मण्डी समिति द्वारा निर्दिष्ट परिव्यय से अधिक किसी प्रकार की वसूली नहीं होती है और किसान से कोई मण्डी खर्च नहीं लिया जाता है, लेकिन अधिकांश किसानों ने इस बात की पुष्टि की है कि अभी भी हमें नमूने के लिए कि०ग्रा० से ढेड़ कि०ग्रा० तक प्रति गाड़ी उपज देनी पड़ती है। दलाली, पल्लेदारी, गर्दा, नमी, आदि कटौतियों की जाती है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह भी रहा है कि अधिकांश किसान अपनी उपज मण्डी बाड़ा में बेचने के बजाय अड़तियों के आड़त एव पुराने बाजारों में बेचते हैं जहाँ अभी मण्डी के कर्मचारियों का प्रभाव बहुत कम है। मण्डी बाड़ा में अभी बहुत कम क्रय-विक्रय हो रहा है। इसके अतिरिक्त किसान जब गाँव से मण्डी आता है तो वहीं अपनी उपज तुरन्त बेचकर गाँव पहुँचने की बात सोचता है इसलिए वह इन छोटी-छोटी कटौतियों को कोई विशेष महत्व नहीं होता है।³⁵

कायमगंज, बिल्थरा रोड़ और वाराणसी मण्डी में अभी भी किसान से क्रमशः ५० पैसा प्रति सैकड़ा ५० से १ रू० प्रति कुन्तल की दर से दलाली ली जाती है। इसी प्रकार प्रायः सभी मण्डियों में किसानों से ५० से ७५ पैसा प्रति बोरा तक पल्लेदारी एवं ७५० ग्राम नमूना प्रति गाड़ी वसूल होता है, जबकि मंडी समिति के नियमानुसार यह खर्चे किसान से नहीं लिए जाने चाहिये। मंडी समिति एव मंडी के आड़तिया व्यापारी के बाउचर में इन खर्चों का उल्लेख भी नहीं किया जाता है, ये अपने रिकार्ड पर केवल मंडी समिति द्वारा निर्धारित परिव्यय का उल्लेख करते हैं।

मंडी में यह प्राविधान तो है कि उत्पादक द्वारा किसी भी प्रकार का मण्डी खर्च नहीं लिया जाएगा किन्तु जो व्यापारिक परिव्यय है वह क्रेता से ही वसूल किया जाएगा। यहाँ क्रेता से तात्पर्य आड़तिया या थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी से है। मंडी सचिवों के साक्षात्कार से यह ज्ञात हुआ कि मंडी शुल्क मंडी के प्रथम क्रेता से वसूल किया जाता है जो प्रायः थोक व्यापारी या अड़तिया होते हैं। किन्तु यह थोक व्यापारी इसका हस्तान्तरण फुटकर व्यापारी पर कर देता है। इस प्रकार इसका वास्तविक भार फुटकर व्यापारी पर पड़ता है। इसी प्रकार आड़त, दलाली, पल्लेदारी, तौलाई आदि सभी खर्चे यदि थोक व्यापारी अथवा अड़तिया वहन

³⁵ गुप्ता ए० पी० . मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इण्डिया १९७५, पृष्ठ संख्या २३० ।

करता है तो वह उपज के मूल्य में इन सारे खर्चों को जोड़कर टुक समेत माल की बिक्री कर देता है और कभी-कभी जब फुटकर व्यापारी दलाल के माध्यम से खरीद करता है तो उसे इन खर्चों को अलग से देना पड़ता है। इस प्रकार से यह संपूर्ण मंडी खर्च सम्मिलित रूप से थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी द्वारा वहन किये जाते हैं जो अन्त में उपभोक्ता मूल्य में जुट जाता है।

अतः “प्रत्येक मंडी में कमीशन अधिकतम १.५० प्रतिशत तक ही वसूल किया जाता है। दलाली अधिकांश मंडियों में ५० से १ रू० प्रति सैकड़ा तक है। दलाली विभिन्न उपजों के अनुसार अलग-अलग पायी जाती है। वाराणसी में सरसों तेल के लिए १२ आना प्रति सैकड़ा तक दलाली पायी जाती है जिसमें ४ आना प्रति सैकड़ा क्रेता को एवं ८ आना प्रति सैकड़ा विक्रेता को वहन करना पड़ता है। तौलाई में भी विभिन्न मंडियों में कुछ भिन्नता है सर्वाधिक ५० से ७५ पैसा प्रति बोरा ली जाती है। अन्य मंडियों में यह २५ से ५० पैसा प्रति बोरा के मध्य है। इसी तरह पल्लेदारी बिल्थरा रोड में ४० से ७० पैसा प्रति क्विंटल, वाराणसी में ४५ से ५५ पैसा प्रति क्विंटल, कायमगंज में ४० से ५५ पैसा प्रति क्विंटल, गोन्डा में २५ से ३५ पैसा प्रति प्रति क्विंटल, देवरिया में ६० पैसा प्रति बोरा, कानपुर में २५ से ५० पैसा प्रति क्विंटल, मुजफ्फर नगर में ५० पैसा प्रति क्विंटल पायी गयी। मंडी शुल्क प्रत्येक मंडी में १ प्रतिशत की दर से निर्धारित है एवं वसूल किया जाता है।³⁶

मंडी शुल्क व्यापारी से निम्नलिखित रीति से वसूल किया जाता है।³⁷

- यदि निर्दिष्ट कृषि उत्पादन अढ़तिया के माध्यम से अथवा सीधे व्यापारी को बेचा जाय, तो यथास्थिति आढतिया या व्यापारी बिक्री बाउचर में विक्रेता से मंडी शुल्क लेगा और इस प्रकार वसूली की गई मंडी शुल्क की धनराशि को समिति द्वारा तदर्थ जारी किए गए निर्देशों के अनुसार मंडी समिति के पास जमा करा देगा।
- यदि निर्दिष्ट कृषि उत्पादन विक्रेता द्वारा सीधे उपभोक्ता को बेचा जाय तो मंडी समिति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत उसके कर्मचारी द्वारा वसूल किया जाएगा।

³⁶ ३०प्र० कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम १९९४ के अधीन बनाई गई नियमावली, पृष्ठ संख्या २८ ।

³⁷ उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (अमेन्डमेन्ट) रूल्स, १९६८ के अनुसार निर्धारित है ।

- लाइसेन्स शुल्क का भुगतान लाइसेन्स के लिए प्रार्थना पत्र के साथ किया जाएगा।
- मंडी शुल्क तथा लाइसेन्स शुल्क का भुगतान मंडी- समिति को नकदी में किया जायेगा।

मंडियों में विनियमन से पूर्व अनियंत्रित बाजारों में किसानों से अनेक प्रकार की कटौतियाँ व्यापारी वसूल करते थे। फलतः उपभोक्ता के रूप में किसान का हिस्सा बहुत ही कम हो जाता था। किन्तु अब मंडी में वसूल किये जाने वाले खर्च स्पष्ट एवं पूर्व निश्चित है। नियमित मंडियों में अनियमित मंडियों की अपेक्षा खर्च कम लिए जाते हैं और किसानों एवं विक्रेताओं से मध्यस्थ मनमाने खर्च नहीं वसूल सकते हैं। यह सत्य है कि मंडी अधिनियम द्वारा निर्धारित व्यापारिक परिव्यय से अधिक वसूली चोरी छिपे मध्यस्थ किसानों से कर लेते हैं, किन्तु विनियमन से पूर्व होने वाली वसूली की तुलना में यह काफी कम है। विनियमित मंडियों में विपणन प्रणाली तथा व्यवहार वैज्ञानिक एवं सुसंगठित होते हैं। इनमें एकरूपता पायी जाती है। विनियमित मंडियों में तौल में कोई गड़बड़ी नहीं पायी जाती है, क्योंकि तौल मंडी के कर्मचारियों के सामने होती है। किसानों को भुगतान हेतु इन्तजार नहीं करना पड़ता है। भुगतान माल की बिक्री के तुरन्त बाद कर दिया जाता है। विनियमित मंडियों में प्रभावीकरण एवं वर्गीकरण की सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं जिससे कृषकों को उत्पादन का सही मूल्य प्राप्त हो जाता है। विनियमित मंडियों की आमदनी का कुछ हिस्सा कृषकों की सुख सुविधा तथा आराम के लिए व्यय किया जाता है ताकि पशुओं एवं मालों को धूप एवं पानी से सुरक्षित रखा जा सके। सड़कों को पक्का कराया जाता है ताकि किसानों को अपना माल मंडी तक लाने में असुविधा न हो। विनियमित मंडियों में जितने भी मध्यस्थ कार्य करते हैं उनको मंडी समिति से अनुज्ञापत्र लेना पड़ता है। यदि मध्यस्थ किसी प्रकार की अनियमितता करने से कतराते हैं, जिससे इन मंडियों में अनियमितताओं की कमी पायी जाती है। विनियमित मंडियों से उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है, क्योंकि उनको उचित मूल्य पर वर्गीकृत एवं श्रेणीकृत वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। स्पष्ट है कि विनियमित मंडियों से किसान, विक्रेता एवं उपभोक्ता तीनों को लाभ हुआ है।

सन् १९६४-६५ के दौरान कृषि में जो हरित क्रान्ति आई थी उसमें रासायनिक उर्वरकों का लगभग ५० प्रतिशत योगदान था। इससे साफ जाहिर है कि कृषि में रासायनिक उर्वरकों का समूचित उपयोग कर प्रति इकाई क्षेत्र उपज बढ़ाई जा सकती है किन्तु इनके महंगा होने एवं निरन्तर बढ़ रही कीमतों के कारण अधिकांश किसान सब्जियों की खेती में उर्वरकों का उपयोग प्रस्तावित मात्रा के अनुसार नहीं कर पाते, दूसरी ओर अपने देश में उर्वरकों की आन्तरिक माँग को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष भारी मात्रा में इनका आयात करना पड़ता है जिस पर देश की काफी मुद्रा खर्च होती है। ऐसी स्थिति में जैव उर्वरकों का उपयोग कृषि उत्पादन के लिए वरदान साबित हुआ है। जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों की तुलना में अधिक असरकारक, सन्तुलित एवं सस्ते होते हैं जिन्हें गरीब से गरीब किसान उपयोग में ला सकता है। इनके उपयोग से पौधों के लिए नत्रजन एवं फास्फोरस तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है साथ ही कुछ विशेष हार्मोन्स एवं विटामिन्स भी पौधों को मिलते हैं। जिससे बीजों का अंकुरण, जड़ों का विकास एवं पौधों की वृद्धि अच्छी होती है।

जैव उर्वरक क्या है ? 39

वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे जीवाणुओं की खोज की है जो पौधों के साथ असहजीवी रूप में रहकर वायुमण्डलीय नाइट्रोजन की भूमिका में स्थिर करने एवं भूमि में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने का काम करते हैं इससे पौधों के लिए भूमि में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है ऐसे जीवाणुओं को किसानों तक पहुँचाने के लिए किसी उचित माध्यम की आवश्यकता होती है जिसे तैयार करने के लिए कोयले के चूर्ण, लिग्नाइट, मिट्टी तथा रासायनिक पोषक तत्वों की निश्चित मात्रा को १० प्रतिशत पानी में नम करके मशीनों में अनावश्यक जीवाणुओं का हनन किया जाता है। इस तरह बने जीवाणु रहित माध्यम को ४८ घण्टे तक ठण्डा कर लिया जाता है। इसके बाद इस माध्यम में फसलों के लिए उपयोगी जीवाणुओं को मिलाकर पैकेट तैयार किए जाते हैं, जिन्हें हम जैव उर्वरक कहते हैं। पैकेटों को तैयार करने के

³⁸ डॉ० सिंह धर्म, कृषि में जैव उर्वरकों का उपयोग प्रतियोगिता दर्पण, अप्रैल, १९९४, पृष्ठ संख्या १२०६ ।

³⁹ डॉ० सिंह धर्म, कृषि में जैव उर्वरकों का उपयोग प्रतियोगिता दर्पण, अप्रैल, १९९४, पृष्ठ संख्या १२०६ ।

बाद उचित तापमान पर रखा जाता है। लगभग एक सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या और बढ़ जाती है ये पैकेट किसानों को वितरित किए जाते हैं।

जैव उर्वरकों का वर्गीकरण :-

कृषि के लिए उपयुक्त एवं प्रस्तावित कुछ जैव उर्वरक निम्नलिखित हैं -

(अ) **माइक्रोफॉस जैव उर्वरक** :- इस वर्ग की खादों में ऐसे जीवाणुओं का समावेश किया जाता है जो रॉक फास्फेट एवं मिट्टी में पाए जाने वाले अघुलनशील, फॉस्फोरस को घुलनशील बना देते हैं जिससे पौधों में फॉस्फोरस तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है। ऐसे जीवाणुओं में *स्यूडोमोनास स्ट्रिएटा* एवं *वैसीलस पौलीमिक्सा* मुख्य हैं। इन जीवाणुओं के अलावा माइक्रोफॉस खाद में *एस्पेरजिलस अवामोरी* नामक फफूंद का भी समावेश किया जाता है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि पौधों को दिए जाने वाले फास्फेट उर्वरकों की उपयोग क्षमता मात्रा १५ से २० प्रतिशत होती है। शेष फास्फोरस अचल होने एवं अघुलनशील रूप में रहने के कारण पौधों को प्राप्त नहीं होता। अतः माइक्रोफॉस जैव उर्वरक का उपयोग कर फॉस्फेट उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ाई जा सकती है⁴⁰

(ब) **अजोटोबैक्टर जैव उर्वरक** :- इस खाद में ऐसे जीवाणुओं का समावेश किया जाता है जो वायुमण्डलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरिकरण कर पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। हमारे चारों ओर वायुमण्डल में प्रति हेक्टेयर भूमि के ऊपर लगभग ८०,००० टन नाइट्रोजन मौजूद रहती है जिसे पौधे प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर पाते। इस वर्ग की खाद में पाए जाने वाले जीवाणुओं पौधों के साथ असहजीवी रूप में रहकर वायुमण्डलीय नाइट्रोजन को उपलब्ध कराते हैं।

हाल ही में ऐसे जीवाणुओं की खोज की गई है जिनके द्वारा भूमि में कम्पोस्ट खाद्य तैयार की जा सकती है। ऐसे जीवाणुओं से जैव उर्वरक तैयार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के सूक्ष्म जीव-विज्ञान सम्भाग में तेजी से कार्य हो रहा है। आशा है कि कम्पोस्ट तैयार करने वाला जैव उर्वरक शीघ्र ही किसानों को उपलब्ध हो जाएगा।

⁴⁰ डॉ० सिंह धर्म, कृषि में जैव उर्वरकों का उपयोग प्रतियोगिता दर्पण, अप्रैल, १९९४, पृष्ठ संख्या १२०६।

(श) राइजोबियम जैव उर्वरक :- मुख्य रूप से दलहनी और कुछ तिलहनी फसलो के अति लाभकारी है। राइजोबियम जैव उर्वरक में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर भोजन के रूप में पौधो को देते हैं। विभिन्न फसलो में अलग-अलग तरह के राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं और उनके द्वारा नाइट्रोजन अनुबन्ध की क्षमता भी अलग-अलग होती है। यदि किसी फसल के लिए सस्तुत राइजोबियम जीवाणु का उपयोग दूसरी फसल के साथ कर दिया जाए तो उन जीवाणुओ द्वारा नाइट्रोजन अनुबन्धन सम्भव नहीं होता है। राइजोबियम कल्चर दलहनीय फसलो के अनुसार अलग-अलग होता है। अतएव अभीष्ट परिणामो के लिए प्रत्येक फसल के लिए निर्धारित कल्चर ही उपयोग किया जाता है, दूसरा नहीं।

(द) नील हरित शैवाल (जैव उर्वरक) :- प्राकृतिक नाइट्रोजन प्राप्त करने का प्रमुख साधन है जो वायुमण्डल से नाइट्रोजन लेकर भूमि में संचित करता है। मुख्य रूप से धान का खेत नील हरित शैवाल की वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि इसकी वृद्धि के लिए आवश्यक ताप, प्रकाश, नमी और पोषक तत्वो की मात्रा और दशाएँ उसमें मौजूद रहती है। नील हरित शैवाल और एजोला में सहजीवी सम्बन्ध पाया जाता है।

फसलों में जैव उर्वरक का उपयोग कैसे करें ?

विशेषकर सब्जियो और दलहनी फसलो में जीव उर्वरको का समुचित प्रयोग करने के लिए विधियो प्रस्तावित की गई हैं जो इस प्रकार हैं:-

(क) बीज उपचार विधि :-⁴¹ यह विधि भिण्डी, आलू, करेला, लौकी, टिण्डा, तोरई, लहसुन, आदि उन फसलो में प्रयोग की जाती है जिनके बीज बिना पौध तैयार किए सीधे खेत में बोए जाते हैं ऐसी फसलो में जैव उर्वरको से बीज उपचार हेतु पहले एक लीटर पानी में १०० ग्राम गुड़ या शक्कर मिलाकर उबाला जाता है इसके बाद घोल को अच्छी तरह ठण्डा करके उसमें जीवाणु खाद का एक पैकेट घोल कर अच्छी तरह मिला देते हैं इस तरह तैयार घोल को बीजों के ऊपर छिडक कर इस प्रकार मिलाते हैं कि सभी बीजो के ऊपर घोल की समान परत चढ़ जाए। घोल की मात्रा बीजों की आकृति, आकार एवं उनके वजन के अनुसार

⁴¹ डॉ० सिंह धर्म, कृषि में जैव उर्वरकों का उपयोग प्रतियोगिता दर्पण, अप्रैल, १९९४, पृष्ठ संख्या १२०६।

निर्धारित की जाती है। बड़े आकार के बीजों के लिए अधिक घोल और छोटे बीजों के लिए कम घोल तैयार किया जाता है। उपचारित बीजों को छाया में सुखाकर बोया जाता है। उपचार के २४ घंटे बाद तक बोआई सम्भव न हो पाने पर बीजों को पुनः उपचारित करना चाहिए। यदि बीजों का उपचार फफूँद नाशक एवं कीटनाशी रसायनों से भी करना आवश्यक है तो पहले कीटनाशी दवाओं से और बाद में फफूँदनाशक दवाओं से उपचार करना चाहिए। इन दवाओं से उपचार करने के एक सप्ताह बाद जैव उर्वरक से उपचार करना चाहिए।

(ख) जड़ों को घोल में डुबोकर :- टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज, आदि उन शाकीय फसलों में इस विधि का उपयोग किया जाता है जिनकी नर्सरी से पहले पौध बनाई जाती है। ऐसी फसलों में जैव उर्वरक का उपयोग करने के लिए ५ लीटर पानी में जीवाणु खाद की एक पैकेट मिलाकर घोल बनाते हैं। इस घोल में नर्सरी से उखाड़े गए पौधों की जड़ों को २-३ मिनट तक डुबोकर रोपा जाता है।

(ग) भूमि में छिड़ककर :- इस विधि में जैव उर्वरक के १० पैकेट लेकर २५ कि०ग्रा० गोबर की पूर्णतः सड़ी खाद एवं २५ कि०ग्रा० नम मिट्टी के साथ मिलाकर मिश्रण को पौध रोपने से कुछ समय पूर्व छिड़ककर मिट्टी में मिला देते हैं। इस विधि का उपयोग उसी समय करना चाहिए जब पूर्व दोनों विधियों का उपयोग असम्भव हो, क्योंकि इस विधि में जैव उर्वरक की क्षमता घट जाती है साथ ही प्रस्तावित मात्रा से ४ गुणा जीवाणु खाद प्रयोग में लाना पड़ता है।

जैव उर्वरक की उपयोग की जाने वाली मात्रा विभिन्न फसलों के अनुसार अलग-अलग होती है। सामान्य तौर पर ढाई पैकेट (५०० ग्राम) जैव उर्वरक एक हेक्टेयर क्षेत्र में बोये जाने वाली बीज एवं रोपे जाने वाली पौध के उपचार हेतु पर्याप्त होता है।

जैव उर्वरकों को सुरक्षित कैसे रखें ?

जीवाणु खादों खरीदने के बाद किसी कारणवश उपयोग में नहीं लाया गया है तब उन्हें सुरक्षापूर्वक भण्डारित करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए शुष्क, अंधेरे एवं छायादार स्थान का चुनाव करना चाहिए। ऐसे स्थान पर गड्ढा खोदकर मिट्टी के घड़े को इस प्रकार दवाएँ कि उसके चारों तरफ से ६ से

८ इंच मोटी बालू की परत लग जाए। घड़े के मुँह को जमीन की सतह से ऊपर रखा जाता है। घड़े में जीवाणु खाद के पैकेट रखकर मुँह बंद कर देते हैं। समय-समय पर बालू को पानी से नम किया जाता है।

जैव उर्वरक से लाभ :-

- अजोटो बैक्टीरिया एव माइक्रोफॉस जीवाणु खादों से उपचारित शाकीय फसलों में क्रमशः १५ से ३७ एव १२ से २७ प्रतिशत अतिरिक्त उपज मिलती है।
- जीवाणु खादों के उपयोग से मुख्य तत्व नाइट्रोजन एव फास्फोरस के अलावा विशेष प्रकार के हार्मोन्स एव विटामिन्स भी पादों को उपलब्ध होते हैं जिससे बीजों की अंकुरण क्षमता एव पौधों की वृद्धि बढ़ जाती है।
- शुष्क एव वर्षा आधारित खेती में रासायनिक उर्वरकों से वाञ्छित लाभ नहीं मिल पाता जबकि ऐसी परिस्थिति में जैव उर्वरक का उपयोग कर भरपूर उपज भी ली जा सकती है।
- जैव उर्वरकों के उपयोग से वायुमण्डलीय प्रदूषण नहीं होता और न इनका विषैला प्रभाव जमीन एव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है।
- जीवाणु खाद बहुत ही सस्ते होते हैं अतः हर गरीब किसान इनका उपयोग कर सकता है।
- जैव उर्वरक एन्टीबायोटिक्स का श्रावण करते हैं अतः ये बायो - पेस्टिसाइड का काम करते हैं।
- जैव उर्वरक द्वारा वायुमण्डलीय अप्राप्य नाइट्रोजन से प्रतिवर्ष ५० से २०० कि०ग्रा० प्राप्य नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि में स्थिर कर दी जाती है जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है साथ ही फसलों को दिए जाने वाले नाइट्रोजन धारी उर्वरकों की मात्रा में १० से २० कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की कमी करके फसलोत्पादन लागत भी घटाई जा सकती है।
- जैव उर्वरकों के उपयोग से भूमि की भौतिक संरचना एवं रासायनिक गुणों में पर्याप्त सुधार होता है।

जैव उर्वरक के प्रयोग में सावधानियाँ :-

जैव उर्वरकों से भरपूर लाभ लेने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना अनिवार्य है।

- ❖ जैव उर्वरक के पैकेटों का इस्तेमाल उसी फसल के लिए करें जिसके लिए वह प्रस्तावित किए गए हैं।

- ❖ पैकेट खरीदते समय उसका नाम तथा उपयोग में लाने की अन्तिम तिथि अवश्य देखे और अन्तिम तिथि से पहले ही टीके का प्रयोग कर ले।
- ❖ पैकेट खरीदने के बाद कीटाणुनाशक दवाओं, धूप एवं गर्मी से बचाकर सुरक्षित रखे और केवल इस्तेमाल के समय ही उन्हे खोलें।
- ❖ जीवाणु टीको को रासायनिक उर्वरको के साथ न मिलाएँ, खासतौर पर यूरिया फसल की बोआई एवं पौध रोपनी के समय न दे।
- ❖ कीटनाशक दवाएँ जैव उर्वरक के साथ न मिलाएँ, यदि कीटनाशको से बीज उपचार करना हो तो पहले कीटनाशकों से और इसके एक सप्ताह बाद जैव उर्वरक से उपचार करें, पारायुक्त रसायनो से बीज उपचार करने पर जैव उर्वरकों की दोगुनी मात्रा व्यवहार में लाएँ।
- ❖ मिट्टी की जाँच अवश्य कराएँ। यदि मिट्टी अम्लीय हो तो जैव उर्वरक से उपचारित बीजों पर तुरन्त कैल्सियम कार्बोनेट पाउडर और क्षारीय हो तो बारीक जिप्सम पाउडर की परत चढ़ा दे।
- ❖ बीज उपचार की पूरी प्रक्रिया सुबह एवं छायादार स्थान पर करे और बीजो को छाया में सुखाकर तुरन्त बोआई कर दें। उपचार के २४ घण्टे बाद तक बोआई सम्भव न होने पर पुनः जैव उर्वरक से उपचार करे।
- ❖ जीवाणु टीको के उपयोग में कोई बात समझ में न आने पर कृषि विशेषज्ञों से सलाह लें।

वर्तमान दशाओ में जैव उर्वरकों का उपयोग सम्भावित लक्ष्य को प्राप्त करने में अत्यन्त लाभकारी होगा और देश की कृषि विकास सम्बन्धित आर्थिक नीति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषकों, प्रसार कार्यकर्ताओ और वैज्ञानिकों को विशेष प्रयास करने चाहिए इसके साथ ही साथ भारत सरकार और कृषि विभाग को जैव उर्वरको के कल्चर उपलब्धता और उपयोग को बढ़ाने हेतु कृषकों के लिए प्रोत्साहन योजना बनानी चाहिए।

भारत में श्वेत क्रांति :-

भारतीय कृषि एव पशुपालन एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं और रहे हैं यदि कृषि में विकास होगा तो पशुपालन में भी विकास होगा। अतः एक नजर कृषि के वर्तमान विकास, समस्याओं आदि पर डालना आवश्यक है।

भारतीय कृषि की उत्पादकता विगत दशकों में बहुत नाटकीय ढंग से बढ़ी, विशेष रूप से सिंचित दशाओं में धान उत्पादन की उल्लेखनीय प्रगति जिसे कृषि में हरित क्रांति कहा गया। लेकिन इसी से सतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि विगत ५-६ वर्षों में फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में अनुपातिक गिरावट ही नहीं देखी गई, बल्कि कुछ ठहराव भी देखने में आया है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए चिन्ता अवश्य हुई है, अतः कृषि वैज्ञानिकों के लिए यह एक चुनौती भरा प्रश्न है। दूसरी ओर खेती योग्य भूमि शहरीकरण के अन्तर्गत आती जा रही है, जहाँ बहुमजिलीय इमारतें देखने को मिल रही हैं और कृषि को उबड़-खाबड़ एवं कम उपजाऊ वाली भूमियों की तरफ धकेला जा रहा है। सिंचाई की क्षमता (नहरों, नलकूपों, कुओं) में भी अब वृद्धि नहीं प्रतीत हो रही है। जहाँ नहर से सिंचाई की जा रही है। वहाँ भूमि में लगातार लवणीयता विकसित हो रही है तथा बिना जीवाणु के अकार्बनिक उर्वरकों एवं रसायनों के लगातार प्रयोग ने भी प्रतिकूल असर डाला है। साथ ही किसान के खेत की उपज एवं अनुसंधान केन्द्र की उपज में काफी गहरी खाई (अन्तर) है, जिसे पाटना होगा।

भविष्य में खाद्यान्न उत्पादक का यह स्वरूप अधिक आशावादी दिखाई नहीं पड़ रहा है, अतः अधिकतम उत्पादन में ससाधन और पर्यावरण कारण चुनौती दे रहे हैं, उनके महत्व को प्राथमिकता देनी होगी। प्राकृतिक साधनों में कमी का आना, अधिक लागत एवं ऊर्जा उपयोग। वर्षा की कमी से एवं निरन्तर प्रतिवर्ष घटोत्तरी से भूमि के जल स्तर में गिरावट का आना एवं भूमिगत पानी का रीचार्ज न होना पर्यावरण में ह्रास आदि पर ध्यान देना होगा। यदि इन विषयों को भविष्य में दूर कर दिया जाए, तभी खाद्यान्न उत्पादन की गति और जनसंख्या वृद्धि में अनुरूपता लाई जा सकेगी। फलस्वरूप समगतिशील खेती भी इन परिस्थितियों में सम्भव होगी, वास्तव में समगतिशील खेती है - “ मानव की बदलती हुई आवश्यकताओं की

आपूर्ति हेतु कृषि में लगने वाले संसाधनों का इस प्रकार सफल व्यवस्थित उपयोग किया जाना ताकि प्राकृतिक साधनों का ह्रास न होने पाए और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, जो आज की अत्यन्त आवश्यकता है।”

कृषि एवं डेयरी उद्योग का आपसी सम्बन्ध :-

ठीक कृषि से जुड़ा एक डेयरी व्यवसाय (उद्योग) भी है, जिन्हें (दोनों को) साथ-साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर साथ निभाना है। यह सच है कि बगैर खेती के डेयरी व्यवसाय सम्भव नहीं, क्योंकि पशुओं के लिए हरा एव सूखा चारा, दाना (रातव), खली, बिनौले आदि सभी खेती से ही मिलते हैं और इसके विपरीत डेयरी उद्योग से खेती के लिए बैल, बछड़े, भैंस आदि जानवर, गोबर एव मलमूत्र की खादें आदि मिलती हैं, अतः दोनों ही व्यवसाय एक दूसरे पर निर्भर हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार मनुष्य को अनाज द्वारा ही पेट भरना काफी नहीं है, बल्कि सतुलित आहार लेना अनिवार्य है। शाकाहारी व्यक्तियों के लिए इसकी पूर्ति केवल दूध से ही सम्भव है। क्योंकि दूध को ही मानव का पूर्ण भोजन माना गया है। वैसे आहार में चावल के बाद दूध का दूसरा स्थान है। अतः डेयरी उद्योग से ग्रामीणों की आमदनी बढ़ाना और व्यवसायिक दृष्टि से दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, इस व्यवसाय का मुख्य लक्ष्य है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में (मुख्य रूप से भगवान कृष्ण के जमाने में) हमारे देश में दूध की नदियाँ बहा करती थीं, लेकिन बाद में दूध का उत्पादन धीरे-धीरे कम होता चला गया, जो एक चिंताजनक बात है जिसे पुनः बढ़ाने हेतु प्रयास जरूरी है। दूध के क्षेत्र में क्रांति लाना ही श्वेत क्रांति कहलाता है।

डेयरी उद्योग हेतु पोषण मानक एवं दूध उपलब्धता:- ⁴²

निश्चय ही भूमि पर बढ़ते हुए दबाव एव भूमि का पीढ़ी दर पीढ़ी बँटवारा एवं धान फसलों के उत्पादन ने डेयरी विकास के लिए आवश्यक अवसर प्रदान किया है। यह पूर्णतया स्थापित हो चुका है कि औसतन २००० लीटर दूध उत्पादन प्रति क्रॉस ब्रीड गाय से प्रति व्यात (१४ माह का जिसमें ४ माह उसकी सूखी अवधि भी शामिल है, अर्थात् १० माह यानी ३०० दिन) मिल जाता है। ऐसी ही ४ क्रॉस ब्रीड गाय से

⁴² डॉ० राजपूत ओ० पी०, भारत में श्वेत क्रांति, प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त, १९९४, पृष्ठ संख्या ८२।

४ एकड भूमि पर खरीफ और रबी की फसलो से आय प्राप्त की तुलना में अधिक मुनाफा मिलता है। बशर्ते पशुओ को सन्तुलित आहार निर्धारण एव उचित प्रबन्ध मे रखा जाए। यह पुन. कहना उचित ही होगा कि डेयरी उद्योग और फसल उत्पादन का आपसी सामजस्य परम आवश्यक है। वर्तमान में दूध उपलब्धता १७४ ग्राम/दिन/व्यक्ति है जो पिछले दशक की तुलना मे (१३६ ग्राम) उल्लेखनीय वृद्धि रही है। फिर भी पोषण सलाहकार समिति की संस्तुति २८३ ग्राम/दिन व्यक्ति की तुलना मे काफी कम है दूध उपलब्धता की सं २००० ई० तक २०० ग्राम/दिन/व्यक्ति बढ़ाने की प्रबल सम्भवना है । कुल मिलाकर देखा जाए तो दूध उपलब्धता पिछले ५ दशको मे, इस प्रकार रही है - १९४७ (१५२ ग्राम/दिन/व्यक्ति), १९६६ (१०८ ग्राम/दिन/व्यक्ति), १९७० (१०५ ग्राम/दिन/व्यक्ति), १९८१ (१२२ग्राम), १९८९ (१५७ ग्राम) एवं १९९० मे (१७२ ग्राम) इन आंकडो से आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि शुरू मे दूध उपलब्धता अधिक थी। बीच मे घटी और बाद मे पुन बढ़ी इसके ठीक विपरीत, कृषि उत्पादन के सभी क्षेत्रो में अन्न/तेल/दाल की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति दिन गत वर्ष की तुलना मे निरन्तर घट रही है। उदाहरण के तौर पर वर्तमान में प्रति व्यक्ति वार्षिक भोजन उपलब्धता लगभग १९० किग्रा० है। इस स्तर पर भोजन उपलब्धता प्रति व्यक्ति द्वारा ऊर्जा ग्रहण विश्व खाद्य सगठन द्वारा निर्धारित उर्जा आवश्यकता से कम है। दलहन उपभोग मात्र ३६ ग्राम/दिन/व्यक्ति है। जबकि १०४ ग्राम/दिन/व्यक्ति संस्तुत है। खाद्य तेल भी ५ कि०ग्रा०/वर्ष/व्यक्ति निर्धारित है। इसी प्रकार खाने हेतु माँस की उपलब्धता १४ ग्राम/व्यक्ति दिन ही है जिसमे भी पुनः गिरावट है, क्योंकि दूध की अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता एवं धार्मिक बन्धनो ने इसे अधिक प्रभावित किया है। साथ ही ग्रामीण इलाको मे रहने वाले अधिकांशत व्यक्ति शाकाहारी है। इस प्रकार इन आँकडों से स्पष्ट है कि मानव के आहार में दाल, तेल, माँस आदि की उपलब्धता में काफी कमी आई है, अथवा निर्धारित पोषण पैमने से काफी कम मिल रहा है जब कि दूध की उपलब्धता में आशातीत् वृद्धि हुई है और आगे भी बढ़ने की पूर्ण आशा है।

सर्वप्रथम देश में सन् १८८९ में इलाहाबाद “ मिलिट्री डैयरी फार्म ” प्रारम्भ हुआ था और यहीं से १९३१ में देश का सर्वप्रथम दुग्ध सहकारी संघ आरम्भ हुआ। आज देश के प्रायः सभी बड़े नगरो में “ कुछ सहकारी संघ ” स्थापित हो चुके हैं जो दूध को एकत्र करके संसाधित करते हैं और शहरो के उपभेक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराते हैं। सहकारी संघ के नाते किसान एवं दूध उत्पादको को, जो समिति के सदस्य होते हैं दूध के उचित मूल्य के अतिरिक्त पशुधन के विकास तथा स्वास्थ्य के लिए अनेक प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं।

२ अक्टूबर १९५२ से देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए, ताकि ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। इन कार्यक्रमों में पशुपालन के साथ-साथ कृषि, स्वास्थ्य व सफाई, आहार एवं पोषण, शिक्षा, जन कल्याण कार्यक्रम, परिवहन एवं संचार साधनों की स्थापना घरेलू दस्तकारी, ग्राम्य उद्योग आदि भी शामिल थे बाद में सन् १९६४-६५ में सघन पशु विकास प्रोग्राम चलाया गया, जिसके अन्तर्गत ‘धवल क्रांति अथवा श्वेत क्रांति’ लाने के लिए पशु मालिकों का पशुपालन के सुधरे तरीको का पैकेज प्रदान किया गया बाद में ‘श्वेत क्रांति’ की गति और तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड आरम्भ किया गया⁴⁴

डैयरी उद्योग की वर्तमान स्थिति :-⁴⁵ इस समय देश में कुल दूध उत्पादन ५० मिलियन टन (१९८९-९०) है जिसमें भैंस गाय, बकरी का हिस्सा २५, ५९, २३ व १.५ मिलियन टन का क्रमशः है। वैसे दूध देने वाले पशुओं में गाय का प्रमुख स्थान है और देश में लगभग १८ करोड़ गौधन है। गाय और भैंस का योगदान लगभग १५ प्रतिशत सकल राष्ट्रीय आय में है। मूल्य की दृष्टि से दूध उद्योग १,००,००० रु० मिलियन वार्षिक से अधिक का हिस्सा है। वर्तमान में देश में लगभग २३३ दुग्ध ससाधन संयंत्र एवं ४६ दुग्ध उत्पाद फैक्ट्री है। सहकारिता सार्वजनिक क्षेत्र संयंत्र और सुव्यवस्थित निजी संयंत्र की दुग्ध व्यवस्था क्षमता

⁴³ डॉ० राजपूत ओ० पी०, भारत में श्वेत क्रांति, प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त, १९९४, पृष्ठ संख्या ८३।

⁴⁴ डॉ० राजपूत ओ० पी०, भारत में श्वेत क्रांति, प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त, १९९४, पृष्ठ संख्या ८३।

⁴⁵ डॉ० राजपूत ओ० पी०, भारत में श्वेत क्रांति, प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त, १९९४, पृष्ठ संख्या ८४।

८ ६५ मिलियन लीटर प्रतिदिन है अनेक पशु सुधार परियोजनाएँ ६०० दूरस्थ सामुदायिक खण्डों में शुरू की गई थी। देश में अब १२२ सघन पशु विकास प्रोग्राम, १४० पशु प्रजनन फार्म ४० विदेशी पशु फार्म और ४८ हिमीकृत वीर्य बैंक चालू हैं जिनकी वजह से दुग्ध उत्पादन क्षमता ४९ ११ प्रतिशत तक पिछले ३ दशकों में बढ़ी है, जबकि इस अवधि में नस्ल सुधार हेतु गाये और भैंस में मात्र २२ २३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम और राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड के अन्तर्गत ४२००० 'दुग्ध उत्पादक सहकारी संगठन' अच्छे ढंग से सफलतापूर्वक स्थापित हैं। ये ग्रिड देश के ४ महानगरों एवं लगभग २०० शहरों और कस्बों को दूध सप्लाई करते हैं। कृषक सहकारिताओं से प्रतिदिन ५ ५३ मिलियन लीटर दूध प्राप्त होता है।

श्वेत क्रांति में सरकारी एवं सहकारी संघों की भूमिका :- 46

वैसे तो डेयरी उद्योग में योगदान देश के विभिन्न वेटिनरी कालेज/यूनिवर्सिटी में कार्यरत वैज्ञानिकों का है ही जिन्होंने पशु विज्ञान के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान कार्य किए हैं उनमें भी नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेस नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स और नेशनल डेयरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट (सभी करनाल में) इण्डियन वेटेरिनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, इज्जत नगर (बरेली उ०प्र०) एवं सेंट्रल गोट रिसर्च इन्स्टीट्यूट, फरह (मथुरा) का योगदान अनुसंधान के क्षेत्र में सराहनीय है, साथ ही साथ सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनन्द (गुजरात) जिसे अमूल के नाम से जाना जाता है, ने देश के डेयरी उद्योग की नई दिशा दी है। डॉ० वर्गीज कुरियन एम०डी०डी०बी० एवं इण्डियन डेयरी कॉरपोरेशन के प्रथम अध्यक्ष एवं डॉ० अमृता पटेल, वर्तमान प्रबन्ध निदेशिका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनन्द का कार्य 'श्वेत क्रांति' हेतु वास्तव में प्रशंसनीय है। डॉ० पटेल देश की ऐसी प्रथम महिला हैं जिन्हें १२ दिसम्बर १९९२ को भारत के उपराष्ट्रपति डॉ० के०आर० नारायणन ने बोरलॉग पुरस्कार से उनके डेयरी विकास के उल्लेखनीय एवं प्रशंसापात्र योगदान के लिए पुरस्कृत किया था, आपने आनन्द (गुजरात) के ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को दूर करने के लिए काफी काम किया है।

⁴⁶ डॉ० राजपूत ओ० पी०, भारत में श्वेत क्रांति, प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त, १९९४, पृष्ठ संख्या ८४।

ऑपरेशन फ्लड योजना का क्रियान्वयन एवं सफलता :- 47

ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार डॉ० वर्गीज कुरियन हैं, जिन्हें इस योजना के क्रियान्वयन एवं सफलता का शत-प्रतिशत श्रेय जाता है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम ही श्वेत क्रांति है अब तक ऑपरेशन फ्लड के प्रथम दो चरण पूर्ण हो चुके हैं जिनसे किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों को काफी आर्थिक लाभ मिला है तथा तीसरा चरण वर्तमान में प्रगति पर है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय 'ऑपरेशन फ्लड' के सम्बन्ध में कुछ रोचक जानकारी इस प्रकार है।

1. ऑपरेशन फ्लड प्रथम चरण :- (1970-71 से 1974-75 तक) - ऑपरेशन फ्लड

के प्रथम चरण भारत सरकार ने जुलाई १९७० से आरम्भ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य आनन्द (अमूल) की भाँति १८ सहकारी सघ स्थापित कर उन्हें देश के ४ महानगरों - दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास से सम्बद्ध करना था। इस योजना के अन्तर्गत विश्व खाद्य प्रोग्राम से प्राप्त १,२७,५१७ टन 'सप्रेटा दूध चूर्ण' तथा ३९६९६ टन बटर ऑयल की बिक्री से प्राप्त ११६ ४ करोड़ रूपया प्राप्त हुआ। इस धनराशि का उपयोग विभिन्न डेयरी विकास के कार्यक्रमों में किया गया। ऐसा करने से प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में वृद्धि हुई जैसा कि उपलब्ध आँकड़ों से स्पष्ट है कि सन् १९७० से पूर्व दूध उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन बहुत कम (मात्र १०५ ग्राम) थी जो १९८१ में १२२ ग्राम तक बढ़ी। यह सब 'प्रथम चरण ऑपरेशन फ्लड का रहा, उसी का परिणाम है, प्रथम चरण में इस योजना से लगभग ११६ करोड़ रू० उपार्जित किए गए। यह योजना वास्तव में भारत के लिए एक वरदान साबित हुई।

2. ऑपरेशन फ्लड द्वितीय चरण (1978 से 1985 तक) - प्रथम चरण के चलते-चलते १

जुलाई १९७८ को ऑपरेशन फ्लड द्वितीय चरण का श्री गणेश किया गया। इस चरण में वास्तव में भारतीय डेयरी विकास में एक कायापलट हुई। जिस पर कुल व्यय लगभग ३८ ५ करोड़ रूपए आँका गया एवं २४६ करोड़ रूपए का उपार्जन किया गया।

⁴⁷ डॉ० राजपूत ओ० पी०, भारत में श्वेत क्रांति, प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त, १९९४, पृष्ठ संख्या ९५।

ऑपरेशन फ्लड द्वितीय चरण एक बहुत बड़ी योजना के साथ आरम्भ हुआ। यूरोपियन आर्थिक ममुदाय से उपहार स्वरूप प्राप्त १,८६,००० टन दुग्ध चूर्ण तथा ७६००० टन बटर ऑयल से आय लगभग २५० करोड़ रूपए, विश्व बैंक से प्राप्त सहायता राशि लगभग १७३ करोड़ रूपए तथा भारतीय डेयरी निगम से प्राप्त धनराशि से डेयरी विकास की योजना, तैयार की गई। लगभग १ करोड़ दुग्ध उत्पादक सहकारी तंत्र से जोड़ दिए गए। यह सख्या विभिन्न राज्यों के १५५ जिलों में फैली हुई है तथा प्रत्येक जिले को २००-६०० ग्राम्य सहकारी समितियों को सम्बद्ध कर एक जिला दुग्ध उत्पादक संघ बनाया गया। इस चरण में १५ करोड़ सकर गाय तथा उन्नत भैंस तैयार करने की योजना बनाई गई। इस चरण में उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक (देश के १२ राज्यों) को लाभ मिला।

3. ऑपरेशन फ्लड तृतीय चरण :- (1987 से 1994 तक) - भारत सरकार ने इस योजना के लिए ९१५ करोड़ रूपए का मूल्यांकन किया है तथा लगभग ३६० करोड़ रूप० की आर्थिक सहायता देने की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है।

- ✓ ग्राम्य सहकारी समितियों की संख्या में वृद्धि ।
- ✓ ससाधित दूध की मात्रा एवं उसके विपणन में वृद्धि करना ।
- ✓ पशु की दूध देने की क्षमता को बढ़ाना ।
- ✓ प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़ाना ।
- ✓ अनुसंधान, परीक्षण, परीक्षण एवं विकास कार्य को बढ़ावा देना ।
- ✓ ग्रामीणों की आय में वृद्धि करना आदि ।

आशा है इस 'ऑपरेशन फ्लड' के तृतीय चरण में दूध के उत्पादन में आशातीत वृद्धि के साथ-साथ किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को समान रूप से लाभ मिलेगा। आज ' ऑपरेशन फ्लड' योजना के अन्तर्गत लगभग एक करोड़ किसान तथा उनके परिवार के सदस्य कार्यरत होकर १७६ से अधिक ' जिला सहकारी संघ' से सम्बद्ध होकर डेयरी विकास कार्यक्रम में योगदान दे रहे हैं। आज हमारा देश दुग्ध पदार्थ उत्पादन के क्षेत्र में पूर्णतया से आत्म निर्भर है। देश में सभी दुग्ध पदार्थ अपने ही देश में

उपलब्ध दूध से ही बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस सबके बावजूद हमें इसी से पूर्ण सतुष्ट होकर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि तेज गति से बढ़ती हुई जनसंख्या पुनः इन बिन्दुओं को भी ध्यान में रखना होगा, ताकि भविष्य में इस दुग्ध व्यवसाय को हमेशा-हमेशा योगदान मिलता रहे।

श्वेत क्रांति हेतु नई दिशाओं पर जोर की आवश्यकता एवं आशाएँ :-


‘श्वेत क्रांति’ लगातार दिशा देने के लिए निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना होगा -

1. पशु प्रजनन एवं नस्ल सुधार कार्यक्रम :- अच्छी नस्ल की गाय, भैंस, बकरी एवं भेड़ का दूध उत्पादन में काफी योगदान है, अतः अच्छी नस्ल के सुधार की निरंतर आवश्यकता है, गाय की विदेशी नस्ल - जर्सी होलस्टीन फ्रीजियन, गर्नसी, ब्राउन स्विस, अयर शायर अपने एक पूरे व्यात (३०० दिन) में ४५०० से ५२०० लीटर दूध, जबकि सकर नस्ल की गायें - करन स्विस, करन फ्रीज, जरसिंध आदि ३२०० से ५६०० लीटर प्रति व्यांत दूध देने की क्षमता रखती हैं। ये दोनों प्रकार की गायें, अपनी देशी गायों की तुलना में कहीं अधिक दूध देती हैं अतः संकर अथवा विदेशी नस्ल की गायों को अपनी देशी गायों में पालना लाभदायक होगा। यद्यपि कुछ प्रगतिशील किसान एवं सरकारी डेयरी फार्म पर ऐसी नस्ल की गायें अभी भी पाली जा रही हैं। इनके विकास की ओर अधिक आवश्यकता है। देशी गाय एवं सकर नस्ल की सांड से सकर/क्रास बछिया पैदा की जाए ताकि अधिकतम दूध प्राप्त किया जा सके।

कुछ सकर विदेशी एवं देशी अथवा विदेश से आई और अपने देश में लम्बे समय से पाली जाने वाली गायों के दूध का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है, जिससे सहज में ही उनकी गुणवत्ता का अनुमान लगा सकता है।

गाय की किस्म	दूध में वसा प्रतिशत में	प्रति व्यांत (300 दिन) औसतन दूध उत्पादन	शुद्ध दूध उत्पादन प्रतिदिन (लीटर)
1. संकर			
करन स्विस	-----	3200-3500	44 (एन०डी०आर०आई०करनाल)
करन फ्रीज, जरसिंध	-----	5600 3500-4000	33 (एन०डी०आर०आई०करनाल)

2. विदेशी			
जर्सी	5 - 5.5	4500	-----
होलस्टीन फ्रीजियन	03.37	6200-6500	-----
ब्राउन स्विस	04.20	5200	-----
गर्नसी	-----	4400-5000	-----
अयरशायर	-----	5110	-----
3. अन्य गायें			
			(विशेष दशा में)
साहीवाल	-----	2150	४०००-५००० ली०/व्यात
सिन्धी	-----	1474	अधिकतम 5443 ली०/व्यात
हरियाणा	-----	1200	3200 ली०/व्यात



स्रोत :- मासिक नेशनल डेरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट करनाल हरियाणा

उपर्युक्त आँकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि जो गायें भारत में वर्षों से पाली जा रही हैं जैसे साहीवाल, सिन्धी, हरियाणा या अन्य गायें उनकी दूध देने की क्षमता सकर अथवा विदेशी गायों की तुलना में बहुत कम है। इसके लिए नस्ल सुधार/पशु प्रजनन पर जोर दिया जाना चाहिए यद्यपि सकर नस्ल की गायों के

सुधार हेतु राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल पर कार्य तो चल ही रहा है साथ ही साथ जर्सी गाय हेतु स्टेट कैटल ब्रीडिंग फार्म गौरी कर्मा (बिहार) व वारपेट्टा (असम) में, मुरा भैंस के लिए स्टेट कैटल ब्रीडिंग फार्म बनवासी (आन्ध्र प्रदेश) व दुर्ग (मध्य प्रदेश) में, साहीवाल गाय के लिए स्टेट कैटल ब्रीडिंग फार्म गजरिया, लखनऊ में हरियाणा हेतु स्टेट कैटल ब्रीडिंग फार्म भरतपुर में भी नस्ल सुधार कार्य प्रगति पर है, यँ तो पतनगर, मथुरा, जबलपुर, हिसार, मेरठ, बीकानेर, कोयम्बटूर में भी गाय, भैंस, बकरी, भेड़ के विकास हेतु कार्य प्रगति पर है।

2. अच्छे चारे उत्पादन एवं परिरक्षण पर अनुसंधान कार्य की आवश्यकता:- भारत में कुल कृषि भूमि का लगभग ४४ प्रतिशत क्षेत्रफल (६९ लाख हेक्टेयर) चारे की फसलों को उगाने में काम आता है जबकि प्रति पशु स्थायी चारागाहों की भूमि केवल ०.०६ हेक्टेयर पाई गई है, प्रायः किसान अपने कुल क्षेत्रफल का १० प्रतिशत भाग खरीफ के चारे और केवल १ प्रतिशत रबी के चारे हेतु छोड़ता है। अतः पशुओं को वर्ष भर अधिक समय तक केवल पुआल, बाजरा, ज्वार एवं मक्का की कडवी गेहूँ - जौ का भूसा पर ही रहना पड़ता है जिनकी पोषक शक्ति कम होती है। कमजोर चारा खिलाने से दुग्ध उत्पादन कम होता है। सन् १९९० तक ८९२० लाख टन हरे चारे तथा ८३२० लाख टन सूखे चारे की आवश्यकता का अनुमान था। सन् २००० में यह आवश्यकता ९९०० तथा ९४९० लाख टन होने की सम्भावना है। देश में उत्पादित चारे तथा चारे के स्रोतों से कुल आवश्यकता का केवल ४६.६ प्रतिशत भाग ही पूरा किया जा सकता है, अतः आज इस बात की जरूरत है कि अधिक पैदावार देने वाले हरे चारे, ज्वार, बरसीम, नेपियर घास आदि की नई किस्में विकसित की जाएं तथा जो अच्छी किस्में विकसित की जा चुकी हैं उनका प्रचार-प्रसार किसानों तक अवश्य किया जाए, उनमें कुछ फसलों की चारे की किस्में निम्नलिखित हैं -

- ❖ **ज्वार...:-** बहु कटाई की ज्वार में पूसा चरी १, एस एल ४४, कम्पोजिट-१, जे०एस० २०, एस०एस०जी० ९८८, पूसा चरी -२३, राजस्थान चरी अच्छी किस्में हैं जिनसे ४००-४५० कु०/हे० हरा चारा मिल जाता है। इण्डियन ग्रासलैण्ड एवं फॉडर रिसर्च इन्स्टीट्यूट झाँसी में किए गए परीक्षणों के अनुसार इससे २१० दिन में औसतन ८५० कु०/हे० हरा चारा प्राप्त किया जा सकता है।

- ❖ **बरसीम** :- पूसा जाइन्ट, बरदान, बी०एल०, जे०वी० ३, आई०एल० ९९-१ आदि से १००-१३०० कुन्तल/हेक्टेयर हरा चारा मिल जाता है।
- ❖ **नेपियर घास** :- स्वेटिका-१ तथा पूसा जाइन्ट नेपियर घास अच्छी किस्मे हैं जिनसे वर्ष में ६-७ कटाइयाँ करके १२००-१६०० कुन्तल/हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त किया जा सकता है।
- ❖ **लूसर्न (रिजका)** :- सिरसा टाइप ८, सिरसा टाइप ९, आनन्द-२, एस २२४, एस ५४ अच्छी किस्मे हैं जिसकी हरे चारे के उत्पादन की क्षमता ६०० कुन्तल हेक्टेयर तक है।
- ❖ **लौबिया** :- को-१, को-२, हिसार १०, रसियन जाइन्ट, एस० १४५, एच०एस०सी०, ४२-१, यू०पी०सी० ५२८७, यू०पी०सी० २८७ अच्छी किस्में हैं जिनकी हरे चारे की उपज ३५० कु०/हे० तक है।
- ❖ **ग्वार** :- हरियाणा ग्वार १, एफ०ओ०एस० २७७ एच०एफ०जी०, १५६ अधिक पैदावार १५०-२०० कु०/हे० तक मिल जाता है।
- ❖ **मक्का** :- संकर ३०४७, गंगा-२, जवाहर, किसान, विजय से हरा चारा उपज ३५०-४०० कु०/हे० तक मिल जाता है।
- ❖ **बाजरा** :- के ६७४, के ६७७, राजको, जाइन्ट बाजरा, टाइप ५५ से हरे चारे की उपज ६०० कु०/हे० तक ली जा सकती है।
- ❖ **मकचरी** :- इम्ब्रूड मकचरी से ६००-७०० कु०/हे० हरा चारा मिल जाता है।

उपर्युक्त विभिन्न फसलो के हरे चारे की किस्मों की उपज क्षमता तो अच्छी है, लेकिन चारा अनुसंधान की भावी दिशाएँ इस प्रकार होनी चाहिए और उन्हें अपनाया जाए।

- **चारे की पोषिकता और गुण** :- ज्वार में हाइड्रोसाएनिक अम्ल बाजरा में आक्सलेट की जो अधिकता होती है इसको कम करने के उपाय किए जाएँ ताकि पशुओं को उन गुणों वाला चारा नुकसान न करे।
- उपयुक्त फसल चक्र अपनाए जाएँ।

- **बहुवर्षीय फसलें :-** रिजका व नेपियर घास पर जोर दिया जाए।
- चारे का सतुलित उत्पादन हो।
- **चारे का परिष्कार :-** हे साइलेज पर अनुसंधान हो।
- आहार में हरे चारे के साथ यूरिया २ प्रतिशत मिलाया जाए।
- **अन्य क्षेत्र :-** जगली घासे, पेड़ो - सुबबूल आदि पर अनुसंधान हो।
- **जड़दार फसलें :-** शलजम, गाजर, चुकन्दर पर कार्य किया जाए जो पशुओं के आहार के गुण को बढ़ाएगी।

3. **दुग्ध उत्पाद को बढ़ावा :-** आइस्क्रीम, बटर, दही, घी, पनीर, दूध पाउडर, खोआ, छेना आदि को बढ़ा दिया जाए, ताकि दुग्ध उत्पादक को दूध से बने पदार्थ से अधिकतम लाभ मिलेगा।

भावी प्रलम्बता एवं सुझाव :-

आशा है कि भविष्य में भारतीय डेयरी उद्योग निश्चय ही बढ़ती हुई जनसंख्या की दूध की प्यास को बुझाएगा और सम्पूर्ण दृश्य में बदलाव लाएगा। दूध उत्पादन में सन् १९८० के दशक के पहले मध्य तक ४.६ प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ोत्तरी हुई और आगे भी ६.८ प्रतिशत वृद्धि की आशा है। २००० ई० तक दुग्ध उत्पादन में ६५ मिलियन टन तक की अतिरिक्त वृद्धि सम्भव है -

जिसके निम्नलिखित मुख्य कारण होंगे.-

- ✓ इन्टेन्सिव ब्रीडिंग एवं सेलेक्शन प्रोग्राम को अधिक दूध देने वाली गाय एवं भैंस में अपनाकर जो विदेशी नस्लों एवं स्वदेशी अच्छी नस्ल की गाय - भैंस के द्वारा सम्भव है।
- ✓ अति हिमीकृत वीर्य को दूरस्थ ग्रामीण अंचल में पहुँचाकर, इसके लिए प्रत्येक राज्य में अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र और खोले जाएँ।
- ✓ मल्टीपल ओव्युलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक - एम०ओ०ई०टी० अपनाकर, ।
- ✓ ओपन न्यूक्लियस ब्रीडिंग सिस्टम ओ०एन०बी०एस० के द्वारा,

- ✓ पशुओं के सुधरे स्वास्थ्य डेयरी व्यवसाय में अनुभवी मानव शक्ति, सुविधाओं एवं अच्छी सफाई व्यवस्था के द्वारा,
- ✓ नई वैक्सीन दवाओं के विकास से।
- ✓ चारे के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाकर एवं उच्च कोटी की गुणवत्ता वाले हरे चारे ज्वार, बाजरा, लोबिया, बरसीम, लूसर्न, जई, नेपियर घास एवं सू-बबूल आदि पैदाकर एवं नई किस्मों के विकास से, ताकि चारे की उपलब्धता बढ़े।
- ✓ पशु आहार गेहूँ का भूसा, दाना, शीरा, खनिज पदार्थ, विटामिन 'ए' में यूरिया प्रति १०० किग्रा० आहार में देने से दूध में वृद्धि मिली है। ध्यान रहे यूरिया की मात्रा २ प्रतिशत से अधिक होने पर पशु के लिए हानिकारक होगी इसका प्रसार किया जाए।
- ✓ अच्छे भोजन मानकों एवं बड़े पैमाने पर शिक्षा एवं प्रसार से, सुव्यवस्थित राजकीय एवं निजी एजेंसियों से ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध इकट्ठा कर, यातायात, संरक्षण, प्रोसेसिंग एवं दुग्ध उत्पादन बनाकर।

इन उपर्युक्त सुझावों के बावजूद एक अनुमान के अनुसार यदि पशु को नियमित रूप से सतुलित आहार दिया जाए एवं उसकी उचित देखभाल की जाए, तो उसके दुग्ध उत्पादन क्षमता में ५० प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी की जा सकती है। साथ ही देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में 'श्वेत क्रांति' की लहर सुनिश्चित होगी, दुग्ध उत्पादन एवं दुग्ध पदार्थ व्यवसाय से कुटीर व्यवसाय, स्वरोजगार, आर्थिक लाभ मिलेंगे और परिणामस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय और जीवन स्तर में वृद्धि होगी और देश में खुशहाली आएगी।

उत्तर प्रदेश में मशरूम की खेती - एक व्यवसायिक पहलू :- ⁴⁸ आधुनिक जगत

की बहुमुखी प्रगति में अति स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोज्य के रूप में मशरूम अर्थात् खुम्बी की खेती एक प्रमुख उपलब्धि है जिसे शाकाहारी मीट भी कहा जाता है। वनस्पति जगत के निम्न समुदाय से सम्बन्धित कुछ विशेष फफूँदी जिनकी संरचना धातुनुमा होती है अपनी पोषकता से भोजन संग्रह करके मशरूम के रूप में परिवर्तित हो जाती है अन्य पौधों की भाँति मशरूम भी प्रकृति में स्वतंत्र रूप से वर्षा के मौसम में उगते पाए जाते हैं।

⁴⁸ डॉ० मिश्र कुमार सतोष, उ०प्र० में मशरूम की खेती प्रतियोगिता दर्पण, जून १९९६, पृष्ठ संख्या १८०५

इनमे से कुछ खाद्य व कुछ अखाद्य पदार्थों की श्रेणी मे माने जाते है। मशरूम प्रोटीन बाहुल्य एवं उच्च कोटि की विटामिनयुक्त होता है। इसमे कार्बोहाइड्रेट तथा वसा कम होने के कारण यह मधुमेह एवं हृदय रोगो से पीडित व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इस तरह के रोगियों के लिए मशरूम एक आदर्श भोजन माना गया है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो अपना भार कम करना चाहते है इसे इस्तेमाल कर सकते है। इसमे बहुमूल्य खनिज लवणो जैसे - कैल्सियम एव फास्फोरस और लोहा भरपूर मात्रा मे पाया जाता है। मशरूम के १०० ग्राम खाने योग्य पदार्थ मे साधारणत ८८ ५ ग्राम पानी ३ १ ग्राम प्रोटीन, ० ८ ग्राम वसा, ४ ३ ग्राम कार्बोहाइड्रेट, १ ४ ग्राम लवण पदार्थ ० ४ ग्राम रेशा, ४३ कैलोरी ऊर्जा, ६ मिग्रा० कैल्सियम, ११० मिग्रा० फास्फोरस, १ ५ मिग्रा० लोहा पाया जाता है। फौलिक अम्ल जिसमे रक्त का निर्माण होता है। के आधार पर मशरूम गुर्दा एव यकृत के तुल्य माना जाता है। मशरूम में कुछ ऐसे तत्व भी है जो पथरी तथा कैंसर को बनने से रोकते है, मशरूम की खेती व्यावसायिक दृष्टि से संयुक्त राज्य अमरीका, चीन, फ्रांस, ताइवान, जापान एव इंग्लैण्ड मे की जाती है जिनमे प्रमुख रूप से बटन मशरूम, ढींगरी कालिओटा, स्टोफारिया की खेती की जाती है। भारत मे व्यावसायिक स्तर पर मशरूम की खेती कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश व कश्मीर तक ही सीमित थी लेकिन गत ७-८ वर्षों मे इसकी खेती का समस्त पर्वतीय एवं मैदानी भागो मे व्यावसायिक स्तर पर विस्तार हुआ है। दिल्ली के आसपास हरियाणा एव उत्तर प्रदेश मे इसकी खेती काफी बड़े पैमाने पर व्यापारिक रूप ले चुकी है। इसकी खेती गाँव, कस्बो एव शहरों मे कहीं भी की जा सकती है। गाँव मे किसान फसल पद्धति के साथ-साथ मशरूम की खेती करके फार्मिंग सिस्टम अपनाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते है। शहर कस्बों में जिनके पास कमरा, बरामदा या गैराज आदि की जगह हो वहाँ भी इसकी खेती करके अधिक आय प्राप्त कर सकते है। इसे घरों में भी उगा सकते है मशरूम की खेती के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए इनकी खेती को भूमि रहित खेती अथवा भूमि बचत अथवा दाना बचत भी कहा जाता है। देश में इसकी खेती की काफी सम्भावना है। मशरूम को सब्जियों के साथ अन्य तरह के व्यजन बनाकर भोजन के रूप मे प्रयोग किया जा सकता है। इसकी प्रोटीन की पाचकता ७० से ९० प्रतिशत तक होती है। शहरो में अच्छे स्तर के होटलों (३ या ५ सितारा) में इसकी माँग काफी बढ़ गई है। इसकी खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। अतः भारतीय कृषि पर निरन्तर बढ़ते हुए जनसंख्या के दबाव

के कारण जो आज लगभग ९१२ मिलियन (जनवरी १९९५ के शुरू में) तक पहुँच चुकी है। जोत आकर कम होते जा रहे हैं⁴⁹ तथा बेरोजगारी एक विकट समस्या बनती जा रही है। ऐसे बदलते परिवेश में कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन करना समस्या का एक महत्वपूर्ण समाधान है। निश्चय ही हम खुम्बी (मशरूम) की खेती अपनाकर कम स्थान होने पर भी अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं और इसकी खेती उन व्यापारियों के लिए भी उचित होगी जो सेवा निवृत्त कर्मचारी हैं अथवा कामकाजी महिलाएँ हैं और अपनी घरेलू कार्यों के साथ-साथ इसे भी पैदा कर सकती हैं⁵⁰

मशरूम की खेती के लिए सूर्य के प्रकाश वर्षा के पानी एवं तेज हवा के झोको से बचाव होना अति आवश्यक है। वास्तव में मशरूम की खेती के लिए कुछ विशेष तापक्रम, आर्द्रता, माध्यम तथा अच्छे कवकजाल (बीज) जिसे स्पान कहा जाता है कि आवश्यकता पड़ती है इसके अतिरिक्त खुली हवा का उपलब्ध होना भी अत्यन्त आवश्यक है, जैसे इसकी खेती साधारण कमरे के अन्दर, ग्रीन हाउस, गैराज व बन्द बरामदों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। परन्तु व्यावसायिक स्तर पर इसके उत्पादन हेतु विशेष प्रकार से निर्मित मशरूम उत्पादन कक्ष का प्रयोग अधिक लाभकारी होता है। हमारे देश की जलवायु के आधार पर मशरूम की मुख्य रूप से तीन प्रकार की किस्में उगाने हेतु ठीक पाई गई हैं।

1. **बटन मशरूम** :- इसे शरद ऋतु में धान के पुआल अथवा गेहूँ के भूसे की कम्पोस्ट पर ८५-९० प्रतिशत आर्द्रता एवं १५-२५° सेल्सियस तापक्रम पर पैदा किया जा सकता है।
2. **पैन्डी स्ट्रू मशरूम** :- इसे गर्मियों में धान के पुआल पर ३०-३५° सेल्सियस तापक्रम पर तथा ८० प्रतिशत आर्द्रता में अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। इसका स्वाद अच्छा होता है।
3. **ढींगरी** :- इसे शरद ऋतु में (सितम्बर - मार्च) २०-३०° सेल्सियस तापक्रम पर तथा ८०-९०° आर्द्रता में धान के पुआल पर उगाया जा सकता है।

⁴⁹ डॉ० मिश्र कुमार संतोष, उ०प्र० में मशरूम की खेती प्रतियोगिता दर्पण, जून १९९६, पृष्ठ संख्या १८०५

⁵⁰ डॉ० मिश्र कुमार संतोष, उ०प्र० में मशरूम की खेती प्रतियोगिता दर्पण, जून १९९६, पृष्ठ संख्या १८०५

उपर्युक्त मे बटन मशरूम सबसे ज्यादा होती है। बाजार मे इस प्रजाति की माँग भी अधिक है तथा आमदनी भी बटन मशरूम से अधिक होती है। अत बटन मशरूम की खेती करने की विधि पर ही जोर दिया गया है।

बटन मशरूम की खेती :- ⁵¹ बटन मशरूम को देश के पर्वतीय क्षेत्रों मे वर्ष भर उगाया जा सकता है। देश के मैदानी भागों मे मशरूम की खेती १५ सितम्बर से १५ मार्च तक सर्दियों में, जब कमरे का तापक्रम २०-२५° सेल्सियस के बीच में हो इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। उपलब्ध प्राकृतिक तापक्रम के अनुसार इस मशरूम की २-५ फसल पर्वतीय क्षेत्रों में तथा १-२ फसल मैदानी क्षेत्रों मे ली जा सकती है। व्यावसायिक स्तर पर मैदानी क्षेत्रों मे वर्ष भर उत्पादन के लिए वातानुकूलित मशरूम गृहों का निर्माण करके खेती किसी भी भाग मे की जा सकती है। बटन मशरूम को उगाने के लिए विशेष प्रकार से निर्मित कम्पोस्ट की आवश्यकता होती है जिसे गेहूँ के भूँसे अथवा धान के पुआल मे रासायनिक उर्वरकों के मिश्रण द्वारा निम्नलिखित प्रकार से बनाया जा सकता है।

कम्पोस्ट बनाने की विधि :- ⁵² कम्पोस्ट बनाने हेतु साफ व पक्के फर्श की जरूरत पड़ती है। फर्श खुली हवा मे या किसी कमरे या बरामदे का हो सकता है। खुली हवा में कम्पोस्ट बनाने पर कम्पोस्ट को वर्षा से बचाव करना आवश्यक है तथा कमरे या बरामदे मे बनाने पर अच्छी वायु का संचार होना आवश्यक है। कम्पोस्ट बनाने मे प्रयोग होने वाला भूसा या पुआल १५ महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए ताकि उसकी लम्बाई २-४ सेमी होनी चाहिए। कम्पोस्ट बनाने की निम्नलिखित दो विधियाँ - दीर्घ एव अल्प अवधि की है।

1. दीर्घ अवधि विधि :- कम्पोस्ट बनाने के लिए गेहूँ के भूसे की पतली तह पक्के फर्श अथवा सीमेन्ट के बने चबूतरे पर बिछाकर उसे अच्छी तरह पलट कर पानी के फब्बारे से ४८ घण्टे तक तर कर लिया जाता है। कम्पोस्ट बनाने के २४ घण्टे के पूर्व रासायनिक उर्वरकों जैसे कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट ६ किग्रा०, यूरिया

⁵¹ डॉ० मिश्र कुमार संतोष, उ०प्र० में मशरूम की खेती प्रतियोगिता दर्पण, जून १९९६, पृष्ठ संख्या १८०६

⁵² डॉ० मिश्र कुमार संतोष, उ०प्र० में मशरूम की खेती प्रतियोगिता दर्पण, जून १९९६, पृष्ठ संख्या १८०६

२४ किग्रा०, सुपर फास्फेट १ किग्रा० एव सल्फेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा अर्थात् ३०० किग्रा० प्रत्येक को १५ किग्रा० गेहूँ के चोकर में लकड़ी के बुरादे की एक बोरी (३० किग्रा०) के साथ मिलाकर अच्छी तरह से पानी द्वारा नम करके ढेर बना दे तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रकार से कम्पोस्ट बनाएँ.—

❖ आरम्भ (० दिन) :- नम किए हुए भूसे व रासायनिक उर्वरकों को अच्छी तरह से मिलाएँ तदोपरान्त भूसे का लगभग १८ मीटर चौड़ा व १८ मीटर ऊँचा किसी भी लम्बाई का ढेर बनाएँ। ढेर बनाने के ७२ घण्टे बाद ढेर में भीतर तापक्रम ६०-७०° सेल्सियस से अधिक होगा। ढेर की बाहरी सतह पर दिन में दो बार पानी का हल्का छिड़काव करें।

❖ प्रथम पलटवाई (छठवाँ दिन) :- ढेर के बाह्य भाग में चारों तरफ हवा लगाने के कारण पदार्थ देरी से सड़ता है, अतः बाह्य भाग से १५ सेमी कम्पोस्ट निकाल कर फर्श पर फैलाकर पानी का छिड़काव करें। तत्पश्चात् दोनों कम्पोस्ट को अच्छी तरह मिलाकर बचे हुए ३ किग्रा० कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट १.६ किग्रा० यूरिया जो २४ घण्टे पूर्व १५ किग्रा० चोकर नम करने के बाद मिला दे, ५ लीटर शीरा और ३० मिली० निमोगान, आधा बाल्टी पानी में धोकर उक्त कम्पोस्ट में मिला दे तथा पूर्व की भाँति ढेर कर दे।

❖ द्वितीय पलटवाई (दशवें दिन) :- प्रथम पलटवाई की भाँति बाह्य भाग पर अच्छी तरह पानी छिड़क कर दोनों भागों को अच्छी तरह मिलाएँ।

❖ तृतीय पलटवाई (तेरहवें दिन) :- पूर्व की भाँति पलटवाई करके ३० किग्रा० जिप्सम, २५० ग्राम बी०एच०सी० तथा १०० ग्राम जिंक सल्फेट मिलायेँ कम्पोस्ट को मुट्टी में लेकर दबाएँ यदि पानी की बूँद अँगुलियों के बीच दिखाई दे तो पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं है।

चौथी, पाँचवी, छठवीं तथा सातवीं पलटवाई क्रमशः सोलहवें दिन, उन्नीसवें दिन, बाईसवें दिन एव पच्चीसवें दिन पर पूर्व की भाँति करें।

❖ आठवीं पलटवाई (अठ्ठाइसवें दिन) :- अठ्ठासइवे दिन ढेर पुनः तोड़कर पूर्व की भाँति करे, यदि अमोनियम गैस की गंध आती है तो पुनः तीन दिन के अन्तराल पर दो पलटवाई करे।

2. अल्प अवधि विधि :- अल्प अवधि विधि द्वारा कम्पोस्ट उपर्युक्त तकनीकी से ही बनाई जाती है, परन्तु द्वितीय पलटाई आठवे दिन, तृतीय पलटाई दसवे दिन की जाती है। तृतीय पलटाई के साथ ३० किग्रा० जिप्सम मिलाया जाता है। तत्पश्चात् कम्पोस्ट को ८-१० दिन के लिए विशेष प्रकार के विन में कर लिया जाता है। इस प्रकार अमोनिया गंध रहित कम्पोस्ट १८-२० दिन में तैयार हो जाता है।

कम्पोस्ट का निर्जीवीकरण :- अच्छी गुणवत्ता वाली कम्पोस्ट तैयार करने के लिए कम्पोस्ट का निर्जीवीकरण किया जाता है। निर्जीवीकरण के लिए बन्द कमरे में गर्म हवा द्वारा तापक्रम ४५° सेल्सियस कर दिया जाता है। २४ घण्टे तक तापक्रम बनाए रखा जाता है। तत्पश्चात् बाइलर द्वारा कमरे में वाष्प प्रवेश की जाती है। जिससे तापक्रम ४ घण्टे के लिए ६०° सेल्सियस कर दिया जाता है। अब वाष्प स्थगित कर तापक्रम गर्म हवा द्वारा ५०-५५° सेल्सियस तक ले जाते हैं तथा कमरे में हल्का वायु संचार किया जाता है, जिससे दूषित वायु बाहर निकल जाती है। इस तापक्रम पर कम्पोस्ट ७२ घण्टे के लिए रखी जाती है।

आवरण मृदा :- जिस पदार्थ द्वारा कम्पोस्ट पर फैली हुई फफूँदी को ढका जाता है उसे आवरण मृदा में निम्नलिखित सामग्री का प्रयोग किया जाता है।

- दोमट मिट्टी एवं रेत (चार भाग एक भाग)
- दो साल पुरानी गोबर की खाद व दोमट मिट्टी (बराबर-बराबर भाग)
- दो साल पुरानी खुम्ब की खाद, रेत और चूना (चार भाग . एक भाग . एक भाग)
- दो साल पुरानी खुम्ब की खाद व गोबर की खाद और चिकनी दोमट मिट्टी (दो भाग एक भाग एक भाग) ५ प्रतिशत फार्मलीन घोल से शोधित करके तैयार किया जाता है। आवरण मृदा चढ़ाने के बाद वायु संचार व आर्द्रता का उचित प्रबन्ध रखने पर १५ - २० दिन में मशरूम निकलना प्रारम्भ हो जाता है। ८०-९० प्रतिशत वायु आर्द्रता (नमी) बनाए रखने के लिए फसल कक्ष की दीवारों व फर्श पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए।

मशरूम (खुम्बियों) की चुनाई :- मशरूम की टोपी खुलने से पहले उनको तने सहित अँगुलियों के सहारे ऐंठकर निकाल लिया जाता है। मशरूम खुलने पर उसकी गुणवत्ता व बाजार मूल्य प्रभावित

होता है। १०० किग्रा० कम्पोस्ट से दो माह में १०-२० किग्रा० मशरूम प्राप्त हो जाता है। ध्यान रहे खुम्बियों में सिचाई, हल्की व जल्दी-जल्दी की जाए ताकि खुम्बी कड़ी न हो जाए। यह सिचाई पानी के छिड़काव के रूप में की जाए।

फसल की देखभाल :-

- ✓ चुनाई के बाद पेटियों के गड्ढे बन जाते हैं उन्हें आवरण मृदा से ढक देना चाहिए।
- ✓ मशरूम की चुनाई के समय उसका नीचे का भाग यदि टूट जाए तो निकाल देना चाहिए अन्यथा सड़न पैदा होने का भय रहता है।
- ✓ कीड़ों के प्रकोप से बचने के लिए ५-७ मिली मैलाथियान (५० सी०सी०) को १० लीटर पानी में घोलकर बीजाई के दो दिन बाद और आवरण मृदा के दो दिन पूर्व छिड़काव करें।
- ✓ बीमारियों से बचाव हेतु ०.०५ प्रतिशत बावस्टीन छिड़काव करने से लाभ होता है।

अन्य :-

- यातायात के उत्तम साधन हो ताकि उर्वरक व अन्य निवेशों हेतु प्रबन्ध हो सके।
- सीधी धूप न आती हो।
- कमरा हवादार होना चाहिए।
- कमरे का तापक्रम २०° सेल्सियस से अधिक न हो।
- फफूँद, रोगाणु, विषाणु, नैमाटोड, परजीवियों, दीमक व कीटों से बचाया जाए।
- मशरूम की खेती हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मध्यावधि ऋण दिया जाता है जिस पर १० प्रतिशत वार्षिक ब्याज लघु एवं सीमान्त कृषकों पर है⁵³

⁵³ डॉ० मिश्र कुमार संतोष, उ०प्र० में मशरूम की खेती प्रतियोगिता दर्पण, जून १९९६, पृष्ठ संख्या १८०७

इस सदी के ७० के दशक में प्रकाश - असंवेदी अधबौनी किस्मों के आने से धान और गेहूँ की पैदावार में आशाजनक प्रगति दिखाई देने लगी थी। ये किस्में किसानों के बीच खाद-पानी देने पर अच्छी उपज देने के कारण प्रचलित होने लगी जिससे खाद्यान्न उत्पादन में क्रान्ति सी आ गई। जो सन् १९५०-५१ में ५० मिलियन टन से बढ़कर १९९४-९५ में १९१ ०४ मिलियन टन तक पहुँच गया है। अर्थात् ४ गुनी (लगभग) उत्पादन में वृद्धि मिल चुकी है, जिसे सन् १९६८ में डॉ० विलियम गाड ने हरित-क्रान्ति का नाम दिया जो १९६८ से ८० तक यह युग रहा, इस प्रकार खेती से प्रति हेक्टेयर ज्यादा कमाई बढ़ने का जो दौर शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण-पोषण सम्भव हो सका जो आज ९४३ मिलियन को पार कर चुकी है लेकिन इस हरित क्रान्ति की हरियाली धीरे-धीरे धूमिल होने का आभास वैज्ञानिकों को होने लगा है। इसके कई कारण हैं, इनमें पहला मुख्य कारण - मिट्टी की उत्पादन क्षमता में कमी का होना है। खाद्य एवं कृषि सगठन ने “ विश्व कृषि सन् 2000 की ओर ” अनुमान लगाया है कि धरती की ३०-५० प्रतिशत जमीनें अनुचित प्रबन्ध के कारण खराब हो चुकी हैं। खासतौर से पिछले २५ वर्षों में खेती के लिए जंगल साफ करने की और खेती से ज्यादा पैदावार निचोड़ने के दुहरे लालच ने मिट्टी के कटाव, पोषक तत्वों, सूक्ष्म जीवों एवं जीवांश की कमी की समस्या बढ़ा दी है। इस प्रकार लगभग हर वर्ष ६० लाख हेक्टेयर भूमि खेती के योग्य नहीं रहती। कुछ इलाकों में तो मिट्टी का कटाव इतना ज्यादा हो चुका है कि भारी खर्चा करने पर भी इन मिट्टियों में जान डालना मुश्किल है, दूसरा कारण- जल अर्थात् सिंचाई से सम्बन्धित है, “विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग ने अपनी रिपोर्ट” हमारा साझा भविष्य (१९८७) में विश्व के जल स्रोतों की गम्भीर स्थिति की ओर ध्यान दिलाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सन् १९४० से १९८० के बीच ४० वर्षों में दुनिया में पानी की खपत दोगुनी हो गई है। सन् २००० में यह फिर दोगुनी हो जाएगी। इस खपत का दो तिहाई खेती में खपेगा परन्तु सघन खेती में पानी के निकास का उचित प्रबन्ध किए बिना सिंचाई करने से मिट्टियाँ ऊसर या रेतीली होती जा रही हैं। तीसरे - जैविक विविधता की भी गम्भीर रूप से क्षति हो रही है।

अधिक उपज देने वाली किस्मों के आने से पुरानी किस्में लुप्त हो रही हैं। और कहीं-कहीं तो पुरानी किस्में ही गायब हो रही हैं। चौथे - कीटों और व्याधियों एवं खरपतवारों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है अथवा खरपतवारों, कीटों आदि में रसायनों के प्रति सहनशीलता बढ़ गई है, पाँचवें पौधे खनिज उर्वरकों रासायनिक कीटनाशियों और कृषि यंत्रों के रूप में हर वर्ष उतनी ही उपज पैदा करने से पहले से ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और अन्त में लागत, जोखिम और खर्च का दुष्प्रभाव ऐसा विकट हो चला है कि विकसित और विकासशील दोनों वर्गों के देशों में उत्पादकता बढ़ाने में किसानों का उत्साह टिकाए रखने के लिए सरकारों को बड़े पैमाने पर खेती में छूट और रियायतें देनी पड़ रही हैं। यही कारण है कि टिकाऊ खेती की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान गया है। टिकाऊ खेती में ऐसी कृषि प्रणालियों के विकास पर बल दिया गया है जो हवा पानी और मिट्टी को बिगाड़े बिना खेती की पैदावार बढ़ाती रहे, ऐसी कृषि प्रणाली में उत्पादकता का मापदण्ड होगा।

टिकाऊ खेती का सिद्धान्त :- 55

टिकाऊ खेती के सिद्धान्त का मूल यह है कि इसमें छोटे-बड़े सभी किसानों को एक साथ समान रूप से आमदनी बढ़ाने के मौके दिए जाते हैं और साथ ही पर्यावरण सुरक्षा की भी व्यवस्था रहती है। टिकाऊपन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई नुस्खे सुझाए गए हैं। डॉ० एम० एस० स्वामीनाथन (पूर्व महानिदेशक, आई० सी० ए० आर० एवं प्रमुख कृषि वैज्ञानिक) ने आज की खेती को प्राकृतिक स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सिद्धान्तों को सुझाया है।

1. **भूमि :-** आज खेती/फसलों में सघनीकरण के प्रभाव से सबसे ज्यादा भूमि प्रभावित हुई है, जैविक सम्भावना, जैविक विविधता दोनों के आधार पर भूमि को संरक्षण, सुधार और टिकाऊ सघनीकरण इन तीन क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है। टिकाऊ सघनीकरण के काबिल मृदा को दूसरे कामों में इस्तेमाल करने के खिलाफ कानून बनाना चाहिए। इस मिट्टी की हालत पर भी बराबर निगाह रखनी पड़ेगी। पारिस्थितिकी के सिद्धान्त को अपनाकर बजर पड़ी भूमि को सुधार कर उसकी खोई हुई जैविक सम्भावना का पुनरुद्धार आवश्यक है जैविक विविधता में समृद्ध क्षेत्रों की जमीनें सदा के लिए संरक्षित घोषित करके अछूती छोड़नी होगी।

⁵⁵ डॉ० मिश्र कुमार विनय, समगतिशील खेती, प्रतियोगिता दर्पण, मार्च पृष्ठ संख्या १३६८ ।

2. जल :- जमीन की सतह एव उसके नीचे के जल का टिकाऊ प्रबन्ध के लिए पानी बचाने, समान जल वितरण करने, पानी पहुँचाने और इस्तेमाल करने में दक्षता बेहद जरूरी है साथ ही मल-जल और औद्योगिक अपजल को शुद्ध करके फिर से इस्तेमाल के लायक बनाना होगा।

3. पोषक तत्व :- अच्छी पैदावार के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की सन्तुलित रूप में आवश्यकता होती है। जैसे एन०पी०के० का ४ २:१ में उपयोग लेकिन आज खेती में पोषक तत्वों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों से बहुतायत में किया जा रहा है, जिससे नि सन्देह मृदा का स्वास्थ्य खराब हुआ है इससे छुटकारा पाना तो मुश्किल है, हों इसकी मात्रा कम कर सकते हैं। इसके लिए समन्वित पोषक तत्व प्रणाली अपनानी होगी। इस प्रणाली में शामिल है - उचित फसल चक्र, हरी खाद, कम्पोस्ट एव जैविक उर्वरक के प्रयोग के साथ रासायनिक उर्वरक। इस प्रणाली को अपनाने से मिट्टी की बनावट उत्पादन के अनुकूल बनी रहेगी।

4. फसल सुरक्षा प्रबन्ध :- उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण कृषि क्षेत्रों में कीड़े-मकोड़े बीमारियों और खरपतवारों की रोकथाम सबसे बड़ी चुनौती है। विभिन्न कीटनाशियों के प्रयोग से पर्यावरण, जल, भूमि एव कृषि उत्पादन पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में 'समेकित कीट प्रबन्ध' अपनाने होंगे। इस प्रणाली को अपनाने से रासायनिक कीटनाशियों का प्रयोग कम से कम होता है तथा कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं को सुरक्षण भी मिल जाता है। चने की फली बेधक के लिए न्यूक्लियर पॉली-डाइड्रोसिस वाइरस २५० शिशु समतुल्य की दर से बहुत सफल पाया गया है। जल कुम्भी जिसकी जलाशयो, नहरों में समस्या रहती है को वियोचैटिना वीविल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसी प्रकार एपीक्रेनिया प्रजाति के परजीवी कीट की मदद से फसल के सबसे विनाशकारी शत्रु फुदका कीट के नियंत्रण में अच्छी सफलता मिली है। वैज्ञानिकों के अनुसार कीटों के २५ से ३३ प्रतिशत परिसर जैव नियंत्रण में उपयोगी है जिनकी जानकारी कृषकों को होनी चाहिए। कीटनाशियों की तरह विभिन्न जीवाणुओं का भी प्रयोग 'समेकित कीट प्रबन्ध' में किया जा सकता है। जैसे बीटीवेसीलस यूरिजिएसीस कई फसलों में इसका प्रयोग करने पर फसलों को कीटरोधी बनाने में सफलता मिली है, लेकिन इस बात पर ध्यान देना होगा कि पौधे जो प्राकृतिक कीटनाशी बनाते कहीं मानव स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा न पैदा करें।

5. **ऊर्जा :-** परम्परागत एव गैर परम्परागत ऊर्जा साधनों के इस्तेमाल में सही तालमेल बैठकर ऐसा ऊर्जा प्रबन्ध अपनाना होगा कि उपज के वाछित स्तर प्राप्त किए जा सकें।

6. **आनुवांशिक विविधता :-** उत्पादन में टिकाऊ प्रगति बनाए रखने के लिए स्थानीय तौर पर उपयुक्त किस्में और अनुवांशिक विविधता दोनों जरूरी हैं, प्रायः एक फसल की समान आनुवांशिक आधार वाली किस्में ही सभी किसान उगाने लगते हैं। यदि कोई ऐसा रोग फैल जाए तो सबकी फसले चौपट कर दे।

7. **कृषि प्रणालियों पर ध्यान :-** उपलब्ध भूमि, जल और ऋण सुविधाओं का इस तरह इस्तेमाल हो ताकि वे एक दूसरे के आड़े हाथ न आए बल्कि पूरक बनें। इसके लिए प्रणालीगत दृष्टिकोण विकसित करने की जरूरत है जिसमें फसल उगाने के साथ-साथ पशुपालन, कृषि वानिकी और मछली पालन वगैरह सबका मिले-जुले तौर पर इस्तेमाल हो ताकि आमदनी बढ़ने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी ज्यादा मिलें और मिट्टी उपजाऊ भी बनी रहे।

कटाई के बाद की तकनीकी :- 56

अधिक उपज के साथ-साथ उपभोक्ताओं को उन्हें पसन्द आने वाली सुपोषक व्यंजन प्रदान करने के लिए खेती से उपलब्ध सामग्री को अनेक आकर्षक और पोषक वस्तुओं के रूप में उपलब्ध कराना और के हर हिस्से को किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि उत्पादन और कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी दोनों के बीच तालमेल हो। कृषि वस्तुओं को सुखाने, भण्डारण और उनका विपणन करने की तकनीकें ऐसी होनी चाहिए कि वे ऊर्जा के परम्परागत साधनों पर ज्यादा जोर न डालें तथा कृषि उत्पादन का गुण एवं मात्रा में किसी प्रकार की गिरावट या बरबादी न हो।

अनुसंधान एवं विकास :- 57

टिकाऊपन के लिए बुनियादी जरूरत इस बात की है कि अनुसंधान और प्रशिक्षण दोनों में सहकारिता पर बल दिया जाए। इनमें नई तकनीकें विकसित करने में वैज्ञानिकों और किसानों दोनों की हिस्सेदारी

⁵⁶ डॉ० मिश्र कुमार विनय, समगतिशील खेती, प्रतियोगिता दर्पण, मार्च पृष्ठ संख्या १३६८ ।

⁵⁷ डॉ० मिश्र कुमार विनय, समगतिशील खेती, प्रतियोगिता दर्पण, मार्च पृष्ठ संख्या १३६८ ।

हो और दोनों मिल-जुल कर प्रसार करे।

टिकाऊपन का उपाय:- 58

टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान की नई दिशाएँ अपनानी पड़ेगी। फसल उत्पादन में टिकाऊ प्रगति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए फसलो के आनुवांशिक ससाधनो के सग्रह, सरक्षण, मूल्याकन और उनकी अभिवृद्धि के विशेष कार्यक्रम चलाने पड़ेगे। टिकाऊ खेती का आनुवांशिक उद्यान स्थापित करके हम ऐसी सामग्री प्राप्त कर सकेगे जो किसी विशेष क्षेत्र में टिकाऊपन ला सके जैसे कि —

- हवा से नाइट्रोजन खींचकर पेड़-पौधो और मिट्टी में जमा करने वाले सूक्ष्म जीवयुक्त पेड़ और झाड़ियाँ, तने में गाँठ वाले फलीदार पौधे जैसे - साधारण ढाँचा, जाइन्ट ढाँचा, अजोला और नील हरित शैवाल इत्यादि।
- कीटो के नियंत्रण में प्रयोग होने योग्य पौधों, पेड़ों की प्रजातियाँ इनमें ऐसे पौधे, जीवाणु और फफूँदी भी शामिल हैं, जो कीटों को दूर भगाते हैं और मिट्टी में पनपने वाले कृमियो का नियंत्रण तथा खरपतवारो की रोकथाम करते हैं।
- रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल की दक्षता बढ़ाने वाले पेड़ पौधो और अन्य प्रजातियाँ जैसे - नीम, जिसकी खली मिट्टी में नाइट्रोजन को नाइट्रीकरण से बचाकर खाद की बचत करती है।
- वे प्रजातियाँ जो मिट्टी के कटाव को रोकती हैं या कम करती हैं जैसे की खस, कीनीपोडियम, एमरेन्थस प्रजातियाँ इत्यादी।
- कृषि वानिकी में उपयोगी पेड़ और झाड़ियाँ तथा बिगड़ी और बंजर मिट्टियो को उपजाऊ बनाने में मदद करने वाली प्रजातियाँ।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि टिकाऊ खेती कोई एक नारा नहीं है बल्कि भविष्य के लिए मानव की अत्यन्त आवश्यकता भी है। एक सर्वोत्तम रणनीति यह होगी कि पर्यावरण के कुप्रभाव को कम किया जाए और आगे चींटी के झुण्ड की तरह बढ़ती हुई इस मानव जनसंख्या की वर्तमान एव भविष्य की आवश्यकताओ

को पूरा किया जा सके। यह मुख्य तीन चरणों में होनी चाहिए ।

1. **उत्पादन का इष्टतम करना :-** इसके लिए उन क्षेत्रों में जहाँ उच्च उत्पादन क्षमता है, में संरक्षण एवं उत्पादन को समन्वित करना होगा, ताकि बिना पर्यावरण खोए पूर्ण रूप से क्षमता का दोहन किया जा सके। जो उच्च तकनीकी एवं पर्यावरण दोस्ती के द्वारा सम्भव होगा।
2. **उत्पादन को पुनः हासिल करना :-** इसके लिए उन क्षेत्रों में जहाँ उत्पादकता में गिरावट आई है उनको ध्यान में रखना होगा।
3. **जहाँ पर्यावरण तेजी से बदल रहा हो वहाँ क्षेत्रों का संरक्षण करना होगा जैसे फॉरेस्ट्री, घासे, एवं वसास्वति विधियों से।**

उपर्युक्त सभी सोच के लिए लिए सामूहिक आन्दोलन एवं भागीदारी के प्रयास करने होंगे ताकि भूमि एवं जल ससाधनों को सुरक्षित, सुदृढ़, सुधार, संरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से उपयोग किया जा सके।

टिकाऊपन का मूल्यांकन :- ⁵⁹

हम टिकाऊ खेती की ओर कहाँ तक बढ़े हैं उसकी जाँच करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है क्योंकि इसमें बहुत से मुद्दे और विभिन्न प्रजातियाँ तथा परिस्थितियाँ शामिल हैं, परन्तु इनमें से कुछ पहलू ऐसे हैं जिनके आधार पर कुछ स्तर तक मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे की बिगड़ी हुई मिट्टी को फिर से सुधारने की गुंजाइश, फसल सुरक्षा के लिए आवश्यक आनुवांशिक विविधता का स्तर, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उन क्रियाओं का सार जो मिट्टी को उपजाऊ रखने के लिए जरूरी है। इसके अलावा मिट्टी में जीवाणु की मात्रा मिट्टी की क्षारीयता और अम्लीयता जमीन में पानी का स्तर और पानी की गुणवत्ता तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन एवं उत्पादन की गुणवत्ता, इन सभी को लम्बे समय तक बनाए रखना होगा।

⁵⁹ डॉ० मिश्र कुमार विनय, समगतिशील खेती, प्रतियोगिता दर्पण, मार्च पृष्ठ संख्या १३६९ ।

चतुर्थ अध्याय

उत्तर प्रदेश में तिलहन का विपणन

उत्तर प्रदेश में तिलहन फसलो का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में क्षेत्राच्छादन की दृष्टि से रवाद्रानो के पश्चात् तिलहनी फसलो का दूसरा स्थान है। तेलो का उपयोग मानव उपभोग के अतिरिक्त औद्योगिक उत्पाद यथा साबुन, पेन्ट्स लुब्रीकेन्ट्स, सौन्दर्य प्रसाधन, दवाएँ आदि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। इसकी खलियों का उपयोग पशुओं को खिलाने तथा भूमि में जीवाश पदार्थों के बढ़ाने में भी किया जाता है। नीम की खली का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है¹

हमारे देश में तिलहन की नौ किस्मों की फसले बोयी जाती हैं² जो निम्न हैं।

- ❖ मूँगफली
- ❖ तोरी या तोरिया
- ❖ सरसो
- ❖ तिल
- ❖ सोयाबीन
- ❖ सूरजमुखी
- ❖ अरडी
- ❖ अडी
- ❖ बिनौला

¹ तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, २००१-२००२ कृषि विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

² डॉ० सिंह कुमार आशोक, उत्तर प्रदेश में तिलहन का विपणन, पृष्ठ संख्या १०८ ।


इनमें से अलसी एवं अरडी³ मुख्यतः अखाद्य तेल हैं तथा शेष सभी तिलहनो का खाने में उपयोग होता है। देश के तिलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सातवाँ स्थान है। देश के कुल तेल उत्पादन का ७४ प्रतिशत तेल उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। प्रदेश में कुल फसली क्षेत्र का ७१६ प्रतिशत क्षेत्र तिलहनी फसलो के अन्तर्गत आता है। प्रदेश में १९५०-५१ में ३४८ लाख हे० क्षेत्रफल में तिलहनी फसले बोई जाती थी। उस समय कुल उत्पादन १८२ लाख मी० टन था। १९९६-९७ में १२७८ लाख हे० क्षेत्र में तिलहनी फसले बोयी गयी थी, जिसमें १५.४६ लाख मी० टन उत्पादन प्राप्त हुआ था जो क्षेत्रफल एवं उत्पादन के मामले में वर्ष १९५०-५१ से क्रमशः ४ व ८ गुना अधिक था। लेकिन १९९७-९८ में क्षेत्रफल एवं उत्पादन में प्रतिकूल मौसम के कारण कमी हुई है। वर्ष ९७-९८ में क्षेत्रफल ११६५ लाख हे० और उत्पादन १००२ लाख मी० टन हुआ तथा १९९८-९९ में क्षेत्रफल १०५१ लाख हे० रहा जिससे उत्पादन १०.८९ लाख मी० टन प्राप्त हुआ। प्रदेश में तिलहन उत्पादन सम्बन्धी क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता के आँकड़े निम्नवत हैं।

वर्ष	आप्षादन (लाख हे०)	उत्पादन (लाख मी० टन)	उत्पादकता (कु०/हे०)
1950-51	3 48	1.82	5.24
1960-61	5 71	3.25	5.69
1970-71	6 97	3.80	5.45
1980-81	7.00	3.73	5.27
1990-91	10.45	13.74	8.45
1991-92	11.86	17.76	7.95
1992-93	11.24	12.02	7.35
1993-94	12.01	14.24	8.41
1994-95	12.37	14.40	8.43
1996-97	12.78	19.46	8.93

³ तिलहन उत्पादन कार्यक्रम २००१-२००२ कृषि विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

1997-98	11.65	10.02	6.08
1998-99	10.51	10.89	6.87
1999-2000	9.74	8.55	8.77
2000-2001	9.88	8.75	8.85
2001-2002	17.47	19.93	11.39

स्रोत :- कपास एवं तिलहन अनुभाग कृषि निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ



भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादन में तिलहन कार्यक्रम को प्रथमिकता देने के उद्देश्य से निम्न

निति अपनाई गई है⁴

- बड़े पैमाने पर तिलहन की खेती के लिए खेती के नए तरीके अपनाना।
- तिलहन की खेती के क्षेत्र में वृद्धि।
- सोयाबीन तथा सूरजमुखी जैसे नई किस्मों के विकास पर अधिक बल देना।

⁴ भारत, १९९३ पृष्ठ संख्या ३०३ ।

- बढिया बीजो फासफोरस उर्वरक का अधिक इस्तेमाल तथा पौध सरक्षण उपाय करना।
- तिलहन की खेती वाले सिंचित क्षेत्र का विस्तार करना।
- तिलहनो की खेती के सभावना वाले क्षेत्रो मे विशेष परियोजनाएँ प्रारभ करना।
- प्रदर्शन कार्यक्रम चलाना, मिनी कॉटो का वितरण करना तथा दूसरी फसलो से तिलहन बोना।

उत्तर प्रदेश में तिलहन का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता:-

तिलहन उ०प्र० की मुख्य नकदी औद्योगिक फसल है। यहाँ पर देश के कुल तिलहन उत्पादन का २० प्रतिशत उत्पादित होता है⁵ राई सरसों के उत्पादन मे तो इस प्रदेश का प्रथम स्थान है, परन्तु यह बडी ही निराशाजनक बात है कि यद्यपि तिलहनी फसलो के अन्तर्गत क्षेत्रफल मे कोई खास गिरावट नहीं आई है परन्तु औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर एव कुल उत्पादन घटा है। तिलहनी फसलो एव उनके तेलो का मूल्य दिन-प्रतिदिन बढता जा रहा है जिसके कारण एक सामान्य आदमी को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड रहा है।

उपर्युक्त उद्देश्यो को ध्यान मे रखते हुए ही हमे तिलहन उत्पादन नीति का निर्धारण करना होगा। हम उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते जब कि गेहूँ की भाँति तिलहन की अधिक उपज देने वाली फसले निकलेगी बल्कि जो हमारी वर्तमान प्रणालियों है उनसे ही उत्पादन बढाने का कार्यक्रम बनाना होगा क्योकि अभी भी उनकी क्षमता से काफी कम औसत उत्पादन प्राप्त हो रहा है⁶

उत्तर प्रदेश में तिलहन विकास योजना :- यह योजना प्रदेश मे तिलहनो के उत्पादन बढाने के उद्देश्य से पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड, पूर्वी जिले एव तिलहन की क्षमता रखने वाले अन्य जनपदो मे मूँगफली, तिल, अण्डी, राई, सरसो, अलसी, एवं कुसुम के उत्पादन बढाने हेतु वर्ष १९९१-९२ मे कार्यान्वित कराई गयी। रबी तिलहन कार्यक्रम में वर्ष १९९१-९२ में विशेषतः यह प्रयास करने का विचार रखा गया था

⁵ तिलहन उत्पादन कार्यक्रम वर्ष १९९१-९२ पृष्ठ संख्या ५, प्रकाशित, कृषि निदेशालय, उ०प्र० (कपास एव तिलहन अनुभाग) लखनऊ ।

⁶ सौजन्य से मुख्यालय कृषि निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ ।

कि राई सरसो के वर्तमान शुद्ध क्षेत्रफल में सघन विधियाँ अपना कर इसके उत्पादन में वृद्धि करना तथा साथ ही साथ जो क्षेत्रफल राई सरसो के अन्तर्गत मिश्रित बोया जाता है उसके शुद्ध क्षेत्रफल को बदलना है।⁷

इन फसलो के उत्पादन बढ़ाने के लिए क्षेत्रों एवं कृषकों को चुन लिया जाय और नवीनतम कृषि विधियों से खेती की जाय साथ ही इन फसलो के उत्पादन के लिए कृषकों को कृषि निवेश समय से उपलब्ध कराया जाय।

वर्ष १९९९-२००० व २०००-२००१ में फसलवार क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति निम्न प्रकार है -


क्षेत्रफल - लाख है० में
उत्पादन - लाख मै० टन में
उत्पादकता - कुन्तल/है० में

क्र०सं०	फसल का नाम	वर्ष 1999-2000			वर्ष 2000-2001		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
१	मूँगफली	1.13	0.95	8.30	1.18	0.97	8.21
२	तिल	0.95	0.18	1.83	1.09	0.17	1.55
३	सोयाबीन	0.18	0.14	7.64	0.16	0.10	6.24
४	सूरजमुखी	0.15	0.19	13.19	0.25	0.33	13.50
	योग खरीफ	2.41	1.46	6.05	2.68	1.57	5.85
५	तोरिया/राई सरसो	6.62	6.78	10.23	6.30	6.61	10.50
६	अलसी	0.71	0.31	4.33	0.90	0.57	6.35
	योग रबी	7.33	7.09	9.67	7.20	7.18	9.97
	महायोग	9.74	8.55	8.77	9.88	8.75	8.85

* आकड़े परिवर्तनीय है।

स्रोत :- कृषि निदेशालय, उ० प्र० (कपास एवं तिलहन अनुभाग) लखनऊ।

⁷ सौजन्य से मुख्यालय कृषि निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ।



वर्ष २००१-२००२ के क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता के लक्ष्य निम्नवत निर्धारित किए गए हैं -

क्षेत्रफल - लाख है० मे


उत्पादन - लाख मै० टन मे

उत्पादकता - कुन्तल/ है० मे

क्र०सं०	फसल का नाम	2001-2002	2001-2002	2001-2002
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
१	मूँगफली	1.46	1.61	11.00
२	तिल	1.35	0.34	2.50
३	सोयाबीन	0.43	0.53	12.00
४	सूरजमुखी	0.396	0.55	14.00
	योग खरीफ	3.646	3.03	8.31

५	तोरिया	8.90	2.09	11.00
६	राई/सरसो	10.84	14.11	12.95
७	अलसी	1.10	0.70	6.36
	योग रबी	13.89	16.90	12.16
	महायोग	17.47	19.93	11.39

स्रोत :- कृषि विभाग, उ० प्र० (कपास एवं तिलहन अनुभाग) लखनऊ ।



तिलहनों के उपयोग :- तिलहन अत्यन्त उपयोगी फसल है। इसका खाद्य तेल, पशुचारा अनेक औद्योगिक उत्पादों में प्रयोग किये जाने वाले तेल, निर्यात आदि में विशेष महत्व है।

तिलहनो के विभिन्न उद्देश्यों में हुए उपयोग की मात्रा को प्रतिशत में दिया गया है। मूँगफली का १३ प्रतिशत निर्यात में, १२० प्रतिशत बीज हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार लाही सरसो का

१५ प्रतिशत बीज में, ४१ प्रतिशत खाद्य पदार्थ हेतु ९४ प्रतिशत पेराई में उपयोग होता है। अलसी का ४९ प्रतिशत बीज में ५१ प्रतिशत खाद्य पदार्थ हेतु तथा ९०० प्रतिशत पेराई में प्रयोग होता है। अण्डी का ६२ प्रतिशत बीज में ९३८ प्रतिशत पेराई में प्रयोग होता है⁸

रणनीति :- वर्तमान वर्ष में निर्धारित लक्ष्यो की प्राप्ति हेतु कठोर परिश्रम एवं विशेष रणनीति की आवश्यकता होगी। निर्धारित लक्ष्यो की प्राप्ति हेतु निम्न रणनीति तैयार की गई है -⁹

1. तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल में वृद्धि :- बुन्देलखण्ड में खाली खेतों में तिलहनी फसलों की बुवाई करके तथा ज्वार बाजरा, असिंचित धान के स्थान पर तिलहनी फसलें उगाकर क्षेत्र का विस्तार किया जाय। कानपुर मण्डल में बाजरा के स्थान पर सोयाबीन की खेती पर बल दिया जाय। सुरजमुखी के क्षेत्र का विस्तार इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, आगरा, एवं लखनऊ मण्डल में किया जायेगा। इसके साथ ही जायद में आलू, सब्जी, मटर, तोरिया, गन्ना की पेड़ी व अगेती राई/सरसो की कटाई के उपरान्त खाली खेतों में सुरजमुखी की बुवाई हेतु कृषकों को प्रेरित किया जाय।

2. उत्पादकता में वृद्धि :- तिलहनी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज की मात्रा, सतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग, जिप्सम का प्रयोग, कीट रोगों से बचाव एवं समय से बुवाई, सिंचाई, निराई-गुडाई पर बल दिया जाय। इसके लिए न्याय पचायतवार क्षेत्र की जानकारी करने के उपरान्त ऐसे मुख्य बिन्दु चिन्हित कर लिए जाय जिनके कारण उत्पादकता प्रभावित होती है। इन्हीं चिन्हित बिन्दुओं पर आधारित तिलहन उत्पादन को अभियान के रूप में न्याय पचायत/ग्राम पचायत में चलाया जाय। ऐसे नियोजित एवं क्रियान्वित कार्यक्रम से फसल पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे अन्य कृषकों को भी दिखाया जाय।

वृहत स्तर पर तिलहनी फसलों में उत्पादकता में कमी को जिन मुख्य कारणों को चिन्हित किया गया है वे निम्न हैं -¹⁰

⁸ खाद्य सांख्यिकीय बुलेटिन १९९१-९२ पृष्ठ संख्या १४९।

⁹ तिलहन उत्पादन कार्यक्रम २००१-२००२ कृषि विभाग उ०प्र० लखनऊ।

¹⁰ तिलहन उत्पादन कार्यक्रम २००१-२००२ कृषि विभाग उ०प्र० लखनऊ।

(अ) - मूँगाफली :-

- ❖ बीज की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में न होना तथा बीज की मात्रा कम रहना ।
- ❖ वर्षा पर आधारित बुवाई के कारण विलम्ब से बुवाई होना ।
- ❖ कृषको द्वारा सतुलित उर्वरको का प्रयोग तथा मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक का प्रयोग न किया जाना ।
- ❖ जिप्सम का प्रयोग न करना ।
- ❖ सफेद गिडार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कृषको को इस कीट के नियंत्रक के बारे में पर्याप्त जानकारी की आवश्यकता है।
- ❖ खूँटियाँ एवं फली बनते समय नमी का अभाव ।

(ब) - शौचाबीन :-

- पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता युक्त बीजों का अभाव ।
- बीज उपचार तथा राजोबियम कल्चर का प्रयोग न करना ।
- संतुलित उर्वरक/जिप्सम का प्रयोग न करना ।
- सामयिक निराई-गुड़ाई न करना ।
- फूल फली आने की अवस्था पर नमी की कमी ।
- उचित विपणन व्यवस्था का अभाव ।

(स) - तिल :-

- बुवाई विलम्ब से करना ।
- सतुलित उर्वरक का प्रयोग न करना ।
- जिप्सम का प्रयोग न करना ।

(ढ) - सूरजमुखी :-

- ✓ उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीजो का अभाव ।
- ✓ सहत क्षेत्र मे बुवाई न होने से चिड़ियो द्वारा अत्यधिक हानि ।
- ✓ उचित विपणन व्यवस्था का अभाव ।

(य) :-

1. वर्षा से बोई फसल का नष्ट हो जाना तथा बुवाई मे विलम्ब होना ।
2. सतुलित उर्वरक / जिप्सम का प्रयोग न करना ।
3. कटाई के समय अथवा खलिहान मे कटी फसल मे प्रतिकूल मौसम एव वर्षा से होने वाली क्षति के भय से कृषक खेती करना कम पसंद करते है ।

(र) - राई / सरसों :-

- समय से बुवाई न होना ।
- सतुलित उर्वरक / जिप्सम का प्रयोग न करना ।
- बीज शोधन / कल्चर का प्रयोग न करना ।
- बिरलीकरण न करना ।
- माहू किट नियंत्रण समय से न करना ।

(ल) - झलसी :-

- शुद्ध खेती के प्रति कृषको मे रूचि न होना ।
- उपेक्षित भूमि में खेती करने की परम्परा ।
- समय से बुवाई न करना ।

उत्पादन वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि उपरोक्त कठिनाइयों का समन्वित रूप से निराकरण किया जाय।

उत्तर प्रदेश में तिलहनी फसलों का विपणन :- उत्तर प्रदेश की मुख्य तिलहनी फसल

सरसो है। पूरे देश मे सरसो उत्पादन मे प्रदेश का प्रथम स्थान है, पूरे देश के सरसो उत्पादन क्षेत्र का ३५ ६७

प्रतिशत भाग केवल उत्तर प्रदेश में है। देश के कुल उत्पादन का ५३.७ प्रतिशत तोरिया एवं सरसों का उत्पादन केवल उत्तर प्रदेश में होता है। इसके अतिरिक्त पूरे देश के कुल उत्पादन का २.४ प्रतिशत मूँगफली, १३.६ प्रतिशत तिल, ५.६ प्रतिशत सूरजमुखी का उत्पादन उ०प्र० में होता है।¹¹

इस प्रकार से प्रदेश में कमोबेश मात्रा में प्रायः सभी तिलहनो की खेती होती है, किन्तु लाही सरसों का उत्पादन सर्वाधिक है। अतः लाही सरसों के अतिरिक्त अन्य तिलहनी फसल जैसे अलसी, मूँगफली के विपणन सम्बन्धी क्रियाओं का सक्षिप्त विवरण इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। प्रतिनिधि फसल के रूप में लाही सरसों का चुनाव किया गया है जिसके विपणन सम्बन्धी समस्त क्रियाओं का विस्तृत विवरण आगे अध्याय ५ में दिया गया है।

चूँकि सभी तिलहनों की विपणन क्रियाएँ लगभग एक समान हैं और कुल ९ प्रकार के तिलहन हमारे देश में पाये जाते हैं। अतः सभी तिलहनो का अलग-अलग अध्ययन करना न तो संभव ही रहा और न ही अध्ययन की दृष्टि से आवश्यक। अतः विस्तृत अध्ययन हेतु मात्र लाही सरसों का ही चुनाव किया गया है। अन्य तिलहनो के संदर्भ में सक्षिप्त विवरण इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है।

एकत्रीकरण :-¹² तिलहन के एकत्रीकरण में तेल मिले महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तेल दो प्रकार से निकाला जाता है . (१) तेल घानियों द्वारा तथा (२) तेल मिलों द्वारा। प्रायः तेल मिले पूँजीपतियों की होती है और ये अन्य क्रेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करती है किन्तु जिन क्षेत्रों में तेल मिले नहीं हैं वहाँ पर तेल घानियाँ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। किसान द्वारा अपने कुल तिलहन की उपज का अनुमानतः १८ प्रतिशत तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोक लिया जाता है। शेष आधिक्य को वह या तो स्वयं मंडी को, गाँव के व्यापारी को, थोक व्यापारी को, घूमता-फिरता व्यापारी को गाँव की घानी को, मिल के प्रतिनिधि को एवं सहकारी समिति को बेच देता है।

¹¹ उ०प्र० में कृषि आंकड़े वर्ष १९९१-९२ पृष्ठ संख्या १२५ ।

¹² खाद्य सांख्यिकीय बुलेटिन १९९१-९२ पृष्ठ संख्या १४२

अतः विभिन्न जोत वर्ग के किसानों द्वारा विभिन्न माध्यमों से की गयी बिक्री के विवरण को प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न जोत वर्ग के किसानों द्वारा की गयी बिक्री का औसत भाग विभिन्न माध्यमों से इस प्रकार रहा है।

सरसों की बिक्री उत्पादक द्वारा सीधे मण्डी को १५ प्रतिशत, गाँव के बाजार के व्यापारी को ४५ प्रतिशत, थोक व्यापारी को २० प्रतिशत, घूमता-फिरता व्यापारी को ८ प्रतिशत, गाँव की घानी को १० प्रतिशत, मिल के प्रतिनिधि को ६ प्रतिशत, सहकारी समिति को २ प्रतिशत है। इसी प्रकार अलसी की बिक्री किसान द्वारा सीधे मण्डी को २२ प्रतिशत, गाँव के बाजार के व्यापारी को ४० प्रतिशत, थोक व्यापारी को १४ प्रतिशत, घूमता-फिरता व्यापारी को ४ प्रतिशत, गाँव की घानी को २ प्रतिशत, मिल के प्रतिनिधि को ११ प्रतिशत, सहकारी समिति को १ प्रतिशत है। इसी प्रकार मूँगफली की बिक्री का विवरण इस प्रकार रहा -

उत्पादक द्वारा सीधे मण्डी को ५२ प्रतिशत, गाँव के बाजार के व्यापारी को १५ प्रतिशत, थोक व्यापारी को ११ प्रतिशत, घूमता-फिरता व्यापारी को १२ प्रतिशत, मिल के प्रतिनिधि को १३ प्रतिशत, सहकारी समिति को १ प्रतिशत है। स्पष्ट है कि विभिन्न तिलहनो की विभिन्न माध्यमों से की जाने वाली बिक्री की मात्रा में अन्तर है। स्पष्ट है कि विभिन्न जोत वर्ग के किसानों द्वारा विभिन्न माध्यमों से की जाने वाली बिक्री भिन्न-भिन्न है। गाँव में की जाने वाली बिक्री में सबसे अधिक भाग छोटे किसानों का है। एक बात और ध्यान देने की है कि तिलहनो का एकत्रीकरण विभिन्न माध्यमों से तेल मिलों एवं घानियों में होता है जहाँ इनकी प्रक्रिया की जाती है।

विक्रय की पद्धति :- तिलहन उपभोक्ता तक तीन बाजारों में होकर पहुँचता है। प्राथमिक बाजार गौण बाजार व फुटकर बाजार। प्राथमिक बाजार गाँवों में होते हैं, गौण बाजार तिलहन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये ही अधिकांश अधिव्यय की बिक्री करते हैं। इन बाजारों को हम मण्डी या गंज कहते हैं। यह मण्डी या गंज किन्हीं स्थानों पर व्यक्तिगत नियंत्रण में है जबकि किन्हीं स्थानों पर स्वायत्त शासन के अधीन हैं तो किन्हीं स्थानों पर नियमित है। जो मण्डियाँ या गंज व्यक्तिगत हैं ये किसान को अधिक सुविधा नहीं देती हैं तथा किसान से व्यय भी अधिक लेती हैं लेकिन जहाँ पर मण्डियों स्वायत्त शासन के अन्तर्गत हैं वहाँ पर यह उनकी

आय का साधन बनी हुई है। नियमित मण्डी निश्चित रूप से सुविधाओं का ध्यान रखती है तथा यहाँ किसान से वसूल होने वाले व्ययों की मात्रा भी निश्चित होती है।

इन मंडियों के समय भिन्न-भिन्न होते हैं तथा बेचने के ढग भी अलग-अलग होते हैं। कुछ स्थानों पर कच्चे आढ़तिया के यहाँ तिलहन बिकता है वहीं उसकी तुलाई होती है लेकिन कुछ मंडियों में सौदा तो कच्चे आढ़तिया के यहाँ होता है लेकिन माल की तुलाई क्रेता के यहाँ होती है। यह माल किसान ही अपनी गाड़ी से क्रेता के पास तक पहुँचाता है। साधारणतया तिलहन का भाव (१) छिपे तौर से या (२) नीलाम से या (३) समझौते द्वारा तय किया जाता है। छिपे तौर के ढग में क्रेता या उसका दलाल तथा आढ़तिया कपड़े के नीचे एक दूसरे की उंगली पकड़ कर इशारे से भाव तय कर लेते हैं तथा बाद में इसकी सूचना तिलहन के मालिक को दे दी जाती है। नीलाम प्रणाली में तिलहन का नीलाम किया जाता है। जो व्यक्ति अधिकतम मूल्य लगाता है उसके नाम बोली समाप्त कर तिलहन की बिक्री कर दी जाती है। समझौते के अन्तर्गत क्रेता एवं आढ़तिया द्वारा भाव तय किया जाता है तथा उसी मूल्य पर बिक्री की जाती है।

वर्गीकरण व प्रमापीकरण :- तिलहन की बिक्री मुख्यतः उसकी किस्म के आधार पर की जाती है। अलग-अलग किस्म के तिलहन का भाव अलग-अलग होता है। तिलहन की किस्म का उसके विपणन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि तिलहन खराब किस्म का होता है तो तेल भी अच्छे किस्म का नहीं प्राप्त किया जा सकता है, फलस्वरूप इसके मूल्य भी कम मिलते हैं, यही कारण है कि तिलहन में शुद्धता को अधिक महत्व दिया जाता है। अतः तिलहन की तैयारी में किसानों को अधिक ध्यान देना चाहिए, किन्तु इस सम्बन्ध में मुख्य कठिनाई यह है कि तिलहन की खेती पृथक् रूप से नहीं की जाती वरन् अन्य खाद्य फसलों के साथ की जाती है। फलस्वरूप इसमें अन्य खाद्यान्न मिल जाते हैं और इनका श्रेणीयन तथा वर्गीकरण करना कठिन हो जाता है। तिलहन में मिलावट दो प्रकार की होती है (१) अन्य तिलहनो की मिलावट तथा (२) गेहूँ आदि अन्य अनाजों की मिलावट। व्यवहार में शुद्ध तिलहन मिलना कठिन होता है। तिलहनो का वर्गीकरण उनके रंग-रूप

या आकार के आधार पर किया जाता है जैसे अलसी का वर्गीकरण बड़ा व छोटा के आधार पर किया जाता है। सरसो व लाही का पीली, भूरी के आधार पर किया जाता है।

वित्त प्रबन्ध :- जैसा कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि विपणन के प्राय सभी कार्यों में वित्त की आवश्यकता पड़ती है, बिना वित्त के विपणन का चक्र चलना कठिन होता है। हमारे देश में किसानों के पास विक्रय योग्य अतिरिक्त की कमी है। इसके अतिरिक्त हमारे देश के किसानों की आर्थिक स्थिति खराब है। अतः ऐसी स्थिति में उन्हें ऋण का सहारा लेना आवश्यक होता है, गाँव में किसान को जिन स्रोतों से ऋण उपलब्ध होता है, तिलहन उत्पादक किसान उन स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त तिलहन बोने वाले किसानों को तिलहन की फसल में उर्वरक एवं कृषि रक्षा उपचार अपनाने हेतु सहकारिता विभाग से फसलों के लिए ऋण वितरण अर्थात् 'ख' के रूप में किया जाता है। यह सुविधा तिलहन बोने वाले कृषकों को उपलब्ध करायी जाती है। प्रत्येक विकास खण्ड में सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) का यह दायित्व होता है कि तिलहन बोने वाले कृषकों को ऋण की व्यवस्था करायेगे और कृषकों से प्रार्थना पत्र प्राप्त करके अल्पकालीन ऋण वितरण कराने की व्यवस्था करेंगे। सहायक विकास अधिकारी कृषि को यह निर्देश जारी किये गये हैं कि वे ऐसे कृषकों की सूची एवं प्रार्थना पत्र प्राप्त कर सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) को देंगे। जिन्हें इन फसलों के लिए ऋण की आवश्यकता है, ताकि वे उन्हें समय से ऋण उपलब्ध करा सकें। राष्ट्रीयकृत बैंक भी कृषि निवेश हेतु अल्पकालीन ऋण दे रहे हैं। अतः कृषकों को इन बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाय।¹³

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत तिलहन की खेती हेतु अनुदान राशि प्रदान की गयी है।

अतः उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास-कार्यक्रमों जैसे कृषि रक्षा, उर्वरक वितरण गोदाम निर्माण, रसायन छिड़काव आदि के सन्दर्भ में कृषकों को अनुदान की सहायता प्रदान करायी गई है। इससे प्रदेश के तिलहन उत्पादकों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलने की सम्भावना है।

¹³ तिलहन उत्पादन कार्यक्रम वर्ष १९९१-९२ कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश (कपास एवं तिलहन विभाग) लखनऊ पृष्ठ संख्या १३ ।

झाँसी का विपणन :- अलसी तेल के बीजों में से एक है। भारत वर्ष में अलसी का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वर्ष १९९९-२००० में उत्तर प्रदेश में ०.७१ लाख है० में अलसी की खेती की गयी थी और कुल अलसी का उत्पादन ०.३१ लाख मी० टन में था। इस प्रकार पूरे देश की सर्वाधिक अलसी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अलसी का उत्पादन करने वाले अन्य राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल व आन्ध्र प्रदेश है। किसान अपनी अलसी की कुल उत्पादन का ७९ प्रतिशत ही बाजार में बेचने के लिए लाता है। शेष ७ प्रतिशत बीज के लिए, ४ प्रतिशत घर के उपभोग के लिए व १० प्रतिशत गाँव के घानियों के लिए रख लेता है।¹⁴

अतः उत्तर प्रदेश में अलसी का सर्वाधिक उत्पादन झाँसी मण्डल में होता है। तत्पश्चात् क्रमशः वाराणसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, कुमायूँ, आगरा और मेरठ मण्डल का स्थान है। वर्ष २०००-२००१ में पूरे उत्तर प्रदेश में १.१० लाख हे० क्षेत्र में अलसी की खेती की गयी थी और कुल उत्पादन ०.७० लाख मी० टन था।¹⁵

बाजार के लिए तैयारी :- अलसी की उत्पत्ति की क्रियाएँ अन्य खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति की क्रियाओं के समान हैं। अलसी को बाजार में लाने से पहले फसल काटने, बीज या दाने अलग करने व साफ करने की क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। अंतिम क्रिया के पूर्ण हो जाने पर बाजार में बेचने की क्रिया शुरू होती है। फसल आम तौर से दोपहर के पहले काटी जाती है जिससे गर्मी पाकर (पौधों में से) बीज बिखर न जाये। पौधों को काटने के बाद बॉंध कर सुखाने के लिए ४ से १० दिन तक रखा जाता है। सूखने के बाद बैलों के पैरों से दबाकर बीज, पत्ते इत्यादि अलग-अलग कर दिये जाते हैं व बौछार करके बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है।¹⁶ अलसी को खेत से काट कर बाजार तक भेजने योग्य बनाने में प्रायः वही सब क्रियाएँ करनी पड़ती हैं जो क्रियाएँ अन्य खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति में करनी पड़ती हैं।

¹⁴ शर्मा एव जैन, बाजार व्यवस्था, साहित्य भवन आगरा वर्ष १९९३, पृष्ठ संख्या २२२ ।

¹⁵ उ०प्र० के कृषि आकड़े वर्ष १९९१-९२ निदेशक कृषि सांख्यिकी एव फसल बीमा, उ०प्र०, कृषि भवन लखनऊ, पृष्ठ संख्या ६६, ६७, ६८ से ।

¹⁶ स्वतः सर्वेक्षण पर आधारित ।

एकत्रीकरण :- किसान अपने बीज व उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद बाकी उत्पत्ति गाँव में या पास के बाजारों में बेचता है।

अतः पूरे देश में अलसी के एकत्रीकरण में उत्पादक का ५० प्रतिशत, गाँव के बनियों का २० प्रतिशत और घूमते-फिरते व्यापारियों का २५ प्रतिशत, थोक व्यापारी ४ प्रतिशत एवं मिलों के प्रतिनिधि का १ प्रतिशत का योग दिया जाता है।¹⁷

अलसी का वितरण माध्यम :- तिलहन के वितरण माध्यम के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि इसका वितरण दो स्तरों पर होता है, एक तो तिलहन के रूप में, द्वितीय खली तेल के रूप में। सर्वप्रथम तिलहन विभिन्न मार्गों से मिल तक पहुँचता है तत्पश्चात् मिल से तेल, खली के रूप में विभिन्न मार्गों से अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचता है।

अतः विभिन्न जोत वर्ग के कृषकों द्वारा की जाने वाली बिक्री विभिन्न माध्यमों से भिन्न-भिन्न है। छोटे किसान अपनी उपज का सर्वाधिक ४३-२३ प्रतिशत भाग गाँव के व्यापारी को कर देते हैं और मिल के प्रतिनिधि को २०-३५ प्रतिशत एवं सीधे मण्डी को १७-६५ प्रतिशत, थोक व्यापारी को ११-४९ प्रतिशत, घूमन्तू व्यापारी को ४-२३ प्रतिशत, गाँव की घानी को ३.०७ प्रतिशत करते हैं। जबकि मध्यम वर्ग के किसान अपनी उपज का सर्वाधिक ३९-५५ प्रतिशत गाँव के व्यापारी को २३-५ प्रतिशत सीधे मण्डी को, १७-४० प्रतिशत मिल के प्रतिनिधि को १३-३० प्रतिशत थोक व्यापारी को ४-४५ प्रतिशत, घूमते-फिरते व्यापारी को करते हैं। गाँव की घानी और सहकारी समितियों में की जाने वाली बिक्री अति न्यून है। १० एकड़ से ऊपर वाले किसान अपनी उपज की सर्वाधिक बिक्री ३९-७१ प्रतिशत गाँव के व्यापारी को, २२-२१ प्रतिशत मण्डी को, १८-७८ प्रतिशत मिल के प्रतिनिधि को, १३-३४ प्रतिशत थोक व्यापारी को, ३-८९ प्रतिशत घूमता-फिरता व्यापारी को, १-७७ प्रतिशत गाँव की घानी को करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि गाँव में बिक्री का प्रतिशत सर्वाधिक औसतन ३९-७१ प्रतिशत है। इसके कई कारण हैं। चूँकि किसान को अपनी उपज को बाहर ले जाने में अनेक झंझट, जैसे परिवहन साधन, उपयुक्त समय, मोल भाव, आदि का सामना करना पड़ता है जिससे

¹⁷ स्वतः सर्वेक्षण पर आधारित ।

बचने के लिए वह अपने गाँव के बाजार या मण्डी में अपना माल बेचना अधिक पसंद करता है। इसके अतिरिक्त किसान को आवश्यकता पड़ने पर उसे समय से अपने गाँव के व्यापारी से साख-सुविधा मिलती रहती है जिसके कारण भी वह इन्हे उनके हाथों बेचना उपयुक्त समझता है।

विक्रय की पद्धति :-

अलसी के बाजार भी अन्य खाद्य पदार्थों की भाँति तीन प्रकार के होते हैं।

- ❖ प्राथमिक बाजार
- ❖ थोक बाजार
- ❖ सीमान्त बाजार

केन्द्रीय व उत्तरी भारत के गाँवों में हाट व पैठ लगती है। दक्षिणी भारत में इन्हे शण्डीज कहते हैं। यह बाजार हफ्ते में एक से तीन बार तक लगते हैं तथा इन्हे प्राथमिक बाजार कहते हैं। अलसी की बिक्री इन हाटों, पैठों व मण्डियों में बहुत कम मात्रा में होती है। इन बाजारों में खरीद गाँवों के घानी वालों द्वारा की जाती है।

थोक बाजार मंडी या गज कहलाते हैं और ये शहर व कस्बों में होते हैं। यहाँ प्रतिदिन थोक में अलसी की खरीद व बिक्री की जाती है। इन्हीं बाजारों से मिलों द्वारा खरीद की जाती है। यहाँ खरीद व बिक्री की सहायता के लिए आढ़तिया पाए जाते हैं। जिनके पास माल को कुछ समय तक रखने के लिए गोदाम होते हैं। अलसी के सीमान्त बाजार बम्बई व कलकत्ता बन्दरगाह पर पाये जाते हैं जहाँ से निर्यात किया जाता है। इन बाजारों में भविष्य के सौदे किये जाते हैं। बाजारों में अलसी की बिक्री में सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के मध्यस्थ पाये जाते हैं जिनमें आढ़तिया, दलाल, तौला व पल्लेदार प्रमुख हैं। किसान अपनी उत्पत्ति को गाड़ी में भरकर आढ़तिया की दुकान पर लाता है जहाँ पर सबसे पहले उसके बोरो को खोलकर नमूना लिया जाता है। अलसी की बिक्री तीन प्रकार से होती है।

- समझौते द्वारा
- नीलाम द्वारा

➤ छिपे तौर पर (कपडे के नीचे उँगलियो से)

बिक्री या तो उसी दिन कर दी जाती है या भविष्य में करने के लिए आढतियों के पास छोड़ दी जाती है। यदि किसान को धन की आवश्यकता होती है तो आढतिया के द्वारा उपज के मूल्य के ७५ प्रतिशत तक ऋण दे दिया जाता है। जिस पर ७ से १० ३ प्रतिशत तक ब्याज ली जाती है। भविष्य में बिक्री आढतिया द्वारा की जाती है।¹⁸

वर्गीकरण व प्रमाणीकरण :-

अलसी का वर्गीकरण आकार पर आधारित है - पहला बड़ा व दूसरा - छोटा ।

इसमें रंग का इतना महत्व नहीं है। भारत में अधिकतर अलसी भूरे रंग की होती है। लेकिन कुछ सफेद व पीले रंग की भी होती है। जबकि राजस्थान व मध्य प्रदेश में सफेद व पीले रंग की उपज होती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से किस्म तीन प्रकार की होती है।¹⁹

- ✓ मुम्बई बडा
- ✓ कोलकाता बडा
- ✓ कोलकाता छोटा

यह वर्गीकरण निर्यात के लिए काम में आता है। देश में तो बड़े व छोटे का ही वर्गीकरण माना जाता है।

वित्त प्रबन्ध :- अलसी उत्पादको का सामान्य तौर से गाँव के बनियो, घूमता-फिरता व्यापारी, थोक व्यापारी या अढतिया, मिलो के प्रतिनिधि, सहकारी समितियो, बैंकों से व्यक्तिगत जमानत पर ऋण प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त तिलहन बोने वाले कृषको को प्राय उर्वरक एव कृषि रक्षा उपचार हेतु सहकारिता विभाग से ऋण वितरित किया जाता है।

¹⁸ शर्मा एवं जैन, बाजार व्यवस्था १९९० पृष्ठ संख्या २२२, २२३ ।

¹⁹ शर्मा एवं जैन, बाजार व्यवस्था १९९० पृष्ठ संख्या २२३ ।

स्पष्ट है कि कृषको के अन्य साख श्रोतो के अतिरिक्त सरकार द्वारा अलसी उत्पादको को विशेष रूप से अलग से साख एव अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था भी है।

विपणन खर्च :- जैसा कि प्रस्तुत अध्याय मे ही इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि प्रत्येक वस्तु को उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचने मे अनेक मध्यस्थो से होकर गुजरना पड़ता है। जिससे उपज के मूल्य मे कई विपणन खर्च सम्मिलित होते रहते हैं। परिणामस्वरूप उत्पादक एव उपभोक्ता मूल्य मे भारी अन्तराल उत्पन्न हो जाता है।

अत अलसी के विपणन मे उत्पादक, फुटकर व्यापारी एव थोक व्यापारी द्वारा किये जाने वाले मडी खर्च की दर का विवरण दिया गया है। इसमे तहबाजारी धर्मादा आदि खर्चों को नहीं दिखाया गया है। क्योंकि अब यदि कही धर्मादा, गोशाला आदि की वसूली होती भी है तो वह चोरी-छिपे होती है, इन खर्चों को लेना अवैध माना गया है।

इस प्रकार से स्पष्ट है कि उत्पादक द्वारा चुगी, नमूना, कर्दा, दलाली का खर्च मुख्य रूप से दिया जाता है। कहीं-कहीं पल्लेदारी भी किसान से ली जाती है, लेकिन वसूली विक्रय से पूर्व की क्रियाओ पर ही होती है, जब उत्पादक अपना माल किसी दलाल के मार्फत बेचता है तभी उसे दलाली देनी पड़ती है। नमूना तो बिक्री हेतु लेना आवश्यक प्रतीत होता है, इसमे किसान को कोई विशेष आपत्ति भी नहीं रहती है। कर्दा, दाना, क्षति आदि मे लगभग १ से १ ५ कि०ग्रा० प्रति गाड़ी तक उपज का भाग चला जाता है।²⁰

इसी प्रकार फुटकर व्यापारी एव थोक व्यापारी द्वारा विपणन खर्च किये जाते हैं। फुटकर व्यापारी एव थोक व्यापारी द्वारा किए जाने वाले मडी खर्चों मे स्पष्ट अन्तर कर पाना कुछ कठिन है क्योंकि थोक व्यापारी अपनी सभी खर्चों को उपज के मूल्य मे जोड़ देता है ओर वह फुटकर व्यापारी से वसूल लेता है और कभी-कभी वह जब इन खर्चों को उपज के मूल्य में नहीं जोड़ता है तो वह अलग से इन खर्चों की वसूली करता है। फुटकर व्यापारी द्वारा यातायात व्यय १० रू० प्रति क्विंटल, चुगी ३ रू० प्रति क्विंटल, कमीशन १ ५० प्रतिशत, दलाली ५० पैसा प्रति सैकड़ा, तौलाई ५० पैसा प्रति क्विंटल, पल्लेदारी ५० पैसा प्रति बोरा

²⁰ स्वत. गणना पर आधारित ।

की दर से वहन किया जाता है। इसी प्रकार यातायात व्यय १० रू० प्रति क्विंटल, दलाली ५० पैसा प्रति बोरा, मडी शुल्क १ प्रतिशत, प्रतिस्थापना खर्च १ रू० प्रति क्विंटल एवं बिक्री ५ प्रतिशत थोक व्यापारी को खर्च करना पड़ता है।²¹

एक बात यह भी उल्लेख कर देना उपर्युक्त समझता हूँ कि ये सारे मडी खर्चे भले ही थोक व्यापारी एव फुटकर व्यापारी द्वारा दिये जाते हैं लेकिन अन्त में यह सभी खर्चे इनके द्वारा उपभोक्ता पर स्थानान्तरित कर दिये जाते हैं, जिससे उपभोक्ता मूल्य में वृद्धि हो जाती है। मात्र उत्पादक को अपनी जेब से मडी खर्च करना पड़ता है, इसलिए उत्पादक को प्राप्त मूल्य और उपभोक्ता द्वारा दिए जाने वाले मूल्य में पर्याप्त अन्तर आ जाता है।

मूँगफली का विपणन

परिचय :- मूँगफली शिम्ब परिवार का सदस्य है। इस पौधे की जड़ों में ग्रन्थियाँ होती हैं जिनमें अनेक जीवाणु पाये जाते हैं जो कि वायुमण्डल से नाइट्रोजन लेकर भूमि में यौगिकरण करते हैं जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। इस प्रकार मूँगफली हमारे देश की अत्यन्त ही महत्वपूर्ण तिलहन की फसल है जिसका तेल वनस्पति घी के निर्माण में तथा खाने के लिए बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। मूँगफली को भूनकर उसके दानों को चबाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मूँगफली की खली को पशुओं को खिलाने के लिए तथा खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है।

“ब्राजील देश मूँगफली का जन्म-स्थान कहा जाता है। हमारे देश में मूँगफली के खेती को अभी २०० वर्ष भी नहीं बीते। लेकिन आज हमारा देश, मूँगफली उगाने वाले देशों में सबसे आगे है और मूँगफली के समस्त उत्पादन में ४० प्रतिशत का भागीदार है। हमारे देश के अतिरिक्त मूँगफली की खेती चीन, पश्चिमी अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, वेस्टइण्डीज, जापान, बर्मा तथा आस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर होता है। हमारे देश में गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मद्रास राज्य में मूँगफली की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल

²¹ स्वतः गणना पर आधारित ।

मे होती है।²²

उत्तर प्रदेश में मूँगफली का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता :-

हमारे प्रदेश में प्रायः सर्वत्र ही मूँगफली की खेती की जाती है। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही दृष्टियों से लखनऊ मडल मूँगफली की खेती में सबसे आगे है। उसके बाद रूहेलखण्ड का स्थान आता है। उ०प्र० में हरदोई जिले में मूँगफली की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है। तत्पश्चात् क्रमशः बढ़ाऊँ, सीतापुर, मुरादाबाद, बरेली, फर्रूखाबाद और एटा का नम्बर आता है। अधिक क्षेत्र में मूँगफली उगाने वाले अन्य जिले क्रमशः उन्नाव, खेरी, बिजनौर, शाहजहाँपुर, मैनपुरी और सहारनपुर हैं।²³

अतः मूँगफली का क्षेत्रफल वर्ष १९९२-९३ में घटा है और कुल उत्पादन एवं उत्पादकता में भी ह्रास हुआ है। इसका प्रमुख कारण सफेद गिडार का प्रकोप रहा है, जिससे मूँगफली की खेती को भारी क्षति हुई है। इसे दूर करने के लिए एवं अच्छी पैदावार करने के लिए सरकार (उ०प्र०) द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है।²⁴

क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों दृष्टियों से लखनऊ मडल में मूँगफली की खेती सबसे अधिक होती है। लखनऊ मडल के हरदोई जिले में सबसे अधिक क्षेत्रफल में मूँगफली की खेती होती है।

बाजार के लिए तैयारी :- कटाई (हारवेस्टिंग) के पश्चात् मूँगफली को सुखाया जाता है जिससे अतिरिक्त नमी दूर की जाती है। १० से १२ प्रतिशत तक आमतौर पर बीजों में नमी होती है। यदि इससे अधिक नमी है तो धूप में अथवा ड्राइंग मशीनों पर सुखा कर अतिरिक्त नमी को निकाल दिया जाता है। ड्राइंग मशीन उत्तर प्रदेश में नहीं है। यदि मूँगफली में नमी रह गई तो मूँगफली के खराब हो जाने की संभावना रहती है। इसके पश्चात् मूँगफली से धूल, मिट्टी, डठल, खर-पतवार अलग किया जाता है। पुनः मूँगफली आकार, और भार के आधार पर वर्गीकृत कर दी जाती है।²⁵ किसान अपनी फसले मूँगफली के रूप में ही बेचता है

²² रिपोर्ट ऑन दि मार्केटिंग ऑफ ग्राउन्डनट इन इंडिया १९९३ ।

²³ कृषि निदेशालय, कृषि भवन, उ०प्र० लखनऊ ।

²⁴ खरीफ अभियान (खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम) १९९१-९२ ।

²⁵ कृषि निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित ।

जबकि व्यापारी मूँगफली पर से छिलका उतार कर दानो के रूप में ही बेचता है। छिलका उतारने का कार्य मूँगफली को लकड़ी से पीट कर अथवा मशीन द्वारा अलग किया जाता है। मशीन द्वारा दाना निकालना अधिक अच्छा होता है क्योंकि इसमें दाना कम टूटता है।²⁶

एकत्रीकरण :- किसान अपनी उपज व उपयोग सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद बाकी उत्पत्ति गाँव में या पास के बाजारों में बेचता है। मूँगफली के एकत्रीकरण में उत्पादक वर्ग, गाँव का बनिया, घूमता फिरता व्यापारी, थोक व्यापारी, मिलों के प्रतिनिधियों का महत्वपूर्ण भाग रहता है।

अतः पूरे देश में मूँगफली के एकत्रीकरण में उत्पादक का भाग सर्वाधिक है। ऐसा इसलिए है कि अधिकांश किसानों के द्वारा उपज को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोक लिए जाने के उपरान्त बाकी अधिक्य को वह या तो स्वयं हाट, मंडियों, थोक व्यापारियों के हाथों ले जाकर बेच देते हैं या गाँव में ही व्यापारियों, तेलियों, गाँव के बनियों, थोक व्यापारियों व तेल बेचने वाले प्रतिनिधियों के हाथ बेच देते हैं। अधिकांश किसान हाटों में छोटी-छोटी मात्राओं में लाकर बेचते हैं जहाँ व्यापारियों व तेलियों द्वारा यह उपज खरीदी जाती है।

अतः मूँगफली की किसान द्वारा विभिन्न वर्गों को की गई बिक्री विवरण दिया गया है। विभिन्न जोत वर्ग के किसानों द्वारा की जाने वाली बिक्री में कुछ अन्तर है। यह इनकी आर्थिक स्थिति एवं विपणन सुविधा में अन्तर के कारण है। छोटे कृषकों द्वारा की गई बिक्री का विवरण इस प्रकार है, सीधे मंडी को ४५ ६५ प्रतिशत, गाँव के व्यापारी को २० ३६ प्रतिशत, घूमते-फिरते व्यापारी को १६ ९५ प्रतिशत, थोक व्यापारी को ५ ९३ प्रतिशत, सहकारी समिति को ० २८ प्रतिशत, मिल के प्रतिनिधि को १० ८९ प्रतिशत है।²⁷

मध्यम जोत वर्ग के किसानों की बिक्री का विवरण इस प्रकार है सीधे मण्डी को ४९ ५० प्रतिशत, गाँव के व्यापारी को १५ ७९ प्रतिशत, घूमता-फिरता व्यापारी को १३ ३९ प्रतिशत, थोक व्यापारी को ११ ४४ प्रतिशत, सहकारी समिति को १ १३ प्रतिशत मिल के प्रतिनिधि को १२ ७५ प्रतिशत।

²⁶ गुप्ता ए०पी०. भारत में विपणन के सिद्धांत एवं व्यवहार, उ०प्र० हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ १९९७ पृष्ठ संख्या १९० ।

²⁷ वही, उ०प्र० हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, लखनऊ १९९७ पृष्ठ संख्या १९०।

१० एकड से ऊपर वाले किसानों की बिक्री का विवरण इस प्रकार है। सीधे मंडी को ६० ०० प्रतिशत, गाँव के व्यापारी को ८३५ प्रतिशत, घूमता-फिरता व्यापारी को ४११ प्रतिशत, थोक व्यापारी को १३२१ प्रतिशत, सहकारी समिति को ०.९७ प्रतिशत मिल के प्रतिनिधि को १३३६ प्रतिशत है।

इस प्रकार औसत बिक्री का विवरण इस प्रकार है :- उत्पादक द्वारा सीधे मंडी को ५११७ प्रतिशत, गाँव के व्यापारी को १४८३ प्रतिशत, घूमता-फिरता व्यापारी को ११४८ प्रतिशत, थोक व्यापारी को १०१९ प्रतिशत, सहकारी समिति को ०.९७ प्रतिशत, मिल के प्रतिनिधि को १२३६ प्रतिशत है।

अतः वितरण मार्ग उत्पादक से उपभोक्ता तक एवं दूसरा वितरण मार्ग उत्पादक से मिल तक का दिखाया गया है। किसानों द्वारा विभिन्न मार्गों द्वारा किए गए सर्वे से पता चल रहा है कि किसान अपनी उपज का अधिकांश भाग लगभग ५० प्रतिशत स्वयं मंडी को ले जाते हैं एवं मंडी से उसका वितरण अन्यत्र होता है। शेष उपज का लगभग १४.८३ प्रतिशत भाग मिल के प्रतिनिधि को और ०.९७ प्रतिशत भाग सहकारी समितियों को बेच रहा है। इस प्रकार किसान अपनी उपज का अधिकांश भाग निम्न वितरण मार्ग से बेच रहे हैं -

उक्त विक्रय मार्ग में किसान अपने कृषि पदार्थ को मंडी में ले जाता है और प्रायः दलालों और आढ़तियों के माध्यम से बेच देता है। इन एकत्रित कृषि पदार्थों को थोक व्यापारी, प्रायः फुटकर व्यापारी को बेच देते हैं। अन्ततः फुटकर व्यापारी के यहाँ से अंतिम उपभोक्ता अपनी आवश्यकतानुसार खरीद करते हैं।

वर्गीकरण :- मूँगफली का वर्गीकरण कृषको द्वारा आम तौर पर मूँगफली में दानों की संख्या के आधार पर किया जाता है। इसे एक दाना, दो दाना और तीन दाना वाली मूँगफली के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। व्यापारी वर्ग द्वारा मूँगफली का वर्गीकरण मूँगफली में दाने के प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। इसकी विधि यह है कि १०० ग्राम मूँगफली किसी ढेर से नमूने के रूप में लेकर उसके दाने छीलकर अलग कर लेते हैं और उसे तौलते हैं वजन ही प्रतिशत हो जाता है। प्रतिशत कम होने पर दर घटती है प्रतिशत अधिक होने

पर दर बढ़ती है। और आमतौर पर एक बोरे में सूखी मूँगफली ३२ कि०ग्रा० तक आती है।²⁸

वित्त प्रबन्धन :- किसानों को परम्परागत एवं संस्थागत स्रोतों के साथ सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। मूँगफली उत्पादकों को भी इन स्रोतों से तो वित्त सुविधाएँ प्राप्त होती ही हैं, इसके अतिरिक्त मूँगफली उत्पादन के विकास हेतु सरकार द्वारा सहायता राशि अलग से भी उपलब्ध करायी जाती है। तिलहन बोने वाले किसानों को तिलहन फसल में उर्वरक एवं कृषि रक्षा उपचार अपनाने हेतु सहकारिता विभाग द्वारा इन फसलों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।²⁹ जिसका विस्तृत विवरण इसी अध्याय में “ उत्तर प्रदेश में तिलहनी फसलों का विस्तृत विवरण ” के “ वित्त प्रबन्ध ” शीर्षक के अन्तर्गत दिया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत वर्ष १९८४-८५ में तिलहन उत्पादन को बढ़ाने हेतु कृषकों को अनुदान राशि दी गयी थी।

अतः मूँगफली उत्पादक किसानों को संस्थागत एवं निजी स्रोतों के अतिरिक्त समय-समय पर सरकार एवं सहकारिता विभाग द्वारा अलग से साथ सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं।

प्रस्तुत अध्याय में सामान्य तिलहनों एवं अलसी और मूँगफली की विपणन सम्बन्धी क्रियाओं का संक्षिप्त अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। चूँकि प्रदेश में कमोवेश मात्रा में सभी तिलहनों की खेती होती है। अतः सबका अलग-अलग अध्ययन करना न तो संभव ही रहा और न अध्ययन की दृष्टि से आवश्यक ही था, इसके अतिरिक्त सभी तिलहनों की विपणन क्रियाएँ लगभग एक समान होती हैं। अतएव प्रदेश में सर्वाधिक पैदा होने वाली तिलहनी फसल सरसों का प्रतिनिधि तिलहनी फसल के रूप में चुनाव किया गया है जिसके विपणन सम्बन्धी समस्त क्रियाओं का अध्ययन पाँचवा अध्याय में विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया है।

²⁸ शुक्ला आर०पी० सहायक कृषि विपणन अधिकारी (मुख्यालय) कृषि विपणन निदेशालय कृषि भवन, उ०प्र०, लखनऊ से एक साक्षात्कार पर आधारित ।

²⁹ तिलहन उत्पादन कार्यक्रम १९९१-९२, कृषि निदेशालय, उ०प्र० (कपास एवं तिलहन अनुभाग) लखनऊ, पृष्ठ संख्या १३ ।

पंचम अध्याय

उत्तर प्रदेश में सरसों एवं सरसों तेल का विपणन

लाही व सरसों :-

भारत में तेल निकालने वाले बीजों में उत्पादन की दृष्टि से लाही व सरसों का स्थान मूँगफली के बाद दूसरा है। इसकी खेती पूरे देश में लगभग १८६५.४५ हजार हेक्टेयर भूमि में होती है और पूरे देश का कुल उत्पादन लगभग ५५५ ७५ हजार मैट्रिक टन है।¹ जैसा कि पिछले अध्याय में इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि तिलहन हमारे देश की मुख्य नगदी/औद्योगिक फसल है जिसका हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है।

तिलहन हमारे प्रदेश की भी प्रमुख नगदी/औद्योगिक फसल है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल तिलहन उत्पादन का २५ प्रतिशत भाग का उत्पादन होता है।² लाही सरसों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का ४८.६६ प्रतिशत है। वर्ष १९९१-९२ में पूरे देश का लाही सरसों का उत्पादन ५८३ ८९ हजार मैट्रिक टन रहा था जिसमें १८८ २० हजार मैट्रिक टन उत्पादन केवल उत्तर प्रदेश का था।³ क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूरे देश के लाही सरसों के उत्पादन क्षेत्र का ३८ ७५ प्रतिशत भाग केवल उत्तर प्रदेश में ही है। इस प्रकार लाही सरसों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से पूरे देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है।⁴

¹ उ०प्र० में कृषि ऑकडे, फरवरी, १९९४ पृष्ठ संख्या १२५ ।

² तिलहन उत्पादन कार्यक्रम वर्ष १९९१-९२ कृषि निदेशालय, उ०प्र० (कपास एवं तिलहन अनुभाग) लखनऊ पृष्ठ संख्या १ ।

³ वही, पृष्ठ संख्या १ ।

⁴ वही, पृष्ठ संख्या १ ।

अतः आगरा मंडल सरसों के क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों दृष्टियों से उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है। तत्पश्चात् इलाहाबाद मंडल, लखनऊ मंडल और फैजाबाद मंडल का स्थान आता है। आगरा जनपद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादन करने वाला जनपद है। वर्ष १९९१-९२ में इस जनपद में सरसों का कुल क्षेत्रफल ८९५८५ हेक्टेयर एवं कुल उत्पादन ७२६४७५ मेट्रिक टन था। इसके बाद क्रमशः कानपुर, मथुरा, इटावा, मैनपुरी, खीरी, फर्रुखाबाद जनपदों का स्थान आता है।⁵


उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के क्षेत्रफल, औसत उपज तथा उत्पादन के आँकड़े निम्न हैं।

फसल - लाही-सरसों

वर्ष - 1999-2000

1.


जिला	योग	निर्धारित	विश्लेषित	औसत/उपज (कु०/हे०)	उत्पादन (मी०टन)
फतेहपुर	13670	50	46	8.94	12221
इलाहाबाद	1810	10	10	5.99	906
कौशाम्बी	1037	---	---	5.00	519
प्रतापगढ़	1970	10	8	5.00	986
इलाहाबाद मण्डल	18487	70	64	23.94	14632



⁵ उ०प्र० के कृषि आँकड़े १९९१-९२ पृष्ठ संख्या १२५।


2.

जिला	योग	निर्धारित	विश्लेषित	औसत/उपज (क०/हे०)	उत्पादन (मी०टन)
वाराणसी	571	-----	-----	7.46	426
चन्दौली	371	-----	-----	7.46	277
गाजीपुर	767	-----	-----	7.46	572
जौनपुर	2193	10	4	7.46	1637
वाराणसी मण्डल	3902	10	4	7.46	2912




3.

जिला	योग	निर्धारित	विश्लेषित	औसत/उपज (क०/हे०)	उत्पादन (मी०टन)
मिर्जापुर	3414	10	8	3.82	1304
सोनभद्र	5009	20	20	3.82	1913
सन्त रविदास नगर	116	-----	-----	3.82	44
मिर्जापुर मण्डल	8539	30	28	3.82	3261




4.

जिला	योग	निर्धारित	विश्लेषित	औसत/उपज (कु०/हे०)	उत्पादन (मी०टन)
झाँसी	4282	20	20	8.03	3439
ललितपुर	990	---	---	8.03	795
जालौन	7688	20	18	8.03	6175
झाँसी मण्डल	12960	40	38	8.03	10408



5.

जिला	योग	निर्धारित	विश्लेषित	औसत/उपज (कु०/हे०)	उत्पादन (मी०टन)
बरेली	14547	20	18	7.27	10576
बदायूँ	16545	80	70	9.47	15676
शाहजहाँपुर	15213	50	50	8.23	12519
पीलीभीत	4684	20	20	7.27	3406
बरेली मण्डल	50989	170	158	8.27	42177



स्रोत :- तिलहन उत्पादन कार्यक्रम वर्ष 1999-2000, कृषि निदेशालय, उ० प्र० (कपास

एवं तिलहन अनुभाग) लखनऊ


उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के क्षेत्रफल, औसत उपज तथा उत्पादन के आँकड़े निम्न हैं।

फसल - ज्वारी-सरसों

वर्ष - 2000-2001

1.


जिला	योग	निर्धारित	विश्लेषित	औसत/उपज (कु०/हे०)	उत्पादन (मी०टन)
फतेहपुर	13757	50	38	7.42	10295
इलाहाबाद	1780	-----	-----	7.42	1320
कौशाम्बी	1618	-----	-----	7.42	948
प्रतापगढ़	1279	-----	-----	7.42	1200
इलाहाबाद मण्डल	18434	50	38	7.42	13763



2.


जिला	योग	निर्धारित	विश्लेषित	औसत/उपज (कु०/हे०)	उत्पादन (मी०टन)
वाराणसी	579	-----	-----	9.94	575
चन्दौली	433	-----	-----	9.94	430

गाजीपुर	560	-----	-----	9.94	557
जौनपुर	2173	-----	-----	9.94	2159
वाराणसी मण्डल	3745	-----	-----	9.94	3721




3.

जिला	योग	निर्धारित	विश्लेषित	औसत/उपज (कु०/हे०)	उत्पादन (मी०टन)
मिर्जापुर	2867	-----	-----	2.92	836
सोनभद्र	4124	20	20	2.92	1202
सन्त रविदास नगर	177	-----	-----	2.92	52
मिर्जापुर मण्डल	7168	20	20	2.92	2090




4.

जिला	योग	निर्धारित	विश्लेषित	औसत/उपज (कु०/हे०)	उत्पादन (मी०टन)
झाँसी	5443	20	20	4.83	2629
ललितपुर	823	---	---	4.83	397
जालौन	6200	20	20	4.83	2995
झाँसी मण्डल	12466	40	40	4.83	6021



5.

जिला	योग	निर्धारित	विश्लेषित	औसत/उपज (कु०/हे०)	उत्पादन (मी०टन)
बरेली	17481	40	36	7.17	13582
बदायूँ	11942	70	68	8.30	9908
शाहजहाँपुर	9255	30	30	7.95	7357
पीलीभीत	6204	20	20	6.67	4140
बरेली मण्डल	44882	160	154	7.50	34987



स्रोत :- तिलहन उत्पादन कार्यक्रम वर्ष 2000-2001, कृषि निदेशालय, उ० प्र० (कपास

एवं तिलहन अनुभाग), लखनऊ

उत्तर प्रदेश में तिलहन उत्पादन के अन्तर्गत वर्ष २००१-२००२ के आच्छादन, उत्पादन, उत्पादकता के लक्ष्य

फसल का नाम - राई / सरसों

आच्छादन - है०

उत्पादन - मै० टन

उत्पादकता - कु०/है०

वर्ष :- 2001-2002 (लक्ष्य)


क्र०सं०	जनपद का नाम	आच्छादन	उत्पादन	उत्पादकता
1	सहारनपुर	6000	7800	13.00
2	मुजफ्फरनगर	6000	7800	13.00
	सहारनपुर मण्डल	12000	15600	13.00
3	मेरठ	6500	8450	13.00
4	बागपत	3000	3900	13.00
5	गाजियाबाद	6000	7800	13.00
6	गौतमबुद्ध नगर	1500	1950	13.00
7	बुलन्दशहर	31000	40300	13.00
	मेरठ मण्डल	48000	62400	13.00
8	आगरा	150000	232500	15.50
9	अलीगढ़	55000	82500	15.00
10	हाथरस	30000	45000	15.00
11	एटा	35500	46150	13.00
12	फिरोजाबाद	41600	54080	13.00
13	मैनपुरी	25000	32500	13.00
14	मथुरा	90000	135000	15.00



	आगरा मण्डल	427	627730	14.72
15	बरेली	285000	35625	12.50
16	बदायूँ	48500	50925	10.50
17	शाहजहाँपुर	15500	16275	10.50
18	पीलीभीत	4000	4200	10.50
	बरेली मण्डल	96500	107025	11.09
19	बिजनौर	3000	3150	10.50
20	मुरादाबाद	5500	5775	10.50
21	ज्योतिबाफुले नगर	3000	3150	10.50
22	रामपुर	8500	8925	10.50
	मुरादाबाद मण्डल	20000	21000	10.50
23	फर्रुखाबाद	35500	52362	14.75
24	कन्नौज	5500	8113	14.75
25	इटवा	45000	66375	14.75
26	औरयया	2000	2950	14.75
27	कानपुर नगर	9000	11350	12.61
28	कानपुर देहात	52000	70200	13.50
	कानपुर मण्डल	149000	211350	14.10
29	इलाहाबाद	4500	5625	12.50
30	कौशाम्बी	2500	3125	12.50
31	फतेहपुर	20500	25625	12.50


32	प्रतापगढ	6500	8125	12.50
	इलाहाबाद मण्डल	3400	42500	12.50
33	झाँसी	8500	8500	10.00
34	ललितपुर	2500	2500	10.00
35	जालौन	10000	10000	10.00
	झाँसी मण्डल	21000	21000	10.00
36	हमीरपुर	3500	3500	10.00
37	महोबा	3500	3500	10.00
38	बादा	5500	5500	10.00
39	चित्रकूट	2000	2000	10.00
	चित्रकूट धाम मण्डल	14500	14500	10.00
40	वाराणसी	6500	6500	10.00
41	चन्दौली	6500	6500	10.00
42	गाजीपुर	2500	2500	10.00
43	जौनपुर	3000	3000	10.00
	वाराणसी मण्डल	16500	16500	10.00
44	मिर्जापुर	8000	7600	09.50
45	सन्त रविदास नगर	2000	1900	09.50
46	सोनभद्र	6500	6175	09.50
	मिर्जापुर मण्डल	16500	15675	09.50
47	आजमगढ	5500	5775	10.50

48	मऊ	1500	1575	10.50
49	बलिया	2000	2100	10.50
	आजमगढ मण्डल	9000	9450	10.50
50	गोरखपुर	5500	5225	09.50
51	महाराजगज	10000	9500	09.50
52	देवरिया	13000	12350	09.50
53	कुशीनगर	7500	7125	09.50
	गोरखपुर मण्डल	36000	34200	09.50
54	बस्ती	9500	9500	10.00
55	सन्त कबीर नगर	2000	2000	10.00
56	सिद्धार्थनगर	4500	4500	10.00
	बस्ती मण्डल	16000	16000	10.00
57	गोण्डा	15000	16500	11.00
58	बलरामपुर	2500	2750	11.00
59	बहराइच	10000	11000	11.00
60	श्रावस्ती	2500	2750	11.00
	देवीपाटन मण्डल	30000	33000	11.00
61	लखनऊ	7000	7700	11.00
62	उन्नाव	20000	25000	12.50
63	रायबरेली	14000	18200	13.00
64	सीतापुर	20000	22300	11.15

65	हरदोई	18000	23400	13.00
66	लखीमपुर	28000	30800	11.00
	लखनऊ मण्डल	107000	127400	11.90
67	फैजाबाद	8500	9350	11.00
68	अम्बेदकर नगर	2000	2200	11.00
69	सुल्तानपुर	5000	5500	11.00
70	बाराबकी	16000	17600	11.00
	फैजाबाद मण्डल	31500	34650	11.00
	प्रदेश योग	10,84,600	14,09,980	13.00







स्रोत :- तिलहन उत्पादन कार्यक्रम वर्ष 2001-2002 कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश,

लखनऊ

विपणन का समय :-⁶

लाही सरसो कटाई के बाद बाजार में भेजे जाते हैं। इनके विपणन का समय इनकी किस्म और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जैसे तोरिया उत्तर प्रदेश और पंजाब में अधिक होती है और इनका विपणन समय दिसम्बर से फरवरी है। राई सरसो का उ०प्र० में काटने का समय जनवरी से फरवरी है, लाही का फरवरी है, अतएव इसका विपणन समय मार्च-अप्रैल है। विपणन समय प्रभावित होता है -

- ❖ स्थानीय कारणों से जो प्राथमिक बाजारों में माल पहुँचाने को प्रभावित करते हैं।
- ❖ पूरे देश की सामान्य माँग जिससे थोक और सीमान्त बाजार प्रभावित रहते हैं।

⁶ कृषि निदेशालय उ०प्र० लखनऊ से प्राप्त ।

बाजार के लिए तैयारी :-

फसल आमतौर से दोपहर के पहले काटी जाती है जिससे गर्मी पाकर (पौधो मे से) बीज बिखर न जाये। पौधो के काटने के बाद बाध पर सुखाने के लिए ४ से १० दिन तक रखा जाता है। सूखने के बाद बैलो के पैरों से दबाकर बीज, पत्ते इत्यादि को अलग कर दिया जाता है। बौछार करके बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार से लाही व सरसो की उत्पत्ति क्रियाएँ अन्य खाद्य फसलो की उत्पत्ति क्रियाओ के समान ही है। इन सभी मे फसल काटने, बीज या दाने निकालने व साफ करने की क्रियाएँ करनी पड़ती है।

इस समय जबकि विद्युत गाँव-गाँव में उपलब्ध हो चुकी है थ्रेसिंग (दाने को भूसे से अलग करने का कार्य) मशीन द्वारा होती है। जानवरों, द्वारा दाने को अलग करने की प्रथा में सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमे दाने का क्षय अधिक होता है। इस रीति के अर्न्तगत समय अधिक नष्ट होता है। दाने को अलग करने पर भी इसके अर्न्तगत मिट्टी, धूल व अनावश्यक पदार्थ मिले रह जाते हैं। सरसो को साफ कराने के लिए मजदूरो का सहयोग लिया जाता है, ये मजदूर सूप, झरने और चलनी से सरसो मे से धूल ककड एव अन्य पदार्थो को अलग करते हैं। ३५ से ५० रू० तक प्रतिदिन की मजदूरी इन मजदूरों की होती है। इस प्रकार से सरसो की भराई, बोरबन्दी पर कुल लागत लगभग १०-१५ रू० प्रति क्विटल तक पड़ती है।⁷

नमूना लेने की विधि :-⁸

इसे सैम्पलिंग कहते हैं। इसमें पूरे बोरे में से एक मुट्टी सरसो ले ली जाती है। इस एक मुट्टी अनाज का विश्लेषण करके इसे वर्ग अथवा श्रेणी दी जाती है। इस पद्धति को मंडी में रोला कहते हैं। कभी-कभी विभिन्न बोरो मे से तीन चार मुट्टी अनाज ले लेते हैं इसका विश्लेषण करते हैं। इस पद्धति से विश्लेषण करने वालो को "पारखी" कहा जाता है।

सरसो के विश्लेषण द्वारा इसे जो वर्ग अथवा श्रेणी दी जाती है उसे प्रभावित करने वाले निम्न प्रमुख कारक होते हैं।

⁷ स्वतः सर्वेक्षण पर आधारित ।

⁸ रिपोर्ट आन द मार्केटिंग आफ रेपसीड एण्ड मस्टर्ड इन इंडिया, १९९६ पृष्ठ संख्या ५७ ।

- नमी का प्रतिशत ,
- अशुद्धता का प्रतिशत ,
- टूटे दानो का प्रतिशत ,
- अन्य दानो का प्रतिशत ,
- अन्य तिलहनो का प्रतिशत ,
- प्रतिग्राम मे बीजो की सख्या ।

यदि जिंस में नमी का प्रतिशत अधिक है, अशुद्धता है, टूटे दानो की सख्या अधिक है, अन्य दानों का प्रतिशत अधिक है, अन्य तिलहन मिले हैं, प्रतिग्राम मे बीजो की सख्या अधिक है, तो इसे खराब वर्ग दिया जायेगा। इसके विपरीत दशा मे ऊँचा वर्ग प्रदान किया जाता है।

एकत्रीकरण एवं वितरण माध्यम :-

किसान अपनी उत्पत्ति का कुछ भाग बीज के लिए एव कुछ भाग घरेलू उपयोग हेतु रखकर शेष भाग की बिक्री कर देते हैं। किसान द्वारा लाही सरसों की बिक्री प्रायः गाँव के व्यापारी, घूमता-फिरता व्यापारी, थोक व्यापारी, सीधे मंडी को एवं मिल को की जाती है। सरसों का विपणन माध्यम प्रायः वही होता है जो अन्य तिलहनो का होता है।

अतः विभिन्न जोत वर्ग के कृषक अपनी कुल उपज का औसतन १२.४४ प्रतिशत भाग स्वयं मंडी मे ले जाकर बेचता है स्वयं मंडी मे ले जाकर बेचने में बड़े किसानो का प्रतिशत भाग अधिक है, और छोटे किसानों का कम है, ऐसा इसलिए होता है कि छोटे किसानो के पास विपणन योग्य अतिरिक्त कम होता है जिसकी वजह से वह अपनी उपज को शहर या बाजार में ले जाने की अपेक्षा गाँव मे ही बेच देना उपयुक्त समझते है।

किसान अपनी उपज का सबसे बड़ा भाग औसतन ४५ प्रतिशत गाँव के बाजार के व्यापारी के हाथों बेच देता है। इसमे छोटे और बड़े तथा मध्यम किसानो का प्रतिशत भाग क्रमशः ५२.१०, ३४.०० और ४७.८३ है। इसका कारण यह होता है कि गाँव के किसान को प्रायः पैसे का अभाव बना रहता है। किसान

अब खेती को घाटे का धन्धा कहता है, इसमें सच्चाई भी है कि जितनी लागत वह लगाता है उसे उचित प्रतिफल नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि कृषि उपज के मूल्यों में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है जिस अनुपात में अन्य आवश्यक वस्तुएँ की कीमते बढ़ी हैं। अतः कृषक का अभाव ग्रस्त रहना स्वाभाविक है, इस अभाव की पूर्ति गाँव के बनिया, महाजन करते हैं। अतः किसान उन्हीं के हाथों अपनी उपज को बेचना सरल और उपयुक्त समझता है। इसमें कुछ अंश तक उसकी मजबूरी भी होती है।

मिलो के प्रतिनिधि भी गाँवों में किसानों से सम्पर्क बनाये रहते हैं और उन्हें अग्रिम के रूप में कुछ पैसे दे देते हैं और उपज तैयार होने पर उसे क्रय कर लेते हैं। कुल एकत्रीकरण में इनका प्रतिशत भाग मात्र ५-३५ ही है। गाँव की घानी में भी गाँव की लाही सरसो का लगभग १० प्रतिशत भाग चला जाता है। आज भी गाँव में परम्परागत कोल्हू, एव अब विद्युत के विकास के कारण छोटे-छोटे स्पेलर लग गये हैं जो गाँव से ही सरसो खरीद कर उसकी पेराई करते हैं।

शोक व्यापारियों का कुल एकत्रीकरण में १९-२० प्रतिशत भाग है। ये भी किसानों से सम्बन्ध बनाये रखते हैं, इनके प्रतिनिधि दलाल प्रायः गाँवों का चक्कर लगाते रहते हैं और किसान की उपज का मोल भाव करके उसे खरीद लेते हैं। इनका भी कुल एकत्रीकरण में प्रतिशत भाग पर्याप्त है। घूमते फिरते व्यापारियों का प्रतिशत भाग कुल एकत्रीकरण में औसतन ८ है। अभी सहकारी समितियों का प्रतिशत भाग कुल एकत्रीकरण में अति न्यून है।

इस एकत्रीकरण एव वितरण की प्रक्रिया में कुछ तथ्य और उल्लेखनीय हैं। जैसे घूमन्तु व्यापारी इस फसल में जो एकत्रीकरण करते हैं उसे वे एकत्रीकरण केन्द्र (मुख्य मंडी) में लाते हैं और अढतिया सरसो लाही के विपणन में महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दू होता है। कच्चा आढतिया एक उत्पादक या व्यापारी होता है जो जिसको एकत्रित करके पक्का अढतिया या तेल मिल को अथवा किसी निर्यातक के हाथों बेच देता है। पक्का आढतिया ही मुख्य संग्रहकर्ता होता है, जिसे शोक विक्रेता भी कहा जाता है। यह एक कमीशन एजेंट के रूप में कार्य करता है।

अब जब हम लाही सरसों के वितरण माध्यम पर विचार करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वितरण का कार्य पक्का अढतिया अथवा शोक विक्रेता के यहाँ से प्रारम्भ होता है। गाँव के व्यापारी, घूमता

फिरता व्यापारी, उत्पादक मिलो के प्रतिनिधि, फुटकर व्यापारी सभी अपना माल एकत्रीकरण केन्द्र पर पक्का अढ़तिया एवं थोक व्यापारी के पास बेच रहे हैं। पक्का अढ़तिया सीधे माल उपभोक्ता के पास भेजता है जब तेल मिल को लाही सरसो की आवश्यकता पड़ती है तो वह अपने प्रतिनिधि को अढ़तिया के पास भेजती है अन्यथा अढ़तिया अथवा थोक विक्रेता के मार्फत स्वयं माल क्रय करती है। इसी प्रकार निर्यातक सस्थाएँ भी दलालो के मार्फत जो आढ़तिया के ससर्ग मे रहते हैं निर्यात हेतु माल क्रय करती है। कहीं-कहीं ये सस्थाएँ क्रय करने हेतु अपने व्यापारिक सगठन बना ली है जो मुख्य मंडी से मौसम विशेष अर्थात् जब निर्यात हेतु माँग रहती है उस समय माल क्रय करती है। ध्यान रहे कि निर्यात कर्ताओं की माँग पूर्णतया मौसमी होती है।

विक्रय पद्धति :-

लाही के सरसो की मण्डियो मे बिक्री दलालो के मार्फत होती है। किसानो को मडी मे पहुँचने से पहले कुछ फ़ासले से आढ़तियो को दलाल घेर लेते हैं गाड़ी मडी मे आने पर उनके नमूने लेकर दलालो द्वारा सौदा तय किया जाता है। मूल्य, समझौते से, नीलाम से या छिपे तौर पर दलाल के माध्यम से तय होते हैं।

सौदा तय होने के उपरान्त गाड़ी माल खरीदने वाले व्यापारियों के गोदामों या हातो मे ले जाकर खड़ी कर दी जाती है जहाँ व्यापारियो के तौलो द्वारा या फसल तौल दी जाती है और किसान के माल का पर्चा अढ़तिये द्वारा बनाकर तैयार किया जाता है। इन सभी मध्यस्थों को बिक्री मूल्य में से पारिश्रमिक दिया जाता है।⁹

वर्गीकरण व प्रमाणीकरण :-

किसानों के द्वारा उपज को बेचते समय कोई वर्गीकरण नहीं किया जाता है। सिर्फ लाही व सिर्फ सरसो अधिक मूल्य पर बेचे जाते है। अक्सर किसान सरसो और लाही की खेती अन्य फसलों जैसे गेहूँ चना आदि के साथ मिश्रित रूप से करते हैं। अतः जब इसमें अन्य खाद्यान्न की मिलावट रहती है तो इसकी कीमत किसान को कम मिलती है। धूल, गर्दा की मात्रा अधिक रहने पर किसान को कम कीमत दी जाती है। इसके अतिरिक्त लाही व सरसों का वर्गीकरण उपज के स्थान आकार रंग व नमी अनुसार भी किया जाता है।

⁹ स्वतः सर्वेक्षण पर आधारित ।

जैसे पीली गुजरात, पीली कानपुर, बड़ी फिरोजपुर, बड़ी भूरी कानपुर इत्यादि। सरसो में तेल की मात्रा अधिक होती है अतः लाही के मुकाबले में अधिक मूल्य में बेची जाती है। लाही व सरसो की बिक्री विभिन्न स्थानों पर स्थानीय नामों के स्थान पर होती है। जिसमें सरसो, राई, व तोरिया प्रमुख हैं।

कृषि पदार्थों के श्रेणीकरण का प्रयास सबसे पहले सन् १९३७ में किया गया जब कि भारत सरकार ने कृषि उपज (श्रेणीकरण व चिन्हन) अधिनियम पास किया था। इस अधिनियम के बन जाने से भारत सरकार को प्रमाप व वर्ग स्थापित करने का अधिकार मिल गया। इस समय इस अधिनियम के प्राविधानों के अधिन कृषि एवं पशुजन्य उत्पादों का विश्लेषण, वर्गीकरण पैकिंग एवं चिन्हांकन का कार्य प्रदेश में कार्यरत ५ एगमार्क वर्गीकरण प्रयोगशालाओं के द्वारा किया जा रहा है। यह प्रयोगशालाएँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ, हल्द्वानी, मेरठ, आगरा एवं वाराणसी में स्थित हैं। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से खाद्य तेलों, मसालों, घी, मक्खन, शुद्ध शहद आदि का वर्गीकरण किया जाता है।¹⁰

वित्त प्रबंधन :-

कृषकों को सस्थागत एवं निजी स्रोतों से ऋण प्राप्त होते हैं। निजी स्रोतों में मुख्यतः बड़े किसान महाजन, साहूकार आड़तिया आदि आते हैं। सस्थागत स्रोतों में सरकार सहकारी समितियाँ एवं बैंक प्रमुख हैं। इन स्रोतों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में तिलहन विकास योजना (आयोजनागत) के अन्तर्गत प्रदर्शनों पर अनुदान कृषकों को कृषि निवेश के रूप में दिया जाता है। राई सरसो हेतु यह राशि ५.५००० प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गयी है।¹¹ प्रदेश में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु तिलहन की फसल में उर्वरक एवं कृषि रक्षा उपचार हेतु कृषकों को सहकारिता विभाग द्वारा ऋण वितरण किया जाता है।

राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत वर्ष १९८४-८५ में राई सरसों की विशेष योजना हेतु अनुदान प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

गोरखपुर प्रखण्ड में किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार कृषकों को प्राप्त होने वाले ऋणों से विभिन्न सस्थाओं का भाग इस प्रकार रहा है। बड़े किसान तथा कृषक महाजन ३२.२० प्रतिशत बनिया एवं

¹⁰ प्रगति के बारह वर्ष १९९५, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उ०प्र० लखनऊ, द्वारा प्रकाशित, पृ०स० १४ ।

¹¹ तिलहन उत्पादन कार्यक्रम १९९१-९२ कृषि निदेशालय उ०प्र० पृष्ठ संख्या ३३ ।

मध्यस्थ २३ ४७ प्रतिशत सरकार एव बैंक ५ ४७ प्रतिशत सहकारी समितियाँ ३०.०६ प्रतिशत, अन्य ८ ८ प्रतिशत।¹²

विपणन हेतु बनियो को भी ऋण की आवश्यकता होती है। चूँकि बनियो मे इन्तजार करने कं शक्ति भी अधिक होती है, अत अधिक लाभ कमाने की आशा मे वह कृषि पदार्थों को सग्रहीत भी कर लेते हैं। अत किसानो से खरीदे गये कृषि पदार्थों के मूल्यो का भुगतान करने के लिए एवं अन्य आवश्यकताओ के लिए यदि पैसे की आवश्यकता पडती है तो वे अल्पकालीन ऋणो से अपना काम चला लेते है, लेकिन बनिया प्राय अपनी रकम अधिक दिनो तक फँसा कर रखना नहीं पसन्द करता है। उनका प्रयास होता है कि वे अपनी पूँजी से कई बार खरीद बिक्री करके कुल लाभ को अधिकतम किया जाये। बनियो को ऋण प्राय थोक व्यापारी, अढतिया, मडी के फुटकर व्यापारी व बैंको से प्राप्त होता है। अढतिये बनियो को ऋण प्राय उनकी साख के आधार पर देते है। अढतिये दिये गये धनराशि का सरखत बनियो से लिखवा लेते है। बनियो को इस ऋण का औसतन एक प्रतिशत माहवारी ब्याज देना पडता है। अढतिये और थोक व्यापारी को यदि ऋण की आवश्यकता होती है तो ये प्राय बैंक से ऋण प्राप्त करते है। बैंक उनके बिक्री कर के आधार पर पूँजी का पता लगा लेते है और इस पूँजी का ६० प्रतिशत तक ही ऋण के रूप में देते है। इसके अतिरिक्त ये व्यापारी बड़े-बड़े थोक व्यापारियों से भी ऋण प्राप्त करते है। इनसे साख प्राप्त करने के लिए इनको सरखत लिखना पडता है। अढतियो को ऋण तेल निकालने वाली मिलो द्वारा भी दिये जाते है।¹³

विपणन लागत :-

प्रत्येक वस्तु का उत्पादन उसकी अतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिये किया जाता है और उसे अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचने में कई माध्यमो से होकर गुजरना पडता है। जैसे - फुटकर व्यापारी, गाँव का व्यापारी, घुमन्तु व्यापारी, थोक विक्रेता आढतिया दलाल आदि। इन मध्यस्थो की सेवाओ का उपयोग उत्पादन को अतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने मे

¹² हरिद्वार, गोरखपुर प्रखण्ड मे कृषि पदार्थों का विपणन अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, पृष्ठ सख्या १८९ ।

¹³ स्वत सर्वेक्षण पर आधारित ।

पडता है। इस प्रकार से मंडी में अनेक विपणन कार्यकर्ता होते हैं जो कृषि पदार्थों की क्रय-विक्रय की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मदद करते हैं।¹⁴

इस प्रकार उत्पादक से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक अनेक विपणन सम्बन्धी खर्चे उपज की कीमत में सम्मिलित होते रहते हैं। जिसके परिणाम - स्वरूप किसान द्वारा प्राप्त की गयी कीमत तथा अंतिम उपभोक्ता द्वारा दी गयी कीमत में भारी अन्तराल उत्पन्न हो जाता है। प्रस्तुत अध्याय में लाही सरसो की विपणन लागत का अध्ययन उपभोक्ता मूल्य और उत्पादक मूल्य में अन्तर को लेकर किया गया है, गणना की सुविधा को ध्यान में रखकर यह मान लिया गया है कि प्रति टन उपज का औसत १० कि०मी० की दूरी तक विपणन किया जा रहा है।

आज भी दलाली, पल्लेदारी, कर्दा नमूना जैसे कुछ अवैध खर्चे मण्डियों में लिये जाते हैं। यह खर्च लेना दण्डनीय अपराध है। मण्डी समिति अधिनियम १९६४ की धारा (३७) के अनुसार ऐसे किसी व्यापारी या कर्मचारी या आढ़तिया अगर निर्धारित शुल्क एवं कमीशन से अतिरिक्त कुछ भी किसान से वसूलते हैं तो उसे दण्डनीय अपराध माना जाएगा और उनके लाइसेंस रद्द किये जा सकते हैं।

मण्डियों के नियमन के बाद मण्डी अधिनियम १९६४ के अनुसार सभी व्यापारिक परिव्यय क्रेता को देने होंगे ऐसा निर्दिष्ट किया गया है।¹⁵ प्रतिबन्ध यह है कि नीलाम के पूर्व तौलाई या मापने अथवा सम्भालने के परिव्यय यदि कोई हो, जो मण्डी समिति द्वारा अपनी उप-बधियों में निर्दिष्ट किये जाये विक्रेता द्वारा देय होंगे।

लाही सरसों के वितरण में फुटकर व्यापारी के बाजार खर्चे को दिखाया गया है। फुटकर व्यापारी का कार्य प्रायः पक्के आढ़तिये या थोक व्यापारियों से कृषि पदार्थों की खरीद करना तथा उन्हें अंतिम उपभोक्ताओं को बेचना है। ऐसे व्यापारी शहर, बड़े कस्बों या ग्रामीण बस्तियों में उपभोक्ताओं के समीप अपनी दुकाने रखते हैं। इस व्यवस्था को फुटकर मण्डी की संज्ञा दी जाती है।

¹⁴ उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम १९६४ पृष्ठ संख्या ३३ ।

¹⁵ उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम १९६४ पृष्ठ संख्या ३३ ।

फुटकर व्यापारी यदि दलाल के माध्यम से माल खरीदता है तो उसे दलाली देनी पड़ती है। अगर सीधे आढ़तिये से क्रय करता है तो कभी-कभी वह दलाली देने से बच जाता है। इसके अतिरिक्त उसे समस्त मण्डी परिव्यय जैसे मण्डी शुल्क, कमीशन या आढ़त, तौलाई पल्लेदारी आदि का भुगतान करना पड़ता है।

अतः तिलहन पर फुटकर व्यापारी देता है। ये सारे खर्च वह तिलहन के मूल्य में जोड़कर उपभोक्ता से वसूल लेता है। अथवा थोक व्यापारी ही कभी-कभी इसे मूल्य में जोड़ देता है जिसे फुटकर व्यापारी से वसूल करता है और फुटकर व्यापारी उपभोक्ता से वसूलता है।

थोक व्यापारी, उत्पादको बनियों एवं दूसरी मंडियों के थोक व्यापारियों से कृषि पदार्थों की खरीद प्रायः आढ़तियों के द्वारा करते हैं तथा भविष्य में अधिक लाभ की प्राप्ति के उद्देश्य से उनका बड़ी मात्रा में एकीकरण करते हैं। अपने यहाँ एकत्र कृषि पदार्थों को फुटकर व्यापारियों एवं दूसरी मंडियों में प्रायः आढ़तियों के द्वारा थोक व्यापारियों को बिक्री करते रहते हैं।

एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि मण्डी समिति अपनी उपविधियों में कुछ व्यापारिक परिव्यय निर्दिष्ट की है जो इन नियमों के अधीन लाइसेन्स रखने वाले किसी व्यापारी या आढ़तिया या दलाल अथवा किसी तोलक या मापक अथवा पल्लेदार द्वारा लिये या वसूल किये जा सकते हैं जो निर्धारित है, ये निम्न हैं।¹⁶

✓ कमीशन	१.५० प्रतिशत
✓ दलाली	०.५० प्रतिशत
✓ तौलाई	०.१५ पैसा प्रति कुन्तल
✓ पल्लेदारी	०.२० पैसा प्रति कुन्तल

उपर्युक्त सभी व्यापारिक परिव्यय क्रेता को देने होंगे। इसका भी उल्लेख किया गया है। थोक विक्रेता द्वारा वहन किये जाने वाले खर्चों में मण्डी शुल्क और कमीशन के खर्चों को सम्मिलित नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि ये परिव्यय किसी एक वस्तु पर एक ही बार लिए जा सकते हैं। अधिकांशतया

¹⁶ उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम १९६४ पृष्ठ संख्या ३३ ।

अढतिया इन्हे जिस के मूल्य मे जोड़ देते है और ट्रक समेत माल बेच देते है और यदि कभी इन्हे अलग से वसूलते है तो थोक विक्रेता इन खर्चों को जिस के मूल्य मे जोड़ देता है और उसे फुटकर विक्रेता से वसूल कर लेता है। अन्तत मण्डी शुल्क, कमीशन, दलाली, आढत - ये सारे परिव्यय वस्तु के मूल्य मे जुट जाते है। अत सुविधा हेतु इन्हे फुटकर विक्रेता के खर्च मे सम्मिलित किया गया है।

एक बात और ध्यान देने की है कि कृषि पदार्थों पर बिक्री कर लिए जाते है। तिलहन (अधिकाश कृषि पदार्थ कुछ को छोडकर) पर बिक्री कर दर ४ प्रतिशत है। यह प्रथम क्रेता से वसूला जाता है। मण्डी का प्रथम क्रेता कोई भी (फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी, मिल का प्रतिनिधि, उपभोक्ता) हो सकता है। अत अध्ययन सुविधा को ध्यान मे रखते हुए अन्त मे इसे उपभोक्ता मूल्य के साथ जोड दिया गया है। इसका उल्लेख इसके पूर्व इसी अध्याय मे किया जा चुका है।

थोक व्यापारी द्वारा कुल विपणन खर्च ४५० रू० प्रति टन किया गया है जिसमें यातायात व्यय १०रू० प्रति क्विंटल, दलाली ३००पैसा सैकडा, पल्लेदारी २.५०रू० प्रति क्विंटल प्रतिस्थापन खर्च १०रू० प्रति क्विंटल है। इस प्रकार थोक व्यापारी का कुल विपणन व्यय उपभोक्ता मूल्य का ७३ प्रतिशत है।

ट्रक द्वारा आगरा से मुँडेरा (इलाहाबाद) तक लाही सरसो को मँगाने में कुल विपणन लागत आगरा मे जिस के मूल्य का १६ ८६ प्रतिशत है। इसमे यातायात व्यय आढत, दलाली, पल्लेदारी, लोडिंग, अनलोडिंग, धर्मादा, गोशाला, चुगी आदि सम्मिलित है। इस प्रकार जिस के मूल्य मे परिवहन और उपभोक्ता बाजार की दूरी का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। इस प्रकार दूरी बढ़ने पर परिवहन व्यय अधिक होगा जो उपभोक्ता मूल्य में शामिल होगा। सरकारी करो की मात्रा भी उपभोक्ता मूल्य को प्रभावित करता है। बिक्री कर ४ प्रतिशत जिस के मूल्य में जोड़दिया जाता है जिसे अन्त मे उपभोक्ता को ही देना पड़ता है। मण्डी शुल्क, दलाली, आढत, चुगी आदि सारे परिव्यय उपभोक्ता मूल्य मे जोड़ दिये जाते है।

सरसों तेल का विपणन

सरसों के तेल का उपयोग :-

आधुनिक युग में सरसों के तेल की उपयोगिता अत्यधिक बढ़ चुकी है। हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व उतना ही है जितना की जल और वायु का है हमारे कहने का मतलब यह है कि खाद्य तेल (सरसों तेल) के अभाव में जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। इसकी माँग इतनी तेजी से दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इसका पता इस बात से चलता है कि इसकी कीमतों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में सरसों के तेल के निम्न प्रमुख उपयोग हैं।

- ❖ निर्यात में ,
- ❖ खाद्य तेल के रूप में ,
- ❖ शरीर में लगाने एवं मालिश करने में ;
- ❖ जलाने (लाइटिंग) में ,
- ❖ साबुन बनाने में ,
- ❖ अन्य औद्योगिक उद्देश्यों में ;

निर्यात की जाने वाली मात्रा में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं अतएव वह अस्थायी आँकड़ा है किन्तु मोटे तौर पर ऐसा अनुमान है कि निर्यात के अतिरिक्त खाद्य तेल के रूप में ९७.५ प्रतिशत, शरीर मालिश हेतु १.२ प्रतिशत, लाइटिंग उद्देश्य हेतु ०.२ प्रतिशत, साबुन उद्योग हेतु ०.२ प्रतिशत एवं अन्य औद्योगिक उद्देश्य हेतु ०.९ प्रतिशत सरसों के तेल का उपयोग होता है।¹⁷

पेराई की विधि :-

हमारे उत्तर प्रदेश में तिलहनो की पेराई विभिन्न साधनों से होती है इसमें प्रमुख साधन निम्न है।

¹⁷ रिपोर्ट आन द मार्केटिंग ऑफ रेपसीड एण्ड मस्टर्ड इन इंडिया (१९६६) पृष्ठ संख्या ९५ ।

1. **कोल्हू अथवा बैल से चलने वाली घानी :-** कोल्हू पत्थर का होता है जिसे भूमि में गड्ढा खोद कर गाड़ दिया जाता है, इसमें लकड़ी की कतरी लगी रहती है। यह बैलो द्वारा चलाया जाता है। कतरी में बैल को बाध दिया जाता है जो चक्कर लगाता रहता है। यह प्रायः एक बैल से चलता है। कहीं-कहीं दो बैल, भैंसा, ऊँट भी लगाये जाते हैं। इसमें प्रायः प्रति दिन ८ से १० घंटे तक पेराई होती है। कोल्हू गाँव में ही पाये जाते हैं और इनकी क्षमता भिन्न-भिन्न होती है। अब शक्ति चालित मशीनों के विकास से इनकी संख्या में निरन्तर कमी होती जा रही है। अब इनकी संख्या अति न्यून है।¹⁸

2. **रोटरी मिल :-** यह शक्ति चालित घानी है। यह लोहे की बनी होती है। इसमें लगभग १० कि०ग्रा० बीज एक बार पडता है और प्रति डेढ़ घंटे में १६० कि०ग्रा० तिलहन की पेराई की जाती है। ये २४ घंटे चलाये जा सकते हैं। इसकी खली में मात्र १० से १२ प्रतिशत तक तेल बचता है।¹⁹

3. **इक्सपेलर :-** यह भी शक्ति चालित मशीन है। इसमें रोलर लगे रहते हैं। जिनकी संख्या ३ से ५ तक होती है। इनकी क्षमता अलग-अलग होती है। जितने अधिक हार्स पावर का स्पेलर होगा उतना ही अधिक तेल की पेराई होगी। इक्सपेलर का प्रचलन अधिक है। इसकी खली में ७ से ८ प्रतिशत तक तेल होता है।²⁰

4. **शाल्वेन्ट प्लान्ट :-** यह अत्याधुनिक तेल रिकवरी की मशीन है। इसमें खली की पेराई होती है और मुख्य रूप से लाही सरसो और मूँगफली की खली पेरी जाती है। इसके द्वारा पेरी गई खली में मात्र ०.५ से १ प्रतिशत तक तेल रह पाता है। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या अत्यन्त न्यून है।²¹

5. **हाइड्रोलिक प्रेस :-** इसका प्रचलन बहुत कम है। यह भी शक्तिचालित मशीन है। इसमें २४ या ३२ लोहे की प्लेट लगी रहती है और ये बीजों पर प्रति वर्ग से०मी० २ से ३ टन तक का दबाव डालते हैं। यह

¹⁸ स्वतः सर्वेक्षण पर आधारित ।

¹⁹ स्वतः सर्वेक्षण पर आधारित ।

²⁰ स्वतः सर्वेक्षण पर आधारित ।

²¹ स्वतः सर्वेक्षण पर आधारित ।

ऊँचे दामों की मशीन है और इसके उपयोग में अनेक तकनीकी कठिनाइयाँ आती हैं। अतएव ये अधिक प्रचलित नहीं है।²²

इस प्रकार उपर्युक्त में तिलहन की पेराई किन साधनों द्वारा की जाती है इसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। एक बात ध्यान देने की है कि जैसे-जैसे आधुनिक साधनों का विकास हो रहा है वैसे-वैसे बैल से चलने वाले कोल्हू का निरन्तर ह्रास होता जा रहा है। जब प्रायः शक्ति चालित सयंत्रों द्वारा ही तिलहन की पेराई होती है। बैल द्वारा चलने वाले कोल्हू से पेरे जाने वाले तिलहन की मात्रा अति न्यून है।

लाही सरसों की खली में तेल का प्रतिशत भाग :-

लाही सरसों की पेराई के बाद इससे जो खली निकलती है उसमें तेल का कुछ भाग शेष रह जाता है जिसे साल्वेन्ट प्लान्ट की सहायता से अलग कर सकते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है कि लाही सरसों की पेराई विभिन्न साधनों से होती है, अतएव विभिन्न साधनों से प्राप्त खली में तेल का प्रतिशत भाग भिन्न-भिन्न होता है।

शक्ति चालित मशीनों से लाही सरसों के पेराई और उस पर पड़ने वाली लागत :-

जैसा कि इसी अध्याय में यह उल्लेख किया जा चुका है कि सरसों की पेराई के प्रमुख साधन कोल्हू (बैल से चलने वाले) वर्धाघानी शक्ति चालित रोटरी मिल, शक्ति चालित स्पेलर, हाइड्रोलिक प्रेस हैं। इनकी सरसों पेरने की क्षमता अलग-अलग है। ये कोल्हू, स्पेलर, घानी विभिन्न कम्पनियों के बनाये होते हैं। कुछ प्रमुख स्पेलर, घानी कोल्हू का उल्लेख उनकी पेराई क्षमता के अनुसार यहाँ किया जा रहा है।

यूनिवर्सल पजाब कोल्हू जिसका प्रचलन बहुत अधिक है इसके एक जोड़े कोल्हू पर ८ हार्स पावर की मोटर की आवश्यकता पड़ती है और पेराई क्षमता प्रति कोल्हू ४० कि०ग्रा० प्रति घंटा है। एक जोड़ा बगाल स्पेलर १५ से २० कि०ग्रा० तक सरसों इससे पेरी जाती है। छोटी घानी जिसे आयल पर कुल ५ हार्स पावर का मोटर लगता है और प्रति घंटा स्पेलर अथवा बेबी स्पेलर भी कहा जाता है यह एक जोड़ा तीन हार्स पावर के मोटर से चलता है और इसमें स्पेलर द्वारा एक घंटे में १५ से १७ कि०ग्रा० तक सरसों पेरी जाती है।

²² स्वतः सर्वेक्षण पर आधारित ।

यह सभी स्पेलर शक्ति चलित है। इसमें तेल घनी और स्पेलर दो किस्म की अलग-अलग मशीन होती है। घानी से तेल पेरने की लागत स्पेलर की तुलना में अधिक आती है। घानी से तेल पेरने की लागत ४०० से ४५० रू० प्रति क्विंटल तक आती है और स्पेलर से तेल पेरने की लागत २५० से ३०० रू० प्रति क्विंटल तक आती है।²³

तेल की पैकेजिंग :-

आजकल पैकेजिंग का काफी महत्व है, इसी कारण उपभोक्ताओं को बाजार में वस्तुएँ कागज के डिब्बों, सुन्दर आकार की शीशियों तथा टिन या प्लास्टिक के डिब्बों में पैक की हुई मिलती है। यही नहीं, उन पर सुन्दर व आकर्षक लेबिल, रंग-बिरंगे रंगों में लगे रहते हैं तथा उन डिब्बों पर छपा हुआ कागज लगा रहता है, जिस पर उस वस्तु के गुणों को लिखा रहता है। प्रो० डाबर के शब्दों में “ पैकेजिंग वह कला या विज्ञान है जो एक वस्तु को किसी आधान पात्र में बन्द करने या आधान पात्र को वस्तु के सद्भ्रष्टन के उपयुक्त बनाने हेतु सामग्रियों, ढाँचों और साज-सज्जा के विकास एवं प्रयोग से सम्बन्धित है। जिससे कि वस्तु वितरण की विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरते समय पूर्णरूप से सुरक्षित रहे।²⁴

भारत में पैकेजिंग, साबुन, बालों के तेल, घी, वनस्पति, दवाइयों आदि में तो बहुत पहले से रही है। तिलहन से निर्मित खाद्य तेल प्रायः खुले ही बिकते रहे हैं। इसमें कोई खास पैकेजिंग की व्यवस्था नहीं रही है। किन्तु समय परिवर्तन के साथ सरसों के तेल में भी पैकेजिंग की व्यवस्था हो गयी है।

सरसों के तेल की पैकेजिंग मुख्यतया टिन या प्लास्टिक के डिब्बों में की जाती है। पैकेजिंग में प्रायः १, २, ५, १० और १५ कि०ग्रा० के डिब्बों का ही प्रयोग किया जाता है।

पैकेजिंग मुख्यतया निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है।

- ❖ सुरक्षा
- ❖ पहचान
- ❖ सुविधा

²³ स्वतः सर्वेक्षण पर आधारित ।

²⁴ रस्टन एस० डाबर . मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेन्ट, पृष्ठ संख्या २३३ ।

❖ लाभ वृद्धि की सम्भावनाएँ

❖ विज्ञापन

सरसो के तेल की पैकेजिंग प्राय १, २, ५, १० और १५ कि०ग्रा० के टीनो मे मजदूरो की सहायता से होती है। मिल मालिक प्राय मजदूरो को दैनिक मजदूरी पर रखते हैं। कुछ बड़ी मिले ही बहुत अल्पसंख्या मे कुछ वेतन भोगी मजदूरी को स्थायी रूप से रखे हुए है। यह कार्य कुछ मिलो मे ठेके पर भी होता है यह ठेका प्राय वहीं के स्थाई मजदूर ही लेते हैं। विभिन्न बाजारों मे तेल की भराई १० रू० से १५ रू० प्रति टीना तक है। पैकेजिंग का खर्च टीने के मूल्य को सम्मिलित करने पर उपभोक्ता मूल्य मे १० ८५ प्रतिशत के लगभग है। यह व्यय केवल टीन के सादे डिब्बे में तेल को भर कर पैक करने के दिये गये हैं यदि उत्पादक अपने उत्पादन को अच्छा ब्रांड देकर उसकी अच्छी पैकेजिंग कराना चाहता है तो उसकी सजावट लेबुल, विज्ञापन, डिजाइन आदि पर अतिरिक्त व्यय करने पड़ते हैं।

सरसो से सरसो तेल बनाने मे होने वाले समस्त खर्चे एव प्राप्त तेल और खली की मात्रा का विवरण प्रस्तुत किया गया है। मिल मालिक द्वारा वहन किये जाने वाले कुल खर्चे ४१०.३७ रू० प्रति क्विटल है जिसमे सरसो की सफाई का खर्च ५० रू० प्रति क्विटल पेराई की लागत २०० रू० प्रति क्विटल प्रतिस्थापन खर्च ५० रू० प्रति क्विटल भराई, टीना, पैकेजिंग के खर्च १९०.३७ रू० प्रति क्विटल है। इस प्रकार प्रति टन सरसो पर मिल मालिक द्वारा खर्च की गयी कुल धन राशि ४०१३ ७५ रूपये है जो सरसो तेल उपभोक्ताओ मूल्य का ६० ८२ प्रतिशत है।²⁵

एक टन सरसो की पेराई करने पर ३ ३५ क्विटल तेल एव ६.६५ क्विटल खली की मात्रा प्राप्त हो रही है तथा १० कि०ग्रा० प्रति टन जलन जा रही है। वर्तमान मूल्य स्तर पर तेल का मूल्य ४००० रूपया प्रति क्विटल तथा खली का मूल्य ५५० रू० प्रति क्विटल है अतः एक टन सरसों से प्राप्त तेल और खली का सम्मिलित मूल्य १७०५७५० रूपया है। चूँकि प्रति टन सरसों पर मिल मालिक को ४०१३.७५ रू० खर्च करने पड़ रहे है। एवं प्रति टन सरसो का क्रय मूल्य १२००० रू० है।²⁶

²⁵ रस्टन एस० डाबर . माडर्न मार्केटिंग मैनेजमेन्ट, पृष्ठ संख्या २३३ ।

²⁶ रस्टन एस० डाबर . माडर्न मार्केटिंग मैनेजमेन्ट, पृष्ठ संख्या २३३ ।

उत्तर प्रदेश में सरसो तेल के वितरण के सर्द्धर्भ में मुख्यतया निम्न वितरण माध्यम को अपनाया जाता है।

निर्माता \Rightarrow थोक विक्रेता \Rightarrow फुटकर विक्रेता \Rightarrow उपभोक्ता

इस वितरण माध्यम में वस्तु थोक विक्रेता व फुटकर विक्रेता के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुँचती है। वास्तव में यह उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री करने का बहुत पुराना ढंग है और छोटे निर्माताओं के लिए बहुत उपर्युक्त वितरण माध्यम है। अध्ययनार्थ चुनी गयी मडियों के सर्वेक्षण में ऐसा पाया गया कि अनुमानत 40 से 64 प्रतिशत तक तेल की बिक्री मिल मालिक थोक विक्रेता को ही कर देते हैं और थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को करते हैं और उपभोक्ता अंत में फुटकर विक्रेता से क्रय करता है। कुछ मिले अपने माल को बेचने में प्रतिनिधि का सहारा लेती है इस तरीके को अपनाने, वस्तु निर्माता से प्रतिनिधि और प्रतिनिधि से थोक विक्रेता तक पहुँच जाती है। बहुत से स्थानों पर ऐसा पाया गया है कि फुटकर विक्रेता सीधे मिल से तेल की खरीद करते हैं और उसे उपभोक्ता के हाथों बेच देते हैं। प्रत्यक्ष बिक्री भी बहुत कुछ देखने को मिलती है। इस पद्धति में निर्माताओं द्वारा सीधी बिक्री उपभोक्ताओं को की जाती है यह बिक्री अपनी दुकानों से या स्वयं के विक्रय कर्ताओं के माध्यम से होती है। प्रत्यक्ष तरीके से बिक्री बहुत ही कम मात्रा में होती है।

यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि सरसो के तेल का उपयोग कुछ औद्योगिक इकाइयों में भी होता है। ये औद्योगिक इकाइयाँ प्रायः थोक विक्रेता अथवा सीधे मिल से तेल की खरीद करती हैं। निर्यात करने वाली संस्थाएँ प्रायः प्रतिनिधि के माफत तेल खरीदती हैं। ये इनके स्वयं के प्रतिनिधि होते हैं एवं ये सामान्य प्रतिनिधि, दलालों से सम्पर्क बनाये रखते हैं, जिनके माफत से तेल की खरीद करते हैं।

प्रतिनिधि एवं दलाल तेल की बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इनका सम्बन्ध देश के विभिन्न भागों के व्यापारियों से रहता है और यह उनकी माँग के अनुरूप थोक विक्रेता अथवा मिल मालिक से मोल-चोल तय करके अपने व्यवसायी को तेल की खरीद करवाते हैं। जिसके बदले में इन्हें कमीशन मिलता रहता है। इस प्रकार ये खरीददार और विक्रेता के बीच मध्यस्था का कार्य करते हैं। प्रतिनिधि के माफत होने

वाले बिक्री का प्रतिशत अनुमानत २५ से ३० तक है। प्रतिनिधि के मार्फत की गई बिक्री का वितरण माध्यम निम्न प्रकार से पाया गया है।

निर्माता ⇨ प्रतिनिधि ⇨ थोक विक्रेता ⇨ फुटकर विक्रेता ⇨ उपभोक्ता

ये प्रतिनिधि प्रायः दो प्रकार के होते हैं।

- ❖ एक तो वे प्रतिनिधि जो आढ़त या दलाली पर कार्य करते हैं और वस्तुओं के हस्तान्तरण में वास्तविक रूप से स्वामित्व को अपने ऊपर नहीं लेते। ये निर्माता और क्रेता को मिलकर सौदों को पूरा करा देते हैं।
- ❖ दूसरे वे प्रतिनिधि, जो निर्माता के माल को स्वयं क्रय करते हैं और बाद में अन्य मध्यस्थों या क्रेताओं को बिक्री कर देते हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि यहाँ पर विपणन कार्य दो स्तरों पर सम्पादित हो रहा है।

प्रथम, सरसों उत्पादक से मिल तक कच्चे माल के रूप में सरसों का विपणन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतया निम्न वितरक माध्यम को अपनाया जा रहा है।

उत्पादन ⇨ फुटकर विक्रेता ⇨ थोक विक्रेता ⇨ मिल

द्वितीय स्तर पर निर्मित सरसों तेल का विपणन निर्माता (मिल) से अंतिम उपभोक्ता तक किया जा रहा है जिसमें मुख्यतः निम्न वितरण माध्यम को अपनाया जाता है।

निर्माता (मिल) ⇨ थोक विक्रेता ⇨ फुटकर विक्रेता ⇨ उपभोक्ता

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में विपणन लागत का अध्ययन उपर्युक्त विपणन माध्यम के आधार पर ही किया गया है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में सरसों एवं सरसों तेल के विपणन लागत का अध्ययन प्रति १० क्विंटल सरसों के आधार पर किया गया है अतएव उपभोक्ता कीमत में मिल गेट पर प्राप्त खली की कीमत को ही सम्मिलित कर लिया गया है।

उत्पादक से उपभोक्ता तक मूल्य प्रसार :-

प्रस्तुत अध्याय में अब तक सरसो के उत्पादक से लेकर सरसों तेल के अन्तिम उपभोक्ता तक के विभिन्न विपणन व्ययों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। स्पष्ट है कि सरसों को सरसो तेल के रूप में अन्तिम उपभोक्ता के पास पहुँचाने तक अनेक विपणन सम्बन्धी खर्चें उसकी कीमतों में सम्मिलित होते रहते हैं। परिणाम यह होता है कि उत्पादक को प्राप्त कीमत और अन्तिम उपभोक्ता द्वारा दी गयी कीमत में भारी अन्तर आ जाता है। प्रति टन सरसो एवं उससे प्राप्त सरसो तेल के विपणन में सरसो उत्पादक से लेकर सरसो तेल के अन्तिम उपभोक्ता तक विभिन्न मध्यस्थों द्वारा वहन किए हैं।

अतः सरसों एवं सरसों तेल के विपणन में विभिन्न वर्गों द्वारा वहन किये जाने वाले विपणन खर्चें एवं उनके लाभांशों का विवरण दिया गया है। यहाँ यह ध्यान रहे कि विपणन की गयी सरसो की मात्रा १ टन है। एवं विपणन किये जाने वाले सरसो तेल की मात्रा ३.३५ क्विंटल है, क्योंकि १ टन सरसो से मात्र ३.३५ क्विंटल ही तेल प्राप्त होता है।

अतः उत्पादक सरसो की जब बिक्री कर रहा है तो उसे प्रति टन ४०० रूपये विपणन खर्च वहन करने पड़ रहे हैं। जिससे उत्पादक को अपनी उपज की वास्तविक कीमत से ४०० रूपये कम प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उत्पादक द्वारा वहन किया गया विपणन खर्च उपभोक्ता कीमत का ६.५ प्रतिशत है। उत्पादक द्वारा वहन किये जाने वाले विपणन खर्चों में दलाली, चुगी, पल्लेदारी, कर्दा नमूना आदि सम्मिलित हैं। सरसो के फुटकर विक्रेता द्वारा कुल १६२० रूपये प्रति टन विपणन खर्च किया जा रहा है, जो उपभोक्ता कीमत का २६.४ प्रतिशत है।

सरसो के फुटकर विक्रेता का लाभांश १८३० रूपये प्रति टन है जो उपभोक्ता कीमत का २९.९ प्रतिशत है। सरसों के थोक विक्रेता द्वारा वहन किया गया विपणन खर्च ४५० रूपये प्रति टन है। जो उपभोक्ता कीमत का ७.३ प्रतिशत है। प्रति टन सरसो के विपणन पर सरसो के थोक विक्रेता को ११०० रूपये का शुद्ध लाभांश प्राप्त हो रहा है जो उपभोक्ता कीमत का १७.९ प्रतिशत है। चूँकि ८ प्रतिशत की दर से

बिक्री कर सरसों पर लगाया जाता है यह बिक्री कर थोक व्यापारी वहन करे अथवा फुटकर व्यापारी यह अन्य मे उपभोक्ता कीमत मे ही सम्मिलित होता है। प्रति टन सरसो पर ८ प्रतिशत की दर से कुल बिक्री कर १६०० रू० है जो उपभोक्ता कीमत की २६१ प्रतिशत है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस उपज की उत्पादक को ३९६०रू० प्रति क्विंटल की दर से कीमत प्राप्त हो रही है, वही उपज (उत्पादक \Rightarrow फुटकर व्यापारी \Rightarrow थोक व्यापारी \Rightarrow मिल) कई विक्रय भागो से होकर मिल मालिक तक पहुँचती है तो वह ४६६० रू० प्रति क्विंटल की दर से बिक रही है। इस प्रकार मिल मालिक द्वारा दी गयी कीमत और उत्पादक को प्राप्त कीमत मे ७०० रू० प्रति क्विंटल का अन्तर आ रहा है। अब मिल मालिक द्वारा विधायनी क्रिया सम्पन्न होती है, जिसमें होने वाले खर्चे इस प्रकार है। सरसों का सफाई का खर्च ५० रू० प्रति क्विंटल, पेराई की लागत २०० रू० प्रति क्विंटल, प्रतिस्थापन खर्च ५० रू० प्रति क्विंटल, भराई टीना पैकेजिंग के खर्चे १६१० ३७ रूपया प्रति क्विंटल। इस प्रकार मिल मालिक द्वारा वहन किया गया कुल खर्च ४१३० ७५ रू० प्रति टन है।

सरसो की पेराई के बाद तेल और खली का अनुपात ३२.५० ६६ ५० का है। इस प्रकार तेल मिल मालिक को प्रति टन सरसो से ३.२५ क्विंटल तेल और ६.६५ क्विंटल खली प्राप्त होती है एव प्रति क्विंटल १ कि०ग्रा० वजन जा रही है। सरसों तेल के थोक विक्रेता द्वारा वहन किया गया विपणन खर्च १७० ६ रू० है जो उपभोक्ता कीमत का २८ प्रतिशत है। सरसों के थोक व्यापारी अर्जित शुद्ध लाभांश ४१३०.९७ रू० है जो उपभोक्ता कीमत का २३ ५ प्रतिशत है। सरसो के फुटकर व्यापारी द्वारा वहन किये जाने^{वाले} विपणन खर्चे १२०.१८ रू० है। जो उपभोक्ता कीमत का १ ९ प्रतिशत है एव इसकी प्राप्त शुद्ध लाभांश २७४०.५४ रूपया है जो उपभोक्ता कीमत का ४४ ८ प्रतिशत है।

अतः सरसो तेल की उपभोक्ता कीमत मे सरसो उत्पादक का हिस्सा मात्र ६४.७३ प्रतिशत है। शेष ३५ २७ प्रतिशत में विभिन्न विपणन खर्च एवं मध्यस्थों को प्राप्त लाभांश सम्मिलित है। विभिन्न विपणन खर्चों का उपभोक्ता कीमत में सम्मिलित भाग इस प्रकार है - परिवहन खर्च १.२ प्रतिशत, कमीशन २ १० प्रतिशत।

प्रतिशत तोला ३० प्रतिशत, कर्दा एव नमूना १० प्रतिशत, मण्डी शुल्क २.० प्रतिशत, लोडिंग, अनलोडिंग १८ प्रतिशत, चुंगी १.५ प्रतिशत, प्रतिस्थापन खर्च १५.९ प्रतिशत विधायनी लागत ८०८ प्रतिशत, भराई पैकेजिंग के खर्च १८६ प्रतिशत, संग्रहण १५ प्रतिशत, अन्य खर्चे १ प्रतिशत। विभिन्न मध्यस्थों द्वारा प्राप्त किये गये लाभांश का उपभोक्ता कीमत में सम्मिलित भाग इस प्रकार है। सरसो के फुटकर विक्रेता के लाभांश २९९० प्रतिशत सरसो के थोक विक्रेता का लाभांश १७९ प्रतिशत मिल मालिक का लाभांश ४१६ प्रतिशत सरसो तेल के थोक विक्रेता का लाभांश २३५ प्रतिशत, सरसो तेल फुटकर विक्रेता का लाभांश ४४८ प्रतिशत।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि सरसो तेल की उपभोक्ता कीमत में उत्पादक से लेकर अन्तिम उपभोक्ता तक के अनेक विपणन सम्बन्धी खर्चे एवं विपणन कार्यकर्ताओं के लाभांश सम्मिलित हैं। परिणामतः उत्पादक द्वारा प्राप्त की गयी कीमत एवं उपभोक्ता द्वारा दी गयी कीमत में भारी अन्तर आ गया है। अतः इस बात पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विपणन व्यय का वास्तविक भुगतान करने वाला कौन सा वर्ग है चूँकि एक ओर उत्पादक (किसान) द्वारा वहन किये जाने वाले विपणन खर्चों का हस्तान्तरण सम्भव नहीं होता है। अतः यह खर्च उत्पादक को ही अपनी उपज की कीमत में से अदा करना होता है, जिससे उसे अपनी उपज की वास्तविक धन राशि से कम धनराशि प्राप्त होती है, जबकि दूसरी ओर उपभोक्ता कीमत में समस्त विपणन खर्चों के सम्मिलित हो जाने के कारण उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि हो जाती है इस प्रकार उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का शोषण होता है और लाभ बिचौलियों को मिलता है।

षष्ठम् अध्याय

उत्तर प्रदेश में गन्ना एवं गन्ना उत्पादों का विपणन

उत्तर प्रदेश में गन्ना एवं गन्ना उत्पादों का विपणन :-¹

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। सम्पूर्ण भारत का आधे से अधिक गन्ना अकेले उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। विश्व में कुल १२३ देशों में गन्ने की खेती की जाती है विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का बीस प्रतिशत गन्ना अकेले भारत वर्ष में उगाया जाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व का दस प्रतिशत गन्ना उत्तरप्रदेश में उत्पादित होता है। यहाँ २० ५४ लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की खेती की जाती है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का अंशदान १२ ४० प्रतिशत है। भारत में स्थापित चीनी मिलों की संख्या ४६० तथा कार्यरत चीनी मिलों की संख्या ४२३ है। उत्तर प्रदेश में कुल ११९ चीनी मिलें स्थापित हैं। जिनमें से १०० चीनी मिलें इस वर्ष कार्यरत हैं। इनमें से २२ चीनी मिलें सरकारी क्षेत्र में २७ चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में तथा ५१ चीनी मिलें निजी क्षेत्र में हैं। चीनी मिलों को कुल १६१ सहकारी गन्ना समितियों के माध्यम से लगभग ३१ लाख गन्ना कृषक लगभग ५०० लाख टन गन्ने की आपूर्ति करते हैं। प्रदेश में कुल ११२ गन्ना विकास परिषदे, चार गन्ना बीज विकास निगम, १३ गन्ना शोध केन्द्र तथा ६ गन्ना किसान संस्थान कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश का खाडसारी एव गुड़ उद्योग भी सबसे बड़ा एवं पुराना उद्योग है। इस वर्ष प्रदेश में कुल ६५३ खाडसारी इकाईयाँ कार्यरत रही।

¹ कुशल नीतियों की शानदार उपलब्धियाँ, अमर उजाला इलाहाबाद, वाराणसी १७ सितंबर, २००१, पृष्ठ संख्या ६।

गन्ना मूल्य की घोषणा :- ² वर्तमान शासन ने सदैव किसान हित को सर्वोपरि माना है। गन्ना किसानों को लाभकारी गन्ना मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिए वर्ष १९९७-१९९८ में अगैती प्रजाति में चार रूपये तथा सामान्य गन्ना प्रजाति का तीन रूपये प्रति कुतल गन्ना मूल्य की वृद्धि की गयी। पुन किसानों के हित को सुरक्षित करते हुए वर्ष १९९८-१९९९ में पांच रूपये प्रति कुतल गन्ना मूल्य बढ़ा कर दिलाया गया। इसी प्रकार १९९९-२००० में पाँच रूपये तथा वर्ष २०००-२००१ में भी पाँच रूपये प्रति कुतल गन्ना मूल्य की वृद्धि की घोषणा की गई। इस प्रकार वर्तमान शासन काल में गन्ना किसानों को १९ रूपये की कुल गन्ना मूल्य में वृद्धि की गयी तथा समस्त चीनी मिलों ने सहर्ष इस मूल्य को स्वीकार व किसानों को अदा किया। वर्ष २०००-२००१ में ही अकेले इस वृद्धि से गन्ना किसानों को २५० करोड़ रूपये की अतिरिक्त आमदनी हुई है।

गन्ना मूल्य का भुगतान :- ³ वर्ष १९९८-१९९९ में चीनी मिलों की गन्ना किसानों ने ३२५९ करोड़ रूपये का गन्ना बेचा। इसी प्रकार वर्ष १९९९-२००० में कुल ४०९२ करोड़ का गन्ना चीनी मिलों द्वारा खरीदा गया। वर्ष २०००-२००१ में किसानों ने पुन ३९८५.६७ करोड़ रूपये का गन्ना चीनी मिलों को बेचा। वर्तमान शासन की कुशल अनुश्रवण व्यवस्था तथा दृढ़ सकल्प के कारण जहाँ वर्ष २०००-२००१ में विगत वर्ष के शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराया गया वहीं इस वर्ष के कुल देय गन्ना मूल्य रूपया ३९८५ करोड़ में से ७ अगस्त २००१ तक गन्ना किसानों को ३७३० करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। जो कुल देय का ९३.६० प्रतिशत है। जो भुगतान अवशेष रह गया है। वह भी शीघ्र भुगतान की प्रक्रिया में है। कुल ३१ चीनी मिलों ने शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया है। शेष मिलें शीघ्र भुगतान की प्रक्रिया में है। लगभग चार अरब की विशाल पूँजी को गाँवों की ओर मोड़ा गया है। जिससे कि गाँवों की खुशीहाली बढ़ी है। गन्ना मूल्य को लेकर विगत दो वर्षों से कोई आंदोलन

² कुशल नीतियों की शानदार उपलब्धियाँ, अमर उजाला इलाहाबाद, वाराणसी १७ सितंबर, २००१, पृष्ठ संख्या ६ ।

³ वही पृष्ठ संख्या ६ ।

नहीं हुआ तथा चीनी उद्योग एव गन्ना किसानों के परस्पर समन्वय से रिकार्ड गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है, यह वर्तमान शासन की कुशल नीति का ही परिणाम है।

नई चीनी मिलों की स्थापना :- ⁴ उत्तर प्रदेश में नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने, उत्पादित गन्ने की अधिकाधिक पेराई एव डाल प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से वर्तमान शासन ने विगत दो वर्षों में पाँच नई चीनी मिलों का संचालन प्रारम्भ किया तथा एक पुरानी असंचालित चीनी मिल को पुनः संचालित कर अपनी किसान एव उद्योग परक नीति का परिचय दिया। इस प्रकार वर्तमान में प्रदेश में कार्यरत चीनी मिलों की स्थापित पेराई क्षमता ३.५४ से बढ़कर ३.५९ लाख टी० सी० डी० हो गई है। अभी हाल में ही वर्तमान शासन ने बाराबकी जनपद की हैदरगढ़ तहसील में २५०० टी० सी० डी० की एक अत्याधुनिक चीनी मिल आसवानी, खोई आधारित सहविद्युत उत्पादन ग्रह सहित एक शुगर काम्प्लेक्स स्थापित करने का निर्णय लिया है जो आगामी दो वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। ९ अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी आधारशिला रख दी है। वर्तमान में प्रदेश में चीनी उद्योग स्थापना हेतु लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर उद्यमियों को प्रत्येक प्रकार की त्वरित सहायता देने की नीति अपनाई जा रही है।

चीनी का उत्पादन :- ⁵ विगत दो वर्षों में लगातार प्रदेश में रिकार्ड चीनी का उत्पादन वर्तमान शासन के गतिशील एव कुशल नेतृत्व का परिचायक है। वर्ष १९९९-२००० में अविभाजित उत्तर प्रदेश की कुल कार्यरत १०९ चीनी मिलों द्वारा ४८७.७६ लाख टन गन्ने की पेराई कर ४५.५५ लाख टन चीनी उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित किया गया था। इस वर्ष प्रदेश की चीनी मिलों का औसत चीनी परता ९.३४ प्रतिशत था। वर्ष २०००-२००१ में अपने ही कीर्तिमान को भंगकर कुल ४८९.१४ लाख टन गन्ने की पेराई करते हुए ४७.४९ लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया। इस वर्ष औसत चीनी परता ९.७१ प्रतिशत है। ये आकड़े उत्तरांचल की चीनी मिलों को सम्मिलित करते हुए हैं। उत्तरांचल को छोड़कर इस वर्ष प्रदेश की सौ चीनी मिलों द्वारा कुल ४५०.८८ लाख टन गन्ने के पेराई करते हुए ४३.८७ लाख टन चीनी का उत्पादन किया

⁴ कुशल नीतियों की शानदार उपलब्धियाँ, अमर उजाला इलाहाबाद, वाराणसी १७ सितंबर, २००१, पृष्ठ संख्या ६।

⁵ वही पृष्ठ संख्या ६।

गया था विगत बीस वर्षों में सर्वाधिक चीनी परता ९ ७३ प्रतिशत हासिल किया गया जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इस प्रकार इस वर्ष पुराने कीर्तिमान को भी भगकर लगभग पाच लाख टन अधिक गन्ने की पेराई कर दो लाख टन अधिक चीनी का उत्पादन एवं ० ३८ प्रतिशत अधिक चीनी परता का नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है।

गन्ना खरीदने की उदार गन्ना नीति :-⁶ प्रदेश के गन्ना किसानों का अधिक से अधिक गन्ना लाभकारी मूल्य देकर शीघ्र से शीघ्र चीनी मिलों द्वारा क्रय कराने की तीन वर्षीय गन्ना अनुबन्ध नीति की घोषणा विगत वर्ष की गई थी। इस उदार नीति को इस वर्ष और अधिक व्यावहारिक एवं सरल बनाते हुए प्रयास किया जा रहा है कि किसानों का और अधिक गन्ना चीनी मिलों को सरलता से आपूर्ति कराया जाये।

इस वर्ष चीनी मिलों को पाँच वर्षों के लिए उनका क्षेत्र सुरक्षण किया जा रहा है। जिससे कि किसी भी चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ने का स्थायी विकास कार्यक्रम चीनी मिलें चला सकें। नई गन्ना नीति में शीघ्र पकने वाली गन्ना प्रजातियों को गन्ना आपूर्ति को वरियता दी गयी है। इसी प्रकार छोटे गन्ना उत्पादकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को भी गन्ना आपूर्ति में वरियता प्रदान की जा रही है। गन्ना सर्वेक्षण कार्यों की व्यापक समीक्षा कर सर्वेक्षण कार्य को और अधिक व्यापक व विश्वसनीय बनाया जा रहा है। गन्ना क्रय में कम्प्यूटरो का अधिक से अधिक प्रयोग तथा बैंको से गन्ना मूल्य भुगतान गन्ना किसानों के हित में सर्वाधिक सफल प्रयोग सिद्ध हुआ है।

शीरे नियंत्रण मुक्ति का क्रांतिकारी निर्णय :-⁷ गन्ना किसानों एवं चीनी उद्योग, दोनों के हित में विगत वर्ष शीरे पर से ९० प्रतिशत तथा ०१ अप्रैल २००१ से शीरे पर शत-प्रतिशत नियंत्रण हटा लेने का वर्तमान सरकार का निर्णय अभूतपूर्व रहा है। इससे किसानों को बेहतर एवं सामाजिक गन्ना मूल्य भुगतान में सहायता मिली है।

⁶ कुशल नीतियों की शानदार उपलब्धियां, अमर उजाला इलाहाबाद, वाराणसी १७ सितंबर, २००१, पृष्ठ संख्या ६ ।

⁷ वही पृष्ठ संख्या ६ ।

गन्ना प्रजाति संतुलन और बीज बदलाव की महत्वाकांक्षी योजना :- ⁸ प्रदेश में पहली बार संचालित मिल क्षेत्रवार गन्ना प्रजातीय संतुलन एवं गन्ना बीज बदलाव की पाँच वर्षीय योजना से गन्ना किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध होने लगे हैं। चीनी मिलों गन्ना विकास परिषदों तथा विभाग की मदद से चलाई जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना में अगैती गन्ना प्रजाति का क्षेत्रफल प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र में बीस प्रतिशत तक करने का तथा नवीनतम उन्नतशील गन्ना प्रजातियों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। चीनी परता में वृद्धि से इस योजना के परिणाम अब मिलने लगे हैं। निगम एवं सहकारी चीनी मिलों की बेहतर संचालन व्यवस्था प्रदेश में सहकारी क्षेत्र की २७ तथा चीनी निगम की २२ चीनी मिलें कार्यरत हैं। इन मिलों में बेहतर संचालन, कड़ी अनुशासनिक व्यवस्था, कार्य संस्कृति का विकास एवं स्थापित क्षमताओं का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया गया है। अकर्मण्य एवं अक्षम अधिकारियों की बर्खास्तगी तथा अनेकों कर्मचारियों के विरुद्ध जहाँ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई वहीं अच्छे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया। प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कटौती करके लगातार हो रहे घाटों को कम किया गया। राज्य चीनी निगम की बंद पड़ी ग्यारह चीनी मिलों में कार्यरत ६७४८ कर्मचारियों के लिए ११८.३० करोड़ की स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण योजना (वी० आर० एस०) लागू की गयी तथा क्षेत्र, किसानों एवं उद्योग के हित में अनेक निर्णय लिये गये ।

गन्ना किसानों को थोक मूल्य पर चीनी :- गन्ना किसानों के हित में थोक मूल्य पर एक कुतल चीनी उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया। किसानों की यह बहुत पुरानी माँग भी जिसे वर्तमान शासनकाल में पूरा किया गया है। इससे किसानों में हर्ष का वातावरण व्याप्त हुआ है।

खाडसारी उत्पादन में और आगे :- ⁹ प्रदेश में खाडसारी एवं गुड़ उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक निर्णय वर्तमान सरकार द्वारा लिये गये हैं। प्रदेश में खाडसारी इकाईयों के लिए एक मुश्त लाइसेंसिंग एवं क्रयकर समाधान योजना लागू की गयी है। प्रदेश में कुल १०६२ लाइसेंसित इकाईयें हैं

⁸ कुशल नीतियों की शानदार उपलब्धियाँ, अमर उजाला इलाहाबाद, वाराणसी १७ सितंबर, २००१, पृष्ठ संख्या ६ ।

⁹ वही पृष्ठ संख्या ६ ।

जिनमें से इस वर्ष ६७२ इकाईयाँ कार्यरत रही हैं। इनके द्वारा इस वर्ष कुल ७४२ ४५ लाख कुतल गन्ना पेरकर ३१ ६१ लाख कुतल खाडसारी एव ग्यारह लाख कुतल गुड़ का उत्पादन किया गया है।

सह उत्पादों से खुशहाली लाने का संकल्प :-¹⁰ चीनी मिलों द्वारा गन्ने से चीनी बनाने के अतिरिक्त शीरे से अल्कोहल व गन्ने की खोई को मिल के ब्वायलर में जलाने का कार्य किया जाता था। गन्ने के सहउत्पादों का और अधिक बेहतर उपयोग कर खुशहाली बढ़ाने का संकल्प वर्तमान शासन ने लिया। वर्तमान सरकार के लगातार प्रयासों से केन्द्र सरकार ने बरेली में शीरे पर आधारित गैसोहल के एक पाइलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बजाज हिन्दुस्तान गोला चीनी मिल जिला लखीमपुर, सिवहारा चीनी मिल बिजनौर जनपद तथा सीतापुर जनपद की हरगाँव चीनी मिलों में जलविहीन अल्कोहल बनाया जा रहा है जिसकी तीव्रता ९९ ६ प्रतिशत है। बरेली में भारतीय तेल निगम तथा भारत पेट्रोलियम के डिपो से कुल ११० पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल मिश्रण के रूप में गैसोहल उपलब्ध है। द्वितीय चरण में अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल को लखनऊ, आगरा, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद तथा मेरठ जैसे महानगरों में भी उपलब्ध कराये जाने की परियोजना का अनुरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग पाँच सौ करोड़ रुपये के पेट्रोल आयात व्यय में इससे कमी आयेगी तथा पर्यावरण प्रदूषण रोकने में भी मदद मिलेगी। गैसोहल दुनिया के विभिन्न देशों में अनेक वर्षों से पेट्रोल के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में गन्ना को महत्वपूर्ण कृषि औद्योगिक एव नकदी फसल माना जाता है। गन्ना हमारे देश में अति प्राचीन काल से उगाया जाता है। यद्यपि सभी विद्वान गन्ने का जन्म स्थान भारत वर्ष को मानने को तैयार नहीं होते हैं किन्तु बहुतों का मत है कि आज जावा, सुमात्रा, हवाई द्वीप, क्यूबा, जमैका, मारीशस एवं फिलीपीन द्वीपों में जो गन्ना होता है वह हमारे भारत की ही विरासत है।¹¹

पूरे देश में लगभग २७ लाख हेक्टेयर भूमि में गन्ना पैदा किया जाता है। इसमें से अधिकांशतः लगभग ८० प्रतिशत उत्तर भारत में तथा शेष बीस प्रतिशत दक्षिण भारत में उपजाया जाता है।

¹⁰ कुशल नीतियों की शानदार उपलब्धियाँ, अमर उजाला इलाहाबाद, वाराणसी १७ सितंबर, २००१, पृष्ठ संख्या ६।

¹¹ "गन्ना" मासिक नवम्बर १९९६ पृष्ठ संख्या ४।

भारत वर्ष के पूरे क्षेत्रफल का लगभग ५६ प्रतिशत गन्ना उत्तर प्रदेश में उपजाया जाता है।¹² प्रदेश के २२ लाख परिवारों की आजीविका गन्ना उत्पादन का कार्य है, जिसमें केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक लाख व्यक्तियों का गन्ना उत्पादन ही मुख्य कार्य है।¹³

इस प्रकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था में गन्ने का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण गन्ने के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में सन् १९५०-५१ से उतरोत्तर वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक होती है।

गन्ना क्षेत्रफल, औसत उपज एवं कुल गन्ना उत्पादन :- गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तरप्रदेश का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। भारतवर्ष में गन्ना क्षेत्रफल विश्व के गन्ना क्षेत्रफल का २४ प्रतिशत है। जबकि देश में उत्तरप्रदेश का औसत गन्ना क्षेत्रफल ५२ प्रतिशत तथा गन्ना उत्पादन ४२ प्रतिशत है। प्रदेश की औसत उपज लगभग ४२ टोन्स प्रति हेक्टेयर है।¹⁴ देश के ट्रापिकल व सब ट्रापिकल क्षेत्र के प्रदेशों की गन्ने की औसत उपज स्पष्ट कारणों-वश तुलनात्मक नहीं है। सब ट्रापिकल क्षेत्र में पंजाब के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की औसत गन्ना उपज सबसे अधिक है व हरियाणा का स्तर इस प्रदेश के समान है।¹⁵

चीनी मिल क्षेत्र :- उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वैक्यूमपान चीनी मिलें हैं। प्रदेश की चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ना विकास विभाग द्वारा सघन गन्ना विकास का कार्यक्रम किया जाता है। सुरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत गन्ना क्षेत्रफल प्रदेश के गन्ना क्षेत्रफल का लगभग ८५ प्रतिशत है।¹⁶ गन्ना विकास विभाग प्रदेश की चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र से सम्बन्धित है व इसी क्षेत्र के आँकड़ों का विश्लेषण यहाँ किया जा रहा है।

¹² "गन्ना" मासिक नवम्बर १९९६ पृष्ठ संख्या ४।

¹³ "गन्ना" मासिक नवम्बर १९९९ पृष्ठ संख्या ५।

नोट :- गन्ना मासिक का प्रकाशन उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति सघ द्वारा होता है एवं केन यूनियन्स फेडरेशन प्रेस १२, राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ से मुद्रित है।

¹⁴ "गन्ना" मासिक जुलाई १९९६ पृष्ठ संख्या ३।

¹⁵ "गन्ना" मासिक जुलाई १९९६ पृष्ठ संख्या ३।

¹⁶ "गन्ना" मासिक जुलाई १९९६ पृष्ठ संख्या ३।

गन्ना क्षेत्रफल, औसत उपज एव कुल गन्ना उत्पादन में अन्य फसलों की भाँति, मौसम के कारण उतार-चढ़ाव होते हैं। प्रदेश की चीनी मिलों की संख्या, मिलों की गन्ना पेराई क्षमता एवं मधुर वस्तुओं (चीनी, गुड़ एवं खाण्डसारी) की माँग में वृद्धि के कारण प्रदेश के गन्ना क्षेत्रफल में यह वृद्धि हुई है। यह वृद्धि गेहूँ के बौने जाति के प्रचलन से हुई है, जिसका प्रभाव फसल चक्र पर पड़ा है।

औसत उपज :- सुरक्षित क्षेत्र की औसत उपज में वृद्धि पिछले १५ वर्षों की औसत उपज के अनुमान स्पष्ट है। गन्ना लम्बी अवधि की फसल है।¹⁷ अतः इस पर सिचाई उर्वरकीय करण तथा अन्य विकासशील कार्यक्रमों के अलावा मौसम का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

- ❖ औसत उपज में वृद्धि की दर कम है।
- ❖ गन्ना की औसत, उपज ४० टोन्स/हेक्टेयर से अधिक रही। परन्तु जलवायु के प्रतिकूल होने के कारण गन्ने की औसत उपज पर कुप्रभाव पड़ा।

गन्ने का विपणन :- गन्ने का विपणन मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि उनका प्रयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। हमारे देश में इसका प्रयोग प्रायः निम्न कार्यों में होता है -

- ❖ बीज के लिए, चूसने के लिए अथवा पीने के लिए, रस निकालने के लिए।
- ❖ पेरकर उसका रस निकालने के लिए जो खण्डसारी, राब, गुड़ बनाने वालों को बेच दिया जाता है।
- ❖ सीधे गुड़ बनाने के लिए यह प्रथा अधिकांशतः उन स्थानों में प्रचलित है जहाँ या तो स्थानीय जनता का गुड़ का उपयोग अधिक होता है अथवा जहाँ चीनी मिलें अथवा खाण्डसारी मिलें अधिक नहीं हैं। ऐसे क्षेत्रों में गुड़ बनाने के लिए गन्ने की पेराई कोल्हूओं द्वारा की जाती है। जो उत्पादन क्षेत्र के पास ही लगाये जाते हैं। कोल्हू या तो गाँव का बड़ा किसान लगाता है जो अपना गन्ना पेरने के साथ-साथ अन्य छोटे-छोटे किसानों का भी गन्ना कुछ शुल्क लेकर पेर देता है, अथवा इसे कुछ छोटे-छोटे किसान मिलकर किराये पर लगा लेते हैं जो बारी-बारी से उनके गन्ने की पेराई का कार्य करता है।
- ❖ चीनी मिलों द्वारा दानेदार चीनी बनाने के लिए।

¹⁷ "गन्ना" मासिक जुलाई १९९६ पृष्ठ संख्या ४ ।

एकत्रीकरण :- गन्ने की एकत्रीकरण में निम्नलिखित संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

किसान :- किसान अपनी गाड़ियों अथवा किराये की गाड़ियों द्वारा गन्ना चीनी मिलों तक लाते हैं और उन्हें बेच देते हैं। गन्ने के मूल्य का भुगतान इन्हें न्यूनतम इसी प्रकार से किया जाता है जैसा कि सहकारी समितियों द्वारा बेचने पर किया जाता है। ऐसे किसानों की संख्या जो गन्ना मिलों को सीधे बेचते हैं बहुत कम है, क्योंकि सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा गन्ना बेचने के लाभ इतने अधिक होते हैं कि सभी किसान अपना गन्ना सहकारी समितियों के माध्यम से बेचना चाहते हैं।

खांडसारी मिलें :- गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में बड़ी खांडसारी मिलें किसानों से सीधे गन्ने का क्रय करती हैं। किसानों के साथ इनके व्यक्तिगत संबंध होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कुछ धन भी दे दिया जाता है किन्तु इसके साथ यह भी शर्त होती है कि गन्ने का विक्रय खांडसारी मिलों को ही किया जाय। ये गन्ने की पैराई शक्ति चालित कोल्हूओं से करती हैं और उससे खांडसारी को तैयार करती हैं। यद्यपि खांडसारी की अपेक्षा सफेद चीनी या दानेदार चीनी अधिक अच्छी होती है। किन्तु उन क्षेत्रों में जहाँ चीनी की मिलें नहीं होती हैं। वहाँ गन्ना उत्पादकों का यही मुख्य आधार होती है। इसके अतिरिक्त मिल क्षेत्र में भी जब मिलें गन्ना खरीदने से मना कर देती हैं तो खांडसारी ही गन्ने का अन्य विकल्प प्रस्तुत करती हैं।

लाइसेंस प्राप्त आढ़तिये :- गन्ने के एकत्रीकरण के लिए चीनी मिलें आढ़तियों की नियुक्ति करती हैं जो एक निश्चित सीमा तक उन्हें गन्ने का सम्भरण करने का दायित्व लेते हैं। चीनी मिलें इन्हें बिना किसी शुल्क के तोल सेतु प्रदान करती हैं। मिलों के फाटक पर भी गन्ने की वास्तविक सुपुर्दगी के लिए आढ़तियों की नियुक्ति की जाती है। यही नहीं मिल क्षेत्र में आने वाले रेलवे स्टेशनों पर भी इनकी नियुक्ति की जा सकती है। और ये वहाँ पर गन्ने को लादने और उतारने, तौलने आदि के कार्यों का निरीक्षण करते हैं। कहीं-कहीं पर आढ़तिये मिल क्षेत्रों से बाहर अथवा सड़क के किनारे स्थित गन्ना उत्पादक केन्द्रों से गन्ना खरीदते हैं और मोटर ट्रकों अथवा रेलगाड़ियों द्वारा इसे मिलों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं।

सहकारी गन्ना विकास समितियाँ :- चीनी मिलों को किसानों की ओर से गन्ने के सम्भरण में इन समितियों ने महत्वपूर्ण सेवा प्रदान की है। इन्होंने मिलों को गन्ना बेचने में मध्यस्थों को प्रायः समाप्त कर

दिया है यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि खांडसारी और गुड निर्माताओं को गन्ना बेचने की कोई समस्या नहीं है। जहाँ तक मिलो को गन्ना बेचने का प्रश्न है, यह कार्य सहकारी गन्ना समितियों द्वारा ही किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में सहकारी गन्ना विकास समितियाँ :- उत्तर प्रदेश में गन्ने का विपणन उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना विकास समितियों के माध्यम से होता है। सहकारी गन्ना समितियों की प्रदेश के गन्ना विकास आन्दोलन में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका है अपितु प्रदेश में इस आन्दोलन ने सहकारिता की सक्षम और कल्याणकारी सम्भावनाओं का मार्ग भी प्रशस्त किया है। सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा गन्ने का क्रय, गन्ना मूल्य भुगतान, सिचाई व्यवस्था खाद वितरण, उन्नतशील बीज वितरण, गन्ना रक्षा, ऋण वसूली वर्तमान सकट से गन्ना किसानों को बचाने के प्रयास आदि कार्य भी किये जाते हैं।

सहकारी गन्ना विकास समितियों का संगठन एवं कार्य विधि :-¹⁸ सहकारी गन्ना समितियों का संगठन निम्न कमेटियों एवं पदाधिकारियों द्वारा होता है -

- सामान्य निकाय
- प्रबन्ध कमेटी
- सभापति एवं उपसभापति

इस विषय में सामान्य निकाय सहकारी समिति की सर्वोच्च संस्था मानी गई है। जैसा कि इसी के अधिनियम की धारा २८ में स्पष्ट उल्लेख है कि सामान्य निकाय का गठन, व्यक्तिगत सदस्यों से अथवा व्यक्तिगत सदस्यों के प्रतिनिधियों से होता है। गन्ना विभाग की सहकारी गन्ना समितियों की सामान्य निकाय प्रतिनिधियों से गठित होने के लिए यह प्रतिबंध है कि यदि समितियों की सदस्य संख्या १५०० या उससे अधिक हो। उत्तर प्रदेश की गन्ना समितियाँ लगभग सभी इसी श्रेणी में आती हैं।

प्रबन्ध कमेटी का संगठन सामान्य निकाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचन पश्चात् होता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली के नियम संख्या ४४० व ४४१ में विस्तार से पद्धति दी गई है।

¹⁸ "गन्ना" मासिक अक्टूबर १९९८ पृष्ठ संख्या ७ ।

प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों में से ही सभापति तथा उपसभापति का पुनः निर्वाचन होता है जिसकी पद्धति नियम संख्या ४४४ में निर्दिष्ट है।

सचिव प्रत्येक समितियों में वैतनिक अधिकारी होता है। वह नियमों के अधिन एवं सभापति के नियंत्रण में सहकारी संस्था का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है।

सहकारी गन्ना समितियों के द्वारा मुख्यतया गन्ने की आपूर्ति समानुपातिक रूप से होती है इसके अतिरिक्त गन्ना समितियाँ अपने सदस्यों की सुविधा हेतु उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं तथा कृषि के उपकरणों का वितरण करती हैं।

गन्ना समितियों के आर्थिक स्रोत :-¹⁹ इन सहकारी समितियों के आर्थिक स्रोतों का सूक्ष्म उल्लेख उपविधि संख्या १९ में निर्दिष्ट है अंशपूँजी प्रवेश शुल्क एवं जुर्माना मुख्य हैं।

इनके अतिरिक्त मुख्य स्रोत गन्ने से प्राप्त कमीशन तथा उर्वरक, कीटनाशक का कृषि यंत्रों के वितरण में ब्याज के रूप में होने वाली आय भी उल्लेखनीय है।

सहकारी समिति नियमावली नियम 1965 के महत्वपूर्ण प्रविधान :-²⁰ उक्त अधिनियम तथा नियमों में सभी प्राविधान महत्व के हैं, किन्तु सहकारी समितियों के निबन्धन, उपविधियों के सशोधन, समितियों का विभाजन, समायोजन तथा इनकी संरचना विशेष है।

- ❖ सहकारी समितियों की निबन्धन की विधि धारा ४ से ८ तक में दी गई है। तथा इन्हीं धाराओं में निर्दिष्ट प्रणाली को विस्तार से नियम ३ से १२ में स्पष्ट किया गया है।
- ❖ उपविधियों के सशोधन की विधि धारा १२ एवं १४ में तथा धारा संख्या २४ से ३६ तक में दी गयी है।
- ❖ समितियों के विभाजन एवं विलीनीकरण की प्रक्रिया के लिए धारा १५, १६ तथा १२५ व १२६ में प्राविधान है, जिनका नियमों में विस्तृत विधान नहीं किया गया है।

¹⁹ "गन्ना" मासिक अक्टूबर १९९८ पृष्ठ संख्या ७ ।

²⁰ "गन्ना" मासिक अक्टूबर १९९८ पृष्ठ संख्या ७ ।

❖ सहकारी समितियों की सरचना अर्थात् संगठन के लिए वर्ष १९७७ से कुछ मूलभूत परिवर्तन प्रभाव में आ गये हैं। जिनके कारण गन्ना सहकारी समितियों की सामान्य सभा व्यक्तिगत सदस्यों से होना अनवार्य हो गया है।

यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि उक्त परिवर्तन का मूल कारण गन्ना समितियों की धारा २१ (३) के अधीन वर्ष १९७८ से अधिसूचित कर दिया था जिसके फलस्वरूप इनकी सामान्य सभा की रचना के लिए नियम संख्या ८४ (क) तथा निर्वाचन के लिए नियम संख्या ४३९ से ४४४ लागू होते हैं^१

इस विषय में अधिकांश लोगो में भ्रम है कि डेलीगेटो का निर्वाचन गन्ना ग्राम सेवक करावे किन्तु यह विधान अब उक्त नियमों के अनुसार समाप्त हो चुका है। गन्ना समितियों का निर्वाचन कार्य निर्वाचन अधिकारी (जो गन्ने के विभाग से सम्बन्धित न हो) एवं उनके अधीन पोलिंग अधिकारी हों, कराने के लिए विधि मान्य है।

दूसरी बात यह ध्यान रखने की है कि यदि कहीं पर कोई प्राविधान उप विधियों को देखते हुए नियमों के प्रतिकूल पाया जाये तो वहाँ पर केवल नियम (सहकारी समिति नियमावली १९६८) ही प्रभावी होगी। नियम का प्राविधान उसी प्रकार मान्य होगा जैसी अधिनियम की मान्यता एवं प्रभाव माना जाता है।

सहकारी गन्ना समितियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-^{२२} प्रत्येक संस्था के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जहाँ कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं उसी के साथ-साथ उन पर कुछ दायित्व भी होते हैं इनका एक दूसरे से चोली दामन का साथ है। यदि गन्ना समितियों के संचालन केवल अपने अधिकारों की पूर्ति की बात करे और अपने कर्तव्यों की ओर जागरूक न रहे, तो उस समिति का जीवित रहना ही असम्भव है जिसके आधार पर उनकी उत्तर प्रदेश सरकारी समितियाँ अधिनियम १९६५ नियमावली १९६८ एवं सदस्यों द्वारा बनायी गयी तथा निबंधक सहकारी गन्ना समितियाँ (गन्ना आयुक्त), उत्तर प्रदेश द्वारा निबन्धित उपविधियों के अतर्गत अधिकार प्राप्त है। अतः समिति के सभी सदस्यों को अपने कर्तव्य की पूरी जानकारी होनी चाहिए जो विभिन्न रूप में उक्त प्राविधानों के अतर्गत उन पर रखी गयी है।

^{२१} "गन्ना" मासिक अक्टूबर १९९८ पृष्ठ संख्या ७ ।

^{२२} "गन्ना" मासिक मई १९७७, वर्ष ९, अंक १०, पृष्ठ संख्या १३ एवं १४ ।

ग्राम समिति के साधारण व्यक्तिगत सदस्यों का कार्य क्षेत्र ग्राम समिति तक सीमित है किन्तु यही वह प्रारम्भिक इकाई है जहाँ से केन्द्रीय गन्ना समिति की नींव पड़ती है। अतः ग्राम स्तर पर सदस्यों को चाहिए कि वह प्रत्येक मास ग्राम में सामान्य निकाय की बैठक करके, ग्राम की समस्याओं पर विचार विमर्श करे और केन्द्रीय समिति को अपने सुझाव से अवगत करा दे।

नये सदस्यों को भरती करने में इस बात का ध्यान रखें कि अन्य साधारण समितियों की भाँति आवश्यक योग्यता के अतिरिक्त वह केवल गन्ने के उत्पादक ही न हो बल्कि उस ग्राम में भूमि के स्वामी भी हो। जैसा कि गन्ना समितियों की वर्तमान उपविधियों में समिति की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अगस्त १९७० से नया प्राविधान किया गया है।²³ इसके अतिरिक्त विकास हेतु ग्राम से संबंधित कर्मचारियों द्वारा किये गए गन्ने के पड़ताल, सट्टा एवं पूर्ति के लिए ग्राम से केन्द्रीय समिति के लिए प्रतिनिधि चुनने में सावधानी एवं निष्पक्ष वातावरण में योग्य व्यक्ति को भेजने की चेष्टा करे।

सरकारी गन्ना समितियों द्वारा विवाद का निपटारा :-²⁴ यदि समस्त सदस्य नि स्वार्थ भाव से कर्तव्य निभाते हुए कार्य करते रहे तो निश्चित है कि किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं खड़ा हो सकता। फिर भी यदि किसी प्रकार का कोई विवाद सदस्यों के बीच या समितियों के बीच खड़ा होता है, तो उनके निपटारे हेतु सहकारिता अधिनियम की धारा ७० व ७१ तथा निगम २२९ व २३० के अंतर्गत कार्यवाही की प्रक्रिया निर्धारित है। साथ ही यदि उन प्रविधानों के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के विरुद्ध कोई आपत्ति अपेक्षित होती है तो निपटारे हेतु धारा ९६ से १०० तक के अंतर्गत कार्यवाही करने के प्रविधान निर्धारित है।

इन विवादों को प्रस्तुत करने के तौर तरीके भी सभी आम कृषकों की जानकारी में नहीं होते हैं, जिसके कारण कभी-कभी ऐसा भी देखने में आता है कि योग्य अथवा निर्दोष व्यक्ति उक्त नियमों की प्रक्रियाओं को ठीक से न समझ पाने के कारण अपने मूल अधिकारों से हाथ धो बैठता है। अतः इन प्रक्रियाओं के लिए नियम २२९, २३० धारा ७०, ७१, तथा ९८ के अंतर्गत जो भी वाद या अपील निर्धारित अधिकारियों (क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट तथा गन्ना आयुक्त, राज्य सरकार एवं सहकारी न्यायाधिकरण है।) को प्रस्तुत की

²³ "गन्ना" मासिक मई १९७७, वर्ष ९, अंक १०, पृष्ठ संख्या १४।

²⁴ "गन्ना" मासिक जुलाई १९९२ पृष्ठ संख्या ५।

जाय, वह तीस दिन के भीतर ही निर्धारित शुल्क, किसी भी सरकारी खजाने में जमा कर देने के पश्चात् कर देना आवश्यक होता है।

सहकारी गन्ना समितियों द्वारा उत्पादकों को रियायती उत्पादन ऋण देने

का प्रविधान :-²⁵ सहकारी गन्ना समितियाँ उत्तर प्रदेश रियायती दर पर ऋण सदस्य गन्ना कृषकों को समय से उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु समस्त सचिव सहकारी गन्ना समितियाँ उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित निर्देश दिये गए हैं।

- ❖ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के परिपत्र में निर्धारित पात्रता के मानदण्ड का अनुसरण करते हुए गन्ना सहकारी समितियों की ऋण सीमा स्वीकृत सम्बन्धी उपविधियों एवं विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार ऋण सीमा सम्बन्धी स्टेटमेन्ट तीन प्रतियों में सलग्न रूप पत्र पर फील्ड स्तर पर तत्काल तैयार कराकर गन्ना सहकारी समितियों द्वारा डी० सी० सी० बी० के प्रधान कार्यालय को बिना अनावश्यक विलम्ब के ऋण सीमा स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत की जाय। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के निर्देशानुसार अशपूजी के रूप में लिये जाने वाला ऋण को दस प्रतिशत सीमा तक गन्ना सहकारी समिति डी० सी० सी० को० में जमा करेगी। यदि इससे पूर्व अंश पूंजी के रूप में कोई धन जमा हो तो उसका समायोजन उक्त दस प्रतिशत सीमा के विपरीत कर लिया जाय।
- ❖ डी सी. सी को. से ऋण सीमा स्वीकृति प्राप्त होते ही गन्ना सहकारी समितियों द्वारा उक्त सीमा के अतर्गत इनपुट्स उधार देने की व्यवस्था की जाय और पाक्षिक आधार पर (आन फोर्ट नाइट बेसिज), वितरित इनपुट्स की कीमत डी सी सी बी. की सम्बन्धित शाखा से रिडम्बर्स करायी जाय।
- ❖ गन्ना सहकारी समितियाँ किसी भी स्थिति में नगद रूप में कोई गन्ना कृषकों को नहीं देगी।
- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के उपरान्त उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति सघ लि० लखनऊ, उर्वरक, कीटनाशक, दवाओं आदि के क्रय हेतु विभिन्न बैंकों से ऋण लेता है। उसकी नियमित अदायगी के लिए यह आवश्यक है कि जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको द्वारा आपको स्वीकृत

²⁵ "गन्ना" मासिक मई १९९५ पृष्ठ संख्या ५ ।

किये गय ऋण की धनराशि सीधे उ०प्र० सहकारी बैंक लखनऊ की मुख्य शाखा मे गन्ना सघ के खाते मे स्थानान्तरित कर दी जाय। इस सम्बन्ध मे आप अपने स्तर से सम्बन्धित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को अधिकृत करते हुए आवश्यक निर्देश सुनिश्चित कर ले।

- ❖ गन्ना सहकारी समितियों द्वारा इस योजना के अंतर्गत सदस्य गन्ना कृषको को रियायती दर पर ऋण की सुविधा उसी ब्याज दर पर उपलब्ध कराई जायेगी, जिस ब्याज दर पर प्राथमिक कृषि साधन सहकारी समितियों द्वारा अपने ऋणियों को दी जाती है।
- ❖ ऋण लेने और ऋण वितरित करने की ब्याज दरों मे जो मूर्जिन गन्ना सहकारी समितियों को उपलब्ध होगी उसका विभाजन गन्ना सहकारी समितियों द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि प्रारम्भ मे प्रारम्भिक कृषि साधन सहकारी समितियों को उसका एक प्रतिशत अवश्य मिले।
- ❖ गन्ना सहकारी समितियाँ तथा प्रारम्भिक कृषि साधन सहकारी समितियाँ अपने-अपने बकायदारों की सूची इस उद्देश्य से एक-दूसरे को आदान-प्रदान करेगी कि बकायेदार सदस्यों को इस योजना के अंतर्गत ऋण न मिल सके और जिससे दोहरे ऋण स्वीकृत होने की सभ्यवना न रहे।
- ❖ चीनी मिल से गन्ना मूल्य के प्राप्त चेक गन्ना सहकारी समितियों द्वारा जिला सहकारी बैंक की सम्बन्धित शाखा को इस निर्देश के साथ में भेजा जाय कि वे चेक की धनराशि उनके चालू खाते मे क्रेडिट करे। इस सम्बन्ध मे विभागीय आदेशों के अंतर्गत गन्ना मूल्य भुगतान के सम्बन्ध मे जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसका भी पूर्णरूप से पालन किया जाय। जिन सदस्यों ने ऋण नहीं लिया है उनके गन्ना मूल्यों की पर्चियों के समय से भुगतान के सम्बन्ध मे चेक निर्गत करने के लिए गन्ना सहकारी समितियों एक नियमित पद्धति बना ले।
- ❖ ऋण लेने वाले सदस्यों के गन्ना मूल्य की धनराशि डी. सी सी बी. के अंतर्गत खुले चालू खाता संख्या दो मे जमा की जायेगी और गन्ना सहकारी समितियाँ सम्बन्धित बैंक को यह निर्देश देगी की वह उक्त खाते से अल्पकालीन कृषि ऋण का समायोजन सुनिश्चित करें और समाजयोजन के पश्चात् सदस्य कृषक को देय धनराशि चेक के माध्यम से वापस कर दी जाय।

❖ इस योजना के अंतर्गत रियायती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा गन्ना उत्पादको को प्रदान करने हेतु ऋण सीमा रजिस्टर तथा ऋणियों से सम्बन्धित लेजर रजिस्टर विधिवत् गन्ना सहकारी समिति पर अलग से रखा जाय और समिति के सचिव पूर्णतया जागरूक रहकर यह सुनिश्चित करते रहे कि इस अभिलेखो का रख-रखाव समय से पूरा होता रहे और किसी भी दशा मे राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक तथा विभागीय आदेशों का उल्लंघन न हो। विभागीय अधिकारी अपने निरीक्षण के दौरान इस योजना के अंतर्गत लिये गये तथा वितरित ऋण की समय-समय पर समीक्षा करते रहेगे की इससे सम्बन्धित रजिस्ट्रों, अभिलेखो के नियमानुसार समय से प्रवृष्टियों की जा रही है और आदेशो का पूर्ण रूप से परिचालन हो रहा है।

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान

एवं व्यवस्था :- गन्ना मूल्य का भुगतान करने का विधिक उतरदायित्व गन्ना समितियों का है। किन्ही-किन्ही गन्ना समितियों के सदस्यों के गन्ना मूल्य का भुगतान सम्बन्धित चीनी मिलों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार चीनी मिल द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान तभी हो सकता है जब कि गन्ना समिति भुगतान हेतु समझौता कर ले। चीनी मिल जब कृषको को गन्ना मूल्य का भुगतान करती है तो वह गन्ना समिति से पारिश्रमिक भी ले सकती है, पारिश्रमिक की दर गन्ना आयुक्त द्वारा तय की जाती है।²⁶

गन्ना मूल्य का भुगतान करने हेतु उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद अधिनियम १९५३ की धारा १७ मे यह प्राविधान है कि चीनी मिलो द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान तुरन्त किया जायेगा। यदि चीनी मिलो द्वारा १४ दिन के भीतर खरीदे हुए गन्ने का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे १२ प्रतिशत ब्याज भी देना पड़ेगा।²⁷

गन्ना मूल्य के नियमित रूप से भुगतान करने के लिए विधान में यह भी प्राविधान किया गया है कि सीजन के प्रारम्भ में चीनी मिलो को उत्पादित चीनी पर बैंको से प्राप्त होने वाली आग्रिम धनराशि मे से

²⁶ "गन्ना" मासिक वर्ष १९९१ प्रगति विशेषांक, पृष्ठ सख्या ३ ।

²⁷ "गन्ना" मासिक मई १९९७ पृष्ठ सख्या ५ ।

एक प्रतिशत कटा दी जावे।²⁸ ऐसी धनराशि गन्ना मूल्य के खाते में पृथक रूप से जमा होती रहेगी तथा उसको मिल का मालिक किसी अन्य मद में व्यय नहीं कर सकता।

गन्ना मूल्य का भुगतान प्रारम्भ करने के लिए इस प्रकार नियमित रूप से धनराशि सुनिश्चित करने के पश्चात् स्थान की बात आती है। गन्ना आयुक्त के इस सम्बन्ध में यह निर्देश है कि गन्ना मूल्य का भुगतान गेट तथा क्रय केन्द्रों पर नियमित रूप से होना चाहिए।²⁹

गन्ना मूल्य भुगतान के स्थान के अतिरिक्त समय भी महत्वपूर्ण है। समिति के सचिव का कर्तव्य है कि गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए गेट तथा विभिन्न क्रय केन्द्रों के कृषकों को जो कि भुगतान लेने आवें लौटना न पड़े।³⁰ सुविधानुसार ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कम से कम प्रत्येक सप्ताह सभी क्रय केन्द्रों पर एक बार भुगतान अवश्य हो जाए। समिति के सचिव को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि खजांची गन्ना मूल्य का भुगतान करने के लिए दिन में ऐसे समय क्रय केन्द्र पर पहुँचे कि अधिक से अधिक कृषक-गण गन्ना मूल्य का भुगतान करके समय से घर पहुँच जावें, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि खजांची अक्सर देर से क्रय केन्द्रों पर भुगतान हेतु पहुँचते हैं। इस प्रकार जब व्यवस्था हो जावे तथा गन्ना मूल्य प्राप्त करने के लिए गेट एवं क्रय केन्द्रों पर पहुँचे तो निम्न प्रणाली अपनानी चाहिए -³¹

1. पर्ची जमा करने के लिए टोकेन जारी करना :- गन्ना मूल्य प्राप्त करने के लिए आग्रे कृषकों के क्रमवार मिल पर्चियों एवं टोकेन प्राप्ति की व्यवस्था करना चाहिए। टोकेन लिपिक को चाहिए कि किसानों को क्रम से मिल पर्चियाँ दो प्रतियों में पास बुक सहित जमा की गयी पर्चियों को पास बुक की सहायता से जाँच के पश्चात् सम्बन्धित कृषक की आखिरी पर्ची पर उसमें प्राप्त की गयी समस्त पर्चियों की संख्या अंकित करेगे और छपे टोकेन पर पास बुक नम्बर, पर्चियों की संख्या जो उसमें भुगतान के लिए प्राप्त की है, लिखकर अपने हस्ताक्षर करने के पश्चात् टोकेन सम्बन्धित कृषक को देगा। टोकेन प्राप्त की गयी पर्चियों को चेकिंग क्लर्क को

²⁸ "गन्ना" मासिक मई १९९७ पृष्ठ संख्या ५ ।

²⁹ गन्ना आयुक्त कार्यालय उ०प्र० लखनऊ से प्राप्त सूचना ।

³⁰ गन्ना आयुक्त कार्यालय उ०प्र० लखनऊ से प्राप्त सूचना ।

³¹ गन्ना आयुक्त कार्यालय उ०प्र० लखनऊ से प्राप्त सूचना ।

देगे और अपने रजिस्टर पर उस लिपिक के हस्ताक्षर इस-से लेगा कि किस नम्बर तक के टोकेन और कतनै-कितनै पर्चियाँ बिल लिपिक को दी गयी।

2. चेकिंग क्लर्क पास बुक, केन लेजर एव रेडी रिकनर की सहायता द्वारा प्राप्त पर्चियों की चेकिंग करेगा तथा भुगतान की तिथि लेजर में प्रत्येक पर्ची के समय अंकित करेगा। वह इस बात की विशेष रूप से जाँच करेगी कि मिल पर्ची पर जो संख्या अंकित है उससे लेजर में अंकित संख्या मिलती है उन पर्चियों का भुगतान पहले नहीं हो चुका है। यदि कृषक द्वारा जमा की गयी पर्ची पर मुद्रित संख्या का मिलान लेजर पर अंकित संख्या से नहीं हो रहा है या उक्त पर्ची का भुगतान हो चुका है, तो चेकिंग क्लर्क को उक्त पर्ची को रोक लेना चाहिए। उसे सम्बन्धित गन्ना समिति के सचिव के पास डुप्लीकेट में रिपोर्ट कर देना चाहिए। एक प्रति पर समिति के लिपिक का हस्ताक्षर प्राप्त करके रख लेगा। ऐसा करने से सम्बन्धित गन्ना समिति को फर्जी पर्ची या दुबारा भुगतान से बचाया जा सकता है। यदि पर्चियाँ ठीक पायी जावे तो चेकिंग क्लर्क को चाहिए कि वह दोनों पर्चियों तथा पास बुक पर कर्जे आदि की कटौती का विस्तृत हिसाब प्रस्तुत करे तथा पास बुक एव पर्चियाँ खजाची को भुगतान हेतु प्रस्तुत करे। यदि किसी कृषक को डुप्लीकेट पास बुक जारी की गयी हो तो सचिव यह सुनिश्चित करेंगे की उसका अकन सम्बन्धित कृषक के केन लेजर के खाते में अंकित कर दिया गया है। ताकि उसे भुगतान प्राप्त करने में असुविधा दृष्टिगत न हो। यदि कोई पर्ची टोकेन करने के बाद भुगतान के लिए आती है और लेजर में कर्ज नहीं है तो ऐसी पर्ची का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा उसकी समिति से सन्धि के पास जाँच हेतु भेज दिया जावेगा। यदि कोई पर्ची लेजर में चढ़ी है परन्तु उस पर किसी लेजर लिपिक के हस्ताक्षर नहीं है तो ऐसी पर्ची का भुगतान के लिए चेकिंग न की जावे। मिल की पर्ची से लेजर में पर्ची किसी भी दशा में दर्ज न की जावे।

उपर्युक्त से ज्ञात होगा कि गन्ना मूल्य के भुगतान में केन लेजर जाँच को विशेष महत्व दिया गया है एवं केन लेजर का उदयावधिक होना अत्यन्त आवश्यक है। गन्ना समिति के सचिव को चाहिए कि केन लेजर पर पोस्टिंग किसी भी दशा में एक सप्ताह से अधिक नहीं पिछड़ना चाहिए। गन्ने के भुगतान के लिए जमा की गयी पर्चियों को लेजर से जाँच के लिए यह अच्छा होगा की यदि बारी-बारी लेजर सेक्सन से चेकर भेजे जावे। वह पेमेट काउन्टर पर उन्हीं के द्वारा बनाए जा रहे लेजर लेकर पर्चियों की चेकिंग के लिए जावेगे

तो कार्य मे तीव्रता आ सकती है। चेकिंग क्लर्क का कार्य कर्जा वसूली की दृष्टि से भी बहुत उत्तरदायित्व का है तथा यदि कोई कर्जा वसूली से छूट जाता है तो उसकी भी जिम्मेदारी होगी।³²

3.. चेकर से प्राप्त पर्चियों को खजांची निर्धारित पेमेन्ट शीट (जो कि दो प्रतियों मे होगी) पर दर्ज करेगा तथा टोकेन की मख्या के अनुसार कृषको के बुलायेगा। यह पर्ची की दोनो प्रतियों एव पेमेन्ट शीट पर निशानी अँगूठा एव हस्ताक्षर प्राप्त करने के पश्चात् दोनो पर्चियों पर भुगतान की तिथि की सील और अपने हस्ताक्षर अंकित करेगा। तदुपरान्त भुगतान करेगा। पर्चे की डुप्लीकेट प्रति सम्बन्धित कृषक को वापस कर दी जावेगा। भुगतान का विस्तृत विवरण पास बुक पर भी अंकित कर दिया जावेगा। विवरण मे यह दर्शाना अनिवार्य है कि कितनी धनराशि की पर्चियों का भुगतान हुआ तथा कितनी धनराशि की कटौती हुई एवं कितने धन का भुगतान किया गया। गन्ना मूल्य का भुगतान करते समय कृषक से कर्जा एव अन्य धनराशि की वसूल की गयी धनराशि के लिए विधिवत् रसीद जारी करेगा।

खजांची एक रोकड़ बही रखेगा जिसमे कि समिति से एव कर्जे वसूली द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि का दिन प्रतिदिन अंकन किया जावेगा। रोकड़ बही में भुगतान की गयी धनराशि को भी दिन प्रतिदिन दर्ज करना आवश्यक है। इसी प्रकार गन्ना समिति के खजाची को भी भुगतान लिपिक द्वारा जमा की गयी धनराशि की प्राप्ति हेतु रसीद जारी करना चाहिए। गन्ना समिति के प्रधान खजाची द्वारा भुगतान लिपिक को दिन-प्रतिदिन भुगतान हेतु अग्रिम धनराशि का कार्य भी महत्वपूर्ण है। ऐसा देखा गया है कि भुगतान लिपिक प्रधान खजाची से गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए अग्रिम धनराशि बिना किसी माँग पत्र के लेते हैं जो कि उचित नहीं है। बिना किसी माँग पत्र के कोई धनराशि भुगतान लिपिक को अग्रिम रूप मे भुगतान न की जावे। प्रधान खजाची को एक रजिस्टर रखना चाहिए। जिसमे प्रतिदिन प्रत्येक भुगतान लिपिक को दी गयी धनराशि कटौतियो एव कर्जा की वसूली की गयी धनराशि आदि तथा रिकपमेंट बाउचर द्वारा प्रतिपादित हो, अंकित किये जावे। प्रधान खजांची को प्रत्येक भुगतान लिपिक के लिए एक रजिस्टर रखना चाहिए। जिसमें उपरोक्तानुसार खाते खोले जावे। समिति का लेखाकार जबकि कैश बुक मे भुगतान इन्ट्री करेगा तो वह प्रत्येक भुगतान लिपिक

³² "गन्ना" मासिक मई १९९७ पृष्ठ सख्या ६ ।

का खाता देखकर हस्ताक्षर करेगा। गन्ना समिति के सचिव का भी यह उतर दायित्व है कि वह प्रत्येक भुगतान लिपिक का खाता चेक करके हस्ताक्षर करता रहे। भुगतान समाप्त होने के पश्चात् भुगतान लिपिक भुगतान की गयी पर्चियों का शीट के अनुसार बडल बनाकर उस पर निम्नलिखित विवरण पृथक से एक कागज पर पर्चियों के बडल पर बाँधेगा तथा टोकेन भी पर्चियों के साथ नत्थी करेगा तथा भुगतान शीट, पर्ची व शेष रोकड वही प्रधान कोषाध्यक्ष को देकर रसीद प्राप्त करेगा तथा निम्न सूचना प्रेषित करेगा।³³

- ✓ नाम केन्द्र/गेट
- ✓ भुगतान लिपिक का नाम
- ✓ चेकिंग लिपिक का नाम
- ✓ तिथि भुगतान
- ✓ सख्या पर्चियाँ
- ✓ धन जिसका भुगतान किया गया।

(क) नकद

(ख) कटौती द्वारा।

गन्ना समिति के कोषाध्यक्ष भुगतान लिपिक द्वारा दिये गये भुगतान के हिसाब से संतुष्ट होने के उपरान्त प्रतिदिन का हिसाब तैयार करेगा और उसके पश्चात् भुगतान की गयी पर्चियों का भुगतान शीट के अनुसार सम्भाल कर पर्चियों एवं शीट तथा भुगतान लिपिको द्वारा की गयी रोकड बही की एक नकल एक रजिस्टर में भुगतान लिपिकवार अंकित करके लेखाकार को देगे और उसके हस्ताक्षर प्राप्त करेगे तथा भुगतान की हुई पर्चियों की कम से कम १५ प्रतिशत जाँच करेगे।

पर्चियों की चेकिंग :-³⁴ समिति के लेखाकार कोषाध्यक्ष से भुगतान की हुई पर्चियों का भुगतान शीट तथा रोकडबही की नकल प्राप्त करने के उपरान्त एक रजिस्टर में अंकित करेगे और भुगतान की गयी पर्चियों को अपनी कस्टडी में ताले में बंद रखेंगे। वह असल भुगतान की हुई पर्चियों पर कैन्सिलड की मोहर भी लगवायेगे। अच्छा यह होगा कि असल पर्चियाँ ऊपर की ओर कैची से इस प्रकार काट दी जाये कि वह पढी

³³ "गन्ना" मासिक मई १९९७ पृष्ठ संख्या ७ ।

³⁴ "गन्ना" मासिक मई १९९७ पृष्ठ संख्या ७ ।

भी जा सके। इससे सील आदि लगाकर दुबारा भुगतान लेने की सम्भावना नहीं रह जायेगी। भुगतान सीट के अनुसार मिल की चौथी पर्चियाँ निकलवा कर चेकिंग लिपिक को चेकिंग के लिए दे देगे।

चेकिंग लिपिक जो कि गन्ना समिति का एक स्थाई लिपिक होना चाहिए, लेखाकार से तिथिवार भुगतान, लिपिकवार भुगतान शीट तथा मिल की चौथी पर्चियों को प्राप्त करके, रेडी रेकर की सहायता से भुगतान की गयी पर्चियों की चेकिंग करेगे। चेकिंग के समय मिल पर्ची नम्बर, वजन, गन्ना मूल्य कटौती तथा भुगतान की गयी धनराशि आदि सभी बातों को देखा जाएगा। वह चेकिंग से ज्ञात अधिक या कम भुगतान का हिसाब कृषक, तिथि व मिल पर्ची नम्बरवार रखेंगे। चेकिंग लिपिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रति सप्ताह भुगतान लिपिको द्वारा किए गये अधिक भुगतान की धनराशि की भुगतान लिपिकार सूची तैयार करके समिति के लेखाकार को देगे। ताकि सम्बन्धित भुगतान लिपिक से अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली रूपयो से की जा सके। कोषाध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिक भुगतान की हुई धनराशि की वसूली करता रहे एव सचिव को सूचित करता रहे।

गन्ना समिति के लेखाकार कैश बुक मे गन्ना मूल्य के भुगतान की इंट्री तभी पास करेगा जबकि वह सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि क्लासीफाइड, पेमेटशीट, भुगतान लिपिक की पेमेटशीट, डिस्क्रीबेन्शी रजिस्टर, रोकड़ बही, आदि की जाँच कर लेगा। जब तक कि हिसाब का मिलान न हो जाये लेखाकार गन्ना मूल्य की इंट्री कैश बुक मे नहीं करेगा। गन्ना मूल्य के भुगतान के पश्चात् तुरन्त पेमेटशीट (तौल शीट) पर प्रत्येक पर्ची की भुगतान तिथि का अंकन कराना चाहिए।

यदि गन्ना मूल्य का भुगतान सीजन बद होने के बाद भी चल रहा है तो अनपेड लिस्ट तैयार कराने के लिए भुगतान की अन्तिम तिथि भी ३० जून के भीतर निर्धारित करना आवश्यक है। वर्ष के बाद जिन पर्चियों का भुगतान नहीं हुआ है उनका भुगतान अनपेड लिस्ट से चेक कराकर समिति के मुख्यालय पर मुख्य कोषाध्यक्ष द्वारा होना चाहिए।

यदि किसी कृषक की पर्ची खो गई हो तो सम्बन्धित कृषक का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर समिति के सचिव द्वारा केन लेजर पर उस पर्ची का भुगतान रोकने के लिए स्पष्ट आदेश होने चाहिए। खोई हुई

पर्ची का भुगतान तभी किया जावेगा जब वह बन जायेगी।³⁵

इस प्रकार देखा जायेगा कि गन्ना मूल्य का भुगतान एव उसके हिसाब का रख-रखाव करना इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि गन्ना समिति में नियुक्ति सभी पदाधिकारियों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। जरा सी लापरवाही से गन्ना समिति को लाखों रुपये का घाटा हो सकता है इस तारतम्य में समिति के लेखाकार का विशेष रूप से उतरदायित्व है कि वह उपरोक्तानुसार अपने कर्तव्यों को सत्यनिष्ठा एव लगन से निर्वाह करे ताकि न केवल कृषकों की गन्ना मूल्य के भुगतान में सुविधा हो बल्कि हिसाब भी सही सही बनता रहे।

सहकारी गन्ना विकास समिति की ऋण वसूली योजना :- चीनी मिलों के गन्ने की पूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के साथ-साथ प्रदेश की गन्ना समितियों का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि प्रतिवर्ष गन्ना किसानों को विभिन्न कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु १०-१५ करोड़ रुपये के उत्पादक ऋण वितरित करती है। परन्तु वाछनीय ऋण वसूली के अभाव में आर्थिक कठिनाइयों के निवारण की दृष्टि से निबन्धक सहकारी गन्ना विकास समितियों उत्तर प्रदेश ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए वर्ष १९७१-७२ में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम १९६५ एव उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों एवं प्रविधान के अनुसार ऋण वसूली हेतु एक योजना लागू की। इस योजना के अंतर्गत वसूली अधिकारियों व विक्रय अधिकारियों की नियुक्ति जनपदों में की गयी। यह योजना समितियों हित में बहुत लाभकारी सिद्ध हुई।³⁶

प्रयोगात्मक रूप में यह योजना सर्वप्रथम ९ जिलों में लागू की गई थी। इसकी सफलता को देखकर इस योजना का विस्तार किया गया और अब यह योजना ३३ जनपदों में कार्य कर रही है।

इस योजना का संचालन मुख्य वसूली अधिकारी की देखरेख में गन्ना आयुक्त एवं निबन्धक सहकारी समितियों के नियंत्रण में होता है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक पूर्ण

³⁵ "गन्ना" मासिक मई १९९७ पृष्ठ संख्या ७ ।

³⁶ वार्षिक रिपोर्ट वर्ष १९९२-९३ से १९९४-९५ पृष्ठ संख्या ७ ।

स्वाबलम्बी योजना है, जिसके व्यय का भार न तो गन्ना संघ पर है और न तो गन्ना समितियों पर ही है। इसका समस्त व्यय दस प्रतिशत वसूली खर्चा की आय से वहन होता है।³⁷

उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादों का विपणन :- हमारे देश में गन्ने का प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता है। गन्ने से गुड़, राव, भेली, चूर्ण, शक्कर, श्वेत चीनी, सीरा, खोइया, प्रेसमड आदि बनाये जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग में लगभग ७० हजार करोड़ रुपये की पूँजी विनियोजित है तथा इसमें ३६ लाख प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत है। इस उद्योग में भारत को लगभग ४५० करोड़ रुपये के वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होने के साथ-साथ ३८ लाख से अधिक गन्ना उत्पादकों को भी प्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्त हो रही है। इसके साथ-साथ यह उपउत्पादों एवं सह-उत्पादों से संबंधित उद्योगों को विकसित करने की क्षमता भी रखता है।³⁸

भारत में प्राचीन काल से ही खाण्डसारी, भूरी शक्कर एवं गुड़ का उत्पादन होता रहा है। गन्ने से शक्कर बनाने की विधि भारत की ही देन है। १५ वीं से १९ वीं शताब्दी तक भारत परम्परागत विधियों से भूरी शक्कर का उत्पादन किया जाता था। सन् १९०३ से भारत में चीनी के आधुनिक कारखानों का शुभारम्भ किया गया, किन्तु १९३० तक प्रगति अत्यंत धीमी रही और देश में केवल ३२ चीनी कारखानों की स्थापना की जा सकी। १९३२ में सरकारी संरक्षण प्राप्त हो जाने के बाद चीनी उद्योग की अत्यधिक प्रगति हुई जिसका परिणाम यह हुआ कि देश में चीनी कारखानों की संख्या ३२ से बढ़कर वर्ष १९३८-३९ में १३० हो गई तथा चीनी का उत्पादन १६ लाख टन से बढ़कर ६४ लाख टन हो गया। सन् १९३९ में द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण चीनी की माँग में वृद्धि हुई और चीनी कारखानों की स्थिति सुधरने लगी। युद्धकाल में चीनी उद्योग ने सतोषजनक प्रगति की और सन् १९४५ में देश में चीनी का उत्पादन लगभग दस लाख टन से ऊपर पहुँच गया।³⁹

³⁷ वार्षिक रिपोर्ट वर्ष १९९२-९३ से १९९४-९५ पृष्ठ संख्या ७ ।

³⁸ शर्मा ओ०पी०, भारतीय चीनी उद्योग, योजना, नवम्बर १९९९, पृष्ठ संख्या १८ ।

³⁹ वही पृष्ठ संख्या १८ ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष १९४७ में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के आग्रह पर केन्द्र सरकार ने चीनी के उत्पादन एवं वितरण से नियंत्रण हटा लिया लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि चीनी के मूल्य में तीव्र वृद्धि होने लगी। परिणामतः वर्ष १९४८ में चीनी पर पुनः नियंत्रण लागू करना पड़ा। तब से लेकर आज तक सरकार का चीनी उत्पादन एवं वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण बना हुआ है और चीनी के मूल्यों में अनावश्यक वृद्धि रोकने हेतु समुचित प्रयास किए जाते रहे हैं।

हालांकि उदारीकरण के दौर में केन्द्र सरकार द्वारा देश में चीनी के बढ़ते उपयोग के मद्देनजर खुली सामान्य लाइसेंसिंग प्रणाली के अंतर्गत चीनी को शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान कर दी गई थी किन्तु १४ जनवरी १९९९ से देश में चीनी आयात पर मूल्यानुसार शुल्क बीस प्रतिशत कर दिया गया है। चीनी पर प्रति टन ८५० रुपये के प्रतिकारी शुल्क को मिलाकर देखे तो वर्तमान में आयात पर कुल शुल्क २७ प्रतिशत हो गया है।⁴⁰


योजना बद्ध विकास के विगत लगभग पाँच दशकों में केन्द्र सरकार की नियंत्रण, विनियंत्रण और पुनः नियंत्रण की नीति के कारण चीनी उत्पादन में अस्थिरता के बावजूद भारतीय चीनी उद्योग की प्रगति अत्यंत उत्साहवर्द्धक रही है। इस अवधि में न केवल चीनी उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि चीनी कारखानों की संख्या भी उतरोत्तर बढ़ी है। नियोजित विकास में चीनी उद्योग का विकास निम्न तालिका से स्पष्ट है -

नियोजित काल में चीनी उद्योग का विकास

योजना	उत्पादन लक्ष्य (लाख टन में)	वास्तविक उत्पादन (लाख टन में)	कारखानों की संख्या
प्रथम योजना (प्रथम वर्ष)	18	19.34	138
द्वितीय योजना (अंतिम वर्ष)	25	30.29	175
तृतीय योजना (अंतिम वर्ष)	35	35.32	200
चतुर्थ योजना (अंतिम वर्ष)	47	39.50	229

⁴⁰ शर्मा ओ०पी०, भारतीय चीनी उद्योग, योजना, नवम्बर १९९९, पृष्ठ संख्या १८ ।

पाचवी योजना (अंतिम वर्ष)	54	58.42	298
छठी योजना (अंतिम वर्ष)	76	61.78	356
सातवी योजना (अंतिम वर्ष)	102	109.90	414
आठवी योजना (अंतिम वर्ष)	143	122.92	422
नवी योजना (प्रथम वर्ष)	148	128.24	450



स्रोत : योजना नवम्बर 1999

दिसम्बर १९९८ में देश में ५५ लाख टन चीनी का स्टॉक उपलब्ध था। वर्ष १९९९ में १५५ लाख टन चीनी उत्पादन की संभावना है। इस प्रकार वर्ष १९९९ में देश में उपलब्ध चीनी का भण्डार २१० लाख टन होगा जबकि इस वर्ष चीनी की खपत १५० लाख टन होने की आशा है।⁴¹

⁴¹ शर्मा ओ०पी०, भारतीय चीनी उद्योग, योजना, नवम्बर १९९९, पृष्ठ संख्या १८ ।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतर प्रदेश चीनी उत्पादन में कई वर्षों से अग्रणी बना हुआ है। वर्ष १९९७-९८ में उत्तरप्रदेश में ३७ लाख टन तथा महाराष्ट्र में ३३ लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था।

पहले देश में चीनी कारखानों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य था किन्तु २० अगस्त १९९८ को केन्द्र सरकार ने चीनी उद्योग पर १९३१ से लागू लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी। वर्तमान में दो चीनी कारखानों के मध्य १५ किलोमीटर के फासले की शर्त को जारी रखा गया है। नए चीनी कारखानों पर क्षमता से सबधित भी कोई शर्त लागू नहीं की गई है। साथ ही नई चीनी इकाइयों के लिए उत्पादन का चालीस प्रतिशत भाग सरकार को लेवी चीनी के रूप में बेचने की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। किन्तु पूर्व में स्थापित कारखानों के लिए यह बाध्यता बनी रहेगी। सरकार ने यह भी निश्चित किया है कि २,५०० टन दैनिक पिराई क्षमता से कम की इकाइयों को लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। सरकार ने चीनी के निर्यात को मुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप अब चीनी कारखाने अब सीधे ही चीनी का निर्यात कर सकेंगे। अभी तक चीनी का निर्यात केवल भारतीय चीनी एवं सामान्य उद्योग आयात-निर्यात निगम के माध्यम से ही होता आया है।⁴²

१८ मई १९९९ को मूल्यों पर मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा मूल्यविहीन उत्पाद (क्यूब्स व उपभोक्ता पैक आदि) के रूप में २५ हजार टन तक चीनी निर्यात की अनुमति प्रदान की गई है। यह सीमा यूरोपीय संघ एवं अमेरिका के लिए पहले से ही आवंटित ३० हजार टन के कोटे के अतिरिक्त है।⁴³

जून १९९९ में देश के कपड़ा मंत्रालय द्वारा जूट पैकेजिंग आदेश का दायरा बढ़ाते हुए सभी चीनी उत्पादों की विशिष्ट किस्म के जूट बोरो में पैकिंग अनिवार्य बना दी गई है। इस निर्णय का चीनी उद्योग ने कड़ा विरोध किया है तथा चीनी मिल मालिकों का कहना है कि कपड़ा मंत्रालय के इस कदम से चीनी उद्योग पर सलाना तीन सौ करोड़ रूपए का अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा। इस मामले में खाद्य मंत्रालय भी चीनी उद्योग के साथ है और इसने जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम १९८७ के तहत चीनी उद्योग को छूट देने के सिफारिश की है। भारतीय चीनी मिल संघ ने जूट पैकेजिंग आदेश में छूट के आलावा चीनी पैकेजिंग एवं मार्किंग आदेश

⁴² शर्मा ओ०पी०, भारतीय चीनी उद्योग, योजना, नवम्बर १९९९, पृष्ठ संख्या १८ ।

⁴³ वही पृष्ठ संख्या १८ ।

को हटाने की माँग भी की है। इस आदेश के तहत चीनी मिलों को चीनी सौ किलो के विशिष्ट आकार और मार्किंग आदेश को हटाने की माँग भी की है। इस आदेश के तहत चीनी मिलों को चीनी सौ किलो के विशिष्ट आकार और मार्किंग के जूट के बोरो में ही पैकिंग करना जरूरी किया गया है। घरेलू चीनी उद्योग की कुछ और भी पीडाये है उसे अपने कुल चीनी उत्पादन का ४० प्रतिशत सरकार को कम भाव पर लेवी के लिए देना पड़ता है तथा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर गन्ना खरीदना पड़ता है। जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसे सस्ते आयात से प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ रही है। आयातित चीनी पर न तो लेवी का नियम लागू होता है और न ही उस पर स्टॉक संबंधी कोई प्रतिबंध आदि है। यही वजह है कि चीनी उद्योग चीनी का आयात शुल्क ४० प्रतिशत तक करने की माँग कर रहा है।⁴⁴

भारत में चीनी का उत्पादन लागत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित २४० डालर प्रतिटन की कीमत से काफी ऊँची है। सरकारी संरक्षण के बावजूद अन्य भारतीय उद्योगों की भाँति चीनी उद्योग ने भी कभी तकनीकी और प्रबंधकीय सुधारों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। उदारीकरण के इस दौर में अब वह आयात पर प्रतिबंध के जरिए अपना भार उपभोक्ताओं पर लागू करना चाहता है।⁴⁵

उपर्युक्त समस्याओं के अलावा भारतीय चीनी उद्योग उन्नत किस्म के गन्ने की कमी, परिवहन ससाधनों की अपर्याप्तता, चीनी का बढ़ता आंतरिक उपभोग, प्रति हेक्टेयर गन्ने की कम उत्पादकता, उत्पादों की समस्या, आधुनिकीकरण, अस्थायी मूल नीति का अभाव, ईंधन की कमी, शोध एवं अनुसंधान कार्यों का अभाव, कारखानों का अवैज्ञानिक वितरण, निर्यात-संवर्धन हेतु प्रभावी व्यूह-रचना का अभाव आदि अनेक प्रकार की सरचानात्मक एवं आधारभूत समस्याओं के कारण वांछित विकास नहीं कर पा रहा है।⁴⁶

भारतीय चीनी उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय चीनी बाजार के प्रभावों के अनुरूप ढालने तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित करने हेतु जहाँ एक ओर प्रौद्योगिकी सुधार तथा प्रबंधकीय कुशलता की ओर पर्याप्त ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए, वहीं चीनी की उत्पादन लागत कम करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में

⁴⁴ शर्मा ओ०पी०, भारतीय चीनी उद्योग, योजना, नवम्बर १९९९, पृष्ठ संख्या १८ ।


⁴⁵ वही पृष्ठ संख्या १८ ।

⁴⁶ वही पृष्ठ संख्या १८ ।

होने वाले अपव्ययो को समाप्त करते हुए सहउत्पादो का भी समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने के लिए किसानों को उत्तम बीज उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें कृषि के उन्नत तरीको एव रसायनिक तथा कीटनाशक खादो के प्रयोग के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए। देश में चीनी उद्योग के महत्व को ध्यान में रखते हुए चीनी कारखानो के आधुनिकीकरण तथा शोध एव अनुसंधान कार्यो पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। गन्ना शोध सस्थान, कोयम्बटूर में विकसित गन्ने की किस्म दक्षिण भारत के लिए तो उपयोगी है, किन्तु यह तथ्य स्थिति-विशिष्ट शोध की आवश्यकता पर बल देता है अर्थात् उत्तर भारत के लिए भी ऐसे शोध कार्य करके उन्नत किस्म विकसित की जानी चाहिए। विकसित राष्ट्रो की भाँति कृत्रिम चीनी (एच० एफ० एस० अर्थात् अधिक फल व शर्करायुक्त शर्बत) बनाने की कारखानो की स्थापना की जानी चाहिए। देश में चीनी के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त स्टॉक का निर्माण आवश्यक है। साथ ही देश में चीनी के बढ़ते आंतरिक उपभोग को नियंत्रित करने तथा उद्योग के त्वरित विकास हेतु एक व्यावहारिक, दीर्घकालीन तथा स्पष्ट मूल्य एवं वितरण नीति का होना भी बहुत जरूरी है।⁴⁷

गन्ना उत्पादको के प्रमुख वर्गीकरण को निम्न तालिका की सहायता से दिखाया गया है -

गन्ना उत्पादों का वर्गीकरण⁴⁸



⁴⁷ शर्मा ओ०पी०, भारतीय चीनी उद्योग, योजना, नवम्बर १९९९, पृष्ठ संख्या १८ ।

⁴⁸ रिपोर्ट आन द मार्केटिंग ऑफ सुगर १९८३, पृष्ठ संख्या १९८

इसके अतिरिक्त गन्ने के अन्य औद्योगिक उपयोग भी हैं जैसे गन्ने के पौधों को छोटने से व्यर्थ पदार्थ से पेपर बोर्ड, कम्पोस्ट खाद, चारा आदि बनता है। इसी प्रकार खोइया से चारा, गता एवं कागज, उत्प्रेरित कार्बन, सिलिकोज, फिल्टर ईंधन, खाद आदि बनाये जाते हैं। इसी प्रकार शीरा का प्रयोग तम्बाकू, खाड, चारा, पोटेश, फिटकरी आदि में किया जाता है।

गन्ने के विभिन्न प्रमुख उपयोग :- हमारे देश में गन्ना का मुख्यतः गुड, खॉड, चीनी के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के कुल गन्ना क्षेत्रफल का सबसे बड़ा भाग गुड़ के उत्पादन में प्रयुक्त है जो वर्ष १९९०-९४ के मध्य लगभग ४२.३३ प्रतिशत रहा है। इसके उपरान्त गन्ने का उपयोग चीनी उत्पादन में होता है जो लगभग २६.०५ प्रतिशत तक रहा। खाण्डसारी उत्पादन में गन्ने का प्रयोग १२ से १४ प्रतिशत के मध्य में रहा है।

गुड़ का विपणन

परिचय :- गन्ने के रस में जो भी पोषक सामग्री होती है वह सब सघन रूप में गुड़ में विद्यमान रहती है, जबकि श्वेत शर्करा, में गन्ने के रस के अत्यन्त पोषक पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं खनिज पदार्थ आदि पृथक् कर दिये जाते हैं। गुड़ में खाद्य पदार्थ अपने नैसर्गिक रूप में रहने के कारण स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है किन्तु शर्करा उत्पादन प्रक्रिया में प्राकृतिक खाद्य पदार्थ का नैसर्गिक रूप इस सीमा तक नष्ट हो जाता है कि स्वास्थ्य के लिए अपेक्षाकृत उसकी पोषकता में अत्यन्त ह्रास हो जाता है। गुड़ में आयोडीन, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, आदि तत्व पाए जाते हैं। इस प्रकार गुड़ में जितने पोषक तत्व हैं उनका ज्ञान यदि सर्वसाधारण को हो जाय तो उसे छोड़कर सफेद शर्करा की ओर उनका सुझाव नहीं होगा।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि गुड़ में सुक्रोज के अलावा ग्लूकोज तथा कैल्शियम व फास्फेट खनिज तथा प्रोटीन व वसा की भी कुछ मात्रा विद्यमान है। अतः गुड़ श्वेत शर्करा की अपेक्षा अधिक पोषक एवं निरापद भोज्य पदार्थ है।

गुड़ का एकर्रीकरण एवं वितरण :- अन्य कृषि पदार्थों की भाँति गुड़ के एकर्रीकरण में निम्न

प्रमुख सस्थाएँ संलग्न हैं :-

- ❖ उत्पादक
- ❖ गाँव का बनिया
- ❖ फुटकर व्यापारी
- ❖ थोक व्यापारी
- ❖ घुमता फिरता व्यापारी
- ❖ सहकारी समितियाँ ।

अतः विभिन्न सस्थाओं को किसानों द्वारा की गयी बिक्री का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया गया है। ० से ५ एकड़ तक की जोत के छोटे किसान अपनी उपज का २३-२५ प्रतिशत मण्डी को, ३५-६५ प्रतिशत गाँव के व्यापारी को, १४-८९ प्रतिशत घुमता फिरता व्यापारी को, २४-९६ प्रतिशत थोक व्यापारी को, ०१ प्रतिशत सहकारी समिति को बेचते हैं। ०५ से १० एकड़ तक की जोत के किसान अपनी उपज का २५-७५ प्रतिशत मण्डी को, ३७-१० प्रतिशत गाँव के व्यापारी को, १०-७१ प्रतिशत घुमता-फिरता व्यापारी को, २५-२१ प्रतिशत थोक व्यापारी को और १-२३ प्रतिशत सहकारी समिति को बेचते हैं। १० एकड़ एवं उससे अधिक जोत के किसान अपनी कुल उपज का ३०-०९ प्रतिशत उत्पादक को, ३३-३९ प्रतिशत गाँव के व्यापारी को, ९-५३ प्रतिशत घुमता फिरता व्यापारी को, २६-५१ प्रतिशत थोक व्यापारी को एवं १-१३ प्रतिशत सहकारी समिति को बेचते हैं।

विपणन माध्यम :- सामान्यतः किसान स्तर से अन्तिम उपभोक्ता स्तर तक गुड़ का स्वामित्व अनेक जगहों पर हस्तान्तरित होता है। अध्ययनार्थ चुने गये क्षेत्र में जिन-जिन प्रमुख विक्रय मार्गों से होकर गुड़ अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचते हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है -

- ✓ किसान → गाँव का बनिया → थोक व्यापारी → फुटकर → उपभोक्ता व्यापारी ।
- ✓ किसान → थोक व्यापारी → फुटकर व्यापारी → अन्तिम उपभोक्ता ।

- ✓ किसान → घुमता-फिरता व्यापारी → फुटकर व्यापारी → उपभोक्ता व्यापारी ।
- ✓ किसान → घुमता फिरता व्यापारी → थोक व्यापारी → फुटकर व्यापारी → उपभोक्ता व्यापारी
- ✓ किसान → बनिया → उपभोक्ता ।
- ✓ किसान → सहकारी विपणन समितियाँ → उपभोक्ता ।

इस प्रकार किसान के घर बनिये या घुमन्तु व्यापारी आते हैं, मोलभाव तय करके उसके उपज को खरीद लेते हैं। कभी-कभी किसान स्वतः अपनी उपज को सीधे मण्डी में ले जाकर बेच आता है।

अतः इससे विदित हो रहा है कि किसान द्वारा सीधे मण्डी को की गई बिक्री का औसत कुल उपज की ३०.०९ प्रतिशत है, गाँव के व्यापारी को की गई बिक्री कुल उपज की ३३.३९ प्रतिशत, घुमता-फिरता, व्यापारी को ०९.५३ प्रतिशत, थोक व्यापारी को २६.५१ प्रतिशत और सहकारी समिति को ०१.१३ प्रतिशत है। स्पष्ट है किसान अपनी उपज का सर्वाधिक भाग क्रमशः गाँव के व्यापारी, मण्डी एवं थोक व्यापारी को बेचते हैं। सहकारी समितियों को की गयी बिक्री अतिन्यून है।

वर्गीकरण :- गुड़ के वर्गीकरण एवं प्रमापीकरण के लिए केन्द्रीय विपणन कर्मचारियों द्वारा कुछ प्रमाण निर्धारित किये गये जिनको कृषि उत्पादन अधिनियम १९३७ के अतर्गत मान्यता प्राप्त हो चुकी है। किन्तु आज भी मण्डियों में अधिकांशतः गुड़ की बिक्री व्यापारियों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों के आधार पर होती है। चीनी कि किस्म का निर्धारण अधिकतर इसके रंग एवं दाने के आकार के आधार पर किया जाता है। शक्कर के प्रचलित ग्रेड इस प्रकार हैं -

- ए ३०, बी ३०, सी ३०, डी ३०, एफ ३०, ए-ए ३०, ए २९, बी २९, सी २९, डी २९, एफ २९ ।
- ए-ए ३० का दाना अधिक मोटा होता है और इसका रंग भी अधिक सफेद होता है ।
- ए-३० का दाना सफेद होता है और मोटा होता है परन्तु ए-ए ३० से कुछ कम मोटा होता है ।
- बाजार में बहुधा सी एव डी ग्रेड की शक्कर अधिक बिकती है ।

विपणन खर्च एवं कीमत प्रसार :- प्राथमिक मण्डी से लेकर थोक मंडी तक और उसके बाद

अब तक कृषि पदार्थ अन्तिम उपभोक्ता के हाथ नहीं पहुँच पाते अनेक विपणन सम्बन्धी खर्च इनकी कीमतों में शामिल होते रहते हैं। परिणाम यह होता है कि किसान द्वारा प्राप्त की गई कीमत तथा अन्तिम उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत में एक बड़ा अन्तराल उपस्थित हो जाता है। किसान द्वारा प्राप्त की गई कीमत तथा अन्तिम उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत का अन्तराल सब स्थितियों में एक समान नहीं होता और न ही सभी फसलों के सदर्थ में एक समान होता है। उपभोक्ता मूल्य में उत्पादक का प्रतिशत भाग सरसो तेल में ६४.७३ प्रतिशत गुड में ८५.९६ प्रतिशत है।⁴⁹ इस प्रकार उपभोक्ता मूल्य और उत्पादक की कीमत में १५ से ३५ तक का अन्तराल पाया जाता है। गुड़ के विपणन में उत्पादनकर्ता द्वारा प्राप्त की गयी कीमत और अन्तिम उपभोक्ता द्वारा दी गयी कीमत के अन्तराल का अध्ययन चुनी गयी मण्डियों में किया गया।

अतः उत्पादक वर्ग द्वारा गुड़ के विपणन में किये गए खर्चों का विवरण दिया गया है। अलग-अलग मण्डियों में किये जाने वाले खर्चों में भिन्नता पायी जाती है। अतः चुनी गयी मण्डियों में लिये गए खर्चों का औसत दिखाया गया है। स्पष्ट है कि यातायात व्यय दस रुपये प्रति क्विंटल, चुँगी ४५० पैसे प्रति, नमूना ५१ किलो प्रति गाड़ी है। इस प्रकार एक टन की उपज पर कुल ३१.०० रुपये का विपणन खर्च उत्पादक द्वारा किया गया जो उपभोक्ता मूल्य का ०.८२ प्रतिशत है।

अतः चुनी गयी मण्डियों में गुड़ के थोक व्यापारी द्वारा वहन किये जाने वाले व्यय को दिया है जो इस प्रकार है। यातायात व्यय दस रुपये प्रति क्विंटल, दलाली तीन रुपये प्रति सैकडा, आढत १.५ प्रतिशत, पल्लेदारी तीन रुपये बोरा, प्रतिस्थापन खर्च बारह रुपये प्रति क्विंटल, चुँगी ४५० पैसे प्रति क्विंटल, नमूना १ कि०ग्रा० प्रति गाड़ी है। इस प्रकार प्रति टन की उपज पर कुल ३१.०० रु० का विपणन खर्च उत्पादक द्वारा किया गया जो उपभोक्ता मूल्य का ०.८२ प्रतिशत है।

अतः चुनी गयी मण्डियों में गुड़ के थोक व्यापारी द्वारा वहन किये जाने वाले व्यय को दिया है जो इस प्रकार है। यातायात व्यय १० रु० प्रति क्विंटल मण्डी शुल्क एक प्रतिशत तौलाई ३० रुपये

⁴⁹ सौजन्य से उ०प्र० चीनी निगम, लखनऊ ।

बोरा, एसोशिएसन १ ३० पैसा क्विंटल अन्य खर्च दस रूपये प्रति क्विंटल है। इस प्रकार प्रति टन पर १३४.५० रूपये थोक विक्रेता द्वारा विपणन खर्च किया जा रहा है जो उपभोक्ता मूल्य का ३.५९ प्रतिशत है।

अतः फुटकर विक्रेता के विपणन परिव्यय को दिया गया है जो इस प्रकार है, दलाली तीन रूपये सैकडा, तौलाई तीन रूपये बोरा, पल्लेदारी तीन रूपये बोरा, प्रतिस्थापन खर्च दस रूपये प्रति क्विंटल, इस प्रकार प्रति १७६ ९५ टन फुटकर विक्रेता द्वारा विपणन व्यय किया गया जो उपभोक्ता मूल्य का ४ ७२ प्रतिशत है।

अतः उत्पादक से लेकर अन्तिम उपभोक्ता तक के सम्पूर्ण विपणन खर्चों एवं उपभोक्ता मूल्य में उसके हिस्से को दिखाया गया है। स्पष्ट है कि उत्पादक द्वारा विभिन्न रूपों में दिया गया विपणन व्यय ३१ रूपये प्रति टन है। जो उपभोक्ता मूल्य का ०.८२ प्रतिशत है। उत्पादक का उपभोक्ता मूल्य में मात्र ८६ ७९ प्रतिशत भाग है शेष १३ २१ प्रतिशत विपणन खर्च एवं मध्यस्थों के हिस्से है। उपभोक्ता मूल्य में विभिन्न खर्चों का प्रतिशत भाग इस प्रकार है, परिवहन खर्च ०.८२ प्रतिशत, मण्डी खर्च ३.४३ प्रतिशत, बिक्रीकर ३ ५६ प्रतिशत, प्रतिस्थापना खर्च ०.५८ प्रतिशत, अन्य खर्च ०.७२ प्रतिशत है। इसमें विभिन्न वर्गों द्वारा वहन किया गया खर्च उपभोक्ता मूल्य का, उत्पादक द्वारा ० ८२ प्रतिशत, थोक विक्रेता का ३ ५९ प्रतिशत, और फुटकर विक्रेता का ४ ७२ प्रतिशत है। वितरण माध्यम में संलग्न थोक विक्रेता की शुद्ध आय उपभोक्ता मूल्य की ३ ५९ प्रतिशत है और फुटकर विक्रेता की ३ १२ प्रतिशत है।

खाण्डसारी व गुड़ की नई नीति :- खाण्डसारी व गुड़ उद्योग भी हमारे देश का बहुत बड़ा

उद्योग है और लाखों लोग इससे आजीविका पाते हैं। गन्ने के कुल उत्पादन का औसतन २५ ३० प्रतिशत भाग ही चीनी मिलों में जाता है।⁵⁰ बाकी की गुड़ व खाण्डसारी बनाने, बीज व चूसने में खपत होती है। हमें चीनी मिलों, खाण्डसारी व गुड़ इकाइयों तथा किसानों के गन्ने की खपत में पूरी तरह सामंजस्य रखना चाहिए, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार गुड़ और खाण्डसारी उद्योग प्रोत्साहित करने का पूरा प्रयास कर रही है। वर्तमान सरकार ने खाण्डसारी नीति को किसानों परक बनाया है। सुप्त ईकाइयों को भी यदि वे गन्ना पैरना चाहें तो

⁵⁰ "गन्ना" सितम्बर १९९३ पृष्ठ संख्या ५ ।

८२-८३ के सीजन में लाइसेंस देने की सुविधा दी गई है ताकि किसानों के गन्ने की अधिक खपत हो सके। निजी गन्ना पेरने के लिए किसानों को यह सुविधा दी गयी कि खड़े कोल्हूओं पर कोई लाइसेंस और फीस नहीं रखी गई। वर्तमान सीजन में प्रदेश में ४८५ पावर क्रशर के नये लाइसेंस सृजित किये गये।⁵¹ लाइसेंस कृत इकाइयों के आकार प्रकार, नाम तथा स्थान परिवर्तन की नीति उदार रखी गई। खांडसारी इकाइयों पर लेवी भी समाप्त कर दी गई।

चीनी उत्पादन में विभिन्न व्यय :- चीनी मिलों के उत्पादन लागत में विभिन्नता पायी जाती है।

मिल की प्रगति इस आधार पर आँकी जाती है कि उसकी निर्धारित पेराई क्षमता कितनी है? क्योंकि गन्ने की पेराई और चीनी का उत्पादन बड़ी सीमा तक इस बात पर निर्भर करता है कि चीनी मिल की निर्धारित पेराई क्षमता क्या है। चीनी मिलों की निर्धारित पेराई क्षमता को देखते हुए गन्ना पूर्ति में अवरोध के कारण प्रति यूनिट चीनी उत्पादन पर, उत्पादन की सम्पूर्ण व्यवस्था पर तथा मिलों को होने वाले लाभांश पर कुप्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

ऐसा देखा गया है कि बड़ी श्रेणी की चीनी मिलों की प्रति ६०० टन निर्धारित पेराई क्षमता पर उत्पादित चीनी से यद्यपि काफी आय हुई तथापि इस श्रेणी की मिलों के आकार में ज्यों-ज्यों वृद्धि की गई त्यों-त्यों निर्धारित क्षमता के आधार पर इनकी वास्तविक आय में गिरावट आती गयी।⁵²

अतः इससे स्पष्ट हो रहा है कि चीनी के उत्पादन में सामान्यतः गन्ना मूल्य ६१.०३ प्रतिशत है, गन्ना क्रय कर ३.६५ प्रतिशत, गन्ना कटाई यातायात एवं अन्य व्यय ६.९७ प्रतिशत, चीनी उत्पादन में किया गया व्यय ६.८१ प्रतिशत, अवमूल्यन १.६९ प्रतिशत, अन्य हनियों ०.१४ प्रतिशत हैं इस प्रकार चीनी का उत्पादन मूल्य में कृषक यानि उत्पादक का हिस्सा ६१.०३ प्रतिशत मात्र है। शेष उत्पादन लागत एवं विक्रय सम्बन्धी व्यय है।⁵³

⁵¹ "गन्ना" सितम्बर १९९३ पृष्ठ संख्या ५ ।

⁵² "गन्ना" मासिक मई १९९७ पृष्ठ संख्या ३६ ।

⁵³ "गन्ना" मासिक मई १९९७ पृष्ठ संख्या ३६ ।

सरकार और चीनी विपणन :- शक्कर के विपणन के क्षेत्र में सन् १९५० के बाद से बराबर

सरकारी हस्तक्षेप रहा है सन् १९५०-५१ में 'आंशिक स्वतंत्र विपणन' की नीति बर्ती गई। जिसका प्रभाव अधिक स्वास्थ्यवर्धक रहा। १९५२-५३ में शक्कर से बिल्कुल नियंत्रण हटा लिया गया। गुड़ और खाडसारी का भी विपणन पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। यद्यपि गन्ने की निम्नतम कीमत सरकार द्वारा फिर भी निर्धारित की गई⁵⁴ किसानों के हित की रक्षा को ध्यान में रखते हुए वर्ष १९५३-५४ में यू पी शुगर केन (रेगुलेशन ऑफ सप्लाय एण्ड परचेज) एक्ट बनाया गया⁵⁵ १९२३ के बाद शक्कर का विपणन माँग और पूर्ति की शक्तियों पर आधारित रहा और इस ओर विशेष चिन्ता न रही, पर सन् १९५८ के बाद शक्कर की पूर्ति कम हो जाने के कारण बाजारू परिस्थितियाँ फिर बिगड़ने लगी और १९५९ में शक्कर की कीमते इतनी अधिक बढ़ गई कि सरकार को पुनः हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया। सरकार ने शक्कर का वितरण पूर्ण रूप से अपने हाथों में ले लिया और उपभोक्ताओं को सीधे सरकारी सस्ती दूकानों के द्वारा शक्कर की बिक्री की जाने लगी। धीरे-धीरे परिस्थितियों के संभालने के साथ-साथ खुले बाजारों में भी शक्कर की बिक्री की जाने लगी। १९६१ में शक्कर का उत्पादन उपभोग से कहीं अधिक था जिससे सितम्बर १९६१ में सभी नियंत्रण उठा लिये गये।⁵⁶

१९६३ में जुलाई से फिर शक्कर की कमी हो जाने के कारण मूल्यों को बढ़ते हुए देखकर सरकार ने शक्कर का बाजार अपने हाथों में ले लिया। सरकारी दुकानों द्वारा या सहकारी उपभोक्ता स्टोर्स द्वारा राशन कार्ड पर शक्कर एक निश्चित भाव पर दी जाने लगी। इस प्रकार बाजार पुनः सरकारी नियंत्रण में आ गया। इस नियंत्रण के अंतर्गत सरकार ने विभिन्न मिलों से खरीदी जाने वाली चीनी के दाम निश्चित कर दिये यद्यपि इस क्षेत्रीय मूल्यों के निर्धारण से उत्पादकों को काफी असंतोष रहा। यह मूल्य ११६ रूपये कुन्तल से १२० रूपये कुन्तल के बीच में था। सरकारी खरीददारी व विक्रय नियंत्रण के द्वारा चीनी विपणन वैज्ञानिक बन्दिशों के बीच जकड़ कर रह गया। इस नियंत्रण से उत्पादक व उपभोक्ता दोनों ही परेशान थे।⁵⁷

⁵⁴ गन्ना एव चीनी आयुक्त कार्यालय, २ माल एवेन्यू, उ०प्र०, लखनऊ ।

⁵⁵ "गन्ना" मासिक अगस्त-सितम्बर १९९१ पृष्ठ संख्या ६९

⁵⁶ गन्ना एव चीनी आयुक्त कार्यालय, २ माल एवेन्यू, उ०प्र०, लखनऊ

⁵⁷ गन्ना एव चीनी आयुक्त कार्यालय, २ माल एवेन्यू, उ०प्र०, लखनऊ

सेन कमीशन ने सन् १९६५ में यह सुझाव दिया कि चीनी बाजार को नियंत्रणों से मुक्त कर दिया जाए और सरकार बफर स्टॉक बनाये जिससे क्रय और विक्रय द्वारा मूल्य स्थिर रखे जा सके। भाग्यवश १९६४-६५ और १९६५-६६ में उत्पादन अच्छा हुआ जिससे मूल्यों में गिरावट आई पर १९६६ के सूखे के कारण परिस्थिति फिर खराब हो गई और चीनी की कमी होने लगी। सरकार ने चीनी के कोटे कम कर दिये जिससे चीनी काले बाजार में ऊँचे दामों पर बिकने लगी। सरकार ने चीनी का उत्पादन और अधिक न गिरने देने के लिए चीनी मिलों को अपने उत्पादन का ४० प्रतिशत खुले बाजार में बेचने की छूट दे दी जिससे चीनी मिलों ने गन्ना उत्पादकों से गन्ने की माँग अधिक की और गन्ना उत्पादक इससे प्रोत्साहित होकर पुनः गन्ने की खेती की ओर झुके। इस प्रकार एक निश्चित मात्रा में सरकार जनता को शक्कर एक निश्चित मूल्य पर सरकारी गल्लों की टूकानों द्वारा देती है और साथ में बाजारों में भी चीनी बचे हुए साठ प्रतिशत में मिलों के स्टॉक से बिकने के लिए आती है। कुछ लोगों का कहना था कि अगर सरकार ने ऐसा न किया होता तो शक्कर का उत्पादन बहुत गिर जाता। कुछ लोगों का कहना था कि यदि सरकार चीनी बाजार का अनियंत्रित कर दे तो शक्कर का उत्पादन अपने आप बढ़ेगा और बाजार स्थिर हो जायेगा।⁵⁸

उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन का नया कीर्तिमान⁵⁹

चीनी उत्पादन का नया कीर्तिमान :- कार्यरत १०९ चीनी मिलों द्वारा ४८७ ५१ लाख मिट्रिक टन गन्ना पेरकर ४५ ५६ लाख मिट्रिक टन चीनी का इस वर्ष रेकार्ड उत्पादन हुआ है। इस वर्ष ७४ ८१ लाख मिट्रिक टन अधिक गन्ना पेरकर ८ २७ लाख टन अधिक चीनी का उत्पादन हुआ है जो नया कीर्तिमान है।

रेकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान :-⁶⁰ वर्तमान में गत वर्ष के बकाये में से ५९ ३५ करोड़ तथा इस वर्ष कुल ३८३७ १० करोड़ अर्थात् कुल ३८९६.४५ करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का रेकार्ड भुगतान किया गया है।

अवशेष भुगतान के लिए चीनी मिलवार समीक्षा की जा रही है तथा आशा की जाती है कि सितम्बर माह तक सम्पूर्ण भुगतान करा दिया जायेगा।

⁵⁸ सौजन्य से गन्ना एव चीनी आयुक्त कार्यालय, लखनऊ, उ०प्र० ।

⁵⁹ हिन्दुस्तान, लखनऊ, २९ अगस्त, २००० ई० ।

⁶⁰ हिन्दुस्तान, लखनऊ, २९ अगस्त, २००० ई० ।

विभाग में प्रथम बार उच्च पदस्थ अधिकारियों के विरुद्ध बड़े पैमाने पर कठोर कार्यवाही की गई है जिससे नई सस्कृति विकसित कर दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण तथा अक्षमता एवं अनियमितता के लिए त्वरित कठोर दण्ड देने की व्यवस्था की गई है।

गन्ना घटतौली रोकने के लिए कुल १०५३१ निरीक्षण किये गए जिनमें कुल २१०० अनियमितताएँ पकड़ी गयीं। दण्डस्वरूप ४९७ मिल तौल लिपिकों के लाइसेंस जब्त किये गये। ११० समिति तौल लिपिकों का निलम्बन किया गया, ७०७ मामलों में न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं।

राज्य चीनी निगम एवं सहकारी चीनी मिलों की संचालन व्यवस्था में सुधार -⁶¹

राज्य चीनी निगम :-

- ❖ निगम की मिलों द्वारा अब तक का सर्वाधिक क्षमता उपयोग (९१ ७० प्रतिशत)
- ❖ बेहतर संचालन व व्यय नियंत्रण से नगर हानि में (५० प्रतिशत)
- ❖ आठ चीनी मिलों में नगद लाभ की स्थिति में

सहकारी चीनी मिल संघ :-

- ❖ सहकारी चीनी मिलों द्वारा रेकार्ड चीनी उत्पादन व रेकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान।
- ❖ बेहतर संचालन व व्यय नियंत्रण से नगद हानि में कमी।
- ❖ चौदह चीनी मिलों में नगद लाभ की स्थिति में।

गन्ना कृषकों के हित में लिये गए महत्वपूर्ण निर्णय :-⁶²

- ❖ सरल व व्यावहारिक तीन वर्षीय गन्ना पूर्ति नीति की घोषणा, छोटे व सीमांत कृषकों, सैनिकों भुतपूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रित परिवारजनों को गन्ना पूर्ति में वरीयता।
- ❖ लघु व सीमांत कृषकों के गन्ना ऋण अदायगी नीति को उदार बनाते हुए दो किशतों में अदायगी की सुविधा।
- ❖ सरकारी अनुदान पर कृषि यंत्रों की खरीद में कृषक को मानक यंत्रों के स्वयं खरीद की व्यवस्था।

⁶¹ हिन्दुस्तान, लखनऊ, २९ अगस्त, २००० ई० ।

⁶² हिन्दुस्तान, लखनऊ, २९ अगस्त, २००० ई० ।

- ❖ गन्ना सर्वेक्षण व विपणन का अधिकाधिक कम्प्यूटरीकरण करके स्वच्छ तथा पारदर्शी व्यवस्था की स्थापना।
- ❖ कम्प्यूटरीकृत किसान सेवा केन्द्र की स्थापना तथा किसानों को सूचना देने की नई व्यवस्था।
- ❖ लघु व सीमांत कृषकों को ९० दिनों के अन्दर गन्ना खरीद की व्यवस्था।
- ❖ १.५ लाख से भी अधिक गन्ना किसानों को उन्नतशील गन्ना की खेती का प्रशिक्षण।
- ❖ प्रदेश में गन्ना तौल कौटो के निरीक्षण का अधिकार विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ जन प्रतिनिधियों को भी दिया गया है।

गन्ना विकास एवं गन्ना बीज बदलाव की महत्वाकांक्षी योजना :- प्रदेश में प्रथम बार संचालित मिल क्षेत्रवार गन्ना बीज बदलाव की सुनिश्चित योजना को तीव्र गति से लागू किया गया।⁶³

चार वर्षीय लक्ष्य ७ २४ लाख हेक्टेयर में से इस वर्ष १ २४ लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में अलाभकारी व पुरानी प्रजातियों के स्थान पर नवीन उन्नतशील बीजों का प्रतिस्थापन। योजना से प्रदेश में गन्ना उत्पादकता वृद्धि के साथ-साथ एक प्रतिशत चीनी परता में वृद्धि लाने का लक्ष्य।

गन्ना कृषकों व चीनी उद्योग के हित में शीरे पर आधारित गैसोहल के उपयोग की महत्वाकांक्षी योजना :- चीनी मिलों में उत्पादित शीरे का राष्ट्रहित में बेहतर उपयोग करके गन्ना किसानों को बेहतर गन्ना मूल्य दिलाने, चीनी उद्योग की सुदृढ़ता व देश के पेट्रोल आयात व्यय में कमी करने के उद्देश्य से शीरे से निर्मित गैसोहल के प्रयोग हेतु भारत सरकार से अनुमति का अनुरोध किया गया है।

भारत में चीनी विक्रय की आनलाईन ट्रेडिंग व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है।⁶⁴

⁶³ हिन्दुस्तान, लखनऊ, २९ अगस्त, २००० ई० ।

⁶⁴ हिन्दुस्तान, लखनऊ, २९ अगस्त, २००० ई० ।



तालिका : 6-1

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ना उत्पादन, औसत उपज, कुल गन्ना उत्पादन तथा चीनी मिलों द्वारा गन्ना पेराई, चीनी परता एवं चीनी उत्पादन

1980-81 से 2000-2001

वर्ष	गन्ना क्षेत्रफल (ला० हेक्टे०)	औसत उपज (टोन्स/हेक्टे०)	कुल गन्ना उत्पादन (ला० टोन्स)	गन्ना पेराई (ला० टोन्स)	चीनी परता (प्रतिशत)	चीनी उत्पादन (लाख टोन्स)
1980-81	12.05	47.85	576.62	129.35	9.46	12.24
1985-86	14.34	49.26	706.35	172.17	9.57	16.48
1990-91	18.30	55.78	1020.68	327.56	9.08	29.75
1991-92	18.55	57.51	1066.77	397.55	9.18	36.51
1992-93	18.07	55.58	1004.22	295.78	9.66	28.56
1993-94	18.60	59.13	1099.93	289.89	9.36	27.15
1994-95	20.53	59.84	1228.39	383.13	9.42	36.09
1995-96	23.83	60.31	1437.12	502.50	8.71	43.78
1996-97	25.14	58.90	1480.86	436.30	9.36	40.83
1997-98	21.96	60.76	1334.21	409.06	9.56	39.22
1998-99	20.74	58.70	1217.36	412.70	9.03	37.29
1999-2000	21.40	57.58	1232.40	487.88	9.34	45.56
2000-2001	20.54	-----	-----	-----	-----	-----

स्रोत : गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्राप्त सूचना।




तालिका : 6-2

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में पौधा पैड़ी व कुल गन्ना क्षेत्रफल -

1980-81 से 1999-2000

वर्ष	गन्ना क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर)			पैड़ी प्रतिशत (%)
	पौधा	पैड़ी	योग	
1980-81	5.76	6.29	12.05	52.20
1985-86	6.66	7.68	14.34	53.60

1990-91	8.69	9.61	18.30	52.50
1991-92	8.81	9.74	18.55	52.50
1992-93	8.08	9.98	18.07	55.30
1993-94	8.08	10.52	18.60	56.60
1994-95	9.95	10.58	20.53	51.50
1995-96	11.60	12.23	23.83	51.30
1996-97	11.00	14.14	25.14	56.20
1997-98	9.20	12.76	21.96	58.10
1998-99	9.79	10.95	20.74	52.80
1999-2000	9.90	11.50	21.40	53.80



स्रोत : गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्राप्त सूचना।

तालिका : 6-3


उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में चीनी मूल्य जोनवार गन्ने की औसत उपज एवं

कुल गन्ना उत्पादन -

1980-81 से 1999-2000

वर्ष	गन्ने की औसत उपज (टोन्स/हेक्टेयर)			कुल गन्ना उत्पादन (लाख टोन्स)		
	पश्चिम जोन	मध्य जोन	पूर्वी जोन	पश्चिमी जोन	मध्य जोन	पूर्वी जोन
1980-81	53.43	45.50	40.59	262.49	227.34	86.79
1985-86	50.83	49.70	45.20	267.17	315.58	123.60
1990-91	63.06	53.46	49.71	376.62	477.01	197.05
1991-92	64.90	55.92	49.98	389.45	471.92	205.40
1992-93	59.46	55.23	49.95	359.35	462.74	182.13
1993-94	64.76	58.37	51.24	419.16	485.04	198.72
1994-95	65.25	59.98	52.82	436.54	510.83	281.02
1995-96	67.21	60.85	52.20	473.42	615.14	348.56
1996-97	64.47	59.18	52.47	478.51	639.91	362.44
1997-98	66.50	61.87	51.64	475.54	568.81	289.86
1998-99	65.50	59.37	49.61	428.76	513.43	275.15
1999-2000	61.10	58.00	52.93	398.34	528.76	305.30

स्रोत : गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्राप्त सूचना।



तालिका : 6-4

प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादन का प्रयुक्त प्रतिशत :-


1985-86 से 1998-99

वर्ष	कुल गन्ना उत्पादन का चीनी मिलों द्वारा प्रयुक्त (%)			
	पश्चिम	मध्य	पूर्व	प्रदेश
1985-86	17.40	24.30	39.60	24.60
1990-91	29.60	29.20	43.40	32.10
1991-92	32.60	36.00	48.90	37.30
1992-93	24.50	28.00	43.00	29.50
1993-94	24.80	23.30	37.10	26.40
1994-95	27.30	30.00	39.40	31.20
1995-96	37.00	33.10	35.50	35.00
1996-97	30.10	27.30	32.40	29.50
1997-98	30.60	29.70	32.60	30.70
1998-99	34.70	33.90	22.60	33.90


६	आसाम	42 50	38 30	38 80	38 40	42 20	41.50	39 40	42 40
७	उडीसा	72 40	63 80	47 10	58 30	59 00	58 40	64 50	53 30
८	नागालैण्ड	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
९	हरियाणा	52 70	55 90	48 90	57 60	58 40	56 20	55 00	60 00
१०	उत्तर प्रदेश	55 80	57 50	55 60	59 10	59 80	60 30	58 90	60 80
	द्रापिकल क्षेत्र								
१	महाराष्ट्र	86 50	79.90	76 40	81 10	85.50	80 40	81 00	76 00
२	गुजरात	89 60	85 30	85 50	79 70	69 70	65 00	68 80	71 90
३	आन्ध्र प्रदेश	69 90	74 50	71 10	76 70	76 50	71 00	75 10	74 40
४	तमिलनाडू	102 90	104 50	107 00	104 20	113 90	101 00	99 30	104 00
५	पान्डीचेरी								
६	कर्नाटक	75 70	84.60	86 00	88 40	96 20	79.60	85.90	87 10
७	केरल	65 30	68 40	69 10	81 40	84 70	85.70	94.70	68 70
८	गोआ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	अन्य	51 40	47.40	35 50	34.20	27 80	31 70	39 20	34 50
	सम्पूर्ण भारत	65 30	66 10	63.80	67.10	71.10	67.80	66 50	66 40

स्रोत : इन्डियन शुगर, जुलाई 1996 और इन्डियन शुगर, अक्टूबर 1998

सब ट्रापिकल क्षेत्र



द्रापिकल क्षेत्र




तालिका : 6-6

प्रदेशवार गन्ने की कुल उत्पादन -

1990-91 से 1997-98

प्रदेश	कुल गन्ना उत्पादन (हजार टन)							
	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
सब ट्रापिकल क्षेत्र								
१ उत्तरप्रदेश	102068	106677	100422	109993	122839	143712	1480	133421
२ बिहार	7805	707	6032	4398	5667	5485	632	6320
३ पंजाब	6000	6920	6369	4710	5160	8620	1104	8700
४ मध्यप्रदेश	1392	1646	1324	1084	1511	1914	2204	2030
५ राजस्थान	1203	1361	1129	1020	987	1411	1290	1065
६ पश्चिम बंगाल	859	969	889	542	649	1312	1810	1430
७ आसाम	1522	1454	1548	1374	1505	1490	1280	1400
८ उड़ीसा	3549	2745	754	781	1199	1594	1410	1600
९ नागालैण्ड	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
१० हरियाणा	7800	9000	6550	6420	7010	8090	8960	8400
ट्रापिकल क्षेत्र								
१ महाराष्ट्र	38416	36187	30853	27892	44260	46656	4180	34960
२ गुजरात	10600	10239	10872	10232	10785	10511	1140	11150
३ आन्ध्र प्रदेश	12667	15057	12163	13474	15991	15179	1444	14277
४ तमिलनाडू	23480	24887	23064	25992	35236	32944	2693	30470
५ केरल	543	547	428	448	449	523	550	550
६ कर्नाटक	20964	24117	22480	26603	30325	24918	2183	20983

द्रापिकल क्षेत्र



तालिका : 6-7

प्रदेशवार चीनी मिलों से चीनी उत्पादन -

1990-91 से 1997-98

प्रदेश	चीनी उत्पादन (हजार टोन्स)							
	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
सब द्रापिकल क्षेत्र								
१ उत्तर प्रदेश	2975	3651	2856	2715	3609	4378	404	3922
२ बिहार	415	462	328	230	394	382	364	297
३ पंजाब	275	384	409	311	319	633	618	331
४ मध्य प्रदेश	104	128	60	37	70	125	84	68
५ राजस्थान	24	37	24	16	18	31	2.4	29

६ पश्चिम बंगाल	3	6	4	5	7	7	5	3
७ आसाम	8	8	8	4	7	8	6	4
८ उड़ीसा	23	37	33	24	43	83	76	57
९ नागालैण्ड	4	4	3	1	1	1	---	---
१० हरियाणा	375	489	345	308	343	453	49	382
द्रापिकल क्षेत्र								
१ महाराष्ट्र	4119	4213	3360	2746	5025	5394	34	3847
२ गुजरात	831	753	751	826	759	1130	96	889
३ आन्ध्र प्रदेश	701	843	540	647	874	859	72	782
४ तमिलनाडु	1183	1264	976	1085	1859	1614	105	1229
५ केरल	9	9	6	2	12	13	8	6
६ कर्नाटक	942	1032	847	831	1225	1263	87	959
७ पाण्डिचेरी	48	63	45	37	62	57	3	37
८ गोआ	8	18	13	8	16	19	14	10
सम्पूर्ण भारत	12047	13404	10609	9833	14643	16451	129	12852

स्रोत : इन्डियन शुगर, जुलाई 1996 और इन्डियन शुगर, अक्टूबर 1998

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि गुड एव चीनी के विपणन विधि में पर्याप्त अन्तर है, जहाँ गुड के विपणन में प्राथमिक मडी से लेकर थोक मडी तक और उसके बाद जब तक कृषि पदार्थ अन्तिम उपभोक्ता के हाथ में नहीं पहुँचता है अनेक विपणन सम्बन्धी खर्च इनकी कीमतों में सम्मिलित होते रहते हैं। परिणामतः किसान द्वारा प्राप्त की गई कीमत तथा उपभोक्ता द्वारा दी गयी कीमत में एक बड़ा अन्तराल उपस्थित हो जाता है।

मंडियों को विनियमित किए जाने के परिणामस्वरूप मंडियों में होने वाली आवश्यक कटौतियों में पर्याप्त कमी आयी है। जहाँ अनियमित बाजारों में पहले विभिन्न प्रकार के व्यय जैसे आढत, दलाली, पल्लेदारी, तुलाई, धर्मादा, चौकीदारी, मेहतर, मुनीमी आदि के नाम पर काफी कटौतियाँ होती थीं और भारी मात्रा में नमूने के नाम पर जिस ली जाती थी, तौल भी दोषपूर्ण थी, बिना कृषक या विक्रेता की सहमती के मूल्य निर्धारण हुआ करता था वहीं अब मंडियों के नियमन से मंडियों में अनावश्यक व्यय न लेकर निर्धारित व्यय ही लिये जाते हैं। माल की तुलाई सही कौटों वह बाँटों से होती है। किसान या विक्रेता को बिक्री होने पर तुरन्त भुगतान मिल जाता है और आढतियों की कृपा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इस प्रकार अनेक सुधार हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप विपणन लागत में कुछ कमी आयी है।

चीनी के विपणन में प्रधान समस्या चीनी के अनावश्यक भंडारण पर प्रतिबन्ध चीनी की चोर बाजारी को रोकने के लिए लगाया है। विक्रेता एव व्यापारी वर्ग प्रायः चीनी का कृत्रिम अभाव उत्पन्न करके उपभोक्ताओं को ऊँची कीमत पर बेचते हैं।

सप्तम् अध्याय

शोध निष्कर्ष एवं सुझाव

7.1

उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक फसलो एव उनके उत्पादों के विपणन अध्ययन हेतु कुछ व्यावसायिक फसलो (गन्ना, तिलहन एव इनके प्रमुख उत्पाद गुड चीनी, सरसो तेल) का चुनाव किया गया है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध प्राथमिक एव द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन की दशा अभी भी अविकसित एव अवैज्ञानिक है, जिससे कृषि का व्यवसायीकरण नहीं हो पाता है। राष्ट्र का व्यापार विदेशी मुद्रा अर्जन, रोजगार स्तर, राष्ट्रीय आय और राजनैतिक स्थायित्व कृषि पर ही निर्भर है। जनसंख्या का दो तिहाई भाग प्रत्यक्ष जीविकोपार्जन हेतु कृषि पर आधारित है, और राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग ३०-२५ प्रतिशत है। राष्ट्र के निर्यात में कृषि का योगदान २५ प्रतिशत है, फिर भी कृषि के क्षेत्र में अभी उन्नयन की सभावना है।

आज भी कृषक विशेषकर छोटे कृषक बोवाई से लेकर विपणन तक आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी आर्थिक सक्षमता इतनी नहीं होती है कि वे उचित मूल्य आने तक फसल को रोक सकें। सस्थागत साख लेने में आने वाली परेशानियों के कारण किसान पेशेवर साहूकार तथा महाजन से ऊँची ब्याज दर पर ऋण लेने को विवश होता है तथा पूर्व निर्धारित भाव पर ही महाजन के हाथों बेचने को बाध्य हो जाता है।

देश में उपलब्ध अन्न उत्पाद को सुरक्षित रखने हेतु गोदामों का अभाव है ऐसी स्थिति में चूहे, दीमक तथा अन्य कीड़ों से अनाज की बर्बादी बड़े पैमाने पर होती है। एक अनुमान के अनुसार १० से २० प्रतिशत अनाज कीड़ों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। परिवहन साधनों जैसे - रेलमार्ग, पक्की सड़कों के अभाव में मण्डियों तक अनाज सब्जियाँ तथा अन्य उत्पाद समय पर नहीं पहुँच पाते। ऐसी स्थिति में या तो परिवहन

लागत बढ़ जाती है या फिर तैयार माल खराब हो जाता है। दोषों में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच अनेक मध्यस्थों जैसे - गाँव का स्थानीय व्यापारी, दलाल, थोक व्यापारी और खुदरा दुकानदार महाजन आदि के कारण किसानों को उचित कीमत नहीं मिलती है। मण्डियों में रहने वाले बिचौलियों ही इस अव्यवस्था का लाभ उठाते हैं। किसान का अशिक्षित होना मण्डी सूचनाओं के उचित सम्प्रेषण का अभाव, माप-तौल व अनेक बुराईयों के साथ-साथ अनुचित कटौतियाँ भी विपणन व्यवस्था की मुख्य दोष हैं। कृषि उपज का अलग-अलग किस्मों और कोटियों में दोष पूर्ण निर्धारण तथा मण्डी में शक्तिशाली मध्यस्थों के बीच किसान का कमजोर होना, उसे अपना माल महाजनो को मनमानी कीमत पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है।

भारत को कृषि उत्पादों का निर्यातक बनाने का मुख्य श्रेय कृषि अनुसंधान और उत्पादन में वृद्धि का है। देश उदारीकरण प्रक्रिया से ही कृषि के क्षेत्र में उत्पादन और निर्यात के मामले में अद्वितीय वृद्धि कर पाया है किन्तु अभी और अधिक कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने के लिए आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाना होगा ताकि निर्यात से होने वाली आय बढ़े। कुछ वर्ष पहले खाद्य तेलों की कमी हुई थी और इनका आयात काफी बढ़ गया था लेकिन आज स्थिति यह है कि खाद्य तेलों का आयात घटकर ३०० करोड़ रु० प्रतिवर्ष हो गया है। वहीं हमारी तिलहनी फसलों और उनसे बनने वाली उत्पादों का निर्यात आठ गुना बढ़कर २५०० करोड़ रु० से भी ऊपर हो गया है।

आजादी के बाद के दौर में कृषि उत्पादन में करीब चार गुने से ज्यादा की शानदार बढ़ोत्तरी हुई और अनाज की पैदावार जो १९५० के दशक के प्रारम्भ में ५ करोड़ टन थी, २५ करोड़ वार्षिक की दर से बढ़कर इस वक्त २० करोड़ टन के स्तर पर पहुँच चुकी है। कहाँ एक वक्त हमें अनाज के लिए दुनिया के और देशों का मोहताज रहना पड़ता था और कहाँ आज हम खाद्यान्न उत्पादन में न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं बल्कि अनाज निर्यात करने वाले देशों में हमारी गिनती होती है। देश को इस स्थिति तक पहुँचाने में हरित क्रान्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

वैसे यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि भारत को कृषि उत्पादों के घरेलू एवं विदेशी व्यापार नियंत्रण में थोड़ी और छूट देनी चाहिए ताकि उन क्षेत्रों में वर्तमान उपलब्ध अवसरों में और भी बढ़ोत्तरी की जा

सके। हालांकि १९९१ से ही आर्थिक उदारीकरण की नीति प्रारम्भ की गई, परन्तु फिर भी कृषि तथा कृषि उत्पादन पर किसी न किसी प्रकार से नियंत्रण बना हुआ है।

विषय की दृष्टि से १९८६ से १९९४ तक के उरूग्वे दौर के समझौते को तीन शीर्षको में बाँटा जा सकता है। पहला बाजार तक पहुँच के समझौते दूसरा बहुपक्षीय नियमों तीसरा नए क्षेत्रों से जुड़े समझौते। उरूग्वे दौर के समझौते १ जनवरी १९९५ को लागू हुए। उरूग्वे दौर के समझौते को लागू होने के पाँच या अधिक वर्ष बाद आज कृषि क्षेत्र के उदारीकरण उपायों के प्रति असंतोष होना स्वाभाविक है। अवधारणा के स्तर पर तीन प्रकार की समस्याएँ हैं। पहली, समझौते लागू नहीं किए गए हैं बल्कि उनका उल्लंघन हुआ है। दूसरी, समझौते की अवहेलना की गई है अर्थात् कुछ कामों से समझौते की भावना का उल्लंघन हुआ है, न कि कानून का। तीसरा, कुछ मुद्दों वर्तमान समझौते से हटकर भी हैं।

योजनाकाल में भारतीय कृषि की उपलब्धियाँ इस दृष्टि से तो ठीक कही जा सकती हैं कि आज भारत खाद्यान्न उत्पादन के मामले में तो आत्मनिर्भर है तथा देश के कुल राष्ट्रीय आय में भी कृषि का योगदान एक तिहाई के लगभग है। भारतीय कृषि ६० करोड़ रु० से अधिक जनसंख्या के जीवन-यापन का एक अंग भी है, लेकिन जब भारतीय कृषि की उत्पादकता की तुलना विकसित देशों से की जाती है तो वह अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में प्रतीत होती है। भारतीय कृषि की नीची उत्पादकता के लिए सन्स्थागत, प्रौद्योगिकीय एवं नीतिगत कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। पिछले वर्ष में कृषि विकास के लिए जो भी नीतियाँ अपनाई गई हैं वे मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं तथा सम्पूर्ण कृषि व्यवस्था के एक क्षेत्र तक ही सीमित रही हैं। कभी खाद्यान्न उत्पादन के आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया तो कभी तिलहन उत्पादन को बढ़ाने की बात कही गई है। अब तक की नीतियों का सबसे बड़ा दोष यह रहा है कि इसमें समुचित रूप से कहीं भी कृषि उत्पादकता बढ़ाने की बात पर बल नहीं दिया गया है। यदि आने वाले दिनों में १०० करोड़ से अधिक जनसंख्या की उदरपूर्ति के साथ उसके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर विश्व के विकसित देशों के स्तर पर लाना होगा।

सुझाव :-

हमारे जीवन में खाद्य पदार्थों के रूप में चीनी, गुड़, सरसों तेल आदि का महत्त्व इतना अधिक हो गया है कि इनका अभाव पूरे जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर देता है। इन फसलों के महत्त्व को देखते हुए हमें मात्र इनके उत्पादन पर ही नहीं बल्कि विपणन व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर एक अच्छी विपणन प्रणाली नहीं रहेगी तो अच्छे उत्पादन की भी सम्भावना नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक फसलों के बढ़ते हुए महत्त्व के कारण इनके उत्पादन में निरन्तर वृद्धि की सम्भावना बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में इनके बाजार में विस्तार हुआ है। अतः इनकी विपणन की अच्छी प्रणाली को बढ़ाने पर अधिक से अधिक बल दिया जाना आवश्यक हो गया है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए नए बाजारों की तलाश की जाए तथा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली अल्पकालीन रणनीति में भी कृषि उत्पादों को भी सम्मिलित किया जाए। कृषि निर्यात के स्पष्ट नीति का निर्धारण किया जाए। काडला बन्दरगाह की सभी चोटियों को सामान्य निर्यातको हेतु खोला जाए। विश्व बाजार में स्वास्थ्य सुरक्षा और गुणवत्ता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अतः ऐसे सभी सम्भव प्रयास करने होंगे, जिससे कि हमारे उत्पाद विदेशी मानकों पर खरे उतरे। इस सदी के अन्त तक कृषि निर्यात बढ़कर ९६ अरब डालर होने की आशा है। फिलहाल यह अभी ३१ ४ अरब डालर के आस-पास चल रहा है।

नवीं योजना हेतु निम्नलिखित चार सुझाव हैं।

- ❖ भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाई जाए।
- ❖ कृषक एवं उद्यमी अपनी भूमिका को विस्तृत करें।
- ❖ देश के एक अरब से अधिक जनसंख्या के अलावा विश्व के ५५० करोड़ लोगों तक अपने उत्पाद पहुँचाने की योजना बनाई जाए।
- ❖ कृषि उत्पादों से विश्व स्तर पर साख बनाने हेतु प्रयास किए जाए।

इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्रीकरण, पैकिंग, भण्डारण, परिसंस्करण, परिवहन तथा विपणन की बेहतर व्यवस्था, शोध एवं विकास की निरंतरता, कृषको को निर्यातोन्मुखी चेतना जगाने, लागत में कमी से स्पर्धा में टिकने तथा निर्यात संवर्धन के लिए राष्ट्रव्यापी वातावरण बनाने की आवश्यकता है, ताकि कृषि निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके और करोड़ों कृषको को उसका सीधा लाभ मिले और उनका जीवन स्तर उपर उठ सके।

अन्य क्षेत्रों की भाँति हालांकि सरकार की यह नीति रही है कि कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले ताकि उसे अधिक उत्पादन करने हेतु अभिप्रेरित किया जा सके, तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएँ उपलब्ध हो सकें लेकिन अभी भी मण्डियों के विस्तार के साथ-साथ किसानों में जागरूकता पैदा करना अत्यावश्यक है। इसके साथ उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु प्रयास किए जाएँ ताकि वह नीची कीमतों पर उत्पाद बेचने को विवश न हों। किसानों को प्रिंट मीडिया तथा दृश्य प्रचार माध्यमों द्वारा मण्डी में प्रचलित भावों के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध करायी जाए। सुरक्षित भण्डार हेतु शीत भण्डार एवं गोदामों की स्थापना व्यापक स्तर पर की जाए ताकि शीघ्र नाशक अनाज नष्ट न हों। परिवहन हेतु रेल सुविधा के साथ-साथ पक्की सड़कों का जाल ग्रामीण अंचलों तक बिछाया जाए। पुराने शीत भण्डारों और गोदामों को आधुनिक रूप देकर उनकी क्षमता बढ़ाई जाए। साथ ही किसानों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं हेतु फसल बिकने तक उचित दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाए ताकि वे अपनी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के दबाव में माल बेचने को विवश न हों। छोटे-छोटे किसानों को सहकारी बिक्री समितियों द्वारा विक्रय हेतु प्रोत्साहित किया जाए। सरकारी स्तर पर वर्तमान विपणन व्यवस्था के दोषों को दूर करने हेतु पारदर्शी नीति अपनानी चाहिए।

7.2

उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन की भूमिका और उसका महत्व बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज यह अधिकाधिक महसूस किया गया है कि भारत जैसी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का तीव्र विकास तब तक संभव नहीं है जब तक की कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलवाने की पक्की व्यवस्था नहीं हो जाती। इन विचारों के साथ ही अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण के बाद की गतिविधियों से देश में कृषि विपणन में अब तक प्रचलित अवधारणाओं में एक नया आयाम जुड़ गया है। आज न केवल किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य दिलवाने में बल्कि पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध कराने में कृषि विपणन एक महत्वपूर्ण जरूरी है। आज इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि आधुनिक विपणन के सभी प्रमुख घटकों की सेवाएँ कृषि विपणन के क्षेत्र में भी शुरू की जाएं। कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन में विशिष्ट भूमिका अदा करने के लिए आधुनिक विपणन के सभी महत्वपूर्ण घटकों की आवश्यकता है। जैसे - ग्रेडिंग, मानकीकरण और भंडारण, ब्रेडिंग, आकर्षक पैकेजिंग, बाजार सम्बन्धी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी, यातायात के साधन, उच्च स्तर के विज्ञापन तकनीक और प्रतिस्पर्धात्मक सेल्समैनशिप ये सभी घटक उस स्थिति में और भी जरूरी हो जाते हैं जब उत्पादों को कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए तैयार किया जाता है।

कृषि विपणन के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की क्षमताओं और योग्यताओं में सुधार के लिए संगठित प्रयासों की आवश्यकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि इस क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान की वर्तमान प्रणाली का वस्तुनिष्ठ आकलन किया जाए ताकि । इसके प्रमुख दोषों को वैज्ञानिक ढंग से निदान किया जा सके। इस तरह के निदान से भारत में कृषि विपणन की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुधारात्मक उपाय शुरू करने में मदद मिलेगी। इस क्षेत्र में कार्मिकों की शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक संस्थान कार्यरत हैं। जो इस समय अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं।

कृषि विपणन के अन्तर्गत सभी वस्तु विनिमय तथा क्रय विक्रय की क्रियाएँ शामिल होती हैं। हमारे कृषि प्रधान देश की तरक्की एवं खुशहाली के लिए कृषि विपणन व्यवस्था का बेहतर होना अति

आवश्यक है। अतः सर्वप्रथम आजादी से पहले सन् १९३५ में कृषि विपणन सलाहकार का कार्यालय खोला गया था। स्वतन्त्रता प्राप्ति होने के बाद से इस सगठन का विस्तार और तेजी से हुआ तथा बाद में उसका नाम बदलकर विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कर दिया गया जो अब कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत काम कर रहा है। इसका मुख्यालय फरीदाबाद (हरियाणा) में तथा प्रधान शाखा कार्यालय नागपुर में है। यह निदेशालय कृषि, बागवानी, पशुधन, डेयरी तथा वनोत्पादों के लिए उपयुक्त गुणवत्ता, परिभाषाओं एवं श्रेणियों के आधार पर १५१ कृषि वस्तुओं पर मानकों का निर्धारण करता है। जिसे एग्रीकल्चर मार्किंग “कृषि चिन्ह” अर्थात् “एगमार्क” कहा जाता है।

मण्डी समितियों को चलाने, नियंत्रण तथा मार्ग दर्शन के लिए १९७२-७३ से राज्यों में मण्डी परिषदों का गठन किया गया। इन परिषदों ने कृषकों के हित में खलिहान दुर्घटना बीमा योजना समूह, जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ग्रामीण गोदाम निर्माण, सड़क और पुलिया निर्माण, ग्राम विकास योजना, पेयजल हेतु हैण्ड पम्प लगाने तथा खाण्डसारी इकाइयों हेतु एक मुश्त योजना आदि की शुरुआत वर्तमान कृषि विपणन व्यवस्था का उद्देश्य है।

सहकारी क्षेत्र में नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन महासंघ द्वारा समर्थन मूल्य पर चयनित कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री एवं आयात निर्यात से सम्बन्धित प्रमुख गतिविधियों का संचालन किया जाता है। गुजरात में अमूल डेयरी के विपणन संघ की उपलब्धियों देश भर में अग्रणी स्थान रखती हैं। सहकारिता के आधार पर गुजरात में अमूल डेयरी की सफल विपणन व्यवस्था की भाँति मध्य प्रदेश में सोयाबीन और महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल बहुत बड़े पैमाने पर होती है तीनों राज्यों में ही विपणन व्यवस्था सहकारी क्षेत्र में है। कृषि विपणन जागृति में गुजरात के कृषक सबसे आगे हैं। गुजरात के कृषक जागरूक हैं अतः लाभ उठाते हैं।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की शाखा प्रतिदिन हर जिले में स्थित अपने सूचना केन्द्रों से जानकारी लेकर अनाज मण्डियों में चल रहे भाव का परिपत्र जारी करता है। इससे किसानों को अपने जिले की मंडी में बैठे-बैठे यह जानकारी मिल जाती है कि किस जिले में किस अनाज का क्या भण्डार है और उसके

क्या भाव है। इस जानकारी के आधार पर कृषक अपनी फसल कब कहाँ और किस भाव पर बेचे इसका फैसला करते हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कृषि उपजों के विपणन हेतु नियमित बाजारों एवं सहकारी विपणन समितियों की संख्या में वृद्धि हुई है। फिर भी अनेक दोष आज भी व्याप्त हैं। इनमें से कुछ दोष निम्न हैं।

- ❖ एक साधारण कृषक को अपने उपज का विक्रय करने के लिए अनेक प्रकार के व्ययों का भार सहना पड़ता है।
- ❖ कृषकों को उसकी उपज के मूल्य का तुरन्त भुगतान नहीं किया जाता है। बल्कि काफी विलम्ब से किया जाता है।
- ❖ सामान्य कृषक अपनी उपज का भली प्रकार श्रेणीकरण भी नहीं कर पाता है।
- ❖ आज भी अपने देश के कृषकों के पास अपने उपज के लम्बे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उचित भण्डारण सुविधा का अभाव है।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों के निकट, नियमित बाजार पर्याप्त संख्या में नहीं हैं।
- ❖ भारतीय किसान पूर्णरूप से मानसून पर निर्भर हैं जो कि अनिश्चित है।

कृषि विपणन के बहुआयामी विकास के लिए भली भाँति तैयार किए गए अनुसंधान कार्यक्रम की आवश्यकता है। जिसका उद्देश्य विपणन प्रक्रिया और वास्तविक बाजार दोनों में सुधार होना चाहिए।

डा० राधाकृष्ण मुकर्जी के अनुसार भारत के किसानों के पास वर्ष में केवल १४६ कार्यदिवस उपलब्ध होते हैं। यह सच है कि बेकारी की इस समस्या का निदान न केवल कठिन अपितु दुरूह है। लेकिन विकेंद्रीत औद्योगिक विकास से इसे कम आवश्यक किया जा सकता है। फिर कृषि आधारित उद्योग स्थानीय ससाधनों पर आधारित होने के साथ-साथ श्रम प्रधान होते हैं और इसके लिए बहुत कम पूँजी विनियोग की आवश्यकता होती है।

वैसे तो विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल १३३९ करोड़ हेक्टेयर है किन्तु इसमें से मात्र १३७ करोड़ हेक्टेयर (लगभग ९१० प्रतिशत) कृषि के अन्तर्गत आता है। जब हम भारत के सम्बन्ध में बात करते हैं तो ज्ञान होता है कि हमारे यहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र ३२९ मिलियन (लगभग ३२.९ करोड़) हेक्टेयर

है जो कि विश्व के क्षेत्रफल का मात्र २४ प्रतिशत है जो विश्व की १५ प्रतिशत मानव जनसंख्या को भोजन प्रदान करता है।

भारतीय मृदा में औसत रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटैश की कमी है। सल्फर और जिंक की भी कमी काफी मात्रा में पाई जाती है। कहीं-कहीं लोहा, तँबा की भी कमी प्रकाश में आयी है। अनुसंधान से यह भी पता चलता है कि धान-गेहूँ पद्धति में १० मीट्रीक टन फसलो की उपज के लिए लगभग ७०० किलोग्राम नाइट्रोजन फास्फोरस एव पोटैश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार गेहूँ आधारित अन्य फसल पद्धतियों में ५००-७०० किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ग्रहण किये जाते हैं जो जाने वाले उर्वरक तत्वों से कहीं अधिक है। जिसे केवल मृदा से पूर्ति कराना असम्भव है।

उल्लेखनीय है कि सन् १९८१-९१ के मध्य जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर २१.३ प्रतिशत रही जो भविष्य में सन् २०००-२००५ एव २०१० ई० तक १०.२३, ११.३७ एव १२.६३ मिलियन होने का अनुमान है। अतः सन् २००० तक देश की १०.२३ मिलियन जनसंख्या की भरण-पोषण हेतु २४ करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन करना पड़ेगा, जबकि इसके विपरीत उर्वरकों द्वारा २०६ लाख टन की पूर्ति सम्भावित है।

आज जब हम अधिक उपज देने वाली प्रजातियों से धान और गेहूँ की अधिकाधिक उपज ले रहे हैं और जनसंख्या वृद्धि रुक नहीं पाई है। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए भोजन जुटाना हमारे लिए वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है एक अनुमान के अनुसार चावल के उत्पादन को सन् २००० तक ७२.६ मिलियन टन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार इन वर्षों में गेहूँ के उत्पादन को क्रमशः ७०, ८१.३, ९४.५ मिलियन टन बढ़ाने की जरूरत होगी।

भारत ने पिछले ५० वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन में बहुत प्रगति की है। १९५०-५१ में खाद्यान्न उत्पादन ५.०८ करोड़ टन था जो १९९६-९७ में बढ़कर १९.१० करोड़ टन तक पहुँच गया। इस तरह देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। १९५०-६१ के दौरान भारत की जनसंख्या ४३.९२ करोड़ थी जो १९९१ में बढ़कर ८४.६३ करोड़ तक पहुँच गई। अनुमान लगाया गया है कि १९९६-२००१ और २००१-२००६ में जनसंख्या क्रमशः १००.६२ करोड़ तथा १०८.५९८ करोड़ तथा २००६-२०११ में ११६.४२५ करोड़ तक हो जाएगी। १९९१ की जनगणना के अनुसार १९८० के समूचे दशक के दौरान

जनसंख्या वृद्धि दर २१० प्रतिशत रही। भारत की जनगणना के सदर्थ तिथि १ मार्च २००१ को ०० ०० बजे के अनुसार भारत के महारजिस्ट्रार एव जनगणना आयुक्त ने देश की अन्तिम जनसंख्या १, ०२, ७०, १५, २४७ व्यक्ति घोषित की। पिछले दस वर्षों में भारत की जनसंख्या ८४ करोड ६३ लाख से बढ़कर अब १ अरब २ करोड ७० लाख हो गई है। जनसंख्या में वार्षिक दर २१४ से घटकर १९३ प्रतिशत हो गई है। पिछले दशक (१९९१-२००१) में जनसंख्या में २१३४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस दशक में जितनी जनसंख्या बढ़ी वह दुनिया के पाँचवे सबसे बड़े देश ब्राजील की कुल जनसंख्या से अधिक है।

भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। इस समय फसल बुआई का वास्तविक क्षेत्र लगभग १४ करोड हेक्टेयर है और सकल बुआई क्षेत्र १७८० करोड हेक्टेयर से १८१० करोड हेक्टेयर तक है। करीब २४० करोड हेक्टेयर भूमि बजर या परती रहती है। लगभग ५० प्रतिशत भूमि क्षेत्र में किसी न किसी वजह से उत्पादन की दृष्टि से इस्तेमाल सीमित हो गया है। भारत में जोत का औसत आकार केवल १६९ हेक्टेयर है। ७६ प्रतिशत से अधिक लोगों के पास २ हेक्टेयर से भी कम जोत है। दस हेक्टेयर से अधिक जोत भूमि केवल २ प्रतिशत है। ७६ प्रतिशत जोत वाले लोग केवल २९ प्रतिशत क्षेत्र में कृषि करते हैं।

अनेक प्राकृतिक दबावों और सभार सत्र की समस्याओं के बावजूद योजनाबद्ध कृषि के विकास स्वतंत्र भारत की उपलब्धियों के इतिहास में एक गौरवपूर्ण अध्याय है। ये उपलब्धियाँ हमारे किसानों, उत्पादकों की कठोर मेहनत तथा अनुसंधान प्रसार और निवेश एव सेवा एजेंसियों के आवश्यक सहयोग के साथ-साथ योजना और उत्पादन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का परिणाम है।

सुझाव :-

उपर्युक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा यातायात साधनों, सग्रहण व्यवस्था एव कीमत सम्बन्धी सूचनाओं के प्रसारण हेतु अनेक प्रयास जारी हैं। इसके अतिरिक्त, सहकारी विपणन समितियाँ ग्रामीण अंचलों में अपने सदस्यों के कृषि पदार्थों को एक बड़ी मात्रा में खरीदकर स्थान उपयोगिता के लाभ दिलाने का कार्य कर रही हैं। किसानों को उचित कीमत दिलाने के लिए उन्नत कृषि विपणन की पर्याप्त

दशाओ का विकास होना आवश्यक है, साथ ही साथ किसानों को शिक्षित एवं विपणन कला में दक्ष होना आवश्यक होता है। हमारे देश में किसानों के पास विक्रय योग्य अतिरिक्त का अभाव रहता है। जिसके कारण वे अपनी उपज को मण्डी स्थल तक नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि यह मँहगा पडता है उसे गाँव में ही बेच देना आसान समझते हैं। जिससे उन्हें उचित कीमत नहीं मिल पाती है।

किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त हो सके इस सदर्भ में सन् १९३० के आर्थिक मदी काल से ही मूल्य नीति तथा कृषि मूल्य स्थिरीकरण की दिशा में प्रयास जारी है। सन् १९३५ में गन्ना कानून पास किया गया जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को किसानों द्वारा चीनी मिलों को बेचकर गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। उत्तर प्रदेश गन्ना कानून सन् १९६३ में पास किया गया जिसके अनुसार सहकारी समितियों द्वारा चीनी कारखानों को बेचा जाता है।

इसके अतिरिक्त मार्च १९६६ में भारत सरकार ने श्री बी० वैकटैया की अध्यक्षता में खाद्यान्न नीति समिति नियुक्त की जिसके मुख्य उद्देश्य प्रचलित खाद्य क्षेत्र की व्यवस्था व खाद्यान्न वसूली व वितरण व्यवस्था की जाँच करना तथा देश के विभिन्न राज्यों व वर्गों के बीच उचित मूल्यों पर खाद्यान्न वितरण के उचित प्रबन्ध के लिए आवश्यक सुझाव देना था।

उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण अंचलों में निवास करती है। इसलिए प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु ग्रामीण मार्गों का विस्तार किया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों के निर्माण कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जा रही है। इसकी पूर्ति इस तथ्य से हो जाएगी कि प्रदेश में छठी योजना काल के लिए मार्ग एवं सेतु कार्य हेतु निर्धारित ४१५ करोड़ की योजना परिव्यय में ३१५ करोड़ रु० ७५ ९ प्रतिशत धनराशि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हेतु आवंटित की गयी है।

सड़क परिवहन, सड़क एवं संचार सुविधाओं की उपलब्धता से देश एवं प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि का बोध होता है। सड़कों के माध्यम से ही विज्ञान, तकनीकी की नवीनतम उपलब्धियाँ सुदूर अंचलों में प्रवेश पाती हैं तथा कम खर्च एवं समय के विभिन्न जीवनोपयोगी वस्तुएँ कृषि जन्य उपज, कच्ची एवं उद्योग जनित तैयार सामग्री सुगमता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तथा बाजारों में पहुँचती हैं और

आम जनता को दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुएँ आसानी से सुलभ हो जाती है। इसके अतिरिक्त रोजागार के उपर्युक्त अवसर उपलब्ध कराने में भी सडको की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार हमारे देश एव प्रदेश में यातायात के साधनों के विस्तार हेतु सरकार सतत् प्रयास कर रही है एव इसमें सरकार को पर्याप्त सहायता भी मिली है।

हमारे गाँव में सग्रह व्यवस्था अत्यन्त पिछड़ी अवस्था में है जिससे अनाजों में भारी क्षति होती है इसे रोकने हेतु अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के सुझावों पर सरकार ने १ अगस्त १९५६ से कृषि उपज (विकास व गोदाम) निगम अधिनियम पास किया। इसके अन्तर्गत ही दिसम्बर १९५६ में राष्ट्रीय सहकारी विकास व गोदाम परिषद् की स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहित करना व गोदामों का निर्माण व प्रबन्ध करना है। इस प्रकार सन् १९५७ में केन्द्रीय गोदाम निगम की स्थापना हुई। वर्ष १९७५ में बिहार राज्य गोदाम निगम स्थापित किया गया। १९६० ई० तक इस प्रकार के गोदाम निगम सभी प्रान्तों में स्थापित किए गए। उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम की स्थापना २० मार्च १९५८ को हुई थी।

भारत में कृषि उपज (श्रेणीकरण व चिन्हीकरण) कानून सन् १९३५ में पास किया गया। इस अधिनियम के बन जाने के कारण सरकार को प्रभाव व वर्ग स्थापित करने का अधिकार मिल गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार को नियमानुसार विभिन्न व्यक्तियों को अधिकार प्रमाण पत्र निर्गमित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत सरकार के कृषि उत्पादन (वर्गीकरण एव चिन्हाकन) अधिनियम १९३७ के प्राविधानों के अधिन एव पशुजन्य उत्पादों का विश्लेषण, वर्गीकरण, पैकिंग एव चिन्हाकन कार्य उत्तर प्रदेश में कार्यरत ५ एगमार्क वर्गीकरण प्रयोगशालाओं के द्वारा मुख्य रूप से किया जा रहा है। यह प्रयोगशालाएँ लखनऊ, हल्द्वानी (नैनीताल), मेरठ, आगरा एव वाराणसी में स्थित हैं। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से खाद्य तेलों, मसालों, घी, मक्खन, शहद का वर्गीकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त कृषि उपज के वर्गीकरण का लाभ उत्तर प्रदेश के उत्पादकों को पहुँचाने की दृष्टि से प्रदेश के नवनिर्मित मण्डी स्थलों में कृषि विपणन विभाग द्वारा स्थापित ५० प्राथमिक वर्गीकरण इकाईयाँ कार्यरत हैं। इनके

द्वारा उत्पादक स्तर पर कृषि उत्पादों के वाणिज्यात्मक वर्गीकरण का कार्य भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप गुण निर्दिष्टियों के आधार पर दृष्टि परीक्षण से किया जाता है।

भारतीय कृषि साख की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु २६ दिसम्बर १९७५ को एक अध्यादेश जारी किया गया जिसके अंतर्गत ५० क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जानी थी, जिसके अनुसार २ अक्टूबर १९७५ को उत्तर प्रदेश में २, राजस्थान में १, हरियाणा में १, पश्चिम बंगाल में १, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जा चुकी है। जिसकी ६४१६ शाखाएँ २४७ जिलों में कार्यरत हैं। १९ जुलाई १९९६ को १४ व्यापारिक बैंकों का एवं ५ अप्रैल १९८० को ६ व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने के पश्चात् व्यावहारिक बैंकों द्वारा कृषि वित्त में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाने लगा है।

इसके अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र में भी कृषि साख उपलब्ध कराने की दिशा में उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना के अंतर्गत प्रदेश के कृषक परिवारों को सहकारिता की परिधि में लाना है। तथा कृषि कार्यों की पूर्ति हेतु अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की यथा समय उचित ब्याज दरों पर आपूर्ति कर उनकी सामाजार्थिक ममृद्धि सुनिश्चित करते हुए देश के कृषि उत्पादन एवं समग्र विकास में वृद्धि करना है।

7.3

भारत में विनियमित बाजारों की स्थापना उस समय आरम्भ हुई जब ब्रिटिश सरकार मैनचेस्टर की सूती वस्त्र मिलों को उचित मूल्य पर शुद्ध कपास के सभरण की आवश्यकता अनुभव की। कृषि विपणन व्यवस्था में व्याप्त दोषों एवं कुरीतियों को दूर करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम प्रयास सन् १९३८ में किया गया था, किन्तु १९३९ में युद्ध सम्बन्धी मसले पर कॉंग्रेस मंत्रीमंडल द्वारा त्याग पत्र दे देने के कारण इस विधेयक पर विचार नहीं हो सका। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् योजना आयोग ने कृषि मण्डियों के विनियमन पर जोर दिया। १० नवम्बर १९६४ से राज्य में कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियमन लागू हुआ। वर्ष १९६४ में

नियमावली बनी ताकि उत्पादको को उनकी उपज का उचित मूल्य, व्यापारियों को अपने परिश्रम का उचित प्रतिफल तथा उपभोक्ता की इच्छित वस्तु प्राप्त हो।

मंडियों के विनियमन से पूर्व अनियंत्रित बाजारों में किसानों से अनेक प्रकार की कटौतियाँ व्यापारी वसूल करते थे। फलतः उपभोक्ता को रुपये में किसान का हिस्सा बहुत ही कम हो जाता था। किन्तु अब मण्डी में वसूल किए जाने वाले खर्च स्पष्ट एवं पूर्व निश्चित हैं नियमित मंडियों में अनियमित मंडियों की अपेक्षा खर्चे कम लिए जाते हैं और किसानों एवं विक्रेताओं से मध्यस्थ मनमाने खर्चे नहीं वसूल सकते हैं।

आज मानवीय जीवन का हर पहलू व्यावसायिक सोच से प्रेरित होता जा रहा है। किसी भी तरह के कार्य को करने से पूर्व उसमें से होने वाले लाभ का मूल्यांकन पहले किया जाता है। कृषि कार्य से जुड़े किसान इस बात की शिकायत बहुत करते हैं कि उन्हें इतनी आमदनी नहीं मिलती है कि वे अपने जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार कर सकें।

उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन के क्रय - विक्रय को विनियमित करने तथा मंडियों की स्थापना के उद्देश्य से वर्ष १९६९ में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम पारित किया गया तथा वर्ष १९६४ में नियमावली बनी, यह नियमावली उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी नियमावली १९६४ कही जाती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत अब तक प्रदेश की २५३ मंडियों का विनियमन किया गया है, जिनके साथ ३७५ उपमंडी स्थान हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति अधिनियम १९७२ के द्वारा प्रथम मंडी समितियों के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के कार्यकाल को समाप्त करके मंडी समिति तथा इसके सभापति एवं उपसभापतियों के समस्त अधिकार, कृत्य एवं कर्तव्य जिलाधिकारियों में निहित कर दिये गये थे।

वर्तमान समय में राज्य सरकार के द्वारा उ०प्र० कृषि उत्पादन मण्डी समिति अधिनियम १९८४ पारित किया गया है। जिसके अन्तर्गत मण्डी समिति के समस्त अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन राज्य सरकारों के द्वारा नामित की जाने वाली ग्यारह सदस्यीय दल समिति के द्वारा किए जाने की व्यवस्था है।

मण्डी के अन्तर्गत विक्रेता अथवा क्रेता द्वारा क्रय-विक्रय की प्रक्रिया में किए जाने वाले खर्चे को मण्डी खर्च कहते हैं। मण्डी खर्च के अन्तर्गत अढतिया को आढत, दलाल को दलाली, तौलने के लिए

तौलाई, पल्लेदार की पल्लेदारी, मण्डी शुल्क, बाजार शुल्क आदि के अतिरिक्त किसान को मिलावट के लिए गर्दा, उपज सूखने से उसका वजन घट जाता है इसलिए दलाल, मेहतर, पानीवाला आदि के लिए दाना तथा अस्पताल, गोशाला मंदिर आदि के लिए धर्मादा आदि देने पड़ते हैं। इन विभिन्न कटौतियों के कारण उपभोक्ता के रूपये में किसान का हिस्सा बहुत ही कम हो जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में उपभोक्ता के रूप में किसान का हिस्सा चीनी में ६५ १७ प्रतिशत, अलसी में ७९ ३५ प्रतिशत, आलू में ५६ ३० प्रतिशत, गेहूँ में ६८ ०० प्रतिशत पाया गया है। कुल विपणन व्यय में मध्यस्थों का प्रतिशत हिस्सा सबसे अधिक महाराष्ट्र में व सबसे कम आंध्र प्रदेश में पाया गया है।

इस सदी के ७० के दशक में प्रकाश-असवेदी अधबौनी किस्मों के आने से धान और गेहूँ की पैदावार में आशाजनक प्रगति दिखाई देने लगी थी। ये किस्में किसानों के बीच खाद्य-पानी देने पर अच्छी उपज देने के कारण प्रचलित होने लगी जिससे खाद्यान्न उत्पादन में क्रान्ति सी आ गई। जो सन् १९५०-५१ में ५० मिलियन टन से बढ़कर १९९४-९५ में १९१ ०४ मिलियन टन तक पहुँच गया है। अर्थात् ४ गुनी (लगभग) उत्पादन में वृद्धि मिल चुकी है, जिससे सन् १९६८ में डॉ० विलियम गाड ने हरित क्रान्ति का नाम दिया जो १९६८ से ८० तक यह युग रहा। खाद्य एवं कृषि सगठन ने “विश्व कृषि सन् २००० की ओर” अनुमान लगाया है कि धरती की ३०-५० प्रतिशत जमीनें अनुचित प्रबन्ध के कारण खराब हो चुकी हैं। खास तौर से पिछले २५ वर्षों में खेती के लिए जंगल साफ करने की और खेती से ज्यादा पैदावार निचोड़ने के दुहरे लालच ने मिट्टी के कटाव, पोषक तत्वों, सूक्ष्म जीवों एवं जीवाणुओं की कमी की समस्या बढ़ा दी है। इस प्रकार लगभग हर वर्ष ६० लाख हेक्टेयर भूमि खेती के योग्य नहीं रहती। कुछ इलाकों में तो मिट्टी का कटाव इतना ज्यादा हो चुका है कि भारी खर्चा करने पर भी इन मिट्टियों में जान डालना मुश्किल है। दूसरा कारण जल अर्थात् सिंचाई से सम्बन्धित है “विश्व पर्यावरण विकास आयोग ने अपनी रिपोर्ट “हमारा साझा भविष्य” में विश्व के जलस्रोतों की गम्भीर स्थिति की ओर ध्यान दिलाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सन् १९४० से १९८० के बीच ४० वर्षों में दुनिया में पानी की खपत दोगुनी हो गई है और सन् २००० में यह फिर दोगुनी हो गई।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि टिकाऊ खेती कोई एक नारा नहीं है बल्कि भविष्य के लिए मानव की अत्यन्त आवश्यकता भी है। एक सर्वोत्तम रणनीति यह होगी कि पर्यावरण के कुप्रभाव को कम किया जाए और आगे चींटी के झुण्ड की तरह बढ़ती हुई इस मानव जनसंख्या की वर्तमान एव भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

शुझाव :-

यह सत्य है कि मडी अधिनियम द्वारा निर्धारित व्यापारिक परिव्यय से अधिक वसूली चोरी छिपे मध्यस्थ किसानों से कर लेते हैं किन्तु विनियमन से पूर्व होने वाली वसूली की तुलना में यह काफी कम है। विनियमित मडियों में विपणन प्रणाली तथा व्यवहार वैज्ञानिक एव सुसंगठित होते हैं। इनमें एक रूपता पायी जाती है। विनियमित मडियों में तौल में कोई गडबडी नहीं पायी जाती है क्योंकि तौल मडी के कर्मचारियों के सामने होती है। किसानों को भुगतान हेतु इन्तजार नहीं करना पडता है। भुगतान माल के बिक्री के तुरन्त बाद कर दिया जाता है। विनियमित मडियों में प्रभावीकरण एव वर्गीकरण की सुविधाये भी प्रदान की जाती है जिससे कृषकों को उत्पादन का सही मूल्य प्राप्त हो जाता है। विनियमित मडियों की आमदनी का कुछ हिस्सा कृषकों की सुविधा तथा आराम के लिए व्यय किया जाता है ताकि पशुओं एव मालों को धूप एव पानी से सुरक्षित रखा जा सके। सडकों को पक्का कराया जाता है। ताकि किसान को अपना माल मण्डी तक लाने में असुविधा न हो। विनियमित मण्डियों में जितने भी मध्यस्थ कार्य करते हैं उनको मडी समिति से अनुज्ञा पत्र लेना पडता है। यदि मध्यस्थ किसी प्रकार की अनियमितता करने से कतराते हैं जिससे इन मडियों में अनियमितताओं की कमी पायी जाती है। विनियमित मडियों से उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है, क्योंकि उनको उचित मूल्य पर वर्गीकृत एव श्रेणीकृत वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। स्पष्ट है कि विनियमित मण्डियों से किसान, विक्रेता एव उपभोक्ता तीनों को लाभ हुआ है।

7.4

उत्तर प्रदेश में तिलहन फसलो का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में क्षेत्राच्छादन की दृष्टि से खाद्यानो के पश्चात तिलहनी फसलो का दूसरा स्थान है। देश के तिलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सातवाँ स्थान है। देश के कुल उत्पादन का ७४ प्रतिशत तेल उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। प्रदेश में १९९६-९७ में १२७८ लाख हे० क्षेत्र में तिलहनी फसले बोयी गयी थी, जिसमें १५४६ लाख मी० टन उत्पादन प्राप्त हुआ था जो क्षेत्रफल एवं उत्पादन के मामले में १९५०-५१ से क्रमशः ४ व ८ गुना अधिक था, लेकिन १९९७-९८ में क्षेत्रफल एवं उत्पादन में प्रतिकूल मौसम के कारण कमी हुई है। वर्ष १९९७-९८ में क्षेत्रफल ११६५ लाख हे० और उत्पादन १००२ लाख मी० टन हुआ तथा १९९८-९९ में १०५१ लाख हे० रहा जिससे उत्पादन १०८९ लाख मि० टन प्राप्त हुआ।

तिलहन उ०प्र० की मुख्य नकदी /औद्योगिक फमल है। यहाँ पर देश के कुल तिलहन उत्पादन का २० प्रतिशत उत्पादित होता है। राई सरसो के उत्पादन में तो इस प्रदेश का प्रथम स्थान है, परन्तु यह बड़ी ही निराशाजनक बात है कि यद्यपि तिलहनी फसलो के अन्तर्गत क्षेत्रफल में कोई खास गिरावट नहीं आई है। परन्तु औसत उत्पादन प्रति हेक्टेयर एवं कुल उत्पादन घटा है। तिलहनी फसलो एवं उनके तेलों का मूल्य दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जिसके कारण एक सामान्य आदमी को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही हमें तिलहन उत्पादन नीति का निर्धारण करना होगा। हम उसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते जबकि गेहूँ की भाँति तिलहन की अधिक उपज देने वाली फसले निकलेगी बल्कि जो हमारी वर्तमान प्रणालियाँ हैं उनसे ही उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम बनाना होगा क्योंकि अभी भी उनकी क्षमता से काफी कम औसत उत्पादन प्राप्त हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में तिलहन विकास योजना तिलहनो के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड पूर्वी जिले एवं तिलहन की क्षमता रखने वाले अन्य जनपदों में मूँगफली, तिल, अण्डी, राई सरसो, अलसी एवं कुसुम के उत्पादन बढ़ाने हेतु वर्ष १९९१-९२ में कार्यान्वित कराई गई। रबी, तिलहन कार्यक्रम में

वर्ष १९९१-९२ में विशेषतः यह प्रयास करने का विचार रखा गया था कि राई - सरसो के वर्तमान शुद्ध क्षेत्रफल में सघन विधियाँ अपनाकर इसके उत्पादन में वृद्धि करना तथा साथ ही साथ जो क्षेत्रफल राई - सरसो के अन्तर्गत मिश्रित बोया जाता है। उसके शुद्ध क्षेत्रफल को बदलता है।

प्रदेश में कमोबेश मात्रा में प्रायः सभी तिलहनो की खेती होती है, किन्तु लाही सरसो का उत्पादन सर्वाधिक है। अतः लाही सरसो के अतिरिक्त अन्य तिलहनी फसल जैसे अलसी, मूँगफली के विपणन सम्बन्धी क्रियाएँ हैं चूँकि सभी तिलहनो की विपणन क्रियाएँ लगभग एक समान हैं और कुल ९ प्रकार के तिलहन हमारे देश में पाए जाते हैं। अतः सभी तिलहनो का अलग-अलग अध्ययन करना न तो संभव ही रहा और न ही अध्ययन की दृष्टि से आवश्यक।

तिलहन के एकत्रीकरण में तेल मिलें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तेल दो प्रकार से निकाला जाता है। (१) तेल घानियों द्वारा (२) तेल मिलो द्वारा। प्रायः तेल मिले पूँजी-पतियो की होती है और ये क्रेताओ के साथ प्रतिस्पर्धा करती है किन्तु जिन क्षेत्रो में तेल मिले नहीं है वहाँ पर तेल घानियाँ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। किसान द्वारा अपने कुल तिलहन की उपज का अनुमानतः १८ प्रतिशत तक अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए रोक लिया जाता है। शेष आधिक्य को वह या तो स्वयं मंडी को, गाँव के व्यापारी को, थोक व्यापारी को, घूमता फिरता व्यापारी, गाँव की घानी को, मिल के प्रतिनिधि को एवं सहकारी समिति को बेच देता है।

जैसा कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि विपणन के प्रायः सभी कार्यों में वित्त की आवश्यकता पड़ती है। बिना वित्त के विपणन का चक्र चलना कठिन होता है। हमारे देश में किसानो के पास विक्रय योग अतिरिक्त की कमी है। इसके अतिरिक्त हमारे देश के किसानो की आर्थिक स्थिति खराब है। अतः ऐसी स्थिति में उन्हें ऋण का सहारा लेना आवश्यक होता है। गाँव में किसान को जिन स्रोतो से ऋण उपलब्ध होता है, तिलहन उत्पादक किसान उन स्रोतो से ऋण प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत तिलहन की खेती हेतु अनुदान राशि प्रदान की गयी है।

अत उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यक्रमों जैसे कृषि रक्षा, उर्वरक वितरण, गोदाम निर्माण, रसायन छिड़काव आदि के सन्दर्भ में कृषकों को अनुदान की सहायता प्रदान कराई गई है। इससे प्रदेश के तिलहन उत्पादकों को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलने की सम्भावना है।

शुद्धाव :-

तिलहनी फसलों के विपणन में मध्यस्थों की अधिक संख्या पायी जाती है। चूँकि इन फसलों के एकत्रीकरण के अन्तिम बिन्दु औद्योगिक निर्माता होते हैं, अत सबसे पहले इन फसलों के विपणन में मध्यस्थों की संख्या कम की जाए।

तिलहनी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज की मात्रा, सतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग, जिप्सम का प्रयोग, कीट रोगों से बचाव एवं समय से बुवाई, सिंचाई, निराई-गुड़ाई पर बल दिया जाय। इसके लिए न्याय पचायतवार क्षेत्र की जानकारी करने के उपरान्त ऐसे मुख्य बिन्दु चिन्हित कर लिए जाय जिनके कारण उत्पादकता प्रभावित होती है। इन्हीं चिन्हित बिन्दुओं पर आधारित तिलहन उत्पादन को अभियान के रूप में न्याय पचायत/ग्राम पचायत में चलाया जाय। ऐसे नियोजित एवं क्रियान्वित कार्यक्रम से फसल पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे अन्य कृषकों को भी दिखाया जाय।

बुन्देलखण्ड में खाली खेतों में तिलहनी फसलों की बुवाई करके तथा ज्वार बाजरा, असिंचित धान के स्थान पर तिलहनी फसलें उगाकर क्षेत्र का विस्तार किया जाय। सूरजमुखी के क्षेत्र का विस्तार इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, आगरा एवं लखनऊ में किया जाये। इसके साथ ही जायद में आलू, सब्जी, मटर, तोरिया, गन्ना की पेड़ी/अगेती, राई/सरसो की कटाई के उपरान्त खाली खेतों में सूरजमुखी की बुवाई हेतु कृषकों को प्रेरित किया जाय।

तिलहन की बिक्री मुख्यत उसकी किस्म के आधार पर की जाती है। अलग-अलग किस्म के तिलहन का भाव अलग-अलग होता है। तिलहन की किस्म का उसके विपणन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि तिलहन खराब किस्म का होता है तो तेल भी अच्छे किस्म का नहीं प्राप्त किया जा सकता है। फलस्वरूप इसके मूल्य भी कम मिलते हैं, यही कारण है कि तिलहन में शुद्धता को अधिक महत्व दिया जाता है। अत तिलहन

की तैयारी में किसानों को अधिक ध्यान देना चाहिए, किन्तु इस सम्बन्ध में मुख्य कठिनाई यह है कि तिलहन की खेती पृथक् रूप से नहीं की जाती वरन् अन्य खाद्य फसलों के साथ की जाती है। फलस्वरूप इसमें अन्य खाद्यान्न मिल जाते हैं और इनका श्रेणीयन तथा वर्गीकरण करना कठिन हो जाता है। तिलहन में मिलावट दो प्रकार की होती है। (१) अन्य तिलहनो की मिलावट तथा (२) गेहूँ आदि अन्य अनाजों की मिलावट। व्यवहार में शुद्ध तिलहन मिलना कठिन होता है। तिलहनो का वर्गीकरण उनके रंग-रूप या आकार के आधार पर किया जाता है जैसे अलसी का वर्गीकरण बड़ा व छोटा के आधार पर किया जाता है। सरसो या लाही का पीली भूरी के आधार पर किया जाता है।

7.5

भारत में तेल निकालने वाले बीजों में उत्पादन की दृष्टि से लाही व सरसो का स्थान मूँगफली के बाद दूसरा है। इसकी खेती पूरे देश में लगभग १८६५ ४५ हजार हेक्टेयर भूमि में होती है और पूरे देश का कुल उत्पादन लगभग ५५५ ७५ हजार मेट्रिक टन है। लाही सरसो का उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का ४८ ६६ प्रतिशत है क्षेत्रफल के दृष्टि कोण से पूरे देश के लाही सरसो के उत्पादन क्षेत्र का ३८ ७५ प्रतिशत भाग केवल उत्तर प्रदेश में ही है। इस प्रकार लाही सरसो के उत्पादन एवं क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से पूरे देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है।

मडलवार के दृष्टिकोण से देखे तो आगरा मण्डल सरसो के क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों दृष्टियों से उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है। इसके बाद क्रमशः कानपुर, मथुरा, इटावा, मैनपुरी, खीरी, फर्रुखाबाद जनपदों का स्थान आता है।

किसान अपनी उत्पत्ति का कुछ भाग बीज के लिए एवं कुछ भाग घरेलू उपभोग हेतु रखकर शेष भाग की बिक्री कर देते हैं। किसान द्वारा लाही सरसो की बिक्री प्रायः गाँव के व्यापारी, घूमता-फिरता व्यापारी, थोक व्यापारी, सीधे मंडी को एवं मिल को की जाती है। विभिन्न जोत वर्ग के कृषक अपनी कुल उपज का औसतन १२ ४४ प्रतिशत भाग स्वयं मंडी में ले जाकर बेचता है। स्वयं मंडी में ले जाकर बेचने में बड़े

किसानों का प्रतिशत भाग अधिक है, और छोटे किसानों के पास विपणन योग्य अतिरिक्त कम होता है। जिसकी वजह से वह अपनी उपज को शहर या बाजार में ले जाने की अपेक्षा गाँव में ही बेच देना उपर्युक्त समझते हैं।

किसान को सस्थागत एवं निजी श्रोतों से ऋण प्राप्त होते हैं निजी श्रोतों में मुख्यतः बड़े किसान, महाजन, साहूकार समितियाँ एवं बैंक प्रमुख हैं। राई सरसो हेतु यह राशि ५५० रु० प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गयी है। प्रदेश में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु तिलहन की फसल में उर्वरक एवं कृषि रक्षा उपचार हेतु कृषकों को सहकारिता विभाग द्वारा ऋण वितरण किया जाता है।

गोरखपुर प्रखण्ड में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कृषकों को प्राप्त होने वाले ऋणों से विभिन्न सस्थाओं का भाग इस प्रकार रहा है। बड़े किसान तथा कृषक महाजन ३२.२० प्रतिशत, बनिया एवं मध्यस्थ २३.४४ प्रतिशत, सरकार एवं बैंक ५.४४ प्रतिशत, सहकारी समितियाँ ३०.०६ प्रतिशत अन्य ८८ प्रतिशत।

विपणन हेतु बनियों को भी ऋण की आवश्यकता होती है। चूँकि बनियों में इन्तजार करने की शक्ति भी अधिक होती है अतः अधिक लाभ कमाने की आशा में वह कृषि पदार्थों को संग्रहीत भी कर लेते हैं। अतः किसानों से खरीदे गये कृषि पदार्थों के मूल्यों का भुगतान करने के लिए एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए यदि पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वे अल्पकालीन ऋणों से अपना काम चला लेते हैं, लेकिन बनिया प्रायः अपनी रकम अधिक दिनों तक फँसा कर रखना नहीं पसंद करता है। उनका प्रयास होता है कि वे अपने ही पूँजी से कई बार खरीद बिक्री करके कुल लाभ को अधिकतम किया जाये। बनियों को ऋण प्रायः थोक व्यापारी, अढ़तिये, मंडी के फुटकर व्यापारी व बैंकों से प्राप्त होता है। अढ़तिये बनियों को ऋण प्रायः उनकी सारख के आधार पर देते हैं। अढ़तिये दिये गये धनराशि का सरखत बनियों से लिखवा लेते हैं। अढ़तिये और थोक व्यापारी को यदि ऋण की आवश्यकता होती है तो ये प्रायः बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं। बैंक उनके बिक्री कर के आधार पर पूँजी का पता लगा लेते हैं और इस पूँजी का ६० प्रतिशत तक ही ऋण के रूप में देते हैं। अढ़तियों को ऋण तेल निकालने वाली मिलों द्वारा भी दिये जाते हैं।

उत्पादक सरसो की जब बिक्री कर रहा होता है तो उसे प्रति टन ४०० रु० विपणन खर्च वहन करने पड़ते हैं। जिससे उत्पादक को अपनी उपज की वास्तविक कीमत से ४०० रु० कम प्राप्त होते हैं।

इस प्रकार उत्पादक द्वारा वहन किया गया विपणन खर्च उपभोक्ता कीमत का ६५ प्रतिशत है। उत्पादक द्वारा वहन किये जाने वाले विपणन खर्चों में दलाली, चुँगी, पल्लेदारी, कर्दा, नमूना आदि सम्मिलित हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस उपज की उत्पादक को ३९६० ₹ प्रति क्विंटल की दर में कीमत प्राप्त हो रही है, वही उपज (उत्पादक ⇨ फुटकर व्यापारी ⇨ थोक व्यापारी ⇨ मिल) कई विक्रय भागों से होकर मिल मालिक तक पहुँचती है तो वह ४६६० ₹ प्रति क्विंटल से बिक रही है। इस प्रकार मिल मालिक द्वारा दी गयी कीमत और उत्पादक को प्राप्त कीमत में ७०० ₹ प्रति क्विंटल का अन्तर आ रहा है। अब मिल मालिक द्वारा विधायनी क्रिया सम्पन्न होती है, जिसमें होने वाले खर्च इस प्रकार हैं। सरसो का सफाई का खर्च ५० ₹ प्रति क्विंटल, पेराई की लागत २०० ₹ प्रति क्विंटल, प्रतिस्थापन खर्च ५० ₹ प्रति क्विंटल, भराई टीना पैकेजिंग के खर्च १६१० ₹ प्रति क्विंटल। इस प्रकार मिल मालिक द्वारा वहन किया गया कुल खर्च ४१३०.७५ ₹ प्रति टन है।

अतः सरसो तेल की उपभोक्ता कीमत में सरसो उत्पादक का हिस्सा मात्र ६४७३ प्रतिशत शेष ३५२७ प्रतिशत में विभिन्न खर्च एवं मध्यस्थों का प्राप्त लाभांश सम्मिलित है।

शुद्धाव :-

व्यावसायिक फसलों के विपणन में मध्यस्थों की अधिक संख्या पाई जाती है चूँकि इन फसलों के एकीकरण के अन्तिम बिन्दु औद्योगिक निर्माता होते हैं, अतः ये कृषि पदार्थ पहले विभिन्न विक्रय मार्गों का अनुसरण करके औद्योगिक निर्माता तक पहुँचते हैं, तत्पश्चात् इनको औद्योगिक इकाइयों द्वारा औद्योगिक उत्पादों में रूपांतरित करके अन्तिम उपभोक्ता तक पहुँचाया जाता है। उदाहरणतः सरसो एवं सरसो तेल के एकीकरण एवं वितरण की क्रिया में निम्न प्रक्रिया मार्ग को अपनाया गया है।

उत्पादक ⇨ फुटकर व्यापारी ⇨ थोक व्यापारी ⇨ निर्माता (तेल मिल)
 निर्माता ⇨ थोक व्यापारी ⇨ फुटकर व्यापारी ⇨ उपभोक्ता

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सरसो की विभिन्न विपणन कार्यकर्ताओं का माध्यम से निर्माता तक पहुँचाया जाता है। निर्माता द्वारा विधायनी क्रिया सम्पन्न होती है। तत्पश्चात् सरसो एव सरसो तेल का उत्पादन होता है। अब निर्माता द्वारा विभिन्न विपणन कार्यकर्ताओं के माध्यम से इन औद्योगिक उत्पादों को अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाया जाता है। स्पष्ट है कि अन्य कृषि पदार्थों की तुलना में व्यावसायिक फसलों के विद्यमान की प्रक्रिया अधिक जटिल होती है एव इसमें मध्यस्थों की अधिकता भी पाई जाती है। परिणामतः उत्पादन को प्राप्त कीमत और उपभोक्ता द्वारा दी गई सब कीमत में अधिक अन्तर आ जाता है।

सरसो तेल की उपभोक्ता कीमत में उत्पादक से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक के अनेक विपणन सम्बन्धी खर्च एव विपणन कार्यकर्ताओं के लाभांश सम्मिलित है। परिणामतः उत्पादक द्वारा प्राप्त की गयी कीमत एव उपभोक्ता द्वारा दी गयी कीमत में अधिक अन्तर आ गया है। अतः इस बात पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विपणन व्यय का वास्तविक भुगतान करने वाला कौन सा वर्ग है। चूँकि एक ओर उत्पादक (किसान) द्वारा वहन किए जाने वाले विपणन खर्चों का हस्तांतरण सम्भव नहीं हो पाता है, अतः यह खर्च उत्पादक को ही अपनी उपज की कीमत में से अदा करना होता है। जिससे उसे अपनी उपज की वास्तविक धनराशि से कम धनराशि प्राप्त होती है। जबकि दूसरी ओर उपभोक्ता कीमत में समस्त विपणन खर्चों के सम्मिलित हो जाने के कारण उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि हो जाती है। और लाभ बिकौलियों को मिलता है।

अतः विभिन्न जोत वर्ग के किसान को अपनी कुल स्वयं मण्डी में ले जाकर बेचना चाहिए ताकि अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। स्वयं में ले जाकर बेचने में बड़े किसानों का प्रतिशत भाग अधिक है, और छोटे किसानों का कम है, ऐसा इसलिए होता है कि छोटे किसानों के पास विपणन योग्य अतिरिक्त कम होता है जिसकी वजह से वह अपनी उपज को शहर या बाजार में ले जाने की अपेक्षा गाँव में ही बेच देना उपयुक्त समझते हैं।

7.6

सम्पूर्ण भारत का आधे से अधिक गन्ना अकेले उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कहा जाता है। विश्व के कुल गन्ना उत्पादन का २० प्रतिशत गन्ना अकेले भारत में उगाया जाता है। यहाँ २० ५४ लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में कुल ११९ चीनी मिलें स्थापित हैं। जिनमें से १०० चीनी मिलें इस वर्ष कार्यरत हैं। इनमें से २२ चीनी मिलें सरकारी क्षेत्र में २७ चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में तथा ५१ चीनी मिलें निजी क्षेत्र में हैं।

वर्ष १९९८-९९ में चीनी मिलों की गन्ना किसानों ने ३२५९ ८९ करोड़ ₹० का गन्ना बेचा। इसी प्रकार वर्ष १९९९-२००० में कुल ४०९२ २७ करोड़ ₹० का गन्ना चीनी मिलों द्वारा खरीदा गया। वर्ष २०००-०१ में किसानों ने पुनः ३९८५ ६७ करोड़ ₹० का गन्ना चीनी मिलों को बेचा। वर्तमान शासन की कुशल अनुश्रवण व्यवस्था तथा दृढ़ सकल्प के कारण जहाँ वर्ष २०००-०१ में विगत वर्ष के शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराया गया वहीं इस वर्ष के कुल देय गन्ना मूल्य रूपया ३९८५ ६८ करोड़ में से ७ अगस्त २००१ तक गन्ना किसानों को ३७३० ४६ करोड़ रूप का भुगतान किया जा चुका है, जो कुल देय का ९३ ६० प्रतिशत है।

लगभग चार अरब की विशाल पूँजी को गाँवों की ओर मोड़ा गया है। जिससे कि गाँवों की खुशीहाली बढ़ी है। प्रदेश में खाडसारी एव गुड उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक निर्णय वर्तमान सरकार द्वारा लिये गये हैं। प्रदेश में कुल १०६२ लाइसेंसकृत इकाईयाँ हैं जिनमें से इस वर्ष ६७२ इकाईयाँ कार्यरत रही हैं। इनके द्वारा कुल ७४२ ४५ लाख कुन्तल गन्ना पेरकर ३१ ६१ लाख कुन्तल खाडसारी एव ग्यारह लाख कुन्तल गुड का उत्पादन किया गया है।

पूरे देश में लगभग २७ लाख हेक्टेयर भूमि में गन्ना पैदा किया जाता है। इसमें से अधिकांशतः लगभग ८० प्रतिशत उत्तर भारत में तथा शेष बीस प्रतिशत दक्षिण भारत में उपजाया जाता है। भारत वर्ष के पूरे क्षेत्रफल का लगभग ५६ प्रतिशत गन्ना उत्तर प्रदेश में उपजाया जाता है। प्रदेश में २२ लाख

परिवारो की आजीविका गन्ना उत्पादन का कार्य है जिसमे केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक लाख व्यक्तियों का गन्ना उत्पादन ही मुख्य कार्य है।

चीनी मिलो के गन्ने की पूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के साथ-साथ प्रदेश की गन्ना समितियों का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि प्रतिवर्ष गन्ना किसानो को विभिन्न कृषि मन्वन्धी आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु १० - १५ करोड़ रू० के उत्पादक ऋण वितरित करती है। हमारे देश मे गन्ने का प्रयोग अनेक रूपो मे किया जाता है। गन्ने से गुड़, राव, भेली, चूर्ण, शक्कर, श्वेत चीनी, सीरा, खोइया, प्रेसमड आदि बनाये जाते हैं। भारत मे प्राचीन काल से ही खाण्डसारी, भूरी शक्कर एव गुड का उत्पादन होता रहा है। गन्ने से शक्कर बनाने की विधि भारत की ही देन है। सन् १९३९ मे द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण चीनी की माँग मे वृद्धि हुई और चीनी कारखानो की स्थिति सुधरने लगी। युद्ध काल मे चीनी उद्योग ने मतोपजनक प्रगति की और सन् १९४५ मे देश मे चीनी का उत्पादन लगभग दस लाख टन से ऊपर पहुँच गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष १९४७ मे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के आग्रह पर केन्द्र सरकार ने चीनी के उत्पादन एव वितरण से नियन्त्रण हटा लिया, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि चीनी के मूल्य मे तीव्र वृद्धि होने लगी। परिणामतः वर्ष १९४८ मे चीनी पर पुनः नियन्त्रण लागू करना पडा। दिसम्बर १९९८ मे देश मे ५५ लाख टन चीनी का स्टॉक उपलब्ध था। वर्ष १९९९ मे १५५ लाख टन चीनी उत्पादन की सभावना है। इस प्रकार वर्ष १९९९-२००० मे देश मे उपलब्ध चीनी का भण्डार २१० लाख टन हो गया जबकि २०००-२००१ मे चीनी की खपत १५० लाख टन होने की आशा है।

भारत मे चीनी की उत्पादन लागत अतर्राष्ट्रीय बाजार मे प्रचलित २४० डालर प्रतिटन कीमत से काफी ऊँची है। सरकारी संरक्षण के बावजूद अन्य भारतीय उद्योगो की भाँति चीनी उद्योग ने भी कभी तकनीकी और प्रबन्धकीय सुधारो की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया।

हमारे देश मे गन्ना का मुख्यतः गुड, खाड, चीनी के उत्पादन मे प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के कुल गन्ना क्षेत्रफल का सबसे बडा भाग गुड के उत्पादन मे प्रयुक्त है। खाडसारी व गुड उद्योग भी हमारे देश का बहुत बडा उद्योग है और लाखो लोग इससे आजीविका पाते हैं। गन्ने के कुल उत्पादन का

औसतन २५ ३० प्रतिशत भाग ही चीनी मिलों में जाता है। बाकी की गुड़ व खाडसारी बनाने, बीज व चुसने में खपत होती है।

चीनी के उत्पादन में सामान्यतः गन्ना मूल्य ६१ ०३ प्रतिशत है, गन्ना क्रय कर ३ ६५ प्रतिशत, गन्ना कटाई यातायात एवं अन्य व्यय ६ ९७ प्रतिशत, चीनी उत्पादन में किया गया व्यय ६ ८१ प्रतिशत, अवमूल्यन १ ६९ प्रतिशत अन्य हानियाँ ० १४ प्रतिशत है। इस प्रकार चीनी का उत्पादन मूल्य में कृषक यानि उत्पादक का हिस्सा ६१ ०३ प्रतिशत मात्र है। शेष उत्पादन लागत एवं विक्रय सम्बन्धी व्यय है।

उत्तर प्रदेश ने चीनी उत्पादन में कुछ नया कीर्तिमान बनाया है। प्रदेश में कार्यरत १०९ चीनी मिलों द्वारा ४८७ ५१ मी०टन गन्ना पेरकर ४५ ५६ लाख मिट्टिक टन चीनी का इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन हुआ है। इस वर्ष ७४.८१ लाख मिट्टिक टन अधिक गन्ना पेरकर ८ २७ लाख टन अधिक चीनी का उत्पादन हुआ है जो नया कीर्तिमान है। वर्तमान में गत वर्ष के बकाये में से ५९ ३५ करोड़ तथा इस वर्ष कुल ३८३७ १० करोड़ अर्थात् कुल ३८९६ ४५ करोड़ रूपये गन्ना मूल्य का रिकार्ड भुगतान किया गया है। गन्ना घटतौली रोकने के लिए कुल १०५३१ निरीक्षण किये गये जिनमें कुल २१०० अनियमितताये पकड़ी गईं। दण्डस्वरूप ४९७ मिल तौल लिपिकों के लाइसेंस जब्त किये गये। ११० समिति तौल लिपिकों का निलम्बन किया गया ७०७ मामलों में न्यायालय में वाद दायर किये गये हैं।

स्पष्ट है कि गुड़ एवं चीनी के विपणन विधि में पर्याप्त अन्तर है जहाँ गुड़ के विपणन में प्राथमिक मंडी से लेकर थोक मंडी तक और उसके बाद जब कृषि पदार्थ अन्तिम उपभोक्ता के हाथ में नहीं पहुँचता है अनेक विपणन सम्बन्धी खर्च इनकी कीमतों में सम्मिलित होते रहते हैं। परिणामतः किसान द्वारा प्राप्त की गई कीमत तथा उपभोक्ता द्वारा दी गयी कीमत में एक बड़ा अन्तराल उपस्थित हो जाता है।

सुझाव :-

चीनी मिलों द्वारा गन्ने से चीनी बनाने के अतिरिक्त शीरे से अल्कोहल व गन्ने की खोई को मिल के ब्वायलर में जलाने का कार्य किया जाता था। गन्ने के सह-उत्पादों का और अधिक बेहतर उपयोग कर खुशहाली बढ़ाने का सकल्प वर्तमान शासन ने लिया। वर्तमान सरकार के लगातार प्रयासों से केन्द्र सरकार ने

बरेली में शीरे पर आधारित गैसोहल के एक पाइलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बजाज हिन्दुस्तान गोला चीनी मिल जिला लखीमपुर, सिवहारा चीनी मिल बिजनौर जनपद तथा मीतापुर जनपद की हरगाँव चीनी मिलों में जलविहीन अल्कोहल बनाया जा रहा है। जिसकी तीव्रता ९९.६ प्रतिशत है। बरेली में भारतीय तेल निगम तथा भारत पेट्रोलियम के डिपो से कुल ११० पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल मिश्रण के रूप में गैसोहल उपलब्ध है। द्वितीय चरण में अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल को लखनऊ, आगरा, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, तथा मेरठ जैसे महानगरों में भी उपलब्ध कराये जाने की परियोजना का अनुरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग पाँच सौ करोड़ ₹० के पेट्रोल आयात व्यय में इससे कमी तथा पर्यावरण प्रदूषण रोकने में भी मदद मिलेगी। गैसोहल दुनिया के विभिन्न देशों में अनेक वर्षों से पेट्रोल के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।

गन्ने का विपणन मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि उनका प्रयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। हमारे देश में गन्ना का प्रयोग निम्न कार्यों में होता है।

- ✓ बीज के लिए, चुसने के लिए अथवा पीने के लिए, रस निकालने के लिए।
- ✓ पेरकर उसका रस निकालने के लिए जो खाडसारी, राब, गुड बनाने वालों को बेच दिया जाता है।
- ✓ सीधे गुड बनाने के लिए यह प्रथा अधिकांशतः उन स्थानों में प्रचलित है जहाँ या तो स्थानीय जनता का गुड का उपयोग अधिक होता है अथवा जहाँ चीनी मिलें अथवा खाडसारी मिलें अधिक नहीं हैं।

गन्ने की एकत्रीकरण में निम्नलिखित संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

- किसान ।
- खाडसारी मिलें ।
- लाइसेंस प्राप्त आढतिए ।
- सहकारी गन्ना विकास समितियाँ ।
- उत्तर प्रदेश में सहकारी गन्ना विकास समितियाँ ।

प्रत्येक संस्था के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जहाँ कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं उसी के साथ-साथ कुछ दायित्व भी होते हैं इनका एक दूसरे से चोली दामन का साथ

है। यदि गन्ना समितियों के संचालन केवल अपने अधिकार की पूर्ति की बात करे और अपने कर्तव्यों की ओर जागरूक न रहे, तो उस समिति का जीवित रहना ही असम्भव है। जिसके आधार पर उनकी उत्तर प्रदेश सरकारी समितियाँ अधिनियम १९६५ नियामावली १९६८ एव सदस्यों द्वारा बनाई गई तथा निबन्धक महकारी गन्ना समितियाँ (गन्ना आयुक्त) उत्तर प्रदेश द्वारा निबधित उपविधियों के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त हैं। अतः समिति के सभी सदस्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए जो विभिन्न रूप में उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत उन पर रखी गयी है।

अन्ततः सरकार का यह दायित्व होना चाहिए कि वह वस्तुओं के मूल्यों का सही प्रकार से निर्धारण करे और यह देखे कि विपणन क्रिया से सम्बद्ध सभी लोग, चाहे वे थोक व्यापारी अथवा फुटकर व्यापारी हो निर्धारित भावों को ही लागू रखें। चूँकि व्यवसायिक फसलों का बड़े पैमाने पर और शीघ्रता से क्रय विक्रय होता है, अतः विपणन के विभिन्न स्तरों पर विपणन में सलग्न विभिन्न मध्यस्थों के लाभ की दर को निर्धारित करना होगा। इनके लाभांश की मात्रा निर्धारित करते समय, इनके द्वारा किये जाने वाले विपणन खर्चों का भी ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त विपणन में लगे हर सदस्य को मण्डी समिति का लाइसेंस धारक आवश्यक होना चाहिए। इस बात पर भी कड़ी दृष्टि रखी जानी चाहिए कि मण्डी अधिनियम के नियमों का जो सदस्य उल्लंघन करे या सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों से अधिक कीमत ले तो उन्हें दण्डित किया जाय और यहाँ तक कि उनका लाइसेंस रद्द किया जाय। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यापारी जो जमाखोरी, मिलावट तथा काला बाजारी करते हैं उनके विरुद्ध सरकार द्वारा व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए। वास्तव में आर्थिक न्याय और समानता पर आधारित समाज व्यवस्था को बनाये रखने के लिए विपणन क्रिया में लगे सभी संस्थाओं के कार्यों एवं गतिविधियों का इस प्रकार नियंत्रण किया जाना आवश्यक है कि जिससे एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण को समाप्त किया जा सके।

Selected Bibliography

Author	Name of the Book
Ghosh, Alak	<i>Indian Economy, it's Nature & Problems, Calcutta The world press Pvt Ltd 1962</i>
Gupta, A P	<i>Marketing of Agricultural Produce in India, Vora, & Co Pvt Ltd 3 Round Building Bombay. 400002</i>
Govil, K L	<i>Marketing in India, Gautam Bros & Co Kanpur, 1954</i>
H L Hansen	<i>Marketing Text Techniques & Cases, Home Word, Illinois, Richard D I. Inc, 1967,</i>
Khol's Richard L	<i>Marketing of Agricultural Products, The Mac Millian Co New York 1959</i>
Kulkarni, K R	<i>Agricultural Marketing in India (vol I & II), The Co-operatore Book depot, 5/32 Ahmed Sailor Building, Dabar, Bombay-14, 1964</i>
Kulkarni, K R	<i>Theory & Practice of Co-operative in India, the co-operatore Book depot Bombay, Bombay, 1958</i>
Cettinger, J P	<i>Economic Analysis of Agricultural Projects, Baltimore & London The John Hopkins University Press, 1972</i>
Duddy, F dward A & Revzan, Devid A	<i>Marketing – An Institutional Approach, McGraw Hill Book Co New York, 1953</i>
H W	<i>Sir Isac Pitman & Son Ltd London.</i>
Agnew, Hough E & Others	<i>Outlines of Marketing, McGraw Hill Book Co. New York, 1950</i>

Bhatnager, K P & Others	<i>Indian Rural Economy Kishore Publishing House Kanpur, Revised Edition 1958</i>
Bakken & Schaars	<i>Economics of Co-operative Marketing, McGraw Hill Book Co Inc New York, Landen, 1937</i>
Blace J D & M E Kiefer	<i>Future food and agricultural policy, New York, McGraw Hill, 1948</i>
Brunt & Darrah	<i>Marketing of Agricultural Products, Ranald Press Company New York, 1955.</i>
Cochen, R L	<i>The Economics of Agriculture, Cambridge University Press. 1940.</i>
Clark, F T	<i>Market & Market Research, London · Pitman, 1948</i>
Clark, F E	<i>Reading in Marketing, New York Mac Millan Co., 1933</i>
Clark, F E & Clark C P	<i>Principles of Marketing Mac-Millan Co Ltd, London New York, 1947</i>
Clark, F E & Weld, L D H	<i>Marketing of Agricultural Products, Mac-Millan & Co Ltd, London, New York, 1946.</i>
Convers, P D & Huagy	<i>The Elements of Marketing.</i>
Knights C C	<i>The Technique of Sales Manship Sir Isaac Petman & Sons Ltd, 1954</i>
Lele, U J	<i>Foodgrain Marketing in India, Ithaca London : Carnell University Press, 1971.</i>
Lawis, H T & England, W B	<i>Procurement Principle Cases, Homewood, Illinore Richard D Irwin Ine, 1957</i>

Mamoria, C B	<i>Agricultural Problems of India, Kitab mahal Pvt Ltd Allahabad. 1966</i>
Maynard H H & Bsekman, T H	<i>Principles of Marketing the Ronald Press Company London, 1952.</i>
Revised By	
Moore, J R Johl, S S & Khusro, A M Mukherjee, B B	<i>Indian Foodgrain Marketing, Prentice – Hall of India Pvt. Ltd., New York, 1973</i> <i>Agricultural Marketing in India, Thaper Spink Co. Pvt Ltd Calcutta, 1960</i>
Mamoria Co Bo & Delhi, Roto Nair, M P & Hansen, H L Nystram, Paul H	<i>Principles & Practice of Marketing in India, Ketab Mahal, Allahabad, 1963.</i> <i>Reading in Marketing McGraw Hill Book Co., Inc. Toronto New York, 1956</i> <i>Marketing Hand Book, Ronald Press Co New York, 1958</i>
Phillips, C F & Duncan, D J	<i>Marketing Principles & Method, Tichard Do Irwin Ineg Home wood Illnaes, U S A</i>
Pyle, J F Srivastava, R S	<i>Marketing Principles McGraw Hill Book Co Inc. New York, 1956</i> <i>Agricultural Marketing in India & Abroad, Vora & Co, Publishers Pvt. Ltd , 03 Round Building, Bombay – 02, 1960</i>
Singh, T D Shultz T W	<i>Marketing of Mill Made Catton Fabrics Castudy in Uttar Pradesh & Delhi, Shodh Prakashan, 1966</i> <i>Economie Organization of Agriculture, McGraw Hill Book Co. New York, 1953.</i>

Tonsley, Raybourn D & Others Thomson F L	<i>Principles of Marketing, Mac Millan Co. New York, 1968.</i> <i>Agricultural Marketing, McGraw Hill Book Co., New York, 1951</i>
Thomson F & Foote	<i>Agricultural Market Prices, New York, 1952</i>
Hindi Books	
शालेशव १९९० १९९० शर्मा, टी० आर० एवं जैन, १९९० सी०	भारतीय कृषि अर्थशास्त्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, १९७७ । बाजार व्यवस्था, साहित्य भवन, आगरा, १९८० ।
सिंह, अशोक कुमार	भारत मे कृषि विपणन, विजय प्रकाशन मन्दिर, सुड़िया, वाराणसी ।
Journal's	
	"Agricultural Marketing" <i>Directorate of Marketing & Inspection, Ministry of Rural Reconstruction, Nagpur.</i>
	"Indian oilseed Journal" <i>The Secretary Indian Central oilseed Committee, Hyderabad – 1</i>
	"Sugarcane Herald" <i>Indian Sugarcane Committee, Rahtak Road, New Delhi.</i> <i>Indian Journal of Agricultural Economics, Indian Society of Agricultural Economics, Bombay.</i>

Report's		
Government of India		<i>Report on the Marketing of linseed in India, 1938.</i>
"	"	<i>Report on the Marketing of Castorseed in India, 1947.</i>
"	"	<i>Report on the Marketing of Rapeseed & Mustard in India 1966</i>
"	"	<i>Report in the Marketing of Sugar in India & Burma, 1943</i>
"	"	<i>Agricultural Produce (Grading & Marketing Act. 1937, with Rules Made Prior to 31st August 1940)</i>
"	"	<i>Report of the National Planning Committee on Rural Marketing & Finance 1948.</i>
"	"	<i>Report on the Co-operative Planning Committee 1945</i>

Magazines & Statistical Publications :-

- ✓ उ०प्र० मे कृषि ऑकडे, १९९१-९२, निदेशक, कृषि सांख्यिकीय एव फसल बीमा, उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
- ✓ सांख्यिकीय डायरी उ०प्र०, १९९४, अर्थ एव सख्या प्रभाग राज्य नियोजन सस्थान, उ०प्र०, लखनऊ।
- ✓ उ०प्र० मे कृषि सक्षेप १९९४, निदेशक, कृषि सांख्यिकीय एव फसल बीमा, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- ✓ तिलहन उत्पादन कार्यक्रम वर्ष १९९३-९४, कृषि निदेशालय, उ०प्र० (कपास एव तिलहन अनुभाग) लखनऊ।
- ✓ गन्ना मासिक, उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति सघ लि०, १२ राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
- ✓ "गन्ना समाचार" उत्तर प्रदेश गन्ना किसान सस्थान, ११ बटलर रोड (तिलक मार्ग) लखनऊ, उ०प्र०।

- ✓ ३० प्र० के गन्ने का मधुसूदन जातियों का विस्तृत विवरण, १९९४, उ० प्र० गन्ना किसान सस्थान, ११ सिल्लेज मार्ग, लखनऊ।
- ✓ "भाऊ लक्ष्मणराव स्वाध्यायसंग्रहो इच्छाई" न्यूनतम आवश्यकताएँ, उत्तर प्रदेश गन्ना किसान सस्थान, ७ डाली बाग, लखनऊ।
- ✓ उ० प्र० में गन्ने का आर्थिक स्तैती, १९९०, उ० प्र० गन्ना किसान सस्थान, लखनऊ।
- ✓ प्रशासन के अन्तर्गत वर्ष १९९५, राज्य कृषि उत्पादन मण्डल परिषद, उ० प्र०, १६ ए० पी० सेन रोड, लखनऊ।
- ✓ तिलहन, कपास, एवं तन्बाहू निर्देशिका (१९९५-९६) कृषि निदेशालय, उ० प्र० (कपास एवं तिलहन अनुभाग), कृषि भवन, लखनऊ।
- ✓ "उ० प्र० कृषि उत्पादन मण्डल अधिनियम, १९६४ के अधीन बनायी गयी नियमावली", निदेशक, कृषि विभाग, उ० प्र० लखनऊ द्वारा प्रकाशित।
- ✓ खाद्य सांख्यिकीय बुलेटिन, अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि एवं गन्ना विभाग, कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- ✓ "योजना" सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार परियोजना हाउस, नई दिल्ली।
- ✓ "योजना" प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना भवन, समद मार्ग, नई दिल्ली।
- ✓ रोजगार समाचार, पूर्वी खण्ड, चौथा तल, ५९७ रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली।
- ✓ प्रतियोगिता दर्पण, साहित्य भवन, आगरा।
- ✓ भारत में आर्थिक सर्वेक्षण, २००१-२००२ ।
- ✓ बजट - २००१-२००२ ।
- ✓ बजट - २००२-२००३ ।
- ✓ *Productivity of Sugarcane in Uttar Pradesh, Uttar Pradesh Ganna Kishan Sonsthan, Lucknow, 1995*

- ✓ उ०प्र० के गन्ने की स्वीकृत जातियों का विस्तृत विवरण, १९९४, उ०प्र० गन्ना किसान सस्थान, ११ तिलक मार्ग, लखनऊ।
- ✓ “एक लाभकारी खाण्डसारी इकाई” न्यूनतम आवश्यकताएँ उत्तर प्रदेश गन्ना किसान सस्थान, ७ डाली बाग, लखनऊ।
- ✓ उ०प्र० मे गन्ने की आधुनिक खेती, १९९०, उ०प्र० गन्ना किसान सस्थान, लखनऊ।
- ✓ प्रगति के बारह वर्ष १९९५, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०, १६ ए०पी० सेन रोड, लखनऊ।
- ✓ तिलहन, कपास, एव तम्बाकू निर्देशिका (१९९५-९६) कृषि निदेशालय, उ०प्र० (कपास एव तिलहन अनुभाग), कृषि भवन, लखनऊ।
- ✓ “उ०प्र० कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, १९६४ के अधीन बनायी गयी नियमावली”, निदेशक, कृषि विभाग, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्रकाशित।
- ✓ खाद्य सांख्यिकीय बुलेटिन, अर्थ एव सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि एव सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- ✓ “योजना” सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार पटियाला हाउस, नई दिल्ली।
- ✓ “योजना” प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना भवन, ससद मार्ग, नई दिल्ली।
- ✓ रोजगार समाचार, पूर्वी खण्ड, चौथा तल, ५९७ रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली।
- ✓ प्रतियोगिता दर्पण, साहित्य भवन, आगरा।
- ✓ भारत मे आर्थिक सर्वेक्षण, २००१-२००२ ।
- ✓ बजट - २००१-२००२ ।
- ✓ बजट - २००२-२००३ ।
- ✓ *Productivity of Sugarcane in Uttar Pradesh, Uttar Pradesh Ganna Kishan Sonsthan, Lucknow, 1995*

- ✓ *Uttar Pradesh Kirshi U[†]padan Mandi (Amandments) Rules 1988, Utter Pradesh extra-ordinary gazetts, April 8, 1988*
- ✓ *Agricultural Situation in India, Government of India, Directorats of Economics & Statistics, Ministry of Agricultures & Irrigation, Controller of Publication, New Delhi*
- ✓ *India & Bharat, Ministry of Information & Broad-casting, Government of India*
- ✓ *Activities of the Directorate of Marketing & Inspection, Directorate of Marketing and Inspection Ministry of Agricultural & Rural Development, Government of India Faridabad 1985*
- ✓ *Directorate of Marketing & Inspection Fifty Years of Service to the Nation 1935 – 85, Golden Public Year, Faridabad, 1985*
- ✓ *Seventh Five Year Plan of Agricultural Marketing, Volume III, Agricultural Production Commissioner's Branch Department of Agricultural Marketing, 1994*

News Paper :-

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. आज | 2. अमर उजाला |
| 3. दैनिक जागरण | 4. राष्ट्रीय सहारा |
| 5. हिन्दुस्तान | 6. जन सता |
| 7. नवभारत टाइम्स | 8. Financial Express |
| 9. The Economic Times | 10. The Times of India |
| 11. Hindustan Times | |
